उत्तर प्रदेश शासन

1990-91

के लिये

व्यय की नई मदों से सम्बन्धित टिप्पणियां

NIEPA DC
D05452

5D-
352.1252
N79-R

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. D-5452
Date 3/12/90

प्रास्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित, व्यय की नयी मदों आयोजनागत की सूचना दी गयी है।

सूची के बाद नई मदों के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं, जिनसे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत जांच आय-व्ययक को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नहीं की जा सकी। ऐसी योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पूर्व विस्तृत जांच कर ली जायगी और यदि आवश्यक हुआ तो पदों की संख्या एवं वेतनक्रमों इत्यादि में यथोचित संशोधन कर दिया जायगा :

इस खण्ड के आरम्भ में आयोजनागत व्यय की नई मदों की अनुदानवार सूची दी गई है तथा उसके बाद सम्बन्धित विभागों की व्यय की नई मदों की सूची के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण भी अलग-अलग दिया गया।

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदों द्वारा सम्मिलित प्राविधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

		(हजार रुपयों में)
क—राजस्व लेखा— कुल व्यय ..	आयोजनेतर	1,16,34,01
	आयोजनागत ..	7,76,86,30
	योग, 'क' ..	8,93,20,31
ख—पूंजी लेखा— कुल व्यय ..	आयोजनेतर ..	34,13,01
	आयोजनागत ..	2,19,37,00
	योग, 'ख' ..	2,53,50,01
	कुल योग ..	11,46,70,32

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	आबकारी विभाग ..	..	1,60,00	..	1,60,00	1 प
2	आवास विभाग ..	1,66	..	..	1,66	5 प
3	उद्योग विभाग ..	6,75,30	5,17,28	13,00,77	24,93,35	9 प
4	कृषि विभाग	39,35,50	50	..	39,36,00	25 प
5	ग्राम्य विकास विभाग	1,94,89	..	..	1,94,89	31 प
6	खेल विभाग	1,21,50	12,50	..	1,34,00	37 प
7	खाद्य तथा रसद विभाग ..	37,15	..	..	37,15	45 प
8	गन्ना विकास विभाग (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग) ..	4,67,20	25,00,00	..	29,67,20	49 प
9	गृह विभाग (कारागार)	..	2,00,00	..	2,00,00	57 प
10	चिकित्सा विभाग	8,22,10	24,74,64	..	32,96,74	61 प
11	दुग्ध विकास विभाग	2,49,94	1,66,05	..	4,15,99	85 प
12	नगर विकास विभाग	11,61,39	..	4,00,00	15,61,39	91 प
13	नागरिक उड्डयन विभाग	13,76	6,03	..	19,79	97 प
14	नियोजन विभाग	25,47,61	..	..	25,47,61	101 प
15	न्याय विभाग	..	5,55	..	5,55	107 प
16	परिवहन विभाग	13,26	13,52,15	..	13,65,41	111 प
17	पर्यटन विभाग	59,82	1,27,48	..	1,87,30	115 प
18	पशुधन विभाग	7,91,15	2,42,00	..	10,33,15	121 प
19	प्राविधिक शिक्षा विभाग	18,24,76	9,34,93	..	27,59,69	143 प
20	पर्वतीय विकास विभाग	72,22,97	9,62,84	14,45	82,00,26	153 प
21	मत्स्य उत्पादन विभाग	1,22,78	..	..	1,22,78	275 प
22	पंचायती राज विभाग	29,72	26,42,09	..	26,71,81	279 प
23	महिला कल्याण विभाग	17,94,78	89,21	..	18,83,99	285 प
24	युवा कल्याण विभाग	1,97,85	80,00	..	2,77,85	293 प
25	राजस्व विभाग	35,00	21,00,00	..	21,35,00	297 प
26	लोक निर्माण विभाग	..	27,92,09	..	27,92,09	303 प
27	वन विभाग	1,17,50	1,00	..	1,18,50	307 प
28	वित्त विभाग	2,88,10	..	..	2,88,10	313 प
29	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	80,50	..	..	80,50	317 प
30	शिक्षा विभाग	1,17,39,82	1,81,26	..	1,19,21,08	323 प
31	श्रम विभाग	39,30,65	1,00	..	39,31,65	359 प
32	सहकारिता विभाग ..	3,52,55,60	1,42,30	18,59,01	3,72,56,91	377 प
33	सिंचाई विभाग ..	3,77	2,38,00	..	2,41,77	389 प

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनागत

1	2	3	4	5	6	7
34	संस्थागत वित्त विभाग ..	..	3,40,00	..	3,40,00	3 393
35	सांस्कृतिक कार्य विभाग ..	1,23,20	85,00	..	2,08,20	3 397
36	सूचना विभाग	2,97,10	..	..	2,97,10	4 405
37	सैनिक कल्याण विभाग ..	..	8,87	..	8,87	4 415
38	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	35,29,97	..	..	35,29,97	4 419
	योग ..	7,76,86,30	1,83,62,77	35,74,23	9,96,23,30	

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की नई मदों (आयोजनागत) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक
1	2	3	4
1	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	1,60,00
2	2217--शहरी विकास	22	1,44
3	2215--जलपूर्ति और सफाई	..	11,22,00
	2217--शहरी विकास	..	39,38
	2230--श्रम और रोजगार	..	1
	6215--जल सम्पूर्ति और सफाई के लिये उधार	..	4,00,00
5	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,00	..
	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	..	53,30
	6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार	..	6,96,99
6	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,00	..
	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	6,00,00	..
	6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार	..	1,93,78
7	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	..	3,67,28
	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार	..	4,10,00
8	4058--लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय	..	1,50,00
9	3453--विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	..	15,00
11	2401--कृषि कार्य	5,00	..
12	2401--कृषि कार्य	20	3,50,30
	2402--भू और जल संरक्षण	35,33,50	16,50
	2415--कृषि अनुसन्धान और शिक्षा	..	20,00
	2435--अन्य कृषि कार्यक्रम	5,90	4,10
	4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	..	30
13	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,00	1,03,00
	2702--लघु सिंचाई	8,69	81,20
14	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	43,00	1,54,85
	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	17,48	12,24
	4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	..	80,00
	4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	..	26,42,09
15	2403--पशुपालन	1,50,02	6,41,13
	4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	..	2,42,00
16	2404--डेरी विकास	..	2,49,94
	4404--डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	..	1,66,05
17	2405--मीन उद्योग	..	1,22,78

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की नई मदों (आयोजनागत) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं—(क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक
1	2	3	4
18	2401--कृषि कार्य	..	3,51,70,00
	2425--सहकारिता	..	85,60
	4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	..	1,42,30
	6401--कृषि कार्य के लिए उधार	..	50,00
	6425--सहकारिता के लिए उधार	..	18,09,00
22	3456--नागरिक पूर्ति	37,15	...
23	2204--खेल और युवा कल्याण	87,40	34,10
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	12,50
24	2401--कृषि कार्य	25,00	3,54,30
	2408--खाद्य भण्डारण और भांण्डागारण	50,00	2,90
	2415--कृषि, अनुसंधान और शिक्षा	..	35,00
25	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	..	25,00,00
26	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	2,00,00
32	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,81,63	2,04,85
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	..	21,96,51
33	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,48,03	59,37
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	..	75,36
34	2210--चिकित्सा लोक स्वास्थ्य	62,55	5,83
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	..	18,02
35	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	13,04	1,33,42
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	1,25,67
37	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	4,13	9,25
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	..	54,00
38	3053--नागर विमानन	10,26	3,50
40	2402--भू और जल संरक्षण	11,00	9,00
	2575--अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	..	25,00,00
	3451--सचिवालय आर्थिक सेवायें	..	13,75
	3454--जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यकीय	..	13,86
42	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	3,56
	4216--आवास पर पूंजी परिव्यय	..	1,99
43	2041--वाहनों पर कर	2,56	10,70
	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	24,15
	5055--सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	..	13,28,00
44	3452--पर्यटन	17	59,65
	5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	..	1,27,48
46	2203--तकनीकी शिक्षा	5,05,59	13,19,17
	4202--शिक्षा, खेल, कला, एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	9,34,42

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक को नई मदों (आयोजनागत) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं--(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक
1	2	3	4
47	2551--पहाड़ी क्षेत्र	22,39,16	49,83,81
	4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	..	9,62,84
	6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	..	14,45
49	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	16,59,79	1,34,99
	4235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	..	89,21
50	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	14,00,00
52	2029--भू-राजस्व	..	10,00
	2216--आवास	..	25,00
54	2406--वानिकी और वन्य जीवन	20,89	96,61
	4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	..	1,00
59	2047--अन्य राजकोषीय सेवायें	2,60,89	25,83
	2425--सहकारिता	..	1,38
64	2215--जल पूर्ति और सफाई	..	28,00
	3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	..	52,50
65	2202--सामान्य शिक्षा	30,87,30	55,67,97
	2204--खेल और युवा कल्याण	..	29
66	2202--सामान्य शिक्षा	16,72,64	2,33,98
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	80,87
67	2202--सामान्य शिक्षा	94,12	1,13,32
	4202--शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	1,00,39
68	2202--सामान्य शिक्षा	1,02,94	1,13,26
69	2202--सामान्य शिक्षा	1,15	7,52,85
70	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	35,93	44,05
	2230--श्रम और रोजगार	3,99	2,04
	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	30,24,00	..
71	2230--श्रम और रोजगार	27,42	7,93,22
	4250--अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	..	1,00
73	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	4,50,00
74	4216--आवास पर पूंजी परिव्यय	..	3,27,09
	5053--नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	..	6,03
75	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	51
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	..	5,06
76	5054--सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	..	27,15,00
79	2701--बृहद् और मध्यम सिंचाई	..	3,77
	4701--बृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	..	1,28,00
	4702--लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	.	1,10,00

संक्षिप्त विवरण-पत्र जिसमें वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की नई मदों (आयोजनागत) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं-(समाप्त)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक			धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक
1	2			3	4
81	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	..	..	40,000
83	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	..	..	3,00,00
87	2205--कला और संस्कृति ..	..	..	8,95	1,14,25
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	..	..	85,00
90	2220--सूचना और प्रचार ..	..	..	14,03	2,83,07
91	4235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	..	..	..	5,87
92	2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		..	11,87,43	6,[illegible]7,14
93	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण ..	..	..	14,14,27	3,23
94	2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		..	1,07,35	1,20,55
	कुल योग	..	..	2,04,73,77	7,91,49,53
				9,96,23,30	

र्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
1	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	कतिपय जनपदों के आबकारी अधिकारियों के कार्यालय भवनों, बंधित गोदाम और मालखानों का निर्माण	..	1,60,00	3 प
		अनुदान संख्या 1 का योग ..	..	1,60,00	
2	2217—शहरी विकास	रीजनल प्लानिंग स्कीम के अधीन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सिंगरौली क्षेत्र के नियोजन हेतु सृजित नियोजन इकाई के लिये जीप गाड़ी का क्रय	22	1,44	7 प
		अनुदान संख्या 2 का योग	22	1,44	
3	2215—जलपूर्ति और सफाई	(1) आगरा जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत आगरा बैराज का निर्माण	..	4,00,00	93 प
		(2) डच सब प्रोजेक्ट-5 के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	..	1,00,00	93 प
		(3) कानपुर में गंगा नदी पर बैराज के निर्माण हेतु अनुदान	..	5,00,00	93 प
		(4) जाजमऊ (कानपुर) में स्थित विभिन्न टैनरियों के लिये संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र की स्थापना	..	1,22,00	93 प
		लेखा शीर्षक 2215 का योग ..	..	11,22,00	
	2217—शहरी विकास	फुटपाथ निवासियों के लिये रैन-बसेरों की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता	..	39,38	94 प
		लेखा शीर्षक 2217 का योग ..	..	39,38	
	2230—श्रम और रोजगार	नेहरू रोजगार योजना ..	..	1	94 प
		लेखाशीर्षक 2230 का योग ..	..	1	
	6215—जल पूर्ति और सफाई के लिये उधार	(1) शुष्क शौचालयों का पानी वाले शौचालयों में परिवर्तन	..	1,00,00	95 प
		(2) नगरों में जल सम्पूर्ति तथा जलोत्सारण योजना	..	3,00,00	95 प
		लेखा शीर्षक 6215 का योग ..	..	4,00,00	
		अनुदान संख्या 3 का योग ..	..	15,61,39	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
5	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	खादी ग्रामोद्योग से संबंधित कत्तिनों एवं बुनकरों को बीमा की सुविधा ..	6,00	..	16 प
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..	6,00	..	
	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	(1) शिल्पकार बहबूदी फण्ड योजना	..	20,00	17 प
		(2) प्रदेश की शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया जाना	..	10,00	17 प
		(3) हस्तशिल्पियों हेतु ब्याज उपादान योजना	..	3,30	17 प
		(4) ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई को विशेष राज्य पूंजी उपादान	..	20,00	18 प
		लेखा शीर्षक 2851 का योग	..	53,30	
	6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार	(1) बीमार लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु ऋण	..	5,00	22 प
		(2) एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना	..	5,70,53	22 प
		(3) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हेतु मार्जिन मनी ऋण	..	1,07,96	18 प
		(4) औद्योगिक सहकारी समितियां (अवस्त्रीय) को अंशपूंजी ऋण	..	10,00	21 प
		(5) हस्तशिल्प सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता	..	3,50	21 प
		लेखा शीर्षक 6851 का योग ..	..	6,96,99	
		अनुदान संख्या 5 का योग ..	6,00	7,50,29	
6	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	व्यक्तिगत क्षेत्र में आने वाले हथ-करघा बुनकरों एवं हथकरघा वस्त्रों पर रंगाई, छपाई करने वाले छीपियों को सामाजिक जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना	1,00	..	16 प
		लेखा शीर्षक 2535 का योग ..	1,00	..	
	2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	विपणन विकास सहायता (एम0डी0ए0) योजना	6,00,00	..	16 प
		लेखा शीर्षक 2851 का योग ..	6,00,00	...	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) के अनुदानवार सूची—(क्रमश:)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योग के लिये उधार	(1) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के कच्चे माल के बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण	..	14,00	22प
		(2) जनपद फतेहपुर में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइन केन्द्र की स्थापना	..	79,80	21प
		(3) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना	..	10,00	19प
		(4) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण योजना	..	70,00	19प
		(5) सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना	..	6,66	19प
		(6) हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना (जिला योजना)	..	13,32	20प
		लेखाशीर्षक 6851 का योग	..	1,93,78	
		अनुदान संख्या 6 का योग	6,01,00	1,93,78	
7	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	(1) उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ द्वारा संचालित पुरानी कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विविधीकरण	..	1,16,00	13प
		(2) उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के अंशकों के क्रय	..	2,51,28	13प
		लेखा शीर्षक 4860 का योग ..	..	3,67,28	
	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	(1) न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारटी, गाजियाबाद को अतिरिक्त ऋण देने के लिये धन की व्यवस्था	..	60,00	14प
		(2) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी अन्डरराइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन हेतु ऋण	..	50,00	14प
		(3) प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण	..	2,50,00	14प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची--(क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार-(क्रमशः)	(4) उ0 प्र0 के पूर्वांचल जनपद जौनपुर सतहरिया व गोरखपुर-सहजनवा में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना	..	50,00	13 प
		लेखा शीर्षक 6885 का योग ..	..	4,10,00	
		अनुदान संख्या 7 का योग ..	..	7,77,28	
8	4058--लेखन-सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय	राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद, लखनऊ तथा रुड़की के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीनों का क्रय	..	1,50,00	13 प
		अनुदान संख्या 8 का योग ..	..	1,50,00	
9	3453--विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	(1) निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण/सेमिनार संबंधी योजना	..	1,00	15 प
		(2) आगरा में चर्मनगर (द्वितीय चरण) की स्थापना	..	10,00	15 प
		(3) शिल्प (क्राफ्ट) बाजार योजना	..	4,00	15 प
		अनुदान संख्या 9 का योग ..	..	15,00	
11	2401--कृषि कार्य ..	हरिजन एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में औद्यानिक विकास ..	5,00	..	27 प
		अनुदान संख्या 11 का योग ..	5,00	..	
12	2401--कृषि कार्य	(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अनुरूप बचे हुए जनपदों में फसल उत्पादन हेतु कृषि निवेशों पर राज सहायता	..	3,50,00	27 प
		(2) भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	20	30	27 प
		लेखा शीर्षक 2401 का योग ..	20	3,50,30	
	2402--भू और जल संरक्षण	(1) स्पायज रिसोर्स सर्वे हेतु रिमोट सेन्सिंग मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा मानचित्र की योजना	35,00	15,00	28 प
		(2) प्रदेश में भूमि-सेना का गठन	34,98,50	1,50	29 प
		लेखा शीर्षक 2402 का योग ..	35,33,50	16,50	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची--(क्रमश:)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा	उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद् का गठन	..	20,00	29 प
		लेखा शीर्षक 2415 का योग ..	..	20,00	
	2435--अन्य कृषि कार्यक्रम ..	कृषि विपणन विभाग/निदेशालय का पुनर्गठन	5,90	4,10	30 प
		लेखा शीर्षक 2435 का योग	5,90	4,10	
	4401--कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	..	50	27 प
		लेखा शीर्षक 4401 का योग ..	..	50	
		अनुदान संख्या 12 का योग	35,39,69	3,91,40	
13	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	(1) ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार योजना		1,00,00	33 प
		(2) क्षेत्र समिति के ब्लाक प्रमुखों का प्रशिक्षण तथा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण	2,00	3,00	33 प
		लेखा शीर्षक 2515 का योग ..	2,00	1,03,00	
	2702--लघु सिंचाई	पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना	8,69	81,20	34 प
		लेखा शीर्षक 2702 का योग ..	8,69	81,20	
		अनुदान संख्या 13 का योग ..	10,69	1,84,20	
14	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें	(1) ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना	..	50,00	295 प
		(2) 16 वर्षीय बालक/बालिका को अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन		10,00	295 प
		(3) स्वयं सेवकों का पुनर्प्रशिक्षण	..	76,25	295 प
		(4) प्रादेशिक विकास दल विभाग के स्वयं सेवकों को 15 दिन का सैन्य-प्रशिक्षण (रायफल ट्रेनिंग)	..	12,60	295 प
		(5) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	..	5,00	296 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची--(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2079-अन्य प्रशासनिक सेवायें (क्रमशः)	(6) युवा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण गतिविधियों का प्रसारण	..	1,00	2996 प
		(7) महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन दिया जाना	43,00	..	2996 प
		लेखा शीर्षक 2070 का योग ..	43,00	1,54,85	
	2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	(1) ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	3,42	..	2281 प
		(2) पंचायत उद्योगों के लिये कर्मशाला भवनों का निर्माण (जिला योजना)	..	1,80	2281 प
		(3) पंचायत उद्योग प्रबन्धकों का प्रशिक्षण	92	..	2281 प
		(4) ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों का निर्माण	..	7,20	2282 प
		(5) ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा तथा नालियों का निर्माण	..	3,24	2282 प
4		(6) ग्राम सभाओं को अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन के लिये अनुदान	6,48	..	2282 प
		(7) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का प्रशिक्षण	66	..	2283 प
		(8) पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	6,00	..	2283 प
		लेखा शीर्षक 2215 का योग	17,48	12,24	
	4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	प्रदेश के जनपदों में युवा केन्द्रों की स्थापना	..	80,00	2296 प
		लेखा शीर्षक 4070 का योग ..	..	80,00	
	4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	(1) ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आवास भवनों का निर्माण	..	3,06	2283 प
		(2) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण	..	26,39,03	2283 प
		लेखा शीर्षक 4515 का योग ..	..	26,42,09	
		अनुदान संख्या 14 का योग ..	60,48	28,89,18	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक		मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
15	2403	पशुपालन	(1) राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य संबंधित पशु रोगों के नियंत्रण की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	1,66	1,34	125 प
			(2) सी0 डी0 एफ0, अलीगढ़ के पशुधन उद्योग निगम के स्लाटर हाऊस का आधुनिकीकरण	..	58,00	125 प
			(3) चारा एवं चरागाह विकास की योजना (जिला योजना)	..	12,00	126 प
			(4) प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खुरपका, मुंहपका रोग के रोकथाम की योजना (जिला योजना)	15,60	..	126 प
			(5) सघन भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेंड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण	..	3,20	127 प
			(6) पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजना	..	3.00	127 प
			(7) पशुपालन विभाग के प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण	11,22	78	128 प
			(8) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम	..	1,51,08	128 प
			(9) गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना	2,16	27,84	129 प
			(10) प्रदेश के आपरेशन फ्लड-11 क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के गायों में संकर प्रजनन तथा भैंसों में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा पशु प्रत्याभिजनन की योजना	1,00	..	129 प
			(11) उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड से कुक्कुट उत्पादन तथा उसके क्रय-विक्रय की व्यवस्था	..	24,00	130 प
			(12) गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	27,00	93,00	130 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2403—पशुपालन—(क्रमशः)	(13) पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार (जिला योजना)	2,64	55	1331 प
		(14) पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार योजना	1,00	..	1131 प
		(15) राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की योजना	1,40	60	1131 प
		(16) भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना, ऊन श्रेणीकरण, क्रय-विक्रय, सघन भेड़ विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)	7,25	7,00	1132 प
		(17) सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)	1,65	..	1133 प
		(18) पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	1,00	3,90	1134 प
		(19) पशु जैविक औषधि संस्थान की स्थापना एवं विस्तार की योजना	36	22,14	134 प
		(20) प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरीज की स्थापना, कार्यरत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य समन्वित कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के सम्पादन की योजना	8,54	8,56	135 प
		(21) पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं के सुधार तथा विस्तार की योजना (जिला योजना)	47,25	1,87,53	135 प
		(22) भारतीय मूल नस्ल की गोवंशीय/महिष वंशीय पशु प्रजनन के संरक्षण एवं विकास की योजना (50 प्रतिशत की दर से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	..	8,00	136 प
		(23) आधारीय/प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय चारा बीज प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	1,20	3,30	137 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2403--पशुपालन-(क्रमशः)	(24) बृहत् भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा के सुदृढ़ीकरण की योजना	..	1,97	138 प
		(25) राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं विस्तार की योजना	18,19	16,41	139 प
		(26) राज्य में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं प्रजनन सुविधाओं का विस्तार (जिला योजना)	90	6,93	139 प
		लेखा शीर्षक 2403 का योग ..	1,50,02	6,41,13	
	4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	(1) पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना	..	4,08	134 प
		(2) पशु जैविक औषधि संस्थान की स्थापना एवं विस्तार की योजना	..	1,50	134 प
		(3) भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना ऊन श्रेणी करण क्रयविक्रय, सघन भेड़ विकास एव स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना	..	3,25	132 प
		(4) सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध करना	..	12,95	133 प
		(5) प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हेचरीज की स्थापना कार्यरत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एव अन्य समन्वित कुक्कुट विकास कार्य क्रमों के सम्पादन की योजना	..	25,10	135 प
		(6) आधारीय/प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय चारा बीज प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	..	3,50	137 प
		(7) बृहत् भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा के सुदृढ़ीकरण की योजना	..	8,03	138 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची-(क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-(क्रमश:)	(8) राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं विस्तार की योजना	..	15,40	1139 प
		(9) प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा हैचरीज की स्थापना	..	84,11	1140 प
		(10) राज्य में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं प्रजनन सुविधाओं का विस्तार (जिला योजना)	..	4,67	1139 प
		(11) प्रदेश में ऊन बोर्ड की स्थापना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	..	10,00	1141 प
		(12) पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं के सुधार तथा विस्तार की योजना	..	67,41	1135 प
		(13) भारतीय मूल नस्ल की गोवंशीय महिष वंशीय पशु प्रजनन के संरक्षण एवं विकास की योजना (50 प्रतिशत की दर से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	..	2,00	1136 प
		लेखा शीर्षक 4403 का योग ..	..	2,42,00	
		अनुदान संख्या 15 का योग ..	1,50,02	8,83,13	
16	2404-डेरी विकास	(1) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 गोरखपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ जालौन एवं गोण्डा का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण	..	39,14	87 प
		(2) आई0डी0डी0 (डेरी टेक्नोलाजी/डेरी इन्जीनियरिंग) पाठ्यक्रम के शिक्षण की व्यवस्था हेतु कृषि संस्थान, इलाहाबाद को अनुदान	..	2,00	87 प
		(3) विभागीय तथा दुग्ध सहकारी संघों, समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दुग्ध उत्पादक सदस्यों का प्रशिक्षण	..	4,00	87 प
		(4) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बहुल सदस्यों वाली दुग्ध सहकारी समितियों को सहायता तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों को विशेष सुविधाओं हेतु अनुदान	..	40,95	88 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2404—डेरी विकास	(5) आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं की व्यावसायिक क्षमता बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता	..	13,85	88 प
		(6) आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही तकनीकी निवेश सेवाओं एवं प्रसार कार्य से सम्बन्धित व्यय भार को वहन करने हेतु वित्तीय सहायता	..	1,50,00	88 प
		लेखा शीर्षक 2404 का योग—	..	2,49,94	
	4404-डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	(1) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 बरेली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	..	19,75	89 प
		(2) अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना	..	20,00	89 प
		(3) आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत नई डेरियों/चिलिंग प्लान्टो की स्थापना तथा मौजूदा डेरियों/चिलिंग प्लान्टों का विस्तार	..	1,20,33	89 प
		(4) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना	..	5,97	90 प
		लेखा शीर्षक 4404 का योग ..	..	1,66,05	
		अनुदान संख्या 16 का योग ..	..	4,15,99	
17	2405—मीन उद्योग	(1) इटावा जनपद में मत्स्य प्रक्षेत्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	..	26,00	277 प
		(2) नई हैचरियों की स्थापना एवं वर्तमान हैचरियों/प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण	..	7,00	277 प
		(3) ऊसर, जलप्लावित एवं अनुपयोगी भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग	..	25,26	277 प
		(4) जनपद जौनपुर में स्थित गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र के सुधार एवं जल आपूर्ति व्यवस्था	..	11,02	278 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2405—मीन उद्योग-(क्रमशः	(5) हैचरियों का सुधार एवं आधुनिकीकरण	..	38,00	2788 प
		(6) सुरहा ताल, बलिया जनपद में मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र निर्धारिया का सुधार	..	15,50	2798 प
		अनुदान संख्या 17 का योग ..	..	1,22,78	
18	2401—कृषि कार्य	(1) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के पुनर्स्थापन हेतु अनुदान की धनराशि की व्यवस्था	..	1,70,00	3779 प
		(2) ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं को अनुदान	..	3,50,00,00	3779 प
		लेखा शीर्षक 2401 का योग ..	..	3,51,70,00	
	2425—सहकारिता	(1) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत वितरित उपभोग ऋण पर जोखिम निधि (रिस्क फ़न्ड) हेतु अनुदान (जिला योजना)	..	2,06	3880 प
		(2) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय करने के लिये अनुदान तथा ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था (जिला योजना)	..	2,50	3882 प
		(3) उ0 प्र0 सहकारी बैंक के कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ऋण/अनुदान	..	75,00	3881 प
		(4) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रबन्धकीय अनुदान (जिला योजना)	..	1,60	3380 प
		(5) फुटकर उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री केन्द्रों की स्थापना	..	4,44	3880 प
		लेखा शीर्षक 2425 का योग ..	..	85,60	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	(1) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत नगरीय सहकारी बैंकों में अंश पूंजी विनियोजन (जिला योजना)	..	5,00	382 प
		(2) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों तथा अंशकों में विनियोजना	..	1,00,00	383 प
		(3) राज्य भण्डारागार निगम के अंशकों में अंश पूंजी विनियोजन	..	25,00	383 प
		(4) सहकारी विधायन एवं संग्रह योजना	..	4,50	382 प
		(5) सहकारी क्षेत्र में नयी दाल मिलों की स्थापना	..	7,80	383 प
		लेखा शीर्षक 4425 का योग..	..	1,42,30	
	6401--कृषि कार्य के लिए उधार	(1) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड) को सुदृढ़ करने हेतु ऋण (राज्यांश) की व्यवस्था	..	50,00	384 प
		लेखा शीर्षक 6401 का योग ..	..	50,00	
	6425--सहकारिता के लिए उधार	(1) सहकारी संग्रहण एवं विधायन योजना के अन्तर्गत दाल मिलों के पुनर्गठन हेतु सीमान्त ऋण	..	6,00	385 प
		(2) उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय हेतु पैक्स/ब्लाक यूनियन को मार्जिन मनी ऋण	..	48,00	386 प
		(3) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ को मार्जिन मनी ऋण सहायता	..	30,00	386 प
		(4) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ऋण / अनुदान	..	25,00	381 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	6425-सहकारिता के लिए उधार	(5) कृषि निवेश आपूर्ति योजना के अन्तर्गत अनार्थिक पूर्ति भण्डारों को सुदृढ़ करने हेतु सीमान्त धनराशि ऋण	..	7,50	3 387
		(6) जिला सहकारी बैंकों के लाभ ओवर ड्यू कवर की कमी को पूरा करने हेतु शासकीय ऋण की व्यवस्था	..	8,00,00	3 385
		(7) प्रदेश के निर्बल सहकारी बैंकों के पुनर्स्थापन हेतु ऋण की व्यवस्था	..	4,70,51	385
		(8) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय के लिए अनुदान तथा ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था (जिला योजना)	..	2,50	3 382
		(9) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों तथा अंशकों में विनियोजन	..	4,00,00	383
		(10) सहकारी क्षेत्र में नयी दाल मिलों की स्थापना	..	19,50	383
		लेखा शीर्षक 6425 का योग ..	..	18,09,01	
		अनुदान संख्या 18 का योग ..	..	3,72,56,931	
22	3456-नागरिक पूर्ति	प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला फ़ोरमों की स्थापना	37,15	...	47
		अनुदान संख्या 22 का योग ..	37,15	...	
23	2204-खेल और युवा कल्याण	(1) विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना	30	...	39

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2204—खेल और युवा कल्याण (क्रमशः)	(2) भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता	60	..	39 प
		(3) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था	..	10,00	39 प
		(4) क्रीड़ा एवं खेलकूद एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों हेतु अनुदान	4,00	..	40 प
		(5) राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	2,00	..	40 प
		(6) खेल उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति	..	19,60	40 प
		(7) केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर पर व्यय	4,00	..	41 प
		(8) क्रीड़ा प्रशिक्षण ..	20,00	..	41 प
		(9) क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	56,00	..	42 प
		(10) खेलकूद विभाग के 3 मण्डलीय मुख्यालयों हेतु तीन डीजल चालित जीप एवं तीन चालक (ड्राइवरों) के पदों की व्यवस्था	80	4,50	42 प
		लेखा शीर्षक 2204 का योग ..	87,40	34,10	
	4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	(1) निदेशालय भवन की पहली मंजिल पर कमरों का निर्माण	..	2,50	42 प
		(2) स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के ध्यान चन्द स्टेडियम में डारमेट्री का निर्माण	..	10,00	43 प
		लेखा शीर्षक 4202 का योग ..	..	12,50	
		अनुदान संख्या 23 का योग ..	87,40	46,60	
24	2401—कृषि कार्य	(1) स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ने को हानिकारक कीटों से नियंत्रण	10,00	..	51 प
		(2) नयी चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास	15,00	..	51 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार अनुसूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2401—कृषि कार्य (क्रमशः)	(3) अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण	..	2,00,00	651 प
		(4) गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराने की योजना	..	6,30	652 प
		(5) उ0 प्र0 में गन्ना विकास योजना	..	1,48,00	652 प
		लेखा शीर्षक-2401 का योग ..	25,00	3,54,30	
	2408-खाद्य भण्डारण और भाण्डागारण	(1) उर्वरक कार्यक्रम के सघनीकरण की योजना	..	2,90	653 प
		(2) आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी गन्ना समितियों के प्रबन्धकीय (मैनीजिरियल) तथा आपूर्ति व्यवस्था के आधुनिकीकरण व्यय सम्बन्धी शासकीय अंशदान	50,00	..	653 प
		लेखा शीर्षक 2408 का योग ..	50,00	2,90	
	2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् (साइन्स एण्ड टेक्नालोजी कम्पोनेन्ट) का अनुदान	..	35,00	53 प
		लेखा शीर्षक 2415 का योग ..	..	35,00	
		अनुदान संख्या 24 का योग ..	75,00	3,92,20	
25	4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	(1) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय	..	12,00,00	54 प
		(2) सहकारी चीनी मिलों की अंश पूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन	..	13,00,00	54 प
		अनुदान संख्या 25 का योग ..	..	25,00,00	
26	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	जिला कारागार, तथा गाजियाबाद तथा हरिद्वार के भवन का निर्माण	..	2,00,00	59 प
		अनुदान संख्या 26 का योग ..	..	2,00,00	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
32	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य भवन), उ0 प्र0 लखनऊ के नव-स्थापित "दन्त कक्ष" के लिये वाहन तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था	56	1,16	65 प
		(2) प्रदेश में रति रोग रूजालयों की स्थापना	1,19	51	65 प
		(3) दानकर्ताओं द्वारा दिये गये दान से प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों की स्थापना	1,00	50	66 प
		(4) प्रदेश के 12 जिला परिषदीय चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	9,75	5,25	66 प
		(5) प्रदेश के तहसीलस्तरीय चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डीजल जनरेटरों की स्थापना	1,94	51,06	66 प
		(6) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र (मैदानी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1,00,00	21,50	67 प
		(7) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	42,00	77,00	68 प
		(8) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	20,45	29,55	69 प
		(9) उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सिविल अभियंत्रण इकाई का सुदृढ़ीकरण।	4,74	8,32	69 प
		(10) गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को सहायक अनुदान।	..	10,00	70 प
		लेखा शीर्षक 2210 का योग ..	1,81,63	2,04,85	
	4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।	..	13,31,03	82 प
		(2) सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।	..	20,00	82 प
		(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जल पूर्ति, विद्युतीकरण नवीनीकरण एवं सुधार विस्तार।	..	1,25,48	82 प

वर्ष 1990-के अन्य व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय-(क्रमशः)	(4) जनपद बस्ती में 500 शैय्यायुक्त आधुनिक अस्पताल के भवन के लिये भूमि का क्रय ।	..	1,00,00	82 प
		(5) नव सृजित जनपदों सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महराजगंज एवं मऊ मुख्यालय पर 100 शय्यायुक्त जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण ।	..	6,00,00	83 प
		(6) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ।	..	20,00	83 प
		लेखाशीर्षक 4210 का योग ..	..	21,96,51	
		अनुदान संख्या 32 का योग ..	1,81,63	24,01,36	
33	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना	11,80	13,92	70 प
		(2) राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों का प्रसार	2,67	..	70 प
		(3) गैर-सरकारी आयुर्वेदिक,/यूनानी चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	3,00	2,00	71 प
		(4) ग्रामीण क्षेत्रों में चार शय्यायुक्त 70 राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	50,30	17,50	71 प
		(5) प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 15 शय्या-युक्त 33 आयुर्वेदिक,/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	79,76	24,75	72 प
		(6) आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	..	1,20	72
		(7) गैर सरकारी आयुर्वेदिक / यूनानी चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान ।	50	..	73
		लेखा शीर्षक 2102 का योग	1,48,03	59,377	
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण	..	75,366	83
		लेखा शीर्षक 4210 का योग	..	75,366	
		अनुदान संख्या 33 का योग ..	1,48,03	1,34,733	

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
34	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) जिला अस्पतालों/मुख्यालयों पर कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों का सृजन	10,70	..	73 प
		(2) राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त पदों का सृजन	5,00	2,33	73 प
		(3) होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ में केन्द्रीय होम्योपैथिक औषधि भण्डार की स्थापना	2,80	50	74 प
		(4) राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों के लिये अतिरिक्त व्यवस्था	20,45	..	75 प
		(5) हरिजन बस्तियों तथा आदिम जाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	16,50	3,00	75 प
		(6) राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण	7,10	..	76 प
		लेखा शीर्षक 2210 का योग ..	62,55	5,83	
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	प्रदेश के जनपदों में होम्योपैथिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण	..	18,02	84 प
		लेखा शीर्षक 4210 का योग ..	..	18,02	
		अनुदान संख्या 34 का योग ..	62,55	23,85	
35	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) मेडिकल कालेज मेरठ में एक प्राइवेट वार्ड संचालनार्थ पदों का सृजन	1,94	3,15	76 प
		(2) मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को देश विदेश में सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रा अनुदान	3,00	..	76 प
		(3) मेडिकल कालेज गोरखपुर के मेडिसिन विभाग में वाइरल इन्सेफलाइटिस के उपचार हेतु उपकरणों की व्यवस्था	..	5,07	77 प
		(4) मेडिकल कालेज आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ एवं झांसी को केन्द्रीय लाइब्रेरी हेतु पुस्तकों तथा जर्नल्स का क्रय	..	12,00	77 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (क्रमशः)	(5) हृदय रोग संस्थान, कानपुर के लिए एक रोगी वाहन की व्यवस्था	20	1,25	777 प
		(6) मेडिकल कालेज, झाँसी से सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये एक रोगी वाहन की व्यवस्था	20	1,25	777 प
		(7) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अति आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था	..	1,00,00	778 प
		(8) के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पुस्तकालय के लिये पुस्तकों एवं जर्नल्स का क्रय	..	2,00	78 प
		(9) मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, तथा इलाहाबाद में डायलिसिस इकाईयों के लिये एयरकन्डीशनरों की व्यवस्था	..	3,60	78 प
		(10) के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के क्वीन्समेरी चिकित्सालय के अन्तर्गत इन्फरटिलिटी क्लीनिक का सुदृढ़ीकरण	4,50	..	79 प
		(11) के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में बोयेटर प्रिविलेंस, सर्विलेंस एण्ड प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना	3,20	5,10	79 प
		लेखा शीर्षक 2210 का योग	13,04	1,33,422	
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	(1) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में वाह्य सहायता से प्राप्त उपकरणों को लगाने के लिये भवनों की व्यवस्था	..	1,00,000	81 प
		(2) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में जल सम्पूर्ति, विद्युत एवं सीवर व्यवस्था में सुधार	..	20,000	81 प
		(3) मेडिकल कालेज, कानपुर में अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ाये जाने की व्यवस्था	..	5,677	82 प
		लेखा शीर्षक 4210 का योग ..	..	1,25,677	
		अनुदान संख्या 35 का योग ..	13,04	2,59,099	
37	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) जन्म-मृत्यु आंकड़े अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	25	2,5	79
		(2) उत्तर प्रदेश में जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	3,88	9,00	80
		लेखाशीर्षक 2210 का योग	4,13	99,25	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	उपकेन्द्र भवनों का निर्माण	..	54,00	84 प
		लेखा शीर्षक 4210 का योग ..	..	54,00	
		अनुदान संख्या 37 का योग ..	4,13	63,25	
38	3053—नागर विमानन	जनपद अलीगढ़ तथा झांसी में एक-एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	10,26	3,50	99 प
		अनुदान संख्या 38 का योग ..	10,26	3,50	
40	2402—भू और जल संरक्षण ..	भूमि उपयोग परिषद् का सुदृढ़ीकरण	11,00	9,00	103 प
		लेखा शीर्षक 2402 का योग ..	11,00	9,00	
	2575—अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने एवं पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु निधियों का सृजन	..	25,00,00	103 प
		लेखा शीर्षक 2575 का योग ..	..	25,00,00	
	3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें	(1) प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष का वातानुकूलन	..	4,50	104 प
		(2) सामाजिक विज्ञान संस्थाओं को अनुदान	..	4,25	104 प
	..	(3) नवीन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ 5 इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों का क्रय, पी0 बी0 एक्स टेलीफोन के अवशेष बिलों का भुगतान	..	5,00	104 प
		लेखा शीर्षक 3411 का योग ..	..	13,75	
	3454—जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यकीय	जिला अर्थ अधिकारी/संख्याधिकारी कार्यालयों में साज-सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था	..	13,86	105 प
		लेखा शीर्षक 3454 का योग ..	..	13,86	
		अनुदान संख्या 40 का योग ..	11,00	25,36,61	
42	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय परिसर में ट्यूबवेल की स्थापना एवं पम्प भवन का निर्माण	..	3,56	109 प
		लेखा शीर्षक 4059 का योग..	..	3,56	

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	पद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4216—आवास पर पूंजी परिव्यय	जिला जजी फैजाबाद के परिसर में स्थित न्यायिक अधिकारियों के आवासों में अविरल जल आपूर्ति हेतु नलकूप का निर्माण	..	1,99	1099 प
		लेखा शीर्षक 4216 का योग ..	..	1,99	
		अनुदान संख्या 42 का योग ..	..	5,55	
43	2041—वाहनों पर कर	(1) प्रदूषण नियंत्रण हेतु पेट्रोल व डीजल चालित गैस एनालाइजर का क्रय	..	5,75	1113 प
		(2) प्लास्टिक कार्ड पर ड्राइविंग लाईसेन्स जारी करने हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय बस्ती, बहराइच, बाराबंकी व फतेहपुर के लिये 4 संयंत्रों का क्रय	2,56	1,80	1113 प
		(3) परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों के के लिये वाहनों की गति मापन हेतु "हैन्ड" "हैल्ड ट्राफिक राडार" का क्रय	..	3,15	1113 प
		लेखा शीर्षक 2041 का योग ..	2,56	10,70	
	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	(1) चेक पोस्टों के लिये ट्यूबलर स्ट्रक्चर भवनों का निर्माण	..	13,43	1113 प
		(2) लखनऊ व गोरखपुर में ड्राइवरों के टेस्ट के लिये टेस्टिंग ग्राउन्ड पर टेस्टिंग ट्रैक्स, ट्रैक्स सिग्नल आदि की व्यवस्था	..	10,72	1114 प
		लेखा शीर्षक 4059 का योग ..	..	24,15	
	5055—सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों का क्रय	..	13,28,00	1114 प
		लेखाशीर्षक 5055 का योग ..	..	13,28,00	
		अनुदान संख्या 43 का योग ..	2,56	13,62,85	
44	3452—पर्यटन	(1) पर्यटन कार्यालय उ0 प्र0, नई दिल्ली के लिये एक अतिरिक्त डीलक्स एम्बेसडर कार का क्रय तथा कार चालक के एक अस्थायी पद का सृजन	17	1,25	1117 प
		(2) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ हेतु एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का क्रय	..	40	1117 प

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	3452--पर्यटन-(क्रमश:)	(3) प्रदेश के मैदानी भाग में विभिन्न माध्यमों से पर्यटन प्रचार प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन	..	58,00	117 प
		लेखा शीर्षक 3452 का योग ..	17	59,65	
	5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	(1) आगरा नगर में मुमताज बाग (ताज नेशनल पार्क) के निर्माण हेतु अध्याप्त की जा रही भूमि की कटीले तारों द्वारा फेंसिंग।	..	13,91	118 प
		(2) वाराणसी में फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट की स्थापना हेतु उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को अंश-पूंजी	..	20,00	118 प
		(3) श्रावस्ती (बहराइच) में भारत सरकार द्वारा पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु श्रावस्ती स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग उ0 प्र0 के निरीक्षण भवन एवं उससे सम्बद्ध भूमि का भारत सरकार पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण	..	11,42	118 प
		(4) केन्द्रीय वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के नौ स्थानों पर मार्गीय सुविधाओं के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था	..	10,00	118 प
		(5) जनपद कानपुर देहात में फतेहपुर रोशनाई तथा महराजपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण	..	40,00	119 प
		(6) उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदश में संचालित इकाइयों में जेनरेटर की व्यवस्था	..	15,15	119 प
		(7) उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाइयों (पर्यटक आवास गृहों आदि) का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण	..	17,00	119 प
		लेखा शीर्षक 5452 का योग ..	..	1,27,48	
		अनुदान संख्या 44 का योग ..	17	1,87,13	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
46	2203—तकनीकी शिक्षा	(1) अनुदानित बहुधन्धी संस्थाओं के विकास	..	18,67	1145 प
		(2) राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर की स्थापना	50	..	1146 प
		(3) राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी की स्थापना	3,26	24	1145 प
		(4) सहायता प्राप्त पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यक्रमों, योजनाओं का कार्यान्वयन	94,75	2,22,70	1146 प
		(5) प्राविधिक शिक्षा परिषद् का सुदृढ़ीकरण	3,44	7,00	1146 प
		(6) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	76,44	29,81	1147 प
		(7) शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण	22,33	46,32	1148 प
		(8) राजकीय पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यक्रमों/प्रयोजनाओं का कार्यान्वयन	2,61,52	3,91,53	148 प
		(9) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा अन्य डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान की स्वीकृति	43,35	6,02,90	149 प
		लेखा शीर्षक 2203 का योग ..	5,05,59	13,19,17	
	4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	(1) राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर एवं जालौन के लिये भूमि क्रय	..	4,12	151 प
		(2) राजकीय पालीटेक्निक सहारनपुर की स्थापना	..	11,50	146 प
		(3) फ़िरोजाबाद में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना	..	14,00	151 प
		(4) राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली, मुरादाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद की स्थापना	..	4,01	151 प
		(5) राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच, जौनपुर, खीरी और सोरों (एटा) का भवन निर्माण	..	32,88	151 प

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4202-शिक्षा,खेल,कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-(क्रमशः)	(6) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	..	14,87	147 प
		(7) शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण	..	32,37	148 प
		(8) राजकीय पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यक्रमों/ प्रयोजनाओं का कार्यान्वयन।	..	7,96,92	148 प
		(9) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा अन्य डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान की स्वीकृति	..	23,75	149 प
		लेखा शीर्षक 4202 का योग ..	..	9,34,42	
		अनुदान संख्या 46 का योग ..	5,05,59	22,53,59	
47	2551 -पहाड़ी क्षेत्र	(1) जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं का स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन	..	11,00	175 प
		(2) विकास खण्ड स्तर पर सामान्य विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कार्मिकों द्वारा समन्वित लघु जलागम प्रबन्ध परियोजना चलाया जाना	..	39,50	175 प
		(3) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना	2,25	10	175 प
		(4) पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	80	2,00	176 प
		(5) औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण की योजना	19,44	..	176 प
		(6) पर्वतीय क्षेत्र के विकास खण्डों को अनुदान	78,00	1,00,00	177 प
		(7) सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	..	9,00	177 प
		(8) पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के कुटीर तथा ग्रामीण स्तर की एवं मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स इकाई की स्थापना हेतु अनुदान	..	14,65	178 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) को अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551—पहाड़ी क्षेत्र —(क्रमशः)	(9) रेशम उद्योग के प्रचार प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजना	..	3,57	1778 प
		(10) पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उद्योग परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे ऋण पर प्रदेश सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की स्वीकृति	..	67	1778 प
		(11) सहकारी जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास योजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों का कृषिकरण	..	2,00	1179 प
		(12) आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण की योजना (जिला योजना)	..	21,00	1179 प
		(13) अधिक उत्पादन कार्यक्रम के लिए कृषकों का प्रशिक्षण एवं दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण	5,76	..	1180 प
		(14) सोयाबीन उत्पादकों को सोयाबीन उत्पादन स्थल से फैक्ट्री तक सहकारिता के माध्यम से लाने हेतु परिवहन अनुदान	..	7,85	1180 प
		(15) विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास कार्यक्रम	7,94	1,23,72	1181 प
		(16) प्रदर्शनी पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना	..	4,80	1182 प
		(17) जन-जाति बहुल विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना	5,24	..	1182 प
		(18) पर्वतीय क्षेत्र में कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण की योजना	55	..	1183 प
		(19) वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन अतिरिक्त सुविधा व्यवस्था ब्रायलर कुक्कुट पक्षियों का उत्पादन क्रय-विक्रय	3,00	1,00	183 प
		(20) पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन विकास हेतु केज कल्चर की अग्रगामी योजना	10	90	184 प
		(21) पर्वतीय क्षेत्रों के मत्स्य विकास केन्द्रों की स्थापना	2,00	3,00	184 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551—पहाड़ी क्षेत्र -(क्रमशः)	(22) सहकारिता के माध्यम के अतिरिक्त ओकटसर कोया उत्पादन हेतु अनुदान की योजना	..	4,20	184 प
		(23) खता विकास योजना	4,26	3,03	185 प
		(24) लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था	..	40,00	185 प
		(25) बीज विधायन संयंत्र, देहरादून के विद्युतीकरण की योजना	..	1,00	186 प
		(26) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन	..	3,50	186 प
		(27) पारिस्थितिकीय विकास	..	4,50	186 प
		(28) पर्यावरणीय शिक्षा चेतना प्रशिक्षण, शोध प्रवर्तन एवं सूचना व्यवस्था	..	6,00	186 प
		(29) पर्यावरण ह्रास नियंत्रण एवं पर्यावरण अन्वेषण	..	2,50	187 प
		(30) प्राकृतिक जैव सम्पदा का संरक्षण	..	2,10	187 प
		(31) सहकारिता विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता	4,50	..	187 प
		(32) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	9,00,00	..	188 प
		(33) कृषि विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरकों के परिवहन पर राज सहायता	23,00	..	188 प
		(34) अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	..	26,74	188 प
		(35) वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं अतिरिक्त सुविधाएं	..	9,04	189 प
		(36) सहायता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण विज्ञान उपकरण के क्रयार्थ तथा पुस्तकों की व्यवस्था हेतु अनुदान	..	95	189 प
		(37) पर्वतीय क्षेत्र में जिला ग्राम्य विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	..	3,75	189 प
		(38) पर्वतीय क्षेत्र के जन-जाति विकास खण्डों में अधिक उपजदाई प्रजाति के बीजों पर राज सहायता तथा उर्वरकों के निःशुल्क प्रदर्शन की योजना	15,00	..	190 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551-पहाड़ी क्षेत्र (क्रमश:)	(39) लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	..	4,38,00	1990 प
		(40) जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण तथा उनमें अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना	..	85,50	1991 प
		(41) खुरपका, मुंहपका रोग नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत टीके तथा दवाई की व्यवस्था	4,40	..	1991 प
		(42) निजी क्षेत्रों में पौधालय स्थापना की योजना	16	8	1992 प
		(43) दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 देहरादून के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए सिविल कार्यों हेतु सहायता	..	44,95	1992 प
		(44) उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु औद्यानिक विकास की योजना	51,35	..	1193 प
		(45) औद्यानिक प्रशिक्षण एवं मौनपालन कार्यक्रमों का सघनीकरण	5,15	..	1194 प
		(46) पर्वतीय क्षेत्रों में मौन पालन योजना	2,22	..	1194 प
		(47) मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण योजना	15,81	..	1195 प
		(48) दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत कोटद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटद्वार (गढ़वाल) के पुनर्गठन के लिए संयंत्रों एवं सिविल कार्यों हेतु सहायता	..	7,00	1196 प
		(49) औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट्स फल पौधा सब्जी बीज के परिवहन, कुरमुला कीट एवं अन्य व्याधियों की रोकथाम, औद्यानिक ऋण एवं संयंत्रों के वितरण पर राज सहायता।	60,03	..	1196 प
		(50) बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा।	..	60	1197 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551—पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(51) आठ पर्वतीय जनपदों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुभागों हेतु कक्षा-कक्ष निर्माणार्थ अनुदान	..	4,80	198 प
		(52) असहायिक अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना	6,60	..	198 प
		(53) पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान	..	1,20	198 प
		(54) बहुमुखी उत्कृष्टता हेतु सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान	..	2,00	199 प
		(55) पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना	10,00	20,00	199 प
		(56) पर्वतीय क्षेत्र में कम्प्यूटर लिट्रेसी केन्द्रों की स्थापना	2,40	20,46	199 प
		(57) पर्वतीय क्षेत्र में वेधन कार्य हेतु नये बिटों का क्रय	..	2,00	200 प
		(58) निदेशालय में अभियांत्रिक भू-विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	1,47	4,73	200 प
		(59) गढ़वाल मण्डल में एगमार्क वर्गीकरण के प्रसार हेतु राजकीय एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला, देहरादून की स्थापना	1,00	1,25	201 प
		(60) पर्वतीय क्षेत्र में गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना	10,00	..	202 प
		(61) सीनियर बेसिक स्कूलों को साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	..	30,00	203 प
		(62) गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	2,08	20	203 प
		(63) राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक क्रमोन्नति प्राइवेट सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण/उच्चीकरण तथा राजकीय हाई स्कूलों का खोला जाना	18,42	3,66	204 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(64) पर्वतीय क्षेत्रों में गन्ना विकास की योजना।	..	20,00	204 प
		(65) बालिका शिक्षा संस्थाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु अनुदान।	..	2,28	205 प
		(66) नागर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिए भवन/भूमि क्रय/अध्याप्ति हेतु अनुदान।	..	24,00	205 प
		(67) जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान।	..	1,20	205 प
		(68) ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान।	34,93	1,00,00	206 प
		(69) ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान।	..	16,00	206 प
		(70) प्रारम्भिक विद्यालयों में सांस्कृतिक तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का जनपद स्तर पर आयोजन हेतु अनुदान।	..	40	207 प
		(71) सहायित मान्यता प्राप्त अशासकीय प्रवर आधारिक विद्यालयों को भवन अनुदान।	..	9,50	207 प
		(72) ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र में भवन-रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान। (जिला योजना)	..	75,00	207 प
		(73) प्राथमिक विद्यालयों के खेल-कूद अध्यापकों का प्रशिक्षण।	..	35	208 प
		(74) पर्वतीय परिसर रानी चौरी के अन्तर्गत जलागम प्रबन्ध के आधार पर शोध कार्य की योजना।	3,00	2,00	208
		(75) सहकारी क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना।	..	9,35	208
		(76) बालाहार तथा अनुपूरक पोषण योजना।	..	5,00	209
		(77) पर्वतीय क्षेत्रों के आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना	5,70	16	209

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(78) सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के लिए वाहन की व्यवस्था।	..	5,00	210 प
		(79) प्रारम्भिक विद्यालयों के बालचर कार्यक्रम हेतु अनुदान।	..	4,45	210 प
		(80) प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाले योग्यता छात्र वृत्तियों की दरों तथा संख्या में वृद्धि।	2,23	..	211 प
		(81) पर्वतीय क्षेत्र में सघन कृषि तथा बहुफसली योजना।	18,60	..	211 प
		(82) प्रचार प्रसार गोष्ठी एवं लघु प्रदर्शनियां।	2,50	..	211 प
		(83) पर्वतीय क्षेत्र की विनियमित मंडियों में मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की स्थापना की योजना।	..	5,00	212 प
		(84) राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण	..	2,00	212 प
		(85) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।	11,35	12,77	212 प
		(86) रेशम उद्योग का प्रचार, प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन	30	3,00	213 प
		(87) सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	..	3,00	214 प
		(88) मौन वंशों की सामूहिक बीमा योजना	9	..	214 प
		(89) पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उत्पादन तथा प्रसार की योजना	16,24	2,82	214 प
		(90) मौन पालन तकनीकी सहायता	36	..	215 प
		(91) पर्वतीय क्षेत्र के बेसिक स्कूलों के अध्यापक / अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार	1,00	..	215 प
		(92) सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान वर्ग की मान्यता तथा विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था हेतु अनुदान	..	10,62	215 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(93) अशासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा अंशदान के प्रति राजकीय अंशदान।	50	..	2116 प
		(94) नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण।	12,00	7,50	2116 प
		(95) वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों को यू0 जी0 सी0 मैचिंग शेयर एवं अन्य विकास कार्यों के लिए अनुदान।	..	5,00	2117 प
		(96) राजकीय महाविद्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था।	..	12	2117 प
		(97) पर्वतीय क्षेत्र में खादी बोर्ड की सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता।	1,00	..	2117 प
		(98) ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरणार्थ अनुदान।	3,00	..	2117 प
		(99) जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री हेतु अनुदान।	..	16,00	2118 प
		(100) चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा।	5,20	3,00	2118 प
		(101) अल्मोड़ा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्व0 हरि प्रसाद टम्टा की मूर्ति का निर्माण व स्थापना।	..	1,00	2119 प
		(102) अनुसन्धान सुविधाओं का विकास शोध छात्रों को छात्रवृत्ति।	78	..	2119 प
		(103) हिल कैम्पस परियोजना के अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएट/सेवाकालीन प्रशिक्षण; शिक्षण कार्यक्रम तथा कृषक/महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण	46,00	84,00	2119 प
		(104) सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना	..	4,69,50	2120 प
		(105) स्नातक/स्नातकोत्तर अशासकीय महाविद्यालयों को नये विषय/संकाय खोलने हेतु अनुरक्षण अनुदान	1,00	..	2120 प
		(106) वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उनमें नए विषयों/संकायों का समावेश	8,00	2,00	2120 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

नुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(107) विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	..	64,00	221 प
		(108) सहकारी समितियों का पुनर्वासन	..	55	221 प
		(109) बालक / बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	44,40	1,12,50	221 प
		(110) मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान	6,60	..	222 प
		(111) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	15	2,15	222 प
		(112) विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास की योजना	24,04	13,61	223 प
		(113) सैनिक सराय रानीखेत (अल्मोड़ा) निर्माण	..	8,53	221 प
		(114) पर्वतीय क्षेत्र में पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार नैसर्गिक अभिजनन द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं की योजना	12,00	..	224 प
		(115) ब्याज उपादान योजनान्तर्गत समितियों के लिए सचल बिक्री वाहनों का क्रय	1,00	..	225 प
		(116) न्यू माडल चर्खा केन्द्रों की स्थापना	72	7,32	225 प
		(117) राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जोशीमठ चमोली का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 खोला जाना	2,66	95	226 प
		(118) समन्वित बाल विकास परियोजना की स्थापना	95,61	16,84	227 प
		(119) राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बुलवा कोट तथा मुनसियारी, पिथौरागढ़ और ल्यूनी देहरादून का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 खोला जाना	7,98	2,85	228 प
		(120) उत्तराखण्ड शोध संस्थान को अनुदान	..	1,00	229 प
		(121) पर्वतीय विकास प्रशासनिक सेल की सुदृढ़ीकरण / स्थापना	6,00	3,25	229 प
		(122) राजकीय हाई स्कूल का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण	24,50	5,50	230 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	स
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(123) सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सम्वर्द्धन हेतु अनुदान	..	955	2
		(124) राजकीय जूनियर हाई स्कूलका उच्चीकरण अथवा नये राजकीय हाई स्कूल का खोला जाना	67,00	11,000	2
		(125) ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण	24,97	33,992	2
		(126) विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति	20	..	2
		(127) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खटीमा एवं गूलरभोज, नैनीताल की स्थापना	3,92	1,788	2
		(128) निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान	91,85	..	23
		(129) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्ययनरत अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्र वृत्ति	2,50	..	2
		(130) सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या की वृद्धि पर पेयजल तथा सिनेटरी सुविधा सहित कक्षा कक्ष निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु अनुदान	..	1,222	23
		(131) कुमायूं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में कुलपति कैम्प कार्यालय एवं अतिथि गृह का निर्माण	..	5,000	23
		(132) अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल का प्रान्तीयकरण एवं हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)	30,78	..	23
		(133) अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण	36,00	..	23
		(134) पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय अल्मोड़ा के पूल्ड आफिस-कम-रेजीडेन्सियल काम्पलेक्स में जल आपूर्ति व्यवस्था	..	2,000	236
		(135) मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को प्रारम्भिक एवं विकास अनुदान	51	65	236

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/क्र-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमश:)	(136) पर्वतीय क्षेत्र में जिला परिषदों को स्थानीय लोक महत्व के लघु निर्माण कार्यों हेतु अनुदान	..	24,00	237 प
		(137) भूमि संरक्षण की योजना	..	10,00,00	237 प
		(138) फेरीहाल कम्पाउण्ड नैनीताल में एक आफिसर्स होस्टल का निर्माण	..	1,80	237 प
		(139) पर्वतीय क्षेत्र के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की योजना	..	1,00	237 प
		(140) कियारकुली सूक्ष्म जलागम (मसूरी) का पार्यावरणीय विकास	..	10,00	238 प
		(141) पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगार युवक/युवतियों को लाभकारी रोजगार दिलाने हेतु वृक्षारोपण योजना	..	9,60	238 प
		(142) पहाड़ी क्षेत्र की नगरीय पेयजल योजना	..	1,00,00	238 प
		(143) राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जूनियर हाई स्कूल शाखा मण्डल, देहरादून की स्थापना	3,05	1,05	239 प
		(144) पर्वतीय क्षेत्र के अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्वदशम् कक्षा 9 व 10 में मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति	8,00	..	240 प
		(145) पर्वतीय क्षेत्र में भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण	..	1,00,00	240 प
		(146) ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता एवं सुधार हेतु पी०आर०ए०आई० टाइप शौचालयों का निर्माण	..	14,90	240 प
		(147) पंचायत भवनों का निर्माण	..	21,94	240 प
		(148) पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता	..	70	241 प
		(149) पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन	..	96	241 प
		(150) भेड़/बकरी प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना--वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण	11,30	..	241 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची—(क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	योजना का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551—पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(151) दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन की योजना	..	24,08	242 पप
		(152) उत्तरकाशी में नई डेरी की स्थापना	..	20,00	242 पप
		(153) प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विशिष्ट स्थानों के लिए विशिष्ट नींबू प्रजातीय फल व औद्यानिक विकास योजना	31	..	242 पप
		(154) अल्मोड़ा शहर की हवेलियों पर अंकित काष्ठ कला का संरक्षण	..	1,15	2443 प
		(155) जूबेनाईल बोर्ड (किशोर कल्याण न्यायालयों) की स्थापना	1,28	70	2433 प
		(156) समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुष्टाहार	..	3,72,00	2444 प
		(157) जनपद पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल में प्रोबेशन कार्यालयों की स्थापना	2,30	45	2444 प
		(158) आयुक्त एवं महानिदेशक, पर्यटन (पर्वतीय क्षेत्र) के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	5,00	90	2445 प
		(159) अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना हेतु भूमि का क्रय	..	1,00	2446 प
		(160) नवोदय विद्यालय, उत्तरकाशी के लिए भूमि का क्रय	..	6,43	2446 प
		(161) पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य रोक निदान एवं अनुसन्धान आदि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना	11,00	2,50	2246 प
		(162) वर्ण संकर बछियों के पालन-पोषण हेतु संतुलित पशु आहार का वितरण 50 प्रतिशत राज सहायता	6,00	..	2247 प
		(163) पर्वतीय क्षेत्र के भेड़ बहुल स्थानों पर ऊन शिपरिंग, ग्रेडिंग तथा चिकित्सा सेवा केन्द्रों की स्थापना	5,10	83,50	248 प
		(164) भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत राज्य भण्डारागारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	..	90,00	248 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची—(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	योजना का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2551-पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(165) पर्वतीय क्षेत्र में पशु प्रजनन सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार की योजना वर्तमान पशु संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था	1,00	4,00	249 प
		(166) स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यक्रम	4,75	..	249 प
		(167) वर्तमान कुक्कुट विकास परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा नये कुक्कुट विकास परियोजनाओं की स्थापना	7,50	1,50	250 प
		(168) पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालन विभाग के अपर निदेशालय स्तर पर पशु-पालन सम्बन्धी विकास कार्यक्रमों के अध्ययन संरचना अनुसरण, मानिटरिंग आदि कार्यों के सम्मेलन हेतु एक नियोजन टेक्निकल सेल की स्थापना	80	5	250 प
		(169) पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य रोग निदान, अनुसंधान आदि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना	..	50,85	251 प
		(170) पर्वतीय क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन की विशेष योजना	33,40	..	252 प
		(171) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन का प्रचार	..	30,00	252 प
		(172) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना	..	4,00,00	253 प
		(173) पर्वतीय क्षेत्र में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	..	5,00	253 प
		(174) पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को नगर में प्रकाश व्यवस्था एवं सफ़ाई संयंत्रों को क्रय हेतु अनुदान	..	15,00	253 प
		(175) पर्वतीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों को नगर विकास योजना के अन्तर्गत पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों एवं सौन्दर्यीकरण योजनाओं हेतु अनुदान	..	10,00	253 प
		(176) पर्वतीय क्षेत्र के सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	..	10,00	254 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची--(क्रमशः)।

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	योजना का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (क्रमशः)	(177) नगरपालिका, गोपेश्वर को गोपेश्वर में सब स्टेशन के निर्माण हेतु अनुदान	..	5,85	254 प
		(178) विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन नई दिल्ली के शिविर कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	25	1,50	254 प
		(179) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून का संगणीकरण	60	4,40	255 प
		(180) विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नये व्यवसायों का खोला जाना	92	25,00	256 प
		(181) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भूमि सेना का गठन	2,03,00	97,00	257 प
		(182) विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत ए0 वी0 टी0 एस0, देहरादून का सुदृढ़ीकरण	2,10	12,50	257 प
		(183) विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत संबंधित अनुदेशन केन्द्र की स्थापना	3,50	3,35	258 प
		(184) विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत पोस्ट आई0 टी0 आई0 स्किल डेवलपमेन्ट	60	1,60	259 प
		(185) स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को संदर्भ एवं मानक पुस्तक की पुस्तकीय सहायता	10	..	259 प
		(186) बाल पुस्तकालयों का विकास	25	..	259 प
		(187) सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	50	80	260 प
		(188) मण्डलीय जिला, जिला शाखा एवं ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास	3,65	1,00	260 प
		(189) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सम्बर्धन	60	35	261 प
		(190) पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान	10	..	261 प
		(191) पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू किया जाना	2,11	2,70	261 प
		(192) सहकारी जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास योजना	..	7,20	262 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची—(क्रमशः)

अनुदान/क्रमसंख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	धनराशि (हजार रुपयों में) अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2551--पहाड़ी क्षेत्र (समाप्त)	(193) सहकारी उपभोक्ता भंडारों की योजना।	..	14,72	270 प
		(194) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना	..	74,68	271 प
	लेखा शीर्षक 2551 का	योग	22,39,16	49,83,81	
	4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	(1) जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत शिलिंग एवं गंगाई में पटवारी चौकी का निर्माण	..	6,47	263 प
		(2) काशीपुर कताई मिल का आधुनिकीकरण/विविधीकरण हेतु अंश पूंजी	..	31,84	263 प
		(3) जनपद उत्तरकाशी के नैताला एवं डुंडा जनपद चमोली के पोखरी तथा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट एवं धारचुला में प्रस्तावित खाद्य गोदामों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने एवं प्रतिकर भुगतान	..	4,51	264 प
		(4) जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी एवं पुरोला तथा जनपद टिहरी के अन्तर्गत थ्युड एवं जामणी खाल में नये गोदामों का निर्माण	..	28,00	264 प
		(5) सरकारी जड़ी बूटी एवं भेषज विकास योजना	..	2,00	262 प
		(6) एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपासिटर्स के उत्पादन की योजना	..	50,00	264 प
		(7) विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास के अन्तर्गत फारवर्डिंग एजेन्सी केन्द्र की स्थापना	..	28,98	265 प
		(8) काठगोदाम में पर्यटक आवास गृह का विस्तार (कार पार्किंग), डायनिंग हॉल तथा डारमेट्री का निर्माण	..	5,63	265 प
		(9) गरम पानी (खैरना) स्थान पर अतिरिक्त कार पार्किंग तथा डारमेट्री का निर्माण	..	11,45	265 प
		(10) पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज सज्जा	..	9,912	265 प
		(11) अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु चार हरिजन छात्रावासों का निर्माण	..	48,00	266 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदें (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय (समाप्त)	(12) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ के लिए पुस्तकालय भवन का निर्माण	..	7,00	266 प
		(13) कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0 की अंशपूंजी में विनियोजन	..	2,11,00	266 प
		(14) जनपद देहरादून में मशरूम कंपोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट का निर्माण	..	16,21	267 प
		(15) पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी चौकियों का निर्माण	..	1,00,00	267 प
		(16) पर्यटन काम्पलेक्स, मंसूरी के लिए साज-सज्जा की व्यवस्था	..	28,54	267 प
		(17) पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा	..	40,60	267 प
		(18) श्री बद्रीनाथ धाम में 500 शय्या के यात्री-निवास का निर्माण	..	50,00	268 प
		(19) पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल मण्डल के निजी उद्यमियों को पर्यटन उद्योग हेतु आकर्षित करने के लिए जलपान गृह एवं यात्री निवास का निर्माण	..	58,20	268 प
		(20) त्रिन्सर (अल्मोड़ा) पर्यटन आवास गृह में विद्युत व्यवस्था	..	7,35	268 प
		(21) राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण	..	4,00	268 प
		(22) पर्वतीय क्षेत्र में टेन्ट कालोनी की व्यवस्था	..	50,64	269 प
		(23) गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 की इकाई पलशडोर फैक्ट्री कोटद्वार की सीजनिंग क्षमता बढ़ाने हेतु अंशपूंजी	..	19,50	269 प
		(24) पर्वतीय क्षेत्र में फास्ट फूड सेंटर की स्थापना	..	34,80	269 प
		(25) ऋषिकेश में 200 शय्या पर्यटक आवास गृह का निर्माण	..	20,03	269 प
		लेखा शीर्षक 4551 का योग ..	..	9,62,84	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	6551-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	(1) सहकारी उपभोक्ता भंडारों की योजना	..	2,00	270 प
		(2) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना	..	5,95	271 प
		(3) सहकारी क्रय विक्रय एवं भंडारण योजना	..	6,50	274 प
		लेखा शीर्षक 6551 का योग ..	..	14,45	
		अनुदान संख्या 47 का योग ..	22,39,16	59,61,10	
49	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(1) मेडिसिन किट्स आपूर्ति का लेखा समायोजन।	71,06	..	287 प
		(2) पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था	7,05,00	..	287 प
		(3) बाल विकास परियोजनाओं के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान	7,00	..	288 प
		(4) रोजगार कार्यक्रम की समर्थन योजना	3,00,00	..	288 प
		(5) गेहूं पर आधारित भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार	2,70,15	..	289 प
		(6) नयी बाल विकास परियोजना की स्थापना	2,91,58	1,34,99	289 प
		(7) केयर नामक संस्था को अनुदान	15,00	..	290 प
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..	16,59,79	1,34,99	
	4235-समाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	(1) उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम के अंशकों का क्रय	..	39,21	291 प
		(2) श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण	..	50,00	291 प
		लेखा शीर्षक 4235 का योग ..	..	89,21	
		अनुदान संख्या 49 का योग ..	16,59,79	2,24,20	
50	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	(1) प्रदेश के विभिन्न तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन	..	2,00,00	300 प
		(2) प्रदेश की कतिपय तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	..	8,00,00	300 प
		(3) राजस्व विभाग के निर्माणाधीन आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	..	4,00,00	300 प
		अनुदान संख्या 50 का योग ..	..	14,00,00	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
52	2029--भू-राजस्व ..	भूमि प्रबन्ध संस्थान की स्थापना	..	10,00	299 प
		लेखा शीर्षक 2029 का योग ..	..	10,00	
	2216--आवास	ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना	..	25,00	299 प
		लेखा शीर्षक 2216 का योग ..	..	25,00	
		अनुदान संख्या 52 का योग ..	..	35,00	
54	2406--वानिकी और वन्य जीवन	(1) कर्मचारि वर्ग का प्रशिक्षण	3,79	46,55	309 प
		(2) राज्य वन अनुसंधान की स्थापना	17,10	44,90	310 प
		(3) जापान सरकार की सहायता से वन संचार योजना	..	1	310 प
		(4) बौद्धतीर्थ स्थलों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सारनाथ तथा कुशीनगर विकास की योजना	..	5,00	310 प
		(5) वन विकास निगम की स्थापना	..	15	311 प
		लेखा शीर्षक 2406 का योग ..	20,89	96,61	
	4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	वन विकास निगम की स्थापना	..	1,00	311 प
		लेखा शीर्षक 4406 का योग	..	1,00	
		अनुदान संख्या 54 का योग	20,89	97,61	
59	2047--अन्य राजकोषीय सेवायें	राज्य अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण	2,60,89	25,83	315 प
		लेखा शीर्षक 2047 का योग	2,60,89	25,83	
	2425--सहकारिता	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय हेतु एक फोटो स्टेट मशीन का क्रय	..	1,38	316 प
		लेखा शीर्षक 2425 का योग ..	..	1,38	
		अनुदान संख्या 59 का योग ..	2,60,89	27,21	
64	2215--जलपूर्ति और सफाई	(1) गोमती नदी के गहन अनुश्रवण की योजना	..	6,00	319 प
		(2) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	..	7,00	319 प
		(3) प्रदेश का पर्यावरणीय संरक्षण	..	2,00	319 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्त्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2215-जल सम्पूर्ति और सफाई (क्रमश:)	(4) परिस्थितिकी विकास हेतु प्रायोजनाओं की संरचना	..	4,00	320 प
		(5) पर्यावरण ह्रास नियंत्रण	..	3,00	320 प
		(6) उ० प्र० जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण परिषद को अनुदान	..	6,00	320 प
		लेखा शीर्षक 2215 का योग ..	..	28,00	
	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला नैनीताल की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था	..	52,50	320 प
		लेखा शीर्षक 3425 का योग ..	..	52,50	
		अनुदान संख्या 64 का योग ..	..	80,50	
65	2202-सामान्य शिक्षा	(1) ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)	..	45,19,80	331 प
		(2) मैदानी क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार (जिला योजना)	..	3,50	331 प
		(3) ग्रामीण क्षेत्र के असेवित क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	22,70,00	4,99,40	331 प
		(4) असेवित क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	66,00	27,06	332 प
		(5) सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	..	13,90	332 प
		(6) जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	..	10,03	332 प
		(7) ग्रामीण/नागर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान	..	1,09,00	332 प
		(8) नागर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों के भूमि/भवन क्रय हेतु अनुदान	..	82,00	333 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2202--सामान्य शिक्षा (समाप्त)	(9) अरबी/फारसी मदरसों में शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को मासिक वेतन भुगतान की व्यवस्था.	4,00,00	..	333
		(10) प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि (जिला योजना)	1,05	..	333
		(11) जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान (जिला योजना)	..	58,60	334
		(12) सीनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	..	47,08	334
		(13) अरबी मदरसों को प्रारम्भिक एवं विकास अनुदान	..	6,70	334
		(14) प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों का मूल्यपरक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	..	10,00	335
		(15) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	18,75	..	335
		(16) असाहाय्यिक स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान	3,24,00	..	335
		(17) ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)	..	1,80,00	336
		(18) नागर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षाएं खोलने हेतु अनुदान	4,60	1,40	336
		(19) नव सृजित जनपदों में बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन की स्थापना	2,90	10	337
		लेखा शीर्षक 2202 का योग	30,87,30	55,67,97	
	2204-खेल एवं युवा कल्याण	प्राथमिक स्तर पर खेल कूद, बाल कल्याण तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलापों हेतु प्राविधान (जिला योजना)	..	29	338
		लेखा शीर्षक 2204 का योग ..	..	29	
		अनुदान संख्या 65 का योग ..	30,87,30	55,68,26	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
66	2202–सामान्य शिक्षा	(1) मैदानी क्षेत्र के असाहाय्यिक अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना	3,72,00	..	338 प
		(2) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कराने हेतु अनावर्तक अनुदान	..	10,00	338 प
		(3) अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ताओं के पदों का सृजन	1,00,00	..	338 प
		(4) व्याख्यानमाला कार्यक्रमों का आयोजन	..	20	339 प
		(5) विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना तथा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण	2,10,00	40,00	339 प
		(6) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभागों का खोलना तथा नये विषयों का समावेश	17,50	8,80	340 प
		(7) लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान	..	15,03	341 प
		(8) प्रदेशीय/मण्डलीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	..	6,38	345 प
		(9) राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था (जिला योजना)	..	2,42	341 प
		(10) राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण	37,59	12,41	341 प
		(11) ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनावर्तक अनुदान	..	40,13	342 प
		(12) उत्कृष्ट अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान	..	4,00	342 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2202—सामान्य शिक्षा (समाप्त)	(13) सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी सुविधा, साज सज्जा आदि के लिये अनुदान	..	15,00	343 प
		(14) सैनिक स्कूल सोसाइटी को अनुदान	..	5,00	343 प
		(15) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9-12 के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था	8,16,03	..	343 प
		(16) प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 6-8 में 15 रु० प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति	77	..	344 प
		(17) माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायीकरण की योजना	..	30,00	344 प
		(18) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत प्रत्ययन सम्पर्क योजना	75,00	..	344 प
		(19) माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार	..	2,47	346 प
		(20) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सम्बर्धन (जिला योजना)	..	19,80	345 प
		(21) स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान (जिला योजना)	..	12,31	346 प
		(22) वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना	43,75	10,00	346 प
		लेखा शीर्षक 2202 का योग ..	16,72,64	2,33,98	
	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशाला निर्माण (जिला योजना)	..	35,65	347 प
		(2) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत (जिला योजना)	..	2,56	348 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4402--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-(क्रमशः)	(3) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भूमि/भवन क्रय	..	10,00	347 प
		(4) राजकीय इण्टर कालेजों में लघु स्टेडियम का निर्माण	..	10,00	347 प
		(5) वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना	..	22,66	346 प
		लेखा शीर्षक 4202 का योग ..	..	80,87	
		अनुदान संख्या 66 का योग ..	16,72,64	3,14,85	
67	2202--सामान्य शिक्षा	(1) विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	..	75,00	348 प
		(2) अशासकीय महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के प्रति अंशदान	..	20,00	349 प
		(3) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान	..	5,00	349 प
		(4) उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	11	1,39	349 प
		(5) उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	..	23	350 प
		(6) अशासकीय महाविद्यालयों में नये संकाय एवं नवीन विषय हेतु अनुरक्षण अनुदान	10,00	..	350 प
		(7) राजकीय महाविद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था	..	5,00	350 प
		(8) राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के प्रति अंशदान तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान	10-00	.	350 प
		(9) नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना	10,00		353 प
		(10) अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान	21,00	..	351 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2202--सामान्य शिक्षा	(11) त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक/शिक्षणेतर पदों एवं शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला/वाचनालय आदि की व्यवस्था	40,00	..	353 प
		(12) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान दुर्गाकुण्ड, वाराणसी को शोध कार्य हेतु अनुदान	..	5,00	351 प
		(13) उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की स्थापना	3,01	1,70	351 प
		लेखा शीर्षक 2202 का योग ..	94,12	1,13,32	
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	(1) नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना	..	90,00	352 प
		(2) त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक/शिक्षणेतर पदों एवं शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला वाचनालय आदि की व्यवस्था	..	10,39	352 प
		लेखा शीर्षक 4202 का योग ..	..	1,00,39	
		अनुदान संख्या 67 का योग ..	94,12	2,13,71	
68	2202--सामान्य शिक्षा	(1) राज्य संसाधनों से संचालित परियोजनाओं में जन शिक्षण निलयों की स्थापना	..	69,93	353 प
		(2) राज्य संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार (जिला योजना)	92,43	24,57	353 प
		(3) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण	9	1,21	354 प
		(4) राज्य प्रौढ़ शिक्षण प्राधिकरण की स्थापना	..	25	355 प
		(5) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में लगाये जाने वाले कम्प्यूटर के लिए एक एयरकन्डीशन की व्यवस्था	..	25	355 प
		(6) अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के आयोजनार्थ अनुदान की व्यवस्था	..	5,00	355 प
		(7) प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन कार्यक्रम	..	25	356 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
		(8) राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नामक प्रशिक्षण इकाई का गठन	10,42	11,80	356 प
		अनुदान संख्या 68 का योग ..	1,02,94	1,13,26	
69	2202--सामान्य शिक्षा	(1) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था	..	7,50,00	357 प
		(2) मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र की स्थापना	1,15	85	357 प
		(3) केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इम्प्रूवमेंट" आफ साइन्स एजूकेशन इन स्कूल्स योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि की व्यवस्था	..	200	358 प
		अनुदान संख्या 69 का योग ..	1,15	7,52,85	
70	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, वाराणसी एवं पिपरी (सोनभद्र) की स्थापना	24,00	16,00	361 प
		(2) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में साज-सज्जा, मशीन/उपकरण की आपूर्ति	..	24,00	362 प
		(3) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 5 नये औषधालयों की स्थापना	11,93	4,05	363 प
		लेखा शीर्षक 2210 का योग ..	35,93	44,05	
	2230--श्रम और रोजगार	(1) कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु श्रम प्रवर्तन कार्यालयों की स्थापना	3,20	1,30	364 प
		(2) नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं वर्तमान केन्द्रों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था	79	7	365 प
		लेखा शीर्षक 2230 का योग ..	3,99	2,04	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	वृद्धावस्था पेंशन योजना ..	30,24,00	..	375 प
		लेखा शीर्षक 2235 का योग ..	30,24,00	..	
		अनुदान संख्या 70 का योग ..	30,63,92	46,09	
71	2230-श्रम और रोजगार	(1) दुजाना तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1	..	366 प
		(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी तथा मथुरा में प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर व्यवसाय का खोला जाना	65	14,09	366 प
		(3) शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, हमीरपुर, जौनपुर तथा शाहजहांपुर की स्थापना	3,10	18	366 प
		(4) प्रदेश के 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में साज-सज्जा की कमी की आपूर्ति	..	78,96	367 प
		(5) प्रदेश के कतिपय संस्थानों में नये व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना	4,48	57	368 प
		(6) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आगरा, मेरठ तथा बरेली का संगणीकरण किया जाना	..	14,45	368 प
		(7) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मशीनों का क्रय	..	4,98,00	369 प
		(8) प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कतिपय व्यवसायों के द्वितीय यूनिट का प्रारम्भ किया जाना	2,37	1,12	369 प
		(9) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दृश्य-श्रव्य उपकरणों (आडियो विजुअल एड्स) का लगाया जाना	..	36,00	370 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

दान/ संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2230–श्रम और रोजगार (क्रमशः)	(10) पोस्ट आई० टी० आई० स्किल डेवलपमेन्ट कोर्सेस का आरम्भ किया जाना	1,80	4,90	371 प
		(11) सम्बन्धित अनुदेश केन्द्र की स्थापना	10,50	10,05	372 प
		(12) शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में टंकण यन्त्रों की व्यवस्था	..	3,20	372 प
		(13) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नये व्यवसायों का प्रारम्भ किया जाना	4,26	1,30,20	373 प
		(14) परियोजना प्रबंध इकाई हेतु वाहन का क्रय	25	1,50	374 प
		लेखा शीर्षक 2230 का योग ..	27,42	7,93,22	
	4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	जिला सेवायोजन कार्यालय, इटावा की चहारदीवारी साईकिल स्टैन्ड, गैराज तथा गार्ड रूम का निर्माण	..	1,00	376 प
		लेखा शीर्षक 4250 का योग ..	..	1,00	
		अनुदान संख्या 71 का योग ..	27,42	7,94,22	
	4059–सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण	..	4,50,00	299 प
		अनुदान संख्या 73 का योग ..	..	4,50,00	
	4216–आवास पर पूंजी परिव्यय	(1) लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर निर्मित कनिष्ठ अधिकारियों के आवासों के पानी के निकास के लिये पम्पवेल सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि का निर्माण	..	24,43	305 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4216-आवास पर पूंजी परिव्यय (क्रमशः)	(2) लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्ध के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर निर्मित /निर्माणाधीन विभिन्न श्रेणी के आवासों तथा अतिथि गृह आदि का स्थल विकास	..	30,38	305 प
		(3) राजभवन कालोनी, लखनऊ स्थित टाइप-4 के आवासों में एक-एक अतिरिक्त कमरे व बाथरूम का निर्माण	..	16,78	306 प
		(4) प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के आवासीय भवनों का निर्माण	..	2,50,00	301 प
		(5) राज भवन कालोनी, लखनऊ में एक नलकूप का निर्माण	..	5,00	305 प
		लेखा शीर्षक 4216 का योग	..	3,27,09	
	5053--नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	जनपद अलीगढ़ तथा झांसी की हवाई पट्टियों पर हैंगरों का निर्माण	..	6,03	100 प
		लेखा शीर्षक 5053 का योग ..	..	6,03	
		अनुदान संख्या 74 का योग ..	..	3,33,12	
75	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी में चल रहे इन्स्ट्रूमेन्टेशन कन्ट्रोल पाठ्यक्रम के लिये भवन निर्माण	..	51	152 प
		लेखा शीर्षक 4202 का योग ..	..	51	
	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	मेडिकल कालेज आगरा के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग गामा कैमरा हेतु कक्ष का निर्माण	..	5,08	84
		लेखा शीर्षक 4210 का योग ..	..	5,08	
		अनुदान संख्या 75 का योग	..	5,59	
76	5054--सड़कों और पुलों पर पूंजीपरिव्यय	प्रदेश में मार्गों और पुलों का निर्माण	..	27,15,00	306
		अनुदान संख्या 76 का योग ..	..	27,15,00	

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
79	2701--वृहद और मध्यम सिंचाई	इटावा जनपद स्थित सिंचाई विभाग के प्रशासनिक भवन की साज-सज्जा	..	3,77	391 प
		लेखा शीर्षक 2701 का योग ..	..	3,77	
	4701--वृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	(1) इटावा जनपद की सैफाई रजबहा की लाइनिंग का कार्य	..	28,00	391 प
		(2) जरौली पम्प नहर योजना का निर्माण	..	1,00,00	391 प
		लेखा शीर्षक 4701 का योग ..	..	1,28,00	
	4702--लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	लघु लिफ्ट नहरों तथा सिंचाई कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	..	1,10,00	392 प
		लेखा शीर्षक 4702 का योग ..	..	1,10,00	
		अनुदान संख्या 79 का योग ..	..	2,41,77	
81	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	बिक्रीकर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन तथा छात्रावास का निर्माण	..	40,00	395 प
		अनुदान संख्या 81 का योग ..	..	40,00	
83	4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	निबन्धन विभाग में उप-निबन्धक कार्यालयों/अभिलेखागारों के भवनों का निर्माण	..	3,00,00	395 प
		अनुदान संख्या 83 का योग ..	..	3,00,00	
87	2205--कला और संस्कृति ..	(1) उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा जिलेवार ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण की योजना	..	2,00	399 प
		(2) प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर देश के महान व्यक्तियों की मूर्तियों की स्थापना	..	5,00	399 प
		(3) उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा सेमिनार का आयोजन	..	1,25	399 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2205—कला और संस्कृति—(क्रमशः)	(4) उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अनुदान	..	45,00	399 प
		(5) उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ तथा उसकी क्षेत्रीय मैदानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण	3,25	7,75	400 प
		(6) उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	1,52	17,25	400 प
		(7) आगरा में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई का गठन	2,23	1,00	401 प
		(8) क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई झांसी का सुदृढ़ीकरण	1,35	1,00	402 प
		(9) प्रख्यात कथक नर्तक स्व0 दुर्गालाल के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान	..	25	402 प
		(10) देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन हेतु मसूरी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन	..	3,75	403 प
		(11) उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण एवं वास्तुविद की फीस के भुगतान हेतु अनुदान	..	30,00	403 प
		(12) सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के लिये पदों का सृजन	60	..	403 प
		लेखा शीर्षक—2205 का योग	8,95	1,14,25	
	4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	(1) सांस्कृतिक काम्प्लेक्स निर्माण हेतु भूमि का क्रय	..	53,00	404
		(2) लखनऊ में सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत कथक संग्रहालय की स्थापना	..	7,00	404

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-(क्रमशः)	(3) जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय के भवन का निर्माण	..	25,00	404 प
		लेखा शीर्षक-4202 का योग ..	..	85,00	
		अनुदान संख्या-87 का योग ..	8,95	1,99,25	
90	2220—सूचना और प्रचार	(1) महत्वपूर्ण घटनाओं की न्यूजरील का का निर्माण	..	17,12	407 प
		(2) आडीटोरियम की मरम्मत एवं साज-सज्जा	..	2,98	407 प
		(3) तीन हाई बैंड वीडियो उपकरण (रिकार्डर) का क्रय	..	7,50	407 प
		(4) विकास कार्यों के सम्बन्ध में फिल्म निर्माण	..	22,00	408 प
		(5) शासन की नीतियों और निर्णयों का विज्ञापन	..	70,00	408 प
		(6) चार सचल प्रदर्शनी वाहन का निर्माण	..	10,00	408 प
		(7) किसान मेला एवं प्रदर्शनियां	..	15,00	408 प
		(8) साहित्य प्रकाशन ..	..	50,00	409 प
		(9) तहसील सूचना कार्यालय की स्थापना	3,20	1,80	409 प
		(10) टेलीविजन सेंटों की स्थापना एवं रख-रखाव	..	30,40	410 प
		(11) जिला सूचना कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	7,33	7,80	410 प
		(12) नव सृजित जनपदों में जिला सूचना कार्यालयों एवं सूचना केन्द्रों तथा कानपुर मण्डल में क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय की स्थापना	2,00	20,00	411 प
		(13) गीत एवं नाट्य के आयोजन	..	13,64	412 प
		(14) सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	..	9,23	412 प
		(15) अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष का सुदृढ़ीकरण	1,50	4,50	413 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ संख्या
	2220—सूचना और प्रचार (क्रमशः)				
		(16) सूचना विभाग में कम्प्यूटर की स्थापना	..	60	413
		(17) सूचना परिसर का सुदृढ़ीकरण	..	50	414
		अनुदान संख्या 90 का योग ..	14,03	2,83,07	
91	4235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय	निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवन का निर्माण	..	8,87	417
		अनुदान संख्या 91 का योग ..	..	8,87	
92	2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	(1) अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना	14,00	..	423
		(2) हाई स्कूल तथा इण्टर फाइनल के अनुसूचित जाति के छात्रों को परीक्षा के पूर्व कोचिंग की योजना	11,00	..	423
		(3) विमुक्त जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति	3,00	..	423
		(4) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के उपयोगार्थ वाहनों की व्यवस्था	4,10	48,23	424
		(5) जनपद कानपुर (देहात) में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय की स्थापना	54	53	424
		(6) अनुसूचित और खानाबदोस जाति के व्यक्तियों के लिये आर्थिक विकास की योजना	5,00	..	42[illegible]
		(7) विमुक्त जाति के आर्थिक विकास के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की योजना	34	66	42[illegible]
		(8) अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	10,00	..	42[illegible]

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (क्रमशः)	(9) हरिजन छात्रावासों का निर्माण	..	2,45,70	430 प
		(10) अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में भरण-पोषण आदि की दरों में वृद्धि	..	73,12	431 प
		(11) अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति	4,84,00	..	432 प
		(12) बुक बैंक हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था	11,60	..	432 प
		(13) दशमोत्तर कक्षाओं में चिकित्सा अभियंत्रण एवं प्रोद्योगिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पुस्तकें तथा उपकरण क्रय करने हेतु अनावर्तीय सहायता	10,00	..	433 प
		(14) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना तथा भवनों के निर्माण	5,35	3,28,90	434 प
		(15) कोल जाति के व्यक्तियों का कल्याण	2,00	..	435 प
		(16) पिछड़ी जाति के छात्रों/छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति	4,26,60	..	437 प
		(17) अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,00,00	..	437 प
		अनुदान संख्या 92 का योग . .	11,87,43	6,97,14	
93	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(1) विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना	1,63	..	437 प
		(2) अकिंचन मृतकों के दाह एवं दफन संस्कार हेतु अनुदान	6,00	..	438 प
		(3) मानीटरिंग सेल की स्थापना	1,85	..	440 प
		(4) निराश्रित विधवाओं का भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान की योजना	11,26,45	..	441 प
		(5) निराश्रित विकलांगों के भरण-पोषण हेतु अनुदान की योजना	2,40,00	..	442 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (प्रायोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-(क्रमशः)	(6) कश्मीर से आये विस्थापितों को सहायता	20,00	..	442 प
		(7) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र य करने हेतु अनुदान	12,00	..	440 प
		(8) बाल दिवस समारोह का आयोजन तथा बाल निधि की स्थापना	1,00	..	438 प
		(9) प्रदेश के नवसृजित जनपद महराजगंज में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की स्थापना	34	23	438 प
		(10) दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता	4,00	..	439 प
		(11) दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता	1,00	..	440 प
		(12) राजकीय किशोर गृह के भवनों का जीर्णोद्धार	..	3,00	440 प
		अनुदान संख्या 93 का योग ..	14,14,27	3,23	
94	2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	(1) अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुनर्वासन की योजना	2,00	..	423 प
		(2) अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षाओं का विस्तार एवं निर्माण	4,75	87,46	435 प
		(3) अनुसूचित जनजाति के जूनियर हाई स्कूल स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	10,87	18,78	436 प
		(4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	3,33	98	426 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनागत) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान/क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक	पृष्ठ-संख्या
	2225-अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों कल्याण-(क्रमशः)	(5) प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जन जातियों, जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिये अनुदान	25,00	..	433 प
		(6) अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति	7,00	..	427 प
		(7) अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	9,60	..	428 प
		(8) अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	2,00	..	429 प
		(9) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना/निर्माण	1,87	13,33	430 प
		(10) अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में भरण-पोषण आदि की दरों में वृद्धि	30,93	..	431 प
		(11) अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति	10,00	..	425 प
		अनुदान संख्या 94 का योग ..	1,07,35	1,20,55	

आबकारी विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कतिपय जनपदों के आबकारी अधिकारियों के कार्यालय भवनों, बन्धित गोदाम और मालखानों का निर्माण	..	1,60,00	..	1,60,00	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	3 प

कतिपय जनपदों के आबकारी अधिकारियों के कार्यालय भवनों, बन्धित गोदाम और मालखानों का निर्माण ।

आबकारी विभाग में एवं जनपदीय कार्यालय भवनों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। फलतः कार्य सम्पादन में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में अवस्थित बंधित गोदाम अत्यन्त पुराने होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हैं और वे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित क्षमता के भी नहीं हैं । आबकारी विभाग के लिये मालखाने बहुत कम है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं जनपद के कार्यालयों के लिये उपयुक्त कार्यालय भवन बंधित गोदाम तथा मालखाने की उपयुक्त व्यवस्था की जाय। सम्प्रति कुछेक स्थानों पर ऐसे भवन निर्माणाधीन है। दूसरे चरण में यह प्रस्तावित है कि बरेली एवं आगरा के क्षेत्रीय कार्यालय तथा महाराजगंज, गोंडा, फतेहपुर एवं गाजीपुर कार्यालय एवं उक्त स्थानों पर मालखाना एवं बंधित गोदाम के निर्माण कराये जायं। क्षेत्रीय कार्यालय (प्रत्येक चार्ज के लिये) में उक्त जनपद के आबकारी अधिकारी का कार्यालय सम्मिलित होगा। मालखाना एवं बंधित गोदाम सहित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय भवनों के लिये प्रति भवन 40,00,000 रुपये एवं जनपदीय कार्यालय भवन के लिये 20,00,000 रुपये प्रति भवन के अनुसार उक्त निर्माण कार्यो पर लगभग 1,60,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1,60,00,000 रु० की व्यवस्था बजट में सम्मिलित कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

भवन— (हजार रुपयों में)

मद		धनराशि
		रु०
बरेली व आगरा जनपदों में क्षेत्रीय कार्यालय (बंधित गोदाम/मालखाना सहित)	..	80,00
महाराजगंज, गोंडा, फतेहपुर एवं गाजीपुर के जनपदीय कार्यालय भवन (बंधित गोदाम/मालखाना सहित)		80,00
	योग	1,60,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

4059- सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

01—कार्यालयों की इमारतें—

101—निर्माण-सामान्य पूल आवास—

02—बरेली, आगरा जनपदों में क्षेत्रीय कार्यालय भवनों (बंधित गोदाम/मालखाना सहित) एवं महाराजगंज गोंडा, फतेहपुर एवं गाजीपुर के जनपदीय कार्यालय भवनों (बंधित गोदाम मालखाना सहित) का निर्माण—

18—वृहत् निर्माण कार्य 1,60,00

आवास विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1					6	7	8
1	रीजनल प्लानिंग स्कीम के अधीन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सिंगरौली क्षेत्र के नियोजन हेतु सृजित नियोजन इकाई के लिये जीप गाड़ी का क्रय	1,66	..	..	1,66	2217-शहरी विकास	7 प

रीजनल प्लानिंग स्कीम के अधीन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सिंगरौली क्षेत्र के नियोजन हेतु सृजित नियोजन इकाई के लिये जीप गाड़ी का क्रय।

सिंगरौली क्षेत्र के नियोजन हेतु सृजित नियोजन इकाई द्वारा नियोजन कार्य के कुशल संचालन हेतु 1,44,000 रु० की लागत पर एक जीप गाड़ी का क्रय तथा चालक का एक पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 1,66,000 रु० (22,000 रु० आवर्तक तथा 1,44,000 रु० अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,66,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2217—शहरी विकास—आयोजनागत—

800—अन्य व्यय—

03—छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास —

001—निदेशन एवं प्रशासन—

01—सिंगरौली क्षेत्र नियोजन इकाई—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	9
03—मंहगाई भत्ता	3
05—अन्य भत्ते	1
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,44
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	9
योग ..	1,66

उद्योग विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
क--लेखन सामग्री और मुद्रण--							
	राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद, लखनऊ तथा रुड़की के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीनों का क्रय	..	1,50,00	..	1,50,00	4058-लेखन-सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय	13 प
	योग--क	..	1,50,00	..	1,50,00		
ख--भारी एवं मध्यम उद्योग--							
1	उ0प्र0, सहकारी कताई मिल्स संघ द्वारा संचालित पुरानी कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विविधीकरण	..	1,16,00	..	1,16,00	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	13 प
2	उ0प्र0, राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय	..	2,51,28	..	2,51,28	तदैव	13 प
3	उ0 प्र0 के पूर्वांचल जनपद जौनपुर-सतहरिया व गोरखपुर सहजनवा में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना	..	..	50,00	50,00	6885-अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए उधार	13 प
4	न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, गाजियाबाद को अतिरिक्त ऋण देने के लिए धन की व्यवस्था	..	..	60,00	60,00	तदैव	14 प
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी अण्डर-राइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन हेतु ऋण	..	..	50,00	50,00	तदैव	14 प
6	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण	..	..	2,50,00	2,50,00	तदैव	14 प
	योग--ख	..	3,67,28	4,10,00	7,77,28		

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें——आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखा का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
	ग——निर्यात प्रोत्साहन——						
1	निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण/सेमिनार संबंधी योजना	1,00	..	..	1,00	3453—विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	15 प
2	आगरा में चर्मनगर (द्वितीय चरण) की स्थापना	10,00	..	..	10,00	तदैव	15 प
3	शिल्प (क्राफ्ट) बाजार योजना	4,00	..	..	4,00	तदैव	15 प
	योग—ग	15,00	..	..	15,00		
	घ——ग्राम एवं लघु उद्योग——						
1	व्यक्तिगत क्षेत्र में आने वाले हथकरघा बुनकरों एवं हथकरघा वस्त्रों पर रंगाई, छपाई करने वाले छीपियों को सामाजिक जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना	1,00	..	..	1,00	2235——सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	16 प
2	खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों को बीमा की सुविधा	6,00	..	..	6,00	तदैव	16 प
3	विपणन विकास सहायता (एम0 डी0 ए0) योजना	6,00,00	..	..	6,00,00	2851——ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	16 प
4	शिल्पकार बहबूदी फण्ड योजना	20,00	..	..	20,00	तदैव	17 प
5	प्रदेश की शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया जाना	10,00	..	..	10,00	तदैव	17 प
6	हस्तशिल्पियों हेतु ब्याज उपादान योजना	3,30	..	..	3,30	तदैव	17 प
7	ब्लाक स्तरीय पावनिकर इकाई को विशेष राज्य पूंजी उपादान	20,00	..	..	20,00	तदैव	18 प
8	जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हेतु मार्जिन मनी ऋण	..	..	1,07,96	1,07,96	6851——ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार	18 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का कार्य	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
9	हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना	..	..	10,00	10,00	6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार	19 प
10	हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण योजना	..	..	70,00	70,00	तदैव	19 प
11	सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना	..	..	6,66	6,66	तदैव	19 प
12	हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना (जिला योजना)	..	..	13,32	13,32	तदैव	20 प
13	औद्योगिक सहकारी समितियां (अवस्त्रीय) को अंशपूंजी ऋण	..	..	10,00	10,00	तदैव	21 प
14	हस्तशिल्प सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता	..	..	3,50	3,50	तदैव	21 प
15	जनपद फतेहपुर में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइन केन्द्र की स्थापना।	..	..	79,80	79,80	तदैव	21 प
16	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को कच्चे माल के बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण	..	..	14,00	14,00	तदैव	22 प
17	बीमार लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु ऋण	..	..	5,00	5,00	तदैव	22 प
18	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना	..	..	5,70,53	5,70,53	तदैव	22 प
	योग-ब	6,60,30	..	8,90,77	15,51,07		
	कुल योग--उद्योग विभाग--	6,75,30	5,17,28	12,00,77	24,93,35		

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, लखनऊ तथा रुड़की के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीनों का क्रय ।

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, लखनऊ तथा रुड़की में अधिकांश स्थापित प्रिंटिंग मशीनें पुरानी हैं जिसके कारण उनकी कार्य-क्षमता का ह्रास हो गया है, जिससे मुद्रण कार्य में न केवल विलम्ब हो रहा है, वरन् गुणवत्ता भी खराब हो रही है। अतः उक्त तीनों मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण किए जाने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गई है, जिसके अनुसार इन तीनों मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण कराने का प्रस्ताव है जिसकी कुल अनुमानित लागत 3,00,00,000 रुपये है। वर्ष 1990-91 में कुल 1,50,00,000 रुपये की मशीनें क्रय किए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4058--लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

103--सरकारी मुद्रणालय--

01--सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,50,00

उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ द्वारा सचालित पुरानी कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विविधीकरण ।

बुनकरों को उचित मूल्य पर उत्तम श्रेणी का सूत उपलब्ध कराने के लिये सहकारी कताई मिलों के आधुनिकीकरण/विविधीकरण की योजना बनाई गई है, जिनके परिणाम स्वरूप मिलों की हालत में पर्याप्त सुधार आने और लाभ अर्जित करने की सम्भावना है। इन कताई मिलों के आधुनिकीकरण/विविधीकरण हेतु वर्ष 1990-91 में उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ के अंशकों के क्रय हेतु 1,16,00,000 रु0 स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--कपड़ा--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

02--सहकारी सूती मिलों के अंशकों में पूंजी निवेश--

24--निवेश/ऋण 1,16,00

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय ।

बुनकरों को उचित मूल्य पर उत्तम श्रेणी का सूत उपलब्ध कराने के लिये उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम की पुरानी कताई मिलों के आधुनिकीकरण की परियोजनायें तैयार की गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मिलों की हालत में पर्याप्त सुधार और मिलों द्वारा उचित लाभ अर्जित करने की सम्भावना है। वर्ष 1990-91 में आधुनिकीकरण/विविधीकरण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 2,51,28,000 रु0 का उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम में अंशपूंजी विनियोजन का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,51,28,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय --आयोजनागत (हजार रुपयों में)

01--कपड़ा--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के अंशकों का क्रय

24--निवेश/ऋण 2,51,28

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपद जौनपुर-सतहरिया व गोरखपुर सहजनवां में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये इस क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके औद्योगिक क्षेत्र की व्यवस्था हेतु एक प्राधिकरण जौनपुर में जो जौनपुर सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेगा व दूसरा प्राधिकरण सहजनवां-गोरखपुर का विकास करने हेतु गठित किया जाना प्रस्तावित है। इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण का कार्य उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिये 50,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य- आयोजनागत--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

(--) सीडा व गोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के के लिये उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर को ऋण--

24--निवेश/ऋण 50,00

न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी, गाजियाबाद को अतिरिक्त ऋण देने के लिए धन की व्यवस्था।

प्राधिकरण द्वारा पिछड़े जिला बुलन्दशहर की तहसील दादरी जो बाद में गाजियाबाद जिले में सम्मिलित कर दी गयी है, के राजस्व क्षेत्र के 3218 हैक्टेयर भूमि का वर्ष 1976 से 1992 तक की 16 वर्ष की अवधि में एक सुसम्बद्ध शहरी बस्ती की तरह विकास किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में प्राधिकरण को क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु 60,00,000 रु0 की धनराशि ऋण के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 60,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। ऋण पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दिया जायेगा।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-आयोजनागत--

60--अन्य--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

01--नव ओखला औद्योगिक विकास परियोजना हेतु ऋण--

24--निवेश ऋण 60,00

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी तथा अण्डरराइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन हेतु ऋण।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 प्रदेश में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं में भागीदारी तथा अण्डरराइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन का कार्य करते हैं। यह प्रस्तावित है कि इस योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में इन्हें 50,00,000 रु0 की धनराशि ऋण रूप में उपलब्ध कराई जाय। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु0 ऋण की व्यवस्था कर ली गयी है। ऋण की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार--आयोजनागत (हजार रुपयों में)

60--अन्य--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

03--उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को संयुक्त क्षेत्र में भादगीरी तथा अण्डरराइटिंग एवं इक्विटी पार्टीसिपेशन हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण 50,00

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण।

प्रदेश के औद्योगीकरण तथा वृहत् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित यह निगम उद्यमकर्ताओं के वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्हें प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की सलाह भी प्रदान करता है। अपने कार्य के संचालन हेतु पिकप को शासन द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। वर्ष 1990-91 में पिकप को 2,50,00,000 रु0 की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,50,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। ऋण की स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को उधार--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--

02--प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को व्यवसाय हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण 2,50,00

निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण / सेमिनार सम्बन्धी योजना ।

प्रदेश की निर्यात दर को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजित करके निर्यात प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही है । प्रशिक्षण एवं सेमिनार के माध्यम से निर्यात संबंधी विस्तृत जानकारी वर्तमान निर्यातकों के साथ-साथ भावी उद्यमियों के लिये भी व्यवस्थित की जा सकती है जिससे निर्यात में वृद्धि होगी और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्ति की सम्भावनायें बढ़ेगी । वर्ष 1990-91 में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तीन सेमिनार्स के आयोजन पर 1,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है । वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायेगी ।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3453--विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन-- (हजार रुपयों में)

194--निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिये सहायता--

12--निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण/सेमिनार संबंधी योजना के लिये सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

आगरा में चर्म नगर (द्वितीय चरण) की स्थापना।

चर्म शिल्पकारों/उद्यमियों के बहुमुखी उत्थान एवं चर्म उद्योग के विकास के उद्देश्य से आगरा में चर्म नगर की स्थापना की योजना बनाई गई है । योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में आवास युक्त कार्यशालाय बनवाने हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है । योजना के द्वितीय चरण में एक कार्यकारी औद्योगिक आस्थान विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें चर्म उद्यमियों को विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं युक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे । इसके अलावा आवश्यक सामूहिक सुविधाओं, डिजाइन, डेवलपमेन्ट सेन्टर और कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के केन्द्रों की स्थापना भी की जायगी जिससे चर्म उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हीं स्थान पर हो सके । इस योजना में वित्तीय वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3453--विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन-- (हजार रुपयों में)

194--निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिये सहायता--

13--आगरा में चर्म नगर (द्वितीय चरण) की स्थापना के लिये उ० प्र० राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम की सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता . .. 10,00

शिल्प (क्राफ्ट) बाजार योजना ।

उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प अपने गौरवमय अतीत के होते हुए अनेक कारणों से ह्रास की दिशा में अग्रसर हो रहा है जिसके कारण शिल्पकारों की स्थिति भी काफी दयनीय है । उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पकारों की सबसे प्रमुख समस्या विपणन की है क्योंकि अपने उत्पादित माल को बेचने के लिए उनके पास बिक्री कक्षों, प्रचार-प्रसार की व्यवस्था आदि का अभाव होता है । हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों में होता है किन्तु उनके उपभोक्ता नगरों में रहते हैं जहां शिल्पकार सरलता से स्वयं जाकर बिक्री का प्रबन्ध नहीं कर सकता है । उनके उत्पादों के प्रकाश में लाने और उनकी बिक्री बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन हस्तशिल्प मेलों / प्रदर्शनियों का आयोजन है । किन्तु यह कार्य इस असंगठित वर्ग द्वारा स्वयं किया जाना सम्भव नहीं होता है । अत: यह प्रस्ताव है कि उ० प्र० निर्यात निगम के माध्यम से वर्ष में कम से कम 2 क्राफ्ट बाजार देश के महत्वपूर्ण नगरों में आयोजित किए जाएं जिनसे सांस्कृतिक कार्य विभाग की भी संबद्धता रहे । ऐसे क्राफ्ट बाजारों में शिल्पकारों को ले जाया जाय और वहां उनकी वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री की व्यवस्था की जाय जिससे उनको आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ प्रचार व प्रसार की भी सुविधा उपलब्ध हो सके । एक क्राफ्ट बाजार में 2,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसके आधार पर वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,00,000 रु० आवर्तक व्यय की व्यवस्था कर ली गई है । व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3453--विदेश व्यापार और निर्यात सम्वर्द्धन-- (हजार रुपयों में)

194--निर्यात सम्वर्द्धन और बाजार विकास के लिए सहायता--

14--शिल्प (क्राफ्ट) बाजारों के आयोजन के लिए उ० प्र० निर्यात निगम को सहायता--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 4,00

व्यक्तिगत क्षेत्र में आने वाले हथकरघा बुनकरों एवं हथकरघा वस्त्रों पर रंगाई, छपाई करने वाले छीपियों को सामाजिक जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना

सहकारी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों को सामाजिक जीवन सुरक्षा बीमा के अन्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है। इस आधार पर व्यक्तिगत क्षेत्र के बुनकरों और हथकरघा वस्त्रों पर रंगाई, छपाई करने वाले छीपियों को सामाजिक जीवन सुरक्षा बीमा के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी के प्रीमियम की धनराशि प्रतिवर्ष 30 रु० होगी जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा कोष से 15 रु०, राज्य सरकार द्वारा 10 रु०, तथा लाभार्थी द्वारा 5 रु० वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत बीमित सदस्य की मृत्यु की दशा में 3000 रु०, दुर्घटनावश मृत्यु की दशा में 6000 रु०, स्थायी अपंगता की दशा में 3000 रु० एवं आंशिक अपंगता की दशा में 1500 रु० देय होगा। उक्त योजना को वित्तीय वर्ष 1990-91 में चलाने हेतु 1,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत--

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

200--अन्य योजनाएं--

01--हथकरघा बुनकरों तथा रंगाई करने वाले छीपियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु आर्थिक सहायता--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..	1,0

खादी ग्रामोद्योग से संबंधित कत्तिनों एवं बुनकरों की बीमा की सुविधा

खादी एवं ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इनको बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम की दर 30 रु० निर्धारित की गई है जिसमें से 15 रु० की धनराशि जीवन बीमा निगम द्वारा सृजित सामाजिक सुरक्षा कोष से, 10 रु० की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 5 रु० की धनराशि बीमित सदस्य द्वारा अंशदान के रूप में देय होगी। प्रथम चरण में 60 हजार व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

200--अन्य योजनायें--

02--खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित कत्तिनों एवं बुनकरों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम--

14--सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	6,0

विपणन विकास सहायता (एम० डी० ए०) योजना

भारत सरकार ने विपणन विकास सहायता योजना वित्तीय वर्ष 1988-89 से आरम्भ की थी जिसे हथकरघा निगम, यूपिका, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों तथा उ० प्र० निर्यात निगम द्वारा अंगीकृत कर ली गई है। उक्त योजना हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 20 प्रतिशत की छूट, निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों को अंशपूंजी सहायता तथा प्रारम्भिक प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता तथा अन्य योजनाओं के स्थान पर लागू की गई है। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत के अनुपात में देय होगी। उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 में 6,00,00,000 रु० का व्यय सम्भावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

103--हथकरघा उद्योग--

01--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं--

0108--हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर विपणन विकास सहायता (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)—

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	4,40,0

02--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0204—हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर विपणन विकास सहायता--
(50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	1,60,0
योग	6,00,0

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	3,00,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 06--हथकरघा-- 0601--हथकरघा उद्योग	50 प्रतिशत

शिल्पकार बहबूदी फण्ड योजन

अनेकानेक कारणों से हस्तशिल्प उद्योग में लगे कारीगरों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है, जिसके परिणामस्वरूप उनम निराशा व्याप्त है, जिससे देश व प्रदेश की संस्कृति की धरोहर को प्रतीक हस्तकला में निरन्तर गिरावट आ रही है । शिल्पकार प्राय: निर्बल वर्ग से सम्बन्धित है अत: उनकी कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उनको विभिन्न प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शिल्पकार बहबूदी फण्ड प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । इस फण्ड का संचालन/नियंत्रण शासन द्वारा अनुमोदित एक समिति द्वारा किया जायेगा और इससे शिल्पकारों को चश्मे क्रय करने, असाध्य बीमारियों की चिकित्सा, आवश्यक यंत्रोपकरणों के क्रय और अन्य आवश्यक मदों के निमित्त सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी । वित्तीय वर्ष (1990-91) में शिल्पकार बहबूदी फण्ड के लिए 20,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

		(हजार रुपयों में)
2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--		
104--हस्तशिल्प उद्योग--		
13--शिल्पकार बहबूदी फण्ड योजना हेतु सहायता--		
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	.. ..	20,00

प्रदेश की शतप्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया जाना

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982 में सम्पूर्ण प्रदेश में स्थापित होने वाली शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योगों हेतु 10 प्रतिशत अनुमन्य सीमा तक राज्य पूंजी उपादान की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी थी। उपादान की यह सुविधा इलेक्ट्रानिक्स तथा साफ्ट-वेयर सहित इलेक्ट्रानिक उत्पादन, फुटवियर तथा पेंट अपर्स सहित फिडानिस्ट लेदर एवं लेदर मैन्युफैक्चरर्स स्पोर्टस गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स फल तरकारियों तथा अल्कोहलिक एवं साफ्ट बिवरेजेज; मीट एवं एलाइड प्रोडक्ट्स मैंगो करनेल एक्सट्रैक्शन तथा मैंगो करनेल आयल, दरियां, रेडीमेड, गारमेंट्स बुने हुए कपड़े, मेड-अप- आर्टिकिल्स, खादी नेचुरल सिल्क फैब्रिक्स, गारमेंट्स तथा मेड-अप-आर्टिकिल्स, होजरी, हैण्डलूम फैब्रिक्स, मेड-अप -आर्टिकिल्स तथा गारमेंट्स, हैण्डीक्राफ्टस, रजत एवं स्वर्ण आभूषण की वस्तुओं के उत्पादन में कार्यरत तथा भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त शत प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों के लिये अनुमन्य होगी । यदि किसी इकाई को राज्य पूंजी उपादान अथवा केन्द्रीय पूंजी उपादान की सुविधा प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त हो रही है या प्राप्त होनी है तो उस दशा में पूंजीगत उपादान की यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। इस हेतु वर्ष 1990-91 में आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है । वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

		(हजार रुपयों मे)
2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत--		
102--लघु उद्योग-		
33--प्रदेश में स्थापित शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत उपादन--		
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	.. ..	10,00

हस्तशिल्पियों हेतु ब्याज उपादान योजन

प्रदेश के शिल्पकारों को कार्यशील पूंजी तथा अन्य प्रयोजनों के लिये बैंकों से अधिकाधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे ऋणों पर बैंकों द्वारा नाबार्ड का पुर्नवित योनजा के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल शिल्पकारों द्वारा इस भार को वहन करना सम्भव नहीं है। अत: यह प्रस्तावित है कि 2.5 प्रतिशत ब्याज उपादान स्वीकृति करके राज्य सरकार शिल्पकारों को राहत प्रदान करें जिससे ऋणों पर देय ब्याज के प्रति उन पर केवल 7.5 प्रतिशत का ही भार पड़े। इस ब्याज उपादान के निमित्त वर्ष 1990-91 में 3,30,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था आय व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-- (हजार रुपयों में)

104--हस्तशिल्प उद्योग--

103--हस्तशिल्पियों हेतु ब्याज उपादान योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,30

ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई को विशेष राज्य पूंजी उपादान

पिछड़े क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर तीव्र औद्योगिक विकास को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश के किसी भी ब्लाक में दिनांक 1-4-90 से 31-3-95 तक की अवधि में 20 लाख रु० (पर्वतीय क्षेत्र में 10 लाख रु०) या उससे अधिक अचल पूंजी निवेश से स्थापित होने वाली प्रथम तीन इकाइयों को ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई माना जाना प्रस्तावित है। इस पायनियर इकाइयों की अचल पूंजी निवेश का प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रु० होगी, विशेष राज्य पूंजी उपादान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिये 20,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है जिसके लिये वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। यह योजना आठवीं आयोजनावधि में प्रभावी रहेगी।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102--लघु उद्योग--

35--ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,00

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हेतु मार्जिन मनी ऋण

इस योजना के अन्तर्गत 2.00 लाख रुपये तक के प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय करने वाली इकाइयों की उद्योग की लागत (अचल पूंजी, प्रारम्भिक व्यय व 3 माह की कार्यशील पूंजी को शामिल करते हुए) का 20 प्रतिशत अथवा 40,000 रु० जो भी कम हो अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति / जन-जाति के उद्यमियों को कुल लागत का 30 प्रतिशत अथवा 60,000 रु० जो भी कम हो, मार्जिन मनी ऋण के रूप में प्राप्त होगा। यह सुविधा 1971 की गणना के आधार पर एक लाख तक की आबादी वाले नगरीय क्षेत्र के उद्यमियों को अनुमन्य होगी। इस योजना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः जिला उद्योग केन्द्र, मार्जिन मनी ऋण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 1,07,96,000 रु० की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,07,96,000 रु० अनावर्तक की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

200--अन्य ग्रामोद्योग--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101--जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना)

50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

24--निवेश / ऋण 86,37

0102--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0201--जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना--

24--निवेश / ऋण 21,59

योग .. 1,07,96

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ऋण सहायता	53,98	6004--केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार 321--ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग 05--लघु स्तरीय उद्योग	50 प्रतिशत

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	3,00,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 06--हथकरघा-- 0601--हथकरघा उद्योग	50 प्रतिशत

शिल्पकार बहबूदी फण्ड योजना

अनेकानेक कारणों से हस्तशिल्प उद्योग में लगे कारीगरों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें निराशा व्याप्त है, जिससे देश व प्रदेश की संस्कृति की धरोहर की प्रतीक हस्तकला में निरन्तर गिरावट आ रही है। शिल्पकार प्रायः निर्बल वर्ग से सम्बन्धित है अतः उनकी कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उनको विभिन्न प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शिल्पकार बहबूदी फण्ड प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस फण्ड का संचालन/नियंत्रण शासन द्वारा अनुमोदित एक समिति द्वारा किया जायेगा और इससे शिल्पकारों को चश्मे क्रय करने, असाध्य बीमारियों की चिकित्सा, आवश्यक यंत्रोपकरणों के क्रय और अन्य आवश्यक मदों के निमित्त सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। वित्तीय वर्ष (1990-91) में शिल्पकार बहबूदी फण्ड के लिए 20,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-- (हजार रुपयों में)

104--हस्तशिल्प उद्योग--

13--शिल्पकार बहबूदी फण्ड योजना हेतु सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,00

प्रदेश की शतप्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया जाना

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1982 में सम्पूर्ण प्रदेश में स्थापित होने वाली शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योगों हेतु 10 प्रतिशत अनुमन्य सीमा तक राज्य पूंजी उपादान की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी थी। उपादान की यह सुविधा इलेक्ट्रानिक्स तथा साफ्ट-वेयर सहित इलेक्ट्रानिक उत्पादन, फुटवियर तथा पेंट ब्रसेज सहित फिडनिस्ट लेदर एवं लेदर मैन्युफैक्चरर्स स्पोर्टस गुड्स, प्रोसेस्ड फूड्स फल तरकारियों तथा अल्कोहलिक एवं साफ्ट बिवेरेजेज; मीट एवं एलाइड प्रोडक्ट्स मैंगो करनेल एक्सट्रेक्शन तथा मैंगो करनेल आयल, दरियां, रेडीमेड, गारमेंट्स बुने हुए कपड़े, मेड-अप- आर्टिकिल्स, खादी नेचुरल सिल्क फैब्रिक्स, गारमेंट्स तथा मेड-अप-आर्टिकिल्स, होजरी, हैण्डलूम फैब्रिक्स, मेड-अप -आर्टिकिल्स तथा गारमेंट्स, हैण्डीक्राफ्टस, रजत एवं स्वर्ण आभूषण की वस्तुओं के उत्पादन में कार्यरत तथा भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त शत प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों के लिये अनुमन्य होगी। यदि किसी इकाई को राज्य पूंजी उपादान अथवा केन्द्रीय पूंजी उपादान की सुविधा प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त हो रही है या प्राप्त होनी है तो उस दशा में पूंजीगत उपादान की यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। इस हेतु वर्ष 1990-91 में आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-आयोजनागत-- (हजार रुपयों मे)

102--लघु उद्योग-

33--प्रदेश में स्थापित शत प्रतिशत निर्यात मूलक औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत उपादान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

हस्तशिल्पियों हेतु ब्याज उपादान योजना

प्रदेश के शिल्पकारों को कार्यशील पूंजी तथा अन्य प्रयोजनों के लिये बैंकों से अधिकाधिक ऋण सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे ऋणों पर बैंकों द्वारा नाबार्ड का पुर्नवित योजना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से दुर्बल शिल्पकारों द्वारा इस भार को वहन करना सम्भव नहीं है। अतः यह प्रस्तावित है कि 2.5 प्रतिशत ब्याज उपादान स्वीकृति करके राज्य सरकार शिल्पकारों को राहत प्रदान करें जिससे ऋणों पर देय ब्याज के प्रति उन पर केवल 7.5 प्रतिशत का ही भार पड़े। इस ब्याज उपादान के निमित्त वर्ष 1990-91 में 3,30,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था आय व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-- (हजार रुपयों में)

104--हस्तशिल्प उद्योग--

103--हस्तशिल्पियों हेतु ब्याज उपादान योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,

ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई को विशेष राज्य पूंजी उपादान

पिछड़े क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर तीव्र औद्योगिक विकास को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश के किसी भी ब्लाक दिनांक 1-4-90 से 31-3-95 तक की अवधि में 20 लाख रु0 (पर्वतीय क्षेत्र में 10 लाख रु0) या उससे अधिक अचल पूंजी निवेश से स्थापित होने वाली प्रथम तीन इकाइयों को ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई माना जाना प्रस्तावित है। इस पायनियर इकाइयों की अचल पूंजी निवेश का प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रु0 होगी, विशेष राज्य पूंजी उपादान के रूप उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिये 20,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है जिसके लिये वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। यह योजना आठवीं आयोजनावधि में प्रभावी रहेगी।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102--लघु उद्योग--

35--ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाई--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,0

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हेतु मार्जिन मनी ऋण

इस योजना के अन्तर्गत 2.00 लाख रुपये तक के प्लान्ट एवं मशीनरी पर व्यय करने वाली इकाइयों को उद्योग की लागत (अचल पूंजी, प्रारम्भिक व्यय व 3 माह की कार्यशील पूंजी को शामिल करते हुए) का 20 प्रतिशत अथवा 40,000 रु0 जो भी कम हो अनुमन्य होगा। अनुसूचित जाति / जन-जाति के उद्यमियों को कुल लागत का 30 प्रतिशत अथवा 60,000 रु0 जो भी कम हो, मार्जिन मनी ऋण के रूप में प्राप्त होगा। यह सुविधा 1971 की गणना के आधार पर एक लाख तक की आबादी वाले नगरीय क्षेत्र के उद्यमियों को अनुमन्य होगी। इस योजना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः जिला उद्योग केन्द्र, मार्जिन मनी ऋण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 1,07,96,000 रु0 की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,07,96,000 रु0 अनावर्तक की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिए उधार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

200--अन्य ग्रामोद्योग--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101--जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना)

50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

24--निवेश / ऋण 86,37

0102--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0201--जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना--

24--निवेश / ऋण 21,59

योग .. 1,07,96

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ऋण सहायता	53,98	6004--केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम 04--केन्द्र आयोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार 321--ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग 05--लघु स्तरीय उद्योग	50 प्रतिशत

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना की योजना हथकरघा क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना है। उक्त योजना स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं में हथकरघा वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गयी है। योजनान्तर्गत समिति द्वारा बिक्री बढ़ाने के लिये बिक्रय केन्द्र खोलने हेतु आधा भाग ऋण के रूप में भी स्वीकृत किया जाता है। प्रश्नगत योजना हेतु 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
109--संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां-	
03--हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण--	
0304--हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण--	
24--निवेश/ऋण	10,00

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण की योजना

बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत सहकारी मितियों के गठन द्वारा अंश पूंजी ऋण के रूप में समिति के सदस्यों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु शतप्रतिशत ऋण की वेधा दी जानी है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है। प्रश्नगत योजना पर 1990-91 में 70,00,000 रु0 । व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 70,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

6851—ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार—आयोजनागत—	(हजार रुपयों में)
109—संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां—	
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—	
0101-हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) (जिला योजना)—	
24—निवेश/ऋण	52,00
0103—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण (जिला योजना) (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	
24—निवेश/ऋण	18,00
योग ..	70,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
सहायता ..	35,00	6004-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम-- 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार- 321—ग्राम और लघु उद्योग-- 06--हथकरघा उद्योग	50 प्रतिशत

सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना

स योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं बुनकर सहकारी समितियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे पिटलूमों को फ्रेमलूमों में बदलना करघों पर जैकार्ड, डाबी, टेकअप मोशन नामक यंत्रों का उपयोग में लाना है। योजनान्तर्गत सहकारी समितियों के उक्त सम्पादन हेतु 2/3 तथा 1/3 के अनुपात में क्रमश: ऋण तथा अनुदान दिया जाता है। सुधरे हुए यंत्रों के प्रयोग से वस्त्रों की में वृद्धि होती है, फलस्वरूप स्टाक का केन्द्रीयकरण नहीं हो पाता है और वस्त्रों की बिक्री सुगमता पूर्वक होती है। है। 50 प्रतिशत केन्द्रीय पुरोनिधानित है। प्रश्नगत योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 6,66,000 रु0 का व्यय अनुमानित नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,66,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

6851—ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार-आयोजनागत—
103-हथकरघा उद्योग—
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-- (हजार रुपयों में)
0102-सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकर के हथकरघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण
(50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)—
24—निवेश/ऋण 6,66

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ऋण सहायता ..	3,33	6001-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम-- 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार-- 321-ग्राम और लघु उद्योग-- 06-हथकरघा उद्योग	50 प्रतिशत

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना (जिला योजना)

हथकरघा क्षेत्र में आधुनिकतम प्रायोगिकी तथा तकनीकी का समावेश करने एवं हथकरघा निर्मित वस्त्रों को गुणवत्ता सुधार करने की दृष्टि से हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत पिटलूमों को फ्रेमलूमों में बदल पुराने करघों पर जैकबडाबी, टेकअप मोशन व लेट आफ मोशन आदि सुधरे यंत्रों एवं उपकरणों के द्वारा उत्पादित माल के मूल्य अभिवृद्धि करके हथकरघा बुनकरों की आमदनी में वृद्धि किये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक करघे पर आधुनिकीकरण हेतु 1,000 रु० दिया जाता है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 13,32,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,32,000 रु की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार-आयोजनागत— (हजार रुपयों
109-संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां—
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—
0102-हथकरघा सहकारी बुनकर सहकारी समितियों के हथकरघों के आधुनिकीकरण (जिला योजना) हेतु ऋण -(50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)—
24—निवेश/ऋण 10,
0103-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान- हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को हथकरघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण (जिला योजना) (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)—
24—निवेश/ऋण 2

योग .. 1

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अ सहायता की धन अभिधारित की ग
ऋण सहायता ..	6,66	6001-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार-- 321-ग्राम और लघु उद्योग 06-हथकरघा उद्योग।	50 प्रतिशत

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा निजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना की योजना हथकरघा क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना उक्त योजना स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं में हथकरघा वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की गयी योजनान्तर्गत समिति द्वारा बिक्री बढ़ाने के लिये बिक्रय केन्द्र खोलने हेतु आधा भाग ऋण के रूप में भी स्वीकृत किया जाता है। नगत योजना हेतु 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार-आयोजनागत--	
109--संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां-	
03--हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण--	
0304--हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण--	
24--निवेश/ऋण	10,00

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण की योजना

बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत सहकारी मितियों के गठन द्वारा अंश पूंजी ऋण के रूप में समिति के सदस्यों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु शतप्रतिशत ऋण की धा दी जाती है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है। प्रश्नगत योजना पर 1990-91 में 70,00,000 रु0 व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 70,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

	(हजार रुपयों में)
6851—ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार—आयोजनागत—	
109-संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां—	
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—	
0101-हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की अंश पूंजी ऋण (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) (जिला योजना)—	
24—निवेश/ऋण	52,00
0103—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण (जिला योजना) (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	
24—निवेश/ऋण	18,00
योग ..	70,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
सहायता ..	35,00	6004-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम-- 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार- 321—ग्राम और लघु उद्योग— 06—हथकरघा उद्योग	50 प्रतिशत

सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं बुनकर सहकारी समितियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे पिटलूमों को फ्रेमलूमों में बदलना राने करघों पर जैकार्ड, डाबी, टेकअप मोशन नामक यंत्रों का उपयोग में लाना है। योजनान्तर्गत सहकारी समितियों के उक्त के सम्पादन हेतु 2/3 तथा 1/3 के अनुपात में क्रमशः ऋण तथा अनुदान दिया जाता है। सुधरे हुए यंत्रों के प्रयोग से वस्त्रों की ता में वृद्धि होती है, फलस्वरूप स्टाक का केन्द्रीयकरण नहीं हो पाता है और वस्त्रों की बिक्री सुगमता पूर्वक होती है। जना 50 प्रतिशत केन्द्रीय पुरोनिधानित है। प्रश्नगत योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 6,66,000 रु0 का व्यय अनुमानित तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,66,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार-आयोजनागत--
103-हथकरघा उद्योग--
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-- (हजार रुपयों में)
0102-सहकारिता क्षेत्र के बाहर के बुनकर के हथकरघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण (50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)--
24--निवेश/ऋण 6,

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ऋण सहायता ..	3,33	6001-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम-- 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार-- 321-ग्राम और लघु उद्योग-- 06-हथकरघा उद्योग	50 प्रतिशत

हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना (जिला योजना)

हथकरघा क्षेत्र में आधुनिकतम प्रायोगिकी तथा तकनीकी का समावेश करने एवं हथकरघा निर्मित वस्त्रों की गुणवत्ता सुधार करने की दृष्टि से हथकरघों के आधुनिकीकरण की योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत पिटलूमों को फ्रेमलूमों में बदल पुराने करघों पर जेकवडावी, टेकअप मोशन व लेट आफ मोशन आदि सुधरे यंत्रों एवं उपकरणों के द्वारा उत्पादित माल के मूल्य अभिवृद्धि करके हथकरघा बुनकरों की आमदनी में वृद्धि किये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक करघे पर आधुनिकीकरण हेतु 1,000 रु० दिया जाता है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 13,32,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,32,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851-ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए उधार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
109-संयुक्त ग्रामोद्योग और लघु उद्योग सहकारी समितियां--
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--
0102-हथकरघा सहकारी बुनकर सहकारी समितियों के हथकरघों के आधुनिकीकरण (जिला योजना) हेतु ऋण-(50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)--
24--निवेश/ऋण 10,
0103-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को हथकरघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण (जिला योजना) (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)--
24--निवेश/ऋण 2,

योग .. 13,

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ऋण सहायता ..	6,66	6001-केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार-- 321-ग्राम और लघु उद्योग 06-हथकरघा उद्योग।	50 प्रतिशत

औद्योगिक सहकारी समितियां (अवस्त्रीय) को अंशपूंजी ऋण

योजनान्तर्गत समिति के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने और उनकी ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से सम्बन्धित समितियों के माध्यम से समिति के उन सदस्यों को ऋण दिया जाता है जो अपने हिस्से का पूरा अंशदान देने में असमर्थ है। सदस्यों को ऋण उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्से के मूल्य के 75 प्रतिशत तक ही दिया जाता है, शेष 25 प्रतिशत सदस्य को स्वयं वहन करना पड़ता है। योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० की धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
6851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार-आयोजनागत—	
109—संयुक्त ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों के लिये उधार—	
02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान—	
0201-औद्योगिक सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण—	
24—निवेश/ऋण	2,00
03—औद्योगिक सहकारी समितियां अवस्त्रीय को अंश पूंजी ऋण—	
24—निवेश/ऋण	8,00
योग ..	10,00

हस्तशिल्प सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता।

प्रदेश की हस्तशिल्प सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता/अंशपूंजी ऋण तथा प्रबन्धकीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की योजना विगत कई वर्षों से चलाई जा रही है जिसके लिये 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता भी प्राप्त होती है। वर्ष 1990-91 अंशपूंजी ऋण हेतु 3,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
6851-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों के लिये उधार—आयोजनागत—	
104-हस्तशिल्प उद्योग—	
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—	
0101-हस्तशिल्प सहकारी समितियों को अंशपूंजी ऋण (जिला योजना)—	
24-निवेश/ऋण	2,50
0102-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—हस्तशिल्प सहकारी समितियों को अंश-पूंजी ऋण—	
24-निवेश/ऋण	1,00
योग ..	3,50

3—भारत सरकार से प्राप्त सहायता :—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ऋण सहायता	1,75	6004—केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम— 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार— 321—ग्राम और लघु उद्योग। 05—लघु एवं ग्रामोद्योग—	50 प्रतिशत

जनपद फतेहपुर में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइन केन्द्र की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा जनपद फतेहपुर में वित्तीय वर्ष 1990-91 मे हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। विभिन्न प्रकार की नई डिजाइनों के विकास और उत्पादन के लिये यह केन्द्र कम्प्यूटर युक्त होगा। इस डिजाइन केन्द्र में प्रशिक्षित व्यक्ति स्वतः रोजगार करने के योग्य हो जायेंगे। आधुनिक डिजाइन केन्द्र

की स्थापना हेतु निगम को वर्ष 1990-91 में 79,80,000 रुपये ऋण सहायता की देना प्रस्तावित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 79,80,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

6851–ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार–आयोजनागत

103–हथकरघा उद्योग—

07–उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा जनपद फतेहपुर में हथकरघा क्षेत्र में आधुनिक डिजाइन केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण 79,80

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम को कच्चे माल के बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण

प्रदेश के 15 लाख बुनकरों को उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार सूत उपलब्ध कराने की समस्या के निदान हेतु बुनकर बहुल स्थानों पर हथकरघा निगम तथा यूपिका द्वारा 236 कच्चे माल डिपो स्थापित किए जा चुके हैं। इनका क्रियान्वयन हथकरघा निगम तथा यूपिका द्वारा किया जाता है। सूत वितरण व्यवस्था को प्रभावी तथा उपयोगी बनाने की दृष्टि से 5 कच्चे माल के बिक्री केन्द्र को वर्ष 1990-91 में खोलने का प्रस्ताव है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश राज्य हाथकरघा निगम को लगभग 14,00,000 ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 14,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

6851–ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार–आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

103–हथकरघा उद्योग—

03–उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम को कच्चे माल के बिक्री केन्द्रों के स्थापना हेतु ऋण (जिला योजना)

24—निवेश/ऋण 14,0

बीमार लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासन हेतु ऋण।

बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु ऋण दिये जाने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु ऋण दिया जाता है। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कार्यक्रम के साथ ही पूर्व में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को गतिशील एवं लाभप्रद बनाये रखने का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों के रुग्ण हो जाने से इनमें विनियोजित पूंजी अनुत्पादक हो जाती है। अतः बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्स्थापन हेतु वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6851--ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के लिये उधार--आयोजानागत-- (हजार रुपयों में)

102--लघु उद्योग--

03--बीमार औद्योगिक इकाइयों पुनर्वासन हेतु ऋण-

24--निवेश/ऋण 5,0

एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना

योजनान्तर्गत मार्जिन मनी ऋण ऐसे उद्यमियों को नवीन लघुत्तर एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु दिया जाता है जिनकी योजना किसी वित्तीय संस्था से अनुमोदित हो तथा वह वित्तीय संस्था उन्हें योजना की लागत का निर्धारित प्रतिशत ऋण देने को तैयार हो। मार्जिन मनी ऋण उन उद्यमियों को दिया जायगा जो उद्योग स्थापित करने के लिये परियोजना की लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अपनी ओर से लगायेंगे। यह सीमा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के लिये 5 प्रतिशत होगी। वर्तमान औद्योगिक इकाइयां भी, जिन्होंने उ0 प्र0 वित्तीय निगम अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से उद्योग की कार्यक्षमता में वृद्धि/अभिनवीकरण हेतु ऋण लिया हो, ऋण के उस भाग पर जो उन्होंने उद्योग को उत्पादन क्षमता में वृद्धि/अभिनवीकरण हेतु लिया हो, मार्जिन मनी ऋण पाने की अधिकारी होंगी बशर्ते कि वह विस्तार के पश्चात् लघु औद्योगिक इकाई की परिभाषा का उल्लंघन न करें। योजनान्तर्गत अधिकतम धनराशि 3.00 लाख रु0 तक स्वीकृत की जा सकती है। योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्ष

योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 5,70,53,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,70,53,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार--	
102--लघु उद्योग--	
04--एकीकृत सीमान्त (मार्जिन मनी) ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण--	
24--निवेश/ऋण (जिला योजना)	5,13,53
02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-	
0201--एकीकृत सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण-- (जिला योजना)	
24--निवेश/ऋण	57,00
योग	5,70,53

कृषि विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरिजन एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	5,00	..	..	5,00	2401--कृषि कार्य	27प
2	विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अनुरूप बचे हुये जनपदों में फसलोंत्पादन हेतु कृषि निवेशों पर राज सहायता	3,50,00	..	..	3,50,00	तदैव	27 प
3	भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।	50	50	..	1,00	2401-कृषि-कार्य तथा 4401-कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	27प
4	स्वायल रिसोर्स सर्वे हेतु रिमोट सेन्सिंग मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा मानचित्र की योजना।	50,00	..	..	50,00	2402-भू और जल संरक्षण	28प
5	प्रदेश में भूमि-सेना का गठन	35,00,00	..	..	35,00,00	तदैव	29प
6	उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद् का गठन	20,00	..	..	20,00	2415--कृषि अनुसन्धान और शिक्षा	29प
7	कृषि विपणन विभाग/निदेशालय का पुनर्गठन	10,00	..	..	10,00	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम,	30प
	योग ..	39,35,50	50	..	39,36,00		

हरिजन एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में औद्यानिक विकास

अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को औद्यानिक फसलों की खेती से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के 20 जनपदों के 60 विकास खण्डों में योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में मात्र औद्यानिक फसलों-जैसे शीघ्र फल देने वाले फल पौधे शाकभाजी-बीज, आलू बीज, एवं उनके लिये आवश्यक निवेश जैसे उर्वरक कीट/व्याधि नाशक रसायन पर अनुदान देने की व्यवस्था है। फूलों की खेती अल्प अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय देने में समर्थ है। इनकी खेती में रोजगार सृजन की क्षमता भी है। वर्ष 1990-91 में अलंकारिक बागवानी की व्यवसायिक खेती गुलाब, गेंदा एवं बेला आदि को अनुसूचित जाति के कृषकों में कार्यान्वित करने हेतु प्राविधान रखा गया है। एक विकास खण्ड के छः लघु एवं सीमान्त कृषक चयनित किये जायेंगे एवं प्रति कृषक 0.25 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती करने पर अधिकतम 1380 रुपये अनुदान का प्राविधान रखा गया है। यह योजना वाराणसी, मिर्जापुर, हरिद्वार,, मथुरा, गोला गोकरननाथ (लखीमपुर खीरी), अयोध्या (फैजाबाद), चित्रकूट (बांदा) के अतिरिक्त अलीगढ़, कन्नौज (फर्रुखाबाद), एटा, बलिया एवं गाजीपुर में क्रियान्वित की जायेगी। इससे फल शाकभाजी एवं मसाला की खेती के साथ-साथ अलंकारिक खेती करने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी व उनके आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार आयेगा जिससे प्रदेश के 60 विकास खण्डों में कुल 360 कृषक लाभान्वित होंगे जिस पर वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्यय में व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2401--कृषि कार्य-आयोजनागत-

119--बागवानी और सब्जियों की फसलें-

03--नर्सरी-

0314 हरिजन एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (जिला योजना)-- (हजार रुपयों में)

14--सहायक अनुदान	5,00

विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अनुरूप बचे हुए जनपदों में फसलोत्पादन हेतु कृषि निवेशों पर राज सहायता

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में चावल 28 जनपदों में, मक्का 9 जनपदों में, गेहूं 26 जनपदों में, चना, अरहर 10 जनपदों में तथा तिलहन 33 जनपदों में उत्पादित किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अन्य जनपदों में जहां उक्त कार्यक्रम नहीं चलाये जा रहे हैं, कृषकों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और वे अधिक उत्पादन लेने से वंचित रहते हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रस्ताव है कि केन्द्र पुरोनिधानित विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना चावल, मक्का, गेहूं, दलहन तथा तिलहन कार्यक्रम के अनुरूप राज्य के सभी जनपदों में राज्य योजना मद से अनुदान देने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त हस्तचालित ट्रैक्टर एवं सूखोन्मुख क्षेत्र बुन्देलखण्ड एवं मिर्जापुर जनपद में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये भी राज्य योजना मद से अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के लिये कोई अतिरिक्त पदों की आवश्यकता नहीं होगी और योजना का संचालन जनपदों में उपलब्ध वर्तमान अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

चावल, मक्का, गेहूं, दलहन तथा तिलहन के लिये भारत सरकार द्वारा जो अनुदान विभिन्न मदों पर अनुमन्य है या होगा उन्हीं के अनुसार राज्य आयोजनागत योजना में भी अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है। हस्तचालित ट्रैक्टर एवं सूखोन्मुख क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था के लिए अनुदान की राशि विशेष खाद्यान्न उत्पादन की राज्य स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जायेगा।

उक्त योजना के कार्यान्वयन पर वर्ष 1990-91 में 3,50,00,000 रु० के अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है जिसकी आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकवार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2401--कृषि कार्य-आयोजनागत--

102--खाद्यान्न की फसलें--

04-विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना के अनुरूप शेष जनपदों फसलोत्पादन हेतु कृषि निवेशों पर राज सहायता--

14--राज सहायता/सहायक अनुदान/अंशदान	3,50,00

भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में अधिकाधिक कृषि की वैज्ञानिक विधि अपनाये जाने के कारण कृषि में उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में कृषकों को मानक स्तर का उर्वरक एवं कीटनाशी रसायन की उपलब्धता तथा उर्वरक के नमूनों के विश्लेषण की अतिरिक्त क्षमता का सृजन का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य हो गया है। अतः क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, मेरठ बरेली, आगरा, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, रुद्रपुर (नैनीताल), अलीगढ़ तथा अलमोड़ा को सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव है इस संबंध में वर्क-प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2401--कृषि कार्य-आयोजनागत--

105--खाद और उर्वरक--

04--उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना-

(धनराशि हजार रुपये में)

01--वेतन ..	6
03--महंगाई भत्ता ..	4
04--यात्रा व्यय ..	1
05--अन्य भत्ते ..	3
06--कार्यालय व्यय ..	3
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	20
25--सामग्री और सम्पूर्ति ..	10
33--अन्य व्यय ..	3
योग ..	50

4401--कृषि कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत--

105--खाद तथा उर्वरक--

08--क्षेत्रीय भूमि परीक्षण नियंत्रण प्रयोगशाला--
मेरट तथा वाराणसी--

18--निर्माण कार्य ..	50
कुल योग ..	1,00

स्वायत्त रिसोर्स सर्वे हेतु रिमोट सेन्सिग मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा मानचित्र की योजना

कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश की मृदाओं का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता एवं क्षमता अनुसार करने हेतु दस मृदा सर्वेक्षण इकाइयां विभाग में स्वीकृत की गई हैं। इन इकाइयों द्वारा किये गये क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रों के परीक्षण तथा उपयोग का कार्य स्टाफ एवं संसाधनों के अभाव में लंबित है। आधुनिक तकनीक के बदलते परिवेश में मृदा सर्वेक्षण का कार्य इमेजनरोज के द्वारा किया जान लगा है। अत: रिमोट सेन्सिग सेटेलाइट इमेजनरी एवं मृदा सर्वेक्षण की योजना एक दूसरे का पूरक होने क कारण विलीन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना के लागू होने से विस्तृत मृदा सर्वेक्षण कार्टोग्राफी तथा सेटेलाइट इमेजनरी द्वारा मानचित्रों को तैयार कर सर्वेक्षित क्षेत्र के मृदा मानचित्रों को अन्तिम रूप देकर प्रतिवेदन प्रकाशित कर मृदा सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र विशेष के शस्यात्मक सुझाव एवं प्रबंध विधियों की संस्तुतियां उपलब्ध हो सकेंगी। योजनान्तर्गत विभिन्न संवर्गों में 23 पद सृजित किये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित मृदा सवक्षण इकाइयों में कार्यरत स्टाफ योजना में समायोजित करके सवक्षण, रिमोट प्रकाशन एवं मानचित्र का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा मृदा से संबंधी सभी सुधारात्मक संस्तुतियां एवं मानचित्र प्रकाशित करायें जायेंगे। इस प्रयोजन के लिये आठवीं योजना अवधि में कुल 2,93,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसमें से वर्ष 1990-91 में 50,00 000 रु० व्यय होने की अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन

मशीन साज-सज्जा, भंडारण आदि के स्थूल ब्योरे

क्रम-संख्या	विवरण	1990-91
1	मशीन एवं उपकरण ..	7,00,000
2	गाड़ियों का क्रय ..	8,00,000
	योग ..	15,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः-- (हजार रुपयों में)

2402--भू और जल संरक्षण--आयोजनागत--

101--भू-सर्वेक्षण और परीक्षण--

07--मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण इकाई की स्थापना--

01--वेतन	8,00
02--मजदूरी	2,00
03--महंगाई भत्ता	5,00
04--यात्रा व्यय	2,00
05--अन्य भत्ते	4,00
06--कार्यालय व्यय	3,00
07--टेलीफोन	1,00
09--गाड़ी अनुरक्षण	4,00
11--किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7,00
21--गाड़ियों का क्रय	8,00
25--माल सम्पूर्ति	4,00
33--अन्य व्यय (प्रशिक्षण)	1,00
योग ..	50,00

प्रदेश में भूमि सेना का गठन

ग्रामीण अंचलों में भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने, ऊसर, बंजर व बीहड़ भूमि का सुधार कर उसे यथासम्भव भूमिहीन मजदूरों को आवंटित करने एव भूमि सम्बन्धी सभी कार्यों को स्थानीय मजदूरों के माध्यम से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूमि सेना का गठन प्रस्तावित है।

इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी सुझाव एवं देख-रेख कृषि विभाग के भूमि सरक्षण इकाईयों के द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत स्थापना पर कोई व्यय नही किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन वर्क-प्लान बनाकर भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किया जायगा। इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिए 35,00,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकवार विभाजन--

2402--भू-तथा जल संरक्षण--आयोजनागत--

102--भूमि सरक्षण--प्रदेश में भूमि सेना का गठन-- (हजार रुपयों में)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	30,00,00
33--अन्य व्यय (कार्य मद)	5,00,00
योग ..	35,00,00

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् का गठन

कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विभाग की कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षा कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने और शोध, प्रसार तथा शिक्षण का समुचित रूप से अधिकाधिक लाभ प्रदेश के कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया है। वर्ष 1990-91 में परिषद को 20,00,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार आय-व्ययक में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षक के अनुसार विभाजन:--

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

120--अन्य संस्थाओं को सहायता--

05--उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,00

कृषि विपणन विभाग/निदेशालय का पुनर्गठन

कृषि विपणन विभाग में कार्यान्वित कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण विपणन विभाग का प्रक्षेत्र से लेकर मुख्यालय तक पुनर्गठन का प्रस्ताव है। पुनर्गठन में विभिन्न संवर्गों के 49 पदों का सृजन तथा वाहनों, टंकण मशीन इत्यादि का व्यय निहित है। इस पर अष्टम पंचवर्षीय योजना अवधि में 1,19,00,000 रुपये (1,14,59,000 रु0 आवर्तक तथा 4,41,000 रु0 अनावर्तक) का तथा वर्ष 1990--91 में 10,00,000 रु0 (5,90,000 रु0 आवर्तक तथा 4,10,000 रु0 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990--91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

सज्जा/भण्डारण/मशीन/गाड़ियों के स्थूल व्योरे--

मदें		1990-91
		रु0
1--स्टाफ कार	..	3,50,000
2--अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु फर्नीचर, आलमारी, टाइपराइटर आदि	..	60,000
योग	..	4,10,00

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2435--अन्य कृषि कार्यक्रम--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--विपणन और किस्म नियन्त्रण--

101--विपणन सुविधायें--

10--कृषि विपणन निदेशालय/विभाग के पुनर्गठन की योजना

01--वेतन	2,86
02--मजदूरी	20
03--महंगाई भत्ता	1,15
04--यात्रा व्यय	40
05--अन्य भत्ते	58
06--कार्यालय व्यय	60
07--टेलीफोन पर व्यय	5
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	3,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	20
12--प्रकाशन	20
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20
33--अन्य व्यय	6
योग ..	10,00

ग्राम्य विकास विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)			लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार योजना	1,00,00	..	..	1,00,00	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	33-प
2	क्षेत्र समिति के ब्लाक प्रमुखों का प्रशिक्षण तथा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण	5,00	..	..	5,00	तदैव	33 प
3	पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना	89,89	..	..	89,89	2702-लघु सिंचाई	34 प-
	योग	1,94,89	..	..	1,94,89		

ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार योजना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की आबादियों में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ पर्यावरण की सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार योजना को आरम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष मेरठ जिले के दो ग्रामों एवं बुलन्दशहर जिले के एक ग्राम का चयन करके प्रयोगात्मक रूप से योजना को चलाया गया जिसमें काफी सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता को दृष्टिगत रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में योजना को प्रदेश के 50 ग्रामों में चलाया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस धनराशि में से 50 प्रतिशत अर्थात् 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से धनराशि आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), नई दिल्ली द्वारा ऋण स्वरूप दी जायेगी। शेष 50 प्रतिशत अर्थात् 1000 रु0 की धनराशि शासन द्वारा अनुदान स्वरूप दी जायगी। योजना के अधीन वितरित ऋण की अदायगी लाभार्थियों से किसान विकास-पत्र के रूप में ऋण की धनराशि का लगभग 50 प्रतिशत जमा करायी जायेगी। वर्ष 1990-91 हेतु प्रत्येक ग्राम हेतु 4 लाख रुपये की योजना है जिसमें से 2 लाख रुपया अनुदान स्वरूप राज्य से एवं 2 लाख ऋण स्वरूप हुडको से प्राप्त करके उपलब्ध करायी जायगी। वर्ष 1990-91 में सम्पूर्ण योजना पर 1,00,00,000 रु0 का अनुदान के रूप में व्यय होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-आयोजनागत--	
102--सामुदायिक विकास--	
24--ग्रामीण आबादी पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पर्यावरण हेतु अनुदान--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,00,00

क्षेत्र समिति के ब्लाक प्रमुखों का प्रशिक्षण तथा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में प्रदेश के ब्लाक प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ प्रमुखों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम वर्ष में प्रदेश के 13 मण्डलों में 10 गोष्ठियों को आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें लगभग 30 प्रमुख, उप प्रमुख व कनिष्ठ प्रमुख एक गोष्ठी में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार 10 गोष्ठियों में 600 प्रमुख, उप प्रमुख तथा कनिष्ठ प्रमुखों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। प्रमुखों, उप प्रमुखों का प्रशिक्षण राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब तथा गांव स्तर पर पंचायतीराज के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश में स्वतंत्र रूप से कार्यरत 1 जिला ग्राम्य विकास संस्थानों तथा 22 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों का प्रशिक्षण भी राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार प्रशिक्षण देने हेतु 2,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है।

इसके अतिरिक्त राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ मानव संसाधन विकास तथा महिला कल्याण पोषण तथा बाल विकास संकाय की स्थापना प्रस्तावित है। निर्धारित माप दण्ड के अनुसार प्रत्येक संकाय में अध्यक्ष संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी होंगे तथा इसके अतिरिक्त एक सहायक निदेशक, एक शोध सहायक, एक आशुलिपिक तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था है। इन संकायों के स्थापना पर वर्ष 1990-91 में 2,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम सं0	पदनाम	वेतन मान	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक	.. .. ..	2
2	सहायक निदेशक	.. .. ..	2
3	शोध सहायक	.. .. ..	2
4	आशुलिपिक	.. .. ..	2
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	.. .. ..	4

(ख) साज-सज्जा भंडार के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि
	रु0
फर्नीचर, कार्यालय, साज-सज्जा, टाइपराइटर, लेखन-सामग्री ..	2,00,000
एजेन्सी तथा अन्य भत्ते आदि	50,000

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--

102—सामुदायिक विकास

10--राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब लखनऊ--

33—अन्य व्यय .. 5,00

पठारी क्षेत्र की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना

प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष उपकरण सीमित संख्या में होने के कारण वांछित संख्या में सिंचाई साधन का निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है। आगरा, इटावा तथा फतेहपुर जनपद के गहरे एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में जहां हैण्ड सेट्स से बोरिंग सम्भव नहीं हो पाती सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह आवश्यक है कि आगरा जनपद के लिये एक डी0 टी0 एच0 रिग तथा इटावा और फतेहपुर जनपद को तात्कालिक रूप से एक एक डी0 सी0 रिग उपलब्ध कराई जाय ताकि इन क्षेत्रों में गहरी बोरिंग कर कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित एक डी0 टी0 एच0 रिग तथा दो डी0 सी0 रिग के क्रय पर कुल 82,70,000 लाख रुपये के अनावर्तक व्यय तथा उसके संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ के वेतन भत्तों आदि पर 7,19,000 लाख रुपये आवर्तक व्यय का अनुमान है। अत: वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 89,89,000 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम				वेतन क्रम	पदों की संख्या
					रु0	
1	सहायक अभियन्ता	..	..	..	2200-4000	
2	फोरमैन	..	..	..	1640-2900	
3	ड्रिलर	..	..	..	1400-2300	
4	मैकेनिक	..	..	..	1400-2300	
5	वरिष्ठ लिपिक	..	..	..	1200-2040	
6	कनिष्ठ लिपिक	..	..	..	950-1500	
7	एयर कम्प्रेशर चालक	..	..	..	950-1500	
8	वेल्डर आपरेटर	..	..	..	950-1500	
9	ट्रक चालक	..	..	..	950-1500	
10	ट्रैक्टर चालक	..	..	..	950-1500	
11	जीप चालक	..	..	..	950-1500	
12	हेल्पर	..	..	..	775-1025	
13	ट्रक क्लीनर	..	..	..	750-940	
14	मेट	..	..	..	750-940	
15	अर्दली	..	..	..	750-940	
16	चपरासी	..	..	..	750-940	

(ख) सज्जा/भण्डार/मशीन/गाड़ियों इत्यादि के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	उपकरण का नाम			डी0 टी0 एच0 रिग उपकरण की संख्या	डी0 टी0 एच0 रिग वांछित धनराशि	डी0 सी0 रिग उपकरण की संख्या	डी0 सी0 रिग वांछित धनराशि
1	रिग एकसेरीज सहित	..	..	1	20,00	2	3[illegible]
2	एयर कम्प्रेसर	..	..	..	..	2	
3	ट्रक	..	..	1	3,50	2	
4	ट्रैक्टर ट्राली सहित	..	..	1	1,40	2	
5	वेल्डिंग सेट	..	..	1	80	2	
6	वाटर वैन वर्टेकर	..	..	..	..	2	
7	छोलदारी आदि	..	..	..	50	..	
8	जीप	..	..		..	1	
			योग ..		26,20		

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2702--लघु सिंचाई-आयोजनागत--

80--सामान्य--

(लाख रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

07--पठारी क्षेत्रों को लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना

01--वेतन	3,62
03--महंगाई भत्ता	1,23
04--यात्रा व्यय	54
05--अन्य भत्ते	36
06--कार्यालय व्यय	25
11--किराया, उपशुल्क और कर	24
20--मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र	81,20
21--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,50
22--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	75
33--अन्य व्यय	20
योग ..	89,89

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. D-5452
Date 3/12/90

खेल विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--(आयोजनागत)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना	30	..	..	30	2204-खेल और युवा कल्याण	39 प
2	भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता	60	..	..	60	तदैव	39 प
3	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था	10,00	..	..	10,00	तदैव	39 प
4	क्रीड़ा एवं खेलकूद एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों हेतु अनुदान	4,00	..	..	4,00	तदैव	40 प
5	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार	2,00	..	..	2,00	तदैव	40 प
6	खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति	19,60	..	...	19,60	तदैव	40 प
7	केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर पर व्यय	4,00	..	..	4,00	तदैव	41 प
8	क्रीड़ा प्रशिक्षण ..	20,00	..	..	20,00	तदैव	41 प
9	क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	56,00	..	..	56,00	तदैव	42 प
10	खेलकूद विभाग के 3 मण्डलीय मुख्यालयों हेतु तीन डीजल चालित जीप एवं तीन चालक (ड्राइवरों) के पदों की व्यवस्था	5,00	..	..	5,00	तदैव	42 प
11	निदेशालय भवन की पहली मंजिल पर कमरों का निर्माण	..	2,50	..	2,50	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	42 प
12	स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के ध्यान चन्द स्टेडियम में डारमेट्री का निर्माण	..	10,00	..	10,00	तदैव	43 प
	योग ..	1,21,50	12,50	..	1,34,00		

विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना

विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना पूर्व से संचालित है। इसे अष्टम पंचवर्षीय योजनावधि में भी कार्यान्वित करना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन खिलाड़ियों को, जिन्होंने प्रदेश का नाम खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठाया है लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों को लक्ष्मण की एक प्रतिमा एवं प्रत्येक को दो वर्ष के लिए 150 रु० प्रतिमाह दिया है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 30,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,000 रु० (आवर्तक) का प्राविधान सम्मिलित कर लिया गया है।

2--व्यय के अनुमान--

		रु०
(क)	कुल परिव्यय वर्ष 1990-95	2,00,000
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	50,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2204-खेल और युवा कल्याण-- (हजार रुपयों में)

104-खेलकूद--

13-विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30

भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि को इस योजना की आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के भूतपूर्व खिलाड़ियों को, जो प्रदेशीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े खिलाड़ी है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासन द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 250 रुपया, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 350 रुपया एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 500 रुपया प्रतिमाह की आर्थिक सहायता एक वर्ष तक दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुछ अन्य नये खिलाड़ियों को भी आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। अत: न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान:--

		रु०
(क)	कुल परिव्यय वर्ष (1990-95)	3,00,000
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	60,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2204-खेल और युवा कल्याण-- (हजार रुपयों में)

104-खेलकूद--

06-भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों की वित्तीय सहायता

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 60

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था।

इस समय लगभग 23 खेलों में प्रदेशीय टीमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेती है इन टीमो के खिलाड़ियों को किट की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। किट की सुविधा प्रदान करने से निश्चय ही खिलाड़ियों का भी उत्साह वर्धन होगा तथा उनमें खेल के प्रति अधिक रुचि पैदा होगी फलस्वरूप प्रदेश की गरिमा भी बढ़ेगी। सभी खेलों में प्रदेशीय टीमों के भाग लेने पर सभी बालक/बालिकाओं हेतु किट की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इस हेतु 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में तदनुसार 10,00,000 रु० (आवर्तक) की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है।

2--व्यय के अनुमान--

		रु०
(क)	कुल परिव्यय (1990-95)	50,00,000
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	10,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2204-खेल और युवा कल्याण-- (हजार रुपयों में)

104-खेलकूद

(-) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था-

33--अन्य व्यय 10,00

क्रीड़ा एवं खेलकूद एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों हेतु अनुदान

सप्तम पंचवर्षीय योजनाकाल की इस योजना को अष्टम पंचवर्षीय योजना 1990-95 में भी कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु अनुदान देने की व्यवस्था है तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक प्राप्त करने वाले प्रदेशीय खिलाड़ियों को क्रमश: 1.00 लाख रुपया, 50,000 रु० एवं 25,000 रु० नगद पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है। प्रतियोगियों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1999-91 में रुपया 4,00,000 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2---व्यय के अनुमान--

	रु०
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	29,50,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	8,00,000

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2204--खेल और युवा कल्याण--- (हजार रुपयों में)

104--खेलकूद---

24--क्रीड़ा एवं खेलकूद एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों हेतु अनुदान

14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,00

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार।

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल की इस योजना को अष्टम पंचवर्षीय योजना में भी कार्यान्वित करना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में जिन बालक, बालिकाओं को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त होते हैं उन्हें पुरस्कार स्वरूप नकद धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उदीयमान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिससे खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा उठता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रु० को व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2---व्यय के अनुमान---

	रु०
(क) कुल परिव्यय वर्ष (1990-95)	16,25,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	5,00,000

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2204--खेल और युवा कल्याण--- (हजार रु० में)

104--खेलकूद---

21--राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति।

सप्तम पंचवर्षीय योजनावधि की इस योजना को अष्टम पंचवर्षीय योजना काल में चलाया जाना प्रस्तावित है। खेलकूद के समुचित विकास के लिये यह आवश्यक है कि क्रीड़ांगनों में प्रत्येक खेल हेतु स्थाई प्रकार के एवं आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हो। बिना उपकरणों के किसी भी खेल को ठीक प्रकार से सम्पन्न किया जाना सम्भव नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में अच्छी तकनीकी द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है अत: यह आवश्यक है कि अच्छे प्रकार के उपकरण क्रीड़ांगनों में उपलब्ध कराये जायें। इससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा उठेगा और वह अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर स्थित क्रीड़ांगनों में स्थाई प्रकार के उपकरणों की अधिक आवश्यकता है साथ ही साथ कुछ अस्थाई प्रकार के उपकरण भी क्रय किये जाते हैं। इस आधार पर योजना के अन्तर्गत 18,60,000 रुपये की धनराशि जिला सेक्टर में एवं 1,00,000 रु० की धनराशि राज्य सेक्टर में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 19,60,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--व्यय के अनुमान--

	रु०
(क) कुल परिव्यय वर्ष (1990-95)	1,31,35,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय ..	35,00,000

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2204--खेल और युवा कल्याण--

104--खेलकूद-- (हजार रुपयों में)

16--खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति--

25--सामग्री और सम्पूर्ति (राज्य योजना)	1,00
(17) खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति	
25---सामग्री और सम्पूर्ति (जिला योजना) ..	18,60
योग	19,60

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर पर व्यय ।

सप्तम पंचवर्षीय काल की इस योजना को अष्टम पंचवर्षीय योजना में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत माह मई और जून में विभिन्न खेलों में एक माह के लिये प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया जाता है। इन शिविरों के अन्तर्गत प्रदेश के बालकों/बालिकाओं को चयनित करके उन्हें वैज्ञानिक ढंग से उच्च तकनीक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण में आये बालक/बालिकाओं को नि: शुल्क भोजन/आवास सुविधा एवं यात्राओं की सुविधा तथा स्पोर्टस शर्ट प्रदान की जाती है। यह योजना भारत सरकार से सहायता प्राप्त योजना है तथा भारत सरकार द्वारा योजना अधीन 1,00,000 रु0 की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1990-91 में इस योजना हेतु 4,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के 4,00,000 रु0 की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—व्यय क अनुमान— रु0

(क) कुल परिव्यय (1990-95) .. 28,00,000

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 7,00,000

(ग) व्यय का वर्षवार विभाजन--

3— आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2204-—खेल और युवा कल्याण--

104--खेलकूद--

15--केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर पर व्यय--

33—अन्य व्यय 4,00

4- भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

धनराशि (हजार रुपयों में)		लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
	2	3	4
सहायता ..	1,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 02--राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 23—खेल— 2301--क्रीड़ा एवं खेलकूद	प्रोत्साहन स्वरूप भारत सरकार अधिकतम 1,00,000 रु0 अनुदान देती हैं।

क्रीड़ा प्रशिक्षण ।

सप्तम पंचवर्षीय योजनाकाल की इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक क्रीड़ांगन में वर्ष भर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है साथ ही इसके अन्तर्गत क्रीड़ाधिकारियों एवं प्रशिक्षकों को एन0 आई0 एस0, पटियाला के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भेजने, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व प्रदेशीय टीमों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने, एन0 आई0 एस0 पटियाला में प्रशिक्षित खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने तथा प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी ढंग से प्रशिक्षण दिलाने हेतु विदेशों से प्रशिक्षकों को बुलाये जाने से सम्बन्धित व्यय के वहन करने की व्यवस्था है। इस समय प्रदेश के लगभग सभी जिलों में क्रीड़ांगनों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रत्येक क्रीड़ांगन में विभाग का एक अधिकारी नियुक्त है। तदनुसार वर्ष 1990-91 की वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए 20,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है 1990-91 के आय-व्ययक में 20,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायेगी।

2--व्यय के अनुमान-- रु0

(क) कुल परिव्यय वर्ष (1990-95) 1,30,00,000

(ख) अंतिम आवर्तक व्यय 34,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2204--खेल और युवा कल्याण-- (हजार रुपयों में)

104--खेलकूद--

23--प्रशिक्षण--

33--अन्य व्यय 20,00

क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ।

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल को इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी क्रियान्वित करना प्रस्तावित है यह राज्य एवं जिला सेक्टर की योजना है । इस योजना के अन्तर्गत महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालकों की विभिन्न जिला एवं मण्डलीय, प्रदेशीय एवं अखिल भारतीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोज साइकिल रेस एवं क्रास कंट्री रेस आदि की प्रतियोगितायें कराई जाती हैं । इसके अतिरिक्त अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगितायें शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगितायें भी कराई जाती हैं । इस योजना के अन्तर्गत इन्दिरा मैराथन रेस, सैय्यद म बैडमिन्टन प्रतियोगिता, अखिल भारतीय के0 डी0 सिंह बाबू प्रतियोगिता, अखिल भारतीय महिला हाकी प्रतियोगिता, अखिल भारतीय फुटबाल आमन्त्रण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है । बढ़ते हुए कार्यकलापों के आधार पर इस यो के अन्तर्गत जिला सेक्टर में 18.00 लाख रु0 एवं राज्य सेक्टर हेतु 38.00 लाख रु0 के व्यय का अनुमान है। 1990-91 हेतु आय-व्ययक में 56,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-- व्यय के अनुमान--

	रु
(क) कुल परिव्यय वर्ष (1990-95)	3,76,00,
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	95,00,

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2204--खेल और युवा कल्याण--

104--खेलकूद--

12--क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (जिला सेक्टर)--	
33--अन्य व्यय	18.
13--क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (राज्य सेक्टर)--	
33--अन्य व्यय	38
योग ..	56

खेलकूद विभाग के 3 मण्डलीय मुख्यालयों हेतु तीन डीजल चालित जीप एवं तीन चालक (ड्राइवरों) के की व्यवस्था ।

सातवीं योजनाकाल में छ: मण्डलीय मुख्यालयों हेतु एक-एक डीजल चालित जीप एवं एक-एक ड्राइवर के पद की व्यवस्था जा चुकी है । आठवीं योजनाकाल के प्रथम वर्ष में वाराणसी, झांसी तथा फैजाबाद के मण्डलीय मुख्यालयों हेतु एक-एक डीजल चा जीप का क्रय एवं ड्राइवर के 3 पदों के सृजन का प्रस्ताव है । इन तीन डीजल चालित जीप एवं तीन ड्राइवर [वेतनमान 950-15 के अस्थायी पद सृजन हेतु वर्ष 1990-91 में कुल 5,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है जिस हेतु वर्ष 1990 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2204--खेल और युवा कल्याण-- (हजार रुपयों

001--निदेशन एवं प्रशासन--

01--प्रदेश में खेलकूद निदेशालय की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	20
03--महंगाई भत्ता	10
05--अन्य भत्ते	5
06--मोटर गाड़ियों का क्रय	4,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल का खरीद ..	15
योग ..	5,00

निदेशालय भवन की पहली मंजिल पर कमरों का निर्माण ।

निदेशालय स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों के बैठने की उचित व्यवस्था हेतु निदेशालय भवन की पहली मंजिल प कमरों एवं एक शौचालय का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इसके निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम से आगणन के आधार पर 2,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,50,00 की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है । व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

03--खेल और युवा सेवायें और खेल स्टेडियम--

800--अन्य व्यय

(-) निदेशालय भवन की पहली मंजिल पर कमरों का निर्माण--

18--बृहत् निर्माण कार्य 2,50

स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के ध्यान चन्द स्टेडियम में डारमेट्री का निर्माण ।

स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में बाहरी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था न होने के कारण कालेज के ध्यान चन्द स्टेडियम में लगे एस्ट्रो टर्फ का उपयोग जितना होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। स्पोर्ट्स कालेज में लगी एस्ट्रो टर्फ पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। डारमेट्री के अभाव में बाहर से आने वाली टीमों को ठहरने में कठिनाई होती है। अतः स्पोर्ट्स कालेज के ध्यान चन्द स्टेडियम में डारमेट्री का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 1990-91 के बजट में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

03--खेल और युवा सेवायें और खेल स्टेडियम--

800--अन्य व्यय

(--) स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ के ध्यान चन्द स्टेडियम में डारमेंट्री का निर्माण

18--बृहत् निर्माण कार्य 10,00

खाद्य तथा रसद विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला फोरमों की स्थापना	37,15	..	..	37,15	3456-नागरिक पूर्ति	47 प

प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला फोरमों की स्थापना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में जिला फोरम्स स्थापित किये जाने का प्राविधान है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का ज्ञान कराने, शोषण से बचाने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से प्रदेश के शेष 45 मैदानी जिला मुख्यालयों पर जिला फोरम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990–91 म इस योजना पर कुल 37,15,000 रु0 का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 37,15,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

3456—नागरिक पूर्ति–आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

001—निदेशन और प्रशासन—

02—उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय—

01—वेतन	7,00
03—महंगाई भत्ता	2,50
04—यात्रा व्यय	1,50
05—अन्य भत्ते	1,75
06—कार्यालय व्यय	2,75
11—किराया उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	4,25
16—सेवा सत्कार अतिथि व्यय—व्यय विषयक भत्ता आदि ..	2,15
33—अन्य व्यय	15,25
योग ..	37,15

गन्ना विकास विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
2	3	4	5	6	7	8
गन्ना विकास						
स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ने का हानिकारक कीटों से नियंत्रण	10,00	..	..	10,00	2401-कृषि कार्य	51 प
नयी चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास	15,00	..	..	15,00	तदैव	51 प
अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण	2,00,00	..	..	2,00,00	तदैव	51 प
गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराने की योजना	6,30	..	..	6,30	तदैव	52 प
उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास योजना	1,48,00	..	..	1,48,00	तदैव	52 प
उर्वरक कार्यक्रम के सघनीकरण की योजना	2,90	..	..	2,90	2408-खाद्य भण्डारण और भण्डागारण	53 प
आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी गन्ना समितियों के प्रबंधकीय (मैनीजिरियल) तथा आपूर्ति व्यवस्था के आधुनिकीकरण व्यय सम्बन्धी शासकीय अंशदान	50,00	..	..	50,00	तदैव	53 प
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् (साइन्स एण्ड टेक्नालोजी कम्पोनेन्ट) को अनुदान	35,00	..	..	35,00	2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	53 प
योग (क) ..	4,67,20	..	..	4,67,20		
चीनी उद्योग						
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय	..	12,00,00	..	12,00,00	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	54 प
सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन	..	13,00,00	..	13,00,00	तदैव	54 प
योग (ख) ..	..	25,00,00	..	25,00,00		
कुल योग ..	4,67,20	25,00,00	..	29,67,20		

स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ने का हानिकारक कीटों से नियन्त्रण

गन्ने की फसल को हानिकारक कीटों एवं बीमारियों से बचाने के लिये प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों द्वारा कीट बीमारियों के नियंत्रण हेतु व्यापक अभियान चलाया जाता है जिसके लिये सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र में हवाई एवं स्थलीय विधि द्वारा कीट नियंत्रण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अष्टम पंच-वर्षीय योजनावधि में इस योजना के क्रियान्वयन पर 1,20,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2401--कृषि कार्य-आयोजनागत--	
107--पौध संरक्षण--	
02--स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ना कीट महामारियों के नियंत्रण की योजना--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	9,00
04--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--	
0402--स्थलीय एवं हवाई विधि द्वारा गन्ना कीटों के नियंत्रण की योजना--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,00
योग ..	10,00

नयी चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास

प्रदेश में स्थापित की जाने वाली नई चीनी मिलों का निर्माण पूर्ण होने के समय उनके लिये सुरक्षित क्षेत्र से मिलों की सम्पूर्ण पेराई की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक चीनी मिल के लिये एक विकास इकाई स्थापित की जाती है। इकाई में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना व्यय को वहन करने हेतु संबधित चीनी मिलों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। नई विकास इकाईयों के लिये विभिन्न संवर्ग के 41 पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में योजनान्तर्गत 15,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी :

2--व्यय के अनुमान--	रु०
(क) कुल परिव्यय (1990-91)	15,00,000
(ख) अंतिम आवर्तक व्यय	21,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2401--कृषि कार्य-आयोजनागत--	
108--वाणिज्यिक फसलें--	
03--चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	15,00

अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण

चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ना कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ने की सुलभ आपूर्ति कराये जाने के लिये अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निमाणार्थ 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहा है। अष्टम पंचवर्षीय योजनावधि में इस योजना के लिये कुल 10,90,00,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 2,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय के अनुमान--	रु०
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	10,90,00,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	2,30,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2401--कृषि कार्य-आयोजनागत--	
108--वाणिज्यिक फसलें--	
07--अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,00,00

गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यन्त्र उपलब्ध कराने की योजना।

आधुनिक गन्ने की खेती में उन्नतिशील गन्ने की प्रजातियों की स्वस्थ फसल एवं अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कोटि के कृषि रक्षा यन्त्रों को क्रय करके अनुदानित दरों पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। कृषि रक्षा यन्त्रों के मूल्य का 25 प्रतिशत सीमान्त कृषकों को तथा 33-1/3 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जातियों के कृषकों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। अष्टम् पंचवर्षीय योजनावधि में 55,70,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 6,30,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,30,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2-- व्यय के अनुमान--

	रु0
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	55,70,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	16,40,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2401—कृषि कार्य—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

107—पौध संरक्षण—

03—गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर गन्ना रक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 5,40

04—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—

0401—गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर गन्ना रक्षा यंत्र उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 90

योग .. 6,30

उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास योजना।

प्रदेश में चीनी का अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार गन्ना बीज उत्पादन, गन्ने के उन्नतिशील बीज को सुदूर अंचल के ग्रामों में सामान्य कृषकों एवं अनुसूचित जाति/जन-जाति के कृषकों को उपलब्ध कराने, बीज यातायात पर अनुदान देने, गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों एवं फसलों पर लगने वाली बीमारियों के नियंत्रण हेतु भूमि उपचार, बीज उपचार एवं पेड़ी गन्ने की उत्पादकता में सुधार के लिए यूरिया, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने, चीनी मिलों के 16 कि0 मी0 परिधि क्षेत्र में सघन गन्ना विकास, फील्ड प्रदर्शन के माध्यम से सुधरी हुई खेती के प्रयोग की जानकारी कृषकों को देने आदि कार्यक्रम उक्त योजना में सम्मिलित किये गये हैं। वर्ष 1990-91 में गन्ना बीज के यातायात पर छोटे एवं सीमान्त कृषकों को 2 रु0 प्रति कुन्तल तथा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कृषकों को 4 रु0 प्रति कुन्तल अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आधार एवं प्राथमिक पौधशालायें रखे जाने के लिए अनुदान निम्न प्रकार प्रस्तावित है—

पौधशाला का प्रकार		अनुदान	
		सामान्य (रु0 प्रति हेक्टेयर)	अनुसूचित जाति/ जन-जाति (रु0 प्रति हेक्टेयर)
		रु0	रु0
1—आधार गन्ना बीज पौधशाला	..	1,000	2,000
2—प्राथमिक गन्ना बीज पौधशाला	..	500	1,000

चीनी मिलों के 16 कि0मी0 परिधि क्षेत्र में भूमि उपचार, बीज उपचार एवं पेड़ी छिड़काव आदि पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान स्वरूप कृषकों को दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में योजनान्तर्गत 1,48,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,48,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2401—कृषि कार्य—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

108—वाणिज्यिक फसलें—

06—उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) .. 1,33,52

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता

08—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

0801—उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 14,48

योग .. 1,48,00

उर्वरक कार्यक्रम के सघनीकरण की योजना ।

गन्ने की फसल की उत्पादकता एवं उसमें वृद्धि हेतु दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों के गन्ना कृषकों को समय पर खाद, रासायनिक तथा कीटनाशक औषधियों की आपूर्ति तथा प्रचुर मात्रा में उनके भण्डारण और सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था हेतु चीनी मिल क्षेत्रों की सहकारी गन्ना समितियों के पास भण्डारण की सुविधा होना आवश्यक है । वर्तमान समय में गन्ना के क्षेत्रफल में हो रही सतत वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त भण्डार गृहों का निर्माण आवश्यक है । भण्डार गृह की कुल निर्माण लागत का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में सहकारी गन्ना समितियों को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लिये आठवीं पंचवर्षीय आयोजनावधि में 20,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है । वर्ष 1990-91 में 8 खाद गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है जिन पर 2,90,000 रुपये का व्यय अनुमानित है । तदनुसार आय-व्ययक में 2,90,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2--व्यय के अनुमान--- रु0

(क) कुल परिव्यय वर्ष (1990-95)	.. ..	20,00,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	.. ..	5,10,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2408--खाद भण्डारण और भण्डागारण--- (हजार रुपयों में)

02--भण्डारण तथा भण्डागारण--

800--अन्य व्यय--

01--उर्वरक कार्यक्रम के सघनीकरण की योजना (जिला योजना)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,90

आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी गन्ना समितियों के प्रबंधकीय (मैनीजिरियल) तथा आपूर्ति व्यवस्था व आधुनिकीकरण व्यय सम्बन्धी शासकीय अंशदान ।

सहकारी गन्ना समितियां अपने सदस्य कृषकों को 20 रु0 के अंशक पर 1,500 रु0 का ऋण उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार ये समितियां अपने सदस्यों को दिये जा रहे ऋण पर 1.33 प्रतिशत अंश ही जमा कराती हैं किन्तु उन्हें सहकारी बैंकों को 5 प्रतिशत की सीमा पर अंशदान देना पड़ता है । पुरानी चीनी मिलों की पेराई क्षमता कम हो जाने से समितियों को मिलों से कम कमीशन प्राप्त हो रहा है, इससे गन्ना समितियों की आर्थिक दशा क्षीण होती जा रही है । इस लिए इन कृषक हितैषी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार 20 कमजोर समितियों को अंशदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 1990-91 में 50,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तदनुसार आय-व्ययक में 50,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2408--खाद भण्डारण और भाण्डागारण--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--भण्डारण तथा भाण्डागारण--

800--अन्य व्यय--

02--आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी गन्ना समितियों के प्रबंधकीय (मैनीजीरियल) तथा आपूर्ति व्यवस्था के आधुनिकीकरण व्यय सम्बन्धी शासकीय अंशदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 50,00

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् (साइन्स एण्ड टेक्नालाजी कम्पोनेन्ट) को अनुदान ।

प्रदेश में गन्ने की फसल सम्बन्धी शोध कार्य तथा फसल परिणामों का गन्ना किसानों के खेतों पर सही कार्यान्वियन हेतु गन्ना शोध परिषद् का गठन किया गया है । शोध परिषद् के गठन से गन्ने के अच्छे रस, गुण एवं उपज देने वाली अच्छी जातियां गन्ना कृषकों को उपलब्ध हुई हैं । गन्ने की मिश्रित खेती, खाद एवं रसायनिक उर्वरकों की आनुपातिक मात्रा, बीज की मात्रा, खाद, सूखा एवं पालाग्रस्त खेतों में विलम्ब से बुआई तथा क्षेत्रों के अनुरूप उपयुक्त गन्ने की जातियों के चयन की दिशा में यथोचित प्रगति हुई है। गन्ने के हानिकारक रोगों तथा कीट नियंत्रण की विधियों द्वारा शोध कार्य चल रहा है तथा शरदकाल में काटे गये गन्ने की पेड़ी की सफल फसल प्राप्त करने की दिशा में भी प्रयास जारी है। प्रस्तावित कार्यक्रमों में निहित व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 1990-91 में परिषद् को 35,00,000 रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव है । तदनुसार आय-व्ययक में 35,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2415--कृषि अनुसंधान और शिक्षा--आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

01--कृषि कार्य--

004--अनुसंधान--

02--उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् (साइन्स एण्ड टेक्नालोजी कम्पोनेन्ट) को अनुदान

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 35,00

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय।

उत्तरप्रदेश राज्य चीनी निगम की रुग्ण चीनी मिलों का पुनर्वासिन तथा कम क्षमता की अलाभकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार करने के उद्देश्य से उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की मेरठ, बरेली बैतालपुर तथा घुघली इकाई (गोरखपुर) के आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं क्षमता विस्तार तथा सिसवा बाजार, खड्डा एवं चांदपुर इकाइयों में आसवनियां लगाने, का प्रस्ताव है। निगम की कमजोर चीनी मिल घाटमपुर (कानपुर-देहात) का पुनर्वासन किये जाने का भी प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों पर वर्ष 1990-91 में 12,00,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। प्रस्तावित योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:—

2—व्यय के विवरण—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	(हजार रुपयों में)
1	उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई मेरठ, का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 1219 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक क्षमता विस्तार	2,00,00
2	बरेली इकाई का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 1016 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तार	2,25,00
3	बैतालपुर इकाई (देवरिया) का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 914 से 2500 टी0सी0डी0 तक विस्तारीकरण	2,00,00
4	घुघली इकाई महाराजगंज का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं 982 से 2500 डी0सी0 डी0 तक विस्तारीकरण	2,00,00
5	सिसवा बाजार (गोरखपुर) में आसवनी की स्थापना	60,00
6	खड्डा (देवरिया) आसवनी की स्थापना	60,00
7	चांदपुर (बिजनौर) आसवनी की स्थापना	55,00
8	कमजोर इकाई घाटमपुर (कानपुर) का पुनर्वासन	2,00,00
	योग ..	12,00,00

तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 12,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। विस्तृत परीक्षण के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जायेंगी।

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

04—चीनी—

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—

01—उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के अंशकों का क्रय—

24—निवेश/ऋण 12,00,00

सहकारी चीनी मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन।

यह आवश्यक है कि जहां एक ओर नई चीनी मिलों/आसवनियों की स्थापना की जाय तथा कार्यरत चीनी मिलों को लाभप्रद बनाने हेतु उनकी क्षमता में विस्तार किया जाय, वहीं दूसरी ओर चीनी मिलों एवं आसवनियों के उपोत्पाद/उत्प्रवाह कर उपयोग करने के साथ-साथ उनसे उचित रसायन एवं ऊर्जा उत्पादित की जाय। इससे चीनी उद्योग में एक सर्वांगीण विकास होने के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा एवं ऊर्जा की कठिनाइयों के निवारण में उल्लेखनीय सहयोग चीनी उद्योग सेक्टर से प्राप्त किया जा सकेगा। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1990-91 में स्थापित की जा रही नई चीनी मिल बांसगांव (गोरखपुर) के कार्य को त्वरित करने के साथ-साथ जनपद मुरादाबाद में बहेड़ी, ब्रहमनान (मुरादाबाद) तथा चिलवारिया (बहराइच) में 2500 टी0 सी0 डी0 क्षमता की नई चीनी मिलें स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र की बागपत (मेरठ), अनूपशहर (बुलन्दशहर), महमूदाबाद (सीतापुर), मोरना (मुजफ्फरनगर), गजरौला (मुरादाबाद), पूरनपुर (पीलीभीत) तथा पुवायां (शाहजहांपुर) में कार्यरत चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार किये जाने का भी प्रस्ताव है। सहकारी क्षेत्र में सम्पूर्णानगर (खीरी), मऊ आसवनी के प्रारम्भ किये गये कार्यों में गति लाने एवं बागपत (मेरठ) तथा महमूदाबाद (सीतापुर) में आसवनी स्थापना के कार्यक्रम के साथ-साथ इन सभी आसवनियों में उत्प्रवाह के उपयोग हेतु इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1990-91 में 13,00,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित हैं।

2—व्यय का विवरण—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	(हजार रुपयों में)
1	2	3
1	बांसगांव (गोरखपुर) में 2500 टी0 सी0 डी0 की नई चीनी मिल स्थापना	3,65,00
2	बहेड़ी-ब्रह्मनान (मुरादाबाद) में 2500 टी0 सी0 डी0 की नई चीनी मिल स्थापना ..	25,00
3	चिलवारिया (बहराइच) में 2500 टी0 सी0 डी0 की नई चीनी मिल स्थापना	25,00
4	बागपत (मेरठ) चीनी मिल की क्षमता में 1800 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तार ..	1,12,00
5	महमूदाबाद (सीतापुर) चीनी मिल की क्षमता में 1250 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तार ..	85,00
6	अनूपशहर (बुलन्दशहर) चीनी मिल की क्षमता में 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तार ..	1,33,00
7	मोरना (मु0 नगर) चीनी मिल की क्षमता में 1250 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तार ..	50,00
8	गजरौला (मुरादाबाद) चीनी मिल की क्षमता में 1250 से 2500 टी सी0 डी0 तक विस्तार ..	50,00
9	पूरनपुर (पीलीभीत) चीनी मिल की क्षमता में 2500 टी0 सी0 डी0 क्षमता विस्तार ..	50,00
10	पुवायां (शाहजहांपुर) चीनी मिल की क्षमता में 1250 से 2500 टी0 सी0 डी0 तक विस्तार ..	50,00
11	सम्पूर्णानगर (खीरी) आसवनी की स्थापना 1,30,000 लीटर प्रतिदिन	60,00
12	घोसी, मऊ (आसवनी की स्थापना क्षमता 30,000 लीटर प्रतिदिन)	95,00
13	बागपत (मेरठ) आसवनी की स्थापना क्षमता 60,000 लीटर प्रतिदिन	25,00
14	महमूदाबाद (सीतापुर) आसवनी की स्थापना क्षमता 60,000 लीटर प्रतिदिन	25,00
15	सम्पूर्णानगर (खीरी) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई की स्थापना	25,00
16	घोसी (मऊ) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई की स्थापना	75,00
17	बागपत (मेरठ) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई की स्थापना	25,00
18	महमूदाबाद (सीतापुर) आसवनी में उत्प्रवाह के उपयोग की इकाई की स्थापना	25,00
	योग ..	13,00,00

तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 13,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। बिस्तृत परीक्षण के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4860—उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

04—चीनी—

190—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश—

02—सहकारी शक्कर मिलों की अंशपूंजी में सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन—

24—निवेश/ऋण 13,00,00

गृह विभाग (कारागार)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्र- संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मि-लित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला कारागार, गाजियाबाद तथा हरिद्वार के भवनों का निर्माण	..	2,00,00	..	2,00,00	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	59 प

जिला कारागार, गाजियाबाद तथा हरिद्वार के भवनों का निर्माण

जनपद गाजियाबाद तथा हरिद्वार में बन्दियों के रख-रखाव हेतु कोई कारागार नहीं हैं, जिसके कारण जनपदों के बन्दियों को अभी जिला कारागार, मेरठ तथा सहारनपुर में रखना पड़ रहा है, जबकि इन जनपदों में जिला मुख्यालय स्तर पर न्यायालयों का भी गठन किया जा चुका है। फलस्वरूप इन बन्दियों को अपराधी मामलों की सुनवाई हेतु प्रतिदिन जिला कारागार मेरठ एवं सहारनपुर से जिला न्यायालय गाजियाबाद एवं हरिद्वार भेजना पड़ रहा है। बन्दियों के प्रति दिन आवागमन में न केवल अनावश्यक व्यय होता है, अपितु पलायन आदि जैसी दुर्घटनाओं की संभावना तथा स्टाफ असुरक्षा की संभावना बनी रहती है। अत: प्रस्तावित है कि गाजियाबाद तथा हरिद्वार में कारागार, भवन के निर्माण हेतु 2,00,00,000 रु० की अनुमानित लागत पर भूमि अर्जित कर ली जाय। वर्ष 1990-91 में इस हेतु तदनुसार 2,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--					(हजार रुपयों में)
60--अन्य भवन--					
051--निर्माण--					
04--कारागार भवनों का निर्माण--					
18--वृहत् निर्माण कार्य	..	..	..	..	2,00,00

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य भवन), उ0 प्र0 लखनऊ के नव-स्थापित "दन्त कक्ष" के लिए वाहन तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था	1,72	..	..	1,72	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	65 प
2	प्रदेश में रति रोग रुजालयों की स्थापना	1,70	..	..	1,70	तदैव	65 प
3	दानकर्ताओं द्वारा दिये गये दान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1,50	..	..	1,50	तदैव	66 प
4	प्रदेश के 12 जिला परिषदीय चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	15,00	..	..	15,00	तदैव	66 प
5	प्रदेश के तहसील स्तरीय चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डीजल जनरेटरों की स्थापना	53,00	..	..	53,00	तदैव	66 प
6	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र (मैदानी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।	1,21,50	..	..	1,21,50	तदैव	67 प
7	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	1,19,00	..	..	1,19,00	तदैव	68 प
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	50,00	..	..	50,00	तदैव	69 प
9	उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सिविल अभियंत्रण इकाई का सुदृढ़ीकरण।	13,06	..	..	13,06	तदैव	69 प
10	गैर-सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को सहायक अनुदान	10,00	..	..	10,00	तदैव	70 प
11	जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना	25,72	..	..	25,72	तदैव	70 प
12	राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों का प्रसार	2,67	..	..	2,67	तदैव	70 प
13	गैर-सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण	5,00	..	..	5,00	तदैव	71 प
14	ग्रामीण क्षेत्रों में चार शय्यायुक्त 70 राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	67,80	..	..	67,80	तदैव	71 प

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
15	प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 15 शय्यायुक्त 33 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	1,04,51	..	..	1,04,51	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	72 प
16	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	1,20	..	..	1,20	तदैव	72 प
17	गैर-सरकारी आयुर्वेदिक / यूनानी चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान	50	..	..	50	तदैव	73 प
18	जिला अस्पतालों/मुख्यालयों पर कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों का सृजन	10,70	..	..	10,70	तदैव	73 प
19	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त पदों का सृजन	7,33	..	..	7,33	तदैव	73 प
20	होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ में केन्द्रीय होम्योपैथिक औषधि भण्डार की स्थापना	3,30	..	..	3,30	तदैव	74 प
21	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों के लिये अतिरिक्त व्यवस्था	20,45	..	..	20,45	तदैव	75 प
22	हरिजन बस्तियों तथा आदिम जाति क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना	19,50	..	..	19,50	तदैव	75 प
23	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण	7,10	..	..	7,10	तदैव	76 प
24	मेडिकल कालेज, मेरठ के एक प्राइवेट वार्ड संचालनार्थ पदों का सृजन	5,09	..	..	5,09	तदैव	76 प
25	मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को देश विदेश में सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रानुदान	3,00	..	..	3,00	तदैव	76 प
26	मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मेडिसिन विभाग में वाइरल इनसेफलाइटिस के उपचार हेतु उपकरणों की व्यवस्था	5,07	..	..	5,07	तदैव	77 प

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
27	मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर गोरखपुर, मेरठ एवं झांसी की केन्द्रीय लाइब्रेरी हेतु पुस्तकों तथा जर्नल्स का क्रय	12,00	..	..	12,00	2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	77 प
28	हृदय रोग संस्थान कानपुर के लिए एक रोगी वाहन की व्यवस्था	1,45	..	..	1,45	तदैव	77 प
29	मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये एक रोगी वाहन की व्यवस्था	1,45	..	..	1,45	तदैव	77 प
30	प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अति आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था	1,00,00	..	..	1,00,00	तदैव	78 प
31	के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पुस्तकालय के लिये पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय	2,00	..	..	2,00	तदैव	78 प
32	मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, तथा इलाहाबाद में डायलिसिस इकाईयों के लिये एयरकन्डीशनरों की व्यवस्था	3,60	..	..	3,60	तदैव	78 प
33	के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के क्वीनमेरी चिकित्सालय के अन्तर्गत इन्फरटिलिटी क्लीनिक का सुदृढ़ीकरण	4,50	..	..	4,50	तदैव	79 प
34	के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में गोयटर प्रिविलेंस, सर्विलेंस एण्ड प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना	8,30	..	..	8,30	तदैव	79 प
35	जन्म-मृत्यु आंकड़े अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	50	..	..	50	तदैव	79 प
36	उत्तर प्रदेश में जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	12,88	..	..	12,88	तदैव	80 प
37	प्रदेश के मेडिकल कालेजों में वाह्य सहायता से प्राप्त उपकरणों को लगाने के लिए भवनों की व्यवस्था	..	1,00,00	..	1,00,00	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	81
38	प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में जल सम्पूर्ति विद्युत एवं सीवर व्यवस्था में सुधार	..	20,00	..	20,00	तदैव	81 प

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
39	मेडिकल कालेज कानपुर में अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ाये जाने की व्यवस्था	..	5,67	..	5,67	4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	82 प
40	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	..	13,31,03		13,31,03	तदैव	82 प
41	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जलपूर्ति, विद्युतीकरण नवीनीकरण एवं सुधार विस्तार।	..	1,25,48	..	1,25,48	तदैव	82 प
42	जनपद वस्ती में 500 शय्यायुक्त आधुनिक अस्पताल के भवन के लिए भूमि का क्रय	..	1,00,00	..	1,00,00	तदैव	82 प
43	नव सृजित जनपदों सिद्धार्थनगर सोनभद्र, महराजगंज एवं मऊ मुख्यालय पर 100 शय्यायुक्त जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण	..	6,00,00	..	6,00,00	तदैव	83 प
44	उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन	..	20,00	..	20,00	तदैव	83
45	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	..	20,00	..	20,00	तदैव	83
46	राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण	..	75,36	..	75,36	तदैव	83
47	प्रदेश के जनपदों में होमियोपैथिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण	..	18,02	..	18,02	तदैव	84 प
48	उपकेन्द्र भवनों का निर्माण	..	54,00	..	54,00	तदैव	84 प
49	मेडिकल कालेज, आगरा के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में गामा कैमरा हेतु कक्ष का निर्माण	..	5,08	..	5,08	तदैव	84
	योग ..	8,22,10	24,74,64	..	32,96,74		

महानिदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवायें एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य भवन) उ0 प्र0, लखनऊ में नव स्थापित दन्त कक्ष के लिये वाहन तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था।

महानिदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवायें एवं परिवार कल्याण (स्वास्थ्य भवन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ में "दन्त कक्ष" की स्थापना की जा चुकी है। वाहन के अभाव में प्रशासनिक कार्यों में असुविधा हो जाती है साथ ही साथ सरकारी कार्य के निस्तारण में भी अनावश्यक विलम्ब होता है। अत: कार्यहित में प्रदेश में नव स्थापित "दन्त कक्ष" के लिये वाहन तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 56,000 रु0 के आवर्तक तथा 1,16,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अर्थात् कुल 1,72,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,72,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	वाहन चालक	950—1500	1
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750—940	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य—
01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—
001—निदेशन और प्रशासन—
01—निदेशन—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	15
03—महंगाई भत्ते	9
05—अन्य भत्ते	5
07—टेलीफोन पर व्यय	15
08—गाड़ियों का क्रय	1,16
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12
योग ..	1,72

प्रदेश में रति रोग रुजालयों की स्थापना।

जनपद जालौन, बदायूं तथा सोनभद्र में रति रोग नियंत्रण हेतु जिला चिकित्सालय स्तर पर रति रोग रुजालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन रति रोग रुजालयों की स्थापना पर वर्ष 1990-91 में 1,70,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। इसमें 51,000 रु0 का व्यय अनावर्तक मदों के सम्बन्ध में है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 1,70,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--
01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--
110--अस्पताल तथा औषधालय--
21--चिकित्सालयों और औषधालयों में रति रोग रुजालयों की स्थापना (जिला योजना)--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	62
03--महंगाई भत्ता	25
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	14
06--कार्यालय व्यय	4
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	51
33--अन्य व्यय	9
योग ..	1,70

दानकर्ताओं द्वारा दिये गये दान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

आठवीं पंच- वर्षीय योजना के अन्तर्गत दानकर्ताओं द्वारा नकद धनराशि, भवन जमीन आदि के रूप में दी गयी **सहायता से वर्ष 1990-91** में प्रदेश के **मैदानी** ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। योजना **के अन्तर्गत वर्ष** 1990-91 में 1,50,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,50,000 रुपये का प्राविधान कर लिया गया है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी--

110-अस्पताल और औषधालय-दान के समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

01--वेतन	25
03--महंगाई भत्ता	12
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	15
06--प्रकीर्ण व्यय	15
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50
33--अन्य व्यय	23
योग	1,50

प्रदेश के 12 जिला परिषदीय चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण।

प्रदेश में कार्यरत जिला परिषदीय चिकित्सालयों की जर्जर स्थिति सुधारने तथा ग्रामीण जनता को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रस्तावित है कि वर्ष 1990-91 में 12 जिला परिषदीय चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया जाय। इन चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण में वर्ष 1990-91 में 9.75 लाख रुपये का आवर्तक व्यय तथा 5.25 लाख रुपये का अनावर्तक व्यय अर्थात् कुल 15.00 लाख रुपये का व्यय निहित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 15,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110--अस्पताल और औषधालय--

06--एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों का प्रान्तीयकरण--

01--वेतन	5,00
02--महंगाई भत्ता	2,00
04--यात्रा व्यय	50
05--अन्य भत्ते	1,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5,25
33--अन्य व्यय	1,25
योग ..	15,00

प्रदेश के तहसील स्तरीय चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डीजल जनरेटरों की स्थापना

कभी-कभी अचानक बिजली की आपूर्ति में रुकावट आने के कारण चिकित्सा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है जिस निराकरण हेतु वर्ष 1990-91 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 10 तहसील स्तरीय चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनरेटरों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 10 जनरेटरों की स्थापना, उनके लिये कक्ष निर्माण एवं जनरेटर आपरेटर के पदों के सृजन पर लगभग 53,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 53,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु०	
1	इलेक्ट्रिशियन-कम-जनरेटर आपरेटर	950-1500	10

(ख) साज-सज्जा/भंडार/मशीनों के स्थल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	धनराशि
			रु०
1	जनरेटर	10	47,06,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी--

110--अस्पताल और औषधालय--तहसील स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डीजल जनरेटरों की स्थापना--

01--वतन	28
03--महंगाई भत्ता	11
05--अन्य भत्ते	5
19--लघु निर्माण कार्य	4,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	47,06
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	1,50
योग ..	53,00

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र (मैदानी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबको चिकित्सा उपचार की सुविधायें प्रदान करने के अतिरिक्त रोगों से बचाव तथा स्वास्थ्य रक्षा एवं सम्वर्धनात्मक सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने के प्रयास के तहत एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक तीस हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानक के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 162 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापित करने पर वर्ष 1990-91 में 1,21,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। जिसमें से 1,00,00,000 रु० आवर्तक एवं 21,50,000 रु० अनावर्तक व्यय हेतु है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,21,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-सं०	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	चिकित्साधिकारी	2200-4000	162
2	फार्मेसिस्ट (प्रशिक्षित पुरुष)	1350-2200	162
3	प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य)	950-1500	162
4	ए० एन० एम०	950-1500	162
5	कनिष्ठ लिपिक कम लेखालिपिक	950-1500	162
6	वार्ड ब्वाय ..	750-940	162
7	चौकीदार कम स्वीपर ..	750-940 ..	162

(2) साज/सज्जा तथा फर्नीचर तथा लेबोरेटरी के लिये सामान—

क्रम-संख्या	मद	धनराशि
		रु०
	साज सज्जा तथा फर्नीचर तथा लेबोरेटरी के लिये रिजेन्ट्स इत्यादि का क्रय	21,50,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

एलोपैथी—

110—अस्पताल और औषधालय—

07—नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना—

(जिला योजना)

01—वेतन	39,00
03—महंगाई भत्ता	14,00
04—यात्रा व्यय	10,00
05—अन्य भत्ते	20,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	21,5[illegible]
33—अन्य व्यय	17,0[illegible]
योग,	1,21,5[illegible]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय योजना के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक स्तर प[illegible] एक लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1990-9[illegible] में प्रदेश में विभिन्न जनपदों में 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर कुल 1,19,00,000 रु० का व्य[illegible] अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 1,19,00,000 रु० का प्राविधान कर लिया गया है। स्वीकृति विस्तृत परीक्ष[illegible] के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों [illegible]

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत—

03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—

110—अस्पताल और औषधालय—

08—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना—

01—वेतन	30,[illegible]
03—महंगाई भत्ता	10,[illegible]
04—यात्रा व्यय	
05—अन्य भत्ते	1,[illegible]
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	77,[illegible]
योग	1,19[illegible]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं केन्द्रीय योजना के मानकों के अनुसार ब्लाक स्तर पर पूर्व वर्षों में स्थापित 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुचारु रूप से संचालन हेतु इनका सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है। इन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 1990-91 में 20.45 लाख रु० का आवर्तक तथा 29.55 लाख रु० का अनावर्तक कुल 50,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी--

110--अस्पताल और औषधालय- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	9,00
03--महंगाई भत्ता	5,00
04--यात्रा व्यय	40
05--अन्य भत्ते	31
06--कार्यालय व्यय	91
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	26,55
21--मोटर गाड़ियों की खरीद	3,00
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	50
35--सामग्री और सम्पूर्ति--	
औषधि	2,54
आहार	35
33--अन्य व्यय	1,44
योग	60,00

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सिविल अभियंत्रण इकाई का सुदृढ़ीकरण।

तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की देख-रेख में भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत आदि के कार्यों में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सिविल अभियंत्रण इकाई के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। इस सुदृढ़ीकरण से निर्माण-कार्यों को गति में तेजी आयेगी, सुधार होगा, भवनों की आयु बढ़ेगी एवं उनके अच्छे स्तर को बनाया रखा जा सकेगा साथ ही साथ समयबद्ध योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर कुल 13.06 लाख रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में 13,06,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--

(हजार रुपयों में)

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--एलोपैथी--

001--निदेशन और प्रशासन--

01--निदेशन--

04--स्वास्थ्य अभियंत्रण इकाई का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	3,05
03--महंगाई भत्ता	96
04--यात्रा व्यय	16
05--अन्य भत्ते	31
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	8,32
33--अन्य व्यय	26
योग ..	13,06

गैर सरकारी चिकित्सा संस्थाओं को सहायक अनुदान।

प्रदेश के कतिपय गैर सरकारी चिकित्सा संस्थायें चिकित्सा-उपचार कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अतः यह प्रस्तावित है कि इस प्रकार की संस्थाओं की आंशिक सहायता के रूप में सहायक अनुदान दिया जाये। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी--

800--अन्य व्यय-- (हजार रुपयों में)

0134--गैर-सरकारी चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,00

जिला स्तर पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना।

जिलों में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक तथा आहरण वितरण कार्यों के लिये प्रत्येक जनपद में आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों के स्थापना के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 47 कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आठ और जनपदों में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 11,80,000 रु० आवर्तक तथा 13,92,000 रु० अनावर्तक अर्थात कुल 25,72,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 25,72,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां--

101--आयुर्वेद--

01--निदेशन और प्रशासन--

0102--आयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय और निरीक्षणालय--

01--वेतन	7,05
03--महंगाई भत्ता	2,40
05--अन्य भत्ते	35
06--कार्यालय व्यय	32
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	13,20
11--किराया, उपशुल्क और कर	1,28
20--मशीनें, साजा-सज्जा और उपकरण	72
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	40
योग ..	25,72

राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों का प्रसार।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज, हण्डिया, इलाहाबाद से सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि कालेज में छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कराया जा सके। इस कार्य के लिये वर्ष 1990-91 में 2.67 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,67,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	आर० एम० ओ०	1
2	फार्मेसिस्ट	1
3	सिस्टर	1
4	स्टाफ नर्स	3
5	वार्ड रूम सहायक	1
6	टेक्नीशियन	1
7	भंडारी (स्टोरकीपर)	1
8	वार्ड ब्वाय	2
9	आया	1
10	चौकीदार	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत—
04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां—
101—आयुर्वेद—
01—अस्पताल तथा रुजालय—
0101—आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय और औषधालय—

01—वेतन	1,67
03—महंगाई भत्ता	50
04—यात्रा व्यय	5
05—अन्य भत्ते	25
06—कार्यालय व्यय	30
योग ..	2,67

गैर सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण।

प्रदेश में जिला परिषदीय चिकित्सालयों की दशा ठीक न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा धीरे-धीरे जिला परिषदीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण करके उन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में आठ जिला परिषदीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 3.00 लाख रु० आवर्तक एवं 2.00 लाख रु० अनावर्तक अर्थात् कुल 5,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक मे कर ली गई है। योजना की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत—
04—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—
101—आयुर्वेद—
0103—गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण—

01—वेतन	1,90
03—महंगाई भत्ता	60
05—अन्य भत्ते	20
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,00
25—सामग्री और सम्पूर्ति औषधि	30
योग ..	5,00

ग्रामीण क्षेत्रों में चार शय्यायुक्त 70 राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना।

प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भारतीय चिकित्सा पद्धति से उपचार की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र म -चार शय्यायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र 70 चिकित्सालयों की स्थापना पर 67,80,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक 67,80,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
	चिकित्साधिकारी	..	70
	फ़ार्मेसिस्ट	..	70
	भृत्य	..	70
	स्वच्छक कम चौकीदार	..	70

(ख) मशीनें/साज/सज्जा तथा भंडार आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि
	रु०
साज-सज्जा	17,50,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--
04--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--
--अन्य चिकित्सा पद्धतियां--
101--आयुर्वेद-अस्पताल तथा रुग्णालय--
0101--आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय और औषधालय--

01--वेतन	28,50
03--महंगाई	11,00
05--अन्य भत्ते	1,00
06--कार्यालय व्यय	70
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	17,50
25--औषधि	5,60
33--अन्य व्यय	3,50
योग ..	67,80

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 15 शय्यायुक्त 33 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जन-सामान्य को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 15/25 शय्यायुक्त 109 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय खोले जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 33 और आयुर्वेदिक/यूनानी 15 शय्यायुक्त चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 79,76,000 रु० आवर्तक तथा 24,75,000 रु० अनावर्तक अर्थात् कुल 1,04,51,000 रु० व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--
02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--अन्य चिकित्सा पद्धतियां--
101--आयुर्वेद--
0302--राज्य के शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना--

01--वेतन	43,40
03--महंगाई भत्ता	14,38
04--यात्रा व्यय	9[illegible]
05--अन्य भत्ते	4,2[illegible]
06--कार्यालय व्यय	5,47
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	7,9[illegible]
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	24,7[illegible]
25--सामग्री और सम्पूर्ति-औषधि	4,3[illegible]
योग ..	1,04,51

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण।

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशालय की कार्य क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से एक एलेक्ट्रोस्टेट मशीन क्रय करना प्रस्तावित जिस पर वर्ष 1990-91 में 1,20,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां--

101--आयुर्वेद--

01--निदेशन और प्रशासन--

0101--सुदृढ़ीकरण

06--कार्यालय व्यय 1,20

गैर सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान ।

आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा पद्धति का सम्यक् विकास हेतु गैर-सरकारी आयुर्वेदिक / यूनानी चिकित्सा संस्थाओं के विकास एवं विस्तार कार्य हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस पर वर्ष 1990-91 मे 50,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है । तदनुसार आय-व्ययक में 50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--

02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--

101--आयुर्वेद--

04--अन्य व्यय--गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान--

0401--भारतीय चिकित्सा परिषद्--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 50

जिला अस्पतालों/मुख्यालयों पर कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए महिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों का सृजन ।

प्रदेश के जिला अस्पतालों/मुख्यालयों पर कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में महिला रोगियों की सुविधा हेतु होम्योपैथिक महिला चिकित्साधिकारी का होना आवश्यक है। अत: मैदानी क्षेत्रों के लिये वर्ष 1990-91 में महिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के 53 पद सृजित करने का प्रस्ताव है। इन पदों के सृजन पर वर्ष 1990-91 में 10.70 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 10,70,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-- आयोजनागत--

02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं अन्य चिकित्सा पद्धतियां--

102--होम्योपैथी--

02--अस्पताल और औषधालय-जिला चिकित्सालयों/मुख्यालयों के होम्योपैथिक औषधालयों के लिये होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी (महिला) के पदों का सृजन--

01--वेतन	7,00
03--महंगाई भत्ता . ..	2,00
05--अन्य भत्ते	1,70
योग	10,70

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त पदों का सृजन ।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के अनुरुप शैक्षिक पदों को सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। इन पदों के सृजन पर वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु0 आवर्तक तथा 2,33,000 रु0 अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,33,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--
05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--
102--होम्योपैथी--
01--शिक्षा--
101--राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन ..	3,00
03--महंगाई भत्ता	1,00
04--यात्रा व्यय	13
05--अन्य भत्ते	70
06--कार्यालय व्यय	10
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,33
33--अन्य व्यय	7
योग ..	7,33

होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ में केन्द्रीय होम्योपैथिक औषधि भण्डार की स्थापना।

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सालयों में दवाओं की आपूर्ति समय से सुनिश्चित कराने के लिये प्रदेश स्तर पर एक केन्द्रीय होम्योपैथिक औषधि भण्डार की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 2,80,000 रु० आवर्तक तथा 50,000 रु० अनावर्तक अर्थात् कुल 3,30,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 3,30,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक वर्ष में कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु०	
1	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी (भण्डार)	2200-4000	1
2	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	1
3	लेखा लिपिक	950-1500	1
4	कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक	950-1500	1
5	होम्योपैथिक कम्पाउन्डर	1350-2200	1
6	चपरासी	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--
02--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--अन्य चिकित्सा पद्धतियां--
102--होम्योपैथी--
01--निदेशन और प्रशासन
0101--होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना तथा विस्तार--

01--वेतन	90
03--महंगाई भत्ता	40
04--यात्रा व्यय	4
05--अन्य भत्ते	35
06--कार्यालय व्यय	40
07--टेलीफोन पर व्यय	5
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	36
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50
33--अन्य व्यय	30
योग ..	3,30

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों के लिये अतिरिक्त व्यवस्था।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है। जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये औषधियों अतिरिक्त व्यवस्था की जानी अति-आवश्यक है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 20,45,000 रु० का व्यय निहित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 20,45,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--

04--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--अन्य चिकित्सा पद्धतियां--

102--होम्योपैथी--

0102--राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था--

25--सामग्री और संपूर्ति--औषधि	20,45

हरिजन बस्तियों तथा आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना।

प्रदेश के पिछड़े हरिजन बहुल क्षेत्र तथा पिछड़े जनजाति क्षेत्र में क्रमशः 25 तथा 5 कुल 30 नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना करके निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इन चिकित्सालयों की स्थापना पर 10,000 रुपये प्रति चिकित्सालय की दर से 3.00 रुपये का अनावर्तक व्यय तथा 16.50 लाख रुपये का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 19,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--अन्य चिकित्सा पद्धतियां--

102--होम्योपैथिक--

01--अस्पताल और औषधालय--

0104--हरिजन बस्तियों में खोले जाने वाले होम्योपैथिक चिकित्सालय--

01--वेतन	8,05
03--महंगाई भत्ता	2,50
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	1,50
06--कार्यालय व्यय	24
11--किराया, उपशुल्क/कर स्वामिस्व	16
20--मशीनें, और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,58
25--सामग्री और संपूर्ति औषधि	30
33--अन्य व्यय	75
योग ..	16,10

796--आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना--

01--जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना--

01--वेतन	1,82
03--महंगाई भत्ता	50
04--यात्रा व्यय	4
05--अन्य भत्ते	30
06--कार्यालय व्यय	4
11--किराया, उपशुल्क कर/स्वामिस्व	4
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50
25--सामग्री और संपूर्ति औषधि	6
33--अन्य व्यय	10
योग ..	3,40
कुल योग ..	19,50

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण ।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की आवश्यकता को देखते हुए इनमें मेडिकल एवं पैरा-मेडिकल पदों की संख्या अपर्याप्त है। ये मेडिकल कालेज, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता को और आगे बढ़ाने के लिए तथा केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा इन कालेजों की डिग्री को मान्यता देने के लिए शैक्षिक शिक्षणेत्तर स्टाफ में वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। अतः 1990-91 में मेडिकल, पैरा-मेडिकल एवं चतुर्थ श्रेणी के कतिपय पदों के सृजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पदों के सृजन पर वर्ष 1990-91 में 7,10,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 7,10,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। पदों की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के पश्चात् दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--

05--चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान--

102--होम्योपैथी--

01--शिक्षा-- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों और सम्बद्ध अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	4,54
03--महंगाई भत्ता	1,54
05--अन्य भत्ते	1,02
योग ..	7,10

मेडिकल कालेज, मेरठ के एक प्राइवेट वार्ड संचालनार्थ पदों का सृजन।

मेडिकल कालेज, मेरठ में 50 शैय्याओं का एक प्राइवेट वार्ड बन कर तैयार हो चुका है। इसे कार्यशील बनाने हेतु कतिपय पदों का सृजन किया जाना एवं उसे सुसज्जित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर वर्ष 1990-91 में 1,94,000 रु० का आवर्तक व्यय तथा 3,15,000 रु० का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 5,09,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--मेडिकल कालेज, मेरठ में 50 शैय्याओं के प्राइवेट वार्ड के लिए पदों आदि की व्यवस्था--

01--वेतन	1,40
03--महंगाई भत्ता	34
05--अन्य भत्ते	20
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	3,15
योग ..	5,09

मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को देश विदेश के सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रानुदान।

विगत वर्षों की भांति आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी प्रदेश के एलोपैथिक मेडिकल कालेजों के अध्यापकों को देश विदेश में आयोजित होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रानुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 3.00 लाख रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--

0129--मेडिकल कालेज के अध्यापकों को देश विदेश के सम्मेलनों में भाग लेने हेतु यात्रानुदान--

33--अन्य व्यय	3,00

मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मेडिसिन विभाग में वाइरल इन्सेफलाइटिस के उपचार हेतु उपकरणों की व्यवस्था।

"वाइरल इन्सेफलाइटिस" रोग के नियंत्रण एवं उपचार में काम आने वाले उपकरणों को मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मेडिसिन विभाग को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इन उपकरणों के क्रय में 5,07,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार 5,07,000 रुपये की वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा-शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा-मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मेडिसिन विभाग में वाइरल इन्सेफलाइटिस उपकरणों की व्यवस्था--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5,07

मेडिकल कालेज आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ एवं झांसी के केंद्रीय लाइब्रेरी हेतु पुस्तकों तथा जर्नल्स का क्रय।

प्रदेश के मेडिकल कालेज आगरा इलाहाबाद, कानपुर गोरखपुर, मेरठ एवं झांसी के केन्द्रीय पुस्तकालयों में पुस्तकों और जनर्ल्स की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए उक्त कालेजों को वर्ष 1990-91 में प्रति कालेज 2 लाख रु० की दर से कुल 12 लाख रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार आय-व्ययक में 12,00,00 0रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान--

10--एलोपैथी--

01--शिक्षा--मेडिकल कालेज, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ एवं झांसी के केन्द्रीय पुस्तकालयों में पुस्तकों तथा जर्नल्स के क्रय हेतु व्यवस्था--

33--अन्य व्यय	12,00

हृदय रोग संस्थान कानपुर के लिए एक रोगी वाहन की व्यवस्था।

वर्ष 1990-91 में हृदय रोग संस्थाव कानपुर में एक रोगी वाहन की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। रागी वाहन के क्रय हेतु 1,25,000 रु0 का अनावर्तक व्यय तथा इस निमित्त 20,000 रु0 का आवर्तक व्यय, पेट्रोल की खरीद आदि पर होना अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में वर्ष में 1,45,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--

110--गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में कार्डियालोजिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना--

21--मोटर गाड़ियों की खरीद	1,25
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	20
योग ..	1,45

मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय के लिये एक रोगी वाहन की व्यवस्था।

मेडिकल कालेज, झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय में एक रोगी वाहन की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 1,25,000 रु0 का अनावर्तक व्यय तथा 20,000 रुपये का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,45,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

10--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--एलोपैथी--

110--अस्पताल और औषधालय--

07--महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना				..	
21--मोटर गाड़ी का क्रय	..	..	..	..	1,25
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद			..	..	20
				योग	1,45

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अति आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था ।

वाह्य देशों की सहायता से प्रदेश के मेडिकल कालेजों के लिये अति आधुनिक उपकरण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि एक ओर वाह्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त हो और दूसरी ओर प्रदेश के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल कालेजों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो जायें। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रुपये का व्यय होना अनुमानित है तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 1,00,00,000 रु0 की व्यवस्था की गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा, वाह्य देश की सहायता से प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अति आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,00,00

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पुस्तकालय के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पुस्तकालय में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये कालेज को पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय हेतु वर्ष 1990-91 में 2 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--

0115--के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पुस्तकालय के लिये पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय--

33--अन्य व्यय 2,00

मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ तथा इलाहाबाद में डायलिसिस इकाइयों के लिये एयरकन्डीशनरों की व्यवस्था।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ तथा इलाहाबाद में स्थापित डायलिसिस इकाइयों को सुचारु ढंग से चलाने के लिए एयर-कण्डीशनरों की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्ष 1990-91 में इनके क्रय पर 3,60,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,60,000 रु0 (अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत--

05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान--

105--एलोपैथी--

01--शिक्षा--

0124--मेडिकल कालेज गोरखपुर, मेरठ तथा इलाहाबाद में डायलिसिस सेण्टर की स्थापना--

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 3,60

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के क्वीनमेरी चिकित्सालय के अन्तर्गत इन्फरटिलिटी क्लीनिक का सुदृढ़ीकरण।

के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के आब्सट्रेटिक्स एवं गायनाकालोजी विभाग के अन्तर्गत स्थापित इन्फरटिलिटी क्लीनिक के सुचारु रूप से संचालन हेतु कतिपय पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इन पदों के सृजन आदि पर वर्ष 1990-91 में 4.50 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 4,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा, और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--
05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--
105--एलोपैथी--
01--शिक्षा--
0109--के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के आब्सट्रेटिक्स एवं गायनाकालोजी विभाग में स्थापित इन्फरटिलिटी इकाई का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	1,44
03--महंगाई भत्ता	36
05--अन्य भत्ते	2
06--कार्यालय व्यय	10
07--टेलीफोन पर व्यय	8
33--अन्य व्यय	2,50
योग ..	4,50

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में गोयेटर प्रिविलेंस, सर्विलेंस एण्ड प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में गोयेटर प्रिविलेंस सर्विलेंस एण्ड प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना के लिये कतिपय पदों का सृजन तथा साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर 1990-91 में कुल 8,30,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 8,30,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--
05--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--
105--एलोपैथी--
01--शिक्षा-के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में गोयेटर प्रिविलेंस सर्विलेंस एण्ड प्रिवेंशन यूनिट की स्थापना--

01--वेतन	1,11
03--महंगाई भत्ता	34
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	10
06--कार्यालय व्यय	10
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5,10
33--अन्य व्यय	1,50
योग ..	8,30

जन्म-मृत्यु आंकड़े अनुभाग का सुदृढ़ीकरण

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्तर्गत स्थापित जन्म-मृत्यु आंकड़े अनुभाग के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। उक्त अनुभाग के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 1990-91 में 50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। इसमें 25,000 रु0 आवर्तक व्यय हेतु तथा 25,000 रु0 अनावर्तक व्यय के लिये है। तदनुसार आय-व्ययक में 50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

06--लोक स्वास्थ्य-आयोजनेतर

800--अन्य व्यय--

03--जन्म-मरण सम्बन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहरण की व्यवस्था--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	15
03--महंगाई भत्ता	6
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	1
06--कार्यालय व्यय	1
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	25
33--अन्य व्यय (मतदेय)	1
योग ..	50

उत्तर प्रदेश में जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में मिलावट की गम्भीर समस्या से निपटने के लिये खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों द्वारा निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से संग्रह किये गये नमूनों की जांच शीघ्र एवं सुचारु रूप से करने के लिये यह प्रस्तावित है कि प्रदेश की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाय। तदनुसार वर्ष 1990-91 में मेरठ एवं वाराणसी की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। इस योजना के कार्यान्वयन में 12,88,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 12,88,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रमांक	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1--वाराणसी प्रयोगशाला--			
	औषधि संवर्ग--		
1	सहायक राजकीय विश्लेषक	.. ..	1
2	जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट	.. ..	2
3	कनिष्ठ लिपिक-एवं-टंकक	.. ..	1
4	एनीमल कीपर	.. ..	1
5	प्रयोगशाला परिचर	.. ..	1
2--मेरठ प्रयोगशाला			
	खाद्य सम्वर्ग--		
1	जनविश्लेषक	.. ..	1
2	जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट	.. ..	2
3	प्रयोगशाला परिचर	.. ..	1
4	कनिष्ठ लिपिक एवं टंकक	.. ..	1
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	.. ..	1
6	स्वीपर-कम-चौकीदार	.. ..	1
	औषधि सम्वर्ग--		
1	सहायक राजकीय विश्लेषक	.. ..	1
2	जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट	.. ..	2
3	कनिष्ठ लिपिक-कम-टंकक	.. ..	1
4	एनीमल कीपर	.. ..	1
5	(प्रयोगशाला परिचर)	.. ..	1

(ख) साज सज्जा/भंडार/मशीनों आदि के समूल ब्योरे--

मद	धनराशि
	रु0
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा तथा मशीनें	9,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत--

06-लोक स्वास्थ्य--

102--खाने वाली चीजों में मिलावट की रोकथाम--

01--सरकारी जनविश्लेषक लखनऊ, वाराणसी प्रयोगशाला, उ0 प्र0--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	2,12
03--महंगाई भत्ता	7
04--यात्रा व्यय	22
05--अन्य भत्ते	42
06--कार्यालय व्यय	45
25--सामग्री और सम्पूर्ति (रसायन ग्लास वेयर उपकरण आदि) ..	9,00
योग ..	12,88

देश के मेडिकल कालेजों में वाह्य सहायता से प्राप्त उपकरणों को लगाने के लिये भवनों की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों के लिये वाह्य सहायता से क्रय किये जाने वाले अति आधुनिक उपकरणों को लगाने के लिये ों के निर्माण एवं वर्तमान भवनों में परिवर्धन व सुधार किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रु0 य अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक वर्ष में 1,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

03--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी-वाह्य सहायता से प्राप्त उपकरणों की स्थापना हेतु मेडिकल कालेजों में निर्माण कार्य--

18--वृहत् निर्माण 1,00,00

के समस्त मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में जल सम्पूर्ति, विद्युत् एवं सीवर व्यवस्था में सुधार।

प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर एवं झांसी के मेडिकल कालेजों एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सा- में जल सम्पूर्ति, विद्युत तथा सीवर व्यवस्था में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। इन कार्यों पर वर्ष 1990-91 में 00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक वर्ष में 20,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति त परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी--

(-) मेडिकल कालेज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर तथा झांसी एवं संबद्ध चिकित्सालय में जल सम्पूर्ति, विद्युत् एवं सीवर व्यवस्था में सुधार--

33--अन्य व्यय 20,00

मेडिकल कालेज, कानपुर में अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ाये जाने की व्यवस्था।

मेडिकल कालेज, कानपुर में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 500 के0 वी0 ए0 का अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ाये जाने प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 5,67,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-9 आय-व्ययक में 5,67,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

03--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान--

105--एलोपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर में 500 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना-- (हजार रुपयों

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 5

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।

प्रदेश में बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला परिषद् के भवनों अथवा पुरानी इमारतों में स्थापित हैं जिनमें स्थाना के कारण उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तावित है कि उचित चि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इनके भवनों का निर्माण कराया जाय। इस उद्देश्य से वर्ष 1990-91 में 13,31,03,000 रु अनुमानित लागत पर 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990- आय-व्ययक में 13,31,03,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्र की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं--

108--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र--

05--90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण-कार्य 13,3

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जलपूर्ति, विद्युतीकरण नवीनीकरण एवं विस्तार।

प्रदेश के पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, वह सम्पूर्ति तथा विद्युतीकरण कराना प्रस्तावित है, जिस पर वर्ष 1999-91 में 1,25,48,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,25,48,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणो दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपय

03--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र--

03--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक केन्द्र व उप केन्द्रों में जल सम्पूर्ति, विद्युतीकरण एवं नवीनीकरण--

33--अन्य व्यय 1,:

जनपद बस्ती में 500 शैय्यायुक्त आधुनिक अस्पताल के भवन के लिये भूमि का क्रय।

जनपद बस्ती में 500 शैय्यायुक्त एक आधुनिक अस्पताल का ओपेक फण्ड की सहायता से निर्माण किये जा प्रस्ताव है। इसके भवन के लिये भूमि की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस हेतु 1,00,00,00 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-- (हजार रुप

01--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--

110--अस्पताल और औषधालय/जनपद बस्ती में 500 शैय्यायुक्त अस्पताल के भवन के लिये भूमि का अर्जन--

33--अन्य व्यय 1,0

सृजित जनपदों सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महराजगंज एवं मऊ मुख्यालय पर 100 शैय्यायुक्त जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण ।

सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महाराजगंज तथा मऊ जिला मुख्यालयों पर 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन मिर्मित कराने प्रस्ताव है । इन चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण की कुल लागत 2100.24 लाख रुपये अनुमानित है । वित्तीय 1990-91 में भवनों के निर्माण पर 400 लाख रुपये एवं भूमि के क्रय पर 200 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । सार आय-व्ययक वर्ष 6,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है । योजना की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत—

01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

110—अस्पताल और औषधालय—

सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, महराजगंज एवं मऊ के जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण (अनुमानित लागत 21,00,24,000 रु0)—

18—वृहत् निर्माण	4,00,00
जिला एवं अन्य शहरी चिकित्सालयों के लिय भूमि अर्जन—	
33—अन्य व्यय	2,00,00
योग ..	6,00,00

प केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ।

उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु नि : शुल्क अथवा दान द्वारा भूमि न होने पर भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो पाता है । भूमि के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भवन सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप स्वीकृत लागत में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है । इन परिस्थितियों में इन केन्द्रों जनहित में यथा सम्भव भूमि क्रय किया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में 20.00 लाख रुपये वश्यकता होगी । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 20,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है । योजना कृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पूंजी परिव्यय—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

800—अन्य व्यय—

02—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सालयों के भवनों हेतु भूमि का क्रय—

33— अन्य व्यय	20,00

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण ।

प्रदेश में अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तहसील स्तर अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर कार्यरत हैं जिनको यक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ताकि आधुनिक चिकित्सा सुविधा रोगियों को उपलब्ध हो सके । य से वर्ष 1990-91 में प्रदेश के 23 स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर .87 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । वर्ष 1990-91 में इस कार्य हेतु 20,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है । योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जायेगी ।

2- - आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन- -

4210- - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय- आयोजनागत- - (हजार रुपयों में)

03- - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- -

104- - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- -

23- - सामुदायिक केन्द्रों के भवनों का निर्माण- -

18- - वृहत् निर्माण	20,00

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण ।

प्रदेश की जनता को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा की उचित सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75.36 की अनुमानित लागत पर प्रदेश के 16 जिलों-आजमगढ़, हमीरपुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, खीरी, मुरादाबाद, गाजीपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, बहराइच, ललितपुर तथा झांसी में 22 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों सीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त कार्यों पर वर्ष 1990-91 में 75,36,000 रु0 अनुमानित है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है । योजना की स्वीकृति विस्तृत के उपरान्त प्रदान की जायगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों

02--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--

101--आयुर्वेद--

800--अन्य व्यय-आयुर्वेद-1-राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के लिये आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण 75,

प्रदेश के जनपदों में होम्योपैथिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजकीय होम्योपैथिक त्सालयों की स्थापना किराये के भवनों में की गयी है। इन भवनों में चिकित्सालयों के अनुकूल व्यवस्था नहीं है। 1990-91 में प्रदेश के कतिपय जनपदों में इस प्रयोजन हेतु भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है। इनके निर्माण प 1990-91 में 18,02,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय-व्ययक में वर्ष में 18,02,000 रुपये की व्यवस्था क गयी है। निर्माण कार्यों की स्वीकृति विस्तृत आगणन प्राप्त कर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों

02--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें--

800--अन्य व्यय--

--होम्योपैथी-चिकित्सालय भवनों का निर्माण--

18--वृहत निर्माण 1

उपकेन्द्र भवनों का निर्माण।

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित उपकेन्द्रों में से अधिकांश उपकेन्द्र किराए के भवनों में स्थित हैं। इन गैर-सरकारी भव आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध न होने के कारण महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं को कार्य करने में कठिनाई का सामना करना है तथा साथ ही साथ पुरुष व महिला कार्यकर्ताओं को आवासीय सुविधा भी नहीं उपलब्ध कराई जा पाती हैं, फलस्वरूप कार्य के रूप से निष्पादन में काफी कठिनाई आती है तथा लक्ष्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। वर्ष 1990-91 में 50 उपकेन्द्र भवनों के नि विस्तार का कार्य प्रस्तावित है इनमें से 10 उप केन्द्र भवन बुन्देलखंड क्षेत्र में निर्मित किये जायेंगे। कार्य की कुल अनुम लागत 126.40 लाख रु0 है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 54,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली ग

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुप

04--लोक स्वास्थ्य--

200--अन्य कार्यक्रम--

01--उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण कार्य 54

मेडिकल कालेज, आगरा के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में गामा कैमरा हेतु कक्ष का निर्माण

एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में गामा कैमरा की स्थापना हेतु 5,08,000 रु0 अनुमानित लागत पर एक कक्ष का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 5,08,00 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,08,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

4210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय-- (हजार रुप

02--भवन निर्माण-चिकित्सा एलोपैथी चिकित्सा शिक्षा भवन-एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में गामा कैमरा के लिए भवन निर्माण

18--वृहत् निर्माण कार्य-- 5

दुग्ध विकास विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 गोरखपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जालौन एवं गोण्डा के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण	39,14	..	..	39,14	2404-डेरी विकास	87 प
2	आई0 डी0 डी0 (डेरी टेक्नोलाजी/डेरी हसबैन्ड्री) पाठ्यक्रम के शिक्षण की व्यवस्था हेतु कृषि संस्थान, इलाहाबाद को अनुदान	2,00	..	..	2,00	तदैव	87 प
3	विभागीय तथा दुग्ध सहकारी संघों समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दुग्ध उत्पादक सदस्यों का प्रशिक्षण	4,00	..	..	4,00	तदैव	87 प
4	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बहुल सदस्यों वाली दुग्ध सहकारी समितियों को सहायता तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों की विशेष सुविधाओं हेतु अनुदान	40,95	..	..	40,95	तदैव	88 प
5	आपरेशन फ्लड योजना के अंतर्गत दुग्ध सहकारिताओं की व्यावसायिक क्षमता बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता	13,85	..	..	13,85	तदैव	88 प
6	आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही तकनीकी निवेश सेवाओं एवं प्रसार कार्य से सम्बन्धित व्यय भार को वहन करने हेतु वित्तीय सहायता	1,50,00	..	..	1,50,00	तदैव	88 प
7	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 बरेली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	..	19,75	..	19,75	4404-डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	89 प
8	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना	..	20,00	..	20,00	तदैव	89 प
9	आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत नई डेरियों/चिलिंग प्लान्टों की स्थापना तथा मौजूदा डेरियों/चिलिंग प्लान्टों का विस्तार	..	1,20,33	..	1,20,33	तदैव	89 प
10	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना	..	5,97	..	5,97	तदैव	90 प
	योग ..	2,49,94	1,66,05	..	4,15,99		

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गोरखपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जालौन एवं गोण्डा के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण।

भारतीय ऐग्रो इण्डस्ट्रियल फाउण्डेशन (बैफ) की पशुनस्ल सुधार योजना से सम्बद्ध दुग्धशाला विकास का सहयोगी कार्यक्रम गोरखपुर, फैजाबाद जनपदों में वर्ष 1984-85 से, प्रतापगढ़ जनपद में वर्ष 1985-86 से तथा जालौन एवं गोण्डा जनपदों में वर्ष 1987-88 से प्रारम्भ किया गया था। ये दुग्ध संघ अभी स्वावलम्बी नहीं हुए हैं। अतः इन दुग्ध संघों को स्वावलम्बी बनाने हेतु एक नयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसके अनुसार आगामी कुछ वर्षों तक दुग्ध संघ तथा उनसे सम्बद्ध दुग्ध सहकारी समितियों के लिए प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात व्यय पर अनुदान तथा पूंजीगत व्ययों के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता सुलभ होने पर इन दुग्ध संघों द्वारा अर्जित किये जाने वाले दूध की मात्रा में वृद्धि के साथ ही ये स्वावलम्बी भी हो जायेंगे। उक्त दुग्ध संघों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में कुल 2,89,45,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 39,14,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 39,14,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2404-डेरी विकास-आयोजनागत--

191-सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-- (हजार रुपयों में)

05-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान—

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 39,14

आई0 डी0 डी0 (डेरी टेक्नोलजी/डेरी हसबैण्ड्री) पाठ्यक्रम के शिक्षण की व्यवस्था हेतु कृषि संस्थान, इलाहाबाद को अनुदान।

दुग्धशाला विकास विभाग में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि संस्थान, इलाहाबाद को द्विवर्षीय आई0 डी0 डी0 (डी0 टी0/डी0 एच0) पाठ्यक्रम के शिक्षण की व्यवस्था हेतु आवश्यक अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी इस पाठ्यक्रम को चालू रखने के लिये कृषि संस्थान, इलाहाबाद को प्रति वर्ष 2,00,000 रु0 की अनुदान सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में 10,00,000 रु0 जिसमें से वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2404-डेरी विकास-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

191-सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता

03-कृषि संस्थान, इलाहाबाद को डेरी टेक्नालोजी तथा डेरी हस्बैण्ड्री आदि प्रशिक्षण हेतु अनुदान

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

विभागीय तथा दुग्ध सहकारी संघों/समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दुग्ध उत्पादक सदस्यों का प्रशिक्षण

प्रदेश में चलाये जा रहे आपरेशन फ्लड योजना तथा अन्य विभागीय दुग्ध योजनाओं का सफल क्रियान्वयन विभाग, दुग्ध संघों तथा दुग्ध उत्पादकों पर निर्भर है। यह आवश्यक है कि उक्त कार्यक्रमों से सम्बद्ध लोगों को दुग्ध उत्पादन एवं दुग्धशाला विकास की नवीनतम तकनीकी की जानकारी उपलब्ध करायी जाती रहे। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी जारी रखने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-95 में कुल 20,00,000 रुपये तथा वर्ष 1990-91 में 4,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 4,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2404-डेरी विकास-आयोजनागत--

109-विस्तार और प्रशिक्षण— (हजार रुपयों में)

03-विभागीय तथा दुग्ध सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दुग्ध उत्पादक सदस्यों को प्रशिक्षण—

33--अन्य व्यय 4,00

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बहुल सदस्यों वाली दुग्ध सहकारी समितियों को सहायता तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों को विशेष सुविधाओं हेतु अनुदान

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बहुल सदस्यों वाली दुग्ध सहकारी समितियों को विशेष अनुदान सहायता प्रदान की जाती रही है । इसके अतिरिक्त आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के दुग्ध उत्पादकों को हरा चारा, बीज, उर्वरक, आपात पशु चिकित्सा सेवा एवं एफ०एम०डी० वैक्सीन भी कम मूल्य पर अथवा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही उक्त सुविधाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है जिस पर योजना अवधि (1990-95) में 2,24,53,000 रुपये जिसमें से वर्ष 1990-91 में 40,95,000 रुपये का व्यय अनुमानित है । तदनुसार आय-व्ययक में 40,95,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2404--डेरी विकास--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
191--सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता--	
02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	
0201--दुग्ध सहकारिताओं को अनुदान ..	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	40,95

आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं की व्यावसायिक क्षमता बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता

आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं को तकनीकी निवेश सेवाओं तथा प्रसार कार्य जैसी कल्याणकारी विकास सेवाओं के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । प्रदेश के कुछ जिलों में दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण इस वित्तीय सहायता के बाद भी सम्बन्धित दुग्ध संघ अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में नहीं है तथा उन्हें नकद हानियां हो रही है । अत: यह प्रस्तावित है कि उक्त श्रेणी के ऐसे दुग्ध संघ तथा जिनकी भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां उत्साहवर्द्धक हो उन्हें उनकी व्यावसायिक नकद हानियों की प्रतिपूर्ति के लिये भी आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाय जिस पर आठवीं पंच वर्षीय योजना अवधि (1990-95) को 1,08,66,000 रुपये का व्यय तथा वर्ष 1990-91 में 13,85,000 रु० का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,85,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2404--डेरी विकास-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
102--डेरी विकास परियोजना--	
06--आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं को व्यावसायिक क्षमता कायम रखने हेतु अनुदान--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	13,85

आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही तकनीकी निवेश सेवाओं एवं प्रसार कार्य से सम्बन्धित व्यय भार को वहन करने हेतु वित्तीय सहायता

आपरेशन फ्लड योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा राज्य सरकार की सहायता से हो रहा है । योजना क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवायें उपलब्ध कराना तथा प्रसार कार्य इस योजना का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है । प्रारम्भिक वर्षों में तकनीकी निवेश सेवाओं एवं प्रसार कार्य पर होने वाले व्यय भार के लिये राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से आवश्यक वित्तीय सहायता मिलती रही किन्तु वर्ष 1987-88 के बाद से बोर्ड द्वारा यह सहायता न दिये जाने के कारण अब इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । यह वित्तीय सहायता केवल ऐसे दुग्ध संघों के लिये उपलब्ध करायी जाती है जो इस व्यय भार को अपने संसाधनों से वहन करने की स्थिति में नहीं है । इस प्रयोजन हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990--95) में कुल 10,00,00,000 रुपये तथा वर्ष 1990-91 में 1,50,00,000 रुपये के व्यय का अनुमान है तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,50,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2404--डेरी विकास--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
102--डेरी विकास परियोजना--	
05--आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत तकनीकी निवेश सेवाओं के लिये वित्तीय सहायता--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,50,00

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, बरेली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बरेली के व्यावसायिक कार्य कलापों में विगत कुछ वर्षों में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है। इस दुग्ध संघ द्वारा प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक तरल दूध की बिक्री की जा रही है तथा घी की बिक्री प्रतिमाह 5,000 किलोग्राम से अधिक की है। अतः इस दुग्ध संघ के लिये दूध और घी के उचित भंडारण एवं सुविधाजनक आपूर्ति के उद्देश्य से कतिपय नवीनतम तकनीक के उपकरणों के क्रय एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु एफलएण्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना का प्रस्ताव है। जिस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आगामी तीन वर्षों (1990-93) में 43,95,000 रु0, जिसमें से वर्ष 1990-91 में 19,75,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 19,75,000 रु0 की व्यवस्था कर दी गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4404-डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102-डेरी विकास परियोजना-

04-मौजूदा डेरियों/चिलिंग प्लान्टों के विस्तार हेतु दुग्ध सहकारिताओं में अंशपूंजी विनियोजन--

24-निवेश/ऋण 19,75

अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना

प्रदेश की दुग्ध सहकारिताओं द्वारा तरल दूध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर बनाये रखने, उन्हें शीघ्र नष्ट होने से बचाने तथा व्यावसायिक व्ययों में कमी के उपायों पर विचार करने के लिये प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के मुख्यालय पर एक अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रस्ताव है। चूंकि इस प्रकोष्ठ की स्थापना पर होने वाले प्रारम्भिक व्यय को फेडरेशन अपने संसाधनों से वहन करने की स्थिति में नहीं है अतः इस निमित अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है जिस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में 40,30,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोंपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

4404-डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102-डेरी विकास परियोजना--

05-व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु दुग्ध सहकारिताओं में अंशपूंजी विनियोजन

24-निवेश/ऋण 20,00

आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत नई डेरियों/चिलिंग प्लांटों की स्थापना तथा मौजूदा डेरियों/चिलिंग प्लांटों का विस्तार

आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नई डेरियों/चिलिंग प्लान्टों की स्थापना तथा मौजूदा डेरियों/चिलिंग प्लांटों का विस्तार मुख्यतः राष्ट्रीय विकास बोर्ड की सहायता से किया जा रहा है किन्तु बोर्ड एवं राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार इसके निमित्त भूमि, पावर लाइन तथा ट्यूबवेलों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ डेरियों/चिलिंग प्लांटों की स्थापना/विस्तार के लिये प्लांटएवं मशीनरी हेतु ग्राम्य विकास द्वारा भी अवस्थापना मद में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है किन्तु वे सिविल कार्य के लिये कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराते हैं। अतः ऐसी परियोजनाओं के सिविल कार्यों हेतु भी आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। भूमि पावर लाइन, ट्यूबवेल तथा सिविल कार्यों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में कुल 9,97,91,000 रु0 जिसमें से वर्ष 1990-91 में 1,20,33,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय व्यय में 1,20,33,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4404--डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय (आयोजनागत)-- (हजार रुपयों में)

102--डेरी विकास परियोजना--

03--आपरेशन फ्लड योजनान्तर्गत नई डेरियों/चिलिंग प्लाटों तथा मौजूदा डेरी/चिलिंग प्लाटों के विस्तार हेतु दुग्ध सकारिता में अंशपूंजी विनियोजन--

24--निवेश/ऋण 1,20,33

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना

प्रदेश की सहकारी दुग्धशालाओं द्वारा भारी पैमाने पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री की जा रही है। चूंकि विभिन्न सहकारी दुग्धशालाओं ने व्यवसाय का ही ट्रेड मार्क "पराग" को अपनाया है इसलिये यह आवश्यक है कि उनके द्वारा बिक्री किए जा रहे दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता का स्तर लगभग समान तथा निर्धारित मानक के अनुरूप हो। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक प्रयोगशाला की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में कुल 20,71,000 रुपये तथा वर्ष 1990-91 में 5,97,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। चूंकि इस व्यय को दुग्ध सहकारी संस्थायें अपने संसाधनों से वहन करने में असमर्थ है, अतः इस निमित्त प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को अंशपूंजी सहायता दिये जाने हेतु आय-व्ययक में 5,97,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4404--डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102--डेरी विकास परियोजन--

05--व्यवसायिक कार्य कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु दुग्ध सहकारिताओं में अंशपूंजी विनियोजन--

24--निवेश/ऋण 5,97

नगर विकास विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मद-आयोजनागत

योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
2	3	4	5	6	7	8
आगरा जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत आगरा बैराज का निर्माण।	4,00,00	..	..	4,00,00	2215-जलपूर्ति और सफाई	93 प
डच सब प्रोजेक्ट-5 के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान।	1,00,00	..	..	1,00,00	तदैव	93 प
कानपुर में गंगा नदी पर बैराज के निर्माण हेतु अनुदान	5,00,00	..	..	5,00,00	तदैव	93 प
जाजमऊ (कानपुर) में स्थित विभिन्न टैनिरियों के लिये संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापना	1,22,00	..	..	1,22,00	तदैव	93 प
फुटपाथ निवासियों के लिए रैन-बसेरों की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता	39,38	..	..	39,38	2217--शहरी विकास	94 प
नेहरू रोजगार योजना	1	..	..	1	2230-श्रम और रोजगार	94 प
शुष्क शौचालयों का पानी वाले शौचालयों में परिवर्तन	..	..	1,00,00	1,00,00	6215-जल पूर्ति और सफाई के लिए उधार	95 प
नगरों में जल सम्पूर्ति तथा जलोत्सारण योजना	..	..	3,00,00	3,00,00	तदैव	95 प
योग	11,61,39	..	4,00,00	15,61,39		

आगरा जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत आगरा बैराज का निर्माण

यमुना नदी में गर्मियों एवं वर्षा के अधिकतर महीनों में कम श्राव के कारण आगरा में यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे आगरा नगर को पेयजल की आपूर्ति की जा सके। उक्त बैराज के निर्माण पर वर्ष 1990-91 में 4,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय व्ययक में करली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2---आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2215---जलपूर्ति और सफाई-आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

01---जल पूर्ति---

101---शहरी जल सम्पूर्ति कार्यक्रम---

01---जल निगम को अनुदान---

0105---आगरा की नगरीय पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु यमुना नदी पर बैराज के निर्माण हेतु अनुदान---

14---सहायक/अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,00,00

डच सब प्रोजेक्ट-5 के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान

डच सब प्रोजेक्ट-5 के अन्तर्गत डच सरकार द्वारा जनपद वाराणसी तथा रायबरेली के गांवों में स्कूलों के लिये तथा घरों में निजी शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में धनराशि प्रदेश सरकार को अवमुक्त की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धन डच सरकार से अग्रिम रूप में प्राप्त होता है, जो जल निगम के निस्तारण पर रखा जाता है। वर्ष 1990-91 में उक्त योजना के अन्तर्गत 1,00,00,000 रु० व्यय किये जाने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 में आय व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृतियां डच सरकार से सहायता प्राप्त होने पर जारी की जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2215---जल पूर्ति और सफाई-आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

01---जल पूर्ति---

102---ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम---

05---डच सब प्रोजेक्ट-5 के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान---

14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 1,00,00

कानपुर में गंगा नदी पर बैराज के निर्माण हेतु अनुदान

गंगा नदी में वर्ष के अधिकतर महीनों में कम श्राव होने के कारण पेयजल की आपूर्ति के लिये कानपुर में गंगानदी पर बैराज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1990-91 में 5,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 5,00,00,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2215---जलपूर्ति और सफाई-आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

01---जल पूर्ति---

101---शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम---

01---जल निगम को अनुदान---

0106---कानपुर में गंगा नदी पर बैराज के निर्माण हेतु अनुदान---

14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,00,00

जाजमऊ (कानपुर) में स्थित विभिन्न टैनरियों के लिये संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र की स्थापना

जाजमऊ (कानपुर) स्थित विभिन्न टैनरियों के उत्प्रवाहों के उपचार हेतु संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार का अंश 50 : 50 प्रतिशत होगा। राज्य सरकार के अंश हेतु 1,22,00,000 रु० की तत्काल आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,22,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2215--जल पूर्ति और सफाई- आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--मल निकासी और सफाई--

106--वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम--

02--जाजमऊ (कानपुर) में स्थित विभिन्न टैनरियों के लिये संयुक्त उत्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,22,0

फुटपाथ निवासियों के लिये रैन बसेरा की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता

केन्द्र सरकार द्वारा देश के मैट्रोपोलिटन नगरों में फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों को रात्रि के आवास की सुविधा प्रदा करने हेतु "रैन बसेरा" निर्माण करने की योजना चलायी गयी है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में भारत सरकार द्वारा यह निर्ण लिया गया है कि देश के समस्त मैट्रोपालिटन नगरों जिसमें लखनऊ व कानपुर सम्मिलित हैं, में कुल 50 करोड़ की लागत से य योजना चलायी जायेगी जिसमें 40 करोड़ रु० हडको द्वारा दिया जायगा और 10 करोड़ रु० केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना अन्तर्गत अनुदान दिया जायेगा। यह योजना नगर महापालिकाओं द्वारा सीधे क्रियान्वित की जायेगी और इसका नोडल विभाग न विकास विभाग होगा। भारत सरकार/हडको द्वारा 5,000 रु० प्रति व्यक्ति की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी औ अधिक अंश आने पर इसकी सब्सीडी राज्य सरकार एवं नगर महापालिका द्वारा अपने स्रोत से वहन किया जायगा। हड से प्राप्त होने वाले ऋण 10 प्रतिशत व्याज की दर से प्राप्त हो सकेंगे जिसे 12 वर्षों में वापस करना होगा और इसकी ब्लाक गारन राज्य सरकार देगी। हड़को ने परामर्श दिया है कि प्रथम चरण में लखनऊ नगर में 6 और कानपुर नगर में 2 रैन-बसेरों का निर्मा किया जाय। मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा किये गये आगणन के अनुसार 210 व्यक्तियों के लिये एक "रैन-बसेरा" निर्माण लागत में प्रति व्यक्ति 5,750 रु० की कीमत आयेगी। इस प्रकार हड़को से प्राप्त होने वाला ऋण और केन्द्र सरकार से पुरोनिधानि योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान की सम्मिलित धनराशि 5,000 रु० के अतिरिक्त धनराशि 750 रु० प्रति व्यक्ति "रैन-बसेर के निर्माण के लिये आवश्यकता होगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि अनुद के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि नगर महापालिकायें अपने स्रोतों से वहन करेंगी। य 750 रु० प्रति व्यक्ति से अधिक अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो बढ़ी हुई धनराशि का वहन नगर महापालि द्वारा किया जायगा। इसके लिये कोई राज्यांश प्राप्त नहीं हो सकेगा। रैन-बसेरे का निर्माण भारत सरकार द्वारा प्रस्ता मानकों एवं मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ० प्र० द्वारा स्वीकृत आगणन के आधार पर किया जा सकेगा। इस योजना महत्व को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1990-91 में 50 रैन बसेरा बनाये जायें जिसके निर्माण में हड़ एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त कुल 78,76,000 रु० की आवश्यकता होगी। चूंकि योजना सीधे नगर महापालिकाओं द्वारा क्रियान्वित की जाएगी अतः इसकी 50 प्रतिशत धनराशि 39,38,000 रु० राज के रूप में राज्य सरकार को वहन करनी होगी। यह धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आ व्ययक में 39,38,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2217--शहरी विकास--आयोजनागत (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

191--स्थानीय निकायों, निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्ड आदि की सहायता--

03--नगर महापालिकाओं को फुटपाथ निवासियों के लिये रैन बसेरों के निर्माण हेतु सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 39,38

नेहरू रोजगार योजना

भारत सरकार द्वारा नगरीय गरीबी की समस्या के निराकरण हेतु नेहरू रोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है। इस य के अन्तर्गत प्रारम्भ में निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है---

1--नगरीय गरीब लाभार्थियों को लघु उद्यम स्थापित करने तथा उसके लिये आवश्यक प्रशिक्षण आदि करने की योजना।

2--नागर स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक स बनाने के उद्देश्य से रोजगार प्रदान करने की योजना।

3--अल्प आय के क्षेत्रों में मुख्यतः नगरीय गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को अ एवं झुग्गी में सुधार करने तथा उसके लिये आवश्यक भवन निर्माण तकनीक में प्रशिक्षण आदि प्रदान क योजना।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय मजदूरी रोजगार योजना तथा आवास निर्माण एवं झोपड़ी सुधार व उन्नयन योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार नागर/स्थानीय निकायों के मध्य वित्त पोषण का अनुपात 80:20 है जब कि नगरीय लघु उद्यम योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार नगर/स्थानीय निकायों का अनुपात 50:50 निर्धारित किया गया है। अभी नेहरू रोजगार योजना की रूप-रेखा राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं हो पाई है किन्तु इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1990-91 में राज्य हित में किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित है कि इस हेतु आय व्ययक में 1,000 रुपये का प्रतीक प्राविधान करा लिया जाये। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,000 रुपये की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
02--रोजगार--	
101--रोजगार सेवायें--	
01--नेहरू रोजगार योजना का कार्यान्वयन	1

शुष्क शौचालयों का पानी वाले शौचालयों में परिवर्तन

प्रदेश के शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1990-91 में उक्त योजना के लिए ऋण के रूप में 1,00,00,000 रु० की धनराशि उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है। तदनुसार 1990-91 के आय व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6215--जल पूर्ति और सफाई के लिये उधार--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
02--मल निकासी और सफाई--	
191--स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को उधार--	रु०
01--स्थानीय निकायों का ऋण--	
24--निवेश/ऋण	1,00,00

नगरों में जल सम्पूर्ति तथा जलोत्सारण योजना

20 हजार से पांच लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों के लिये जल सम्पूर्ति योजना तथा जलोत्सारण योजना हेतु 50 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में जल सम्पूर्ति योजना के लिये 2,50,00,000 रु० तथा जलोत्सारण योजना के लिये 50,00,000 रु० का ऋण व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है, तदनुसार वर्ष 1990-91 में 3,00,00,000 रु० की व्यवस्था करली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6215--जल पूर्ति और सफाई के लिये उधार--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
01--जलपूर्ति--	
190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--	
01--उत्तर प्रदेश जल निगम को ऋण--	
24--निवेश / ऋण	2,50,00
02--मल निकासी और सफाई--आयोजनागत--	
190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार--	
01--उत्तर प्रदेश जल निगम को ऋण (जिला योजना)--	
24--निवेश / ऋण	50,00
योग ..	3,00,00

नागरिक उड्डयन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें -आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्रविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद अलीगढ़ तथा झांसी में एक-एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	13,76	..	..	13,76	3053 नागर विमानन	99 प
2	जनपद अलीगढ़ तथा झांसी की हवाई पट्टियों पर हैंगरों का निर्माण	..	6,03	..	6,03	5053 नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	100 प
	योग	13,76	6,03	..	19,79		

जनपद अलीगढ़ तथा झांसी में एक-एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

युवा वर्ग को वायुयान उड़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहित करने एवं उनमें अनुशासन की भावना जागृत करने के उद्देश्य से कतिपय अन्य जनपदों की भांति विश्वविद्यालय वाले दो नगरों, अलीगढ़ तथा झांसी की हवाई पट्टियों पर एक-एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केन्द्रों को सुचारु रूप से चलाने के लिए वर्ष 1990-91 में कतिपय पदों के सृजन, 2 जीपों के क्रय तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था करना प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 10,26,000 रु० आवर्तक तथा 3,50,000 रु० अनावर्तक अर्थात् कुल 13,76,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,76,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतनमान	पदों की संख्या
			रु०	
1	पाइलेट इन्स्ट्रक्टर इंचार्ज	..	4100-5300	2
2	सहायक वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता	..	3000-4500	2
3	कार्यालय अधीक्षक-कम-लेखाकार	..	1400-2600	2
4	सीनियर एयरक्राफ्ट मेकेनिक	..	1400-2600	2
5	जूनियर एयरक्राफ्ट मेकेनिक	..	1200-2040	2
6	फ्लाइट क्लर्क	..	1200-2040	2
7	टाइपिस्ट/जूनियर क्लार्क	..	950-1500	2
8	सेमीस्किल्ड मेकेनिक	..	825-1200	2
9	चौकीदार	..	750-940	8
10	चपरासी	..	750-940	2
11	जमादार	..	750-940	2
12	क्लीनर	..	750-940	4

(ख) साज-सज्जा/मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे--

मदें		संख्या	धनराशि (हजार रुपयों में)
ीजल जीप	..	2	2,30
लीफोन	..	2	20
र्नीचर, कार्यालय सज्जा, आदि	..	..	1,00
		योग ..	3,50

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3053--नागर विमानन--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

003--प्रशिक्षण और शिक्षा--

01--नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण

01--वेतन	2,40
03--महंगाई भत्ता	90
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	15
06--कार्यालय व्यय	1,00
07--टेलीफोन पर व्यय	30
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	2,30
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद ..	10
33--अन्य व्यय--	
हाउसिंग लैंडिंग तथा नेवीगेशन चार्जेज	1
फालतू पुर्जों का क्रय	4,00
वायुयानों हेतु तेल, पेट्रोल का क्रय	2,00
वायुयानों का अनुरक्षण	50
योग ..	13.76

जनपद अलीगढ़ तथा झांसी की हवाई पट्टियों पर हैंगरों का निर्माण

अलीगढ़ तथा झांसी में स्थापित होने वाले नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्रों पर वायुयानों को रखने तथा कार्यालय आदि की व्यवस्था के लिये एक-एक हैंगर का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त हैंगरों के निर्माण पर कुल 37,58,000 रु० की धनराशि का व्यय अनुमानित है। जिसमें से वित्तीय वर्ष 1990-91 में केवल 6,03,000 रुपये (अनावर्तक) की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,03,000 रुपये की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5053--नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--हवाई अड्डे--

800--अन्य व्यय--

01--निर्माण-अलीगढ़ तथा झांसी की हवाई पट्टियों पर हैंगर का निर्माण

18--वृहत निर्माण कार्य	..	..	6,03

नियोजन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूमि उपयोग परिषद् का सुदृढ़ीकरण	20,00	..	..	20,00	2402-भू और जल संरक्षण	103 प
2	क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने एवं पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु निधियों का सृजन	25,00,00	..	..	25,00,00	2575-अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	103 प
3	प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष का वातानुकूलन	4,50	..	..	4,50	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	104 प
4	सामाजिक विज्ञान संस्थानों को अनुदान	4,25	..	..	4,25	तदैव	104 प
5	नवीन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ 5 इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों का क्रय, पी0बी0 एक्स टेलीफोन के अवशेष बिलों का भुगतान	5,00	..	..	5,00	तदैव	104 प
6	जिला अर्थ अधिकारी/संख्याधिकारी कार्यालयों में साज-सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था	13,86	..	..	13,86	3454-जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यकीय	105 प
	योग	25,47,61	..	..	25,47,61		

भूमि उपयोग परिषद् का सुदृढ़ीकरण

केन्द्र द्वारा वित्त पोषित भूमि उपयोग परिषद् के सुदृढ़ीकरण की योजना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 में कतिपय क्लियस स्टाफ के साथ स्वीकृत की गई थी। यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि तक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जना के रूप में चलाई गई। अब इस योजना की आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में भी चलाने का प्रस्ताव है। इस योजना के न्तर्गत भूमि के सीमित साधन को देखते हुये इसका उपयोग समुचित एवं नियोजित ढंग से किये जाने हेतु भूमि उपयोग परिषद रा विभिन्न विकास विभागों को मार्ग-दर्शक सिद्धान्त एवं नीति निर्देश दिये जाते हैं और उनके द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों समीक्षा के अलावा समन्वय एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य किया जाता है। भूमि उपयोग परिषद् को और अधिक प्रभावी एवं तिशील बनाने के उद्देश्य से इसका सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है, जिसके लिये वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रु० (11,00,000 रु० र्तक तथा 9,00,000 रु० अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के व्ययक में 20,00,000 रु० व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

म-संख्या	पदनाम	वेतन-क्रम	संख्या
		रु०	
1	संयुक्त निदेशक	3200-4875	1
2	वरिष्ठ शोध अधिकारी	3000-4500	1
3	शोध अधिकारी	2200-4000	2
4	सहायक अभियन्ता (सिविल)	2200-4000	1
5	विशेष कार्याधिकारी	2000-3500	1
6	शोध सहायक	1600-2660	4
7	प्रवर वर्ग सहायक	1400-2600	2
8	वैयक्तिक सहायक	1400-2600	3
9	सन्दर्भदाता	1400-2600	1
10	अवरवर्ग सहायक	1200-2040	2
11	पुस्तकालय सहायक	1200-2040	1
12	कम्प्यूटर (डाटा इन्ट्री आपरेटर)	1200-2040	1
13	चालक	950-1500	2
14	चपरासी/अर्दली	750-940	5

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2402—भू और जल संरक्षण-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

103—भूमि को कृषि योग्य बनाना और उसका विकास—

0101—राज्य भूमि उपयोग परिषद् का गठन—

01—वेतन	5,65
03—महंगाई भत्ता	2,50
04—यात्रा व्यय	1,00
05—अन्य भत्ते	1,85
06—कार्यालय व्यय	3,50
09—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50
33—अन्य व्यय	5,00
योग	20,00

क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने एवं पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु निधियों का सृजन

प्रदेश में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास की नितान्त आवश्यकता है। साथ ही प्रत्येक त्र के अन्दर ही आपसी विषमताओं पर भी विचार करना आवश्यक है। प्रदेश में इस ओर विकेन्द्रीकृत जिला योजनाओं के तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन जिला योजनाओं से किये गये प्रयास ही पर्याप्त नहीं है इसलिये पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के रित विकास हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में क्रमशः 20 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये की दो निधियां सृजित किया ना प्रस्तावित है। निधि से व्यय की विस्तृत प्रक्रिया बाद में समुचित विचारोपरान्त निर्धारित कर ली जायगी। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 25,00,00,000 रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2575 -अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य

797--आरक्षित निधियों और निक्षेप लेखाओं को अन्तरण--

01--पूर्वांचल के त्वरित विकास के लिये पूर्वांचल विकास निधि का सृजन--

29--अन्तर्लेखा संक्रमण--	20,00,00
02--बुन्देलखण्ड के त्वरित विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि का सृजन--	
29--अन्तर्लेखा संक्रमण	5,00,00
योग ..	25,00,00

प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष का वातानुकूलन

प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान के प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर कक्ष को प्रशिक्षण सत्रों तथा कार्यशालाओं के समुचित आयोजन की दृष्टि से वातानुकूलित किये जाने का प्रस्ताव है। एतदर्थ वातानुकूलित प्लान्ट, बिजली फिटिंग, थ्री फेज बिजली कनेक्शन, ट्रान्सफारमर आदि की व्यवस्था पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 4,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3451--सचिवालय-आर्थिक सेवायें--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

092--अन्य कार्यालय--

03--प्रशिक्षण प्रभाग-

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 4,50

सामाजिक विज्ञान संस्थानों को अनुदान

राज्य में तीन संस्थायें सामाजिक विज्ञान विषयों में अनुसंधान के कार्यों में लगी हुई हैं जिनके लिये भारतीय सामाजि विज्ञान अनुसंधान परिषद् दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में अनुदान दिया जाता है। परिषद् अप अंशदान संस्थाओं को स्वयं देता है उसी के समतुल्य अंशदान राज्य सरकार को देना होता है। वर्ष 1990-91 में परिषद् ने गांधी वि संस्थान, वाराणसी को 50 प्रतिशत अंशदान के रूप में स्टाफ कार तथा भवन निर्माण हेतु 4,25,000 रु0 की धनराशि अनुमोदि की है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आ व्ययक में 4,25,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3451--सचिवालय आर्थिक सेवायें--आयोजनागत-- (हजार रुपयों मे

092--अन्य कार्यालय-

01--गांधी विद्या संस्थान वाराणसी को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,2

नवीन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ 5 इलेक्ट्रानिक टाइप राइटरों का क्र पी0 बी0 एक्स टेलीफोन के अवशेष बिलों का भुगतान

नवीन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 5 इलेक्ट्रानिक टाइप-राइटरों का क्रय, पी0बी0 एक्स टेलीफोन के बि के भुगतान आदि पर वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3451--सचिवालय--आर्थिक सेवाएं--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

092--अन्य कार्यालय--

01--राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)--

06--कार्यालय व्यय	2,(
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,:
योग ..	5,(

जिल अर्थ अधिकारी / संख्याधिकारी कार्यालयों में साज-सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था ।

जिला अर्थ अधिकारी / संख्याधिकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराए गए अन्य संयंत्रों / उपकरणों के साथ फोटो कापियर, अमोनिया प्रिन्ट मशीन एवं पेन्टाग्राफ मशीनों के रख-रखाव के लिए कमरों का वातानुकूलित होना आवश्यक है किन्तु सभी जिलों में वातानुकूलन की व्यवस्था सम्भव न होने के [illegible] मैदानी 55 जनपदों में 4 कूलर प्रति जनपद की दर से 60,000 रु० की लागत से कुल 220 कूलर की व्यवस्था अभिलेखों की सुरक्षा के लिए 5,50,000 रु० लागत से इन जनपदों में प्रति जनपद 5-5 लोहे की अलमारी अर्थात् कुल 275 लोहे की अलमारियों तथा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु 1,76,000 रु० की लागत से इन जनपदों में प्रति जनपद 4 लोहे के रिकार्ड रैक अर्थात् कुल 200 रैक क्रय करने का प्रस्ताव है । 1990-91 में उपर्युक्त उपकरण एवं संयंत्रों की व्यवस्था पर कुल 13,86,000 रु० का व्यय अनुमानित है । तदनुसार बित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,86,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार बिभाजन--

3454--जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यकी--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--सर्वेक्षण और सांख्यकीय

800--अन्य व्यय--

01--जिला अर्थ अधिकारी / संख्याधिकारी कार्यालय में साज-सज्जा एवं उपकरण आदि की पूर्ति (जिला योजना)

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 13,86

न्याय विभाग

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निदश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय परिसर में ट्यूबवेल की स्थापना एवं पम्प भवन का निर्माण	..	3,56	..	3,56	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	109 प
2	जिला जजी फैजाबाद के परिसर में स्थिति न्यायिक अधिकारियों के आवासों में अविरल जल आपूर्ति हेतु नलकूप का निर्माण	..	1,99	..	1,99	4216—आवास पर पूंजी परिव्यय	109 प
	योग	..	5,55	..	5,55		

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायालय परिसर में ट्यूबबेल की स्थापन एवं पम्प भवन का निर्माण,

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जल आपूर्ति सुव्यवस्थित ढंग से किये जाने के उद्देश्य से 3,56,000 रुपये की अनुमानित लागत से ट्यूबबेल की स्थापना एवं पम्प हाउस का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है । तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 3,56,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :--

4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत (हजार रुपयों में)

60-अन्य इमारतें—

051-निर्माण—

01-उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिसर में ट्यूबवल की स्थापना एवं पम्प हाउस का निर्माण

18—वृहत निर्माण कार्य 3,56

जिला जजी फैजाबाद के परिसर में स्थित न्यायिक अधिकारियों के आवासों में अविरल जल आपूर्ति हेतु नलकूप का निर्माण

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर जल की आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था न होने के कारण अत्यन्त कठिनाई हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए 1,99,000 रुपये की अनुमानित लागत पर जिला जजी, फैजाबाद के परिसर में स्थित न्यायिक अधिकारियों के आवासों में जल आपूर्ति हेतु नलकूप निर्माण का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,99,000 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

4216-आवास पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

01-सरकारी रिहायशी इमारतें—

700-अन्य आवास—

02-निर्माण न्याय प्रशासन-आवास-जिला जजी फैजाबाद के परिसर में स्थित न्यायिक अधिकारियों के आवासों में जल आपूर्ति हेतु नलकूप निर्माण

18—वृहत् निर्माण कार्य 1,99

परिवहन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदूषण नियंत्रण हेतु पेट्रोल व डीजल चालित गैस एनालाइजर का क्रय	5,75	..	..	5,75	2041-वाहनों पर कर	113 प
2	प्लास्टिक कार्ड पर ड्राइविंग लाईसेन्स जारी करने हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय बस्ती, बहराइच, बाराबंकी व फतेहपुर के लिये 4संयंत्रों का क्रय।	4,36	..	..	4,36	तदैव	113 प
3	परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों के लिये वाहनों की गति-मापन हेतु "हैन्ड हैल्ड ट्राफिक राडार" का क्रय	3,15	..	..	3,15	तदैव	113 प
4	चेक पोस्टों के लिए ट्यूबलर स्ट्रक्चर भवनों का निर्माण	..	13,43	..	13,43	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	113 प
5	लखनऊ व गोरखपुर में ड्राइवरों के टेस्ट के लिए टेस्टिंग ग्राउन्ड पर टेस्टिंग ट्रैक्स, ट्रैक्स सिग्नल आदि की व्यवस्था	..	10,72	..	10,72	तदैव	114 प
6	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों का क्रय	..	13,28,00	..	13,28,00	"5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय"	114 प
	योग:	13,26	13,52,15	..	13,65,41		

प्रदूषण नियन्त्रण हेतु पेट्रोल व डीजल चालित गैस एनालाइजर का क्रय

केन्द्रीय मोटर वेहिकिल्स नियमावली, 1989 के अन्तर्गत वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये धुएं व गैस के मानक निर्धारित करने व उनकी चेकिंग का प्राविधान है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों द्वारा इस अपराध को रोकने हेतु वाहनों की चेकिंग की जाती है। प्रवर्तन दलों के उपयोगार्थ 5 पेट्रोल व डीजल चालित गैस एनालाइजरों के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 5,75,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 5,75,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2041—वाहनों पर कर-आयोजनागत		(हजार रुपयों में)
001—निदेशन और प्रशासन—		
01—अधिष्ठान—	..	5,75
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..		

प्लास्टिक कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती, बहराइच, व राबंकी व फतेहपुर के लिए 4 संयंत्रों का क्रय।

मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर वाहन चालकों के लिये ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किये जाते हैं। वाहन चलाते समय इन लाइसेंसों को सदैव अपने पास रखना पड़ता है। साधारण कागज पर बने लाइसेंस टिकाऊ नहीं होते और उन्हें साथ रखने में कठिनाई होती है। अब तक प्रदेश के 28 जनपदों में प्लास्टिक कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था की जा चुकी है। वर्ष 1990-91 में उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी व फतेहपुर द्वारा प्लास्टिक कार्ड पर लाइसेस जारी करने के लिये चार संयंत्र क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,80,000 रु० अनावर्तक व 2,56,000 रु० आवर्तक अर्थात कुल 4,36,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 4,36,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृत विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2041—वाहनों पर कर-आयोजनागत—		(हजार रुपयों में)
001—निदेशन और प्रशासन—		
01—अधिष्ठान—		
06—कार्यालय व्यय	.. ..	2,56
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	.. ..	1,80
	योग ..	4,36

परिवहन विभाग के प्रवर्तन दलों के लिये वाहनों की गतिमापन हेतु "हैन्ड हैल्ड ट्राफिक राडार" का क्रय

निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहनों का संचालन एक दंडनीय अपराध है। मोटर कानूनों के प्रवर्तन हेतु परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल मार्ग पर चेकिंग करते हैं परन्तु उनके पास वाहनों के गति के मापने के लिये यंत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे गति-नियंत्रण संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की जांच संभव नहीं हो पाती है। अतएव प्रवर्तन दलों को वाहनों की गति मापने के लिये सात "हैन्ड हैल्ड ट्राफिक राडार" उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 3,15,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 3,15,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2041—वाहनों पर कर-आयोजनागत—		(हजार रुपयों में)
001—निदेशन एवं प्रशासन—		
01—अधिष्ठान—		
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	.. .. ..	3,15

चेकपोस्टों के लिये ट्यूबलर स्ट्रक्चर भवनों का निर्माण

बाहर से आने वाले ट्रकों/बसों से प्रदेश के "इन्ट्री प्वाइन्ट" पर पथकर आदि वसूल करने हेतु 37 चेकपोस्टें स्थापित हैं। इन चेकपोस्टों पर टेन्ट आदि लगाकर कार्य सम्पादित किया जाता है। जिससे सरकारी राजस्व की असुरक्षा के साथ ही साथ कर्मचारियों के बैठने, रिकार्ड व फर्नीचर आदि रखने की उपयुक्त व्यवस्था न होने से नित्यप्रति के कार्य में कठिनाई होती है। अतएव प्रति चेकपोस्ट पर 79,000 रु० की लागत से 17 ट्यूबलर स्ट्रक्चर भवनों के निर्माण करने का प्रस्ताव है जिस पर चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में 13,43,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 13,43,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित, धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य इमारतें--

051--निर्माण--

02--चेकपोस्टों के लिये ट्यूबलर स्ट्रक्चर भवनों का निर्माण--

19--लघु निर्माण कार्य 13,43

लखनऊ व गोरखपुर में ड्राइवरों के टेस्ट के लिए टेस्टिंग ग्राउण्ड पर टेस्टिंग ट्रैक्स, ट्रैक्स सिग्नल आदि की व्यवस्था

वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करते समय उनका ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट के लिये उपयुक्त मैदान की व्यवस्था नहीं है। अतएव शनै: शनै: परिवहन कार्यालयों में टेस्टिंग ग्राउन्ड की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ व गोरखपुर में ड्राइवरों के टेस्ट के लिये 'टेस्टिंग ग्राउन्ड' हेतु उपलब्ध भूमि पर चालकों के टेस्ट के लिये टेस्टिंग ट्रैक्स, ट्रैक्स सिग्नल आदि की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 10,72,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 10,72,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय

01--निर्माण कार्य-लखनऊ व गोरखपुर में टेस्टिंग ग्राउन्ड पर टेस्टिंग ट्रैक्स आदि की व्यवस्था--

18--वृहत् निर्माण कार्य 10,72

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों का क्रय

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्था है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जिसके सुदृढ़ीकरण एवं नई चेसिसों के क्रय हेतु वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 13,28,00,000 रु० की अंशपूंजी विनियोजित किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में आय-व्ययक में 13,28,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5055--सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों का क्रय-- (हजार रुपयों में)

24--निवेश/ऋण 13,28,00

पर्यटन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
2	3	4	5	6	7	8
पर्यटन कार्यालय, उ0 प्र0 नई दिल्ली के लिये एक अतिरिक्त डीलक्स एम्बेसडर कार का क्रय तथा कार चालक के एक अस्थायी पद का सृजन	1,42	..	..	1,42	3452--पर्यटन	117 प
पर्यटन निदेशालय, लखनऊ हेतु एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर का क्रय	40	..	..	40	तदैव	117 प
प्रदेश के मैदानी भाग में विभिन्न माध्यमों से पर्यटन प्रचार प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन	58,00	..	..	58,00	तदैव	117 प
आगरा नगर में मुमताज बाग (ताज नेशनल पार्क) के निर्माण हेतु अध्याप्त की जा रही भूमि की कटीले तारों द्वारा फेंसिंग।	..	13,91	..	13,91	5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	118 प
वाराणसी में फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट की स्थापना हेतु उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को अंशपूंजी	..	20,00	..	20,00	तदैव	118 प
श्रीवास्ती (बहराइच) में भारत सरकार द्वारा पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु श्रावस्ती स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 के निरीक्षण भवन एवं उससे सम्बद्ध भूमि का भारत सरकार पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण	..	11,42	..	11,42	तदैव	118 प
केन्द्रीय वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के नौ स्थानों पर मार्गीय सुविधाओं के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था	..	10,00	..	10,00	तदैव	118 प
जनपद कानपुर देहात में फतेहपुर रोशनाई तथा महराजपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण	..	40,00	..	40,00	तदैव	119 प
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित इकाइयों में जेनरेटर की व्यवस्था	..	15,15	..	15,15	तदैव	119 प
उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाइयों (पर्यटक आवास गृहों आदि) का जीर्णोद्धार एवं [illegible]	..	17,00	..	17,00	तदैव	119 प
योग ..	59,82	1,27,48	..	1,87,30		

पर्यटन कार्यालय, उ० प्र०, नई दिल्ली के लिये एक अतिरिक्त डीलक्स एम्बेसडर कार का क्रय तथा कार चालक के एक अस्थायी पद का सृजन

उत्तर प्रदेश के सहायक निदेशक, पर्यटन कार्यालय, नई दिल्ली के लिये एक ही कार उपलब्ध है किन्तु वर्तमान में पर्यटन की गतिविधियों में आशातीत वृद्धि, होने के कारण एवं दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के अवसर पर एक ही वाहन होने के कारण प्रायः टैक्सियों की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे राजकीय कोष पर भार पड़ता है। विशिष्ट अतिथियों तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदेश की पर्यटन विकास की योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाता है जिसके लिये भी वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः पर्यटन के उत्तरोत्तर बढ़ रहे कार्यकलापों के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु सहायक निदेशक पर्यटन कार्यालय, नई दिल्ली के लिये 1,25,000 रु० की अनुमानित लागत पर एक पेट्रोल चालित डीलक्स एम्बेसडर कार क्रय करने तथा 950-1500 रु० के वेतनमान में एक वाहन चालक के पद के सृजन का प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1990-91 में 1,42,000 रु० (17,000 रु० आवर्तक तथा 1,25,000 रु० अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,42,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3452--पर्यटन--आयोजनागत--

80--सामान्य--

104-संवर्द्धन और प्रचार--

	(हजार रुपयों में)
01--अधिष्ठान--	
01--वेतन	7
03--महंगाई भत्ता	2
05--अन्य भत्ते	1
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,25
09-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	7
योग	1,42

पर्यटन निदेशालय, लखनऊ हेतु एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर का क्रय

वर्तमान समय में पर्यटन विभाग का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और इसके लिए, विशेष कर बौद्ध परिपथ के विकास हेतु भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं का प्रारूप एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भेजनी होती है। केन्द्र सरकार को जो योजनाएं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रेषित की जाती हैं, उन्हें स्वच्छ एवं आकर्षक ढंग से तैयार करने के लिए पर्यटन निदेशालय के लिए वर्ष 1990-91 में एक द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर क्रय करने का प्रस्ताव है। इस पर 40,000 रु० का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 40,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

3452--पर्यटन--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

001--निदेशन और प्रशासन--

01--अधिष्ठान--

06--कार्यालय व्यय	40

प्रदेश के मैदानी भाग में विभिन्न माध्यमों से पर्यटन प्रचार प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन

प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु देशी विदेशी पर्यटकों को अधिकाधिक आकर्षित करने हेतु विगत वर्षों की भांति वर्ष 1990-91 में भी विभिन्न माध्यमों से पर्यटन प्रचार करने हेतु कुल 58,00,000 रु० (51,50,000 रु०) विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु 3,00,000 रु० तथा अयोध्या व चित्रकूट में रामायण मेलों के आयोजन करने के लिये क्रमशः 2,00,000 रु० व 1,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 58,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

3452-पर्यटन-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80-सामान्य--

800-अन्य व्यय--

01-पर्यटन सूचना और प्रचार	
14- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	55,00
02-प्रदर्शनियों पर भाग लेने पर व्यय--	
33-अन्य व्यय	3,00
योग	58,00

आगरा नगर में मुमताज बाग (ताज नेशनल पार्क) के निर्माण हेतु अध्याप्त की जा रही भूमि की कंटीले तारों द्वारा फेंसिंग

जनपद आगरा में मुमताज बाग (ताज नेशनल पार्क) के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही 339.441 एकड़ भूमि को अवैध कब्जों से सुरक्षित रखने के लिए कटीले तारों से फेंसिंग कराने का प्रस्ताव है। जिस पर 13,91,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,91,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

104--संवर्द्धन और प्रचार--

30--आगरा नगर में मुमताज बाग (ताज नेशनल पार्क) के निर्माण हेतु भूमि की फेंसिंग--

18--वृहत् निर्माण-कार्य 13,91

वाराणसी में फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट की स्थापना हेतु उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम को अंश पूंजी

पर्यटकों की स्वल्पाहार आवश्यकता की त्वरित पूर्ति हेतु उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वाराणसी में एक फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट की स्थापना हेतु वर्ष 1990-91 में निगम को 20,00,000 रु० की धनराशि अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 20,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृत विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--
आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

104--संवर्द्धन और प्रचार--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को पूंजी विनियोजन--

24--निवेश / ऋण 20,00

श्रावस्ती (बहराइच) में भारत सरकार द्वारा पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु श्रावस्ती स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ० प्र० के निरीक्षण भवन एवं उससे सम्बद्ध भूमि का भारत सरकार पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण

श्रावस्ती (जनपद बहराइच) में भारत सरकार द्वारा पर्यटक परिसर के निर्माण हेतु श्रावस्ती स्थित लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के निरीक्षण भवन एवं उससे सम्बद्ध भूमि भारत सरकार को हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके मूल्य 11,42,000 रुपये का भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को किया जाना है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,42,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80-सामान्य--

104--सम्वर्द्धन और प्रचार--

01--पर्यटक-आवास गृहों के लिये भूमि की अध्याप्ति--

18--वृहत् निर्माण कार्य 11,42

केन्द्रीय वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के नौ स्थानों पर मार्गीय सुविधाओं के निर्माणार्थ भूमि की व्यवस्था

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 स्थानों अलीगढ़, खुर्जा (जनपद बुलन्दशहर), बेवर (जनपद मैनपुरी), छिबरामऊ (जनपद फर्रुखाबाद), औरैया (जनपद इटावा), खागा (जनपद फतेहपुर), सीतापुर, ललितपुर, कलिन्जर (जनपद बांदा) तथा पिपरहवा (जनपद सिद्धार्थ नगर) में मार्गीय सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। भूमि, जल, विद्युत आदि की व्यवस्था, राज्य सरकार को अपने साधनों से करनी होगी। इन दस स्थलों में से पिपरहवा में भूमि उपलब्ध है तथा शेष 9 स्थलों पर भूमि व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त की जायेगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय- आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

08--सामान्य--

104-सम्वर्द्धन और प्रचार--

01-पर्यटक आवास गृहों के लिये भूमि की अध्याप्ति--

18-वृहत् निर्माण कार्य 10,00

जनपद कानपुर देहात में फतेहपुर रोशनाई तथा महराजपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण

जनपद कानपुर देहात में फतेहपुर रोशनाई तथा महराजपुर में भारत सरकार द्वारा एक-एक मार्गीय सुविधा के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। इन मार्गीय सुविधाओं हेतु स्टाफ क्वार्टर्स, वाह्य विद्युतीकरण, वाह्य जल आपूर्ति, चहारदीवारी, सीवरेज, एप्रोच रोड आदि पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 40,00,000 रु0 (प्रत्येक मार्गीय सुविधा हेतु 20,00,000 रु0) अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है जिसे राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होगा। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 40,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

104--सम्वर्द्धन और प्रचार--

30--जनपद कानपुर देहात में महराजपुर एवं फतेहपुर रोशनाई में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण-कार्य 40,00

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में संचालित इकाइयों में जेनरेटर की व्यवस्था

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित 36 पर्यटक आवास गृहों, होटलों व मार्गीय सुविधाओं में निरन्तर विद्युत् आपूर्ति न होने के कारण उनके संचालन में कठिनाई के साथ ही उनमें पर्यटकों का आगमन भी प्रभावित होता है। अतएव उक्त 36 इकाइयों में निरन्तर विद्युत् की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए जेनरेटर सेटों के लगाने हेतु उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1990-91 में 15,15,000 रु0 को अंशपूंजी दिए जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 15,15,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

104--सम्वर्द्धन और प्रचार--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उ0 प्र0 पर्यटन विकास निगम को पूंजी विनियोजन--

24--निवेश / ऋण 15,15

उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाइयों (पर्यटक आवास गृहों आदि) का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण

पर्यटकों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित निम्नलिखित आवास गृहों के 81 बाथ रूमों को 17,00,000 रु0 की अनुमानित लागत से जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में उ0 प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को 17,00,000 रु0 की धनराशि अंशपूंजी के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है:

क्रम-संख्या	आवास गृह का नाम		बाथ रूमों की संख्या
1	टूरिस्ट बंगला, राजा की मण्डी, आगरा	..	15
2	टूरिस्ट बंगला, वाराणसी	..	8
3	टूरिस्ट बंगला, हरिद्वार	..	24
4	होटल ताज खेमा, आगरा	..	8
5	गजल टूरिस्ट, रिजोर्ट, नरोरा	..	6
6	टूरिस्ट बंगला, हिण्डन, गाजियाबाद	..	8
7	टूरिस्ट बंगला, भदोही, वाराणसी	..	6
8	मार्गीय सुविधा, कन्नौज	..	6
		योग ..	81

तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 17,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जावेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन --

(हजार रुपयों में)

5452--पर्यटन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

80--सामान्य--

104--सम्वर्द्धन और प्रचार--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम को पूंजी विनियोजन--

24--निवेश / ऋण 17,00

पशुधन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

म-ख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य संबंधित पशु रोगों के नियंत्रण की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	3,00	..	..	3,00	2403-पशुपालन	125 प
2	सी0 डी0 एफ0, अलीगढ़ के पशुधन उद्योग निगम के स्लाटर हाउस, का आधुनिकीकरण	58,00	..	..	58,00	तदैव	125 प
3	चारा एवं चरागाह विकास की योजना (जिला योजना)	12,00	..	..	12,00	तदैव	126 प
4	प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खुरपका, मुंहपका रोग के रोकथाम की योजना (जिला योजना)	15,60	..	..	15,60	तदैव	126 प
5	सघन भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण	3,20	..	..	3,20	तदैव	127 प
6	पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजना	3,00	..	..	3,00	तदैव	127 प
7	पशुपालन विभाग के प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण	12,00	..	..	12,00	तदैव	128 प
	विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम	1,51,08	..	..	1,51,08	तदैव	128 प
9	गाय / भैंस में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना	30,00	..	..	30,00	तदैव	129 प
	प्रदेश के आपरेशन फ्लड-11 क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के गायों में संकर प्रजनन तथा भैंसों में अति-हिमीकृत वीर्य द्वारा पशु प्रत्याभिजनन की योजना	1,00	..	..	1,00	तदैव	129 प

पशुधन विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का विवरण पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड से कुक्कुट उत्पादन तथा उसके क्रय-विक्रय की व्यवस्था	24,00	..	..	24,00	2403—पशुपालन	130
12	गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	1,20,00	..	..	1,20,00	तदैव	13[illegible]
13	पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार (जिला योजना)	3,19	..	..	3,19	तदैव	131
14	पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार योजना	1,00	..	..	1,00	तदैव	131
15	राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशु जन्य पदार्थों के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की योजना	2,00	..	..	2,00	तदैव	131
16	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना, ऊन श्रेणीकरण, क्रय-विक्रय, सघन भेड़ विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)	14,25	3,25	..	17,50	2403—पशुपालन एवं 4404—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	13[illegible]
17	सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)	1,65	12,95	..	14,60	तदैव	1[illegible]
18	पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	4,90	4,08	..	8,98	तदैव	1[illegible]
19	पशु जैविक औषधि संस्थान की स्थापना एवं विस्तार की योजना	22,50	1,50	..	24,00	तदैव	1[illegible]

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
20	प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरीज की स्थापना, कार्यरत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य समन्वित कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के सम्पादन की योजना	17,10	25,10	..	42,20	2403—पशुपालन तथा 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	135प
21	पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं के सुधार तथा विस्तार की योजना (जिला योजना)	2,34,78	67,41	..	3,02,19	तदैव तदैव	135प
22	भारतीय मूल नस्ल की गोवंशीय महिष वंशीय पशु प्रजनन के संरक्षण एवं विकास की योजना (50 प्रतिशत की दर से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)	8,00	2,00	..	10,00	तदैव	136प
23	आधारीय / प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय चारा बीज प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	4,50	3,50	..	8,00	तदैव	137प
24	वृहत भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा के सुदृढ़ीकरण की योजना	1,97	8,03	..	10,00	तदैव	138प
25	राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं विस्तार की योजना	34,60	15,40	..	50,00	तदैव	139प
26	राज्य में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं प्रजनन सुविधाओं का विस्तार (जिला योजना)	7,83	4,67	..	12,50	तदैव	139प
27	प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा हैचरीज की स्थापना	..	84,11	..	84,11	तदैव	140प
28	प्रदेश में ऊन बोर्ड की स्थापना	..	10,00	..	10,00	तदैव	141प
	योग ..	7,91,15	2,42,00	..	10,33,15		

राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य सम्बन्धित पशु रोगों के नियंत्रण की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

रैबीज एक भयानक रोग है जो कुत्तों के काटने से उत्पन्न होता है और पशुओं से मनुष्यों को लगता है। पशु अथवा मनुष्य के इस रोग में एक बार रोग ग्रसित हो जाने पर उसकी जीवन रक्षा करना कठिन हो जाता है। यह बीमारी राष्ट्रीय स्तर की है और इस पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मुख्यालय पर कैनाइन रैबीज यूनिट की एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस इकाई से प्रदेश की सभी महानगरों के महानगरपालिकाओं में कुत्तों के रैबीज नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा जिसके अन्तर्गत पालतू कुत्तों को अनिवार्य रूप से बीमारी के बचाव के टीके लगाये जायेंगे। इस इकाई की स्थापना पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा। वर्ष 1990-91 में आवश्यक साज-सज्जा, केमिकल्स ड्रग्स, फाइलेकिक वैक्सीन आदि का क्रय किया जायगा, जिस पर कुल 3,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 3,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
101--पशुचिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य--
01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--
0103--राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य सम्बन्धी पहलुओं की पशुरोगों की विधिवत् नियंत्रण की योजना, (50 प्रतिशत की दर से केन्द्र पुरोनिधानित योजना--

20--मशीनें और साज-सज्जा उपकरण और संयंत्र	43
33--अन्य व्यय	1,66
योग ..	2,09

0104--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--
राष्ट्रीय महत्ता तथा अन्य संबंधी पहलुओं की पशु रोगों के विधिवत् नियंत्रण की योजना

25--सामग्री और सम्पूर्ति	91
योग ..	3,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
	रु0		
अनुदान	1,50,000	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान ..	50 प्रतिशत
		04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान--	
		800--अन्य अनुदान--	
		15--पशुपालन--	
		1502--पशुचिकित्सा और सेवायें पशु स्वास्थ्य--	

सी0 डी0 एफ0, अलीगढ़ के पशुधन उद्योग निगम के स्लाटर हाउस का आधुनिकीकरण

पशुधन उद्योग निगम सी0डी0एफ0 अलीगढ़ पर स्थित स्लाटर हाउस व वर्तमान बेकन फ़ैक्ट्री को कार्य क्षमता में वृद्धि के लिये उसकी मशीनरी में सुधार, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का प्रस्ताव है। इस फ़ैक्ट्री से तैयार किया हुआ मांस मुख्यत: सेना को तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित विक्रय केन्द्रों के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जाता है। इस स्लाटर हाउस के आधुनिकीकरण से अच्छे तथा स्वास्थ्य वातावरण में तैयार किया हुआ मांस प्राप्त हो सकेगा। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में कुल 58,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है जिसमें से 50 प्रतिशत की दर से 29,00,000 रु० भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 58,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
105--सूकर विकास--
01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--
0101--पशुधन उद्योग निगम सी0 डी0 एफ0, अलीगढ़ के स्लाटर हाउस एवं बेकन फ़ैक्ट्री का आधुनिकीकरण--

20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	58,00

3—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	29,00	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान—04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान—800—अन्य अनुदान—15—पशुधन—सूकर विकास	50 प्रतिशत

चारा एवं चरागाह विकास की योजना (जिला योजना)

प्रदेश में पशुओं के लिये चारा उत्पादन वृद्धि हेतु उन्नतिशील चारा बीजों, के क्रय एव एटा जनपद की कुम्हारू ग्राम सदन पर चारा प्रदर्शन क्षेत्र के विकास एवं बीज उर्वरकों के क्रय का प्रस्ताव है, जिस पर वर्ष 1990-91 में 12,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2403—पशुपालन—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

107—चारा एवं दाना विकास—

05—प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास (जिला योजना)

25—सामग्री और सम्पूर्ति 12,00

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में खुरपका मुंहपका रोग के रोकथाम की योजना (जिला योजना)

खुरपका-मुंहपका रोग पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है और इस बीमारी से दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में भारी कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस बीमारी से संकर प्रजनन तथा विदेशी जातियों के पशुओं पर मुख्य रूप से कुप्रभाव पड़ता है। इस योजना के लिए भारत सरकार से 50 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। इस बीमारी की रोकथाम हेतु योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी चालू रखा जाना प्रस्तावित है। योजना पर वर्ष 1990-91 में 15,60,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है, जिसमें 50 प्रतिशत की दर से 7,80,000 रु० की केन्द्रीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होगी तथा वैक्सीन के मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों से वसूल की जायगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 15,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2403—पशुपालन—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

101—पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य—

01—केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—

0101—खुरपका-मुंहपका रोग के उन्मूलन हेतु वैक्सीन की व्यवस्था (केन्द्र सहायता—50 प्रतिशत की दर से)—

25—सामग्री एवं सम्पूर्ति 10,60

0102—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—खुरपका-मुंहपका रोग हेतु वक्सीन की व्यवस्था—

25—सामग्री और सम्पूर्ति 5,00

योग .. 15,60

3—भारत सरकार से प्राप्त सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अन्तर्गत सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
अनुदान	7,80	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान- 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान— 15—पशुपालन— 1502—पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	50 प्रतिशत

4—पशुपालकों से प्राप्त होने वाली धनराशि—

लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों में)
0403—पशुपालन— 800—अन्य प्राप्तियां— 06—प्रकीर्ण प्राप्तियां	रु 0 5,30

सघन भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भरारी (झांसी), सैदपुर (ललितपुर), आटा तथा बोहदपुरा (जालौन) पर उत्तम कोटि की कार्पेट म्प ऊन प्रदान करने वाली नस्ल की भेड़ रखी गई हैं। वर्ष 1990-91 में उक्त चार प्रक्षेत्रों की भेड़ों के ऊन उतारने की अच्छी कस्म की मशीन उपलब्ध कराकर प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु 4 शीएरिंग मशीनें एवं नके स्पेयर पार्टस के क्रय पर कुल 3,20,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यक में 3,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2403—पशुपालन—आयोजनागत—
104—भेड़ और ऊन विकास—
02—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—
0201—भेड़ विकास प्रायोजना एवं भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना —
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 3,00

पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजना

प्रदेश में ग्राम स्तरीय पशुधन प्रसार कार्य को सम्पादित करने के लिये पशुधन प्रसार निरीक्षकों की कमी को दूर करने हेतु ीत में एक अतिरिक्त पशुधन प्रसार निरीक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, भैंसोड़ा (वाराणसी) की स्थापना की गई है। यह प्रशिक्षण वर्ष की अवधि का है तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद 100 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होकर नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रशिक्षण की प्रवेश क्षमता 100 अभ्यर्थियों की होगी तथा प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 200 रु० छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। प्रशिक्षण क्रम के कार्यान्वयन हेतु कार्यालय एवं छात्रावास को साज-सज्जा, फर्नीचर, लाइब्रेरी तथा प्रशिक्षार्थियों को दी जाने वाली वृत्ति पर वर्ष 1990-91 में कुल 3,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार इतनी धनराशि की आय-व्ययक में स्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2403—पशुपालन-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)
109—विस्तार और प्रशिक्षण
07—पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की योजना

06—कार्यालय व्यय	..	..	..	..	40
15—छात्रवृत्ति और छात्रवेतन		..	..	..	60
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		..	..	..	2,00
			योग	..	3,00

पशुपालन विभाग के प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 1990-91 में प्रदेश के 6 नव सृजित जनपदों—मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र तथा महराजगंज में जिला पशुधन अधिकारी के कार्यालय की स्थापना और उसके लिये प्रत्येक जनपद में जिला पशुधन अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, सहायक लेखाकार, अन्वेषक एवं सगणक, कनिष्ठ लिपिक, टंकक, कार्यालय चपरासी, अर्दली के एक-एक पद तथा उपनिदेशक, कानपुर मण्डल कार्यालय हेतु कनिष्ठ लिपिक के तीन एवं पशुपालन निदेशालय पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के एक पद के सृजन का प्रस्ताव है, इन पदों के वेतन इत्यादि फर्नीचर एवं टंकण मशीन के क्रय आदि पर वर्ष 1990-91 में कुल 12,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 12,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2403-पशुपालन-आयोजनागत--	
001-निदेशन और प्रशासन--	
01-निदेशालय का अधिष्ठान--	
01--वेतन	7,02
03--मंहगाई भत्ता	2,82
04--यात्रा व्यय	12
05--अन्य भत्ते	90
06--कार्यालय व्यय	36
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	78
योग ..	12,00

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम

लघु सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ प्रदेश में दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता से विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्णसंकर बछिया, भेंड़, सूकर तथा कुक्कुट पालन उत्पादन कार्य प्रदेश के 18 जनपदों में चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्णसंकर बछिया, पड़िया, भेड़, सूकर तथा कुक्कुट उत्पादन हेतु लाभार्थियों को अनुदान दिया जाता है। इस योजना में 50 प्रतिशत की दर से भारत सरकार से सहायता प्राप्त होगी। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर कुल 1,51,08,000 रु० व्यय होने का अनुमान है तदनुसार आय-व्ययक में 1,51,08,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2403-पशुपालन-आयोजनागत--	
102—पशु और भैंस विकास—	
01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित—	
0103-लघु सीमान्त कृषकों एवं कृषक मजदूरों के लाभार्थ वर्णसंकर बछियों तथा पड़ियों के भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता—	36,0
0104-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान— लघु/सीमान्त कृषक एवं कृषक मजदूरों के लाभार्थ वर्णसंकर बछियों के भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)—	
14-अंशदान/सहायक अनुदान राज/सहायता—	14,(
106—अन्य पशु विकास—	
01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—	
0101-लघु/सीमान्त कृषकों एवं कृषक मजदूरों के लाभार्थ कुक्कुट/भेड़ और सूकर उत्पादन की योजना (जिला-योजना)—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता—	70,0
0102-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान— लघु सीमांत कृषकों एवं कृषक मजदूरों के लाभार्थ कुक्कुट/भेड़ एवं सूकर उत्पादन की योजना (जिला योजना) —	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता--	31,0
कुल योग ..	1,51,0

3—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखाशीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	75,54	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान— 4—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान 800—अन्य अनुदान 15—पशुपालन 1503—पशु और भैंस विकास 1505—अन्य पशु विकास—	50 प्रतिशत

गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना

कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु तरल नत्रजन पात्रों का क्रय, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट (बाराबंकी) में विद्युतीकरण एवं तरल नत्रजन संयंत्रों के अनुरक्षण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यू0पी0 पोल्ट्री एवं लाइवस्टाक स्पेशिलीटीज लि0, को उनके द्वारा पूर्व में बैंक को भुगतान की गयी 12,73,000 रु0 की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है। इस पर वर्ष 1990-91 में कुल 30,00,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 30,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन--आयोजागत--

102--पशु और भैंस विकास-- (हजार रुपयों में)

23--गाय/भैंस के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (राज्य योजना)--

02--मजदूरी	10
06--कार्यालय व्यय	4
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	8,00
23--अनुरक्षण	1,50
25--सामग्री और सम्पूर्ति	50
33--अन्य व्यय	19,86
योग	30,00

प्रदेश के आपरेशन फ्लड-11 क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के गायों में संकर प्रजनन तथा भैंसों में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा पशु प्रत्याभिजनन की योजना

उक्त योजना प्रदेश के खीरी, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर तथा रामपुर जनपद में चल रही है जिसके अन्तर्गत बरेली तथा पीलीभीत में 7-8 लीटर प्रतिघंटा की क्षमता के साथ-साथ खीरी में 25 लीटर प्रति घंटा की क्षमता के तरल नत्रजन संयंत्र कार्यरत हैं। खीरी में स्थापित तरल नत्रजन संयंत्र से उत्पादित तरल नत्रजन का उपयोग क्षेत्र की तरल नत्रजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज के उत्पादन करने तथा खीरी में एक माइक्रोबायोलाजिकल तथा प्रोसेसिंग प्रयोगशाला भी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो अतिहिमीकृत वीर्य के आई0एस0आई0 मानकों के आधार पर वीर्य की गुणवत्ता की जांच करेगी। माइक्रोबायोलोजीलैब को सुचारु रूप से चलाने हेतु ग्लास वेयर एवं केमीकल्स पर 1990-91 में 50,000 रु0 एवं तरल नत्रजन प्लान्ट के सर्विसिंग तथा अनुरक्षण पर 50,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन-आयोजनागत--

102--पशु और भैंस विकास-- (हजार रुपयों में)

11--प्रदेश में आपरेशन फ्लड-11 क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के गायों में संकर प्रजनन तथा भैंसों में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा पशु प्रत्याभिजनन की योजना--

23--अनुरक्षण	50
25--सामग्री और सम्पूर्ति	50
योग	1,00

उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लिमिटेड से कुक्कुट उत्पादन तथा उसके क्रय-विक्रय की व्यवस्था

उक्त योजनान्तर्गत कुक्कुट उत्पादन के क्रय-विक्रय की व्यवस्था (मार्केटिंग) एवं इनपुट्स कमजोर वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे कुक्कुट उत्पादों को सीधे क्रय-विक्रय की सुविधा सुलभ होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी अण्डा तथा मांस उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना पर 50 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु यू0पी0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लिमिटेड को कुक्कुट उत्पादन तथा क्रय-विक्रय की व्यवस्था हेतु अंशदान के रूप में कुल 24,00,000 रु0 की धनराशि देने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 24,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

103-कुक्कुट विकास--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-- (हजार रुपयों में)

0102-उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लि0 लखनऊ को कुक्कुट उत्पादन के क्रय--विक्रय हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	24,00
योग ..	24,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रु0 में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता ..	12,00	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान- 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-- 800-अन्य अनुदान-- 15-पशुपालन-- 1503-कुक्कुट विकास	50 प्रतिशत

गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)

प्रदेश में भैंसों की विशाल पशुसंख्या को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधा अपनाई जाने के अतिरिक्त पशुपालकों को न्याय पंचायत स्तर पर इन्सेमिनेटरों के माध्यम से अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश के दस जनपदों में 62 केन्द्रों पर गायों में शंकर प्रजनन का कार्यक्रम बैंक के माध्यम से चालू रखने का भी प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1990-91 में कुल 1,20,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में कुल 1,20,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

102-पशु और भैंस विकास--

24-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधाये उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)-- (हजार रुपयों में)

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	24,00
21--मोटर गाड़ियों का क्रय	5,00
22--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	47
23--अनुरक्षण	8,30
25--सामग्री सम्पूर्ति	15,35
33--अन्य व्यय	30,88
योग ..	84,00

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-- (हजार रुपयों में)

0210--गायों एवं भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैंक के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		14,00
25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	7,00
33--अन्य व्यय	..	15,00
योग	..	36,00
कुल योग	..	1,20,00

पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार (जिला योजना)

प्रदेश के जनपदों में पशुपालन संबंधी कार्यक्रमों के बारे में पशुपालकों एवं कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जनपद में एक दिवसीय पशु प्रदर्शनी एवं काफ रैलीज का आयोजन, पुरस्कार का वितरण, पशुपालक गोष्ठियों का आयोजन तथा विभागीय प्रदर्शन कक्षों के आयोजन एवं प्रेक्षा गृह के निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1990-91 में कुल 3,19,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार इतनी धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था कर दी गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

102-पशु और भैंस विकास--

19-पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार और प्रचार (जिला योजना)

33--अन्य व्यय	..	2,09

02-अनुसूचित जन जातियों के कम्पोनेन्ट प्लान--

0207-पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार और प्रचार (जिला योजना)

25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	55
33--अन्य व्यय	..	55
योग	..	3,19

पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार योजना।

योजनान्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पशुपालन संबंधी कार्यक्रमों एवं उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में जनता को जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनियों में मण्डप का निर्माण तथा अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनियां आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। जिसमें विभागीय पशुओं के भाग लेने का प्रस्ताव है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन संबंधी कार्यक्रमों का समुचित प्रचार किया जाना है ताकि पशुपालकों को तकनीकी विधियों की जानकारी कराकर अधिक से अधिक लाभ उठाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार, इतनी ही धनराशि को वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

102-पशु और भैंस विकास

18-पशु विकास कार्यक्रमों का प्रसार एवं प्रचार योजना

33--अन्य व्यय	..	1,00
योग	..	1,00

राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की योजना

पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों (दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस) के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की वार्षिक सर्वेक्षण योजना वर्ष 1984-85 से प्रदेश में चलाई जा रही है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है। उक्त योजना मैदानी क्षेत्र के सम्पूर्ण जनपदों में सामान्य रूप से चलाये जाने हेतु उक्त योजना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने का

प्रस्ताव है। मैदानी क्षेत्र के शेष पांच मण्डलों के जनपदों में उक्त कार्यक्रम के विस्तार हेतु स्टाफ आदि की नितान्त आवश्यकता है जिससे कि पूर्व स्वीकृत पदों में एकरूपता हो जाय, और योजना के सफल कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। पदों के सृजन एवं साज-सज्जा के क्रय पर वर्ष 1990-91 में कुल 2,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है; जिसमें से 1,00,000 रु० की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 2,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	क्षेत्रीय अधिकारी	2000-3200	5
2	संख्या सहायक	1400-2600	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

113--प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यकी--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--

0101--पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यकीय अध्ययन तथा शोध कार्य--

01--वेतन	7[illegible]
03--महंगाई भत्ता	3[illegible]
04--यात्रा व्यय	1[illegible]
05--अन्य भत्ते	1[illegible]
06--कार्यालय व्यय	1
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि	6
योग ..	2,0[illegible]

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
सहायता	1,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान 800--अन्य अनुदान-- 15--पशुपालन-- 1504--प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यकीय	50 प्रतिशत

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना, ऊन श्रेणीकरण, क्रय विक्रय, सघन भेड़ विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं को उपल[illegible] कराना (जिला योजना)

उक्त योजनान्तर्गत भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों पर भवनों का निर्माण, ऊन विश्लेषण कार्यक्रम तथा भेड़ों को सामूहिक रूप दवा पान कराने एवं भेड़ों की मशीन द्वारा ऊन कतरने का कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में सामूहिक रूप दवापान, ऊन शेयरिंग मशीन का क्रय एवं ऊन प्रसार केन्द्रों पर भवन निर्माण पर कुल 17,50,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है जिसमें निर्माण कार्य पर 3,25,000 रु० की धनराशि शामिल है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में कुल 17,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2403--पशुपालन-आयोजनागत--

104--भेड़ और ऊन विकास--

10-- भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना (जिला योजना)--

25--सामग्री एवं आपूर्ति	7,25

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

6203--भेड़ प्रजनन--सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध कराना (जिला योजना)--

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	7,00
योग	14,25

4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

104--भेड़ एवं ऊन विकास--

03--भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)--

18--वृहत् निर्माण कार्य	3,25
योग ..	3,25
कुल योग ..	17,50

कर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)

सूकर पालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए सूकर बाड़ों का निर्माण कराकर उन पर उन्नतिशील नस्ल के सूकर सांड रखे येंगे जिससे स्थानीय नस्ल की सूकरियों का प्रजनन कराके नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जायेगा ताकि उत्पन्न उन्नति संतति सूकर पालकों उपलब्ध करायी जा सके। सूकरों को उत्तम स्वास्थ्य एवं रोगों के बचाव हेतु उचित खान-पान की व्यवस्था भी की जायगी। के अतिरिक्त सूकर पालकों को विशेष सुविधा दिए जाने हेतु संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र, अलीगढ़ पर अंशकालीन प्रशिक्षण जाने हेतु व्यवस्था की जायगी जिसके लिये अन्यत्र उपलब्ध स्टाफ से कार्य लिया जायेगा तथा इस हेतु नये पदों की आवश्यकता नहीं तदनुसार सूकरों के क्रय एवं उनके आहार आदि की व्यवस्था कराने तथा सूकर बाड़ों के निर्माण हेतु कुल 14,60,000 रु० की स्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

105-सूकर विकास

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0206--सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराना (जिला योजना)--

25--सामग्री सम्पूर्ति	1,65

4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

105-सूकर विकास

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0201--सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रजनन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)--

18--वृहत् निर्माण कार्य	12,95
योग ..	14,60

पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वि सांड़ों के क्रय तथा विभिन्न जनपदों में जहां पशुधन प्रक्षेत्र कार्यरत है भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है इ वर्ष 1990-91 में कुल 8,98,000 रु० व्यय होने का अनुमान है जिसमें 4,08,000 रु० निर्माण कार्य हेतु सम्मिलित है। तद वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 8,98,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाये

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रुपये

102--पशु और भैंस विकास--

22--पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)--

25--सामग्री और सम्पूर्ति-- .. .. ..

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0209-पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)--

25--सामग्री और सम्पूर्ति .. ..

योग ..

4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत----

102--पशु और भैंस विकास--

10--पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील पशुओं के उत्पादन हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)--

18--वृहत् निर्माण कार्य .. ..

कुल योग ..

पशु जैविक औषधि संस्थान की स्थापना एवं विस्तार की योजना।

प्रदेश में पशुओं एवं कुक्कुटों के प्रमुख संक्रामक रोगों के बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के वैक्सीनों का उत्पाद जैविक औषधि संस्थान में किया जाता है तथा विभागीय संस्थाओं की मांग पर इसे निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध कराय है। बैक्टीरियल वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी लाने के दृष्टि से फरमेण्टर लैब की स्थापना हेतु एक कार्यक्रम आरम्भ गया है। इसमें निर्मित एक बड़े फ़रमेण्टर तथा आवश्यक साज-सज्जा की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जिससे बैक्टीरियल वै का उत्पादन बिना किसी गतिरोध के होता रहे। टिसू सेल कल्चर वैक्सीन उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रयोगशालाओं में आ परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जाने एवं साज-सज्जा की व्यवस्था किये जाने का भी प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1990- कुल 24,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। अतः इतनी ही धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपय

2403--पशुपालन--आयोजनागत--

101--पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य--

11--जैविक औषधि उत्पादन शाखा का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण--

06--कार्यालय व्यय .. ..

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. .. ..

25--सामग्री एवं सम्पूर्ति .. ..

योग ..

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0206-जैविक औषधि उत्पादन शाखा का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण--

20--साज-सज्जा एवं उपकरण .. ..

योग ..

4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

101--पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य-- (हजार रुपयों में)

04--पशुजैविक औषधि उत्पादन शाखा लखनऊ का प्रसार--

19--लघु निर्माण कार्य		1,50
	कुल योग ..	24,00

में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरीज की स्थापना, कार्यरत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं अन्य समन्वित कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के सम्पादन की योजना (जिला योजना)

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर (नगर) इटावा, झांसी, क, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, बाराबंकी, आजमगढ़, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद में उपलब्ध कुक्कुट प्रक्षेत्रों का आवश्यक विस्तार एवं करण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत इन्क्यूबेटर, सेटर, हैचर, जनरेटर, पक्षियों के लिये शेड रूम कूलर, खाने-के बर्तन आदि का क्रय किया जायगा। इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादन क्षमता के पक्षी/चूजे कुक्कुट पालकों को उपलब्ध हेतु उन्नतिशील नस्ल के पक्षियों के पैरेन्ट स्टाक को क्रय करने का भी प्रस्ताव है। पक्षियों के लिये भवनों में डीपलि-, ब्रूडर गृह/ग्रोवर गृह तथा परिवर्तन परिवर्धन एवं पानी की व्यवस्था हेतु ओवर हेड टैंक व नलकूप आदि प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास के निर्माण हेतु तथा सहायक निदेशक के आवास के निर्माण (अधूरा कार्य) पूरा करने का भी है। इन सब कार्यों पर वर्ष 1990-91 में कुल 42,20,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के व्ययक में 42,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त जारी दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

103--कुक्कुट विकास--

08--प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरीज की स्थापना एवं कार्यरत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण और अन्य समन्वित--कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के सम्पादन की योजना (जिला योजना)--

20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र		5,56

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0205--प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरीज की स्थापना एवं कार्यरत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण और अन्य समन्वित कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के सम्पादन की योजना (जिला योजना)--

33--अन्य व्यय		8,54
	योग, राजस्व	17,10

4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत--

103--कुक्कुट पालन--

06--प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरीज की स्थापना--

18--वृहत् निर्माण कार्य		25,10
	कुल योग ..	42,20

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं के सुधार तथा विस्तार की योजना (जिला योजना)

देश में पशु चिकित्सा, पशु सेवा केन्द्र तथा "द" श्रेणी पशु चिकित्सालय के माध्यम से पशुधन विकास से सम्बन्धित सुविधाएं कों को उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न संस्थाओं में उपचार, रोग नियंत्रण तथा अन्य विकास कार्यों के आवश्यक सुविधाओं व एवं कमी को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 में स्थापित 32 नवीन पशु चिकित्सालय, 26 पशु सेवा केन्द्र तथा 24 णी के पशु चिकित्सालयों में से केवल 16 पशु चिकित्सालयों पर स्टाफ स्वीकृत हो सका था। शेष 16 पशु चिकित्सालय, सेवा केन्द्र तथा 24 "द" श्रेणी पशु चिकित्सालयों पर स्टाफ स्वीकृति का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य के मैदानी र पूर्व स्थापित पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों के लिये औषधि की समुचित व्यवस्था तथा अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। इस पर वर्ष 1990-91 में कुल 3,02,19,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है 7,40,800 रु० की धनराशि निर्माण कार्य हेतु सम्मिलित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,19,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन --

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतन-मान	पद-संख्या
		रु०	
1	पशु चिकित्साधिकारी	2200-4000	76
2	वेटनरी फार्मेसिस्ट	975-1660	76
3	पशुधन प्रसार अधिकारी	1200-2040	24
4	पशुधन प्रसार निरीक्षक	1200-2040	26
5	ड्रेसर	775-1025	24
6	चतुर्थ श्रेणी	750-940	152

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रु० में)
2403-पशुपालन- आयोजनागत--	
101-पशु चिकित्सा संबधी सेवायें और पशु स्वास्थ्य--	
10--पशु रोग अनुसंधान तथा निदान व सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)--	
01--वेतन	29,74
03--महंगाई भत्ता	10,2[illegible]
04--यात्रा व्यय	2,39
05--अन्य भत्ते	1,12
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	3,72
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	19,61
25--सामग्री और सम्पूर्ति	21,95
33--अन्य व्यय (औषधियों का क्रय)	43,79
योग ..	1,32,6[illegible]
02--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--	
0205--पशु रोग अनुसंधान तथा निदान व सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)--	
33--अन्य व्यय (औषधियों का क्रय)	1,02,1[illegible]
योग ..	2,34,78
4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--	
101--पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य--	
03--पशु चिकित्सालयों का निर्माण (जिला योजना)--	
19--लघु निर्माण कार्य	67,4
योग ..	67,4
कुल योग ..	3,02,1[illegible]

भारतीय मूल नस्ल की गोवंशीय/महिष वंशीय पशु प्रजननों के संरक्षण एवं विकास की योजना ।

प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, भरारी (झांसी) के वर्तमान निवेशों में वृद्धि करके प्रक्षेत्र की कार्य प्रणाली एवं आर्थिक उपलब्धियों में सुधार हेतु थारपारकर गायों का क्रय, सिंचाई सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, पशु सेडों, चैफिंग/सेड का निर्माण एवं ट्रैक्टर तथा कृषि यन्त्रों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है । इसके लिये भारत सरकार से 50 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी । वर्ष 1990-91 में कुल 10,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है जिसमें 2,00,000 रु० का निर्माण कार्य सम्मिलित है । तदनुसार आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है । वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

800-अन्य व्यय--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0102- भारतीय मूल नस्ल की गोवंशीय/महिष वंशीय पशु प्रजनन के संरक्षण एवं विकास की योजना-- (हजार रुपयों में)

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	5,00
33--अन्य व्यय	..	3,00
योग	..	8,00

4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

800-अन्य व्यय--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0102--भारतीय मूल नस्ल की गोवंशीय/महिष वंशीय पशु प्रजनन के संरक्षण एवं विकास की योजना--

18--वृहत् निर्माण	..	2,00
कुल योग	..	10,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
राज सहायता ..	5,00	1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-- 800-अन्य अनुदान-- 15-पशुपालन-- 1502-अन्य अनुदान	50 प्रतिशत

आधारीय/प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय चारा बीज प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण।

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़ (गाजियाबाद) पर आधारीय/प्रमाणित चारा बीज उत्पादन हेतु चारा बीज प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण करने की योजना भारत सरकार से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से चलाने का प्रस्ताव है। इस योजनान्तर्गत एक ट्रैक्टर, डिस्क हैरो (16 डिस्क) जीटर, कल्टीवेटर, बैलगाड़ी के डनलप के पहियों का क्रय, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु नलकूप बोरिंग, बिजली इंजन, पम्पहाउस एवं विद्युतीकरण आदि के अतिरिक्त भूमि विकास के अन्तर्गत मेड़ बन्दी, समतलीकरण, बीज व उर्वरकों, सीड ग्रेडर/क्लीनर एवं खत्ती का क्रय आदि पर वर्ष 1990-91 में कुल 8,00,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है जिसमें 50 प्रतिशत अर्थात् 4,00,000 रु० भारत सरकार से केन्द्रीय अंश के रूप में प्राप्त होगा। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 8,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403--पशुपालन-आयोजनागत--

107--चारा और दाना विकास--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101--आधारीय/प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय चारा बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण-- (हजार रुपयों में)

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	..	3,30
25--सामग्री और सम्पूर्ति	..	1,20
योग	..	4,50

4403--पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--

107--चारा और दाना विकास--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-- (हजार रुपयों में)

0101--आधारीय/प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय चारा बीज प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण (राज्य योजना)--

18--वृहत् निर्माण व्यय 3,50

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता-- कुल योग 8,00

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
	रु०		
राज सहायता	4,00,000	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान 800--अन्य अनुदान 15--पशुपालन 1503--चारा और दाना विकास	50 प्रतिशत

वृहत् भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा के सुदृढ़ीकरण की योजना।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत वृहत् भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैंसोड़ा पर सिंचाई सुविधा, फेंसिंग अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने तथा नवनिर्मित अतिथिगृह के लिए साज-सज्जा आदि की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस पर वर्ष 1990-91 में कुल 10,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है जिसमें 5,00,000 रु० की धनराशि भारत सरकार से 50 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय अंश के रूप में प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2403-पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

104-भेंड़ और ऊन विकास--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101--वृहत भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की योजना

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,97

4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

104-भेड़ एवं ऊन विकास--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--

0101--वृहत भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना

18--वृहत् निर्माण कार्य 5,03

0103--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान--

वृहत् भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण की योजना--

18--वृहत् निर्माण कार्य 3,00

योग, पूंजी .. 8,03

योग .. 10,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी है
राज सहायता ..	5,00	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान 800-अन्य अनुदान 15--पशुपालन 1505--भेंड़ और ऊन विकास	50 प्रतिशत

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं विस्तार की योजना।

योजनान्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन हेतु अच्छे जैनेटिक मकअप के सांड़ों का उत्पादन करके प्रदेश की कम क्षमता वाली गायों पर प्रयोग करके पशुओं की नस्ल सुधार करने एवं कृषकों के लिये उन्नत नस्ल के अधिक उपज वाले प्रमाणित चारा बीजों का उत्पादन करने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रक्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रक्षेत्रों के पुनर्गठन की योजना तैयार की गयी है ताकि पशुओं की नस्ल सुधार एवं आर्थिक लक्षणों की वृद्धि के साथ-साथ उन्नतिशील एवं अधिक पौष्टिक आहार एवं सूखा चारा उत्पादन के साथ ही उन्नतिशील एवं अधिक पौष्टिक किस्म के चारा बीजों का उत्पादन कर जनता को वितरण किया जा सके। योजनान्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों पर दैनिक श्रमिकों, बीज उर्वरक तथा पैस्टीसाईड्स पशु दवायें तथा वैक्सीन आदि के अतिरिक्त कृषि संयंत्र आदि एवं निर्माण कार्य आदि पर कुल 50,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है, जिसमे 15,40,000 रु० निर्माण कार्य का सम्मिलित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2403-पशुपालन-आयोजनागत--
800-अन्य व्यय--
07--राज्य पशुधन और कृषि प्रक्षेत्रों के अतिरिक्त आवश्यकता तथा प्रसार की योजना--

02--मजदूरी	5,16
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	16,41
25--सामग्री और सम्पूर्ति	13,03
योग ..	34,60

4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--
800-अन्य व्यय--
03--राज्य पशुधन और कृषि प्रक्षेत्रों की अतिरिक्त आवश्यकताओं हेतु भवन निर्माण--

18--वृहत् निर्माण कार्य	15,40
योग 01- ..	15,40
कुल योग ..	50,00

राज्य में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना एवं प्रजनन सुविधाओं का विस्तार (जिला योजना)

योजना के अन्तर्गत बकरी पालकों को उनकी बकरियों की नस्ल सुधार हेतु उन्नतशील नस्ल के बकरों द्वारा प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। इस निमित्त 62 अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों पर उन्नतिशील नस्ल के बकरा सांड़ रखे जायेंगे तथा 1143 उन्नतिशील नस्ल के बकरे क्रय करके अंशदान पर वितरित किये जायेंगे एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों पर निर्माण कार्य किया जायेगा। इटावा जनपद में जमुनापारी बकरी पालकों को 15 रु० प्रति पशु प्रति माह की दर से एक झुंड पर कुल 90 रु० अनुदान दिये जाने का भी प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1990-91 में कुल 12,50,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार इस धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रु0 में)

2403-पशुपालन-आयोजनागत--

106-अन्य पशु विकास--

04-राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5
25--सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,5
योग	2,0

02--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0201-राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना (जिला योजना) --

25--सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,7

796--आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना--

05-राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना (जिलायोजना)-- -

25--सामग्री एवं सम्पूर्ति	5
योग; राजस्व	7,8

4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय--आयोजनागत--

106-अन्य पशु विकास--

01-राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)--

19--लघु निर्माण कार्य	4,6
कुल योग ..	12,5

प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा हैचरीज की स्थापना.

योजनान्तगत राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, चक गंजरिया (लखनऊ), बाबूगढ़ (गाजियाबाद) तथा आजमगढ़ पर हैचरीज क स्थापना का प्रस्ताव है। इन हैचरीज की स्थापना उ0 प्र0 पोल्ट्री एवं लाइव स्टाक स्पेशलटीज लि0, लखनऊ के माध्य से की जायेगी और उससे प्रदेश के पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों के कुक्कुट पालकों के लिये ब्वायलर्स (मांस) तथा लेयर (अण्डा उत्पादन चूजे उपलब्ध हो सकेंगे। प्रत्येक हैचरीज पर 40,000 लेयर/ब्वायलर्स पैरेन्ट स्टाक रखने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पैरेन्ट स्टाव 1,00,000 से प्रतिवर्ष 1,29,00,000 अतिरिक्त चूजे उपलब्ध होने का अनुमान है, जिसमें से 57,00,000 लेयर के लिंगित माद चजे एवं 72,00,000 ब्वायलर चूजे कुक्कुट पालकों के लिये उपलब्ध हो सकेंगे। प्रतिवर्ष 127.50 मिलियन अण्डों का अतिरिक उत्पादन होगा तथा साथ ही साथ 12,000 मैट्रिक टन (7000 मैट्रिक टन कल्ड पक्षियों तथा 5,000 मैट्रिक टन ब्रायलर पक्षियों) मा का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इस प्रकार मांस तथा अण्डा उत्पादन से कुपोषण के स्थिति में सुधार आयेगा और साथ ही साथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे सामान्य जनता का आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठ सकेगा इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 1990-91 में 84,11,000 रु0 अंश पूंजी के रूप में उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टा स्पेशिलिटीज लि0 में विनियोजित करने का प्रस्ताव है। उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लि0 उक्त प्रस्तावि धनराशि के समक्ष 6,89,05,000 रु0 के अतिरिक्त संसाधन बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुटाएगा। वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित अंशपूंजी तथा बैंकों आदि से प्राप्त किये गये ऋणों से उक्त हैचरीज के प्रस्तावित भवनों का (आवासीय एवं अनावासीय निर्माण, जल आपूर्ति संसाधन, बिजली की फिटिंग तथा व्यवस्था एवं कार्यालय साज-सज्जा हेतु 84,11,000 रु0 व्यय होने क अनुमान है। तद्नुसार इतनी धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4403-पशुपालन-आयोजनागत-- (हजार रु0 में)

103-कुक्कुट विकास--

06-प्रदेश मे कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा हैचरीज की स्थापना (राज्य योजना)--

24--निवेश/ऋण	58,87

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0202-प्रदेश में कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा हैचरीज की स्थापना (राज्य योजना)--

24--निवेश/ऋण	25,24
कुल योग ..	84,11

प्रदेश में ऊन बोर्ड की स्थापना

प्रदेश में भेड़ पालकों को ऊन का कोटिवार समुचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय-विक्रय कार्यक्रम के र्गत प्रदेश में भेड़ों से ऊन उतारने, श्रेणीकरण एवं विपणन कार्यक्रमों को संगठित करने, ऊन विकास के लिये नियोजित प्रयास करने, नीय कुटीर एवं कार्पेट उद्योग को कच्चे ऊन की सम्पूर्ति को सुनिश्चित करने, भेड़ पालकों को ऊन का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित ने तथा अन्य ऐसे उपाय करने हेतु जिनसे भेड़ पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ प्रदेश में कच्चे ऊन के ादन में वृद्धि हो सके, चलाये जा रहे कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत उ0 प्र0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक शलिटीज लि0, के माध्यम से प्रदेश में ऊन विपणन कार्यक्रम को संगठित किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 में उ0 प्र0 पोल्ट्री लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लि0, को अंशपूंजी क्रय हेतु 10,00,000 रु0 की स्वीकृति का प्रस्ताव है जिसमें 5,00,000 रु0 सरकार का एवं 5,00,000 रु0 केन्द्रीय सरकार का अंश रहेगा। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में ,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय--

104-भेड़ और ऊन विकास--

01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0102-प्रदेश में ऊन बोर्ड की स्थापना के फलस्वरूप यू0 पी0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लि0, लखनऊ के अंशकों में अंश पूंजी विनियोजन--

24--निवेश/ऋण 7,00

0104-अनुसूचित जातियों के लिये कम्पोनेन्ट प्लान--

प्रदेश में ऊन बोर्ड की स्थापना के फलस्वरूप यू0 पी0 पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशिलिटीज लि0, लखनऊ के अंशकों में अंश पूंजी विनियोजन--

24--निवेश/ऋण 3,00

योग .. 10,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
सहायता	5,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 800--अन्य अनुदान-- 15--पशुपालन भेड़ और ऊन विभाग	50 प्रतिशत

प्राविधिक शिक्षा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुदानित बहुधन्धी संस्थाओं का विकास	18,67	..	..	18,67	2203--तकनीकी शिक्षा	145 प
2	राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी की स्थापना	3,50	..	..	3,50	तदैव	145 प
3	सहायता प्राप्त पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्य क्रमों, योजनाओं का कार्यान्वियन	3,17,45	..	..	3,17,45	तदैव	146 प
4	प्राविधिक शिक्षा परिषद् का सुदृढ़ीकरण	10,44	..	..	10,44	तदैव	146 प
5	राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर की स्थापना	50	11,50	..	12,00	2203--तकनीकी शिक्षा एवं 4204--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	146 प
6	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	1,06,25	14,87	..	1,21,12	तदैव	147 प
7	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण	68,65	32,37	..	1,01,02	तदैव	148 प
8	राजकीय पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यक्रमों/प्रयोजनाओं का कार्यान्वियन	6,53,05	7,96,92	..	14,49,97	तदैव	148 प
9	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा अन्य डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान की स्वीकृति	6,46,25	23,75	..	6,70,00	तदैव	149 प
10	फिरोजाबाद में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना	..	14,00	..	14,00	4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी-परिव्यय	151 प
	राजकीय पालीटेक्निक फतेहपुर एवं जालौन के लिये भूमि क्रय	..	4,12	..	4,12	तदैव	151 प
	राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली, मुरादाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद की स्थापना	..	4,01	..	4,01	तदैव	151 प
	राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच, जौनपुर, खीरी और सोरों (एटा) का भवन निर्माण	..	32,88	..	32,88	तदैव	151 प
	राजकीय पालीटेक्निक, मैनपुरी में चल रहे इन्स्ट्रूमेन्टेशन कन्ट्रोल पाठ्यक्रम के लिए भवन निर्माण	..	51	..	51	तदैव	152 प
	योग	18,24,76	9,34,93	..	27,59,69		

अनुदानित बहुधन्धी संस्थाओं का विकास

प्रदेश में स्थित अनुदानित बहुधन्धी संस्थाओं के विकास एवं अन्य कार्यों के लिए शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। जी0 पालीटेक्निक, हाथरस को चहारदीवारी, चन्दौली पालीटेक्निक, चन्दौली की चहारदीवारी और कार्यशाला के निर्माण के तथा आई0 ई0 आर0 टी0, इलाहाबाद को कार्यशाला निर्माण के लिए अनुदान देने हेतु कुल 18,67,000 रु0 के व्यय नुमान है; अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 18,67,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृत परीक्षण के बाद एगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2203--तकनीकी शिक्षा--आयोजनागत--

104--गैर-सरकारी तकनीकी कालेजों और संस्थाओं को सहायता--

03--मुरलीधर गजानन्द बहुधन्धी संस्था, हाथरस--		
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	3,57
05--चन्दौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली--		
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	.. ..	2,50
07--इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद--		
14--सहायक अनुदान/अंशदान / राज सहायता	.. .. ..	12,60
	योग ..	18,67

राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी की स्थापना

महिलाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई रुचि का समादर करते हुए वाराणसी में एक राजकीय ा पालीटेक्निक की स्थापना का प्रस्ताव है। इस पालीटेक्निक में स्टेनोग्राफी एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इलेक्ट्रानिक्स तथा क तकनीकी के अनुसार अन्य उपयोगी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में ,000 रुपये का व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली । वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

ख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
	प्रधानाचार्य/प्रोजेक्ट अधिकारी	3000-4750	1
	आशुलेखक	1200-2040	1
	चपरासी	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2203--तकनीकी शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

105--पालीटेक्निक--वाराणसी में राजकीय महिला पालीटेक्निक की स्थापना--

01--वेतन	.. ..	1,50
03--महंगाई भत्ता	.. ..	1,00
04--यात्रा व्यय	.. ..	10
05--अन्य भत्ते	.. ..	25
06--कार्यालय व्यय	.. ..	20
07--टेलीफोन पर व्यय	.. ..	01
11--किराया, उप शुल्क एवं कर स्वामित्व	.. .. ..	20
20--मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	.. .. ..	24
	योग ..	3,50

सहायता प्राप्त पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैदानी क्षेत्र की अनुदानि बहुधंधी संस्थाओं में अतिरिक्त स्टाफ, एवं साज-सज्जा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 3,17,45,000 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,17,45,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्त स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय के अनुमान—

	रु0
(क) कुल परिव्यय	3,17,45,0
(ख) अंतिम आवर्तक व्यय	2,47,28,0

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों

2203—तकनीकी शिक्षा-आयोजनागत—

104—गैर-सरकारी तकनीकी कालेजों को सहायक अनुदान—

(—) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत अनुदानित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा प्रबन्धतंत्र का सुदृढ़ीकरण—

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं को अनुदान—

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 3,17

प्राविधिक शिक्षा परिषद् का सुदृढ़ीकरण।

डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के प्र कार्यान्वयन एवं नियंत्रण हेतु प्रबन्ध तन्त्र में दक्षता बढ़ाने के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद् को आधुनिक बनाने तथा प्राविधिक परिषद् के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तथा आधुनिक साज-सज्जा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष 1990-9 कुल 10,44,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,44,000 रु0 की व्यवस्था क गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2--व्यय के अनुमान--

	र
(क) कुल परिव्यय	10,44,
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	10,44,

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयो

2203--तकनीकी शिक्षा--आयोजनागत--

800--अन्य व्यय

01--तकनीकी शिक्षा परिषद्--विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद् का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	
03--महंगाई भत्ता	
04--यात्रा व्यय	
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	7
योग ..	1(

राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर की स्थापना

राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1989-90 में प्रदान की गई थी। इस संस्था के के निर्माणार्थ वर्ष 1989-90 में भूमि क्रय हेतु 5.50 लाख रु0 की स्वीकृति दी गई थी किन्तु चयन की गई भूमि की लागत स धनराशि से अधिक है जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 1990-91 में किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस संस्था में अभ प्रोजेक्ट स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया है जिसकी स्वीकृति भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस पर वर्ष 1990-91 में 12.00 लाख रु0, (11.50 लाख रु0 भूमि एवं भवन की मद में तथा 0.50 लाख रु0 आवर्तक मद में) का व्यय अनुमानित तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 12,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षण के उप दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2203--तकनीकी शिक्षा--

105--पालीटेक्निक--

20--राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर की स्थापना--

01--वेतन	15
03--महंगाई भत्ता	15
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	1
06--कार्यालय व्यय	5
07--टेलीफोन व्यय	5
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	5
33--अन्य व्यय	3
योग	50

4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--

02--तकनीकी शिक्षा--

104--पालीटेक्निक--

(-)राजकीय पालीटेक्निक, सहारनपुर के लिए भूमि क्रय--

33--अन्य व्यय	11,50
कुल योग	12,00

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों को देखते हुए प्रबन्ध तंत्र में बढ़ाने के लिये प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को आधुनिक बनाने तथा मानिटरिंग यूनिटों के गठन हेतु आधुनिक सज्जा तथा फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सभी वर्ग के कर्मचारियों, अधिकारियों को उनके पदों की अपेक्षा के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। निर्धारित मानक के आधार पर कतानुसार पद भी सृजित किये जायेंगे। वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिये कुल 1,21,12,000 रुपये की कता है, तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,21,12,00) रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति णोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय के अनुमान--

	रु०
(क) कुल परिव्यय	1,21,12,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	62,24,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2203—तकनीकी शिक्षा—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

001-निदेशन और प्रशासन-

01—तकनीकी शिक्षा निदेशालय (00) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण--

01—वेतन	12,00
03—महंगाई भत्ता	11,00
04—यात्रा व्यय	3,00
05—अन्य भत्ते	5,24
06—कार्यालय व्यय	1,00
07—टेलीफोन पर व्यय	32
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	14,94
25—सामग्री और सम्पूर्ति	75
33—अन्य व्यय	58,00
योग	1,06,25

4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--

02--तकनीकी शिक्षा-- (हजार रुपयों मे

(--) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण--

18--वृहत--निर्माण कार्य .. 14,8

योग .. 1,21,1

शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रबन्ध तन्त्र में दक्षता बढ़ाने लिए शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत शोध, विकास प्रशिक्षण संस्थान में निम्नांकित कार्यक्रमों के कार्यान्वियन हेतु उनके सम्मुख उल्लिखित धनराशि की आवश्यकता है :--

	रु0
(1) करीकूलम डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना	45,14,0
(2) लर्निंग रिसोर्स डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना ..	55,88,0

इन योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में अतिरिक्त स्टाफ तथा आधुनिक साज-सज्जा आवश्यकता भी होगी जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर स्वीकृति दी जाएगी। प्रस्तावित योजना पर वर्ष 1990- में कुल 1,01,02,000 रु0 व्यय का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 1,01,02,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2--व्यय के अनुमान-- रु

(क) कुल परिव्यय	1,01,02,0
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	45,91,5

3--आय-व्ययक के व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2203--तकनीकी शिक्षा-- (हजार रुपयों

001--निदेशन और प्रशासन--आयोजनागत--

(0)--विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	3,
03--महंगाई भत्ता	3,
05--अन्य भत्ते	1,
06--कार्यालय व्यय	14,
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	46,
योग ..	68,

4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--

02--तकनीकी शिक्षा--

( ) शोध, विकास एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में करीकूलम डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना हेतु भवन निर्माण--

18--वृहत् निर्माण-कार्य 32,

योग .. 1,01,

राजकीय पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण एवं नये कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वियन

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु स्टाफ तथा साज-सज्जा की मद लिये वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में आवश्यकता के आधार पर 14,49,97,000 रु0 की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पदों का सृजन निर्धारित मानक के अनुरूप ही गुणावगुण के आधार पर स्वीकार जायेगा। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 14,49,97,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्व परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों

2203--तकनीकी शिक्षा--आयोजनागत--

105--सामान्य पालीटेकनिक--

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेकनिकों का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	1,0
02--महंगाई भत्ता	96

05--अन्य भत्ते	10,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,91,53
33--अन्य व्यय	55,09
योग ..	6,53,05

4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--

02--तकनीकी शिक्षा--

(राजकीय बहुधंधी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण/वन निर्माण)	7,96,92
योग ..	14,49,97

रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की तथा अन्य डिग्री इंजीनियरिंग कालेजों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

वर्ष 1990-91 में रुड़की विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर एडिड डिजाइन सेन्टर, मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज, गोरखपुर में इंडस्ट्रियल इलक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेसन तथा बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झांसी में सिविल इंजीनियरिंग तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग के नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। रुड़की विश्वविद्यालय में चिकित्सालय, एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर में गेस्ट हाउस, आई0 ई0 टी0, लखनऊ में छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि के कारण पदों तथा बुन्देलखंड इंजीनियरिंग कालेज, झांसी जो अभी हाल ही में स्थापित हुआ है, में शैक्षिक तथा शिक्षणेतर पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। रुड़की विश्व विद्यालय के विभिन्न विभागों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली द्वारा कुछ अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया है कि राज्य सरकार इतनी ही धनराशि वहन करेगी। तदनुसार प्रस्तावों में इस को समायोजित कर लिया गया है। इसके साथ ही इन कालेजों को अन्य विकास कार्यों के लिये अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त समस्त इंजीनियरिंग कालेजों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वहां धन की उपलब्धता के आधार पर आवश्यक निर्माण कार्य किये जाने का भी प्रस्ताव है। राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर तथा राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त योजनाओं हेतु वर्ष 1990-91 में 670.00 लाख रुपये की धनराशि के व्यय के अनुमान हैं, तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,70,00,00 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति आवश्यक परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय के अनुमान-- (लाख रुपयों में)

(क) कुल परिव्यय	670.00
(ख) अंतिम आवर्तक का व्यय	43.35

(ग) वर्ष 1990-91 के अनुमानित व्यय का विभाजन--

क्रम-संख्या		आवर्तक	अनावर्तक	योग
	राजस्व व्यय--			
1	रुड़की विश्वविद्यालय	2.30	64.81	67.11
2	मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज	5.10	54.90	60.00
3	एच0बी0टी0आई0, कानपुर	2.00	58.00	60.00
4	पन्त कालेज आफ टेक्नोलाजी	..	76.00	76.00
5	एम0 एन0 आर0 इंजी0, कालेज	..	8.00	8.00
6	के0 एन0 आई0 टी0, सुल्तानपुर	..	60.00	60.00
7	आई0 ई0 टी0, लखनऊ	1.00	89.00	90.00
8	बुन्देलखंड इंजी0 कालेज, झांसी	12.64	176.00	188.64
9	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान	6.71	9.29	16.00
10	राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय	13.60	6.90	20.50
		43.35	602.90	646.25
	पूंजीगत व्यय			
1	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान ..	..	10.00	10.00
2	2--राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय ..	..	13.75	13.75
		..	23.75	23.75

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2203--तकनी की शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

102--तकनीकी शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता--

01--रुड़की विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	67,11

112--इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थायें--

(01) मदन मोहन मालवीय इंजी0 कालेज, गोरखपुर को सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	60,00

02--पंत कालेज आफ टेक्नोलाजी, पंतनगर को सहायक अनुदान-

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	76,00

03--मोतीलाल नेहरू रीज0 इंजी0 कालेज, इलाहाबाद को सहायक अनुदान

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	8,00

04--हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर को सहायक अनुदान

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	60,00

05--कमला नेहरू तकनीकी संस्थान, सुल्तानपुर को सहायक अनुदान

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	60,00

06--इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, लखनऊ को सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	90,00

07--सरकारी केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर--

01--वेतन	60
03--महंगाई भत्ता	21
05--अन्य भत्ते	40
20--मशीन तथा साज-सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	9,29
33--अन्य व्यय	5,50
योग; 07	16,00

08--राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ--

01--वेतन	50
03--महंगाई भत्ता	18
05--अन्य भत्ते	22
06--कार्यालय व्यय	60
07--टेलीफोन	40
09--मोटर गाड़ी पर अनुरक्षण	45
13--विज्ञापन	20
15--छात्रवृत्ति/ छात्र वेतन	25
19--लघु निर्माण कार्य	60
20--मशीन तथा साज-सज्जा	13,60
33--अन्य व्यय	3,50
योग	20,50

09--बुन्देलखंड इन्जीनियरिंग कालेज झांसी को सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1,88,64

4202--शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--

02--तकनीकी शिक्षा--

104--पालिटेक्निक--

14--राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय लखनऊ के भवनों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण कार्य	13,75

22--केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर के भवन तथा सड़क निर्माण--

18--वृहत् निर्माण कार्य	10,00
योग	6,70,00

फिरोजाबाद में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना

फिरोजाबाद जनपद एक नया जनपद है जिसमें औद्योगिक विकास निरन्तर हो रहा है। इस जनपद में अभी तक पालीटेक्निक स्थापित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित है कि इस जनपद की औद्योगिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यहां पालीटेक्निक की स्थापना की जाय। इस संस्था में ग्लास एवं सेरेमिक्स तथा यांत्रिक अभियंत्रण के डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में संस्था के लिए भूमि क्रय हेतु 14,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 14,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय— (हजार रुपयों में)

02—तकनीकी शिक्षा—

(–) राजकीय पालीटेक्निक, फिरोजाबाद के लिए भूमि क्रय—

33—अन्य व्यय 14,00

राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर एवं जालौन के लिए भूमि क्रय

राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर एवं जालौन के स्थायी भवनों के निर्माण हेतु भूमि का क्रय किया गया था। राजकीय पालीटेक्निक, हेतु क्रय की गयी भूमि में से संबंधित कृषकों द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया है जिसके लिये उरई (जालौन) तथा फतेहपुर के भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा क्रमशः 3,12,000 रु० तथा 1,00,000 रु० जमा करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। संस्थाओं के भवनों के निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न हो इसलिये प्रस्तावित है कि वर्ष 1990-91 में समतुल्य धनराशि भूमि प्रतिकर हेतु अवमुक्त कर दी जाय। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,12,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय—

02—तकनीकी शिक्षा—

104—पालीटेक्निक—राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर एवं जालौन के लिए भूमि क्रय—

33—अन्य व्यय 4,12

राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली, मुरादाबाद, वाराणसी एवं इलाहाबाद की स्थापना

राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली (मुजफ्फरनगर), मुरादाबाद, इलाहाबाद एवं वाराणसी हेतु स्थायी भवनों के निर्माण हेतु भूमि का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त संस्थाओं के लिये भूमि क्रय हेतु वर्ष 1990-91 में 4,01,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 4,01,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय— (हजार रुपयों में)

02—तकनीकी शिक्षा—

104—पालीटेक्निक—राजकीय महिला पालीटेक्निक, शामली, मुरादाबाद वाराणसी एवं इलाहाबाद के लिये भूमि क्रय—

33—अन्य व्यय 4,01

राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच, जौनपुर, खीरी और सोरों (एटा) का भवन निर्माण

राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच, जौनपुर और खीरी में प्रति संस्था 33.96 लाख रुपये की लागत से छात्रावास का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। राजकीय पालीटेक्निक सोरों (एटा) में 8.83 लाख रुपये की लागत से आवासीय भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 32,88,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 32,88,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः— (हजार रुपयों में)

4202—शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत—

02—तकनीकी शिक्षा—

104—पालीटेक्निक—

01—राजकीय पालीटेक्निक, बहराइच, जौनपुर और खीरी में छात्रावास का निर्माण—

18—वृहत निर्माण कार्य .. 29,88

02—राजकीय पालीटेक्निक सोरों (एटा) में आवासीय भवन का निर्माण—

18—वृहत् निर्माण कार्य 3,00

योग .. 32,88

राजकीय पालीटेकनिक, मैनपुरी में चल रहे इन्स्ट्रूमेन्टेशन कन्ट्रोल पाठ्यक्रम के लिये भवन निर्माण

राजकीय पालीटेक्निक मैनपुरी में चल रहे इन्सट्रूमेन्टेशन कन्ट्रोल पाठ्यक्रम के लिये 13,20,000 रुपये की अनुमानित लागत से भवन निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्य पर वर्ष 1990–91 में 51,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 51,000 रुपये की धन की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय–आयोजनागत—

02—तकनीकी शिक्षा—

104—पालीटेकनिक-राजकीय पालीटेकनिक मैनपुरी में इन्स्ट्रूमेन्टेशन कन्ट्रोल पाठ्यक्रम हेतु भवन का निर्माण—

19-लघु निर्माण कार्य 51

पर्वतीय विकास विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्र-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
1	जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं का स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन	11,00	..	..	11,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	175 प
2	विकास खण्ड स्तर पर सामान्य विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कार्मिकों द्वारा समन्वित लघु जलागम प्रबन्ध परियोजना चलाया जाना	39,50	..	..	39,50	तदैव	175 प
3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना	2,35	..	..	2,35	तदैव	175 प
	पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	2,80	..	..	2,80	तदैव	176 प
	औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण की योजना	19,44	..	..	19,44	तदैव	176 प
	पर्वतीय क्षेत्र के विकास खण्डों को अनुदान	1,78,00	..	..	1,78,00	तदैव	177 प
	सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	9,00	..	..	9,00	तदैव	177 प
	पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के कुटीर तथा ग्रामीण स्तर की एवं मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स इकाई की स्थापना हेतु अनुदान	14,65	..	..	14,65	तदैव	178 प
	रेशम उद्योग के प्रचार प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजना	3,57	..	..	3,57	तदैव	178 प
	पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उद्योग परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे ऋण पर प्रदेश सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की स्वीकृति	67	..	..	67	तदैव	178 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	सहकारी जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास योजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों का कृषिकरण	2,00	..	..	2,00	2551—पहाड़ी क्षेत्र	179
12	आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण की योजना (जिला योजना)	21,00	..	..	21,00	तदैव	179
13	अधिक उत्पादन कार्यक्रम के लिए कृषकों का प्रशिक्षण एवं दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण	5,75	..	..	5,75	तदैव	180
14	सोयाबीन उत्पादकों को सोयाबीन उत्पादन स्थल से फैक्ट्री तक सहकारिता के माध्यम से लाने हेतु परिवहन अनुदान	7,85	..	..	7,85	तदैव	180
15	विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास कार्यक्रम	1,31,66	..	..	1,31,66	तदैव	181
16	प्रदर्शनी पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना	4,80	..	..	4,80	तदैव	182
17	जन-जाति बहुल विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना	5,24	..	..	5,24	तदैव	182
18	पर्वतीय क्षेत्र में कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण की योजना	55	..	..	55	तदैव	183
19	वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन अतिरिक्त सुविधा व्यवस्था ब्रायलर, कुक्कुट पक्षियों का उत्पादन क्रय-विक्रय	4,00	..	..	4,00	तदैव	183
20	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन विकास हेतु केज कल्चर की अग्रगामी की योजना	1,00	..	..	1,00	तदैव	184
21	पर्वतीय क्षेत्रों के मत्स्य विकास केन्द्रों की स्थापना	5,00	..	..	5,00	तदैव	184

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्रविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
22	सहकारिता के माध्यम के अतिरिक्त ओकटसर कोया उत्पादन हेतु अनुदान की योजना	4,20	..	..	4,20	2551-पहाड़ी क्षेत्र	184 प
23	खत्ता विकास योजना	7,29	..	..	7,29	तदैव	185 प
24	लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था	40,00	..	..	40,00	तदैव	185 प
25	बीज विधायन संयंत्र, देहरादून के विद्युतीकरण की योजना	1,00	..	..	1,00	तदैव	186 प
26	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन	3,50	..	..	3,50	तदैव	186 प
27	पारिस्थितिकीय विकास	4,50	..	..	4,50	तदैव	186 प
28	पर्यावरणीय शिक्षा चेतना प्रशिक्षण, शोध प्रवर्तन एवं सूचना व्यवस्था	6,00	..	..	6,00	तदैव	186
29	पर्यावरण ह्रास नियंत्रण एवं पर्यावरण अन्वेषण	2,50	..	..	2,50	तदैव	187 प
30	प्राकृतिक जैव सम्पदा का संरक्षण	2,10	..	..	2,10	तदैव	187 प
31	सहकारिता विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता	4,50	..	..	4,50	तदैव	187 प
32	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	9,00,00	..	..	9,00,00	तदैव	188 प
33	कृषि विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरकों के परिवहन पर राज सहायता	23,00	..	..	23,00	तदैव	188 प
34	अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	26,74	..	..	26,74	तदैव	188 प
35	वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं अतिरिक्त सुविधायें	9,04	..	..	9,04	तदैव	189 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमश:)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
36	सहायता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण विज्ञान उपकरण के क्रयार्थ तथा पुस्तकों की व्यवस्था हेतु अनुदान	95	..	..	95	2551-पहाड़ी क्षेत्र	189 प
37	पर्वतीय क्षेत्र में जिला ग्राम्य विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	3,75	..	..	3,75	तदैव	189 प
38	पर्वतीय क्षेत्र के जन-जाति विकास खण्डों में अधिक उपजदाई प्रजाति के बीजों पर राज सहायता तथा उर्वरकों के निःशुल्क प्रदर्शन की योजना	15,00	..	..	15,00	तदैव	190 प
39	लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	4,38,00	..	..	4,38,00	तदैव	190 प
40	जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण तथा उनमें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना	85,50	..	..	85,50	तदैव	191 प
41	खुरपका, मुंहपका रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत टीके तथा दवाई की व्यवस्था	4,40	..	..	4,40	तदैव	191 प
42	निजी क्षेत्रों में पौधालय स्थापना की योजना	24	..	..	24	तदैव	192 प
43	दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 देहरादून के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए सिविल कार्यों हेतु सहायता	44,95	..	..	44,95	तदैव	192 प
44	उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु औद्यानिक विकास की योजना	51,35	..	..	51,35	तदैव	193 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
45	औद्यानिक प्रशिक्षण एवं मौनपालन कार्यक्रमों का सघनीकरण	5,15	..	..	5,15	2551-पहाड़ी क्षेत्र	194 प
46	पर्वतीय क्षेत्रों में मौन पालन योजना	2,22	..	..	2,22	तदैव	194 प
47	मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण योजना	15,81	..	..	15,81	तदैव	195 प
48	दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत कोटद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० कोटद्वार (गढ़वाल) के पुनर्गठन के लिए संयंत्रों एवं सिविल कार्यों हेतु सहायता	7,00	..	..	7,00	तदैव	196 प
49	औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट्स फल पौध/सब्जी बीज के परिवहन कुर मुला कीट एवं अन्य व्याधियों की रोकथाम औद्यानिक ऋण एवं संयंत्रों के वितरण पर राज सहायता।	60,03	..	..	60,03	तदैव	196 प
50	बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा।	60	..	..	60	तदैव	197 प
51	आठ पर्वतीय जनपदों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुभागों हेतु कक्षा-कक्ष निर्माणार्थ अनुदान	4,80	..	..	4,80	तदैव	198 प
52	असहाय्यिक अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना।	6,60	..	..	6,60	तदैव	198 प
53	पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान।	1,20	..	..	1,20	तदैव	198 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
54	बहुमुखी उत्कृष्टता हेतु सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान	2,00	..	..	2,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	199 प
55	पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना।	30,00	..	..	30,00	तदैव	199 प
56	पर्वतीय क्षेत्र में कम्प्यूटर लिट्रेसी केन्द्रों की स्थापना।	22,86	..	..	22,86	तदैव	199 प
57	पर्वतीय क्षेत्र में वेधन कार्य हेतु नये बिटों का क्रय।	2,00	..	..	2,00	तदैव	200 प
58	निदेशालय में अभियांत्रिक भूविज्ञान प्रयोग शाला का सुदृढ़ीकरण	6,20			6,20	तदैव	200 प
59	गढ़वाल मंडल में एग मार्क वर्गीकरण के प्रसार हेतु राजकीय एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला देहरादून की स्थापना	2,25	..	..	2,25	तदैव	201 प
60	पर्वतीय क्षेत्र में गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना।	10,00	..	..	10,00	तदैव	202 प
61	सीनियर बेसिक स्कूलों को साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान।	30,00	..	..	30,00	तदैव	233 प
62	गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण।	2,28	..	..	2,28	तदैव	203 प
63	राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक क्रमोन्नति प्राइवेट सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण/उच्चीकरण तथा राजकीय हाई स्कूलों का खोला जाना।	22,08	..	..	22,08	तदैव	204 प
64	पर्वतीय क्षेत्र में गन्ना विकास की योजना।	20,00	..	..	20,00	तदैव	204 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

-या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
5	बालिका शिक्षा संस्थाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु अनुदान।	2,28	..	..	2,28	2551-पहाड़ी क्षेत्र	205 प
6	नागर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिये भवन/भूमि क्रय/अध्याप्ति हेतु अनुदान।	24,00	..	..	24,00	तदैव	205 प
7	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान।	1,20	..	..	1,20	तदैव	205 प
8	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान।	1,34,93	..	..	1,34,93	तदैव	206 प
9	ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान।	16,00	..	..	16,00	तदैव	206 प
0	प्रारम्भिक विद्यालयों में सांस्कृतिक तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का जनपद स्तर पर आयोजन हेतु अनुदान।	40	..	..	40	तदैव	207 प
	सहायित मान्यता प्राप्त अशासकीय प्रवर आधारित विद्यालयों को भवन अनुदान।	9,50	..	..	9,50	तदैव	207 प
	ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र में भवन-रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान। (जिला योजना)	75,00	..	..	75,00	तदैव	207 प
	प्राथमिक विद्यालयों के खेल कूद अध्यापकों का प्रशिक्षण।	35	..	..	35	तदैव	208 प
	पर्वतीय परिसर रानी चौरी के अन्तर्गत जलागम प्रबंध के आधार पर शोध कार्य की योजना।	5,00	..	..	5,00	तदैव	208 प
	सहकारी क्रय-विक्रय एवं भंडारण योजना।	9,35	..	..	9,35	तदैव	208 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेख का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
76	बालाहार तथा अनुपूरक पोषण योजना।	5,00	..	..	5,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	209
77	पर्वतीय क्षेत्रों के आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना।	5,86	..	..	5,86	तदैव	209
78	सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के लिए वाहन की व्यवस्था।	5,00	..	..	5,00	तदैव	21(
79	प्रारम्भिक विद्यालयों के बालचर कार्यक्रम हेतु अनुदान।	4,45	..	..	4,45	तदैव	210
80	प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाली योग्यता छात्र वृत्तियों की दरों तथा संख्या में वृद्धि।	2,23	..	..	2,23	तदैव	211
81	पर्वतीय क्षेत्र में सघन कृषि तथा बहुफसली योजना।	18,60	..	..	18,60	तदैव	211
82	प्रचार प्रसार गोष्ठी एवं लघु प्रदर्शनियां।	2,50	..	..	2,50	तदैव	211
83	पर्वतीय क्षेत्र की विनियमित मंडियों में मकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की स्थापना की योजना।	5,00	..	..	5,00	तदैव	212
84	राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्य।	2,00	..	..	2,00	तदैव	21
85	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।	24,12	..	..	24,12	तदैव	2
86	रेशम उद्योग का प्रचार, प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन	3,30	..	..	3,30	तदैव	2:
87	सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	3,00	..	..	3,00	तदैव	21

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
88	मौन वंशों की सामूहिक बीमा योजना	9	..	..	9	2551--पहाड़ी क्षेत्र	214 प
89	पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उत्पादन तथा प्रसार की योजना	19,06	..	..	19,06	तदैव	214 प
90	मौन पालन तकनीकी सहायता	36	..	..	36	तदैव	215 प
91	पर्वतीय क्षेत्र के बेसिक स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार	1,00	..	..	1,00	तदैव	215 प
92	सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च-तर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान वर्ग की मान्यता तथा विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था हेतु अनुदान	10,62	..	..	10,62	तदैव	215 प
93	अशासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा अंशदान के प्रति राजकीय अंशदान	50	..	..	50	तदैव	216 प
94	नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण	19,50	..	..	19,50	तदैव	216 प
95	वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों को यू0 जी0 सी0 मैचिंग शेयर एवं अन्य विकास कार्यों के लिए अनुदान	5,00	..	..	5,00	तदैव	217 प
96	राजकीय महाविद्यालयों में बिजली के पखों की व्यवस्था	12	..	..	12	तदैव	217 प
97	पर्वतीय क्षेत्र में खादी बोर्ड की सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता	1,00	..	..	1,00	तदैव	217 प
98	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरणार्थ अनुदान	3,00	..	..	3,00	तदैव	217 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
99	जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	16,00	..	..	16,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	218
100	चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा	8,20	..	..	8,20	तदैव	218
101	अल्मोड़ा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्व0 हरि प्रसाद टम्टा की मूर्ति का निर्माण व स्थापना	1,00	..	..	1,00	तदैव	219
102	अनुसंधान सुविधाओं का विकास शोध छात्रों को छात्रवृत्ति	78	..	..	78	तदैव	219
103	हिल कैम्पस परियोजना के अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएट/सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षण कार्यक्रम तथा कृषक/महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण	1,30,00	..	..	1,30,00	तदैव	219
104	सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना	4,69,50	..	..	4,69,50	तदैव	220
105	स्नातक/स्नातकोत्तर अशासकीय महाविद्यालयों को नये विषय/संकाय खोलने हेतु अनुरक्षण अनुदान	1,00	..	..	1,00		220
106	वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उनमें नये विषयों/संकायों का समावेश	10,00	..	..	10,00	तदैव	220
107	विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	64,00	..	..	64,00	तदैव	221
108	सहकारी समितियों का पुनर्वासन	55	..	..	55	तदैव	221
109	बालक/बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	1,56,90	..	..	1,56,90	तदैव	221
110	मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान	6,60	..	..	6,60	तदैव	222

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	2,30	..	..	2,30	2551-पहाड़ी क्षेत्र	222 प
12	विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास की योजना	42,65	..	..	42,65	तदैव	223 प
13	सैनिक सराय रानीखेत (अल्मोड़ा) का निर्माण	3,54	..	..	3,54	तदैव	224 प
14	पर्वतीय क्षेत्र में पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार नैसर्गिक अभिजनन द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं की योजना	12,00	..	..	12,00	तदैव	224 प
5	ब्याज उपादान योजनान्तर्गत समितियों के लिये सचल बिक्री वाहनों का क्रय	1,00	..	..	1,00	तदैव	225 प
6	न्यू माडल चर्खा केन्द्रों की स्थापना	8,04	..	..	8,04	तदैव	225 प
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जोशीमठ चमोली का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 खोला जाना	3,61	..	..	3,61	तदैव	226 प
8	समन्वित बाल विकास परियोजना की स्थापना	1,12,45	..	..	1,12,45	तदैव	227 प
19	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बुलवा कोट, तथा मुनस्यारी पिथौरागढ़ और ल्यूनी देहरादून का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 खोला जाना	10,83	..	..	10,83	तदैव	228 प
0	उत्तराखंड शोध संस्थान को अनुदान	1,00	..	..	1,00	तदैव	229 प
	पर्वतीय विकास प्रशासनिक सेल की सुदृढ़ीकरण/स्थापना	9,25	..	..	9,25	तदैव	229 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत (क्रमशः)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
122	राजकीय हाई स्कूल का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण	30,00	..	..	30,00	2551--पहाड़ी क्षेत्र	230
123	सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सम्वर्द्धन हेतु अनुदान	95	..	..	95	तदेव	231
124	राजकीय जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण अथवा नये राजकीय हाई स्कूल का खोला जाना	78,00	..	..	78,00	तदेव	231
125	ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण	58,89	..	..	58,89	तदेव	232
126	विकलांग छात्रों को छात्र-वृत्ति	20	..	..	20	तदेव	23[illegible]
127	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खटीमा एवं गूलरभोज नैनीताल की स्थापना	5,70	..	..	5,70	तदेव	23[illegible]
128	निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान	91,85	..	..	91,85	तदेव	234
129	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्ययनरत अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति	2,50	..	..	2,50	तदेव	23[illegible]
130	सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या की वृद्धि पर पेय जल तथा सिनेटरी सुविधा सहित कक्षा कक्ष निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु अनुदान	1,22	..	..	1,22	तदेव	23[illegible]
131	कुमायूं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में कुलपति कैम्प कार्यालय एवं अतिथि गृह का निर्माण	5,00	..	..	5,00	तदेव	23[illegible]

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनेतर (क्रमशः)

-या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
132	अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल का प्रान्तीयकरण एवं हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)	30,78	..	..	30,78	2551-पहाड़ी क्षेत्र	235 प
3	अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण	36,00	..	..	36,00	तदेव	236 प
4	पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा के पूल्ड आफिस कम रेजीडेन्सियल काम्प्लेक्स में जल आपूर्ति व्यवस्था	2,00	..	..	2,00	तदेव	236 प
5	मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को प्रारम्भिक एवं विकास अनुदान	1,16	..	..	1,16	तदैव	236 प
6	पर्वतीय क्षेत्र में जिला परिषदों को स्थानीय लोक महत्व के लघु निर्माण कार्यों हेतु अनुदान	24,00	..	..	24,00	तदैव	237 प
7	भूमि संरक्षण की योजना	10,00,00	..	..	10,00,00	तदैव	237 प
	फेरीहाल कम्पाउण्ड, नैनीताल में एक आफिसर्स होस्टल का निर्माण	1,80	..	..	1,80	तदैव	237 प
	पर्वतीय क्षेत्र के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की योजना	1,00	..	..	1,00	तदैव	237 प
	कियारकुली सूक्ष्म जलागम (मसूरी) का पर्यावरणीय विकास	10,00	..	..	10,00	तदैव	238 प
	पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगार युवक युवतियों को लाभकारी रोजगार दिलाने हेतु वृक्षारोपण योजना	9,60	..	..	9,60	तदैव	238 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-सं0	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय: पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
142	पहाड़ी क्षेत्र की नगरीय पेयजल योजना	1,00,00	..	..	1,00,00	[2251-पहाड़ी क्षेत्र	238 प
143	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जूनियर हाई स्कूल शाखा मण्डल, देहरादून की स्थापना	4,10	..	..	4,10	तदैव	239 प
144	पर्वतीय क्षेत्र के अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्वदशम् कक्षा 9 व 10 में मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति	8,00	..	..	8,00	तदैव	240
145	पर्वतीय क्षेत्र में भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण	1,00,00	..	..	1,00,00	तदैव	240
146	ग्रामीण पार्यावरण में स्वच्छता एवं सुधार हेतु पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालयों का निर्माण	14,90	..	..	14,90	तदैव	240
147	पंचायत भवनों का निर्माण	21,94	..	..	21,94	तदैव	240
148	पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता	70	..	..	70	तदैव	241
149	पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन	96	..	..	96	तदैव	241
150	भेड़/बकरी प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकर एवं विस्तार की योजना--वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण	11,30	..	..	11,30	तदैव	241
151	दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन की योजना	24,08	..	..	24,08	तदैव	242
152	उत्तरकाशी में नई डेरी की स्थापना	20,00	..	..	20,00	तदैव	242

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत (क्रमशः)

क्रम-सं०	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
153	प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विशिष्ट स्थानों के लिए विशिष्ट नींबू प्रजातीय फल व औद्यानिक विकास योजना	31	..	..	31	2551—पहाड़ी क्षेत्र	242 प
154	अल्मोड़ा शहर की हवेलियों पर अंकित काष्ठ कला का संरक्षण	1,15	..	..	1,15	तदैव	243 प
155	जूबेनाईल बोर्ड (किशोर कल्याण न्यायालयों) की स्थापना	1,98	..	..	1,98	तदैव	243 प
156	समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुष्टाहार	3,72,00	..	..	3,72,00	तदैव	244 प
157	जनपद पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल में प्रावेशन कार्यालयों की स्थापना	2,75	..	..	2,75	तदैव	244 प
158	आयुक्त एवं महानिदेशक, पर्यटन (पर्वतीय क्षेत्र) के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	5,90	..	..	5,90	तदैव	245 प
159	अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना हेतु भूमि का क्रय	1,00	..	..	1,00	तदैव	246 प
160	नवोदय विद्यालय, उत्तरकाशी के लिए भूमि का क्रय	6,43	..	..	6,43	तदैव	246 प
161	पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य रोग निदान एवं अनुसंधान आदि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना	13,50	..	..	13,50	तदैव	246 प
162	वर्ण संकर बछियों के पालन-पोषण हेतु संतुलित पशु आहार का वितरण 50 प्रतिशत राज सहायता	6,00	..	..	6,00	तदैव	247 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत (क्रमशः)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
163	पर्वतीय क्षेत्र के भेड़ बहुल स्थानों पर ऊन शिपरिंग, ग्रेडिंग तथा चिकित्सा सेवा केन्द्रों की स्थापना	88,60	..	..	88,60	2551-पहाड़ी क्षेत्र	248
164	भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत राज्य भण्डारागार निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	90,00	..	..	90,00	तदैव	248
165	पर्वतीय क्षेत्र में पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार की योजना वर्तमान पशु संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था	5,00	..	..	5,00	तदैव	249
166	स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अंतर्गत औद्यानिक विकास कार्यक्रम	4,75	..	..	4,75	तदैव	249
167	वर्तमान कुक्कुट विकास परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण तथा नयी कुक्कुट विकास परियोजनाओं की स्थापना	9,00	..	..	9,00	तदैव	250
168	पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालन विभाग के अपर निदेशालय स्तर पर पशुपालन संबंधी विकास कार्यक्रमों के अध्ययन, संरचना, अनुसरण, मानिटरिंग आदि कार्यों के सम्मेलन हेतु एक नियोजन टेक्निकल सेल की स्थापना	85	..	..	85	तदैव	250
169	पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य रोग निदान, अनुसंधान आदि सेवाओं क सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना	50,85	..	..	50,85	तदैव	251
170	पर्वतीय क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन की विशेष योजना	33,40	..	..	33,40	तदैव	252
171	पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन का प्रचार	30,00	..	..	30,00	तदैव	252
172	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना	4,00,00	..	..	4,00,00	तदैव	253

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत (क्रमशः)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
3	पर्वतीय क्षेत्र में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	5,00	..	..	5,00	2551-पहाड़ी क्षेत्र	253 प
	पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय निकायों को नगर में प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई संयंत्रों को क्रय हेतु अनुदान	15,00	..	..	15,00	तदैव	253 प
	पर्वतीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों को नगर विकास योजना के अन्तर्गत पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों एवं सौन्दर्यीकरण योजनाओं हेतु अनुदान	10,00	..	..	10,00	तदैव	253 प
	पर्वतीय क्षेत्र के सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान	10,00	..	..	10,00	तदैव	254 प
	नगरपालिका, गोपेश्वर को गोपेश्वर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु अनुदान	5,85	..	..	5,85	तदैव	254 प
	विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन नई दिल्ली के शिविर कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	1,75	..	..	1,75	तदैव	254 प
	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून का संगणीकरण	5,00	..	..	5,00	तदैव	255 प
	विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नये व्यवसायों का खोला जाना	25,92	..	..	25,92	तदैव	256 प
	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भूमिसेना का गठन	3,00,00	..	..	3,00,00	तदैव	257 प
	विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत ए0 बी0 टी0 एस0, देहरादून का सुदृढ़ीकरण	14,60	..	..	14,60	तदैव	257 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित की गई मदें--आयोजनागत (क्रमशः)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
183	विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत संबंधित अनुदेशन केन्द्र की स्थापना	6,85	..	..	6,85	2551-पहाड़ी क्षेत्र	258
184	विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत पोस्ट आई० टी० आई० स्किल डेवलपमेन्ट	2,20	..	..	2,20	तदैव	259
185	स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को संदर्भ एवं मानक पुस्तकों की पुस्तकीय सहायता	10	..	..	10	तदैव	259
186	बाल पुस्तकालयों का विकास	25	..	..	25	तदैव	259
187	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान	1,30	..	..	1,30	तदैव	260
188	मण्डलीय जिला, जिला शाखा एवं ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास	4,65	..	..	4,65	तदैव	260
189	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सम्वर्धन	95	..	..	95	तदैव	261
190	पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान	10	..	..	10	तदैव	261
191	पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू किया जाना	4,81	..	..	4,81	तदैव	261
192	सहकारी जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास योजना	7,20	2,00	..	9,20	2551 पहाड़ी क्षेत्र तथा 4551 पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	262
193	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत शिलिंग एवं गंगाई में पटवारी चौकी का निर्माण	..	5,47	..	5,47	4551-पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	263
194	काशीपुर कताई मिल का आधुनिकीकरण/विविधीकरण हेतु अंशपूंजी	..	31,84	..	31,84	तदैव	263

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत (क्रमशः)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
195	जनपद उत्तरकाशी के नैताला एवं डुंडा, जनपद चमोली के पोखरी तथा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट एवं धारचुला में प्रस्तावित खाद्य गोदामों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने एवं प्रतिकर भुगतान	..	4,51	..	4,51	4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	264 प
196	जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी एवं पुरोडा तथा जनपद टिहरी के अन्तर्गत थ्यूड एवं जामणी खाल में नये खाद्य गोदामों का निर्माण।	..	28,00	..	28,00	तदैव	264 प
197	एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपासिटर्स के उत्पादन की योजना	..	50,00	..	50,00	तदैव	264 प
198	विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्योगिक विकास के अन्तर्गत फारवर्डिग एजेन्सी केन्द्र की स्थापना	..	28,98	..	28,98	तदैव	265 प
199	काठगोदाम में पर्यटक आवास गृह का विस्तार (कार पार्किंग), डायनिंग हाल तथा डारमेट्री का निर्माण	..	5,63	..	5,63	तदैव	265 प
200	गरम पानी (खैरना) स्थान पर अतिरिक्त कार पार्किंग तथा डारमेट्री का निर्माण	..	11,45	..	11,45	तदैव	265 प
201	पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज सज्जा	..	99,12	..	99,12	तदैव	265 प
202	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु चार हरिजन छात्रावासों का निर्माण	..	48,00	..	48,00	तदैव	266 प
203	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ के लिए पुस्तकालय भवन का निर्माण	..	7,00	..	7,00	तदैव	266 प

पर्वतीय विकास विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--प्रायोजनागत (क्रमशः)

क्रम सं0	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
204	कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0 की अंशपूंजी में विनियोजन	..	2,11,00	..	2,11,00	4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	266 प
205	जनपद देहरादून में मशरूम कंपोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट का निर्माण	..	16,21	..	16,21	तदैव	267 प
206	पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी चौकियों का निर्माण	..	1,00,00	..	1,00,00	तदैव	267 प
207	पर्यटन काम्पलेक्स, मंसूरी के लिय साज-सज्जा की व्यवस्था	..	28,54	..	28,54	तदैव	267 प
208	पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा	..	40,60	..	40,60	तदैव	267 प
209	श्री बद्रीनाथ धाम में 500 शय्या के यात्री-निवास का निर्माण	..	50,00	..	50,00	तदैव	268 प
210	पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल मण्डल के निजी उद्यमियों को पर्यटन उद्योग हेतु आकर्षित करने के लिए जलपान गृह एवं यात्री निवास का निर्माण	..	58,20	..	58,20	तदैव	268 प
211	बिन्सर (अल्मोड़ा) पर्यटन आवास गृह में विद्युत व्यवस्था	..	7,35	..	7,35	तदैव	268 प
212	राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण	..	4,00	..	4,00	तदैव	268 प
213	पर्वतीय क्षेत्र में टेन्ट कालोनी की व्यवस्था	..	50,64	..	50,64	तदैव	269 प
214	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 की इकाई फ्लशडोर फैक्ट्री कोटद्वार की सीजनिंग क्षमता बढ़ाने हेतु अंशपूंजी	..	19,50	..	19,50	तदैव	269 प

पर्वतीय विकास विभाग (समाप्त)

वर्ष 1990–91 के आय व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें––आयोजनागत (क्रमशः)

क्र-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
15	पर्वतीय क्षेत्र में फास्ट फूड सेंटर की स्थापना	..	34,80	..	34,80	4551–पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	269 प
16	ऋषिकेश में 200 शय्या पर्यटक आवास गृह का निर्माण	..	20,00	..	20,00	तदैव	269 प
17	सहकारी उपभोक्ता भंडारों की योजना ।	14,72	..	2 00	16,72	2551 पहाड़ी क्षेत्र तथा 6551 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	270 प
18	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना	74,68	..	5,95	80,63	2551 पहाड़ी क्षेत्र तथा 6551 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	271 प
19	सहकारी क्रय विक्रय एवं भंडारण योजना	..	..	6,50	650	6551 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार	274 प
	योग	72,22,97	9,62,84	14,45	82,00,26	..	

जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं का स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन ।

प्रदेश के पर्वतीय अंचल में वर्तमान में केवल वाह्य पोषित जलागम परियोजना ही कार्यान्वित की जा रही है। इनका कार्यान्वयन विश्व बैंक पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत यूनीफाइड कमाण्ड प्रणाली से किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित कार्मिकों की एक विशेष टीम उपजलागम स्तर पर तैनात की जाती है जो परियोजना द्वारा पूर्वनिर्धारित क्षेत्र के भीतर ही जलागम कार्यान्वित करती है। जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पाई गई है। यह संस्थाएं न केवल स्वयं जलागम प्रबन्ध परियोजना के कार्यक्रमों को लागू कर सकती है बल्कि क्षेत्रीय जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती है। जनता की भागीदारी के अभाव में परियोजनायें प्रायः असफल रहती है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जनता की भागीदारी से स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी को वाह्य तकनीकी ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में ऐसी संस्थायें बड़े जलागम क्षेत्रों में कार्य करने में असमर्थ प्रतीत होती है। अतः आरम्भ में प्रयोगात्मक रूप से इन संस्थाओं के द्वारा सूक्ष्म जलागम स्तर पर ही जलागम प्रबन्ध परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है जिसका क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर तक होगा तथा जिसमें परिस्थिति के अनुसार दो से चार तक ग्राम सम्मिलित हों। यह एक प्रयोगात्मक प्रस्ताव है। उपर्युक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु पांच वर्ष की योजना प्रस्तावित है। परियोजना के प्रथम वर्ष (1990-91) में क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा योजना संरचना की जायेगी जिसके लिये जनपद नैनीताल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून तथा उत्तरकाशी प्रत्येक के लिये एक लाख की व्यवस्था की गई है तथा जनपद पौड़ी, टिहरी तथा चमोली (जहां अधिक स्वैच्छिक संस्थायें कार्यरत है) प्रत्येक के लिये 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2551---पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत---

60-- अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

145---वानिकी और वन्य जीव---

सूक्ष्म जलागम प्रबन्ध परियोजना---

	(हजार रुपयों में)
33---अन्य व्यय	11,00

विकास खण्ड स्तर पर सामान्य विकास कार्यों के लिये उपलब्ध कार्मिकों द्वारा समन्वित लघु जलागम प्रबन्ध परियोजना चलाया जाना ।

यह आवश्यक समझा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास खण्ड स्तर पर सामान्य विकास कार्यों के लिये उपलब्ध कार्मिकों द्वारा भी समन्वित लघु जलागम परियोजना कार्यान्वित की जाय। इसे प्रत्येक चयनित विकास खण्ड के एक लघु जलागम लागू किया जायेगा जिसका क्षेत्रफल लगभग 5000 हेक्टेयर होगा। परियोजना की संरचना जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा जिलाधिकारी से परामर्श करके तैयार की जायेगी। परियोजना का कार्यकाल 5 वर्ष होगा जिसमें प्रथम वर्ष में प्रारम्भिक कार्य किया जायेगा। शेष चार वर्षों में परियोजना का कार्यान्वयन किया जायगा। वर्ष 1990-91 में 39.50 लाख रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 39,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2551---पहाड़ी क्षेत्र---आयोजनागत--- (हजार रुपयों में)

60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

145---वानिकी और वन्य जीवन---

समन्वित लघु जलागम परियोजना---

04---यात्रा व्यय	14
06---कार्यालय व्यय	26
33---अन्य व्यय	39,10
योग, ..	39,50

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना ।

पर्वतीय क्षेत्र में चमोली कर्णप्रयाग तथा टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्र नगर में दो नये होम्योपैथिक औषधालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 2,35,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,35,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

क--अपेक्षित कर्मचारि वर्ग--

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान	पद की संख्या
		रु0	
1	होम्योपैथिक चिकित्सा	2200-4000	2
2	होम्योपैथिक कम्पाउन्डर	1350-2200	2
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	2

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

110-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-शहरी स्वास्थ्य सेवायें चिकित्सा की अन्य पद्धतियां--

02-होम्योपैथी--

0301--ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालयों की स्थापना तथा दवाओं की अतिरिक्त व्यवस्था--

01--वेतन	1,03
03--महंगाई भत्ता	35
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	20
11--किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	12
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10
33--अन्य व्यय	50
योग ..	2,35

पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र में दो पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोले जानें तथा प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापक इण्टर नर्सरी प्रशिक्षित (एक प्रधान अध्यापिका/एक सहायक अध्यापिका) दिये जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही काष्ठोपकरण शैक्षिक उपकरण तथा भवन निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का भी प्रस्ताव है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,80,000 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

102--सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा--

05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. .. .. 2,8(

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण की योजना।

पिथौरागढ़ के गन्ना फल प्रयोग केन्द्र पर उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता के गिरीदार फल जैसे, बादाम, कैश्यूनट, जलन इत्यादि की कलमी प्रजातियां विकसित कर इन फलों द्वारा जनपद पिथौरागढ़ एवं अन्य पर्वतीय जनपदों के उद्यान पतियों को आर्थि लाभ पहुंचाने के कार्यक्रम को आठवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसे कार्यान्वित करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध पदों को भी चालू रखने का प्रस्ताव है।

पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली विभिन्न औद्योगिक फसलों के उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर कृषकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्थानी समाधान, निकायों के लिये प्रयोग कर उनका निराकरण तथा कृषकों की उनकी संस्तुतियों से अवगत करा समाधान किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रगतिशील कृषक नये वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप कीट व्याधियों की रोकथाम, आधुनि कर्षण क्रियायें मृदा परीक्षण उर्वरकों का उचित प्रयोग के विविध कार्यक्रम अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना को भ आठवीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से उत्पादकों तक पहुंचाने हेतु 2 दृष्टि श्र

वाहन (आडोविजुवल) उपलब्ध है इनके माध्यम से गांव-गांव में नवीनतम तकनीकी विधियों का प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध पदों को क्रमागत चालू रखने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त कार्यक्रमों को एक साथ वर्गीकृत करके चलाने में आठवीं योजनाकाल में कुल 1,07,41,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है जिसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में 19,44,000 रु0 व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

141--कृषि कार्य—

04—उद्यान एवं फलोपयोग—

(..) औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण की योजना— (धनराशि हजार रुपयों में)

01--वेतन	11,29
02—मजदूरी	45
03—महंगाई भत्ता	3,84
04—यात्रा व्यय	65
05--अन्य भत्ते	1,34
06—कार्यालय व्यय	35
12—प्रकाशन व्यय	10
13—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2
22—मोटर गाड़ी का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद	40
25—माल और सम्पूर्ति	75
33—अन्य व्यय	25
योग	19,44

पर्वतीय क्षेत्र के विकास खंडों को अनुदान।

पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 89 विकास खण्डों को दो लाख प्रति विकास खण्ड की दर से कुल 1,78,00,000 रु0 विभिन्न लघु विकास कार्यों के नव निर्माण पर व्यय हेतु अनुदान देने के लिये व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 1,78,00,000 रुपये की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

152--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-- (हजार रुपयों में)

0802--क्षेत्र समितियों को विकास कार्यों के लिये अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,78,00

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना।

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण, प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है:--

(1) पर्वतीय क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर सहकारी गोष्ठियों का आयोजन:—

पर्वतीय क्षेत्र के जन समुदाय को सहकारिता के उद्देश्यों से परिचित करवाने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर सहकारी गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। इस प्रकार की गोष्ठियों के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री तथा पोस्टर बैनर इत्यादि की व्यवस्था करने के लिये पी0सी0यू0 को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। सहकारी आन्दोलन को और अधिक सक्रिय एवं गतिशील बनाने के लिये लगभग 5 वर्ष तक इस योजना को और चलाने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस योजना पर कुल 27,00,000 रुपये का एवं वर्ष 1990-91 हेतु 3,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है।

(2) पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु पी0 सी0 यू0 को अनुदान:--

पर्वतीय क्षेत्र के दोनों मण्डलों में स्थापित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन प्रान्तीय स्तर पर गठित संस्था प्रादेशिक कोआपरेटिव यूनियन द्वारा किया जा रहा है। यह संस्था सहकारी संस्थाओं से प्राप्त चन्दे एवं शासकीय अनुदान से ही चलती है। संस्था के आय के कोई और अन्य स्रोत न होने के कारण संस्था उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर होने वाले व्यय को वहन कर पाने में असमर्थ है। कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 60

प्रतिशत के आधार पर प्रबन्धकीय अनुदान की मांग किये जाने के फलस्वरूप आठवीं योजनाकाल में इस हेतु कुल 88,30,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 6,00,000 रु0 व्यय का अनुमान है।

उक्त प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 9,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के लिये 9,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र–

151—सहकारिता— (हजार रुपये में)

11—सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत कोआपरेटिव यूनियन को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 9,00

पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के कुटीर तथा ग्रामीण स्तर की एवं मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स इकाई की स्थापना हेतु अनुदान।

पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के कल्याण हेतु महिला कल्याण निगम द्वारा कुटीर तथा ग्रामीण स्तर की इकाइयों को स्थापित करने तथा उनकी बिक्री की योजना चलाये जाने का प्रस्ताव है। पहले चरण में निगम प्रत्येक जिले में एक-एक विकास खण्ड में उक्त योजना चलायेगा। निगम उत्पादित वस्तुओं को महिलाओं के घर से ही उठा कर बिक्री की व्यवस्था करेगा तथा उसका मूल्य भी महिला को घर पर ही उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त निगम एक मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स इकाई की भी स्थापना करेगा। जिसमें महिलाओं द्वारा ऐसे उत्पाद तैयार किये जायेंगे जिनकी बाजार में समुचित मांग हो। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 14,65,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 14,65,000 रुपये की आय-व्ययक में व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र— आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

164—उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—

56—महिला कल्याण निगम को अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 14,65

रेशम उद्योग के प्रचार प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजना।

पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों में रेशम उद्योग के प्रति जागरूकता एवं जनसाधारण में रुचि जाग्रित कराने हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है इसके साथ ही साथ कीटपालक कार्ड बुकलेट तथा पम्फलेट कार्ड भी मुद्रित कराये जाने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा ग्रामवासियों को रेशम उद्योग के विषय में तकनीकी जानकारी उपलब्ध, करायी जायेगी। इस योजना पर 5,45,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें 1,88,000 रुपये केन्द्रीय रेशम बोर्ड वहन करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में 3,57,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। तद्नुसार 3,57,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

164—उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—

(–) रेशम उद्योग, के प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की योजना—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,57

पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उद्योग परियोजनाओं के लिये नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे ऋण पर प्रदेश सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की स्वीकृति।

पर्वतीय क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा रेशम उद्योग की परियोजनाये स्वीकृत की जा चुकी है। इन अनुमोदित परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 67,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 67,000 रुपये की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60-अन्य-पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग (-) रेशम उद्योग परियोजनाओं के लिये वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुदान-

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 67

सहकारी जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास योजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटियों का कृषिकरण

हिमालय से लगे पर्वतीय क्षेत्र में बहुमूल्य जीवन दायनी जड़ी-बूटियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। नैसर्गिक रूप से पाई जाने वाली जड़ी-बूटियां असंतुलित विदोहन व जनसंख्या वृद्धि से दिन प्रतिदिन संकुचित होते हुए प्रायः लुप्त होती जा रही है। अतः भेषज एवं जड़ी-बूटी विकास योजना पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों में 40 भेषज प्रदर्शन इकाइयों के अन्तर्गत कार्यरत हैं, जिनमें विशेष प्रकार की जड़ी-बूटियों का कृषिकरण किया जा रहा है तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय आवश्यकतानुसार जड़ी-बूटियों के बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह प्रदर्शन इकाइयां अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली जड़ी-बूटियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है। इस योजना को आगे भी चलाते हुये जड़ी-बूटियों के कृषिकरण हेतु प्रत्येक प्रदर्शन इकाइयों को वर्ष 1990-91 में 5,000 प्रति इकाई की दर से 2,00,000 रु० अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है।

(2) प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार--

भेषज, जड़ी-बूटी योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिये लघु कृषकों को भेषज कृषि का आधार प्राकृतिक दोहन का वैज्ञानिक संतुलन और कुटीर उद्योगों के विकास की सुविधाओं की जानकारी देने को जो व्यवस्था अभी तक की जाती रही है उसे अगली योजना अवधि में जारी रखने का प्रस्ताव है। किन्तु इस हेतु व्याख्यान कक्ष, ग्रन्थालय, छात्रावास म्यूजियम आदि आवश्यक सुविधायें पुराने कुमायूं कोआपरेटिव फेडरेशन, अल्मोड़ा के किराये के भवन में उपलब्ध है। उपलब्ध भवन अत्यन्त पुराना है तथा उसमें न्यूनतम आवश्यक सुविधायें पर्याप्त नहीं है। अतः इस योजना के अन्तर्गत भूमि खरीद एवं भवन निर्माण तथा साज-सज्जा हेतु आठवीं योजना में 46,00,000 रु० का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। पंचदिवसीय छात्रवृत्ति 20 रु० प्रतिदिन प्रतिछात्र की दर से 10 हजार ग्रामीण संग्रहणकर्ता मासिक प्रशिक्षण हेतु 450 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति, त्रैमासिक प्रशिक्षण हेतु 450 रु० प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी को दर से 200 प्रशिक्षणार्थियों को, प्रचार-प्रसार सामग्री, प्रिंटिंग 30 हजार प्रतिवर्ष की दर से तथा पुस्तकों के क्रय, जनपदीय प्रचार-प्रसार प्रदर्शनी, अखिल भारतीय सेमीनार आदि पर आठवीं योजनाकाल में 25,40,000 रु० अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। उक्त प्रस्तावित कुल 71,46,000 रु० की धनराशि पी० सी० यू० को हस्तान्तरित की जायेगी।

(3) भेषज कृषि एवं शोध विस्तार कक्ष--

भेषज कृषि एवं शोध विस्तार के लिये कृषि शोध प्रयोगशाला कक्षों का अभाव है। अतः कृषि प्रयोगशाला, ग्लास हाउस के लिये भूमि क्रय करने एवं ग्रीन हाऊस के भवन निर्माण के लिये 39,40,000 रु० अनुदान देने का प्रस्ताव है। नवीन प्रयोगशाला के लिये यंत्र उपकरण रसायन खरीद पर 5,30,000 रु० प्रयोगशाला हेतु दैनिक श्रमिक बीज आदि पर 6,00,000 रु० कुल 11,30,000 रु० अनुदान आठवीं योजनाकाल में प्रस्तावित है। कृषि विस्तार हेतु भेषज बीज प्रसारण प्रजातीय वृक्षों के वनीकरण हेतु 20,75,000 रु० का अनुदान आठवीं योजनाकाल में प्रस्तावित है। आठवीं योजनाकाल में भेषज कृषि एवं शोध विस्तार पर कुल 71,45,000 रु० का अनुदान प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रु० तथा आठवीं योजनावधि में कुल 1,44,91,000 रु० व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के लिये 2,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

151--सहकारिता-- (हजार रुपयों में)

(..) जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण की योजना (जिला योजना)

पर्वतीय क्षेत्र के बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण की योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 21,00,000 रुपये का व्यय वर्ष 1990-91 में अनुमानित है। तदनुसार 21,00,000 रुपये धनराशि की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

164--उद्योग--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

(-) आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण की योजना हेतु हथकरघा निदेशालय को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 21,00

अधिक उत्पादन कार्यक्रम के लिये कृषकों का प्रशिक्षण एवं दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण

पर्वतीय क्षेत्र के 3 जनपद पौड़ी, अल्मोड़ा व नैनीताल में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के माध्यम से कृषक प्रशिक्षण एवं दृश्य श्रव्य प्रशिक्षण योजना का कार्य पूर्व वर्षों से संचालित किया जा रहा है। शेष 5 जनपदों चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, देहरादून में भी आठवीं योजना में कृषक प्रशिक्षण योजना का संचालन प्रस्तावित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत थारू बुक्सा जाति एवं जनजाति के लोगों को विभिन्न व्यवसायों एवं कृषि में तकनीकी ज्ञान की वृद्धि हेतु नवयुवकों एवं युवतियों को विभिन्न प्रकार की ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग आत्म-निर्भर एवं स्वावलम्बी बन सकें। उक्त संस्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु जिला स्तर पर कतिपय पदों को सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त पदों पर व्यय हेतु वर्ष 1990-91 में कुल 5,75,000 रु० की आवश्यकता है। तदनुसार 5,75,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान-- (हजार रुपयों में)

(क)	कुल परिव्यय	79,75
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	20,00

3--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान	पद संख्या प्रति जनपद	कुल पदों की संख्या (5 जनपदों के लिये)
		(रु०)		
1	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	2200-4000	1	5
2	ज्येष्ठ प्रशिक्षक	1400-2600	1	5
3	लिपिक	950-1500	1	5
4	चौकीदार	750-940	1	5

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

152--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम--एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम--

12--अधिक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों का प्रशिक्षण एवं दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण--

01--वेतन	3,00
03--महंगाई भत्ता	50
04--यात्रा व्यय	25
05--अन्य भत्ते	50
06--कार्यालय व्यय	25
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	25
33--अन्य व्यय (प्रशिक्षण)	1,00
योग ..	5,75

सोयाबीन उत्पादकों को सोयाबीन उत्पादन स्थल से फैक्ट्री तक सहकारिता के माध्यम से लाने हेतु परिवहन अनुदान।

पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन की ऊंची दरों के कारण कृषकों को अपना सोयाबीन का उत्पादन सहकारी वनस्पति फैक्ट्री तक लाने में अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, फलस्वरूप सृजित अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग परिवहन व्यय के रूप में वहन करना पड़ता है। फैक्ट्री अभी प्रारम्भिक अवस्था में होने से ढुलान व्यय की प्रतिपूर्ति कृषकों को करने में सक्षम नहीं है। कालान्तर में फैक्ट्री द्वारा परिवहन व्यय स्वयं वहन किया जायेगा। अतः पर्वतीय क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1990-91 में 7,85,000 रु० तथा आठवीं योजनावधि में कुल 39,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष के आय-व्ययक में 7,85,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

151--सहकारिता--

08--कृषि निवेशों के परिवहन पर राज सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 7,85

विश्व बंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास कार्यक्रम ।

इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है :—

1—फल पौध बीज सब्जी सुधार एवं स्रोत केन्द्रों की स्थापना (वीसा)—स्थानीय जलवायु में आयातीत प्रजातियों के क्षेत्रीय ...ण आयोजित किये जायेंगे और उपयुक्त आधार पर चयनित प्रजातियों को पौध सामग्रियों का प्रसारण किया जायेगा। ... कार्य हेतु विभागीय 15 केन्द्रों का चयन किया गया है। इसमें फल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर उत्पादन सहायक ...ाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। जिसमें कुल वृत्तों का भी इस प्रकार चयन किया जा सकेगा कि सब पर तैयार कलमी ... कम फैलाव के कारण अधिक संख्या में रोपित किये जा सकें तथा उनमें फल जल्दी आये इसके फलस्वरूप प्रति हैक्टर फल ...दन अधिक होगा फलों की गुणवत्ता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

2—आदर्श उद्यान/प्रक्षेत्रों का विकास—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय 25 उद्यान चयनित किये गये हैं जिन ...उत्पादक सहायक सुविधाओं यथा आयातीत प्रजातियों/नव विकसित प्रजातियों का परीक्षण/प्रसार मूलवृत्तों/प्रजातियों/उत्तम/पौधों ...सघनता भूमि की नमी का संरक्षण फसल नियंत्रण का ताल में आदि का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ये आदर्श उद्यान स्थानीय ...टतम प्रक्षेत्रों (ओ०एफ०टी०) औद्यानिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करेंगे इसके अतिरिक्त उद्यानपतियों तथा ...र कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे।

3—राजकीय पौधालयों का विकास—इसके अन्तर्गत 8 विभागीय पौधशालाओं के वीसा केन्द्रों पर परीक्षणोपरान्त चयनित ...गयी आयातीत उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का प्रसारण कर उत्पादकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4—ग्रेविटी रोपवेज/मैकेनिकल रोपवे—पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ अंचलों में रिक्त उद्यानों औद्यानिकों उत्पादों के ...हन में यातायात की असुविधाओं तथा सम्पर्क मार्ग न होने के कारण निजी उद्यानपतियों की उनके औद्यानिकउत्पादों ...रिवहन की सुविधा देने के उद्देश्य से रोडवेज का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

5—सब्जी बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना—पर्वतीय जनपदों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजकीय ... मटेला (अल्मोड़ा) तथा ढकरानी (देहरादून) में शीतोष्ण जलवायु में उत्पादित होने वाले सब्जी बीजों का तथा वे मौसमी ...यों के बीजों का जनक बीज (ब्रीडर) तथा आयातीत बीजों का उत्पादन किया जायेगा। फलस्वरूप क्षेत्रीय उत्पादकता ... और उद्यान पतियों का आर्थिक विकास संभव होगा।

6—निजी क्षेत्रों से फारवर्डिंग शेड तक सुरक्षित रूप से फलों को परिवहन करने के लिये सरकारी संघ/समिति के माध्यम में ...स्टक क्रेट्स 10 रु० प्रति वर्ष प्रति क्रेट के आंशिक किराये पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रमों को सम्पादित करने के उद्देश्य से वीसा व एम० ओ० के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में क्रमशः 4 वाहन तथा ...हन कुल 6 वाहन प्रस्तावित किये गये हैं तथा एम० ओ० के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में प्रसार कार्यों एवं परीक्षणों (ओ० एम० ...) का समय-समय पर संचालन अनुरक्षण एवं निदेशन आदि का कार्य सम्पादित करने हेतु 7 मोटर साइकिल का क्रय प्रस्तावित ...। वीसा एवं एम० ओ० के अन्तर्गत प्रस्तावित जीप परीक्षणों (ओपट) के लिये रोपाई सामग्री रसायन खाद उर्वरक आदि के ...रवहन का कार्य करेंगी तथा प्रशिक्षार्थियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने हेतु परिवहन में उपयोग की जायेगी।

इस प्रकार आठवीं योजना काल में उपरोक्त कार्यों के सम्पादित करने हेतु 5,72,07,000 रु० के व्यय का अनुमान है तथा ... सापेक्ष वर्ष 1990-91 में 1,31,66,000 रु० की आवश्यकता है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्यय में 1,31,66,000 रु० ...था कर ली गयी है।

2—व्यय के अनुमान—

		रु०
(क)	कुल परिव्यय (1990—95)	5,72,07,000
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	39,39,000

3—व्यय का विभाजन—

क—अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद	वेतनमान	पद संख्या
...ल पौध प्रजातीय सुधार एवं स्रोत की स्थापना (वीसा)	रु०	
...हन चालक (दूनागिरी/रुद्रपुर/जरमोला तथा ग्वालक्ष्य हेतु ..	950-1500	4
...दर्श उद्यानों एवं प्रक्षेत्रों का विकास (एम० ओ०)		
...हन चालक (रामगढ़/भटका)	950-1500	2

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र

141--कृषि कार्य--

04--उद्यान कर्म और फलोपयोग-

(..) विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास (हजार रुपयों में)

01--वेतन	3·
02--मजदूरी	2,21
03--महंगाई भत्ता	1:
04--यात्रा व्यय	'
05--अन्य भत्ते	(
06--आर्यालय व्यय	35
19--लघु निर्माण कार्य	32,81
20--मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र	7,45
21--मोटर गाड़ी क्रय	13,80
22--मोटर गाड़ी का अनुरक्षण	1,49
23--अनुरक्षण	3,30
25--माल और सम्पूर्ति	69,66
33--अन्य व्यय	3
योग ..	1,31,66

प्रदर्शनी, पुरस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना

पर्वतीय क्षेत्र में खादी निर्माताओं तथा ग्रामों में लगे व्यक्तियों के प्रयास को बढ़ावा देने, उन्हें प्रोत्साहन देने विपण व्यवस्था को तेज करने आदि के लिये प्रदर्शनी पुरुस्कार एवं उद्यमिता विकास योजना को जिला स्तर पर कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ता है। योजना के अन्तर्गत ग्रामोद्योगी वस्तुओं की जानकारी वहां पर आने वाले सैलानियों तथा वहां रहने वाले निवासियों तक पहुंचा के लिये दुर्गम रास्तों, तीर्थयात्रा मार्गों तथा सैलानी स्थलों पर सचल प्रदर्शनी लगाना प्रस्तावित है ताकि दूरस्थ स्थानों पर ग्रामोद्योग कार्यक्रमों एवं उनके उत्पादों की जानकारी का प्रसार हो सके। प्रत्येक जिले में ऐसे 10-10 सचल प्रदर्शनी लगाये जाने का प्रस्ताव है इसक अतिरिक्त छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता उत्पादकता को बढ़ाये जाने के लिये जिले स्तर, ब्लाक स्तर प प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास की भी कमी है। अत: इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को चयन करके, उन्हें उद्यमित प्रशिक्षण दिये जाने का भी लघु कार्यक्रम है। यह परियोजना समन्वित रूप से एक प्रकार से ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम की एक छोटी कड़ होगी। पर्वतीय क्षेत्र में आठ जिलों में से प्रत्येक के लिये 60,000 रुपये प्रति जिले की दर से मात्र 4,80,000 रुपये का वर्ष 1990-9 के व्यय अनुमानित हैं। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,80,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

164--उद्योग-ग्रामीण एवं लघु उद्योग--

12--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (जिला योजना) .. .. 4,8(

जनजाति बहुल विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना

जनजाति बहुल विकास खंडों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक विकास खंड में नि:शुल्क सब्जी पौध एवं नि:शुल्क फल पौध के प्रदर्शन कराये जाते रहे हैं जिसका निर्बल एवं पिछड़ वर्ग के उद्यान पातियों को अच्छा लाभ मिलता रहा है योजना की लोकप्रियता एवं महत्व को देखते हुए योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू रक्खा जाना प्रस्तावित है आठवीं योजना काल में योजना पर 31,44,000 रु० के व्यय का अनुमान है जिसके सापेक्ष 1990-91 में 5,24,000 रु० की आवश्यकत है। तदनुसार 5,24,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551-पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

04--उद्यान फल एवं फलोपयोग--

(..) जनजाति बहुल विकास खंडों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन की योजना--

01--वेतन	24
02--मजदूरी	40
03--महंगाई भत्ता	9
04--यात्रा व्यय	9
05--अन्य भत्ते	2
25--माल और सम्पूर्ति	4,00
33--अन्य व्यय	40
.. योग ..	5,24

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण की योजना

इस योजना का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीजों पर शोध तथा उनका उत्पादन किया जाना है। यह योजना सातवीं योजना [अव]धि से लागू है। अब इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में चालू रखने का प्रस्ताव है। इस योजना हेतु अष्टम [पंच]वर्षीय योजनावधि में 3,07,000 रु0 एवं वर्ष 1990-91 में 55,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष [1]990-91 के आय-व्ययक में 55,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--03-कृषि मुख्य

9110--पर्वतीय क्षेत्र में कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण की योजना--

01--वेतन	15
03--मंहगाई भत्ता	8
04--यात्रा व्यय	4
05--अन्य भत्ते	3
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	25
योग ..	55

[व]र्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन, अतिरिक्त सुविधा व्यवस्था ब्रायलर, कुक्कुट पक्षियों का उत्पादन क्रय-विक्रय

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय जनता के खाने योग्य कुक्कुट पक्षियों की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुए आगामी आठवीं पंच-[वर्षी]य योजना अवधि में (1990-95) पर्वतीय जनपदों के 8 कुक्कुट प्रक्षेत्रों (कुक्कुट प्रक्षेत्र कोटद्वार को छोड़कर) में अण्डे देने वाली [50] प्रतिशत कुक्कुट पक्षियों की संख्या तथा 50 प्रतिशत खाने योग्य कुक्कुट पक्षियों की संख्या रखे जाने का प्रस्ताव है। [यो]जनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में 4,00,000 रु0 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 30,80,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। [तदनु]सार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

	रु0
2--व्यय के अनुमान--	
(क) कुल परिव्यय 1990-95	30,80,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	6,95,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--पशुपालन--

04--मुर्गी पालन विकास--

पर्वतीय क्षेत्र में समन्वित कुक्कुट विकास की योजना--

वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन अतिरिक्त सुविधाएं तथा ब्रायलर पक्षियों का उत्पादन एवं क्रय-विक्रय योजना-- (हजार रुपयों में)

02--मजदूरी	45
06--कार्यालय व्यय	20

07—टेलीफोन पर व्यय .. ..
19—लघु निर्माण .. ..
20—मशीनें और-सज्जा/उपकरण और संयंत्र 1,
33—अन्य व्यय 1,

योग .. 3,

01—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान—वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन अतिरिक्त सुविधाएं तथा ब्रायलर पक्षियों का उत्पादन एवं क्रय विक्रय योजना—
33—अन्य व्यय .. ..

कुल योग .. 4,

पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन विकास हेतु केज कल्चर की अग्रगामी योजना

पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य विकास के उद्देश्य से केज कल्चर की अग्रगामी योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव इस योजना को वर्ष 1990–91 में परीक्षण के रूप में चलाये जाने का प्रस्ताव है तथा प्रथम वर्ष में केज-कल्चर द्वारा उत्पादित म की सफलता के उपरान्त योजना का आगामी वर्षों में विस्तार किया जायेगा। योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 में जनपद नैनी की तीन झीलों की तीन इकाइयों में 9 केज प्रति इकाई की दर से व्यवस्थित की जायगी। जिससे 1000 से 1500 किलो प्रति केज मत्स्य उत्पादन अनुमानित है। योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 में 1,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—
144—मीन उद्योग—
02—पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन विकास हेतु केज कल्चर की अग्रगामी योजना—
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. .. ..
33—अन्य व्यय .. ..

योग .. 1

पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य विकास केन्द्रों की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन विकास तथा मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन में प्रोत्साहन हेतु मैदानी क्षेत्रों की भांति प मत्स्य विकास अभिकरण की स्थापना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990–95 पर्वतीय क्षेत्र में डिग्गियों/तालाबों का सुधार, मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन, तालाबों की स्थापना पर 36,00,00 का व्यय तथा वर्ष 1990–91 में 5,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्यय 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय के अनुमान— रु०
(क) कुल परिव्यय, 1990–95.. 36,00,
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 6,05,

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत— (हजार रुप
60—पहाड़ी क्षेत्र—
144—मीन उद्योग—
01—पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य विकास अभिकरण की स्थापना—
33—अन्य व्यय .. ..

सहकारिता के माध्यम से अतिरिक्त ओकटसर कोया उत्पादन हेतु अनुदान की योजना

पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों में जहां (बांझ) ओक के पेड़ उपलब्ध है वहां पर इस उद्योग को विकसित किये का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 4,20,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। अतः 4,20,000 रुपये की व्यवस्था व्ययक में सम्मिलित कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

164—उद्योग—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—

(–) सहकारिता के माध्यम से अतिरिक्त ओकटसर कोया उत्पादन हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,20

खत्ता विकास योजना

जनपद नैनीताल में लाल कुआं दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 1989-90 से खत्ता विकास योजना चलाई जा रही है इसकी सफलता को देखते हुये वर्ष 1990-91 म इस योजना को पर्वतीय क्षेत्र के अन्य खत्तों में भी प्रसार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत खत्तों में निवास करने वाले दुग्ध उत्पादकों के विकास का कार्य निम्नलिखित रूप से किया जायेगा—

1—गाय/भैंसों का अच्छी नस्ल के साड़ों के वीर्य से कास ब्रीडिंग किया जायेगा जिससे उत्तम नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध हो सकेंगे उन्नतिशील नस्ल के इन दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। यह सुविधा दुग्ध उत्पादकों को उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

2—खत्तों में इन पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है वह केवल घास फूस एवं पेड़ों के पत्ते आदि होते हैं इससे इनके दूध में बढ़ोत्तरी नहीं हो पाती है, न दूध की किस्म ही उत्तम होती है। अतएव सहकारी दुग्ध संघ द्वारा इन खत्तों के दुधारु पशुओं को अच्छे किस्म का पशु आहार उपलब्ध कराया जायेगा इससे पशुओं के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

3—समुचित रख-रखाव तथा खान-पान न होने के कारण खत्तों के दुधारू पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती है। इन बीमारियों के निवारण/रक्षार्थ दुग्ध संघों द्वारा विभिन्न वैक्सीन/सुविधायें दुधारू पशुओं को उपलब्ध कराई जायेगी।

उपर्युक्त से पर्वतीय अंचल जंगलों में स्थिति खत्तों का विकास होगा तथा दुधारु पशुओं की नस्ल में सुधार होगा उनकी समुचित देख-रेख खान-पान, ब्रीडिंग एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था होगी जिससे उनके दूध में बढ़ोत्तरी हो सकेगी तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले खत्ता क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

उक्त कार्यों को सम्पन्न कराने के लिये वर्ष 1990-91 में 7,29,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षाणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित इतनी ही धनराशि धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

143—डेरी विकास—

01—डेरी विकास योजना—

14—सहायक अनुदान/अंशदान राज/सहायता 7,29

लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि की व्यवस्था

सातवीं पंचवर्षीय योजना की इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी संचालित किये जाने का प्रस्ताव है जिससे पर्वतीय क्षेत्र जीर्ण के शीर्ण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय इंटर कालेजों बालक/बालिका के भवनों की मरम्मत के कार्य कराये जा सके। सम्पूर्ण योजनावधि में कुल 75 विद्यालय भवनों के लिये भौतिक लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1990-91 के लिये 15 विद्यालयों के भवनों के मरम्मत पर 40,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

103—सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा—

06—अन्य व्यय—

0603—नई इकाई लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान—

33—अन्य व्यय 40,00

बीज विधायन संयंत्र देहरादून के विद्युतीकरण की योजना

कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीजों में से स्वस्थ बीज की छटाई करके कृषि उत्पादन को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से सप्तम पंचवर्षीय योजनावधि में देहरादून में एक बीज विधायन संयंत्र की स्थापना की गयी है। इस संयंत्र को चालू करने के लिये उसके विद्युतीकरण की व्यवस्था की जानी है। इस संयंत्र से राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीजों का विधायन किया जायेगा तथा कृषक भी इस संयंत्र का उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे। वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

03--कृषि मुख्य--

0311--पर्वतीय क्षेत्र में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना--

19--लघु निर्माण 1,00

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

पर्वतीय क्षेत्र में चालू विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय आघटन को रोकने के लिए योजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना परम आवश्यक है। अतएव इस दृष्टि से समस्त विकास योजनाओं का उनके कार्यान्वियन से पूर्व पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न जल-समेट क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, मौसम एवं जलवायु सम्बन्धी अध्ययन एवं विकास योजनाओं के विरचन हेतु पर्यावरणीय मार्ग-दर्शिकायें तैयार कर विभिन्न इकाइयों को उपलब्ध कराया जायेगा। इन पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 3,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

172--पारिस्थिकीय और पर्यावरण--प्रदूषण निवारण और नियंत्रण--

05--पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,50

पारिस्थितिकीय विकास

पर्वतीय जनपदों के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यन्त जटिल एवं भिन्न-भिन्न है इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर एवं ग्राम्य पारिस्थितिकीय विकास संगत योजनाओं जैसे मलिन बस्तियों के सुधार तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सुलभ शौचालयों आदि के निर्माण की योजनायें तैयार कर उनका कार्यान्वियन कराना, जल संसाधनों (सतही एवं भूजल) के संरक्षण एवं उनके नियोजित विकास तथा अनुकूलतम उपयोग (स्प्रिंकलर ड्रिप तथा हाइड्रम) इत्यादि की रूपरेखा तैयार कर सम्बन्धित विभाग को परामर्श देना, वनों पर दबाव कम करने के लिए सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण तथा घास के मैदान विकसित करने और चारागाह के निर्धारण तथा वनों के संरक्षण हेतु बायोरोटेशन की योजनायें ग्राम स्तर पर तैयार कर उनका कार्यान्वियन कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अधीन पारिस्थितिकीय विकास के प्रति जन-जागरूकता उत्पन्न करने एवं तत्सम्बन्धी जानकारी देने हेतु पारिस्थितिकीय विकास कैम्पों का आयोजन भी किया जायेगा उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 4,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

172--पारिस्थितिकीय और पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण--

06--पारिस्थितिकीय विकास--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,5

पर्यावरणीय शिक्षा चेतना प्रशिक्षण शोध प्रवर्तन एवं सूचना व्यवस्था

पर्यावरण के प्रति दीर्घकालिक जन-जागरूकता अभियान एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में पर्यावरण बारे में वृहत् स्तर पर जन-जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध प्रोन्नति कार्यक्रम चलाये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर वित्तीय 1990-91 में 6,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,00,000 रु० व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

172--पारिस्थितिकीय और पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण--

08--पर्यावरणीय शिक्षा, चेतना, प्रशिक्षण, शोध, प्रवर्तन एवं सूचना व्यवस्था--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 6,00

पर्यावरण ह्रास नियंत्रण एवं पर्यावरण अन्वेषण

जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अत्याधिक दोहन से पर्यावरण का निरन्तर ह्रास हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित ढंग से विकास कार्यों जैसे सड़क, पुल, आवासीय कालोनियों एवं बांधों के निर्माण, पेड़ों के कटान, खनन कार्य इत्यादि के कारण भूस्खलन भूक्षरण, वनस्पतियों एवं जन्तुओं की दुर्लभ प्रजातियों का लुप्त होना, ईधन की कमी और मैदानी क्षेत्रों में कम वर्षा, अत्यधिक बाढ़ एवं जन-हानि इत्यादि समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भावी पीढ़ी की दीर्घकालीन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पर्यावरण ह्रास नियंत्रण एवं पर्यावरण अन्वेषण की योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 2,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,50,000 रु0 व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

172--पारिस्थितिकीय और पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण--

04--पर्यावरण ह्रास नियंत्रण एवं पर्यावरण-अन्वेषण--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 2,50

प्राकृतिक जैव सम्पदा का संरक्षण।

वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों का कथन है कि पर्वतीय क्षेत्र का पर्यावरणीय एवं पारस्थितिकीय सन्तुलन अस्थिरता की ओर जा रहा है, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक जैव सम्पदा का संरक्षण किया जाय। इस दृष्टि से वनस्पतियों एवं जन्तुओं की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन / सर्वेक्षण जल समेट-क्षेत्रवार / श्रेणीबद्ध करके उनके नियोजित एवं आर्थिक उपयोग का पता लगाया जाना वनस्पतियों की लुप्त-प्राय प्रजातियों के संरक्षण, सम्बर्द्धन उनसे सम्बन्धित शोध कार्य करना तथा जन्तु उद्यानों की स्थापना एवं प्रबन्ध हेतु योजनाओं का विरचन करके उनके कार्यान्वयन हेतु सबन्धित विभागों को सुझाव दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 2,10,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थिति धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

172--पारिस्थितिकीय और पर्यावरण--प्रदूषण निवारण और नियंत्रण--

07--प्राकृतिक जैव सम्पदा का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण--

14--सहायक अनुदान/अंशदान / राज सहायता 2,10

सहकारिता विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी बिक्री केन्द्रों द्वारा प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक व अन्य कृषि निवेश जैसे कृषि रक्षा रसायन, कृषि रक्षा उपकरण एवं कृषि यन्त्र का वितरण हो रहा है। विषम आवागमन के साधनों के फलस्वरूप कृषकों को रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति उचित दामों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरक के ढुलान पर 10 रु0 प्रति टन से अधिक होने वाले व्यय को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा पी0सी0एफ0 को की जाती रही है। सातवीं योजना की भांति इसे आठवीं योजना में भी चलायें जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर आठवीं, पंचवर्षीय योजनावधि में कुल 26,70,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 4,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 4,50,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

151--सहकारिता--

08--उर्वरक परिवहन पर राज सहायता--

14--सहायक अनुदान/ अंशदान / राज सहायता 4,50

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना

भारत सरकार के निदेशन पर केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य 50 – 50 प्रतिशत के अंशदान के आधार पर प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना चलायी जा रही है जिसमें विकास कार्यक्रमों पर लघु / सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत व 33-1 / 3 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये उक्त अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत रखी गयी है और इस प्रकार 50 प्रतिशत व अनुमन्य अनुदान की दरों का अन्तर शासन द्वारा वहन किया जाता है इसके अतिरिक्त संबद्ध स्टाफ का व्यय भी इसके अन्तर्गत वहन किया जाना है। यह योजना आठवीं पंच वर्षीय योजना अवधि (1990–95) में भी चलती रहेगी। इस योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990–95) में कुल 45,00,00,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 9,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 9,00,00,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन कार्यक्रम—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
152—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम—एकीकृत ग्रामीण विकास—कार्यक्रम	
05—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना—	
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	9,00,00

कृषि विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरकों के परिवहन पर राज सहायता

इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों को 10 कि० ग्रा० के छोटे पैकेटों में तथा सभी स्थलों पर सामान्य मूल्य पर उवरक उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत दो कार्यक्रम चलाये जाते रहे हैं :—

(1) उर्वरकों के व्यय पर ढुलान सहायता।

(2) सुगम परिवहन हेतु दुर्गम अंचलों में उर्वरक पहुंचाने हेतु छोटे-छोटे पैकेटों की व्यवस्था की जाती है। इन पैकेटों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में अभी उर्वरक लोकप्रिय नहीं हुआ है और वहां पर छोटी-छोटी जोत के कृषक हैं उनकी क्रय शक्ति भ अत्यधिक कम होती है अतएव इस योजना को अष्टम पंचवर्षीय योजना में भी कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजन हेतु अष्टम योजनावधि में 1,15,00,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 23,00,000 रु० का आवर्तक व्यय होने का अनुमा है। अतएव वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक के इस योजना हेतु 23,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में
2551—पहाड़ी क्षेत्र—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
141—कृषि कार्य—	
03—कृषि मुख्य—	
0514—पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरकों के परिवहन पर राज सहायता तथा 10 कि०ग्रा० के पैकटों की व्यवस्था की योजना।	23,0(

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड; का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुर्नगठन, विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि अल्मोड़ा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए सिविल कार्यों हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा दुग्ध संघ की दुग्धशा का विस्तार/आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत दुग्धशाला भवन के विस्तार ब्यायलर एवं रेफरीजरेशन भ प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, चहारदीवारी (बाउन्ड्रीबाल) आदि हेतु सिविल निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जि लिए बनाये गये आगणन के अनुसार 34.74 लाख रु० का व्यय अनुमानित है। इसमें से दुग्ध संघ की 8.00 लाख की वित्तीय सहायता पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है, अतएव अब शेष धनराशि 26.74 लाख रु० की और आवश्यकता तदनुसार 1990–91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि को व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों
2551—पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
143—डेरी विकास—	
01—डेरी विकास योजना—	
14—सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता ..	26

वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं अतिरिक्त सुविधायें

पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ों के चरान चुगान हेतु विभागीय गड़रियों की भेड़ों को पहाड़ों के 10 या 12 हजार फीट की ऊंचाइयों पर ले जाना होता है, जहां उन्हें बर्फीले आंधी तथा तूफानों का सामना करना पड़ता है। इन कष्टप्रद स्थिति के निवारणार्थ विभागीय गड़रियों को सुरक्षात्मक वस्त्रों एवं सामग्रियां उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 में 9,04,000 रु० का व्यय तथा पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (1990–95) में 14,04,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 9,04,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय के अनुमान—

	रु०
(क) कुल परिव्यय	..14,04,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	.. 9,04,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
142—पशुपालन—	
05—भेड़ एवं ऊन विकास—	
0503—भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण—	
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,88
01—अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण—	
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र ..	4,16
कुल योग ..	9,04

सहायता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण विज्ञान उपकरण के क्रयार्थ तथा पुस्तकों की व्यवस्था हेतु अनुदान।

पर्वतीय जनपदों के अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। किन्तु प्रबन्धकों को दान आदि न मिलने के कारण साज-सज्जा, काष्ठोपकरण विज्ञान, उपकरण तथा पुस्तकों की व्यवस्था नहीं हो पाती। समुचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों के पठन-पाठन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अतएव विद्यालयों को शासकीय सहायता प्रदान कर उनमें सुधार कर सार्थक एवं आकर्षक बनानें के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों में चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों को अनावर्तक विकास अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। बालक विद्यालयों के लिये योजनान्तर्गत राजकीय अनुदान एवं प्रबन्धकीय अंशदान 90 : 10 का है अर्थात् बालक विद्यालयों को 9,000 रु० राजकीय अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा विद्यालय प्रबन्धक को उक्त अनुदान में 1,000 रु० प्रबन्धकीय अंशदान लगाना अनिवार्य होगा। बालिका विद्यालयों को शत प्रतिशत अर्थात् 10,000 रु० राजकीय अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। उनसे प्रबन्धकीय अंशदान लगाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। इस वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 95,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
102—सामान्य शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा—	
05—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—सहायता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण, विज्ञान, उपकरण के क्रयार्थ तथा पुस्तकों के पठन-पाठन की व्यवस्था हेतु अनुदान—	
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	95

पर्वतीय क्षेत्र में जिला ग्राम्य विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

पर्वतीय क्षेत्र के तीन जनपदों में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, पौड़ी / हवालबाग (अल्मोड़ा), रूद्रपुर (नैनीताल), पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल जनपदों में संस्थान के प्रांगण में कृषक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का सम्पादन किया गया है। उक्त जनपदों के अतिरिक्त शेष 5 जनपद चमोली / उत्तरकाशी / पिथौरागढ़, टिहरी तथा देहरादून में भी वर्ष 1990–91 से कृषक प्रशिक्षण योजना के साथ-साथ अन्य ग्रामीण बेरोजगार युवकों को भी प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। इन जनपदों में पशुपालन / कालीन बुनाई / फोटोग्राफी / टिन स्मिथ / जड़ी-बूटी संग्रहण / औषधि निर्माण आदि व्यवसायों में युवकों को प्रशिक्षण

देकर रोजगार दिलाने की योजना प्रस्तावित है । वर्ष 1990-91 पर योजना पर कुल 3,75,000 रु० का व्यय अनुमानित है तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 3,75,000 रु० की व्यवस्था में कर ली गई है ।

2--आय-व्यय में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

152--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम--एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम--

(..)--जिला ग्राम्य विकास संस्थान, पिथौरागढ़ / चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून / टिहरी का सुदृढ़ीकरण--

33--अन्य व्यय 3,7

पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों पर राज सहायता तथा उर्वरकों नि:शुल्क प्रदर्शन की योजना ।

सप्तम पंचवर्षीय योजनावधि में जन-जाति विकास खण्डों में उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शन की योजना तथा जन-जाति विका खण्डों में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपजदायी बीजों पर राज सहायता की दो योजनायें चलती रही हैं। अष्टम पंचवर्षी योजनावधि में उक्त दो योजनाओं का एकीकरण करके "जन-जाति विकास खण्डों में अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों पर रा सहायता तथा उर्वरकों के नि:शुल्क प्रदर्शन की योजना" को सम्मिलित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत जन-जाति विकास ख में कृषकों को उन्नत बीजों के क्रय पर 50 प्रतिशत राज सहायता अनुमन्य करायी जायगी । तथा कृषकों को उर्वरकों के समुचित प्रयो को लोकप्रिय बनाने हेतु उर्वरकों के नि:शुल्क प्रदर्शन कराये जायेंगे । एक प्रदर्शन 0.1 हेक्टेयर कृषि भूमि में कराया जाता है, जिस प 80 रु० का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना पर अष्टम पंचवर्षीय योजना अवधि में 75,00,000 रु का व्यय अनुमानित है । वर्ष 1990-91 में 15,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है । अतएव वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 15,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्यय में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

03--कृषि मुख्य--जनजाति विकास खण्डों में अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों पर राज सहायता तथा उर्वरकों के नि:शुल्क प्रदर्शन की योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 15,0

लघु तथा सीमांत कृषिकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता ।

प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में लघु सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना केन्द्र व रा सरकार के मध्य 50-50 के अंशदान के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है । पर्वतीय क्षेत्र में कुल 89 विकास खण्ड है जिनमें से विकास खण्ड योजनान्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित है जिनमें केन्द्रांश व राज्यांश दोनों ही अनुमन्य है । यह योजना आ पंचवर्षीय योजनाअवधि में भी चलना प्रस्तावित है । निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिये आठवीं पंचव योजना अवधि (1990-95) में कुल 11,15,00,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 2,23,00,000 रु० का राज्यां 2,15,00,000 रु० के केन्द्रांश कुल 4,38,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय 4,38,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है । योजना की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2--आय-व्यय में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

03--कृषि मुख्य--

0315--लघु तथा सीमांत कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,38,

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुस सहायता की धनरा अभिधारित की गय
राज सहायता	2,19,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--04--केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान--800--अन्य अनुदान--47--पहाड़ी क्षेत्र--4713--लघु सीमान्त कृषकों को विशेष सहायता योजना--	50 प्रतिशत

जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण तथा उनमें अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना ।

सामान्यतः प्रत्येक प्राइमरी स्कूल भवन में बरामदों सहित 4 कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था एवं अल्पायु बच्चों की सुरक्षा हेतु चहारदीवारी अत्यन्त आवश्यक है। पंचम शैक्षिक सर्वेक्षण आख्या, 1986 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में उक्त सुविधाओं से वंचित विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है- -

मद				स्कूलों की संख्या	कमियां जिनकी व्यवस्था होनी है
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	..	..	..	7103	11,510 कक्षा कक्ष
मूत्रालय-शौचालय	..	..	..	7530	7,530 शौचालय
पेयजल व्यवस्था	..	..	..	3500	3,500 हैण्डपम्प पाइप
चहारदीवारी	..	..	..	4000	4,000 चहार दीवारी

बढ़ी हुई निर्माण लागत के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय, पेयजल, व्यवस्था एवं चहारदीवारी निर्माण की यूनिट कास्ट क्रमशः 50,000 रु0 12,000 रु0, 5,000 रु0 एवं 25,000 रु0 होगा और तद्नुसार उक्त कार्यों हेतु क्रमशः 57.75 करोड़ रु0, 9.04 करोड़ रु0, 1.75 करोड़ रु0 एवं 10.00 करोड़ रु0 के व्यय का अनुमान है। अस्तु अनिवार्य आवश्यकता के आधार पर 70,00,000 रु0 की लागत से क्रमशः 500 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 800 शौचालय, 480 हैण्डपाइप पाइप लाईन एवं 400 स्कूलों की चहारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव आठवीं योजनावधि में प्रस्तावित है। योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 50 लाख रुपयों की लागत से 100 कक्षा कक्ष 18 लाख रु0 की लागत से 150 स्कूलों में शौचालय, 5 लाख रु0 की लागत व 100 स्कूलों में हैण्ड पाइप पेयजल की व्यवस्था तथा 12.50 लाख रुपये की लागत से 50 स्कूलों में चहारदीवारी निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 85,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551--पहाड़ी क्षेत्र- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

102--सामान्य शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा--

05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन संवर्धन प्रसार तथा उनमें अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज/सहायता 85,50

खुरपका, मुंहपका रोग नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत टीके तथा दवाई की व्यवस्था ।

पर्वतीय क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण की योजनायें चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 50 प्रतिशत केन्द्र तथा 50 प्रतिशत राज्य अंश अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराई जाती रही है। इस योजना को आंठवी पंचवर्षीय आयोजनावधि (1990-95) में भी चलाये जाने का प्रस्ताव है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 4,40,000 रु0 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में 28,00,000 रु0 का अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,40,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

142—पशुपालन—

04—पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएं और स्वास्थ्य—

0210—खुरपका, मुंहपका रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत टीके तथा दवाई की व्यवस्था—

33--अन्य व्यय 2,20

01--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट-प्लान खुरपका मुंहपका रोग नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत टीके तथा दवाई की व्यवस्था

33--अन्य व्यय-- .. 2,20

योग .. 4,40

3—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	2,20	1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान— 04—केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान—800 अन्य अनुदान— 47—पर्वतीय विकास—	50 प्रतिशत

निजी क्षेत्रों में पौधालय स्थापना की योजना ।

पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानपतियों को निजी क्षेत्र में पौधालय/नर्सरी की स्थापना हेतु फलों के पौधे तैयार करने संबंधो औद्यानिक तकनीकी का एक माह का प्रशिक्षण प्रस्तावित है ताकि स्थानीय जलवायु के अनुरूप फल पौध/सब्जी बीज का उत्पादन निजी क्षेत्र के पौधालयों में भी किया जा सके एवं फल/सब्जी के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। प्रत्येक जनपद से वर्ष 1990-91 में एक कृषक का चयन प्रस्तावित है जिसके पास एक हैक्टयर भूमि उपलब्ध हो। एक माह का औद्यानिक प्रशिक्षण उद्यान चौपटिया में विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 1000 रु0 प्रशिक्षण भत्ता निजी क्षेत्र के पौधालय स्थापित करने हेतु 250 रु0 की लागत की नि:शुल्क रोपण सामग्री तथा 50 प्रतिशत राजसहायता के आधार पर पौधालय के उपयोग आने वाले औद्यानिक औजार देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न औद्यानिक संस्थानों एवं आदर्श इकाइयों में दृश्यावलोकन व्यय हेतु 500 रु0 प्रति प्रशिक्षार्थी पर होने वाले व्यय का अनुमान रक्खा गया है। प्रशिक्षण अभ्यर्थियों में 250 रु0 प्रति प्रशिक्षार्थी के दर पर कार्यालय व्यय की मद में प्रशिक्षार्थियों को न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आवश्यक लेखन सामग्री औद्यानिक साहित्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2000 रु0 का व्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यक्रम के लिये आठवीं आयोजना वधि में 1,53,000 रु0 व्यय होने का अनुमान जिसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में 24,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 1990- 91 के आय-व्ययक में 24,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय के अनुमान— रु0

(क)	कुल परिव्यय (1990—95)	1,53,00
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	24,00

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—
141—कृषि कार्य—
04—उद्यान फर्म एवं फलोपयोग
(-) निजी क्षेत्र में पौधालय की योजना—

06—कार्यालय व्यय	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
15—छात्र वृत्ति/छात्र वतन	
25—माल सम्पूर्ति	
33—अन्य व्यय	
योग ..	2

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून क आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिये सिविल कार्यों हेतु सहायता ।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत देहरादून दुग्ध संघ की दुग्धशाला विस्तार/आधुनिकीकरण किया जा रहा है; जिसके अन्तर्गत दुग्धशाला भवन में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक कारखाना विस्तार, बहार दीवारी एवं स्टाफ क्वार्टर आदि का निर्माण कराया जा रहा है जिसके लि बनाये गये आगणन के अनुसार 63,95 000 रु0 का व्यय अनुमानित है। इसमें से दुग्ध संघ को 19,00,000 रु0 की वित्त सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है। अतएव 44,95,000 रु0 की और वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार 1990- 91 के आय-व्ययक में 44,95,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

143--डेरी विकास--

01--डेरी विकास की योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता..	..	..	44,95

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु औद्यानिक विकास की योजना।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों को एक साथ वर्गीकृत करके क्रमागत चालू रखने का प्रस्ताव है :--

पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में एक-एक राजकीय पौधालय विकसित कर पौधालय विकास अधिकारी के अनुरक्षण में जनपद की भौगोलिक स्थिति/जलवायु के अनुसार उच्च गुणवत्ता के फल-पौध एवं सब्जी बीज पौध के उत्पादन का लक्ष्य है। अतः उक्त राजकीय पौधशालाओं में सिंचाई हेतु पानी के टैंकों का निर्माण कर स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई व्यवस्था की जायगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध पदों को वर्ष 1990-91 में भी चालू रखा जाना प्रस्तावित हैं।

राजकीय प्रजनन उद्यान/आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र काशीपुर का विकास--

आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र काशीपुर जनपद नैनीताल में ब्रीडर बीज जो अब तक केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, शिमला से प्राप्त होता है उसे विभागीय प्रक्षेत्रों में आधारित/प्रमाणित आलू बीज के रूप में पैदा किया जाता है तथा उत्पादकों को मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रक्षेत्र के लिए एक ट्रैक्टर तथा एक ट्रैक्टर चालक की व्यवस्था उपलब्ध है। ट्रैक्टर के परिचालन हेतु ईंधन के लिये 24,000 रु0 की आवश्यकता है।

देहरादून में आम-लीची फल पट्टी विकास :--

जनपद देहरादून में लीची व आम के उत्पादन की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए देहरादून में आम-लीची की फल पट्टी का विकास की योजना वर्ष 1989-90 में स्वीकृत हुई है। इस फल पट्टी में रोपित आम, लीची पौधों के रोपण पर हुआ पूर्ण व्यय शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। मूल फलों, पौधों को दूसरे वर्ष 1990-91 में स्थानापन्न किया जाना है जो 20 प्रतिशत आंका गया है। फल पट्टी में निर्मित पौधे तीसरे वर्ष काश्तकार को सौंप दिये जाने हैं। तीसरे वर्ष में इस पौधों का विभाग द्वारा कोई भी व्यय बचनबद्ध नहीं है। 1989-90 की उपलब्धियों को देखते हुए एवं इस योजना के लाभ को देखते हुए इस योजना को आठवीं योजनाकाल में विस्तार करना प्रस्तावित है।

अल्मोड़ा, टिहरी के आदर्श उद्यान, बड़े राजकीय उद्यान तथा अन्य पौधालयों में उन्नत किस्म की रोपण सामग्री--

विभागीय प्रक्षेत्र/पौधालयों में उच्च गुणवत्ता के फल, पौध, सब्जी बीज, सब्जी पौध का उत्पादन किया जाता है तथा स्थानीय उद्यानपतियों/कृषकों को निर्धारित मूल्य पर इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। आने वाले वर्षों में इस सामग्री की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यह योजना आठवीं योजना अवधि में क्रमागत चालू रखने का प्रस्ताव है।

आठवीं योजना अवधि के लिए उपर्युक्त चारों कार्यक्रमों को एक साथ वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए आठवीं योजना अवधि में 2,53,99,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। इसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में कार्यक्रमों के कार्यान्वियन हेतु 51,35,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 51,35,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान--

				रु0
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	..	..	..	2,53,99,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	..	..	..	44,46,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

04--उद्यान कर्म एवं फलोपयोग--

(..)--उन्नत किस्म की रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु औद्यानिक विकास की योजना--

01--वेतन	..	..	..	..	..	4,36
02--मजदूरी	..	..	..	..	..	16,97
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	..	1,49
05--अन्य भत्ते	..	..	..	..	..	58
04--यात्रा व्यय	..	..	..	..	..	35
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	..	25
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व		..	..	..	..	2
12--प्रकाशन	..	..	..	..	..	3

(हजार रुपयों में)

20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	11
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	12
23—अनुरक्षण	25
25—माल एवं सम्पूर्ति	24,52
33—अन्य व्यय	2,30
योग ..	51,35

औद्यानिक प्रशिक्षण एवं मौनपालन कार्यक्रमों का सघनीकरण।

इस योजना क अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के औद्यानिक कार्यक्रम को आधुनिकतम तकनीकी विधियों से विकसित किया जा रहा है। योजना की उपयोगिता एवं उद्यानपतियों/कृषकों के लाभ को देखते हुए योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखा जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 31,33,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है जिसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में 5,15,000 रु0 के व्यय का अनुमान है जिसकी व्यवस्था 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—व्यय के अनुमान— रु0

(क) कुल परिव्यय (1990—95) 31,33,000

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 7,47,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

141—कृषि कार्य—

04—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग—

(..)—औद्यानिक प्रशिक्षण एवं मौनपालन कार्यक्रमों का सघनीकरण—

11—किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	26
12—प्रकाशन	10
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	32
15—छात्रवृत्ति / छात्र वेतन	3,99
22—मोटर, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	25
25—माल एवं सम्पूर्ति	8
33—अन्य व्यय	15
योग ..	5,15

पर्वतीय क्षेत्रों में मौनपालन योजना।

पर्वतीय क्षेत्र के औद्यानिक विकास में मौनों का विशेष महत्व है। विभिन्न फलों के तथा सब्जी बीजों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से फलोत्पादन क्षेत्रों में मौन वंश रखने से उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होती है इसके अतिरिक्त मधु उत्पादन भी होता है जिससे उत्पादकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। फलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ज्योलीकोट तथा तलवाड़ी में मौनपालन केन्द्रों द्वारा मौनवंश तैयार किये जाते हैं और इसका अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम पूर्व में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत "पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास" योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। चूंकि विश्व बैंक योजना अब नये रूप में चलाई जानी है अतः मौन कार्यक्रम को पृथक योजना के रूप में लिया जा रहा है। आठवीं आयोजनावधि में योजनान्तर्गत 12,97,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। इसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में 2,22,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 2,22,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय के अनुमानः— रु0

(क) कुल परिव्यय (1990—95) 12,97,000

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 2,95,000

3—व्यय का विभाजन—

साज-सज्जा मशीन गाड़ियों आदि के स्थूल व्योरे—

मद	1990-91
	रु०
क—भारत में खरीदी जाने वाली क्रमागत मौन पालन कार्यक्रम हेतु	
1—कार्यालय व्यय (लेखन सामग्री कोल्ड स्टोर चार्जेज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प) ..	5,000
2—छात्रवृत्ति (चार माह का प्रशि० 15 फरवरी से 15 जून तक तथा ज्योली कोट एवं तेलवाड़ी में अल्पकालीन- 1 1/2 माह का प्रशिक्षण में तीन माह सत्र)	45,000
3—मशीन सज्जा उपकरण मौन बक्स के छुट फुट उपकरणों के बदलाव हेतु ..	2,000
4—माल सम्पूर्ति (मौन बक्सों के निर्माण हेतु लकड़ी काल पेन्ट मौन सीदस आदि ..	30,000
5—अन्य व्यय मौन बक्सों का तराई भाबर में माइग्रेशन व्यय तथा लकड़ी आदि का परिवहन	5,000
योग ..	87,000

4—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

141—कृषि कार्य—

04—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग—

(..) पर्वतीय क्षेत्र में मौनपालन की योजना—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	87
03—महंगाई भत्ता	30
04—यात्रा व्यय	5
05—अन्य भत्ते	13
06—कार्यालय व्यय	5
15—छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	45
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2
25—माल एवं सम्पूर्ति	30
30—अन्य व्यय	5
योग ..	2,22

मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण योजना।

इस योजना के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार योजनाओं को वर्गीकृत किया गया है :—

हालैण्ड सरकार के सहयोग से पर्वतीय जिलों में मशरूम की खेती का विकास—

पर्वतीय क्षेत्र में मशरूम उत्पादन की पर्याप्त सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये डच सरकार के सहयोग से मशरूम उत्पादन हेतु पाश्चुराईजेशन कम्पोस्ट एवं स्पान (बीज) तैयार कर उत्पादकों को उपलब्ध कराया जाता रहा है, ताकि वे प्रति इकाई उत्पादन वृद्धि कर सकें जिसके फलस्वरूप उनके आर्थिक दशा में सुधार सम्भव हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्पादकों की मांग अनुरूप स्थान की आपूर्ति यथा सम्भव विभाग द्वारा की जा रही है। उक्त कार्यक्रम के आठवीं योजना में भी कार्यान्वयन के फलस्वरूप अधिकाधिक संख्या में उत्पादकों की मांग पूरी हो सकेगी। योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों को आठवीं योजना अवधि में भी चालू रखा जाना प्रस्तावित है।

देहरादून के पर्वतीय क्षेत्रों में मशरूम प्रशिक्षण योजना—

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद देहरादून में उत्सुक एवं इच्छुक बेरोजगार पढ़े लिखे नवयुवकों को मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण कर उनको इस योग्य तैयार किया जाता है कि नवयुवक निजी क्षेत्र में मशरूम इकाईयां स्थापित कर मशरूम उत्पादन के व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। यह कार्य एक कमरे के अन्दर भी किया जा सकता है जो आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। इस कार्यक्रम को आठवीं योजना में चालू रखते हुये वर्तमान में उपलब्ध पदों को भी क्रमागत चालू रखा जाना प्रस्तावित है।

देहरादून में मशरूम पाश्चराइजेशन प्लान्ट—

इस योजना पर आठवीं योजनाकाल में 2,49,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है जिसके सापेक्ष योजनाकाल के वर्ष 1990-91 में 39,000 रु० व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार उपर्युक्त तीनों योजनाओं को वर्गीकृत करने के फलस्वरूप आठवीं योजना अवधि (1990–95) में कुल 92,95,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है जिसके सापेक्ष वर्ष 1990–91 हेतु 15,81,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 1990–91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय के अनुमान—

	रु0
(क) कुल परिव्यय (1990–95)	92,95,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	21,54,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

141—कृषि कार्य—

04—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग—

(..) मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण योजना—

	धनराशि (हजार रु0 में)
01—वेतन	3,44
02—मजदूरी	45
03—महंगाई भत्ता	1,17
04—यात्रा व्यय	52
05—अन्य भत्ते	65
06—कार्यालय व्यय	26
12—प्रकाशन	12
15—छात्र वृत्ति/छात्र वेतन	11
19—लघु निर्माण कार्य	1
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद	95
23—अनुरक्षण	20
25—माल एवं सम्पूर्ति	7,60
33—अन्य व्यय	32
योग	15,81

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, विस्तार एवं स्थापना योजना के अन्तर्गत कोटद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटद्वार (गढ़वाल) के पुनर्गठन के लिये संयंत्रों एवं सिविल कार्यों हेतु सहायता

योजना के अन्तर्गत कोटद्वार दुग्ध संघ की दुग्धशाला का गठन/पुनर्गठन प्रस्तावित है ताकि दुग्ध संघ डीप फ्रीज क्रीम सेपरेटर तथा स्पेयर पार्टस् एवं वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण की व्यवस्था कर सके तथा और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समितियों का गठन करके अधिकाधिक दुग्ध उत्पादकों को प्राथमिक दुग्ध सहकारिताओं के अन्तर्गत लाया जा सके। इसके लिये वर्ष 1990-91 में 7,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 7,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

143—डेरी विकास—

01—डेरी विकास की योजना—

	(हजार रुपयों में)
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	7,00

औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट्स फल पौध/सब्जी बीज के परिवहन, कुरमुला कीट एवं अन्य व्याधियों की रोकथाम, औद्यानिक ऋण एवं संयंत्रों के वितरण पर राज सहायता

पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर कृषकों एवं उत्पादकों को फल सब्जी-बीज पौध तथा कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराने में परिवहन पर सहायता तथा कुरमुला कीट तथा अन्य कीट व्याधियों की रोकथाम हेतु प्रयुक्त होने वाले रसायनों पर भी राज सहायता दी जाती है। टिहरी जनपद को भी इस प्रकार की राज सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उद्यानपतियों द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि आठों जनपदों में इच्छुक उद्यानपतियों को पानी के टैंक तथा सिंचाई की व्यवस्था हेतु 10,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता के रूप में दी जाये जो अधिकतम 2.5 एकड़ तक होगी।

उक्त प्रस्तावों पर वर्ष 1990–95 में 3,03,44,000 रुपये का तथा 1990–91 में 60,03,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--व्यय के अनुमान:--

	रु0
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	3,03,44,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	63,50,000

3--व्यय का विभाजन--

क--अपेक्षित कर्मचारीवर्ग

पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
(1) आलू बीज के उत्पादन तथा परिवहन पर राज सहायता योजना	रु0	
1 लेखाकार	1200-2040	1
2 व0 आ0 नि0	1400-2600	1
3 चपरासी	750-940	1
4 वाहन चालक	950-1500	4
5 डाक रनर	750-940	1
(2) जिला उद्यान कार्यालय अल्मोड़ा हेतु		
1 सफाई कर्मचारी	750-940	1
2 चौकीदार	750-940	1

4-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141-कृषि कार्य--

04-उद्यान कर्म एवं फलोपयोग--

(..) औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता

01--वेतन	1,28
03--महंगाई भत्ता	45
05--अन्य भत्ते	14
04--यात्रा व्यय	10
06--कार्यालय व्यय	5
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	53,21
22--मोटर गाड़ी का अनुरक्षण	4,80
योग	60,03

बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा

पर्वतीय जनपदों में बालिका विद्यालयों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में [बाल]कों के साथ-साथ बालिकायें भी पढ़ती हैं। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बालिकाओं के लिये पृथक कामन रूम, [सा]धन कक्ष आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती है तथा इससे बालिकाओं को असुविधा होती है। अतः बालिकाओं के लिये अलग से उक्त [सुवि]धा उपलब्ध कराये जाने हेतु अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किये जाने का [प्रस्त]ाव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में एक विद्यालय को अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 [के] आय-व्ययक में 60,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

103--सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा--

02--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा (हजार रुपयों में)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 60

आठ पर्वतीय जनपदों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त अनुभागों हेतु कक्षा/कक्ष निर्माणार्थ अनुदान

इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने में अत्यन्त कठिनाई होती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सुव्यवस्था न होने के कारण बैठने एवं पढ़ने में अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में 24 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतिरिक्त अनुभागों के लिये कक्षा/कक्षों के निर्माण हेतु 20,000 रु0 प्रति कक्षा/कक्ष की दर से अनावर्तक अनुदान प्रदान किये जाने पर कुल 4.80 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 को आय-व्ययक में 4,80,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र —
103—समान्य शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा—
04—अशासकीय माध्यमिक विद्यालय को सहायता—
0201—अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को भवन निर्माण हेतु अनावर्तक अनुदान—
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,80

असहायिक अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना

इस योजना को आठवीं योजनावधि में भी संचालित किये जाने का प्रस्ताव है योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिये 5 विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर 6,60,000 रु0 का व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 आय-व्ययक में 6,60,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र -आयोजनागत--
103--सामान्य शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा--
04--अशासकीय माध्यमिक विद्यालय को सहायता--
0203--असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना--
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 6,60

पर्वतीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान

पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इस योजनान्तर्गत अनुदान हेतु चयनित विद्यालयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीन श्रेणि में विभाजित कर प्रथम श्रेणी के विद्यालयों को 4,000 रु0, द्वितीय श्रेणी विद्यालयों को 2,000 रु0 तथा तृतीय श्रेणी विद्यालय को 1,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से यह अनुदान स्वीकृत किया जाता था। अनुदान में विद्यालय प्रबन्धकों से कि प्रकार का प्रबन्धकीय अंशदान लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब उक्त दरों को संशोधित व तथा विद्यालयों की श्रेणियों को तीन के स्थान पर मात्र दो श्रेणियां बनाकर अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है। योजनान्त वर्ष 1990-91 में प्रथम श्रेणी के पर्वतीय क्षेत्र के 5 विद्यालयों को 10,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से तथा द्वितीय श्रे के 10 विद्यालयों को 7,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत अनुदान उन्हीं विद्यालयों को स्वीकृत किया जायेगा जिनका हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की लगातार तीन का संयुक्त परीक्षाफल 75 प्रतिशत से कम न हो तथा कक्षा-9 एवं 11 का गृह परीक्षाफल 85 प्रतिशत से कम न हो।

विद्यालय द्वारा अनुदान की धनराशि को सर्वप्रथम अध्यापकों को सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु, अंकेक्षण में काष्ठोपकर आदि की व्यवस्था करने पर व्यय किया जायेगा।

इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 1,20,000 रु0 का व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक 1,20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
103--सामान्य शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा--
04--अशासकीय माध्यमिक विद्यालय को सहायता--
0205--सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को दक्षता अनुदान--
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,20

बहुमुखी उत्कृष्टता हेतु सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान

इस योजना को आठवीं योजनावधि में भी चालू रक्खे जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उसके समुचित विकास एवं उन्नयन हेतु साज- सज्जा एवं काष्ठोपकरण तथा विज्ञान उपकरण/प्रयोगशाला आदि निर्माण हेतु प्रोत्साहन अनुदान 2.00 लाख रुपया स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। योजनावधि 1990-95 में पर्वतीय क्षेत्र के 5 विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

103--सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा--

04--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

0409--बहुमुखी उत्कृष्टता हेतु सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रोत्साहन अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र में नवयुवकों/नवयुवतियों में इलेक्ट्रानिक्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में भीमताल (नैनीताल), मुनि-की-रेती (टिहरी गढ़वाल) एवं मंसूरी में इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी। अब जनपद पिथौरागढ़ में भी इलेक्ट्रानिक्स ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना से पिथौरागढ़ जनपद जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद है के लोग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। योजना की अनुमानित लागत 45.50 लाख रुपये है तथा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1990-91 में 10.00 लाख रुपये आवर्तक तथा 20.00 लाख रुपये अनावर्तक अर्थात् कुल 30,00,000 रु० की आवश्यकता है। तदनुसार आय-व्ययक में 30,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

(.)--पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रानिक सेन्टर की स्थापना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30,00

पर्वतीय क्षेत्र में कम्प्यूटर लिट्रेसी केन्द्रों की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रति नवयुवक/नवयुवतियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसी क्रम में ट्राइसम योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के निर्बल वर्ग छात्र/छात्राओं के लिये कम्प्यूटर विषय में प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक पर्वतीय जिले में कम्प्यूटर लिट्रेसी केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में 6 जनपदों में यह केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। योजना का संचालन यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 60 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम है। योजना के संचालन हेतु आंठवीं योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 कुल 22,86,000 रु० का व्यय आनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 22,86,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

(-) पर्वतीय क्षेत्र में कम्प्यूटर लिट्रेसी केन्द्रों की स्थापना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 22,86

पर्वतीय क्षेत्र में वेधन कार्य हेतु नये विटों का क्रय

पर्वतीय क्षेत्र में जो खनिज अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं उनके अन्तर्गत वेधन मशीनों की सहायता से सतह के नीचे की चट्टानों को काट कर खनिज नमूने प्राप्त किये जाते हैं जिसके लिये डायमण्ड विट वेधन कार्य के अनुरूप नहीं है जिससे वेधन कार्य सुचारु रूप से करने में कठिनाई हो रही है और लक्ष्यों की पूर्ति में भी कठिनाई हो रही है। किये जा रहे वेधन कार्य को सुचारु रूप से किये जाने हेतु वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 2,00,000 रु0 की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

साज-सज्जा मशीन आदि के स्थूल व्योरे--

क्रम संख्या	मद	धनराशि
		रु0
1	एन0 क्यू0, बी0 क्यू एवं ए0 क्यू0 कोर विट --60	78,000
2	एन0 एक्स0 बी0 डब्लू0, बी0 एक्स0 बी0 डब्लू--70 .. .. .. ए0 एक्स0 बी 0 डब्लू0 एन0 एक्स0 एल0 बी0 एक्स एल0 एवं ए0 एक्स0, एल कोर विट	48,000
3	एन0 एक्स0 एवं बी0 एक्स केसिंग एवं केसिंग शूविट--30	25,000
4	एन0 क्यू0, बी0 क्यू0 एवं ए0 क्यू0 रीमर शेल--40	26,000
5	एन0 एक्स0 एवं बी0 एक्स0 इम्प्रेगनेटेड कोर विट--20	23,000
	योग ..	2,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

167--अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग--खानों का विनियमन और विकास--

02--प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण की योजना--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 2,00

निदेशालय में अभियांत्रिक भूविज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण

पर्वतीय क्षेत्र में अभियांत्रिक भूविज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में अभियांत्रिक भूविज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त उपकरण, साज-सज्जा एवं स्टाफ को आवश्यकता है जिसके लिये इस वर्ष 6,20,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार आय-व्ययक में 6,20,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्र0-संख्या	पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	सहायक भूवैज्ञानिक	2200-4000 ..	2
2	प्रयोगशाला सहायक	950-1500 ..	2
3	प्रयोगशाला परिचर	750-940 ..	2

(ख) साज-सज्जा/भण्डार/मशीनें/गाड़ियाँ आदि के स्थूल ब्योरे--

संख्या	मद	धनराशि
		रु0
1	इलेक्ट्रिक कम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन	1,20,000
2	स्टोन क्रशर	35,000
3	अब्रजन टेस्टिंग मशीन	25,000
4	क्रसिंग वल्यू आपरेटस	3,000
5	इम्पैक्ट टस्टिंग मशीन	5,000
6	रोटेटिंग डिवाइस	8,000
7	फ्लकीनेस इडेक्स एवं इलोगेशन टेस्टिंग गेज	5,000
8	रोटैप सीव शकर एवं सीव	13,000
9	ओवेन (2 अदद)	10,000
0	सेडीमेन्टेशन पीपेट	3,000
1	बैलेंस (2 अदद)	6,000
2	डिस्टिलेशन प्लान्ट	5,000
3	प्रयोगशाला हेतु अस्थाई शेड	1,50,000
4	उपरोक्त सामानों की फिटिंग इत्यादि	25,000
5	उप-साधक सामग्री	10,000
6	फर्नीचर इत्यादि	50,000
	कुल योग ..	4,73,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

167--अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग--खानों का विनियमन और विकास--

03--भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में इंजीनियरिंग जियालोजी सेल का गठन--

01--वेतन	62
03--महंगाई भत्ता	22
04--यात्रा व्यय	20
05--अन्य भत्ते	13
06--कार्यालय व्यय	60
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,23
33--अन्य व्यय	20
योग ..	6,20

ढ़वाल मण्डल में एगमार्क वर्गीकरण के प्रसार हेतु राजकीय एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला देहरादून की स्थापना

। भारत सरकार के कृषि उत्पादन (वर्गीकरण एव चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 के प्राविधान के अन्तर्गत एगमार्क वर्गीकरण ार हेतु पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट की अनुचित एवं घातक प्रवृत्ति को रोकने, उपभोक्ताओं को मूल्य में गुण युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा सुदूर स्थित उपभोग केन्द्र के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को एगमार्क रण खाद्य पदार्थों को विश्वास के साथ क्रय करने के साथ क्रय करने की भावना को सुनिश्चित करने के लिये पर्वतीय संभाग के ून में एक राजकीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आठवीं आयोजनावधि में इस योजना पर 0,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रु0 आवर्तक तथा 1,25,000 रु0 अनावर्तक अर्थात् 2,25,000 रु0 का ने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,25,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति ोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान	पदों की संख्य
1	2	3	4
		रु0	
1	ज्येष्ठ रसायनिज्ञ	1400-2600	1
2	प्रयोगशाला सहायक	775-1025	1
3	कनिष्ठ सहायक	950-1500	1
4	चौकीदार	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

03--कृषि मुख्य--गढ़वाल मंडल में एगमार्क वर्गीकरण के प्रसार हेतु राजकीय एगमार्क प्रयोगशाला, देहरादून में स्थापित करने की योजना--

1--वेतन	5
2--महंगाई भत्ता	2
3--यात्रा व्यय	[illegible]
4--अन्य भत्ते	1
5--कार्यालय व्यय	1
6--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	1,2
योग ..	2,2

5--योजना से प्रत्याशित राजस्व--

(हजार रुपयों में)

लेखा शीर्षक, जिसमें धनराशि जमा की जायगी	1990-9
0401--कृषि कार्य--	
800--अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियां--	
19--प्रकीर्ण प्राप्तियां कृषि विपणन विभाग में भवनों का किराया, विश्लेषण, प्रशासन तथा अन्य मद में प्राप्तियां	1

पर्वतीय क्षेत्र में गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना।

पर्वतीय क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत बीजों की व्यवस्था के लिये इस योजना को आठवीं योजना में भी कार्यान्वि करना प्रस्तावित है। प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन प्रक्रिया में लगाये गये मजदूरों के वेतन भुगतान तथा विभिन्न कृषि निवेश हेतु वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

03--कृषि मुख्य--

0316--गुणात्मक बीजों के उत्पादन संग्रहण एवं वितरण की योजना--

02--मजदूरी	4,00
25--माल संपूर्ति	6,00
योग ..	10,00

सीनियर बेसिक स्कूलों को साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान

पर्वतीय क्षेत्र में परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री को समुचित व्यवस्था हेतु आठवीं योजनावधि के वर्ष 1990-91 में 8 पर्वतीय जनपदों में 200 सीनियर बेसिक स्कूलों को 15,000 प्रति विद्यालय की दर से अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर कुल 30,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

102—सामान्य शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा—

05—अशासकीय विद्यालयों को सहायता—सीनियर बेसिक स्कूलों को साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30,00

गैर-सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पर्वतीय क्षेत्र के दो गैर-सरकारी चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने का प्रस्ताव है। 1990-91 में प्रश्नगत योजना पर 2,28,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,28,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

संख्या	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु०	
	चिकित्सा अधिकारी	2200-4000	2
	फार्मासिस्ट	1350-2200	2
	चिकि० भृत्य	750-950	2
	स्वच्छक कम चौकीदार	तदैव	2

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

111—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

चिकित्सा की अन्य पद्धतियां—

चिकित्सा की अन्य पद्धतियां

आयुर्वेदिक एवं यूनानी—

0207—गैर-सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण—

01—वेतन	1,20
03—महंगाई भत्ता	40
06—कार्यालय व्यय	8
05—अन्य भत्ते	25
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	20
25—सामग्री सम्पूर्ति/औषधि	15
योग ..	2,28

राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक क्रमोन्नति, प्राइवेट सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयक[illegible]
न्नीकरण तथा राजकीय हाई स्कूलों का खोला जाना ।

सातवीं योजनावधि की प्रश्नगत योजना को आठवीं योजनावधि में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। योजनावधि में कुल 30 विद्यालयों तथा वर्ष 1990-91 में 6 विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिये आठवीं आयोजनावधि में 4,01,88,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 22,08,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 22,08,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। पदों की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	प्रधानाध्यापक	2000-3500	[illegible]
2	सहायक अध्यापक	1400-2300	4[illegible]
3	सहायक अध्यापक	1200-2040	3[illegible]
4	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	6
5	चपरासी	750-940	1[illegible]
6	लैब वियरर	750-940	[illegible]
7	दफ्तरी	775-1025	[illegible]
8	चौकीदार	750-940	[illegible]

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

103—सामान्य शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा—

03—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों—

0307—राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का हाई स्कूल स्तर तक क्रमोन्नति प्राइवेट सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण उच्चीकरण तथा राजकीय हाई स्कूल का खोला जाना—

01—वेतन	11,1[illegible]
03—महंगाई भत्ता	3,6[illegible]
04—यात्रा व्यय	3[illegible]
05—अन्य भत्ते	3,36
06—कार्यालय व्यय	12
19—लघुनिर्माण कार्य	1,20
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,44
33—अन्य व्यय	9[illegible]
योग ..	22,0[illegible]

पर्वतीय क्षेत्र में गन्ना विकास की योजना।

सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति के कृषकों को उनकी स्थिति में सुधार हेतु क्रमशः 2 रु0 प्रति कुन्टल की दर से यातायात अनुदान दिये जाने हेतु 2,00,000 रु0, आधार बीज गन्ना कार्यक्रम के अन्तर्गत आधार पौधशाला हेतु सामान्य कृषकों को 1,000 रु0 प्रति हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति कृषकों को 2,000 रु0 प्रति हेक्टेयर, प्राथमिक पौधशाला हेतु सामान्य कृषकों को 500 रु0 प्रति हेक्टेयर, अनुसूचित जाति/जन-जाति कृषकों को 1,000 रु0 प्रति हेक्टेयर दिये जाने हेतु 6,00,000 रु0, चीनी मिल क्षेत्र में 16 कि0 मी0 की परिधि में सघन गन्ना उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि उपचार, बीज उपचार आदि हेतु 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने हेतु 7,75,000 रु0, कृषकों के खेतों में फील्ड प्रदर्शन हेतु सामान्य जाति के कृषकों का 3,000 रु0 प्रति हेक्टेयर हेतु 3,00,000 रु0, गन्ने की खेती की अच्छी फसल के लिये गन्ना कृषकों को समय पर उर्वरक रासायनिक उर्वरक कीट-नाशक दवाओं आदि के लिये चीनी मिल क्षेत्र स्तर पर स्थापित सहकारी गन्ना समितियों को उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु प्रचुर मात्रा में दवाओं एवं उर्वरकों का भण्डार बनाये रखना भी आवश्यक है। अतएव 100 मीट्रिक टन के लिये छः 250 मीट्रिक

न के दो गोदामों के निर्माण हेतु लागत का 25 प्रतिशत अनुदान गन्ना समितियों को दिये जाने हेतु 50,000 0 तथा गन्ना कृषकों को हस्तचालित अच्छे उन्नतिशील कृषि रक्षा यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 प्रतिशत का अनुदान दिये जाने पर 75,000 रु० अर्थात् उपर्युक्त कार्यक्रमों पर वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 20,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—
141—कृषि कार्य—
05—गन्ना विकास—
(–)—उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र में गन्ना विकास की योजना—
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 20,00

बालिका शिक्षा संस्थाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु अनुदान

पर्वतीय क्षेत्र के कतिपय ग्रामीण क्षेत्र जिनमें निर्बल वर्ग के लोग रह रहे हैं, में स्थित अशासकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल भवन, साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण आदि की कमी की पूर्ति न कर पाने के कारण हाई स्कूल कक्षाएं संचालित नहीं कर पाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्थित स्थाई मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 हेतु दो विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित है जिस पर 2,28,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,28,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—
103—सामान्य शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा—
04—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—
(–)—बालिका शिक्षा संस्थाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु अनुदान—
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 2,28

नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिये भवन/भूमि क्रय/अध्याप्ति हेतु अनुदान

पर्वतीय क्षेत्र के नगरीय भाग में 28 प्राइमरी स्कूल भवनहीन तथा 65 प्राइमरी स्कूल किराये के भवन में संचालित हैं। इनमें से वर्ष 1990-91 में 16 प्राइमरी स्कूलों के लिये भूमि क्रय का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 24,00,000 रु० व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 24,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—
102—सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा—
05—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की सहायता—नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के लिये भवन निर्माणार्थ भवन / भूमि क्रय / अध्याप्त हेतु अनुदान (जिला योजना)—
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 24,00

जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान।

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण का कार्य प्रदेश में द्रुतगति से चलाया जा रहा है। 6-11 वय वर्ग के बच्चों को अन्य विषयों के साथ-साथ विज्ञान विषय से परिचित कराने हेतु क्षेत्र के 200 प्राइमरी विद्यालयों को वर्ष 1990-91 में विज्ञान किट जिसकी लागत 600 रु० प्रति किट की दर से दिये जाने का प्रस्ताव है जिन पर वर्ष 1990-91 में 1,20,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र

102—सामान्य शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा—

05—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,20

ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान

पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की वर्तमान योजना को आठवीं योजना में भी चलाया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाना है वर्ष 1990–91 में 92 नवीन विद्यालय खोले जाने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, जिस पर वर्ष 1990–91 में 1,34,93,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 1,34,93,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

102—सामान्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा—

05—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—

0302—ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,34,93

ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान।

जिला योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों में भवनहीन सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 110 है—

1—नैनीताल	16
2—अल्मोड़ा	1
3—पिथौरागढ़	46
4—पौड़ी	2
5—चमोली	25
6—टिहरी	11
7—देहरादून	4
8—उत्तरकाशी	15
योग ..	1,10

भवन रहित सीनियर बेसिक स्कूलों में छात्रों का पठन-पाठन कार्य पर्वतीय क्षेत्र की असामान्य जलवायु में भी खुले मैदान / वृक्षों के नीचे किया जा रहा है। यह व्यवस्था छात्रों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में अवरोधक तो है ही साथ ही ऐसे विद्यालयों में अनियमित पठन-पाठन कार्य को बढ़ावा मिलता है और विद्यालयों की धारण क्षमता भी कम हो जाती है। प्रस्तु 1990–91 की वार्षिक योजनान्तर्गत 2,00,000 रु० प्रति भवन प्रस्तावित निर्माण दर 16,00,000 रु० की अनुमानित लागत से 8 भवनों के निर्माण का प्रस्ताव इस आशय से किया जाना प्रस्तावित है कि उक्त भवनों हेतु किये गये प्राविधान के समरूप एन० आर० ई० पी० योजना के सहयोग से 16 भवनों का निर्माण कराया जा सके। तदनुसार आय-व्ययक में 16,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत

105—सामान्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा—

05—अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की सहायता—ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 16,00

प्रारम्भिक विद्यालयों में सांस्कृतिक तथा पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों का जनपद स्तर पर आयोजन हेतु अनुदान

प्रारम्भिक स्तर के छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने, भावानुकूलता के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करने तथा व्यक्तित्व का प्रभावी ढंग से विकास करने की दृष्टि से पाठ्य-सहगामी कार्य-कलापों एवं साहित्यिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करना और उनमें सभी छात्रों को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। तथा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति-पत्र एवं ट्राफी (कप) प्रदान की जायेगी इन कार्यक्रमों को जनपद स्तर पर आयोजित किया जायगा तथा इस प्रयोजन हेतु 5,000 रुपये प्रति जनपद अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 40,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 40,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--- (हजार रुपयों में)

2551---पहाड़ी क्षेत्र---आयोजनागत---

60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

102---सामान्य शिक्षा---प्राथमिक शिक्षा---

05---अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता---प्राथमिक विद्यालयों में सांस्कृतिक तथा पाठ्य-सहगामी कार्यक्रमों का जनपद स्तर पर आयोजन हेतु अनुदान---

14---सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 40

सहाय्यित मान्यता प्राप्त अशासकीय प्रवर आधारित विद्यालयों को भवन अनुदान।

पर्वतीय जनपदों में चल रहे मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में निरन्तर छात्र संख्या की वृद्धि हो रही है। प्रबन्धकों के पास आय का कोई स्रोत न होने के कारण विद्यालय में भवन निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस योजना से कुल 10 विद्यालय (5 बालक, 5 बालिका) लाभान्वित होंगे। बालक विद्यालयों की मैचिंग शेयर 90 : 10 का होगा तथा बालिका विद्यालयों से प्रबन्धकीय अंशदान की अपेक्षा नहीं की जायेगी। इस प्रकार बालक विद्यालय को प्रति विद्यालय 90,000 रु0 तथा बालिका विद्यालय को प्रति विद्यालय 1,00,000 रु0 की दर से अनुदान देय होगा। प्रस्तावित योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में 9,50,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 9,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--- (हजार रुपयों में)

2551---पहाड़ी क्षेत्र---आयोजनागत---

60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

102---सामान्य शिक्षा---प्राथमिक शिक्षा---

05---अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता---

0516---सहाय्यित मान्यता प्राप्त अशासकीय प्रवर आधारित विद्यालयों को भवन अनुदान---

14---सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 9,50

ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र में भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान (जिला योजना)

पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों के नागर क्षेत्र में 96 जूनियर बेसिक स्कूल भवनहीन (28 भवनहीन एवं 68 किराये के भवनों में संचालित) हैं। प्रति वर्ष दैवी प्रकोप/बाढ़/अतिवृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों के पुराने भवन, जो ध्वस्त हो जाते हैं, के पुनर्निर्माण हेतु धन की व्यवस्था की जाती है। आठवीं योजनाकाल में ऐसे ध्वस्त होने वाले भवनों की संख्या अनुमानतः 350 होगी। आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्षेत्र के भवनों के निर्माणार्थ 1,00,000 रु0 तथा नगर क्षेत्र के भवनों के निर्माणार्थ 2,00,000 रु0 प्रति भवन की दर से व्यय सम्भावित है। जिसके अनुसार 96 नगर क्षेत्र तथा 350 ग्रामीण क्षेत्र जूनियर बेसिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 4,12,00,000 रु0 की आवश्यकता होगी। पूर्व वर्षों की भांति प्रासंगिक विद्यालय भवनों का निर्माण एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत सहयोग प्राप्त करके कराये जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार राज्य अंश हेतु 50 प्रतिशत भवनों के लिये (175 ग्रामीण क्षेत्र के तथा 48 नगर क्षेत्र के भवनों) आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 2,71,00,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 75,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 75,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत---

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

102-सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा---

05-अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान (जिला योजना)

14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 75,00

प्राथमिक विद्यालयों के खेलकूद अध्यापकों का प्रशिक्षण

पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में स्थित 89 विकास खंडों के एक-एक जूनियर हाई स्कूल के व्यायाम शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रस्तावित है। जूनियर हाई स्कूल के जो शिक्षक खेल का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वे अपने विकास खंड क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे जिससे वे अपने स्कूल के छात्रों को अच्छा खेल खिला सकने में समर्थ होंगे। योजना अन्तर्गत 89 विकास खंडों के प्रति एक अध्यापक की दर से 400 रु० अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में कुल 35,000 रू० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 35,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन — (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

102—सामान्य शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा—

05—अशासकीय प्राथमिक विद्यालय को सहायता—प्रारम्भिक विद्यालयों के खेलकूद अध्यापकों का प्रशिक्षण—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 35

पर्वतीय परिसर रानी चौरी के अन्तर्गत जलागम प्रबन्ध के आधार पर शोध कार्य की योजना।

पर्वतीय परिसर के अन्तर्गत जलागम प्रबंध पर शोध कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत वानिकी, जल व मृदा संरक्षण, फसल उत्पादन, औद्यानिकी तथा पशुपालन पर जलागम के आधार पर शोध कार्य किये जायेंगे और विकास कार्यक्रमों के लिये उन्नत तकनीकी ज्ञान का विकास किया जायेगा। इस योजना हेतु अष्टम पंचवर्षीय योजनावधि में 25,00,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० (3,00,000 रु० आवर्तक तथा 2,00,000 रु० अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था की गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

141—कृषि कार्य—

03—कृषि मुख्य—

0303—कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को सहायक अनुदान—

12—सहायक अशुदान/अंशदान/राज सहायता— 5,00

सहकारी क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना।

कृषि उपजों के उचित मूल्य दिलाने के अतिरिक्त कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि निवेशों जैसे उर्वरक; बीज आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण करना इत्यादि कार्यक्रमों में उक्त योजना से आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों के अनुसार ग्रामीण अंचल के दूरस्थ तथा अन्दरूनी क्षेत्र तक क्रय केन्द्र खोलकर कृषकों को माल ले जाने के व्यय एवं समय को बचाने तथा उनको बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर कृषकों की सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से आठवीं योजनावधि में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है:—

(1) क्रय-विक्रय समितियों को मूल्य-उतार-चढ़ाव निधि हेतु अनुदान—

कभी-कभी मूल्यों में गिरावट हो जाने से क्रय-विक्रय समितियों को अपना माल क्रय मूल्य से कम मूल्य पर भी विक्रय करना पड़ता है, जिस कारण समितियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अतः इस हेतु क्रय-विक्रय समितियों को पिछले एक वर्ष में सीधी खरीद के आधार पर किये गए व्यवसाय के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि इस हेतु सृजित निधि में जमा करने के लिये अनुदान के रूप में दी जाती है, ताकि समिति को सीधी खरीद के दौरान होने वाले मूल्य उतार चढ़ाव के कारण होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति इस निधि से करवानी सम्भव हो सके। आठवीं योजनावधि में इस पर कुल 7,10,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 1,20,000 रु० के व्यय का अनुमान है।

(2) सोयाबीन सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान —

इस समय सोयाबीन पर्वतीय क्षेत्र की नकदी फसलों में प्रमुख फसल है। सोयाबीन सहकारी समितियां केवल सीजनल होने के कारण अपने प्रबंधकीय व्ययों की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिये इनकी प्रबंध व्यवस्था हेतु यह आवश्यक है कि इन्हें इस हेतु अनुदान देकर इनका अस्तित्व बनाये रखा जाय। अतः इन्हें प्रथम वर्ष में 20,000 रु० अंशपूंजी व 10,000 रु० प्रति समिति की दर से 3 वर्ष तक प्रबंधकीय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। आठवीं योजनावधि में इस पर कुल 5,70,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 1,10,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

) क्रय-विक्रय समितियों को पुनर्स्थापना हेतु अनुदान —

पर्वतीय क्षेत्र में इस समय कुल 25 सहकारी क्रय-विक्रय समितियां व 11 फल विपणन समितियां कार्यरत हैं। इनमें से अधि॰ समितियों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, जिस कारण में अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, केवल ाद्य एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का व्यवसाय करने से मात्र जोवित अवस्था में है। अतः आठवीं योजनाकाल में अत्यधिक हानि- समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव हैं। आठवीं योजनाकाल में इस पर 13,20,000 रु० व वर्ष 1990-91 में 1,35,000 रु० व्यय अनुमान है।

) सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान —

सहकारी क्षेत्र में सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को स्वावलम्बी बनाने एवं समिति स्तर पर ही कृषि निवेश तथा आवश्यक ोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि समिति स्तर पर गोदामों का निर्माण कराया जाय। गोदाम ण से समिति का स्थायी कार्यालय हो जाता है और सभी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराने में सुविधा होती है। इस प्रकार 15 क्रय-विक्रय समितियों को, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 750 मी० टन होगी, के गोदाम निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। वीं योजनाकाल में इस पर 15,00,000 रु० व वर्ष 1990-91 में 3,00,000 रु० व्यय का अनुमान है।

) सहकारी ऋण समितियों को कीटनाशक दवाओं एवं कृषि यंत्रों के वितरण हेतु अनुदान:—

सहकारी ऋण समितियों द्वारा अपने सदस्य कृषकों को कीटनाशक दवाएं एवं कृषि यन्त्रों की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण इन समितियों को अपने सदस्यों की मांग के अनुसार कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने में कठिनाई न्न होती है। अतः इस योजनान्तर्गत इस कार्य में संलग्न समितियों को वित्तीय सहायता दिलाये जाने का प्रस्ताव है। आठवीं ाकाल में इस पर 8,70,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 2,70,000 रु० व्यय का अनुमान है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में, 9,35,000 रु० व्यय का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय- यक में 9,35,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
151—सहकारिता—	
03—सहकारी क्रय विक्रय योजना—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	9,35

बालाहार तथा अनुपूरक पोषण योजना।

सातवीं योजनाकाल की इस योजना को आठवीं योजनाकाल में भी चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में चालू रखने प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से निर्बल पूर्व विद्यालीन बच्चों, धात्री एवं गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार रित किया जाता है। वर्ष 1990-91 में इस योजना को चालू रखने में 5,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। : वर्ष 1990-91 में आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
102—सामान्य शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा—	
07—अन्य व्यय—	
0703—बालाहार तथा अनुपूरक पोषण योजना	
33—अन्य व्यय	5,00

पर्वतीय क्षेत्रों के आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना।

पर्वतीय क्षेत्र के नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में 6 आयुर्वे- यूनानी अधिकारियों के कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी ायुर्वेदिक/यूनानी अधिकारियों के कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 5,86,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,86,000 रुपये की व्यवस्था कर ली है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु0	
1	आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी	3000-4500	
2	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	
3	चपरासी	750-940	
4	स्वच्छक कम चौकीदार	750-940	

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

111--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--चिकित्सा की अन्य पद्धतियां

02--आयुर्वेदिक तथा यूनानी--

0205--पर्वतीय क्षेत्र में आयुर्वेदिक/यूनानी कार्यालयों की स्थापना--

01-वेतन	3,(
03-महंगाई भत्ता	2,(
04-यात्रा व्यय	
05-अन्य भत्ते	
06-कार्यालय व्यय	
11-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व	1
20-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	
योग ..	5,:

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के लिये वाहन की व्यवस्था।

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की शाखाएं पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रही हैं परन्तु वाहन की व्यवस्था न होने कारण जगह-जगह कैम्प लगाने और बीमार लोगों के घर तक जाने में कठिनाई होती है। अतएव सीतापुर नेत्र चिकित्सालय काशीपुर, श्रीनगर और अल्मोड़ा शाखा को एक-एक वाहन दिये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर वर्ष 1990-91 में 5,00,000 का व्यय अनुमानित है। अतः 5,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--पहाड़ी क्षेत्र--

110--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--

एलोपैथी--

0112--पर्वतीय जिलों की स्वैच्छिक संस्थाओं एवं नेत्र चिकित्सालयों को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,

प्रारम्भिक विद्यालयों में आलचर कार्यक्रम हेतु अनुदान

बालक/बालिकाओं में समय के सदुपयोग, चरित्र निर्माण, आदर्श नागरिकता की शिक्षा, सेवा भावना की जागृति, अ आदतें, विश्वसनीयता के गुण, उत्तम स्वास्थ्य, प्रतिभा का विकास, प्रसन्न रहने की आदत तथा उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति व्या दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बालक/बालिकाओं में इन गुणों का विकास स्काउटिंग/गाइडिंग के माध्यम से सरल पूर्वक किया जा सकता है। इस योजनान्तर्गत कार्यक्रम को प्रत्येक जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूल की कक्षा-5 में प्रभावी ढंग लागू करने के लिये 400 रु0 प्रति जूनियर हाई स्कूल/प्राइमरी स्कूल की दर से अनुदान देना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में इस यो पर 4,45,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक 4,45,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
102--सामान्य शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा--
05--शासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--प्रारम्भिक विद्यालयों में बालचर कार्य-क्रम हेतु अनुदान--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,45

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्तियों की दरों तथा संख्या में वृद्धि ।

सातवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में 756 योग्यता छात्रवृत्तियां 15 रु० प्रतिमाह की दर से तीन वर्ष के लिये दी जा रही है। परन्तु छात्रों की संख्या के अनुपात में योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या कम होने के कारण तथा दर बहुत कम होने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को उत्साह सम्बर्धनार्थ वर्तमान 15 रु० प्रतिमाह दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में 30 रु० प्रतिमाह की दर से दिये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिय योग्यता छात्रवृत्तियों की दर को 15 रु० से बढ़ाकर 30 रु० प्रति माह करने के प्रस्ताव पर वर्ष 1990-91 में 2,23,000 रु० का व्यय होने का अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
102--सामान्य शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा--
05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--
0501--प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्तियों की दरों तथा संख्या में वृद्धि--
15--छात्रवृत्ति/छात्रवेतन 2.23

पर्वतीय क्षेत्रों में सघन कृषि एवं बहुफसली योजना ।

इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र की फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना फसलों के चक्रों में परिवर्तन करके एक वर्ष में दो से अधिक फसलों की सघन विधियों से खेती करके फसल सघनता को बढ़ाना तथा गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन के प्रदर्शन आयोजित करके कृषकों को सघन विधियों की तकनीकी जानकारी दिया जाना है। यह योजना पर्वतीय क्षेत्र में सप्तम पंचवर्षीय योजनावधि से लागू की गयी है। वर्ष 1985-86 से कुमायूं मंडल के तीन जनपदों नैनीताल अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में तथा वर्ष 1986-87 से गढ़वाल मंडल के अधीन जनपदों पौड़ी चमोली एवं टिहरी में सम्यक रूप से लागू की गयी है। शेष दो जनपदों उत्तरकाशी तथा देहरादून वर्ष 1989-90 में लागू कर दी गयी है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी इस योजना को चालू रखने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 18,60,000 रु० का व्यय अनुमानित है। अतएव वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 18,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
141--कृषि कार्य--
03--कृषि मुख्य--
0319--सघन कृषि एवं बहुफसली योजना--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 18,60

प्रचार प्रसार गोष्ठी एवं लघु प्रदर्शनियां ।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों की बेरोजगारी तथा गरीबी दूर करने एवं जनसंख्या को कम पूंजी निवेश द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का विशेष महत्व है। ग्रामोद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रसार, प्रचार गोष्ठियों एवं लघु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाय ताकि ग्रामोद्योगों की स्थापना में व्यवस्थित एवं समयानुकूल गति आ सके। इस कार्य के लिये जहां एक ओर विभिन्न प्रकार के प्रचार साहित्य का छपना आवश्यक वहीं इसकी ओर संगोष्ठियों/प्रदर्शनी ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर भी आयोजित करना आवश्यक है। इस प्रकार ग्रामोद्योग के

में पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को जानकारी देने के लिये इस योजना को लागू किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 2,50,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

12--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,50

पर्वतीय क्षेत्र की विनियमित मंडियों में मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की स्थापना की योजना।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में 15 प्रमुख मंडियां "उ० प्र० कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 एवं नियमावली, 1965 के प्राविधानों के अन्तर्गत विनियमन की परिधि में लायी जा चुकी है। इन विनियमित मंडियों में राष्ट्रीय कृषि आयोग, 1976 की संस्तुतियों के अनुरूप 15 प्रमुख विनियमित मंडियों में से 12 मंडियों में विक्रय हेतु कृषक, विक्रेता द्वारा लायी गई कृषि उत्पादों का विक्रय से पूर्व विभागीय कार्यरत प्रशिक्षित कर्मचारी की देख-रेख में उचित छंटाई तथा सफाई कराने और कृषक उत्पादक को लाभप्रद समुचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दो मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट, पर्वतीय संभाग में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर आठवीं योजनावधि (1990-95) में 10,00,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

03--कृषि मुख्य--

34--कृषि कार्य-पर्वतीय क्षेत्र की विनियमित मंडियों में मैकेनिकल हैण्डलिंग यूनिट की योजना--

14--मशीनें और साज/उपकरण और संयंत्र 5,00

राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्य।

पर्वतीय क्षेत्र में स्थित 24 राजकीय महाविद्यालयों में से 20 राजकीय महाविद्यालय आंशिक रूप से स्थायी भवन में चल रहे हैं और 4 राजकीय महाविद्यालय अस्थायी (टिन शेड) भवन में चल रहे हैं। छात्र संख्या में वृद्धि होने तथा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के चलाने हेतु अपर्याप्त भवन होने के कारण शिक्षण कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता है। पूर्व की भांति इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में तात्कालिक व्यवस्था हेतु लघु निर्माण कार्य कराया जायेगा। जिस पर 1990-91 में 2,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

104--सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-राजकीय महाविद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों हेतु प्राविधान--

19--लघु निर्माण कार्य-- 2,00

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

प्रति एक लाख की जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। अतः आठवीं योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजपुर, जनपद नैनीताल तथा जोशीमठ जनपद चमोली में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस निमित्त वर्ष 1990-91 में कतिपय पदों के सृजन तथा साज-सज्जा के क्रय का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस पर 24,12,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 आय-व्ययक में 24,12,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
--अधीक्षक	.. ..	3000-4500	2
--चिकित्सा, एनेस्थीसिया, रेडियोलोजिस्ट, आर्थोपेडिक, पैथालोजी	..	2200-4000	5
--स्टाफ नर्स	.. ..	1400-2600	10
--सिस्टर	.. ..	1600-2600	4
--वरिष्ठ लिपिक	.. ..	1200-2040	2
--वाहन चालक	.. ..	950-1500	2
--डार्करूम सहायक	.. ..	तदैव	2
--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक वार्ड ब्याय, दो स्वीपर, एक आया, एक धोबी, एक-एक प्रत्येक में		750-940	12
--फार्मासिस्ट	.. ..	1400-2600	2

(ख) साज-सज्जा/गाड़ियों के स्थूल ब्यौरे--

क्रम-संख्या	मद	धनराशि
		रु0
1	--आवश्यक फर्नीचर, एक हिन्दी टंकण मशीन तथा एक कैश चेस्ट	34,000
2	--वार्ड के उपकरण	62,000
3	--शल्य उपकरण	20,000
4	--पैथोलाजिकल लैबोरेटरी	26,000
5	--आपरेशन थियेटर के लिए उपकरण	58,000
6	--एक्सरे मशीन विद ऐसेसेरीज	1,41,000
7	--एम्बुलेंस	1,30,000
8	--रबर की वस्तुयें	3,000
9	--गायनोकोलेजिकल ग्रोर ग्राब्सटेटिक्स	5,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

110--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--एलोपैथिक

15--सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना--

01--वेतन	6,65
03--महंगाई भत्ता	2,25
04--यात्रा व्यय	15
05--अन्य भत्ते	1,50
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण ग्रोर संयंत्र	9,57
21--मोटर गाड़ियों का क्रय	3,20
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	30
33--अन्य व्यय	50
योग ..	24,12

रेशम उद्योग का प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन

पर्वतीय क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेशम उद्योग के व्यापक प्रसार का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। समय प्रदेश में ककून का जो औसत उत्पादन हो रहा है बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। वाहनों के अभाव में रेशम उद्योग के समुचित प्रचार, प्रसार एवं प्रशिक्षण में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रस्तावित है कि वर्ष 1990-91 में इस कार्य हेतु दो डीजल जीप क्रय की जाय। ड्राइवर के विभाग में विद्यमान पदों से ही कार्य चलाया जायेगा। वर्ष 1990-91 इस पर 3,30,000 रु0 व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,30,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

164—उद्योग, ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग—

03—शहतूत रेशम उत्पादन योजना तथा प्रसार—

21—मोटर गाड़ियों का क्रय	3,0
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	3
योग	3,3

सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

विज्ञान विषय के प्रयोगों व भागों के प्रति बालकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञान किट प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अतः योजनान्तर्गत सीनियर बेसिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगों के लिये प्रत्येक विद्यालय को एक-एक विज्ञान किट उपकरण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र के सीनियर बेसिक विद्यालयों को 5000 रु० प्रति विद्यालय की दर से 60 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने पर 3,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

102--सामान्य शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा--

05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3,

मौन वंशों की सामूहिक बीमा योजना

पर्वतीय क्षेत्र के तीन जनपदों-नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं देहरादून की मौनपालक सहकारी समितियों, पंजीकृत मौनपालन तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाइयों के मौनपालकों को आकस्मिक दुर्घटना, मौनवंश की बीमारी, प्राकृतिक आपदा आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये 4 प्रतिशत के प्रीमियम दर पर बीमा का लाभ देने की योजना है। उक्त 4 प्रतिशत प्रीमियम न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी को देय होगा। यह योजना प्रारम्भ में प्रयोग के तौर पर चलाई जायगी और दो वर्ष बाद इसका मूल्यांकन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 1990-91 में उक्त तीनों जनपदों में 640 मौनवंशों हेतु 3,000 रुपये प्रति जिले की दर से कुल 9,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 9,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

12--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	9

पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उत्पादन तथा प्रसार की योजना

पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों में रेशम उद्योग का कार्य चलाया जा रहा है। यह उद्योग पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, की आर्थिक स्थिति रेशम कीट पालन के माध्यम से सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। योजना को सुचारु रूप से चलाने हेतु मजदूरी खाद एवं रसायनिक खाद आदि पर वर्ष 1990-91 में 19,06,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 19,06,000 रु० की व्यवस्था कर दी गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
164--उद्योग-ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग--
03--शहतूत रेशम उत्पादन योजना का प्रसार--

02--मजदूरी	16,24
33--अन्य व्यय	2,82
योग ..	19,06

मौनपालन तकनीकी सहायता

मौन मधु के उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में गठित कुल दस मौन पालन ...ारी समितियों को तकनीकी सहायता देने के लिये प्रति समिति एक तकनीकी सहायक उपलब्ध कराना प्रस्तावित ... चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में टिहरी को छोड़कर पर्वतीय क्षेत्र के शेष सात जनपदों में यह योजना कार्यान्वित ...जायेगी। इस तकनीकी सहायक के लिये प्रथम वर्ष में 300 रु0 प्रति माह तथा द्वितीय वर्ष में 250 रु0 प्रति माह ...नीकी सहायता उपलब्ध कराई जायगी। इन दो वर्षो की तकनीकी सहायता के पश्चात सहकारी समितियां अपने तकनीकी ...यक को पूर्ण रूप से अपने साधनों से रख सकेंगी अथवा स्वयं मौन पालन कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 1990-91 में योजना हेतु 36,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 36,000 रुपय की व्यवस्था कर ली है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--
12--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 36

पर्वतीय क्षेत्र के बेसिक स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार

पर्वतीय क्षेत्र के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार दिये जाने की योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में ...लाये जाने का प्रस्ताव है, इस योजनान्तर्गत बेसिक शिक्षा के विकास हेतु उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं ... 500 रु0 प्रति अध्यापक की दर से प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1990-91 के बेसिक शिक्षा के अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रुपये ...य होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
102--सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा--
07--अन्य व्यय--
0701--जूनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार--
33--अन्य व्यय-(जिला योजना) 1,00

...यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान वर्ग की मान्यता तथा विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था हेतु अनुदान

इस योजना को आठवीं योजना में भी संचालित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये वर्ष 1990-91 के लिये 115 विद्यालयों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 10,62,000 रु0 का व्यय ...नित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,62,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

103--सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा--

04--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

04--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु उपकरणों के क्रयार्थ अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	..	10,62

शासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा अंशदान के प्रति राजकीय अंशदान

योजनान्तर्गत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को उनके प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न मदों के लिये जो विकास अनुदान 50 प्रतिशत मैंचिग शेयर के आधार पर स्वीकृत किया जाता है उसके प्रति प्रदेश शासन द्वारा 25 प्रतिशत अंशदान स्वीकृत किया जाता है तथा प्रदेश शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के बराबर ही महाविद्यालयों को प्रबन्धकीय अंशदान लगाना पड़ता है। योजना को आठवीं योजनाकाल में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 50,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

2551---पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत---

60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

104---सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-अशासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के प्रति राजकीय अंशदान---

14---सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	..	50

राजकीय उपाधि महाविद्यालयों की स्थापना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण

इस योजना को आठवीं योजनाकाल में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत असेवित एवं शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर उपाधि महाविद्यालयों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र में 2 नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का भी प्रस्ताव है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 19,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 19,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2551---पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत---

60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र---

(हजार रुपयों में)

104---सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा---

02---राजकीय महाविद्यालय---

0201---नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोला जाना तथा अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण --

01---वेतन	..	..	..	..	4,2
03---महंगाई भत्ता	..	..	..	..	1,4
04---यात्रा व्यय	..	..	..	..	8
05---अन्य भत्ते	..	..	..	..	4
06---कार्यालय व्यय	..	..	..	..	5
07---टेलीफोन पर व्यय		..	..	..	1
19---लघु निर्माण	..	.. (आवर्तक)..	..	..	5,0
22---मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (अनावर्तक)				..	2,0
33---अन्य व्यय (अनावर्तक)	..	..	.	..	5,0
			..	योग	19,5

वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों को यू0 जी0 सी0 मैचिंग शेयर एवं अन्य विकास कार्यों के लिये अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न मदों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान के प्रति अंशदान स्वीकृत किया जाता है। महाविद्यालयों के विकास की दृष्टि से यह एक अत्यन्त उपयोगी योजना है। इस योजना को आठवीं योजनाकाल में भी चालू रखे जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 5,00,000 रु0 व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

104—सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 मैचिंग शेयर एवं अन्य विकास कार्यों के लिये अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता (अनावर्तक) .. 5,00

राजकीय महाविद्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था

पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ राजकीय महाविद्यालय जो कम ऊंचाई पर स्थित हैं उनमें छत के बिजली के पखें नहीं है जिससे ग्रीष्म ऋतु में महाविद्यालयों में पठन-पाठन में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः वर्ष 1990-91 में ऐसे महाविद्यालयों को 12,000 रु0 की अनुमानित लागत पर छत के बिजली के पंखे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार आय-व्ययक 1990-91 में 12,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

104—सामान्य शिक्षा—विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा—राजकीय महाविद्यालयों में बिजली पंखों की व्यवस्था—

20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र (अनावर्तक) 12

पर्वतीय क्षेत्र में खादी बोर्ड की सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत खादी बोर्ड की सहकारी समितियों / संस्थाओं के माध्यम से चलाये जाने वाले उद्योगों के क्षेत्र मे उद्यमियों को मार्ग-दर्शन एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के सात जनपदों (टिहरी जनपद को छोड़कर) में योजना चलाया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत उद्यमियों के लेखों के रख-रखाव के लिये पार्ट-टाइम लेखाकार व वैतनिक सचिव हेतु प्रबन्धकीय सहायता का प्राविधान है। प्रत्येक समिति / संस्था को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः 450 रु0 300 रु0 एवं 150 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। वर्ष 1990-91 में योजना पर 1,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1,00,000 रु0 की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र— आयोजनागत —

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

164—उद्योग—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग—

12—खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 1,00

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरणार्थ अनुदान

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अन्तर्गत बालक / बालिकाओं को बाल गणना के अनुसार 6-11 वय वर्ग के बच्चों अधिकाधिक संख्या में अनिवार्य रूप से शिक्षित किये जाने का अभियान चलाया जा रहा है। सातवीं योजनान्तर्गत बालिकाओं का नामांकन बढ़े इसलिए प्रोत्साहन योजना चलायी गई थी जिसमें निर्बल वर्ग के बालक / बालिकाओं को 30 रु0 की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं। आठवीं योजनावधि में इस प्रोत्साहन योजना को और प्रभावी ढंग से चलाये जाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि 6-11 वय वर्ग की बालिका शिक्षा विस्तार के लिये निर्बल वर्ग की प्रत्येक बालिका को 15 रु0 प्रति बालिका दिया जाय जिससे बालिकाएं पाठ्य-पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री खरीद सकेंगी। यह प्रारम्भिक स्तर का प्रोत्साहन, बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में काफी उपयोगी होगा। निर्बल वर्ग के अभिभावक आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण बालिकाओं के पढ़ाने के प्रति उदासीन रहते हैं। जब इस प्रकार का प्रोत्साहन बालिकाओं को सुलभ कराया जायेगा तो वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेज सकेंगे। योजनान्तर्गत कम साक्षरता वाले पर्वतीय क्षेत्र के 20 विकास खण्डों में पढ़ने वाली बालिकाओं को ही

यह प्रोत्साहन अनुदान 15 रु0 प्रति बालिका की दर से स्वीकृत किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में 20,000 बालिकाओं को 15 रु0 की दर से अनुदान प्रस्तावित है, जिस पर 3,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60---अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

102--सामान्य शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा--

05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--ग्रामीण क्षेत्र की बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरणार्थ अनुदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 3,0

जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा एवं प्रशिक्षण सामग्री हेतु अनुदान।

पर्वतीय क्षेत्र के जूनियर बेसिक स्कूलों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत मेज, कुर्सी, आलमारी, टाट पट्टी तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध करायी गई हैं। जिनके रख-रखाव हेतु 200 रुपये प्रति विद्यालय की दर से अनुदान देने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 8,000 प्राथमिक विद्यालयों को 200 रु0 प्रति विद्यालय अनुदान देने पर 16,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 16,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

102--सामान्य शिक्षा--प्राथमिक शिक्षा--

05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--

(-) जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 16,0

चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा

पर्वतीय क्षेत्र की जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करके उनका व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा तथा जी0 बी0 पन्त चिकित्सालय, नैनीताल में एक-एक एनेस्थेसिया इकाई, महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ व विकास नगर चिकित्सालय, देहरादून में पैथालोजी तथा जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल में ब्लड बैंक, राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश में ई0 एन0 टी0 व टिहरी चिकित्सालय में रेडियोलोजी इकाई तथा जिला अल्मोड़ा में बागेश्वर में दन्त चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रश्नगत योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 8,20,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 8,20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या पद नाम		वेतनमान			पद संख्या
		रु0			
1--चिकित्साधिकारी	..	2200-4000	..	..	8
2--डेन्टल हाईजिनिस्ट	..	975-1660	..	..	1
3--लैब टैक्नीशियन	..	1200-2040	..	..	3
4--रीफ्रैक्शनिस्ट	..	1200-2040	..	..	1
5--एक्सरे टैक्नीशियन	..	1350-2200	..	..	1
6--स्वच्छक / चौकीदार	..	750-940	..	..	3

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-

110--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--शहरी स्वास्थ्य सेवायें--एलोपैथी

06--चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा--

01--वेतन	3,24
03--महंगाई भत्ता	1,10
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	65
06--कार्यालय व्यय	6
20--मशीनें तथा सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	3,00
33--अन्य व्यय	10
योग ..	8,20

अलमोड़ा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्व0 हरि प्रसाद टम्टा की मूर्ति का निर्माण व स्थापना

अलमोड़ा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता स्व0 हरि प्रसाद टम्टा की मूर्ति निर्माण व इसे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मूर्ति के निर्माण व स्थापना पर 1,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। अतः 1,00,000 रु0 की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

109--कला और संस्कृति--

09--सांस्कृतिक कार्य निदेशालय--

33--अन्य व्यय 1,00

अनुसंधान सुविधाओं का विकास-शोध छात्रों को छात्रवृत्ति

अनुसन्धान उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शोध कार्य के अभाव में उच्च शिक्षा में सृजनात्मकता नहीं रह जाती है। ऐसे प्रतिभावान छात्रों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की "नेशनल एजूकेशन टेस्ट" की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं किन्तु उन्हें संस्था या आयोग से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 78,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 78,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

104--सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

06--अन्य व्यय--

15--छात्रवृत्ति और छात्र वेतन 78

हिल कैम्पस परियोजना के अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएटसेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षण कार्यक्रम तथा कृषक/महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण।

कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर द्वारा रानीचौरी (टिहरी गढ़वाल) में कृषि शोध के अन्तर्गत पर्वतीय परिसर नामक एक परियोजना चलायी जा रही है। वर्ष 1990-91 में उक्त परिसर में वानिकी, फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन तथा पादप प्रजनन एवं बीज उत्पादन में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वानिकी, औद्यानिकी, मृदा, जल संरक्षण, पशुपालन तथा कृषि तकनीकी ज्ञान देने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण डिप्लोमा दिया जायेगा। कृषक तथा महिला कृषकों को पर्वतीय कृषि वानिकी, उद्यान, गृह विज्ञान, पशुपालन, मृदा तथा जल संरक्षण आदि विषयों पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन कार्यक्रमों से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध होगी जो पर्वतीय क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। इस योजना को अष्टम पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95) में लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1990-91 में 1,30,00,000 रु0 (46,00,000 रु0 आवर्तक तथा 84,00,000 रु0 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,30,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--03--कृषि मुख्य

03--कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर को सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,30,00

सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के पांच जनपदों में चयनित 30 विकास खण्डों में सूखोन्मुखी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (डीपीएपी) केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य 50 : 50 के अंशदान के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य परिस्थितिकीय सन्तुलन का पुनर्स्थापन, क्षेत्र का उत्पादकता में वृद्धि एवं निर्बल तथा कमजोर वर्ग के कृषकों के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी चलाना प्रस्तावित है इस योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में कुल 23,47,50,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 मे 4,69,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,69,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

152--ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

13--सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास योजना (50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)--

14--सहायक अनुदान/ अंशदान / राज सहायता .. 4,69,50

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
सहायता	2,34,75	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--03--केन्द्रीय आयोजनागत योजना के लिए अनुदान--800--अन्य अनुदान--47--पहाड़ी क्षेत्र--4701--सूखा प्रवृत्त क्षेत्रीय कार्यक्रम (डीपीएपी)	50 प्रतिशत

स्नातक/स्नातकोत्तर अशासकीय महाविद्यालयों को नये विषय संकाय खोलने हेतु अनुरक्षण अनुदान

सातवीं योजनाकाल की इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय अंचल में स्थित अशासकीय महाविद्यालयों को नये संकायों / नवीन विषय की मान्यता के फलस्वरूप उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नये पदों का सृजन किया जाता है। इस योजना को आठवीं योजनाकाल में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस पर 1,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

104--सामान्य शिक्षा--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

0501--अशासकीय महाविद्यालयों में नये संकाय एवं नये विषय प्रारम्भ करने हेतु सहायता--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,00

वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उनमें नये विषयों/संकायों का समावेश

इस योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषयों को प्रारम्भ कर तथा कुछ विषयों का स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर उच्चीकरण कर सम्बन्धित क्षेत्र की उच्च शिक्षा की मांग की पूर्ति की जाती है। साथ ही साथ प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकों तथा फर्नीचर आदि की न्यूनतम आवश्यकता हेतु भी अनुदान स्वीकृत किया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों के भौतिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना को आठवीं योजनाकाल में भी चालू रखना प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शोर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

104--सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

04--राजकीय महाविद्यालय--

0402--वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण तथा उनमें नये विषयों / संकायों का खोला जाना—

01--वेतन	5,56
03--महंगाई भत्ता	1,90
05--अन्य भत्ते	36
06--कार्यालय व्यय	1,18
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1,00
योग ..	10,00

विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों को उनके उन्नयन एवं सर्वोन्मुखी विकास के लिए विभिन्न पदों-शिक्षक / शिक्षणेतर पदों के सृजन तथा पुस्तकों, फर्नीचर और प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय, भवनों के निर्माण आदि हेतु शत-प्रतिशत अनावर्तक अनुदान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान के प्रति अंशदान स्वीकृत किया जाता रहा है। इन विश्वविद्यालयों की विकास कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रश्नगत योजना को आठवीं योजनावधि में चालू रखना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में इस पर 64,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 64,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शोर्षकों के अनुसार विभाजन--

2251--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

104--सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

03--विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिए सहायता--

0301--कुमायूं तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 64,00

सहकारी समितियों का पुनर्वासन

पर्वतीय क्षेत्र के पांच जनपदों--नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून एवं चमोली में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की कुल 10 सहकारी समितियों के पुनर्वासन हेतु वर्ष 1990-91 में प्रत्येक बीमार / बन्द इकाइयों को 1500 रु० हिस्सा पूंजी तथा 4,000 रु० प्रबन्धकीय अनुदान के रूप में कुल 5,500 रु० प्रति सहकारी समिति की दर से कुल 55,000 रु० दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990--91 में इस पर 55,000 रु० का व्यय अनुमानित है तदनुसार आय-व्ययक में 55,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

12--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 55

बालक/बलिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान

6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाना आवश्यक है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में पर्वतीय क्षेत्र में 250 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव हैं जिसमें से 50 प्रतिशत बालक तथा 50 प्रतिशत बालिकाओं के लिये होंगे। 1990-91 में 50 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है जिस पर 1,56,90,000 रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। अत: आय-व्ययक में 1,56,90,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रु० में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

आयोजनागत--

102--सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा--

05--अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--

0504--ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों तथा बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,56,90

मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों की अनुरक्षण अनुदान

पर्वतीय जनपदों में चल रहे मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में छात्रसंख्या की वृद्धि निरन्तर हो रही है। किन्तु प्रबन्धकों के पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे विद्यालय में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन प्रबन्धतंत्र वहन कर सके। पूर्ण वेतन न मिलने के कारण अध्यापकों तथा कर्मचारियों में असन्तोष की भावना फैलती है और वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अतएव आंठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 10 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आय-व्ययक में 6,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-

102--सामान्य शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा--

05--शासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 6,60

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा पर्वतीय के कार्यालय में शासकीय कार्य-सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि निदेशक के उपयोगार्थ एक स्टाफ कार तथा एक साईक्लो स्टाईल मशीन व साज-सज्जा का क्रय वर्ष 1990-91 में कर लिया जाय जिस पर लगभग 2,30,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,30,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय का स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु०	
1	आशुलेखक	1640-2900	1
2	वाहन चालक	950-1500	1
3	चतुर्थ श्रेणी	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

50--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

110--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--शहरी स्वास्थ्य सेवायें (हजार रुपयों में)

एलोपैथिक--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण--

06--कार्यालय व्यय	20
20--मशीन तथा साज-सज्जा	35
21--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,60
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	15
योग	2,30

विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास की योजना

योजनान्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है :--

1--उपभोक्ताओं की रूचि के अनुकूल अधिक उत्पादन देने वाली नवीनतम प्रजातियों का विदेशों से आयात करके स्थानीय जलवायु
रीक्षणोपरांन्त कीट एवं व्याधि प्रकोप रहित करके उत्पादकों, आदर्श उद्यान केन्द्रों तथा पौधशालाओं को वृहत प्रसारण हेतु उपलब्ध
ने के उद्देश्य से आयातित पौध सामग्री का प्रसारण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस केन्द्र में उद्यानों से प्राप्त पत्तियों तथा कीट
क रसायनों का विश्लेषण कराके संस्तुतियां उद्यानपतियों को उपलब्ध करायी जायेंगी।

2--आयातित पौध सामग्री के उचित परीक्षण हेतु केन्द्र में योजना प्रबन्धन कोष्ठ का गठन प्रस्तावित है। इस प्रकोष्ठ में अपर
शक- 1 संयुक्त निदेशक- 2, उप निदेशक- 2 के पदों का सृजन प्रस्तावित है। ये अधिकारी योजना का संचालन अनुरक्षण एवं निदेशन
ार्य करेंगे तथा विश्व बैंक उत्तर प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से समन्वय का कार्य और नई तकनीकी विधियों के हस्तान्तरण,
ा एवं प्रशिक्षण के कार्य के लिए भारतीय कृषि शोध परिषद् के अनुसन्धान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों से सहयोग प्राप्त
। इस प्रकोष्ठ में पूर्व वर्षों में सृजित एक्सटेंशन हार्टीकल्चरिस्ट, ज्येष्ठ पौध रक्षा सहायक, स्टेनोग्राफर तथा चालक के पदों को
त चालू रखा गया है।

3--राजकीय प्रक्षेत्र गागर के ब्रीडर बीज का उत्पादन--पर्वतीय क्षेत्र के सब्जी, आलू उत्पादक कार्यक्रम को कैशक्राप के रूप
नाते हैं उनकी बीज की मांग की पूर्ति आलू का रोग रहित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ब्रीड/फाउण्डेशन बीज का अधिक
में उत्पादन करने हेतु गागर में आलू ब्रीडर प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। प्रक्षेत्र में विभिन्न वर्ग के 5 पद व्यवस्थित हैं
क्रमागत 1990-91 में चालू रखने का प्रस्ताव है।

4--पुष्प उत्पादन--आयोजनान्तर्गत विदेशों से नई किस्मों के रोपण सामग्री आयातित कर उनका परीक्षण, प्रसारण, सघन
न पर कार्य किया जायेगा। विगत वर्षों में सृजित विभिन्न वर्ग के 9 पदों को क्रमागत चालू रखने का प्रस्ताव है तथा
के सुचारु संचालन हेतु एक सीनियर रिसर्च आफिसर श्रेणी-1 के एक पद का सृजन प्रस्तावित है।

5--सब्जी बीज उत्पादन प्रदेश तथा इलाइट गार्डन--विगत वर्षों में निःशुल्क सब्जी उत्पादन के प्रदर्शनों का कार्यक्रम तथा
ी एवं निजी क्षेत्रों में पुराने उद्यानों के जीर्णोद्धार हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों को क्रमागत चालू रखने हेतु आकस्मिक
ी विभिन्न मदों में आवश्यकता के आधार पर धनराशि की मांग की गयी है।

आठवीं योजनाकाल (1990-95) के लिए प्रस्तावित योजनान्तर्गत 1,83,59,000 रु० के व्यय का अनुमान है जिसक
वर्ष 1990-91 में 42,65,000 रु० का व्यय प्रस्ताव है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली
है।

2--व्यय के अनुमान-- रु०

(क) कुल परिव्यय (1990-95) .. 1,83,59,000

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय .. 33,10,000

3--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पद	वेतन-मान	पदों की संख्या
	रु०	
्सटेन्शन हार्टिकल्चरिस्ट	2200-4000	1
्येष्ठ पौध रक्षा सहायक	1400-2600	1
्टेनोग्राफर	1200-2040	1
क	950-1500	1

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
प्रक्षेत्र गागर (नैनीताल) में आलू के ब्रीडर बीज का उत्पादन की क्रमागत योजना--		
सीनियर प्लान्ट पैथोलाजिस्ट	3000-45000	1
पोटेटो ब्रीडर	2200-4000	1
लैब टेक्नीशियन	975-1660	1
ज्येष्ठ लेखा लिपिक	1200-2040	1
चालक	950-1500	1
ादन की क्रमागत योजना--		
कनिष्ठ पुष्प विज्ञानी (मु0)	2000-4000	1
कनिष्ठ पुष्प सहायक (नैनीताल व पौड़ी)	1400-2600	2
पुष्प विज्ञान निरीक्षक (पौड़ी)	1200-2040	1
माली (3 पौड़ी, 2 नैनीताल)	750-940	5

4—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :—

2551—पहाड़ी क्षेत्र— (हजार रुपयों में

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

141—कृषि कार्य—

04—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग—

विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास योजना—

01—वेतन	4,2
02—मजदूरी	1
03—महंगाई भत्ता	1,4
04—यात्रा व्यय	
05—अन्य भत्ते	
06—कार्यालय व्यय	3,(
12—प्रकाशन	
19—लघु निर्माण-कार्य	
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	14,
21—मोटर गाड़ियों की खरीद	4,
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	
25—सामग्री और सम्पूर्ति	12,
33—अन्य व्यय	
योग	42,

सैनिक सराय रानीखेत (अल्मोड़ा) का निर्माण।

जनपद अल्मोड़ा के कुमायूं रेजीमेन्टल केन्द्र, रानीखेत में भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाओं एवं आश्रितों को स्व रोजगार स्थापित किये जाने हेतु उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के समय उनके रहने के लिए एक सैनिक सरा के निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर आने वाली अनुमानित लागत 3,54,000 रु० है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आ व्ययक में 3,54,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत— (हजार रुपयों

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

134—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-सामाजिक कल्याण

सैनिक कल्याण—सैनिक सराय, रानीखेत का निर्माण हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 3

पर्वतीय क्षेत्र में पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार नैसर्गिक अभिजनन द्वारा पशु प्रजनन सुविधाऍ योजना।

पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालकों के पशुओं को प्राकृतिक पशु-प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आठवीं पंचव योजनावधि में 220 नये नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, तथा वर्ष 1990-91 में समस्त पर्वतीय ज में कुल 80 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजन (1990-95) में 1,84,55,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 12,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 12,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

1—व्यय के अनुमान—

(क) कुल परिव्यय (1990-95)	1,84,55,
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	47,1

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--पशुपालन--

05--पशुधन विकास--

उत्तराखण्ड एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना--

02--मजदूरी	..	..	..	..	50
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	16
11 --किराया, उपशुल्क एवं कर		..	..	..	24
20--मशीन, साज-सज्जा, उपकरण		..	..	..	40
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	8,40
				योग ..	9,70

01--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--उत्तराखण्ड एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना--

02--मजदूरी	..	..	..	..	30
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	2,00
				योग ..	2,30
				कुल योग ..	12,00

ब्याज उपादान योजनान्तर्गत समितियों के लिये सचल बिक्री वाहनों का क्रय ।

खादी तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं की विपणन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के आठ जिलों के लिये तीन चरणों कुल 12 सचल बिक्री वाहनों हेतु तीन लाख रुपये प्रति वाहन की दर से बैंकों से खादी बोर्ड की समितियों को ऋण दिलाए ने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जनपदों हेतु चार सचल क्री वाहनों को क्रय किया जाना है। समितियों को यह ऋण चार प्रतिशत की दर से खादी बोर्ड के पैटर्न पर उपलब्ध कराया जायेगा। कों से यह ऋण 12-1/2 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध होगा। ब्याज के अन्तर को धनराशि शासन द्वारा वहन की जायगी। तीय वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 1,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय-व्ययक में 1,00,000 रु० व्यवस्था कर ली गयी है :

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

12--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	..	1,00

माडल चर्खा केन्द्रों की स्थापना

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों के उत्पादन केन्द्र, कताई केन्द्र, कार्डिंग ान्ट आदि का कार्य किया जा रहा है। ऊन कताई का कार्य काफी हद तक ट्रेडीशनल ढंग से होता रहा है जिससे उत्पादन कम होता । विकसित न्यू माडल चर्खों से कत्तिनों की मजदूरी बढ़ी है तथा काश्तकारों के मापदण्ड में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ उत्पादन में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। अतएव पर्वतीय क्षेत्र के तीन सीमान्त जनपदों पिथौरागढ़, चमोली और रकाशी में वित्तीय वर्ष 1990-91 में एक-एक न्यू माडल चर्खा केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर निम्न विवरणानुसार त केन्द्र 2.68 लाख रुपये की दर से तीन केन्द्रों हेतु कुल 8,04,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 आय-व्ययक में 8,04,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

सज्जा, भण्डार, मशीन आदि के स्थूल ब्यौरे--

क्र० सं०	मद	धनराशि (लाख रुपये में
1	भवन शेड	2.0
2	20 चर्खों का मूल्य प्रति चर्खा 2200.00 रु०	0.4
3	प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम तीन माह में छात्रवृत्ति [20× 150× 6 (2 समूह में)]	0.1
4	कार्यशाला पूंजी ऊन क्रय हेतु	0.0
	योग ..	2.6

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयो

2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

13--खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् की सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 8,

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जोशीमठ, चमोली का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 खोला जाना

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जोशीमठ, चमोली, में अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिये कक्षा-6 तथा 8 संचालित है त प्रत्येक कक्षा में 35 जनजाति के छात्र आवासीय सुविधा के साथ नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के हि में उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 संचालित करने का प्रस्ताव है। कक्षा 9 वर्ष 1990-91 तथा कक्षा 1 वर्ष 1991-92 में संचालित होगी। वर्ष 1990-91 में 3,61,000 रुपये का व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसा आय व्ययक में 3,61,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग:--

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतनक्रम	पदों की संख्या
			रु०	
1	प्रधानाचार्य	..	2000-3200	1
2	सहायक अध्यापक एल० टी० ग्रेड	..	1400-2300	6
3	सहायक अध्यापक आर्ट डिप्लोमा	..	1200-2040	1
4	व्यायाम प्रशिक्षक	..	1200-2040	1
5	कनिष्ठ लिपिक	..	950-1500	1
6	रसोईया	..	750-940	1
7	लैब-अटेन्डेन्ट	..	750-940	1
8	कहार	..	750-940	1
9	चपरासी	..	750-940	1

(ख) साज-सज्जा आदि के स्थूल ब्यौरे:--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	दर	धनराशि
			रु०	रु०
1	तखत	35	250	8,7
2	कम्बल	140	165	9,1
3	35 छात्र/छात्राओं हेतु मेज कुर्सी/डेस्क बेंच ..	225	..	7,8
4	तख्ते लोहे के	35	250	8,7
5	गद्दे/दरी/चादर	35	150	5,2
6	भोजन के बर्तनों का सेट स्टील	35	150	5,2
7	कक्षा अध्यापक के लिये फर्नीचर आदि		..	1,7
8	कार्यालय फर्नीचर आदि	..	..	1,0
			योग ..	46,[illegible]

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2250—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

126—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत—

03—राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख रखाव व उनका स्तर ऊंचा करना—

(हजार रुपयों में)

01—वेतन	1,36
03—मंहगाई भत्ता	46
04—यात्रा व्यय	20
05—अन्य भत्ते	23
06—कार्यालय व्यय	1
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	95
23—अनुरक्षण	50
योग ..	3,61

समन्वित बाल विकास परियोजना की स्थापना

भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में प्रदेश के तीन विकास खण्डों में समन्वित बाल विकास परियोजना की स्थापना की गयी। पर्वतीय क्षेत्र में पन्द्रह परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन परियोजनाओं में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, सन्दर्भ तथा पूरक पोषाहार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं तथा 14 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को पोषाहार एवं शिक्षा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त योजना हेतु वर्ष 1990-91 में 1,12,45,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,12,45,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी	1600-2660	15
2	अति० बाल विकास परियोजना अधिकारी	1640-2660	3
3	मुख्य सेविका	1200-2040	66
4	वरिष्ठ सहायक/सांख्यकीय सहायक	1200-2040	15
5	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	33
6	चालक (ड्राइवर)	950-1500	15
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समूह घ	750-940	18
8	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री	रु० 250 प्रतिमाह नियत वेतनमान 765	
9	आंगनबाड़ी सहायिका	रु० 110 प्रतिमाह नियत वेतनमान 576	

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

आयोजनागत--

134--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--सामाजिक कल्याण

07--केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0701--समन्वित बाल विकास परियोजना-- (हजार रुपयों म)

01--वेतन	28,08
02--मजदूरी	0,90
03--मंहगाई भत्ता	14,03
04--यात्रा व्यय	3,00
05--अन्य भत्ते	36,35
06--कार्यालय व्यय	3,90
11--किराया उपशुल्क, और कर स्वामित्व	2,00
12--प्रकाशन	0,75
20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	16,84
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4,50
33--अन्य व्यय	3,00
योग	1,12,45

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अधिभारित की गयी
राज सहायता	1,12,45	1601--केन्द्रीय सरकार से अनुदान-- 04--केन्द्र परिमोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान--800--अन्य अनुदान। 47--पर्वतीय विकास--	शत प्रतिशत

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बलुवाकोट, तथा मुनसियारी (पिथौरागढ़) और ल्यूनी देहरादून का उच्चीकरण करके कक्षा 9 व 10 खोला जाना

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बलुवाकोट तथा मुनसियारी (पिथौरागढ़) और ल्यूनी (देहरादून) अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिये कक्षा 6 तथा 8 तक संचालित है जिसमें प्रत्येक कक्षा में 35 जनजाति के छात्र आवासीय सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात गरीब अनुसूचित जनजाति के लोग अपने बालकों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर नहीं भेज पाते हैं जिसके कारण उनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः अनुसूचित जनजाति के छात्र के हित में उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण कर कक्षा 9 व 10 संचालित करने का प्रस्ताव है। कक्षा 9 वर्ष 1990-91 में तथा कक्षा 10 वर्ष 1991-92 में संचालित होगी। उक्त योजना में वर्ष 1990-91 में 10,83,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक मे 10,83,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन:--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	प्रधानाचार्य	2000-3200	
2	सहायक अध्यापक एल० टी० ग्रेड	1400-2300	1
3	सहायक अध्यापक आर्ट डिप्लोमा	1200-2040	
4	व्यायाम प्रशिक्षण	1200-2040	
5	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	
6	रसोइया	750-940	
7	लैब अटेन्डेन्ट	750-940	
8	कहार	750-940	
9	चपरासी	750-940	

(ख)--साज-सज्जा आदि के स्थूल ब्योरे--

क्रमांक	मद	संख्या	दर	लागत
				रु0
1	तख्त	105	250	26,250
2	कम्बल	420	65	27,300
3	35-35 छात्र/छात्राओं हेतु मेज, कुर्सी, डेस्क, बेंच,	675	..	23,625
4	बक्से लोहे के	105	250	26,250
5	गद्दे/दरी/चादर	105	150	15,750
6	भोजन के बर्तनों का सेट स्टील	105	150	15,750
7	कक्षा अध्यापक के लिये फर्नीचर आदि	..	..	5,325
8	कार्यालय फर्नीचर आदि	..	..	3,000
			योग ..	1,27,500

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः--

2551-पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

126--अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-

03--राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव व उनका स्तर ऊंचा करना--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	4,08
03--महंगाई भत्ता	1,33
04--यात्रा व्यय	6
05--अन्य भत्ते	69
06--कार्यालय व्यय	3
20--मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,85
23--अनुरक्षण	1,74
योग ..	10,83

उत्तराखण्ड शोध संस्थान को अनुदान

पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यों, साहित्य, संस्कृति तथा पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में उत्तराखण्ड शोध संस्थान द्वारा किये जाने वाले शोध कार्यों पर व्यय हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है । इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

109--कला और संस्कृति--

04--स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

पर्वतीय विकास प्रशासनिक सेल की सुदृढ़ीकरण/स्थापना

पर्वतीय क्षेत्रों के कार्यों के सम्पादन, समन्वय, संरचना तथा सामान्य कार्य आदि के देख-रेख के लिए श्रीनगर, तथा अल्मोड़ा में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है । इन कार्यालयों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, उनके समन्वय, प्रशिक्षण, स्टाफ के अधिष्ठान सम्बन्धी आदि कार्यों के सम्पादन हेतु कतिपय पदों के सृजन के अतिरिक्त एक फोटो स्टेट मशीन, एक साइक्लोस्टाइल मशीन, एक टाइप-राइटर आदि के क्रय का भी प्रस्ताव है क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कई शोध कार्य किये जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट को प्रकाशित करना होता है । वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस योजना पर कुल 9,25,000 रु0 के व्यय का अनुमान है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 9,25,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	प्रवर वर्ग सहायक	1 400-2600	2
2	अवर वर्ग सहायक	1 200-2040	1
3	लेखा लिपिक / कैशियर	1 200-2040	1
4	वरिष्ठ लिपिक	1 200-2040	2
5	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	950-1500	2
6	फोटो स्टेट मशीन आपरेटर	825-1200	1
7	चपरासी	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2351--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

173--सचिवालय आर्थिक सेवायें--पर्वतीय विकास प्रशासनिक सेल की स्थापना--

01--वेतन	3,
03--महंगाई भत्ता	2,
04--यात्रा व्यय	
05--अन्य भत्ते	
06--कार्यालय व्यय	2,
33--अन्य व्यय	1,
योग ..	9,

राजकीय हाई स्कूल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण

वर्ष 1989-90 में 10 राजकीय हाई स्कूलों के इण्टर स्तर तक उच्चीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जि लिए पद तथा अन्य आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय की मदों के लिए वर्ष 1990-91 में व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है वि 30,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 30,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली ग

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	
			प्रति विद्यालय	दस विद्यालय
		रु0		
1	प्रधानाचार्य ..	2200-4000	1	10
2	प्रवक्ता ..	1600-2660	9	90
3	प्रधान लिपिक ..	1200-2040	1	10
4	लैब वियरर ..	750-940	3	30

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

103--सामान्य शिक्षा माध्यमिक शिक्षा--

01--राजकीय माध्यमिक विद्यालय--

0105--राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर तक उच्चीकरण--

01--वेतन	15,
03--महंगाई भत्ता	5,
04--यात्रा व्यय	
05--अन्य भत्ते	3,
06--कार्यालय व्यय	
33--अन्य व्यय	5,
योग ..	30,

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सम्बर्द्धन हेतु अनुदान

विद्यालयों में बढ़ती हुई छात्र / छात्राओं की संख्या को दृष्टि में रखते हुए उनके पठन-पाठन की सुविधा के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र के 2 बालक तथा 2 बालिका अर्थात् 4 विद्यालयों को प्रस्तावित अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। योजना की लागत 25,000 रु० प्रति विद्यालय की दर से निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत बालक विद्यालयों को अनुदान देने हेतु राजकीय अनुदान तथा प्रबन्धकीय अंशदान का अनुपात 90 : 10 रखा गया है किन्तु बालिका विद्यालयों को शत प्रतिशत राजकीय अनुदान दिया जायेगा और उनसे प्रबन्धकीय अंशदान की अपेक्षा नहीं की जायेगी। इस प्रकार दो बालक विद्यालयों के लिये 45,000 रु० तथा दो बालिका विद्यालय के लिए 50,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 95,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्यवक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

103--सामान्य शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोजनागत--

02--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

0204--सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालयों का सम्वर्धन--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 95

राजकीय जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण अथवा नये राजकीय हाई स्कूल का खोला जाना

वर्ष 1989-90 में 26 नये राजकीय हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिनके लिये आवश्यक शिक्षक / शिक्षणेत्तर पदों तथा अन्य अनावर्तक तथा आवर्तक मदों के लिए धन की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रदान की जानी प्रस्तावित है। उक्त पदों के सृजन पर कुल 78,00,000 रु० का व्यय वर्ष 1990-91 में अनुमानित है। तद्नुसार 1990-91 के आय-व्यवक में 78,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	
			प्रति विद्यालय	कुल
1	प्रधानाध्यापक	.. 2000-3500	एक	26
2	सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक)	1400-2300	सात	182
3	सहायक अध्यापक (इण्टर ट्रेंड)	.. 1200-2040	पांच	130
4	कनिष्ट लिपिक	.. 950-1500	एक	26
5	दफ्तरी	.. 775-1025	एक	26
6	चपरासी	.. 750-940	तीन	78
7	लैब बियरर	.. 750-940	एक	26
8	चौकीदार	.. 750-940	एक	26

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

103--सामान्य शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा--

0107--राजकीय माध्यमिक विद्यालय--

0107--नये राजकीय हाई स्कूलों को स्थापना तथा राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर कार्यान्वयन

01--वेतन	45,00
03--महंगाई भत्ता	15,00
04--यात्रा व्यय	1,00
05--अन्य भत्ते	5,60
06--कार्यालय व्यय	40
33--अन्य व्यय	11,00
योग ..	78,00

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित करके ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, चमोली तथा उत्तर काशी के लिये विगत वर्ष से गठित की गयी दुग्ध समितियों को तथा गठित की जाने वाली नई दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। योजना की उपयोगिता एवं दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले लाभ को देखते हुये योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में योजना पर 2,93,88,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। जिसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में 58,89,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 58,89,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--व्यय के अनुमान--

		रुपया
(क)--कुल परिव्यय	.. ..	2,93,88,000
(ख)--अन्तिम आवर्तक	.. ..	1,53,08,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551-पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

143-डेरी विकास--

01-डेरी विकास योजना--

(..) ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण--

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 58,89

विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति

पर्वतीय क्षेत्र के शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों (कक्षा-1 से 8 स्तर तक) एवं विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तगत दृष्टि-हीन, बहरे तथा मूक एवं अन्य प्रकार के विकलांग छात्रों तथा विकलांग माता-पिता/संरक्षकों के बच्चों को विभिन्न शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में 100 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिस पर 20,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय व्यापक में 20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

134-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-सामाजिक कल्याण आयोजनागत--

13-शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति/छात्र वेतन (जिला योजना)

15-छात्रवृत्ति/छात्र वेतन 20

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खटीमा एवं गूलरभोज नैनीताल की स्थापना

जनपद नैनीताल में खटीमा एवं सितारगंज में थारू जनजाति तथा बाजपुर, रामनगर, काशीपुर एवं गदरपुर में बुक्सा जनजाति के लोग निवास करते है, यह लोग आर्थिक एवं सामाजिक दष्टिकोण से अत्यधिक पिछड़े हैं। अतः वर्ष 1990-91 में खटीम (थारू जनजाति हेतु) तथा गूलरभोज (बुक्सा जनजाति हेतु) में आई०टी०आई० स्थापित करके प्रथम वर्ष में स्टैनोग्राफी (हिन्दी) तथा फिटर में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है, जिस पर वर्ष 1990-91 में 5,70,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 1990-91 क आय व्ययक में 5,70,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	प्रधानाचार्य (ग्रेड--2)	2200--4000	2
2	फोर मैन	2000--3500	2
3	इन्स्ट्रक्टर	1400--2300	4
4	कमशाप अटेन्डेन्ट	750--940	4
5	वरिष्ठ सहायक	1200--2040	2
6	कनिष्ठ लिपिक	950--1500	2
7	जमादार	750--940	2
8	समूह "घ"	750--940	2
9	चौकीदार	तदेव	2
10	रसोइया	तदेव	2
11	कहार	तदेव	2

(ख) साज-सज्जा आदि के स्थूल ब्योरे--

क्र0 सं0	मद	संख्या	प्रति मद रु0	धनराशि
1	बेन्च बल्ड	4	2,500	10,000
2	बेन्च वाइस	4	700	2,800
3	ड्रील मशीन (आवश्यक सामग्री सहित)	4	1,000	4,000
4	फाइल्स (20 तरह की)	2	5,000	10,000
5	हैड स्क्वायर	8	20	160
6	हैमर्स	16	30	480
7	ट्राइस्क्वायर	16	25	400
8	चीजेल्स	16	10	160
9	कैलीपर्स (इनसाइड आफ्टसाइज आउटेजज कैलीपर्स) ..	24	20	480
10	मार्किंग हैमर्स	16	15	240
11	सण्टर पंच	16	10	160
12	हैड पंच	16	10	160
13	वर्नीयर कैलीपर्स	8	500	4,000
14	माइक्रोमीट (मैट्रिक 0.25 एम0 एम0 25-50 एम0 एम0 50-75 एम0एम0	12	50	600
15	वर्नियर हाइटगेज (0 से 25.25-50)	8	1,000	8,000
16	टेपें एण्ड डाइसेट टीपें और अजारें	4	2,000	8,000
17	गेजेजडेल्थ टाइप	2	5,000	10,000
18	आई0 टी0 आई0 कक्षाओं के लिये हिन्दी टाइपराइटर ..	8	7,000	56,000
19	दोनों आई0 टी0 आई0 के कार्यालय उपयोगार्थ हिन्दी टाइपराईटर	2	7,000	14,000
20	दोनों आई0 टी0 आई हेतु टेपरिकार्डर	2	1,500	3,000
21	कार्यालय व्यय			1,000
	योग ..			1,33,640

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजनः--

(हजार रुपयों में)

2551–पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत—

60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र–

126–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना–

01—वेतन	2,3
03—महंगाई भत्ता	9
04—यात्रा व्यय	0
05—अन्य भत्ते	5
06—कार्यालय व्यय	0
11—स्वामित्व उप शुल्क एवं कर किराया	0
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,7
योग ..	5,7

निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान

आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी पर्वतीय क्षेत्र के 7290 अतिरिक्त निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को अनुदान दि जाता प्रस्तावित है। प्रत्येक लाभार्थी को 60 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 100 रुपये प्रतिमाह भुगतान कि जायेगा। इससे प्रति लाभार्थी पर प्रति वर्ष रुपये 1200 व्यय होगी। वर्ष 1990-91 में 91,85,000 रुपये व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय व्ययक में 91,85,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। मात्र की नई मांग प्रस्तुत

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपये

2551–पहाड़ी क्षेत्र–आयोजनागत—

60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र

134–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—सामाजिक कल्याण

15–नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)

14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 91,

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्ययनरत अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

मैदानी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवासीय छात्रों को 60 रुपये प्रति माह तथा अनावासीय छात्रों 50 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसी भांति पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों के अनुसूचित जाति क 150 छात्रों/पि जाति के 225 छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 2,50,000 रुपये का व अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 2,50,000 रुपये की व्यवस्था करली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

(हजार रुपयों

2551–पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत

60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

126–अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–अनुसूचित जातियों का कल्याण–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति

15—छात्रवृत्ति/छात्रवेतन 2

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या की वृद्धि पर पेय जल सेनेटरी सुविधा सहित कक्षा कक्ष निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था हेतु अनुदान।

इस योजना को आठवीं योजनावधि में संचालित रखे जाने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र के 2 बालक एवं 2 बालिका अर्थात् 4 विद्यालयों को कक्षा कक्ष एवं सेनेटरी निर्माणार्थ एवं 2 बा तथा 2 बालिका अर्थात् 4 विद्यालयों को साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है।

परियोजनान्तर्गत कक्षा कक्ष एवं सेनेटरी निर्माणार्थ प्रोजेक्ट की लागत 25,000 रु० प्रति विद्यालय की दर से तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण हेतु 7,000 रु० प्रति विद्यालय की दर से निर्धारित करने का प्रस्ताव है। बालक विद्यालयों के लिए राजकीय अनुदान तथा प्रबन्धकीय अंशदान का अनुपात 90 : 10 रखा गया है। बालिका विद्यालयों को शत प्रतिशत राजकीय अनुदान दिया जायेगा और उनसे प्रबन्धकीय अंशदान की अपेक्षा नहीं की जायेगी। इस परियोजनान्तर्गत मात्र उन्हीं विद्यालयों को चयनित किया जायेगा जिनका हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षाओं का विगत दो वर्षों का संयुक्त परीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा विगत दो वर्षों में छात्र / छात्राओं की संख्या में 30 से कम की वृद्धि न हुई हो। तद्नुसार वर्ष 1990-91 में 1,22,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसके लिए धन की व्यवस्था 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
103--सामान्य शिक्षा माध्यमिक शिक्षा--
04--अशासकीय उच्चतरमाध्यमिक विद्यालयों को सहायता--
0406--उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र संख्या वृद्धि पर सेनेटरी सुविधा एवं कक्षा-कक्ष निर्माणार्थ तथा साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण क्रयार्थ अनुदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	1,22

कुमायूं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में कुलपति कैम्प कार्यालय एवं अतिथि गृह का निर्माण

कुमायूं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में कुलपति कैम्प कार्यालय एवं अतिथि गृह की व्यवस्था आवश्यक होने के कारण 11,82,000 रु० की अनुमानित लागत पर उक्त भवनों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। निर्माण-कार्य पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक 1990-91 में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
104--सामान्य शिक्षा-विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा--
03--विश्वविद्यालयों को अप्राविधिक शिक्षा के लिए सहायता--
0301--विश्वविद्यालय कुमायूं--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	5,00

अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल का प्रान्तीयकरण एवं हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)

इस योजना को आठवीं योजनावधि में भी संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 में 7 अशासकीय जूनियर हाईस्कूल का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण किया गया था जिनके संचालनार्थ पदों तथा वेतनादि मदों के लिए 21,00,000 रु० का व्यय वर्ष 1990-91 में अनुमानित है तथा वर्ष 1990-91 के लिए 5 विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस पर वर्ष 1990-91 में 9,78,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 30,78,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)
60--अन्य क्षेत्र--आयोजनागत--
102--सामान्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा
04--राजकीय प्राथमिक विद्यालय--
0401--अशासकीय मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण एवं उन्नयन--

01--वेतन	..	..	..	..	17,90
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	7,97
04--यात्रा व्यय	..	..	..	..	95
05--अन्य भत्ते	..	..	..	..	3,36
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	60
				योग ..	30,78

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण :

वर्ष 1989-90 में पर्वतीय क्षेत्र के 9 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रान्तीयकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिनके लिए वांछित शैक्षिक / शिक्षणेतर पदों का सृजन वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित है। पदों के वेतन आदि मदों पर वर्ष 1990-91 में 36,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 36,00,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
103--सामान्य शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा--
03--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय--
0302--उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	25,00
03--महंगाई भत्ता	9,20
04--यात्रा व्यय	45
05--अन्य भत्ते	90
06--कार्यालय व्यय	45
योग ..	36,00

पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा के पूल्ड आफिस कम रेजीडेन्शियल काम्पलेक्स में जल आपूर्ति व्यवस्था :

क्षेत्रीय कार्यालय पर्वतीय विकास विभाग, अल्मोड़ा के लिए लगभग 56 एकड़ भूमि क्रय की जा चुकी है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण किया जाना है। पूल्ड कार्यालय काम्पलेक्स एवं पूल्ड हाउसिंग योजना के लिए जल आपूर्ति व्यवस्था किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम के 60,00,000 रु० के आगणन के आधार पर वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रु० (अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
173--सचिवालय आर्थिक सेवाएं--
01--संबद्ध कार्यालय नियोजन--राज्य मुख्यालय--पर्वतीय विकास से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा के पूरक आफिस-कम-रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स में जल आपूर्ति व्यवस्था 2,00

मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को प्रारम्भिक एवं विकास अनुदान :

संस्कृत शिक्षा के बहुमुखी विकास एवं प्रसार की दृष्टि से स्थायी मान्यता प्राप्त असहायिक संस्कृत पाठशालाओं को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से उन्हें अनुदान सूची पर लाने तथा भवन, साज-सज्जा एवं पुस्तकालय के लिए विकास अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में प्रश्नगत योजना पर 1,16,000 रु० व्यय अनुमानित है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,16,000 रुपये (अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों म)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
106--सामान्य शिक्षा--भाषा विकास--
01--संस्कृत शिक्षा--संस्कृत पाठशालाओं को प्रारम्भिक एवं विकास अनुदान--
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 1,16

पर्वतीय क्षेत्र में जिला परिषदों को स्थानीय लोक महत्व के लघु निर्माण कार्यों हेतु अनुदान।

आवश्यकताओं एवं अपरिहार्य दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में पर्वतीय क्षेत्र में जिला परिषद् वर्तमान स्थानीय लोक महत्व के लघु निर्माण-कार्य करवाती है जिसके लिये उन्हें अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में 24,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 24,00,000 रु० (अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गयी है

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—
101—लोक-निर्माण—
02—अनुरक्षण—
0201—मोटर मार्गों / अश्व मार्गों / पगडण्डियों और मोटर मार्गों व पुलों के सुधार तथा मरम्मत के लिए जिला परिषदों को सहायक अनुदान—
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 24,00

भूमि संरक्षण की योजना

पर्वतीय क्षेत्र में भू-कटान की समस्या से निवारण के लिए विभिन्न भूमि संरक्षण उपचार किए जा रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह प्रस्तावित है कि भूमि संरक्षण इकाइयों के आयोजनागत मद में केवल लघु निर्माण-कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाय। इस कार्य हेतु 10,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 10,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—
140—भू और जल संरक्षण—
01—उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना—
19—लघु निर्माण 10,00,00

फेरीहाल कम्पाउन्ड नैनीताल में एक आफिसर्स होस्टल का निर्माण

यद्यपि फेरीहाल कम्पाउन्ड, नैनीताल के भवन को दो मंजिल बनाये जाने का प्रस्ताव है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष में एक मंजिला भवन ही बनाया जाना है। वन संरक्षक प्रकोष्ठ सम्भरण वृत्त, उत्तर प्रदेश की सूचना के अनुसार प्रस्तावित भवन को केवल ट्रांजिट एकमोडेशन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा तथा इसे किसी को भी स्थायी रूप से आवंटित नहीं किया जायेगा। इस कार्य हेतु कुल वर्ष 1990-91 में 1,79,500 रु० का व्यय अनुमानित है जिसके लिए आय-व्ययक 1990-91 में 1,80,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
145--वानिकी एवं वन्य जीवन--
--भवन निर्माण (जिला योजना)--
फेरीहाल कम्पाउण्ड, नैनीताल में एक आफिसर्स हास्टल का निर्माण 1,80
18--लघु निर्माण--

पर्वतीय क्षेत्र के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की योजना

पर्वतीय क्षेत्र के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ट्रकिंग, माउन्टनियरिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, कियोगिंक तथा हेड ग्लाईडिंग को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत 90,00,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है तथा वर्ष 1990-91 में योजना के प्रारम्भ किये जाने हेतु 1,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
175--पर्यटन--साम.न्य--
14--पर्वतीय क्षेत्र के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना--
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 1,00

कियारकुली सूक्ष्म जलागम (मंसूरी) का पर्यावरणीय विकास

भारत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों का एक टास्क फोर्स गठित किया था जो कियारकुली जलागम क्षेत्र के वृक्षारोपण आदि कार्य करता था वर्ष 1989-90 तक इस पर व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता था। चालू वित्तीय वर्ष (1990-91) से इस पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
145--वानिकी और वन जीवन--कियारकुली सूक्ष्म जलागम (मंसूरी) का पर्यावरणीय विकास (जिला योजना)-- 10,00

पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगार युवक/युवतियों को लाभकारी रोजगार दिलाने हेतु वृक्षारोपण योजना

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा बेरोजगार युवक / युवतियों को लाभकारी रोजगार दिलाने के उद्देश्य से एक रोजगार परक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है। प्रत्येक पर्वतीय जनपद में 10 डिग्री कालेज, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में यह योजना चलायी जानी प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 1990-91 में प्रत्येक कालेज, इन्टर कालेज, हाई स्कूल व जूनियर हाई स्कूल को 12,000 रु० के हिसाब से 9,60,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 9,60,000 रु० की व्यवस्था बजट में सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
145--वानिकी और वन्य जीव--पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगार युवक / युवतियों को लाभकारी रोजगार दिलाने हेतु वृक्षारोपण योजना--
33--अन्य व्यय 9,60

पहाड़ी क्षेत्र की नगरीय पेयजल योजना

पहाड़ी क्षेत्रों के नगरों में पेयजल की विकट समस्या है जिसके निदान की तुरन्त आवश्यकता है। इससे नगरों में कई योजनाएं चलाई जायगी, जिसके लिए एक करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। पहाड़ी क्षेत्रों के प्रत्येक जिलों को इसका लाभ प्राप्त होगा। तद्नुसार वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
116--जलापूर्ति और सफाई--जलपूर्ति
01--जल निगम को अनुदान--
0102--पर्वतीय जिलों की पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान--
14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. . 1,00,00

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जूनियर हाई स्कूल शाखा मण्डल देहरादून की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद देहरादून के लखा मण्डल में अनुसूचित जन जाति के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर अत्यन्त नीचे होने का कारण शिक्षा का अभाव है। बालिकाओं में शिक्षा की ओर रुचि पैदा करने हेतु शैक्षिक सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं स्टेशनरी के साथ प्रथम वर्ष में प्रत्येक कक्षा में 35 छात्रायें अर्थात कुल 105 छात्राओं को शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में 4,10,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। अतः 4,10,000 रु0 की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्र0-सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	अधीक्षिका	1600-2660	1
2	गृहमाता	975-1660	1
3	नर्स/कम्पाउन्डर (प्रशिक्षित)	1350-2200	1
4	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	1
5	कनिष्ठ लिपिक ..	950-1500	1
6	सहायक अध्यापिका (सिलाई अध्यापिका) ..	975-1360	1
7	सहायक अध्यापिका (इन्टर ट्रेड)	1200-2040	2
8	संगीत अध्यापिका	975-1360	1
9	रसोइया	750-940	1
10	समूह "घ" ..	750-940	1
11	चौकीदार ..	750-940	1
12	स्वच्छकार	750-940	1
13	अवैतनिक चिकित्सक	रुपये 300 प्रतिमाह नियत	1

(ख) साज-सज्जा के स्थूल ब्यौरे--

क्र0-सं0	मद का नाम	संख्या	पर प्रति रुपये	लागत रु0
1	तख्त ..	35	500	17,500
2	मेज/कुर्सी	35	500	17,500
3	बर्तन/1 थाली, 1 लोटा, 2 चम्मच, 1 गिलास	35 सेट	150	5,250
4	कम्बल	140	165	23,100
5	बिस्तर एक दरी, 2 चादर, एक गद्दा, 5 कि0ग्रा0 सहित ..	35 का सेट	250	8,750
6	लोहे का कब्जा मय ताला	35	100	3,500
7	भोजन बनाने के बर्तन			5,000
8	ड्रम इत्यादि . ..	..	..	10,000
9	कक्षा अध्यापक की मेज कुर्सी	..	..	5,000
10	कार्यालय का फर्नीचर			10,000
				1,05,600

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

127--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

अनुसूचित जन जातियों का कल्याण

03--राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना, रख-रखाव व उसका स्तर ऊंचा करना--

01--वेतन	1,34
03--महंगाई भत्ता ..	45
04--यात्रा व्यय ..	5
05--अन्य भत्ते	23
06--कार्यालय व्यय	10
11--किराया उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व	20
20--माल सम्पूर्ति	68
25--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1,05
योग ..	4,10

पर्वतीय क्षेत्र के अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्वदशम् कक्षा 9 व 10 में मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति

प्रदेश में अन्य पिछड़ी जाति क कक्षा 1 से 10 तक के पढ़ने वाले छात्रों को जिनके माता-पिता व अभिभावकों की मासिक आय 1,000 रुपये तक है, छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। कक्षा 9 व 10 में पूर्व नियमानुसार 360 रुपये वार्षिक प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत 2,222 अतिरिक्त छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये 8,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 8,00,000 रुपये की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

128—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ वर्गो का कल्याण—

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

15—छात्रवृत्ति/छात्र वेतन 8,0

पर्वतीय क्षेत्र में भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण

पर्वतीय क्षेत्र में भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण व प्रयाग तक सहायक नदियां सम्मिलित हैं। जिस पर वर्ष 1989-90 में गठित भागीरथी घाटी प्राधिकरण भागीरथी नदी घाटी की क्षमता ज्ञात करने, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के संबंध में वर्तमान स्थिति ज्ञात करने तथा चालित योजना समूह के परिप्रेक्ष में प्राधिकरण, पर्यटन, सड़क निर्माण, संचारतंत्र, आवास, जल संसाधन, ऊर्जा आदि के विकास की समस्त परियोजनाओं पर विचार करेगा। वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रुपये मात्र का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—प्रदूषण निवारण और नियंत्रण

172—परिस्थिति और पर्यावरण—

11—भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता— 1,00,00

ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता एवं सुधार हेतु पी० आर० ए० आई० टाइप शौचालयों का निर्माण

योजना के अन्तर्गत एक शौचालय की लागत 1,500 रु० होगी जिसमें 2 प्रतिशत आकस्मिक व्यय (30 रु०) सम्मिलित है। इस आकस्मिक व्यय में 50 प्रतिशत अर्थात 15 रु० निदेशक पंचायत राज एवं 50 प्रतिशत अर्थात 15 रु० जिला पंचायत राज अधिकारी के निस्तारण पर रखा जायगा। इस व्यय को स्वच्छता के प्रसार, प्रचार एवं प्रशासनिक कार्यों पर व्यय किया जायेगा। इस योजना की धनराशि का 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पर तथा 30 प्रतिशत धनराशि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए तथा सामान्य जातियों पर 20 प्रतिशत धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है। अतः सामान्य परिवारों को 90 प्रतिशत शासकीय अनुदान तथा 10 प्रतिशत लाभार्थी को श्रम अथवा धन के रूप में स्वयं वहन करना होगा। वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम पर 14,90,000 रु० व्यय करने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 14,90,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

154—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—पंचायत राज—

08—ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता एवं सुधार हेतु पी०आर०ए०आई० टाइप शौचालयों का निर्माण—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 14,9

पंचायत भवनों का निर्माण

प्रदेश के अनेक न्याय पंचायतों के पास अपने कार्यालय नहीं हैं जिसमें बैठकर न्याय पंचायत की कार्यवाही संपन्न की जा सके। पंचायत भवनों के निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु शासकीय अंश 90 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत गांव सभा को अपने संसाधनों से श्रम अथवा धन के रूप में लगाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिए 21,94,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 21,94,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
154--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--पंचायत राज--
04--पंचायत भवनों का निर्माण--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 21,94

पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता

गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा जनता को दैनिक उपभोग की वस्तुयें सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत उद्योग की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रबन्धकीय सहायता प्रथम वर्ष 20,000 रु0, द्वितीय वर्ष 17,500 रु0 अथवा तृतीय वर्ष में 15,000 रु0 दिये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये वर्ष 1990-91 में 70,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 70,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपये में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र---आयोजनागत--
154--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--पंचायत राज--
05--पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता--
14-- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 70

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन

पंचायती राज कार्यक्रमों के बहुमुखी विकास हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: 6,000 रु0, 4,000 रु0 तथा 2,000 रु0 का पुरस्कार दिया जाता है जिसका मापदंड जिन ग्राम सभाओं द्वारा अपनी आय में कर वसूली में भूमि प्रबन्ध एवं अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि की हो और विकास कार्य में उत्तम कार्य किया हो, चयन किया जाता है। पुरस्कार की यह राशि ग्राम सभा अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करता है। वर्ष 1990-91 में इस कार्यक्रम पर 96,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 96,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-- आयोजनागत--
154--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--पंचायती राज--
02--पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 96

भेड़/बकरा प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना--वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण

पर्वतीय क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक स्थापित कुल 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत इन केन्द्रों पर रखे गये प्रजनन योग्य भेड़ों की कार्यक्षमता बनाये रखने हेतु इन्हें आवश्यक औषधियों, चारा-दाना आदि उपलब्ध कराया जायगा। योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल (1990-95) में 56,50,000 रु0 तथा वर्ष 1990 91 में 11,30,00 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,30,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
142--पशुपालन--
07--भेड़ तथा ऊन विकास--
(--) भेड़ बकरी प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना--
वर्तमान भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण--
20--मशीनें, और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 2,26
33--अन्य व्यय 9,04

योग .. 11,30

दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन की योजना

लालकुआं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 लाल कुआं (नैनीताल) द्वारा संचालित दुग्धशाला के पुनर्गठन एव सुदृढ़ीकरण हेतु संघ को वर्ष 1989-90 तक हुई आपरेशन हानियों की प्रतिपूर्ति के लिये वर्ष 1990-91 में वित्तीय सहायत उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त सहायता उपलब्ध हो जाने पर लालकुआं दुग्ध संघ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन पुनर्गठन की दिशा में तेजी अग्रसर हो सकेगी। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 1990-91 में 24,08,000 रुपये का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्थ 1990-91 के आय-व्ययक में करली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2251--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

143--डेरी विकास--

01--डेरी विकास योजना--

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 24,0

उत्तरकाशी में नई डेरी की स्थापना

उत्तरकाशी जनपद के लघु सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों तथा विशेषरूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग को दुग्ध सहकारिताओं से आच्छादित करने, समुचित देख-रेख, खिलाई पिलाई तथा उचित प्रजनन व्यवस्था से उनके दुधारू पशु को समुन्नत करके उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादित दूध की समुचित हाट (मार्केटिंग) व्यवस्था हेतु उत्तरकाशी 5000 मीटर दैनिक क्षमता की एक डेरी की स्थापना का प्रस्ताव है। उपभोक्ता के आधार पर योजना के अन्तर्गत इस डे को स्टेट मिल्कग्रिप से जोड़कर श्रीनगर डेरी से अतिरिक्त दूध भी प्राप्त किया जायेगा तथा शुद्ध पाश्चुराइज्ड दूध और दु पदार्थ से जनपद के नगरीय उपभोक्ताओं तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह योजना उत्तरका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उत्तरकाशी द्वारा चलाई जायेगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक को उनके द्वारा उत्पादित दूध का समुचित मूल्य उपलब्ध होगा तथा नगरीय उपभोक्ताओं को यथोचित मात्रा दूध एवं दुग्ध पदार्थ उचित मूल्य पर सुलभ होगा। योजना से लगभग 150 स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवस सुलभ होंगे तथा लगभग 1200 उत्पादकों के लिये प्रतिदिन लगभग चार घंटे अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होने फलस्वरूप प्रतिदिन लगभग 600 मानव दिवस के बराबर अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि योजना पर 99,12,000 रुपये के व्यय का अनुमान है वित्तीय वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रुपये के व्यय का अनुमान है जिस व्यवस्था 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--पहाड़ी क्षेत्र--

143--डेरी विकास--

01--डेरी विकास योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,0

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के विशिष्ट स्थानों के लिये विशिष्ट नीबू प्रजातीय फल व औद्यानिक विकास योजना

पिथौरागढ़ एवं चमोली जनपदों में जलवायु एवं भूमि नीबू प्रजातियों के लिये अति उत्तम है। अत: उद्यानपतियों की प्रति हैक पैदावार तथा उनकी आय बढ़ाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने के लिये फल पौधों कीमत, गड्ढे खुदाने तथा रासायनिक उर्वरकों पर 50 प्रतिशत राज सहायता उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। योजना के आठवीं योजना काल में 9,85,000 रुपये की आवश्यकता होगी इसके सापेक्ष वर्ष 1990-91 में योजनान्तर्गत 31,000 रुपये आवश्यकता है जिसे चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर लिया गया है।

2--व्यय के अनुमान--

		रु0
(क)	कुल परिव्यय (1990-91) ..	9,88,0
(ख)	अन्तिम आवर्तक व्यय	3,69,0

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
141--कृषि कार्य--
04--उद्यान कर्म एवं फलोपयोग--
(--) पर्वतीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ एवं चमोली में नीबू जाति के फलों का औद्यानिक विकास--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. . 31

अलमोड़ा शहर की हवेलियों पर अंकित काष्ठकला का संरक्षण ।

अलमोड़ा शहर की हवेलियों पर अंकित काष्ठकला व मूर्तियों के संरक्षण किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,15,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,15,000 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में

2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
109-कला और संस्कृति-- ( ) अलमोड़ा शहर की हवेलियों पर अंकित काष्ठ कला का संरक्षण--
33--अन्य व्यय 1,15

जुवेनाइल बोर्ड (किशोर कल्याण न्यायालयों) की स्थापना ।

उत्तर प्रदेश जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट, 1986 (किशोर न्याय अधिनियम, 1986), के अन्तर्गत गैर अपराधी अवयस्क बालकों के मुकदमों के निस्तारण हेतु पहाड़ी जनपद चमोली, पिथौरागढ़, तथा टिहरी गढ़वाल में जुवेनाईल बोर्डों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें अपराधियों के अभियोग का निपटारा इन जनपदों में शीघ्र हो सकेगा। इस योजना के संचालनार्थ वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,98,000 रु० की आवश्यकता होगी। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में रुपये 1,98,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	रीडर (पेशकार)	1200-2040	3
2	चपरासी	750-940	3

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--
60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
134-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-सामाजिक कल्याण-जुबेनाईल बोर्ड/किशोर कल्याण न्यायालयों की स्थापना

01--वेतन	40
03--महंगाई भत्ता	14
04--यात्रा व्यय	12
05--अन्य भत्ते	28
06--कार्यालय व्यय	34
20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	70
योग ..	1,98

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार

पर्वतीय क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में गेहूं निःशुल्क भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर प्रोसेसिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन आदि पर होने वाला व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चे एवं 20 से 45 वर्ष की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समुचित स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं प्रतिरक्षण सेवायें प्रदान कर लाभान्वित किया जायगा। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में 3,72,00,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 3,72,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र— (हजार रुपयों में)

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

134—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–सामाजिक कल्याण–आयोजनागत—

702—समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुष्टाहार

33—अन्य व्यय 3,72,00

जनपद पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल में प्रोबेशन कार्यालयों की स्थापना

प्रदेश के चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ में अभी तक जिला प्रोबेशन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी है। जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय की महत्ता को देखते हुए उपरोक्त जनपदों में एक-एक कार्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में 2,75,000 रुपये मात्र की आवश्यकता होगी। तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 2,75,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

1—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु0	
1	जिला प्रोबेशन अधिकारी	2000–3200	3
2	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	3
3	चपरासी	750–940	3

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

134—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–सामाजिक कल्याण–आयोजनागत—

02—पर्वतीय क्षेत्र में सेन्ट्रल प्रोबेशन एण्ड अफेन्डर्स ऐक्ट, 1958 का कार्यान्वयन—

(हजार रुपयों में)

01—वेतन	78
03—महंगाई भत्ता	26
04—यात्रा व्यय	18
05—अन्य भत्ते	15
06—कार्यालय व्यय	66
11—किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व	18
20—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	45
33—अन्य व्यय	9
योग ..	2,75

आयुक्त एवं महानिदेशक, पर्यटन (पर्वतीय क्षेत्र) के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं में और अधिक गति लाये जाने तथा उनका समग्र विकास किये जाने एवं नये पर्यटक स्थलों के विकास की योजनायें कार्यान्वित किये जाने के उद्देश्य से आयुक्त एवं महानिदेशक पर्यटन (पर्वतीय क्षेत्र) के कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है। अतः पर्वतीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही समस्त योजनाओं का लाभ पर्यटकों/स्थानीय जनता को सुचारु रूप से उपलब्ध कराये जाने के लिये उनका अनुश्रवण/कार्यान्वियन करने तथा नयी योजनाओं को सही दिशा निर्देश प्रदान किये जाने आदि हेतु आयुक्त एवं महानिदेशक, पर्यटन (पर्वतीय क्षेत्र) के कार्यालय में समुचित स्टाफ़ का होना नितान्त आवश्यक है। वर्तमान में कुल 8 पद सृजित हैं। इसके अतिरिक्त 13 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इन पदों के सृजन के फ़लस्वरूप वित्तीय वर्ष 1990-91 में 5,90,000 रु0 (5,00,000 रु0 आवर्तक तथा 90,000 रु0 अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,90,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
	(1) लेखा अनुभाग	रु0	
1	लेखाधिकारी	वित्त सेवा सम्वर्ग से	1
2	सहायक लेखाकार	1400-2300	2
3	टंकक लिपिक	950-1500	1
4	चपरासी	750-940	1
	(2) सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग		
1	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2 ..	1400-2600	1
2	वरिष्ठ सहायक	1400-2300	1
3	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	1
5	टंकक लिपिक	950-1500	1
5	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	775-1025	1
7	डाक रनर	750-940	1
8	स्वीपर	750-940	1
9	चपरासी	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

175--पर्यटन-- सामान्य (हजार रुपयों में)

13--पर्वतीय क्षेत्र-में पर्यटन निदेशालय का सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	1,96
03--महंगाई भत्ता	69
04--यात्रा व्यय	25
05--अन्य भत्ते .. .	30
06--कार्यालय व्यय	1,70
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	50
12--प्रकाशन	50
योग ..	5,90

अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना हेतु भूमि का क्रय

होटलों के निर्माण में लगातार वृद्धि होने के कारण होटल उद्योग, जो कि रोजगार प्रधान है, प्रशिक्षित प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों की मांग में भी आशातीत वृद्धि हुई है। होटल उद्योग को प्रशिक्षित स्टाफ की पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रदान करने वाले दो ही संस्थान उपलब्ध हैं, जिनमें से एक लखनऊ में तथा दूसरा देहरादून में है। इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ वर्तमान होटल उद्योग की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः अल्मोड़ा में एक तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षण के लिये होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त संस्थान की स्थापना हेतु भूमि क्रय आदि के लिये 10,06,004 रु० की आवश्यकता है। वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

[2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--]

2551--पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

175--पर्यटन सामान्य--अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना हेतु भूमि का क्रय 1,00

नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी के लिये भूमि का क्रय

जनपद उत्तरकाशी की तहसील पुरौला के ग्राम गंदियात गांव धुनगेर में नवोदय विद्यालय की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है। इस विद्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है। भूमि के क्रय पर वर्ष 1990-91 में 6,43,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र--60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

103--सामान्य शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा--

01--राजकीय माध्यमिक विद्यालय--

0112--नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी के लिये भूमि क्रय-18--वृहद् निर्माण .. 6,43

पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य रोग निदान एवं अनुसंधान आदि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना

पर्वतीय क्षेत्रों की वर्तमान विषम भौगोलिक स्थिति एवं सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में पशुचिकित्सा स्वास्थ्य तथा गर्भाधान एवं प्रजनन सुविधायें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 27 पशु चिकित्सालयों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय आयोजनावधि (1990-95) में 1,34,35,000 तथा वर्ष 1990-91 में 13,50,000 रु० व्यय होने का अनुमान है, तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान-- रु०

(क) कुल परिव्यय 1,34,75,00

(ख) अंतिम आवर्तक व्यय 30,45,00

3--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु०	
1	पशु चिकित्सा अधिकारी	2200-4000	
2	पशु औषधिक	975-1660	
3	पोर्टर	750-940	
4	पत्रवाहक	750-940	
5	चौकीदार	750-940	

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--पशुपालन--

04--पशु चिकित्सा संबंधी सेवाएं और स्वास्थ्य

(-) पशु चिकित्सा स्वास्थ्य रोग निदान एवं अनुसंधान एवं विस्तार की योजना नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना

01--वेतन	3,86
03--महंगाई भत्ता	50
04--यात्रा व्यय	27
05--अन्य भत्ते	27
06--कार्यालय व्यय	1,35
07--टेलीफोन पर व्यय	54
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व	41
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,70
33--अन्य व्यय	3,00
योग	12,06

(01) अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-- (हजार रुपयों में)

पशु चिकित्सा स्वास्थ्य, रोग निदान एवं अनुसंधान एवं विस्तार की योजना-नए पशु चिकित्सालयों की स्थापना--

01--वेतन	20
03--महंगाई भत्ता	10
04--यात्रा-व्यय	2
05--अन्य भत्ते	2
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50
33--अन्य व्यय	50
योग; ..	1,44
कुल योग ..	13,50

वर्ण संकर बछियों के पालन पोषण हेतु संतुलित पशु आहार का वितरण]

योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, तथा उत्तरकाशी में पर्वतीय क्षेत्र में वर्ण संकर पशु पालन कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से चलाने तथा संकर प्रजाति की उन्नतीशील बछियों के पालन पोषण हेतु पौष्टिक संतुलित पशु आहार पशु पालकों को सुलभ कराया जाता है। योजना के अनुसार पशुपालकों को उनके घर के निकटवर्ती पशु चिकित्सालय पर संतुलित आहार खरीदकर शत प्रतिशत परिवहन व्यय की छूट तथा आहार के विक्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान के आधार पर देय उदाहरण स्वरूप यदि एक कुन्तल संतुलित पशुआहार का फैक्ट्री मूल्य 150 रु० प्रति कुन्तल आता है तो उसे ब्लाक मुख्यालय पर 75.00 रु० प्रति कुन्तल खरीद से प्रगतिशील पशुपालकों को उपलब्ध कराया जायेगा इसमें प्रतिबन्ध यह होगा कि जिन पशु पालकों के पास कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उत्पन्न वर्ण संकर बछिया होगी और जिनका चयन पशुपालन विभाग द्वारा किया गया हो ऐसे ही पशुपालकों को ही संतुलित पशु आहार निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जायेगा। आहार के ढुलाई पर फैक्ट्री से ब्लाक मुख्यालय तक होने वाले व्यय के सम्पूर्ण भाग की शासन द्वारा वहन किया जायेगा। योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 17,50,000 रु० के व्यय का अनुमान है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 1990-91 में 6,00,000 रु० की आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551-पहाड़ी क्षेत्र- (हजार रुपयों में)

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

142-पशु पालन

05-पशु एवं विकास--

(-) वर्ण संकर बछियों के पालन पोषण हेतु संतुलित पशु आहार का वितरण ..	6,00

पर्वतीय क्षेत्र के भेड़ बहुल स्थानों पर ऊन शियरिंग, ग्रेडिंग तथा चिकित्सा सेवा केन्द्रों की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्रों के भेड़ बहुल क्षेत्रों में भेड़ों के ऊन उतारने के उद्देश्य से ऊन शियरिंग ग्रेडिंग तथा चिकित्सा केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत अष्ठम पंचवर्षीय आयोजनावधि में 1,17,20,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 88,60,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 88,60,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान-- (रुपये)

(क) कुल परिव्यय (1990-91) 1,17,20,00

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 5,34,00

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--पशुपालन--

07-भेड़ एवं ऊन विकास-

पर्वतीय क्षेत्र के भेड़ बहुल क्षेत्रों में ऊन शियरिंग (कतरन) ग्रेडिंग तथा भेड़ों को पारजीवी रोगों के बचाव हेतु चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता की योजना--

01--वेतन	2
02--मजदूरी	1
03--महंगाई भत्ता	1
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	
06--कार्यालय व्यय	2,1
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	63,5
21--मोटर गाड़ियों का क्रय	10,0
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	:
33--अन्य व्यय	1,8
योग	78,2

(01) अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-- .. .. .

02--मजदूरी	
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10,0
33--अन्य व्यय	:
योग	10,:
कुल योग	88,(

भारत सरकार की राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत राज्य भण्डारागार निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

भारत सरकार की नेशनल ग्रिड ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत ट्राइवल एरिया के लिये भारत सरकार द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत व सामान्य क्षेत्र के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 25-25 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करना है। उक्त वित्तीय पैटर्न के अनुसार अवशेष 3 गोदामों के लिये प्रथम किश्त केन्द्रांश तथा 15 गोदामों के लिए भारत सरकार की द्वितीय किश्त के रूप में 56.25 लाख रु0 और राज्य सरकार को 33.75 लाख रु0 अर्थात् कुल 90.00 लाख रु0 की अनुदान सहायता वर्ष 1990-91 में दिये जाने का प्रस्ताव है। योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि उपज एवं कृषि कार्य में प्रयोग आने वाली सामग्री जैसे उर्वरक, बीज आदि के वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। उक्त की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त 56.25 लाख रु0 की धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। तद्नुसार वर्ष 1990-91 में अनुदान हेतु 90,00,000 रु0 की आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551-पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

161-सहकारिता--

(-) केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत राज्य भंडारागार निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता 90

3-भारत सरकार से प्राप्य सहायता

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
	रु0		सामान्य क्षेत्र के लिये
ुदान ..	56,25,000	0425-सहाकारिता-- .. 800-अन्य प्राप्तियां--	.. 25 प्रतिशत व ट्राइवल क्षेत्र के लिये
		06-भारत सरकार से प्राप्त सहायता	.. 50 प्रतिशत

तीय क्षेत्रों में पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार की योजना, वर्तमान पशु संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर यातायात मार्गो की सुविधाओं से जुड़े पशु संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान सुविधाए उपलब्ध कराने के उद्देश्य 40 नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत अष्ठम पंचवर्षीय योजनाकाल (1990-) में 25,00,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-क में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान--

	रु0
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	25,00,000
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	2,50,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551-पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-- (हजार रुपयों में)

142-पशुपालन--

05-पशुधन विकास

(-) पशु प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार-वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना--

20--मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,50
33--अन्य व्यय	80
योग ..	3,30

(01) अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार-वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,50
33--अन्य व्यय	20
योग ..	1,70
कुल योग ..	5,00

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यक्रम

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के फलस्वरूप उद्यान विभाग द्वारा स्पेशल ट प्लान के अन्तर्गत इनके कल्याणार्थ औद्यानिक विकास कार्यक्रम के साथ-साथ सब्जी विकास कार्यों को अपनाने हेतु आठवां काल के लिये उन्हें फल-पौध तथा आलू बीज एवं उर्वरकों आदि पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रस्तावित है। आठवीं योजना-प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत 50,11,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। जिनके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 1990-91 में 000 रुपये की आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत— (हजार रुपयों में

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

141—कृषि कार्य—

04—उद्यान कर्म एवं फलोपयोग—

(..) स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यक्रम—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,7

वर्तमान कुक्कुट विकास परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण तथा नए कुक्कुट विकास परियोजनाओं व स्थापना।

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत 6 सघन कुक्कुट विकास परियोजनाओं को और अधिक क्रियाशील बनाने के उद्देश्य स आवश्यक सुवि ध प्रदान किए जाने तथा जनपद चमोली तथा उत्तरकाशी में एक-एक नए सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं की स्थापना किये जाने क प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में 9,00,000 रु० का अनुमानित व्यय तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाका (1990-95) में 42,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 9,00,000 रु० व व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय के अनुमान:— रु०

(क)	कुल परिव्यय	42,00,0
(ख)	अंतिम आवर्तक व्यय	8,00,0

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

2551—पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

142—पशुपालन—06—मुर्गी पालन विकास

(..) पर्वतीय क्षेत्र में समन्वित कुक्कुट विकास की योजना वर्तमान कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं का सुदृढ़ीकरण तथा नए सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं की स्थापना—

(हजार रुपयों में

01—वेतन	30
03—महंगाई भत्ता	10
04—यात्रा व्यय	10
05—अन्य भत्ते	5
06—कार्यालय व्यय	10
07—टेलीफोन पर व्यय	5
11—किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	5
15—छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	50
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10
21—मोटर गाड़ियों का क्रय	1,50
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	20
33—अन्य व्यय	5
योग ..	8,05

01— अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-वर्तमान सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं को सुदृढ़ीकरण एवं नए सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं की स्थापना—

15—छात्रवृत्ति/छात्र वेतन	20
33—अन्य व्यय	75
योग	9
कुल योग ..	9,00

पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालन विभाग के अपर निदेशालय स्तर पर पशुपालन संबंधी विकास कार्यक्रमों के अध्ययन, संर अनुसरण, मानिटरिंग आदि कार्यों के सम्मेलन हेतु एक नियोजन टेक्निकल सेल की स्थापना

पर्वतीय क्षेत्र के गोपेश्वर स्थित पशुपालन विभाग के अपर निदेशालय में पशुपालन संबंधी विभिन्न विकास कार्यक्रमो अध्ययन, संरचना, अनुश्रवण आदि कार्य के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से एक नियोजन टेक्निकल सेल की स्थापना की जा चुकी इस सेल को आठवीं योजना में भी क्रियान्वित रखना प्रस्तावित है जिस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 85,000 रु० वर्ष 1990-95 में 11,40,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 85,000 रु० व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान--

	रु०
(क) कुल परिव्यय (1990-95)	11,40,000
(ख) अंतिम आवर्तक व्यय	2,65,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--पशुपालन--

09--अन्य पशुधन विकास

(--) पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालन विकास के अपर निदेशालय स्तर पर .. पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अध्ययन, संरचना, अनुश्रवण आदि कार्य संचालन हेतु नियोजन टेक्निकल सेल--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	30
03--महंगाई भत्ता	10
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	01
06--कार्यालय व्यय	5
07--टेलीफोन पर व्यय	2
20--मशीनें और साज सज्जा/उपकरण और संयंत्र	5
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	10
33--अन्य व्यय	12
योग ..	85

पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोग निदान, अनुसंधान आदि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत 22 पशु चिकित्सालयों एवं 561 पशु औषधालयों में चिकित्सा सम्बन्धी औषधियों, साज-सज्जा पकरण आदि मदों के निमित्त अर्थाभाव के फलस्वरूप इन पशुशालाओं के कार्य संचालन में शिथिलता को दृष्टिगत रखतेहुये इन स्थाओं को यथा सम्भव आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 0,85,000 रुपये तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 1,52,55,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 990-91 के आय-व्ययक में 50,85,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान

	रु०
(क) कुल परिव्यय . .	1,52,59,000
(ख) अंतिम आवर्तक व्यय .	25,40,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

142--पशुपालन

04--पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएं और स्वास्थ्य--

( )--पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों में अतिरिक्त दवाओं साज-सज्जा की व्यवस्था

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	13,72
33--अन्य व्यय	25,34
योग ..	39,06

01--अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-पशु चिकित्सालयों पशु सेवा केन्द्रो में अतिरिक्त दवाओं साज-सज्जा की व्यवस्था--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,39
33--अन्य व्यय	7,40
योग	11,79
कुल योग	50,85

पर्वतीय क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन की विशेष योजना।

पर्वतीय क्षेत्र में तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना तथा नकदी फ़सल (सोयाबीन) उत्पादित करके कृषकों की आर्थिक दशा सुधारना इस योजना का उद्देश्य है। पर्वतीय क्षेत्र में स्थित आठों जनपदों भूमि एवं जलवायु के अनुरूप क्षेत्रों का चयन करके चयनित क्षेत्रों में कृषिकों के खेतों पर उनके द्वारा सोयाबीन की अधुनातन सघन कृषि पद्धतियों को अपनाकर क्षेत्र तथा उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी। फ़सल उत्पादन के साथ-साथ सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों का प्रमाणित बीज उत्पादन कृषकों के क्षेत्र में तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर किया जायेगा, जिसे तराई विकास निगम अथवा कृषि विभाग द्वारा क्रय करके अन्य कृषकों को अगले वर्ष बुवाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। सोयाबीन की खेती कीट एवं रोगों से कुप्रभावित न हो इसके लिए चयनित क्षेत्रों में सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जायेगा। इस कार्य के लिए इच्छुक कृषकों को कृषि रक्षा उपकरण अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल निष्पादन हेतु कृषकों को निम्नलिखित सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है:--

(अ) बीज अनुदान--सोयाबीन की उन्नतशील प्रजातियों का प्रमाणित/आधारीय बीज का विक्रय मूल्य बहुत अधिक (लगभग 1,000 रु0 प्रति कुन्तल) होने के कारण कृषकों की क्रय शक्ति से परे है। अत: कृषकों को विक्रय मूल्य पर 400 रु0 प्रति कुन्तल का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 32 लाख रु0 की आवश्यकता होगी।

(ब) प्रमाणित बीजोत्पादन--प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कृषकों को पंजीकरण शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क के रूप में लगभग 125 रु0 प्रति हेक्टेयर व्यय अधिक करना पड़ता है, जिसके कारण बीजोत्पादन में कृषकों को रुचि नहीं रहती है। अत: बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु 50 रु0 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 20,000 रु0 का व्यय अनुमानित है।

(स) कृषि रक्षा उपकरण अनुदान--कृषि रक्षा उपकरणों के मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है ताकि कृषक सोयाबीन पर कीट / रोगों का प्रभावी नियंत्रण कर सकें। इस मद पर वर्ष 1990-91 में 1.20 लाख रु0 व्यय होने का अनुमान है।

कवरेज--गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डलों के आठों जनपदों के चयनित क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की जायगी।

योजना का क्रियान्वयन करने के लिए नये पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारी ही इस योजना का कार्य सम्पादित करेंगे।

अतएव उक्त योजना पर वर्ष 1990-91 में 33,40,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 33,40,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य--

03--कृषि मुख्य--उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन की विशेष योजना--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. योग .. 33,40

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन का प्रचार

पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाये जाने के उद्देश्य से पर्यटन विकास की विभिन्न योजना कार्यान्वित की जा रही है। इनमें से ऐसी योजनायें जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं परन्तु जिनका सुनियोजित ढंग से व्यापक स्तर पर प्रचार न होने के कारण पर्यटक उन स्थलों पर बहुत कम संख्या में जाते हैं। अतएव पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की ओर पर्यटकों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनका व्यापक स्तर पर आधुनिक माध्यमों से देश विदेश में प्रचार किया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को आजीविका के विभिन्न साधन उपलब्ध हो सकें। वर्ष 1990-91 हेतु 30,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परिक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीषकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य--

01-- पर्वतीय क्षत्र में पर्यटन का विकास--

33--अन्य व्यय 30,00

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना

पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की काफी विकट समस्या है। इसको दूर करने के लिये तुरन्त प्रभावी दम उठाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये नई पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाना है। मीण पेयजल योजनाओं के लिये जनपद वार देहरादून 40.00, टिहरी 85.00, पौड़ी 180.00, उत्तरकाशी 25.00, चमोली 0.00, नैनीताल 35.00, अल्मोड़ा 120.00, तथा पिथौरागढ़ 75.00 लाख रुपये कुल 600.00 लाख रुपये की आवश्यकता है न्तु सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1990-91 में जनपदवार देहरादून 30.00, टिहरी 50.00, पौड़ी 120.00, रकाशी 25.00, चमोली 20.00, नैनीताल 25.00, अल्मोड़ा 80.00 तथा पिथौरागढ़ 50.00 अर्थात कुल 400.00 ाख रुपये स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 4,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ी गयी है। व्यय को स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक मे व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--: (हजार रुपये में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र --

116--जलपूर्ति और सफाई--जल पूर्ति--

01--जल निगम को अनुदान

0101--उत्तराखण्ड की ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,00,00

पर्वतीय क्षेत्र में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के कार्यान्वियन हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के 6 नगरों (देहरादून, काशीपुर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर एवं रामनगर) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस विभाग के अन्तर्गत इन नगरों में स्थित मलिन बस्तियों में नाली ंजा, प्रकाश स्तम्भ, पेयजल, सार्वजनिक शौचालयों एवं स्नानगृहों के प्राविधान हेतु सम्बन्धित नगरों की स्थानीय निकायों को ुदान के रूप में वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में उक्त योजना पर 5,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

172--पारिस्थिकी और पर्यावरण--प्रदूषण निवारण और नियंत्रण--न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के मलिन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना का कार्यान्वियन--नगर पालिकाओं को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,00

पर्वतीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों को नगर में प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई संयंत्रों को क्रय हेतु अनुदान।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न नगरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था किये जाने तथा सफाई करणों को क्रय करने के लिये अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में उक्त योजना पर 15,00,000 रुपये का व्यय मानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 15,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है व्यय की स्वीकृति क्षण के बाद दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

124--शहरी विकास--छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास--

04--स्थानीय निकायों को मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं सफाई उपकरणों के क्रय के लिये अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 15,00

र्वतीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों को नगर विकास योजना के अन्तर्गत पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों एवं सौन्दर्यीकरण योजनाओं हेतु अनुदान।

पर्वतीय क्षेत्र के नगरों की स्थानीय निकायों को सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण, पार्क एवं सौन्दर्यीकरण योजना हेतु अनुदान जाता है। वर्ष 1990-91 में उक्त योजना पर 10,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 ाय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

124--शहरी विकास--छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास--

06--मुख्य नगरों/स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु स्थानीय निकायों को सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

पर्वतीय क्षेत्र में सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों को अनुदान ।

पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न नगरों में सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इन नगरों में सुलभ शौचालयों के लिये, संबंधित स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान की धनराशि प्रोजेक्ट की लागत के आधार पर अवमुक्त की जाती है। वर्ष 1990-91 में उक्त योजना पर 10,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र

124--शहरी विकास--छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास--

05--स्थानीय निकायों को 10 शीटर शौचालयों के निर्माण हेतु सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,0

नगरपालिका, गोपेश्वर को गोपेश्वर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु अनुदान ।

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद चमोली मे गोपेश्वर नगर यातायात की दृष्टि से प्रमुख केन्द्र है किन्तु वहां पर बस स्टेशन न हो के कारण वहां के नागरिकों, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः गोपेश्व नगर में बस स्टेशन जिसमें प्रतीक्षागृह मूत्रालय/शौचालय तथा स्नानगृह आदि सुविधायें उपलब्ध होंगी, के निर्माण हेतु नगरपालिक गोपेश्वर (चमोली) को अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 5,85,000 रुपये का व्यय अनुमानि है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,85,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्ष णोपरान्त दी जायेगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

124--शहरी विकास छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों का एकीकृत विकास आयोजनागत--

05--गोपेश्वर जनपद चमोली में बस स्टेशन के निर्माण हेतु नगरपालिका, गोपेवर (चमोली) को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,8

विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन, नई दिल्ली के शिविर कार्यालय का सुदृढ़ीकरण ।

विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन, नई दिल्ली के कार्यालय में पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे क्रियाकलापों के व्यापक प्रचार/प्रस और पर्यटन प्रोत्साहन के सन्दर्भ में विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्र, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रतिनिधियों को पर्वतीय क्षेत्र में भ्रम कराये जाने हेतु एक मारुति जिप्सी कार क्रय किये जाने तथा वाहन के संचालन हेतु ड्राइवर का एक पद सृजित किये जाने व प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में 1,75,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,75,000 रुप की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्य
		रु0	
1	चालक	950-1500	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपये में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

173--सचिवालय आर्थिक सेवाएं--

01--सम्बद्ध कार्यालय नियोजन राज्य मुख्यालय--

01--वेतन	10
03--महंगाई भत्ता	5
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	5
21--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,40
22--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	10
योग ..	1,75

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून का संगणीकरण।

केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक सेवायोजन, कार्यालय, कानपुर, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर का संगणीकरण किया जा चुका है। सेवायोजन कार्यालयों के बढ़ते कार्यभार तथा कार्य में दक्षता लाने के उद्देश्य से संगणीकरण की योजना अनुमोदित की गयी है। पर्वतीय क्षेत्र में देहरादून सबसे बड़ा सेवायोजन कार्यालय है जहां लगभग 83 हजार अभ्यर्थी सेवायोजन सहायता के लिए पंजीकृत हैं। अतः इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून का संगणीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 60,000 रु0 आवर्तक तथा 4,40,000 रु0 अनावर्तक अर्थात् कुल 5,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक 1990-91 में 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु0	
1	असिस्टेन्ट मैनेजर सिस्टम	2200-4000	1
2	कन्सोल आपरेटर ..	2000-3500	1
3	डेटा इन्ट्री आपरेटर	1400-2300	1
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	1

(ख) साज सज्जा/उपस्कर तथा फर्नीचर—

क्रम संख्या	मद	संख्या	दर प्रति (रुपये)	कुल मूल्य (रुपये)
1	2	3	4	5
	(क) फर्नीचर—			
1	अधिकारी मेज	1	1000	1000
2	अधिकारी कुर्सी	1	500	500
3	आगन्तुक कुर्सियां	4	150	600
4	साइड रैक	1	600	600
5	अल्मारी छोटी (अधिकारी)	1	1500	1500
6	कर्मचारी मेज	2	600	1200
7	कर्मचारी कुर्सी	2	200	400
8	साइड रैक	2	600	1200
9	अल्मारी (कार्यालय हेतु)	1	2000	2000
10	स्टूल	1	100	100
	(ख) उपस्कर—			
11	हार्डवेयर/शफ्ट वेयर	1 यूनिट	2,50,000	2,50,000
12	एयर कन्डीशनर	1 सेट	25,000	25,000
13	वोल्टेज स्टेप्लाइजर	1 सेट	6,000	6,000
	लघु निर्माण कार्य—			
14	साइड प्रीपरेशन	1 केन्द्र	50,000	50,000
15	ट्रांसक्रिप्लन चार्जेज ..	1	1,00,000	1,00,000
			4,40,100	4,40,100

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

131--श्रम और रोजगार-रोजगार सेवा क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून का संगणीकरण--

01--वेतन	3
02--महंगाई भत्ता	1
04--यात्रा व्यय	
05--अन्य भत्ते	
06--कार्यालय व्यय	
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,4
योग ..	5,0

विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नये व्यवसायों का खोला जाना।

विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनि नयी डीजल मैकेनिक की 16-16 सीटें तथा दिनेशपुर में वायरमैन, इलेक्ट्रानिक्स की 16-16 तथा वेल्डर की 12 कुल 76 सी को खोलने का प्रस्ताव है। योजना पर केन्द्र का 50 प्रतिशत अंशदान है। इस योजना पर 25,00,000 रु0 अनावर्तक त 92,000 रु0 आवर्तक अर्थात् कुल 25,92,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 25,92,000 रु की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	व्यवसाय अनुदेशक	1400-2300	5
2	भण्डार परिचय	750-940	5

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों में विभाजन--

धनराशि
(हजार रुपये में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

132--श्रम और रोजगा-व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजनागत-केन्द्रीय आयोजनागत:केन्द्र-द्वारा पुरोनिधानित योजना-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण-नये व्यवसायों का खोला जाना--

01--वेतन	4
03--महंगाई भत्ता	2
05--अन्य भत्ते	1
15--छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	
20--मशीनें और साज सज्जा/उपकरण और संयंत्र	25,0
23--अन्य व्यय	2
योग ..	25,9

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	12,96	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-800-अन्य अनुदान--	50 प्रतिशत

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भूमि-सेना का गठन।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 1,75,260 लैन्ड होल्डिंग्स हैं जो सीमान्त कृषकों की श्रेणी में आते हैं जिनकी औसत ण्ड होल्डिंग्स 0,55 हेक्टेयर ही है जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भारी संख्या में ऐसे मार्जिनल कृषक है जनको अपने ही खेत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप वे सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते जो कार्य की तलाश में या तो शहर की ओर या अन्य प्रदेश में जहां मजदूरी के साधन सुलभ हो सकें, जाते हैं। ऐसे भूमि हीन या मार्जिनल कृषकों जिनके पास पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं को प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं में लगा कर नको यथासंभव उनके ही क्षेत्र में कार्य उपलब्ध कराना भूमि सेना के गठन का उद्देश्य है जिसके माध्यम से लोक महत्व के न्य स्थानीय कार्यों के अतिरिक्त समस्त भूमि संरक्षण कार्यो जिसमें समतलीकरण, पुष्टीकरण, वनीकरण, गधेरा एवं भस्खलन यंत्रण तथा वाटर हार्वेसींग कार्यों को कराकर मजदूरी उपलब्ध कराकर ऐसे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास या जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना का कार्यान्वियन प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किये गये मार्ग निर्देशों के अधीन कराया ायगा। चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में इस योजना को कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव जिसके लिये 3,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार प्रश्नगत योजना के लिये 1990-91 के आय व्ययक में 0,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

3--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र-	
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--	
140--भू और जल संरक्षण --उ० प्र० के पर्वतीय क्षेत्र में भू-सेना का गठन--	
14--सहायक अनुदान/राज सहायता	2,50,00
33--अन्य व्यय	50,00
योग ..	3,00,00

विश्व बैंक पोषित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत ए० बी० टी० एस० देहरादून का सुदृढ़ीकरण।

विश्व बैंक पोषित केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ए० बी० टी० एस० केन्द्र देहरादून में इण्डियन स्टैंडर्ड एवं ब्लू प्रिंट ...ग, मैकेनिक मेंटीनेन्स, इलेक्ट्रीटिकल मेंटीनेंस तथा इलेक्ट्रानिक्स मेंटीनेंस का प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है। योजना पर केन्द्र रकार का 50 प्रतिशत अंशदान है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 मे 12,50,000 रु० अनावर्तक तथा 2,10,000 रु० वर्तक अर्थात् कुल 14,60,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय व्ययक 1990-91 में 14,60,000 रु० की व्यवस्था र ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग-

संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	अनुदेशक	1400-2300	8
2	वरिष्ठ सहायक	1200-2040	1
3	कार्यालय परिचर	750-940	2
4	ड्राइवर	950-1500	1

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान।

पर्वतीय क्षेत्र के चार स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान तथा लगभग 20 पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष कतिपय पुस्कालय अनुदान पाने से वंचित रह जाते हैं। वर्ष 1990-91 में इस पर 1,30,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,30,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--
103-सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा--अन्य व्यय--
04--अन्य व्यय--
( ) सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक/अनावर्तक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1,30

मण्डलीय, जिला/जिला शाखा एवं ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास।

सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान केवल जिला स्तर पर तथा जिला शाखा स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास हुआ था आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह प्रस्तावित है कि वर्तमान में स्थापित राजकीय जिला /जिला शाखा पुस्तकालयों का विकास एवं विस्तार किया जाय तथा मंडलीय, शाखा तथा ग्रामीणस्तर पर पस्तकालयों की स्थापना की जाय। वर्ष 1990-91 में इस के लिये 4,65,000 रुपये के व्यय का अनुमान है। अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,65,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	2000-3200	2
2	कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	1400-2300	2
3	पुस्तकालय अनुचर	570-940	2

ख--साज सज्जा/भण्डार--

क्रम संख्या	मद	धनराशि
		रु०
	फर्नीचर/उपकरण	1,00

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत --
103--सामान्य शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा--
04--मण्डलीय, जिला/जिला शाखा एवं ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास--

01--वेतन	65
03--महगाई भत्ता	15
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	10
06--कार्यालय व्यय	65
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,00
33--अन्य व्यय	2,00
योग ..	4,65

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का संवर्धन।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 20 पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता, फर्नीचर क्रय एवं पुस्तक बन्धन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है क्योंकि कतिपय पुस्तकालय अनुदान पाने से वंचित रह जाते हैं। वर्ष 1990-91 में इस पर 95,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 95,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

103--सामान्य शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा--

02--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

(--) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का संवर्धन

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 95

पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान।

शासन से मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र जनपद देहरादून तथा नैनीताल में चल रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक केन्द्र को 5,000 रु० की धनराशि प्रतिवर्ष सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाती थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी प्रत्येक केन्द्र को 5,000 रु० की सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, वर्ष 1990-91 इस पर 10,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--

06--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

103--सामान्य शिक्षा--माध्यमिक शिक्षा--

04--अन्य व्यय ( ) पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान--

33--अन्य व्यय 10

पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू किया जाना।

जोतों की चकबन्दी भूमि सुधार कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होने के साथ-साथ कृषि योजना के लिये अनिवार्य कार्यक्रम इसके अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को एकजाई करने, चक मार्ग, संपर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, गूल सामान्य आबादी, हरिजन आबादी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित करने की कार्यवाही के साथ ही भू-राजस्व अभिलेख भी शुद्ध किये जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की अष्टम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। जिसके लिये एक जीप का तथा चालक के पद के सृजन का प्रस्ताव है। सम्पूर्ण योजना पर वर्ष 1990-91 में 4,81,000 रु० के व्यय अनुमान है। सार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,81,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
	जीप चालक	950-1500	1

(ख) साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे तथा गाड़ियों का क्रय—

मद	(हजार रुपयों
1—साज-सज्जा का क्रय	02
2—मोटर गाड़ियों का क्रय	175

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2551—पहाड़ी क्षेत्र (हजार रुपयों

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—153—भूमि सुधार—आयोजनागत—

—चकबन्दी कार्य-पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी योजना लागू किया जाना—

01—वेतन	
03—महंगाई भत्ता	
04—यात्रा व्यय	
05—अन्य भत्ते	
06—कार्यालय व्यय	
07—टेलीफोन पर व्यय	
11—किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व	
20—मशीनें और सज्जा/उपकर और संयंत्र	
21—मोटर गाड़ियों का क्रय	1
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	
योग ..	4

सहकारी जड़ी बूटी एवं भेषज विकास योजना।

पर्वतीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों के संग्रहण कार्य में लगभग 130 प्रारम्भिक कृषि ऋण दीर्घाकार बहुउद्दे सहकारी समितियां, 5 भेषज सहकारी विकास संघ लगे हुए हैं, जो कि इन जड़ी-बूटियों का संग्रहण करने के पश्चात् इसकी अ सीधे ड्रग फैक्ट्री रानीखेत को करते हैं। समितियों को जड़ी-बूटी संग्रहण कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में निम्नलिखित योजनाओं को चलाये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) कृषि ऋण दीर्घाकार 950 सहकारी समितियों को जड़ी-बूटी संग्रहण हेतु प्रबन्धकीय अनुदान:—

पर्वतीय क्षेत्र में पायी जाने वाली जड़ी-बूटियों के संग्रहण कार्य में संलग्न सहकारी कृषि ऋण समितियों को संग्रहित के वर्गीकरण, तौल, भंडारण, पैकिंग इत्यादि कार्य हेतु श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों को उनके कार्य के लिये म देने हेतु समितियों के पास पूंजी न होने के कारण इन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस कार्य की परि आने वाली कृषि ऋण समितियों को 5000 प्रति समिति की दर से 3 वार्षिक किश्तें प्रबन्धकीय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रों में कार्यरत दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को इस कार्य हेतु 10,000 प्रति समिति की द 3 वार्षिक किश्तें प्रबन्धकीय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार आठवीं योजनाकाल में इस हेतु कुल 27,35,00 एवं वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(2) कृषि ऋण/दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को जड़ी-बूटी संग्रहण हेतु अंशपूंजी:—

जड़ी-बूटियों के संग्रहण हेतु शासकीय अंशपूंजी के रूप में कृषि ऋण सहकारी समितियों को 10,000 रु० प्रति समिति व से 9 दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति को 25,000 रु० प्रति समिति की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजन में इस हेतु कुल 6,80,000 रु० व वर्ष (1990-91) में 2,00,000 रु० व्यय का अनुमान है।

(3) सहकारी भेषज संघों को वित्तीय सहायता:—

पर्वतीय क्षेत्र में गठित 5 भेषज सहकारी विकास संघ जड़ी-बूटी संग्रहण कार्य अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से करते इन संघों को अपने व्यवसाय में प्रगति लाने के लिये आठवीं योजनाकाल में निम्न मदों में वित्तीय सहायता दिलवाये जाने का प्रस्ताव है

(1) भेषज संघों को प्रबंधकीय अनुदान मु0 10,000 रु0 प्रति संघ की दर से तीन वार्षिक किस्तें।
(2) भेषज संघों को गोदाम किराया अनुदान 5,000 रु0 प्रति संघ की दर से।
(3) भेषज संघों को यातायात अनुदान 5,000 रु0 प्रति संघ की दर से।
(4) भेषज संघों के भवन निर्माण हेतु अनुदान।
(5) भेषज संघों को कृषिकरण हेतु अनुदान।
(6) भेषज संघों की शाखाओं को गोदाम किराया अनुदान 2,500 रु0 प्रति शाखा की दर से।
(7) भेषज संघों की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान 5,000 रु0 प्रति शाखा की दर से प्रथम तीन वर्षों तक
(8) भेषज संघों को भेषज व्यवसाय हेतु अंशपूंजी।

इस प्रकार उपरोक्त मदों में सहायता मिलने के फलस्वरूप इन संघों के व्यवसाय में अपेक्षित सुधार होगा। 8वीं यो काल में इस हेतु कुल 34,57,000 तथा वर्ष 1990-91 में 2,20,000 रु0 व्यय का अनुमान है।

तदनुसार प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 9,20,000 रु0 तथा 8वीं योजनावधि में कुल 68,72,00 व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के लिये 9,20,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2551--पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

151--सहकारिता--

10--भेषज विकास एवं जड़ी-बूटी योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 7,20

4551-पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--

60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

151-सहकारिता--

04-भेषज विकास एवं जड़ी-बूटी योजना 2,00

33--अन्य व्यय

योग 9,20

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत शिलिंग एवं गंगाई में पटवारी चौकी का निर्माण

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत शिलिंग एवं गंगाई में पटवारी चौकी न होने से कार्य सम्पादन में हो रही कठिनाई को दृष्टि में रखते हुए शिलिंग तथा गंगाई में क्रमश: 4,56,000 रु० एवं 3,66,000 रु० की अनुमानित लागत से पटवारी चौकी का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में उक्त कार्यों पर 3.27 एवं 2.20 लाख रु० अर्थात् कुल 5.47 लाख रु० का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 5,47,000 रु० की व्यवस्था करली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

203--लोक निर्माण कार्य--सामान्य

01--कार्यालय--

0110--राजस्व--

18--वृहत् निर्माण--जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत शिलिंग एवं गंगाई में पटवारी चौकी का निर्माण 5,47

(अनु० लागत 4.56 एव 3.66 लाख रु०)

काशीपुर कताई मिल का आधुनिकीकरण/विविधीकरण हेतु अंशपूंजी।

पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की काशीपुर कताई मिल इकाई वर्ष 1977-78 से लगातार चल रही है। इस इकाई के आधुनिकीकरण/विविधीकरण हेतु वर्ष 1988-89 में 95,00,000 रुपये अंशपूंजी की स्वीकृति दी गयी थी, जबकि निर्धारित फार्मूले के आधार पर पर्वतीय विकास विभाग का अंश 126.84 लाख रुपये होता है। अत:वर्ष 1990-91 में 31,84,000 रु० अंशपूंजी विनियोजन और प्रस्तावित है। तदनुसार 31,84,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग--ग्राम एवं लघु उद्योग

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

04--उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अंशों का क्रय--

24--निवेश/ऋण 31,84

जनपद उत्तरकाशी के नैताला एवं डुंडा, जनपद चमोली के पोखरी तथा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट एवं धारचुला में प्रस्तावित खाद्य गोदामों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने एवं प्रतिकर भुगतान।

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में खाद्य गोदामों के न होने से उचित मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नैताला एवं डुंडा, जनपद चमोली में पोखरी तथा जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट एवं धारचुला स्थानों में खाद्य गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है। उक्त खाद्य गोदामों हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध नहीं है और भूमि का क्रय किया जाना है। नैताला एवं डुंडा (जनपद उत्तरकाशी) पोखरी (जनपद चमोली) तथा गंगोलीहाट एवं धारचुला (जनपद पिथौरागढ़) में भूमि क्रय करने एवं प्रतिकर का भुगतान करने हेतु कुल 4.515 लाख रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990 91 के आय-व्ययक में 4,51,500 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
203--लोक निर्माण--सामान्य
01--भवन--
0109--खाद्य एवं रसद--
नैताला एवं डुंडा (जनपद उत्तरकाशी), पोखरी (चमोली) तथा गंगोलीहाट एवं धारचुला (पिथौरागढ़) में खाद्य गोदामों के निर्माण हेतु भूमि क्रय एवं प्रतिकर भुगतान।
18--वृहत् निर्माण कार्य-- . . . 4,51

जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी एवं पुरोडा तथा जनपद टिहरी के अन्तर्गत थ्यूड एवं जामणीखाल में नये खाद्य गोदामों का निर्माण।

पर्वतीय क्षेत्र की जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी एवं पुरोडा में क्रमशः 300, 300 मी0 टन तथा जनपद टिहरी के अन्तर्गत थ्यूड एवं जामणीखाल में क्रमशः 700, 1000 मी0 टन क्षमताओं के खाद्य गोदाम क्रमशः 12.62, 10.33, 16.81, तथा 24.86 लाख रुपयों की लागत से कराये जाने का प्रस्ताव है उक्त कार्यों हेतु वर्ष 1990–91 में क्रमशः 6.00, 5.00, 7.00, तथा 10.00 लाख रु0 अर्थात् कुल 28.00 लाख रु0 व्यय होना अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 28,00,000 रु0 धन की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
203--लोक निर्माण-कार्य--सामान्य
01--भवन--
0109--खाद्य एवं रसद--
जनपद देहरादून के अन्तर्गत त्यूनी एवं पुरोडा तथा जनपद टिहरी के अन्तर्गत थ्यूड एवं जामणीखाल में खाद्य गोदामों का निर्माण। (अनुमानित लागत 64.62 लाख रु0)
18--वृहत् निर्माण कार्य-- 28,00

एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटयर्स के उत्पादन की योजना।

इलेक्ट्रानिक उद्योगों में जो सब-मिनियेचर एवं मिनियेचर एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स अत्यधिक रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आयात किया जा रहा है। अतः इनके उत्पादन हेतु यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडियरी कम्पनी के रूप में 50.00 लाख रु0 को अंशपूंजी के रूप में लगाये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर वर्ष 1990-91 में 50,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 50,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4551--पहाडी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--
60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--
164--उद्योग--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--
(.)--सब-मिनियेचर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के उत्पादन की योजना में यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन का अंशपूंजी विनियोजन--
24--निवेश / ऋण .. 50,00

विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास के अन्तर्गत फारवर्डिंग एजेन्सी केन्द्र को स्थापन ।

पर्वतीय क्षेत्र के फल एवं सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि वे मंडियों के नुरूप नियंत्रित मात्रा में अपने फल / सब्जी वांछित मण्डियों में ग्रेड व पैक करके ही भेजें। वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों के औद्यानिक त्रों में ऐसे केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं जहां पर उत्पादक अपने उत्पादों को ग्रेडिंग व पैकिंग कर मांग के अनुरूप मण्डियों में भेजने से पूर्व डिंग तथा पैकिंग कर सकें। अतः उत्पादकों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने तथा बिचौलियों को विक्रय करने पर बाध्य होने से बचाने उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए दो प्रकार के फारवर्डिंग सेन्टर्स वर्ष 990-91 व 1991-92 में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के कार्यान्वियन हेतु आठवीं योजनाकाल में कुल 9,77,000 रु० के व्यय तथा वर्ष 1990-91 में 28,98,000 रु० व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 8,98,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

141--कृषि कार्य-- 04--उद्यान कर्म फलोपयोग

(--) विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत औद्यानिक विकास की योजनान्तर्गत फारवर्डिंग केन्द्रों की स्थापना--

19--लघु निर्माण 28,98

काठगोदाम में पर्यटक आवास गृह का विस्तार (कार पार्किंग) डायनिंग हाल तथा डारमेट्री का निर्माण।

पर्यटक आवास गृह, काठगोदाम में केवल 8 शैय्याएं उपलब्ध हैं। जो पर्यटकों के आवागमन सुविधा को देखते हुए अपर्याप्त है। इस असुविधा को दूर करने की दृष्टि से काठगोदाम पर्यटक आवास गृह परिसर में 12 शय्याओं की डारमेट्री, कार पार्किंग, शौचालयों की व्यवस्था, रेस्टोरेन्ट आदि का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस पर 5,63,000 रु० व्यय अनुमानित है। तदनुसार 5,63,000 रु० की व्यवस्था आय व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य

04--पर्वतीय क्षेत्र पर पर्यटक आवास गृहों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण कार्य 5,63

गरम पानी (खैरना) स्थान पर अतिरिक्त कार पार्किंग तथा डारमेट्री का निर्माण।

खैरना अल्मोड़ा, रानीखेत, कोसानी आदि विविध पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़क एवं नैनीताल व काठगोदाम से आने वाले मार्गों के संगम पर होने से इस क्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन अधिक रहता है। इसके अतिरिक्त खैरना दो नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण जल क्रीड़ा करने हेतु उपयुक्त स्थान है। खैरना में पर्यटन विकास की संभावना को दृष्टि में रखते हुए रेस्टोरेन्ट कम्पाउन्ड में कार पार्किंग, स्टाफ क्वार्टर्स एवं पर्यटक कक्षों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में 11,45,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय व्ययक वर्ष में 11,45,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य

04--पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक आवास गृहों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण 11,45

पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा।

पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों के निर्माण के उपरान्त पर्यटकों/यात्रियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित 32 पर्यटक आवास गृहों में जनरेटर सेट लगाये जाने, 33 पर्यटक आवास गृहों जल भण्डारण हेतु सेन्टेक्स टैंक, 7 पर्यटक आवास गृहों में 1 / 2 हार्स पावर के एक-एक वाटर पम्प लगाये जाने तथा कुमायूं मण्डल विकास निगम से नव निर्मित सात पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा कराये जाने का प्रस्ताव है। पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा पर आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 3,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है तथा वर्ष 1990-91 में 99,12,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 99,12,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

175--पर्यटन-सामान्य-पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा--

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 99,12

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु चार हरिजन छात्रावासों का निर्माण।

पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा सुलभ कराने के लिये जिला मुख्या लय/तहसील पर 50 छात्रों की क्षमता के एक-एक छात्रावास निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। छात्रावासों का निर्माण निर्धारि मानक लागतों के अनुसार कराया जायेगा। निर्माण कार्य के अतिरिक्त आन्तरिक स्थल विकास, दीमक रोधी उपचार, जल पू फिटिंग, मल निकासी फिटिंग विद्युतीकरण तथा पंखो की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जिसके फलस्वरूप प्रति छात्रावास प 12,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार से प्रस्तावित चार हरिजन छात्रावास निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय व 1990–91 में 48,00,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तदनुसार आय-व्यय में 48,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

(हजार रुपयों

4551––पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय––

60––अन्य पहाड़ी क्षेत्र

129––अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण––सामान्य

01––अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान––

0103––अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्रवास का निर्माण"

19––लघु निर्माण 48,0

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ के लिये पुस्तकालय भवन का निर्माण।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में पुस्तकालय भवन का निर्माण 14,07,600 रुपये की लागत पर कर जाने का प्रस्ताव है। निर्माण कार्य पर वित्तीय वर्ष 1990–91 में 7.00 लाख रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुस आय-व्ययक 1990-91 में 7,00,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के ब दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

4551––पहाड़ी क्षेत्रों में पूंजी परिव्यय--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

203--लोक निर्माण कार्य-सामान्य––01––भवन--

013--शिक्षा--

18--वृहत् निर्माण–राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ को पुस्तकालय भवन का निर्माण- (अनुमानित लागत 14,07,600 रु0) .. .. 7,(

कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की अंश पूंजी में विनियोजन।

पर्वतीय क्षेत्र में कुमायूं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल द्वारा नैनीताल में एक रोपवे का निर्माण कराया गया है जिस लिये निगम को इस कार्य हेतु शासन से 205.00 लाख रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया था जिसमें से वित्तीय वर्ष (1986-87 में 64.00 लाख रुपये ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में निगम की आर्थि स्थिति को दृष्टिगत करते हुये यह प्रस्तावित है कि अवशेष ऋण 141.00 लाख रुपये एवं उस पर दिनांक 31-3-89 त 7.5 प्रतिशत की दर से देय ब्याज 70.39 लाख रु0 में से 40 हजार रुपये, जो निगम द्वारा भुगतान किया जा चुका है, को कम कर हुए 69.99 लाख रुपये को मिलाकर कुल 210.99 (पूर्णांक में 211.00 लाख रुपये) की धनराशि को भी अंशपूंजी में परिवर्ति कर दी जाये। इस समय निगम की अधिकृत अंशपूंजी 10.00 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 6.00 करोड़ रुपये है। अत :उ अंशपूंजी अधिकृत एवं प्रदत्त अंशपूंजी के बीच उपलब्ध गैप में समायोजित कर ली जायेगी। कुमायूं मण्डल विकास निगम को उ 211.00 लाख की धनराशि नगद रूप से न देकर पुस्तक समायोजन के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। तदनुसार 2,11,00,000 रु की व्यवस्था वर्ष (1990-91) के लिए कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551––पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी व्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों मे

60––अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग––ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--उ0 प्र0 कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0 को सरकार का अंशदान

24--निवेश/ऋण 2,11,0

3--स्वीकृत ऋण को अंश पूंजी में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप ऋण की वापसी

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	
ऋण	2,11,00	6551	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये ऋण

जनपद देहरादून में मशरूम कम्पोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट का निर्माण।

जनपद देहरादून में मशरूम इकाई की स्थापना के लिये रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से एक कम्पोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट की स्थापना के लिये ग्राम समाज की दो बीघा भूमि ग्राम शंकरपुर (देहरादून) में उपलब्ध है। निर्माण कार्य के लिये उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 30,00,000 रु० के प्रारम्भिक आगणन तैयार किये गये हैं। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 1990-91 में 16,21,000 रु० की आवश्यकता है, जिसकी व्यवस्था 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

140--कृषि कार्य--

(..) जनपद देहरादून के मशरूम कम्पोस्ट पाश्चुराइजेशन प्लान्ट का निर्माण-- 16,21

18--वृहत् निर्माण कार्य .. ..

पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी चौकियों का निर्माण।

प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों में पटवारियों को राजस्व सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त पुलिस के भी कार्य करने पड़ते हैं। पटवारी चौकियों/पर्यवेक्षक कानूनगो चौकियों के अभाव में पटवारियों को अपना कार्य करने में कठिनाई होती है। अतः 70 पटवारियों चौकियों/पर्यवेक्षक कानूनगो चौकियां बनाये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में उक्त कार्य हेतु 1,00,00,000 रु० की आवश्यकता होगी। तदनुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों क अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

203--लोक निर्माण-कार्य--सामान्य

01--भवन--

0110--राजस्व--पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी चौकियों का निर्माण .. 1,00,00

पर्यटन काम्पलेक्स मंसूरी के लिए साज-सज्जा की व्यवस्था।

पर्यटन काम्पलेक्स मंसूरी का निर्माण कार्य 104.60 लाख रु० की लागत पर पूर्ण किया जा चुका है। इसके व्यावसायिक संचालन से पूर्व साज-सज्जा उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। इस पर्यटक आवास गृह की साज-सज्जा पर वर्ष 1990-91 में 28,54,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य--पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा 28,54

पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज-सज्जा।

पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों के निर्माण के उपरान्त पर्यटन/यात्रियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उनकी समुचित साज-सज्जा तथा अन्य आवश्यक सुविधायें जैसे पानी, बिजली आदि उपलब्ध करा दी जायें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों में 40,60,000 रु० की अनुमानित लागत से एयर कन्डीशनर, मनोरंजन उपकरण, फर्निशिंग, रसोई सम्बन्धी साज सज्जा (किचन इक्यूमेण्ट) आदि हेतु व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 40,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य--पर्वतीय क्षेत्र के पर्यटक आवास गृहों की साज सज्जा--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 40,60

श्री बद्रीनाथ धाम में 500 शैय्या के यात्री निवास का निर्माण।

श्री बद्रीनाथ धाम में दुर्बल आय वर्ग के यात्रियों/पर्यटकों के लिये अभी तक कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतएव श्री बद्रीनाथ धाम में 500 शैय्या के यात्री के निवास के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर कुल 434.00 लाख रु० तथा वर्ष 1990-91 में 50,00,000 रु० का व्यय किये जाने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 50,00 000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

175—पर्यटन-सामान्य —

08—श्री बद्रीनाथ में 500 शैय्या के यात्री निवास का निर्माण .. 50,00

पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल मण्डल के निजी उद्यमियों को पर्यटन उद्योग हेतु आकर्षित करने के लिये जलपान गृह एवं यात्री निवास का निर्माण।

गढ़वाल के निजी उद्यमियों को पर्यटन उद्योग की ओर आकर्षित करने हेतु जलपान गृह एवं यात्री निवास का निर्माण गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा कराकर निजी उद्यमियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 58,20 000 रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 58,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजारों रुपयों में)

4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी व्यय—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

175—पर्यटन-सामान्य-

07—गढ़वाल मण्डल के निजी उद्यमियों को पर्यटन उद्योग हेतु आकर्षित करने हेतु रेस्तरां एवं यात्री निवास का निर्माण 58,20

बिन्सर (अल्मोड़ा) पर्यटक आवास गृह में विद्युत व्यवस्था।

पर्यटक आवास गृह बिन्सर में विद्युत व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 7,35,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,35,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

4551—पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत—

175—पर्यटन-सामान्य—

08—पर्यटन आवास गृह बिन्सर की विद्युत व्यवस्था 7,35

राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण।

पर्वतीय क्षेत्र के सभी जनपदों में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित हैं। लेकिन अभी तक देहरादून में पुस्तकालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देहरादून के पुस्तकालय के लिये भी भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु 4,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है; अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,00,000 रु० की व्यवस्था कर दी गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

4551—पहाड़ी क्षेत्रों में पूंजी परिव्यय—

06—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

203—लोक निर्माण कार्य—सामान्य

01—भवन—

0103—शिक्षा—

18—बृहत् निर्माण 4,00

पर्वतीय क्षेत्र में टेन्ट कालोनी की व्यवस्था ।

पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले यात्रियों/पर्यटकों के आवागमन तथा उपलब्ध आवासीय व्यवस्था की कमी को दृष्टि में रखते त्कालिक व्यवस्था के तौर पर टेन्ट कालोनी लगाये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर कुल 50,64,000 रु0 होने का अनुमान है तथा वर्ष 1990-91 में 50,64,000 रु0 का व्यय प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 4,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

175--पर्यटन-सामान्य पर्वतीय क्षेत्र में टेन्ट कालोनी की व्यवस्था 50,64

वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की इकाई फ्लशडोर फैक्ट्री, कोटद्वार की सीजनिंग क्षमता बढ़ाने हेतु अंशपूंजी।

फ्लशडोर फैक्ट्री, कोटद्वार के दो सीजनिंग चेम्बर हैं जिनकी मासिक सीजनिंग क्षमता 14 घ0 मी0 हैं एवं इनसे एक में लगभग दो लोड ही निकाले जा सकते हैं जिससे एक माह में मात्र 28 घ0 मी0 लकड़ी ही सीजन्ड की जा सकती है जबकि इकाई क माह में कम से कम 70 घ0 मी0 सीजन्ड लकड़ी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उत्पादन के लिये आवश्यकतानुसार ड लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन में बाधा आती है। अतः इस इकाई में सीजनिंग प्लान्ट का विस्तार प्रस्तावित है जिसमें घ0 मी0 क्षमता के दो चेम्बर्स का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 19,50,000 रु0 के व्यय नुमान है, अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 19,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

164--उद्योग--ग्रामोद्योग और लघु उद्योग--

07--उ0 प्र0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 के अंशकों का क्रय--

24--निवेश/ऋण 19,50

पर्वतीय क्षेत्र में फास्ट फूड सेन्टर की स्थापना ।

पर्वतीय क्षेत्र के यात्रा मार्गों पर उचित भोजन एवं जलपान की व्यवस्था का अभाव है जिसके कारण यात्रियों/ पर्यटकों ड़ी असुविधा होती है। इस समस्या के समाधान हेतु फास्ट फूडसेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना पर 1990-91 ल धनराशि 34,80,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 34,80,000 रु0 व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य

पर्वतीय क्षेत्र में फास्ट फूड सेन्टर की स्थापना 34,80

ऋषिकेश में 200 शय्या के पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।

ऋषिकेश गढ़वाल मण्डल का प्रवेश द्वार है जहां से होकर श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री आदि तीर्थ स्थानों र यात्री/पर्यटक जाते हैं। इसलिये ऋषिकेश में आवास की अत्यन्त कठिनाई है। इस समस्या के कुछ हद तक निदान लिए ऋषिकेश में 200 शय्या के आवास गृह का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर कुल ,11,69,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है, जिसकी य-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4551--पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय-- (हजार रुपयों में)

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत--

175--पर्यटन--सामान्य

04--पर्यटक आवास गृहों का निर्माण--

18--वृहत् निर्माणकार्य 20,00

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की योजना ।

पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की वस्तुएं यथा—चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न इत्यादि सुलभ कराने के उद्देश्य वर्ष 1981 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य सहकारी समितियों को सौंपा गया है। वर्तमान में यह योजना क्षेत्र में चरणों में कार्य कर रही है। नगरीय, ग्रामीण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, योजना की और अधिक सार्थक बनाने आठवीं योजनाकाल में निम्नलिखित कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रस्तावित है:—

(1) केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को मूल्य उतार-चढ़ाव निधि हेतु अनुदान—

सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु जनोपयोगी वस्तुएं बाजार से क्रय की जाती है, लेकिन इसके साथ ही इन भण्डारों को खुले बाजार के साथ सामंजस्य बनाकर भी चलना होता क्योंकि बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिस कारण इन भण्डारों को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ स है। अत: भण्डारों को इस हानि से बचाने हेतु विगत वर्ष में सीधी खरीद के आधार पर किये गये व्यवसाय में 2 प्रतिश बराबर धनराशि इस हेतु सृजित निधि में जमा करने के लिए शासकीय अनुदान के रूप में दी जाती है, ताकि भण्डार द्वारा स्थिति में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति इस निधि को जा सके। आठवीं योजनाकाल में इस योजना के कार्यान्वय 8,67,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 1,72,000 रु0 के व्यय का अनुमान है।

(2) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों / लीड समितियों को यातायात अनुदान—

पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित समितियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में सहकारी उपभोक्ता भण् को अत्यधिक यातायात व्यय वहन करना पड़ता है, जिससे कि वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार उपलब्ध वस के मूल्यों में अन्तर को मैदानी क्षेत्र के बराबर करने एवं यातायात व्यय से होने वाली हानि से बचने हेतु, इन भण्डारों को द्वारा वर्ष में कुल क्रय किये गए मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर या अधिकतम 25,000 रु0 प्रति भण्डार की दर से यातायात अनु दिलाये जाने का प्रस्ताव है। 8वीं योजनाकाल में इस योजना के कार्यान्वयन पर 12,32,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 1,95,000 रु0 व्यय का अनुमान है।

(3) सहकारी ऋण / दीर्घाकार बहुउद्देशीय समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन—

पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य भी सहकारी समितियों को दिये जाने के फलस्वरूप ये समि बहुउद्देशीय समितियां हो गई हैं। ये सभी समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली / ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत उपभो वस्तुओं के वितरण कार्य में संलग्न हैं। इनमें से अधिकांश समितियों के पास अपने निजी गोदाम भी हैं। इस व्यवसाय चलाने के लिए इन समितियों को सीमान्त धन की आवश्यकता पड़ी है। इस हेतु समुचित ऋण के प्राविधान की व्यवस्था किये का प्रस्ताव है। 8वीं योजनाकाल में इस हेतु कुल 6,00,000 रु0 व वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान

(4) सहकारी ऋण / दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान—

पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति करने दौरान सहकारी समितियों को वस्तुओं की आपूर्ति करने के दौरान सहकारी समितियों को वस्तुओं के ढुलान पर अपेक्षाकृत अधि व्यय करना पड़ता है, क्योंकि रोड हेड से वस्तुओं को समिति के गोदाम तक, तत्पश्चात् गोदाम से बिक्री केन्द्र तक पहुंचाने एकमात्र माध्यम घोड़ा या खच्चर अथवा हैंड लोड ही है। इस प्रकार इतने माध्यमों से जब वस्तु बिक्री की अवस्था में आती तो उसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। चूंकि सहकारी समितियां स्थानीय निवासियों द्वारा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई है। अत: हानि पर रहने के बावजूद भी ये समितियां सामाजिक सेवा इस कार्य को चलाने हेतु बाध्य हैं। अत: इस हानि से समितियों को बचाने हेतु यातायात अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है 8वीं योजनाकाल में इस हेतु कुल 48,06,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 8,20,000 रु0 व्यय का अनुमान है।

(5) सहकारी ऋण / दीर्घाकार बहुउद्देशीय समितियों को सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत हानि पर अनुदान—

पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में राशन की वस्तुओं की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणा का कार्य सहकारी समितियों को सौंपा गया है। पर्वतीय क्षेत्र में समितियां सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित होने आने-जाने के कठिन मार्ग होने के कारण सामान घोड़ों इत्यादि पर ले जाना पड़ता है, जिससे सामान में छीज अधिक हो जाने के फलस्वरूप समितियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली अन्तर्गत वस्तुओं के व्यवसाय में मार्जिन बहुत कम होता है तथा खर्चा अधिक होता है, जिससे इस व्यवसाय के दौरान समिति को लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। अत: इन समितियों को इस हानि से बचाने हेतु 5,000 रु0 प्रति समिति की दर अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 8वीं योजनाकाल में कुल 35,65,000 रु0 वर्ष 1990-91 में 2,85,000 रु0 व्यय का अनुमान है।

उक्त प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष (1990-91) में 16,72,000 रु0 तथा 8वीं योजनाव में कुल 1,10,70,000 रु0 व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के लिये 16,72,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्यय में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

आठवीं योजना में तथा वर्ष 1990-91 में निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत है :—

विवरण	वर्ष 1990-91	प्रस्तावित लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना
उपभोक्ता व्यवसाय—		
1—नगरीय (लाख रु0)	1,000	7,000
2—ग्रामीण (लाख रु0)	1,500	10,500

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2551—पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
151—सहकारिता—	
04—सहकारी उपभोक्ता भण्डार की योजना—	
14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता ..	14,72
6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उधार—आयोजनागत—	
60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—	
151—सहकारिता—	
13—उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय हेतु प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को मार्जिन मनी ऋण—	
24—निवेश / ऋण	2,00
योग	16,72

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना।

सहकारी समितियों का कृषि एवं औद्योनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्बल आर्थिक स्थिति वाले इन उद्योगों में लगे समुदाय के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पूर्ण आत्म निर्भर एवं कृषि उद्योग में लगी जन संख्या की पूर्ण समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। अतः इस हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) नई जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का गठन—

पर्वतीय क्षेत्र की क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने हेतु आठवीं योजना अवधि में (वर्ष 1990-95) में 61 नई शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है। जिला सहकारी बैंकों का संगठनात्मक स्वरूप जिले तक सीमित रहने, नाबार्ड द्वारा केवल कृषि उत्पादन हेतु ऋण प्रदान करने के लिये चिन्हांकित होने व व्यावसायिक ऋण देने हेतु प्रतिबंधित होने तथा कृषि ऋण कम मार्जिन पर देने के लिये बाध्य होने की दशा में जिला सहकारी बैंकों की नई शाखा के लिए प्रबन्धकीय व्यय से होने वाली हानि की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रबन्धकीय अनुदान देने की नीति के अन्तर्गत आठवीं योजनाकाल में कुल 21,50,000 रु0 तथा 1990-91 में कुल 3,50,000 रु0 के व्यय का अनुमान है।

(2) जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का नवीनीकरण—

जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को कृषि ऋण हेतु निक्षेप एकत्र कर आंतरिक स्रोत जुटाने में अन्य वितीय बैंकों से कठिन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जमाकर्ताओं को आकृष्ट करने हेतु अन्य बैंको की भांति साज-सज्जा के लिये इनके पास धनाभाव है। अतः प्रादेशिक नीति से सहकारी बैंक शाखाओं के आधुनिकीकरण हेतु 15,000 रु0 प्रति शाखा का प्राविधान रखा गया, जिसमें 5,000 रु0 उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक ब्याज रहित ऋण के रूप में देगा तथा शेष 10,000 रु0 शासन द्वारा अनुदान स्वरूप वहन किया जायेगा। आठवीं योजनाकाल में कुल 58 शाखाओं के नवीनीकृत किए जाने का प्रस्ताव है जिस पर कुल व्यय 5,80,000 रु0 का व्यय अनुमानित है तथा वर्ष 1990-91 में 15 शाखाओं पर 1,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को समितियों के अंश-क्रय हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण/अनुदान—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु 40 रु0 से 100 रु0 तक अंश क्रय हेतु मध्यकालीन वित्तीय सहायता क्रमशः 50 रु0 ब्याज रहित ऋण एवं 50 रु0 अनुदान के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ताकि निर्बल वर्ग के कृषक सहकारी कृषि ऋण समिति के अंश क्रय कर सकें व समिति से उत्पादन ऋण लेकर उपज बढ़ा सकें। इस योजना के अन्तर्गत 8वीं योजना अवधि में कुल 13,20,000 रु0 अनुदान एवं ऋण दिया जाना प्रस्तावित है तदनुसार 1990-91 में कुल 1,30,000 रु0 अनुदान एवं 1,30,000 रु0 ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है।

(4) उपभोग ऋण वितरण पर रिस्क फण्ड हेतु अनुदान—

ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग के कृषक मजदूर जिनके पास 1/2 एकड़ तक भूमि है या बिल्कुल भूमि नहीं है, को उनके आवश्यक सामाजिक दायित्वों के समुचित निर्वाह हेतु कुल वितरित कृषि ऋण के 5 प्रतिशत सीमा तक उपभोग ऋण की व्यवस्था की गई है। इस ऋण में बढ़ी हुई जोखिम के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा विरामन कमेटी की अनुशंसा, जिसे शासन एवं रिजर्व बैंक पूर्व में ही स्वीकार कर चुके हैं, के आधार पर कुल वितरित उपभोग ऋण पर 10 प्रतिशत अनुदान जिलास्तर पर सृजित रिस्क फण्ड में दिये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार एवं भारत सरकार इस व्यय में समता के आधार पर योगदान करेगी अर्थात् 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना पर कुल वितरित होने वाले उपभोग ऋण के 10 प्रतिशत के आधार पर आठवीं योजनाकाल में 8,11,000 रु० वर्ष 1990–91 में 80,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(5) असाध्य ऋण के राइट आफ करने के लिये अनुदान—

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंक मुख्यालय कृषि उत्पादन वृद्धि के लिये ऋण वितरण करते हैं। नाबार्ड की नीति में ऐसे ऋण प्रदान किये जाने हेतु बहुत उदार नियम है। इन समितियों द्वारा वितरित कृषि ऋण की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कर पाना अत्यन्त कठिन है, जो कि परिस्थितिजन्य है। ऋण की अवरुद्ध राशि के बढ़ने से समितियों/बैंकों के आर्थिक स्रोत भी अवरुद्ध होते हैं व उत्पादन वृद्धि हेतु सीमा आहरण में बाधक बनकर कृषि उत्पादन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। गम्भीर समस्या समाधान के लिये वर्ष 1976–77 में समितियों के 3 वर्ष से अधिक की ऐसे बकाया ऋणों, जिसकी वसूली हर सम्भव प्रयास के बाद भी नहीं हो पाई, के सत्यापन तथा सत्यापन के बाद वसूल न हो पाने वाली राशियों के चिन्हांकन के बाद इन्हें राइट आफ करने की नीति बनाई गई है। राइट आफ प्रक्रिया में समितियों की क्षतिपूर्ति हेतु राइट आफ होने वाली बकाया राशि का 5 प्रतिशत संबंधित समिति द्वारा, अवशेष का 20 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक, अवशेष का 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा तथा अवशेष भाग शासन द्वारा अनुदान देकर वहन किया जायेगा। इस प्रक्रिया को केवल एक नैतिक कार्यवाही के रूप में नहीं लिया जाता है, बल्कि इसके अधीन केवल ऐसी राशियां ही ली जाती हैं, जो कि भरसक प्रयासों के बाद भी किसी प्रकार वसूल नहीं हो पाती हैं तथा राइट आफ से पूर्व कठोर मापदण्ड अपना लिए जाते हैं। इस योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल 1,14,22,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 23,07,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(6) सचिवों के कैडर फण्ड हेतु अनुदान—

पुनर्गठित न्याय पंचायत स्तरीय सहकारी ऋण समितियों की संख्या 736 है, जिन पर पूर्णकालिक प्रशिक्षित सचिवों की व्यवस्था वर्ष 1976–77 में की जा चुकी है। पूर्णकालिक सचिवों के व्यय भार हेतु समितियों द्वारा वितरित कुल ऋण का 1.5 प्रतिशत अंशदान, जिसकी अधिकतम सीमा 18,000 रु० है, कैडर फण्ड में लिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों यथा-अनार्थिक एवं छोटी जोतें, एक फसली खेती का चक्र, सिंचित साधनों की कमी, पिछड़ापन आदि के कारण इन समितियों की लाभार्जन क्षमता अत्यन्त न्यून होने से कैडर फण्ड में सामान्यतः निर्धारित सीमा तक अंशदान उपलब्ध न होने की दशा में प्रतिकर्ष से हानि हो रही है। इस प्रकार इन समितियों के सचिवों पर होने वाले वास्तविक व्यय में कमी की पूर्ति निरन्तर एक समस्या बनी हुई है, जिस हेतु शासन से शत-प्रतिशत अनुदान आठवीं योजना काल में प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके फलस्वरूप आठवीं योजनाकाल में कुल 2,56,47,000 रु० का व्यय एवं वर्ष 1990–91 हेतु 30,63,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(7) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान—

पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि ऋण समितियां मुख्य रूप से ऋण वितरण एवं उपभोक्ता व्यवसाय ही कर रही हैं। असिंचित व एक फसली होने से कृषि ऋण वितरण कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तथा कुल वितरित ऋण का एक थोड़ा भाग ही समय पर वसूल हो पाता है। दूसरी ओर समितियों पर बैंक का ऋण एवं ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने से समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। समिति के व्यवसाय को चलाने हेतु न्यूनतम कर्मचारी/ विक्रेताओं आदि के वेतन इत्यादि पर होने वाले व्यय इत्यादि के परिणामस्वरूप समितियां स्वावलम्बी होने के बजाय हानिग्रस्त होती जा रही हैं। अतः हानियों की प्रतिपूर्ति अनुदान देकर करने का प्रस्ताव इस हेतु आठवीं योजनाकाल में कुल 21,49,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में कुल 4,73,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(8) प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु अनुदान—

पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां पर कि जिला सहकारी बैंक की शाखाएं नहीं हैं और जहां पर अन्य कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, में मिनी बैंक खोलकर उन्हें आवश्यक सुविधाए उनके निकट ही उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। चूंकि इन समितियों में बैंकिंग सुविधाएं चलाये जाने का कार्यक्रम नया है और इन समितियों का व्यवसाय मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम है; जिससे इनकी प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है अतः इन समितियों को आर्थिक इकाई के रूप में विकसित होने में 3 वर्ष का समय लगेगा इस प्रकार एक समिति को प्रथम वर्ष में 5,000 रु० प्रति समिति साज-सज्जा अनुदान तथा 3 वर्षों तक 5,000 रु० प्रति समिति की दर से प्रबन्धकीय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सम्पूर्ण योजनाकाल में कुल 153 मिनी बैंकों के खोले जाने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 25,20,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 4,50,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(9) जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं के भवन निर्माण हेतु ऋण/अनुदान—

पर्वतीय अंचल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के लिये उपयुक्त भवनों का पूर्णतया अभाव है। बहुत अधिक किराये पर भी बैंक शाखा के लिये भवन नहीं मिलते। कृषकों की सुविधा व अपने धन की सुरक्षा हेतु जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं हेतु अपने भवन निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु सीमित साधनों से शाखा भवन निर्माण व्यय भार वहन करने में जिला सहकारी बैंक अक्षम नहीं हैं। जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के भवन भंडारण के लिये नहीं होंगे और एन०सी० डी०सी० योजना

न भंडारण के लिये भवन निर्माण का प्राविधान होने से बैंकों की शाखाओं हेतु एन0सी0डी0सी0 से कर्जा नहीं मिल पाएगा। तः जिला सहकारी बैंकों की शाखाओं के लिये भवन निर्माण हेतु बैंक को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान की वित्तीय सहायता लाये जाने का प्रस्ताव है। आठवीं योजनावधि में कुल 23,74,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 8,50,000 रु0 का व्यय अनुमानित है।

0) नगरीय सहकारी बैंकों का गठन--

सातवीं योजनाकाल में दो नगरीय बैंक क्रमशः देहरादून व नैनीताल में स्थापित किये जा चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र के य जिलों में भी नगरीय बैंक खोले जाने का प्रस्ताव आठवीं योजना में है, ताकि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लघु उद्यमियों को भी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त हो सके, जो कि कृषि कार्य से भिन्न होगी। चूंकि इन बैंकों को कार्य प्रारम्भ करने में बड़ी तस्पर्धा करनी होगी और प्रारम्भ में आर्थिक लाभ भी कम होगा। अतः इन बैंकों को प्रथम वर्ष में 40,000 रु0 साज-सज्जा ऋण तथा 3 वर्षीय किस्तों में प्रबन्धकीय अनुदान क्रमशः 20,000 रु0, 10,000 रु0 व 5,000 रु0 की देय होगी। आठवीं जनकाल में 2 बैंकों हेतु कुल 1,50,000 रु0 तथा वर्ष 1990-91 में 80,000 रु0 व्यय का अनुमान है।

2--उपर्युक्त योजनान्तर्गत आठवीं योजना में तथा वर्ष 1990-91 हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है:--

विवरण	इकाई	वर्ष 1990-91	प्रस्तावित लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना
1--सदस्यता वृद्धि	संख्या	25,000	1,25,000
2--समितियों में अंशधन वृद्धि (लाख रु0)		100	500
(अ) अल्पकालीन ऋण ,, ...		2,400	14,000
(ब) मध्यकालीन ,, ,, ...		1,060	5,900
(स) दीर्घकालीन ,, ,, ...		150	865

योजना पर वर्ष 1990-91 में 80,61,000 रु0 तथा 8वीं योजनावधि में कुल 4,77,23,000 रु0 व्यय का अनुमान है। नुसार वर्ष 1990-91 के लिये 80,63,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2551-पहाड़ी क्षेत्र--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

151--सहकारिता--

02--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 73,38

01-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

12--अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,30

योग, 2251 74,68

6551-पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार--आयोजनागत--

60--अन्य पहाड़ी क्षेत्र--

151-सहकारिता--

(..) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों की शाखाओं के भवन निर्माण हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण-- 4,25

151--सहकारिता--

03-सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत सहकारी नगरीय बैंकों को साज-सज्जा हेतु ऋण--

24--निवेश/ऋण 40

08--अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को ब्याज रहित ऋण--

24--निवेश/ऋण 1,30

योग, 6551 5,95

कुल योग .. 80,63

सहकारी क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना।

कृषि उत्पादकों की उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का मुख्य उद्देश्य निर्बल वर्ग के कृषकों को विशेष रूप से उनके निकटतम स्थानों पर कृषि उपजों के क्रय की व्यवस्था कर सुविधा पहुंचाना है। कृषि उपजों के उचित मूल्य दिलाने के अतिरिक्त कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि निवेशों जैसे उर्वरक, बीज आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण करना इत्यादि कार्यक्रमों में इस योजना के आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों के अनुसार ग्रामीण अंचल के दूरस्थ क्षेत्र तक क्रय केन्द्र खोलकर कृषकों को माल ले जाने के व्यय एवं समय को बचाने तथा उनको बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर कृषकों को सहायता पहुंचाना भी योजना का मूल उद्देश्य है। आठवीं योजनावधि में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है-

(1) सहकारी ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त ऋण:—पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक का व्यवसाय मुख्य रूप से सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाता है। यहां पर ऊंची नीची भूमि छोटी-छोटी एवं अनार्थिक जोतें तथा अपर्याप्त सिंचाई के साधनों के कारण कृषि उत्पादन बहुत ही कम है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु यहां पर उर्वरक की खपत बढ़ाई जा रही है। सहकारी समितियां पर्वतीय क्षेत्र के सुदूरवर्ती अंचलों तक फैली हुई हैं और वे समितियां क्षेत्रीय निवासियों को वहीं से उर्वरक की आपूर्ति करती हैं। उर्वरक व्यवसाय के प्रचार-प्रसार और आपूर्ति में भूमिका निभाने वाली इन समितियों की आर्थिक स्थितिकमजोर होने के कारण उर्वरक व्यवसाय में गतिशीलता नहीं आ पा रही है। अतः इन समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु 15,000 रु० प्रति समिति की दर से सीमान्त ऋण उपलब्ध कराया जाय, ताकि इस ऋण में अपनी बैंक की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर सकें। आठवीं योजनावधि में कुल 18,15,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 5,30,000 रु० का व्यय अनुमानित है।

(2) सहकारी विकास संघों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन:—सहकारी विकास संघों द्वारा अपनी सदस्य समितियों एवं कृषकों को उर्वरक की सीधी आपूर्ति की जाती है। इस कार्य हेतु संघों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिस हेतु संघों को इस व्यवसाय के लिये कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि ये संघ ऋण मिल जाने पर जिला सहकारी बैंक में अपनी कैश क्रेडिट सीमा बढ़ाकर व्यवसाय में वृद्धि कर सकें। आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में इस योजना पर कुल 1,85,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 60,000 रु० व्यय का अनुमान है।

(3) क्रय-विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धन:—पर्वतीय क्षेत्रों की क्रय-विक्रय समितियों द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय के अतिरिक्त धान व अन्य खाद्यान्नों का क्रय किया जाता है। इस कार्य हेतु इन समितियों को कार्यशील पूंजी 10,000 रु० प्रति समिति की दर से सीमान्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत आठवीं योजनाकाल में 4,10,000 रु० व वर्ष 1990–91 में 60,000 रु० व्यय का अनुमान है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 8वीं योजनावधि में कुल 24,10,000 रु० तथा वर्ष 1990–91 में 6,50,000 रु० व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के लिये 6,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार-आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

151—सहकारिता—(–) सहकारी-क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना के अन्तर्गत सहकारी कृषि ऋण समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धनराशि—

24—निवेश/ऋण 5,30

6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार-आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

151—सहकारिता—(–) सहकारी क्रय-विक्रय एवं भण्डारण योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी संघों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धनराशि ऋण—

24— निवेश/ऋण 60

6551—पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार—आयोजनागत—

60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र—

151—सहकारिता—

(18) सहकारी क्रय-विक्रय एवं भंडारण योजना के अन्तर्गत विक्रय समितियों को खाद्यान्न व्यवसाय हेतु सीमान्त धनराशि ऋण—

24—निवेश/ ऋण 60

योग .. 6,50

मत्स्य उत्पादन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इटावा जनपद में मत्स्य प्रक्षेत्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	26,00	..	..	26,00	2405—मीन उद्योग	277 प
2	नई हैचरियों की स्थापना एवं वर्तमान हैचरियों/प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण	7,00	..	..	7,00	तदैव	277 प
3	ऊसर, जलप्लावित एवं अनुपयोगी भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग	25,26	..	..	25,26	तदैव	277 प
4	जनपद जौनपुर में स्थित गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र के सुधार एवं जल आपूर्ति व्यवस्था	11,02	..	..	11,02	तदैव	278 प
5	हैचरियों का सुधार एवं आधुनिकीकरण	38,00	..	..	38,00	तदैव	278 प
6	सुरहा ताल, बलिया जनपद में मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र निधरिया का सुधार	15,50	..	..	15,50	तदैव	278 प
	योग	1,22,78	..	..	1,22,78		

इटावा जनपद में मत्स्य प्रक्षेत्र एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

मत्स्य बीज उत्पादन / मत्स्य व्यवसाय के पेशे में लगे लोगों को प्रशिक्षित तथा मत्स्य बीज उत्पादन के अतिरिक्त मत्स्य प्रक्षेत्र पर जनपद के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इटावा जनपद की विधूना तहसील के विकास खण्ड रेगूवा कटना में ग्राम समाज की 4-5 हेक्टेयर की जलप्लावित भूमि को तालाबों में परिणित कर निर्माण कराने तथा एक प्रशिक्षण भवन, प्रयोगशाला, छात्रावास (हास्टल) आदि का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 26,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 26,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2405--मीन उद्योग--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता--

03--जिला इटावा जनपद के मत्स्य प्रक्षेत्र / प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 26,00

नई हैचरियों की स्थापना एवं वर्तमान हैचरियों/प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण

मत्स्य बीज की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए चार मत्स्य प्रक्षेत्रों नवाबगंज (उन्नाव), फरीदपुर (बरेली), गूजरताल (जौनपुर) तथा गुरसराय (झांसी) में चाइना टाइप सरकुलर हैचरी लगाये जाने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र में मत्स्य पालकों को निरन्तर मत्स्य बीज की मांग की पूर्ति हेतु योजना के क्रियान्वयन से मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन का वर्तमान 44 लाख का स्तर बढ़कर 100 लाख तक हो जायेगा। प्रति सरकुलर हैचरी की मत्स्य प्रक्षेत्रों पर स्थापना की लागत 1,75,000 रु० अनुमानित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस योजना पर कुल 1,50,00,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 में उक्त चार हैचरियों की स्थापना पर 7,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2405--मीन उद्योग--आयोजनागत--

101----अन्तर्देशीय मीन उद्योग- (हजार रुपयों में)

01-नई हैचरियों की स्थापना एवं वर्तमान हैचरियों / प्रक्षेत्रों के आधुनिकीकरण की योजना--

33--अन्य व्यय 7,00

ऊसर, जलप्लावित एवं अनुपयोगी भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ऊसर, जलप्लावित एवं उथली अनुपयोगी भूमि के सदुपयोग की दृष्टि से एस स्थला पर लगभग आधे हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाबों का निर्माण कराकर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े स्थानीय लोगों को आवंटित किये जाने हेतु 20 तालाबों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। प्रति तालाब निर्माण कार्य आदि की अनुमानित लागत 1.20 लाख रु० होगी। इसके अलावा ऐसे 20 तालाबों पर 2-2 ट्यूबवेल भी लगाये जायेंगे जिनकी अनुमानित लागत 1.26 लाख रुपये होगी। योजनान्तर्गत निर्मित तालाबों का आवंटन करके उन्हें पट्टाधारकों के रूप में प्रथम वर्ष में इनपुट्स हेतु 2,000 रु० से 2,550 रु० तक का ऋण सहायता तथा 25 प्रतिशत अनुदान सहायता क्रमशः संस्थागत वित्त तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। दूसरे वर्ष से प्रत्येक तालाब से मत्स्य उत्पादन प्रारम्भ होने के साथ-साथ मत्स्य पालक को लगभग 7,500 रु० से 10,000 रु० तक की वार्षिक आय प्राप्त होने लगेगी। यह योजना वर्ष 1990-91 में जनपद बुलन्दशहर में चलाई जायेगी। इस योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में कुल 1,60,00,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 25,26,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25,26,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2405--मीन उद्योग-आयोजनागत---- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

09--ऊसर, जलप्लावित एवं अनुपयोगी भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग किये जाने की योजना

33--अन्य व्यय 25,26

जनपद जौनपुर में स्थित गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र के सुधार एवं जल आपूर्ति व्यवस्था

राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र गूजरताल (जौनपुर) प्रक्षेत्र में बढ़ती हुई मत्स्य बीज की आपूर्ति एवं अनवरत वर्षा तथा यदाकदा बाढ़ के कटाव के कारण प्रक्षेत्र का क्षतिग्रस्त उत्तरी एवं कुछ दक्षिणी भाग को ठीक करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सूखे एवं पानी के अभाव में प्रौढ़ मछलियों क रख-रखाव में असुविधा होती है। अतएव पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु 5 हार्स पावर के दो बिजली के पम्पसेट लगवाने की परम आवश्यकता है। इसी प्रकार आगामी प्रजनन काल से पूर्व इस प्रक्षेत्र की विधिवत् मरम्मत एवं सुधर किया जाना अति आवश्यक है जिनसे कि मत्स्य प्रक्षेत्र की उत्पादन क्षमता वर्तमान में जो कि 45.0 लाख मत्स्य बीज उत्पादन की है, सुधारोपरान्त 100 लाख मत्स्य बीज उत्पादन की हो सकेगी। प्रक्षेत्र के सुधार एवं पानी की सुचारु व्यवस्था हेतु कुल 11,02,000 रु0 की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2405--मीनउद्योग--आयोजनागत--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों की सहायता--

04--जनपद जौनपुर में स्थित गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र में सुधार एवं जल आपूर्ति व्यवस्था हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 11,02

हैचरियों का सुधार एवं आधुनिकीकरण

मत्स्य बीज उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़े आकार की हैचरियों का निर्माण कराया गया था। शारदा हैचरी, सीतापुर, सरयू हैचरी, फैजाबाद राप्ती हैचरी, बस्ती, अमेठी हैचरी, सुल्तानपुर, त्रिवेणी हैचरी, इलाहाबाद की हैचरियों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत नये प्रकार के हैचिंग पूल, पी0बी0सी0पाइप लाइन की व्यवस्था आदि कार्य कराये जाने के लिए 14.50 लाख रु0 की आवश्यकता है। मथुरा जनपद में स्थापित यमुना हैचरी के आधुनिकीकरण एवं रिमाडलिंग हेतु 16.50 लाख रु0 की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत निर्मित चार हैचरि क्रमश: गोमती (लखनऊ), त्रिवेणी (इलाहाबाद), अमेठी (सुल्तानपुर), सरयू हैचरी (फैजाबाद) में कम्प्रेशर और स्प्रिंकल सिस्टम लगाने हेतु 7.00 लाख रु0 की आवश्यकता है। इस प्रकार हैचरियों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय व 1990-91 के आय-व्ययक में 38,00,000 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2405--मीन उद्योग-आयोजनागत--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और अन्य उपक्रमों को सहायता-- (हजार रुपयों में)

05--हैचरियों का सुधार एवं आधुनिकरण हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरण को अनुदान - (जिला योजना)

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 38,0(

सुरहा ताल, बलिया जनपद में मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र निधरिया का सुधार

सुरहाताल जनपद बलिया मुख्यालय से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल के निकट लगभग 45 हज व्यक्ति निवास करते हैं जिसमें से लगभग 8 हजार मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की रोजी रोटी इसी ताल पर निर्भर है। ताल का लग 80 प्रतिशत क्षेत्रफल निजी स्वामित्व के अन्तर्गत है तथा शेष 20 प्रतिशत विभिन्न ग्राम सभाओं में निहित हैं। वर्तमान समय सुरहाताल से बहुत कम मछली प्राप्त होती है। फलस्वरूप प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 2 से 3 किलो मछली प्राप्त हो पाती है। सुरहाताल को विकसित करने की संभावनाओं की दृष्टि से भारत सरकार से एक उ स्तरीय टीम ने मौके पर स्थिति की जांच करते हुये यह सुझाव दिया कि उक्त झील को तुरन्त विकसित किया जाय। इ विकास पर 15,50,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 15,50,000 रु0 व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2405--मीन उद्योग-आयोजनागत--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों की सहायता--

06--सुरहा ताल, बलिया जनपद में मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र निधरिया के सुधार हेतु मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की सहायता (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 15,5

पंचायती राज विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय: पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	3,42	..	..	3,42	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	281 प
2	पंचायत उद्योगों के लिये कर्मशाला भवनों का निर्माण (जिला योजना)	1,80	..	..	1,80	तदैव	281 प
3	पंचायत उद्योग प्रबन्धकों का प्रशिक्षण	92	..	..	92	तदैव	281 प
4	ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों का निर्माण	7,20	..	..	7,20	तदैव	282 प
5	ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खन्ड़जा तथा नालियों का निर्माण	3,24	..	..	3,24	तदैव	282 प
6	ग्राम सभाओं को अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन के लिये अनुदान	6,48	..	..	6,48	तदैव	282 प
7	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का प्रशिक्षण	66	..	..	66	तदैव	283 प
8	पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	6,00	..	..	6,00	तदैव	283 प
9	ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आवास भवनों का निर्माण	..	3,06	..	3,06	4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	283 प
10	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण	..	26,39,03	..	26,39,03	तदैव	283 प
	योग ..	29,72	26,42,09	..	26,71,81		

ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत नव नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियो का 6 माह का प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण सेवाकाल में केवल एक बार दिया जायेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि की इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी चालू रखना प्रस्तावित है। प्रशिक्षार्थियों के योजना व्यय, यात्रा व्यय, अध्ययन, भ्रमण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रासंगिक व्यय आदि पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990--95) में कुल 28,80,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 3,42,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय व्ययक में 3,42,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-- आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज--

07--पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण--

04--यात्रा-व्यय	36
06--कार्यालय व्यय	2,88
33--अन्य व्यय	18
योग ..	3,42

पंचायत उद्योगों के लिये कर्मशाला भवनों का निर्माण (जिला योजना)

अधिकांश पंचायत उद्योगों के पास उत्पादन केन्द्र शोरूम उपलब्ध नहीं है, अत: इन उद्योगों के लिये कार्यशाला भवनों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। इन भवनों में कृषि उपकरणों की मरम्मत के लिए सेवा केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त ग्रामीण कारीगरों को उचित प्रशिक्षण देने के साथ ही कार्यशाला में उत्पादित कृषि उपकरणों को लघु तथा सीमान्त कृषकों, अनुसूचित जाति, निर्बल वर्ग एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को किस्तों में उपलब्ध कराया जायेगा। यह योजना पूर्व वर्षों से चलती चली आ रही है तथा इसे अब आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में योजना पर 1,80,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,80,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-- आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

04--पंचायत उद्योगों के लिये कार्यशाला भवनों का निर्माण (जिला योजना)

19--लघु निर्माण कार्य 1,80

पंचायत उद्योग प्रबन्धकों का प्रशिक्षण

नित्य प्रति बदलते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी परिवेश के अनुरूप पंचायत उद्योगों के व्यवस्थापकों को नई-नई विधियों और स्थितियों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। योजना के अन्तर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिसमें 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में उद्योग व्यवस्थापकों को 30 रुपये प्रति दिन के दर से स्टाइपेन्ड दिया जायेगा तथा पर्यवेक्षकों को 150 रुपये प्रति दिन लेक्चर की दर से मानदेय दिया जायेगा। यह योजना पूर्व वर्षों से चल रही है तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में भी चलाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में व्यय की जाने वाली धनराशि से 120 पंचायत प्रबन्धकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 92,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 92,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज--

11--पंचायत उद्योगों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 92

ग्राम सभाओं में पंचायत भवनों का निर्माण।

पंचायत भवनों का निर्माण, ग्रामीणों के सामाजिक कार्यकलापों, ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों के ठहरने, ग्राम सभा में पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास कार्यों के संबंध में गोष्ठी आदि आयोजित करने के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाले राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के लिये भी पंचायत भवनों में स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे ग्राम सभाओं के आय के स्रोत खुल सकें। यह योजना पूर्व वर्षों से चल रही है तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में एक पंचायत भवन का निर्माण 80,000 रुपये की लागत से किया जायेगा जिसमें 90 प्रतिशत अर्थात् 72,000 रुपये का अधिकतम शासकीय अनुदान दिया जायेगा तथा शेष 10 प्रतिशत जो कम से कम 8,000 रुपये होगी, की धनराशि ग्राम सभाओं द्वारा अपने संसाधनों से वहन की जायेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वर्ष 1990--95) में कुल 1685.92 लाख रुपये तथा वर्ष 1990-91 में 7,20,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,20,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम---आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज--

15--पंचायत भवनों क निर्माण के लिये अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 7,20

ग्रामीण आबादी क्षेत्र में खड़ंजा तथा नालियों का निर्माण।

वर्षा ऋतु में प्राय: अधिकांश ग्रामों के रास्तों की स्थिति अत्यन्त सोचनीय हो जाती है। कच्चे मार्गों में कीचड़ तथा जल भराव के कारण अनेक बीमारियों की आशंका रहती है। अत: ग्रामों के रास्तों पर खड़ंजा लगाने तथा नाली निर्माण का कार्य अत्यावश्यक है। चूंकि ग्राम सभा इस कार्य को पूर्ण तथा अपने संसाधनों से कराने की स्थिति में नहीं होती, अत: ग्राम सभाओं को इस प्रयोजनार्थ सहायक अनुदान पूर्व वर्षों में दिया जाता रहा है। योजना की उपयोगिता देखते हुए इसे आठवीं पंचवर्षीय आयोजनावधि में भी चलाने का प्रस्ताव है। अनुदान केवल उन्हीं ग्राम सभाओं को दिया जायेगा जो कम से कम 10 प्रतिशत अर्थात् 6,000 रुपये अपने संसाधनों से लगाने के लिये तैयार हो। शासन द्वारा अधिकतम 54,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत एक ग्राम सभा में 60,000 रुपये का कार्य कराया जायेगा। वर्ष 1990-91 में 3,24,000 रुपये से 6 ग्राम सभाओं में खड़ंजा तथा नाली निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,24,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज-

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0201--ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये खड़ंजा तथा भूमिगत नालियों के निर्माण हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,2

ग्राम सभाओं को अपनी आय में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन के लिए अनुदान।

ग्राम सभाओं को अपनी आय में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन तथा उनमें विकास कार्यों के प्रति एक स्वस्थ स्पर्धा उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक जिले की तीन सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभाओं को पुरस्कृत किये जाने की विगत वर्षों से चल रही योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी चलाने का प्रस्ताव है। पुरस्कार के लिए ऐसी ग्राम सभाओं का चयन किया जायेगा जो अपनी आय में करों, शुल्क, भूमि प्रबन्ध, संपत्ति तथा अन्य साधनों से गत तीन वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि करेंगी। प्रथम पुरस्कार 6,000 रु0 द्वितीय पुरस्कार 4,000 रु0 तथा तृतीय पुरस्कार 2,000 रु0 का होगा। पुरस्कार की धनराशि को ग्राम सभाओं द्वारा सार्वजनिक हित कार्यों जैसे पेय जल की व्यवस्था, रास्तों को पक्का करना तथा स्ट्रीट लाइट आदि पर व्यय की जायेगी। इस पर वर्ष 1990-91 में 6,48,000 रु0 का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,48,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज--

09--पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 6,4

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का प्रशिक्षण

नव नियुक्त एवं पदोन्नति प्राप्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु 45 दिन का प्रशिक्षण दिये जाने वाली चालू योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी चलाये जाने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल 500 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु 5,50,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 60 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशिक्षिण दिये जाने हेतु 66,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 66,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्षकों में विभाजन--

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज--

08--नव नियुक्त सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) का प्रशिक्षण--

33--अन्य व्यय 66

पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों एवं जिला परिषद के सदस्यों को विभागीय अधिनियमों/नियमों, शासन की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं तथा अभिलेखों के रख/रखाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि वह जनता की बेहतर सेवा के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन कर सकें। विकास खण्ड तथा तहसील स्तर पर 6 दिवसीय सत्रों में शिविर लगाकर ग्राम प्रधानों तथा जिला परिषद के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिस पर वर्ष 1990-91 में 6,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 6,00,000 रुपये आवर्तक की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम---आयोजनागत--

101--पंचायती राज--

12--पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण--

33--अन्य व्यय 6,00

ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आवास भवनों का निर्माण

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्राम सभा स्तर पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए लगभग 44,000 रु० की धनराशि की आवश्यकता होगी। भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था ग्राम सभा द्वारा निःशुल्क की जायेगी। वर्ष 1990-91 में इस पर 3,06,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार, आय-व्ययक में 3,06,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति भूमि उपलब्ध हो जाने तथा विस्तृत आगणन एवं नक्शा आदि उपलब्ध कराये जाने पर दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

101--पंचायती राज--

01--ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना)--

18--वृहत् निर्माण-कार्य 3,06

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण

ग्रामीण वातावरण में सुधार हेतु विशेषतः महिला वर्ग द्वारा अनुभव की जा रही असुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल (वर्ष 1990-95) में शौचालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में एक वृहद कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 2,00,000 ग्रामीण शौचालय निर्मित कराये जायेंगे। शौचालयों के निर्माण हेतु एक यूनिट के लिये निर्माण लागत 1,500 रुपये निर्धारित किये गये हैं जिसमे 30 रुपये प्रति इकाई प्रशासनिक व्यय के रूप में निर्धारित हैं। पर्वतीय क्षेत्र व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्माण कार्य की कठिनाई को दृष्टि में रखते हुए इन क्षेत्रों में एक यूनिट की लागत प्रशासनिक व्यय सहित 1,725 रु० निर्धारित की गई है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक चयनित ग्राम में कम से कम 50 घरों में शौचालयों का निर्माण किया जायगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों व बुन्देलखण्ड में प्रत्येक चयनित ग्राम में 20 घरों में शौचालय निर्मित किये जायेंगे। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जायगी। प्रत्येक लाभार्थी को 20 प्रतिशत धनराशि अपने संसाधनों से लगानी अनिवार्य होगी। करने वाले कर्मियों के वेतन/भत्तों

आदि पर होने वाला व्यय यूनिट लागत में सम्मिलित प्रशासनिक व्यय की मद से वहन किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में योजनान्तगत कुल 26,39,03,000 रुपये का व्यय निहित है जिसका 50 प्रतिशत अर्थात् 13,19,51,500 रुपये की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने का अनुमान है। तदनुसार 26,39,03,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

800--अन्य व्यय--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजनायें--

0101--ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)

18--वृहत् निर्माण कार्य 26,39,03

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
	रु0		
अनुदान	13,19,52	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-- 800--अन्य अनुदान-- 14--पंचायती राज विभाग-- (--) अन्य अनुदान	50 प्रतिशत

महिला कल्याण विभाग

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
1	मेडिसिन किट्स आपूर्ति का लेखा समायोजन।	71,06	..	..	71,06	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	287 प
2	पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था	7,05,00	..	..	7,05,00	तदैव	267 प
3	बाल विकास परियोजनाओं के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान	7,00	..	..	7,00	तदैव	288 प
4	रोजगार कार्यक्रम की समर्थन योजना	3,00,00	..	..	3,00,00	तदैव	288 प
5	गेहूं पर आधारित भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार	2,70,15	..	..	2,70,15	तदैव	289 प
6	नयी बाल विकास परियोजना की स्थापना	4,26,57	..	..	4,26,57	तदैव	289 प
7	केयर नामक संस्था को अनुदान	15,00	..	..	15,00	तदैव	290 प
8	उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम के अंशकों का क्रय	..	39,21	..	39,21	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	291 प
9	श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण	..	50,00	..	50,00	तदैव	291 प
	योग,	17,94,78	89,21	..	18,83,99		

मेडिसिन किट्स आपूर्ति का लेखा समायोजन

बाल विकास परियोजना कार्यक्रम केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषाहार के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सेवा भी उपलब्ध करायी जाती है और इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को मेडिसिन किट्स वस्तु रूप में उपलब्ध करायी जाती है और इसका लेखा समायोजन करना पड़ता है। इस योजना को आगामी पंचवर्षीय योजना काल में संचालित किये जाने का निश्चय किया गया है जिसमें वर्ष 1990-91 में 71,06,000 रु० का अनावर्तक व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 71,06,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत--

02--सामाजिक कल्याण--

102--बाल कल्याण--

01--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनायें--

0108--मेडिसिन किट्स की आपूर्ति हेतु लेखा समायोजन--

25--सामग्री और संपूर्ति 71,06

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
राज सहायता	71,06	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान--800--अन्य अनुदान--49--महिला कल्याण--4901--बाल कल्याण।	शत-प्रतिशत

पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए धन की व्यवस्था

वर्ष 1989-90 के लिये स्वीकृत मैदानी बाल विकास परियोजनाओं में जिला योजना के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों को 45 पैसे, अति कुपोषित बच्चों को 95 पैसे तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को 75 पैसे की प्रतिदिन की दर से पोषाहार का वितरण किया जाना है। ऐसी परियोजनाओं में शक्कर, दूध, ईंधन तथा ढुलाई के लिये प्रति लाभार्थी 30 पैसे की दर से व्यय किया जायेगा इसके अतिरिक्त पोषाहार की परियोजनाओं तक ढुलाई तथा अन्य व्यय भार का वहन राज्य योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इसी योजना के तहत एक गवेषणात्मक कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण के तौर पर कुछ विकास खण्डों में 10 से 14 वर्ष तक की लड़कियों को पोषाहार देने के साथ-साथ उनके जीवन यापन के लिये उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रशिक्षित करते हुए खिलौने बनाने, चित्रकारी आदि का कार्य लिया जायेगा। पोषाहार मद के अन्तर्गत जिला योजना तथा राज्य योजना के अन्तर्गत 1990-91 मे 7,05,00,000 रु० व्यय का अनुमान है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

02--सामाजिक कल्याण--

102--बाल कल्याण--

08--पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार--

0801--जिला योजना--

33--अन्य व्यय 6,05 00

0802--राज्य योजना--

33--अन्य व्यय 1,00,00

योग .. 7,05,00

बाल विकास परियोजनाओं के संचालन हेतु स्वैच्छिक सगठनों/संस्थाओं को अनुदान

बाल विकास परियोजना, सरेनी, जनपद रायबरेली का संचालन साक्षरता निकेतन नामक स्वैच्छिक संस्था से कराया जा रहा है। साक्षरता निकेतन को इस योजना के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि तथा अन्य प्रासंगिक व्यय हेतु अनुदान दिया जाता है जिसके व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। उक्त योजना को आगामी योजनाकाल में भी चलाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में इस योजना को चालू रखने में 7,00,000 रुपये का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी हैं।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत--

02--सामाजिक कल्याण--

107--स्वैच्छिक संगठनों को सहायता--

04--समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के संचालन तथा उनमें पुष्टाहार वितरण हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता शत प्रतिशत भारत सरकार की सहायता-- (हजार रुपयों में)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. .. 7,0(

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभि-धारित की गयी
राज सहायता	7,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान--800--अन्य अनुदान--49--महिला कल्याण--4901-बाल कल्याण।	शत प्रतिशत

रोजगार कार्यक्रम की समर्थन योजना

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के कार्य तथा रोजगार को सुदृढ़ करने तथा उनका आर्थिक विकास करके उन्हें स्वाव लम्बी बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, डेरी, मीन उद्योग, करघा, दस्तकारी, खादी एवं ग्रामोद्य और रेशम उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं के कार्य तथा रोजगार को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना के लिये 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होगा तथा शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वा उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के लिये वर्ष 1990-91 में 3 करोड़ रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार व 1990-91 के आय-व्ययक में 3,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षण उपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों मे

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

02--सामाजिक कल्याण--

103--महिला कल्याण--

01--केन्द्रीय प्रायोजित/आयोजनागत योजनायें--

0101--महिला रोजगार कार्यक्रम की समर्थन योजना (90 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,00,

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसा सहायता की धनराशि अभिधारित की गय
राज सहायता	2,70,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--04--केन्द्र प्रयोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान--800--अन्य अनुदान--49--महिला कल्याण--4902--महिला कल्याण	90 प्रति

गेहूं पर आधारित भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार

प्रदेश में संचालित बाल विकास परियोजना कायक्रम के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाओं में पुष्टाहार वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं तथा इसके प्रोसेसिंग, पैकिंग, ढुलाई आदि के लिये प्रदेश सरकार को धनराशि एवं गेहूं आवंटित किया जाता है जिसमें प्रति लाभार्थी 50 पैसे तक की दर से प्रति दिन का व्यय वहन किया जाता है। इस योजना को आठवीं योजना काल में संचालित किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 1990-91 में 68 परियोजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु लगभग 2,70,15,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,70,15,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-आयोजनागत--
02--सामाजिक कल्याण--
102--बाल कल्याण--
01--केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनायें:-
0107--परियोजनाओं पर भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला पुष्टाहार--
33--अन्य व्यय 2,70,15

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज्य	2,70,15	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-800-अन्य अनुदान-49-महिला कल्याण-4901-बाल कल्याण	शत-प्रतिशत

नयी बाल विकास परियोजना की स्थापना

वर्तमान में प्रदेश में 230 बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1989-90 में भारत सरकार द्वारा कुल 83 नई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से 68 परियोजना मैदानी क्षेत्र की हैं। इन परियोजनाओं में होने वाले व्यय को शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में इन परियोजनाओं पर कुल मिला कर 4,26,57,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। अतः आय-व्ययक में इतनी धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

संख्या	पदनाम	वेतनमान या नियत मानदेय	पदों की संख्या
		रु०	
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी ..	1600-2660	80
2	मुख्य सेविका	1200-2040	413
3	वरिष्ठ सहायक	1200-2040	68
4	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	80
5	चालक	950-1500	68
6	चपरासी	750-940	80
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री	225 से 325 रुपये तक	8319
8	आंगनबाड़ी सहायिका	110 रु०	8319

(ख) साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	नाम वस्तु	मात्रा	दर	लागत
1		3	4	5
1	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार पकाने, परोसने, भण्डार करने के बर्तन तथा शैक्षिक सामग्री आदि ..	8319 सेट	1500	1,24,78,50
2	--परियोजना कार्यालयों पर टंकक यंत्र (हिन्दी) तथा फर्नीचर ..	68 सेट	15000	10,20,00
			योग ..	1,34,98,50

3--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--
02--सामाजिक कल्याण--
102--बाल कल्याण--
01--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं--
0101--समन्वित बाल विकास योजना--

01--वेतन	54,
03--महंगाई भत्ता	21,
04--यात्रा व्यय	1,
05--अन्य भत्ते	2,05,
06--कार्यालय व्यय	11,
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	3,
11--किराया उपशुल्क व कर स्वामिस्व	3,
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,24,
33--अन्य व्यय	
योग	4,26,

5--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अवधारित की गई
राज सहायता	4,26,57	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान 800--अन्य अनुदान-- 49--महिला कल्याण-- 4901--बाल कल्याण	शत प्रतिशत

केयर नामक संस्था को अनुदान

प्रदेश में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में से 40 परियोजनाओं के लिये केयर नामक संस्था से पोषाहार प्राप्त होता है केयर इंडिया के कर्मचारियों की वेतन आदि के व्यय हेतु केयर को अनुदान दिया जाता है। इस योजना को आगामी योजनाकाल चलाया जाना प्रस्तावित। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 15,00,000 रु० का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 15,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--
02--सामाजिक कल्याण--
107--स्वैच्छिक संगठनों को सहायता--
14--केयर नामक अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों को पोषाहार वितरण/प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 15,

3--भारत सरकार से प्राप्त सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी।
राज सहायता	15,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित/आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान 800--अन्य अनुदान 49--महिला कल्याण 4901--बाल कल्याण	शत प्रतिशत

उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम के अंशकों का क्रय

इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को जिनके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धन नहीं है, "मार्जिन मनी" की विधा उपलब्ध करा कर बैंकों से ऋण दिलाया जाना है, और उन्हें प्रोत्साहित करके उनका आर्थिक विकास एवं उन्हें स्वावलम्बी नाने में सहायता दी जानी है। इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण निगम को अपनी अंश पूंजी से महिलाओं को 10,000 रु0 लेकर 2 लाख रु0 तक की योजनाओं में योजना की लागत का 30 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रु0 है, उपलब्ध राती है। शेष 70 प्रतिशत की धनराशि बैंक से ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से महिला उद्यमियों को उपलब्ध कराया ना है। अंशपूंजी का 49 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 51 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह शपूंजी 10 रु0 के इक्यूटि शेयर्स के लिए दी जानी है। इस योजना के लिए वर्ष 1990-91 में 39,21,000 रु0 की आवश्यकता नुमानित है। तदनुसार इस धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय--

02--समाज कल्याण--

190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य उपक्रमों में निवेश--

01--उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम के अंशकों का क्रय--

24--निवेश / ऋण 39,21

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
ज सहायता	19,21	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओ के लिए अनुदान- 800-अन्य अनुदान-- 49--महिला कल्याण 4962--महिला कल्याण	49 प्रतिशत

श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण

श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है। तीय वर्ष 1990-91 में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एवं आगरा में 60-60 महिलाओं के लिये छात्रावास का निर्माण कराया येगा। इस योजना से श्रमजीवी महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी जिससे वे अपना आर्थिक विकास करके स्वाव-बी बन सकें। छात्रावासों का निर्माण उ0 प्र0 महिला कल्याण निगम के माध्यम से कराया जायेगा एवं निर्माण कार्य पूर्ण हो ने के पश्चात् उसे स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जायेगा। छात्रावास के निर्माण की कुल लागत का 75 प्रतिशत रत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिस भूमि पर छात्रा-स का निर्माण होना है उसकी लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना के लिये 1990-91 में 50 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 50,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय---

02--सामाजिक कल्याण--

103--महिला कल्याण--

01--केन्द्रीय प्रायोजित/आयोजनागत योजनायें--

0101--श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण--

18--बृहत् निर्माण कार्य-- (75 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता) .. 50,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	37:50	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान--800--अन्य अनुदान--49 महिला कल्याण--4902--महिला कल्याण	75 प्रतिशत

युवा कल्याण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना	50,00	..	..	50,00	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	295 प
2	16 वर्षीय बालक/बालिकाओं अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	10,00	..	..	10,00	तदैव	295 प
3	स्वयं सेवकों का पुनर्प्रशिक्षण	76,25	..	..	76,25	तदैव	295 प
4	प्रादेशिक विकास दल विभाग के स्वयं सेवकों को 15 दिन का सैन्य प्रशिक्षण (रायफल ट्रेनिंग)	12,60	..	..	12,60	तदव	295 प
5	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	5,00	..	..	5,00	तदैव	296 प
6	युवा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण गतिविधियों का प्रसारण	1,00	..	..	1,00	तदैव	296 प
7	महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन दिया जाना	43,00	..	..	43,00	तदैव	296 प
8	प्रदेश के जनपदों में युवा केन्द्रों की स्थापना	..	80,00	..	80,00	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	296 प
	योग	1,97,85	80,00	..	2,77,85		

ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद स्टेडियम का निर्माण किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे जाने में पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा उनका खेलकूद में सही मार्गदर्शन हो सकेगा। वर्ष 1990-91 में प्रदेश के 5 जनपदों में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। एक स्टेडियम की स्थापना पर 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1990-91 में 5 स्टेडियम की स्थापना के लिये 50,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
800--अन्य व्यय--	
01--प्रादेशिक विकास दल--	
18--वृहत् निर्माण कार्य	50,00

16 वर्षीय बालक/बालिकाओं की अखिल भारतीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन

16 वर्षीय बालक/बालिकाओं के प्रथम ग्रुप (दौड़ कूद, थ्रो, एथलेटिक्स) की अखिल भारतीय प्रतियोगितायें लखनऊ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 10,00 000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
800--अन्य व्यय--	
01--प्रादेशिक विकास दल--	
33--अन्य व्यय	10,00

स्वयंसेवकों का पुनप्रशिक्षण

प्रादेशिक विकास दल के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की विभागीय योजनाओं एवं राष्ट्रीय योजनाओं में भागीदारी करने की योजना बनायी गयी है। विभाग के 70,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों में से 25,000 स्वयंसेवकों को 15 दिन का पुनप्रशिक्षण वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 76,25,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 76,25,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
800--अन्य व्यय--	
01--प्रादेशिक विकास दल--	
33--अन्य व्यय	76,25

प्रादेशिक विकास दल विभाग के स्वयं सेवकों को 15 दिन का सैन्य प्रशिक्षण (रायफल ट्रेनिंग)

प्रादेशिक विकास दल विभाग के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रादेशिक विकास दल के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को 15 दिन का सैन्य प्रशिक्षण (रायफल ट्रेनिंग) दिया जाना प्रस्तावित है ताकि स्वयंसेवकों का अधिक से अधिक सदुपयोग शान्ति सुरक्षा व्यवस्था में किया जा सके। प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जनपदों के 50-50 स्वयं सेवकों को 15 दिन का सैन्य प्रशिक्षण निदेशालय स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 12,60,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 12,60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
800--अन्य व्यय--	
01--प्रादेशिक विकास दल--	
33--अन्य व्यय	12,60

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास विभाग के पास सरोजनीनगर में उपलब्ध किदवई/शास्त्री भवन में की जायेगी। प्रशिक्षण संस्थान में विभाग के अधिकारियों एवं अवैतनिक सदस्यों को युवा कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त बनाने के लिये प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

01--प्रादेशिक विकास दल--

33--अन्य व्यय 5,00

युवा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण गतिविधियों का प्रसारण

युवा कल्याण योजनाओं के बारे में जन-जन को अवगत कराने तथा ग्राम स्तर पर भी इसकी अधिकाधिक जानकारी देने के लिये कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार होना अति आवश्यक है। प्रदेश स्तरीय खेलकूद के साथ-साथ इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद भी युवा कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित किये जायेंगे। प्रचार-प्रसार के लिये वीडियो कवरेज, विज्ञापन गोष्ठियां एवं प्रदर्शनियां आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिस पर वर्ष 1990-91 में 1,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

01--प्रादेशिक विकास दल--

33--अन्य व्यय-- 1,00

महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन दिया जाना

महिला मंगल दलों द्वारा अच्छे कार्य किये जाने पर उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के महिला मंगल दलों को विभागीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त होने पर एक सिलाई मशीन के साथ-साथ क्रमशः 1,000 रुपये, 500 रु० एवं 300 रु० का नकद पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 43,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 43,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

01--प्रादेशिक विकास दल--

33--अन्य व्यय 43,00

प्रदेश के जनपदों में युवा केन्द्रों की स्थापना।

युवा केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश के युवा वर्ग की प्रतिभा को विकसित करना, युवा गतिविधियों से संबंधित युवा गोष्ठी, युवा नेतृत्व के उद्देश्य से व्यायाम एवं जिमनास्टिक के कार्यक्रम, साहसिक कार्यक्रम, वाचनालय, पुस्तकालय तथा युवाओं को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके चरित्र निर्माण, युवकों में अनुशासन की भावना तथा राष्ट्रीय एकीकरण एवं कौमी एकता की भावना पैदा करना है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रदेश के चार जनपदों में युवा केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। एक युवा केन्द्र की स्थापना हेतु 20,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है, तदनुसार चार जनपदों में युवा केन्द्रों हेतु 80,00,000 रु० की धनराशि अपेक्षित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 80,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

02--प्रदेश के जनपदों में युवा केन्द्रों की स्थापना--

33--अन्य व्यय 80,00

------ ------

राजस्व विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूमि प्रबन्ध संस्थान की स्थापना	10,00	..	..	10,00	2029-भू-राजस्व	299 प
2	ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना	25,00	..	..	25,00	2216-आवास	299 प
3	प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।	..	2,00,00	..	2,00,00	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	299 प
4	प्रदेश की कतिपय तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	..	8,00,00	..	8,00,00	तदैव	300 प
5	प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण	..	4,50,00	..	4,50,00	तदैव	300 प
6	राजस्व विभाग के निर्माणाधीन आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	..	4,00,00	..	4,00,00	तदैव	300 प
7	प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के आवासीय भवनों का निर्माण	..	2,50,00	..	2,50,00	4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	300 प
	योग ..	35,00	21,00,00	..	21,35,00		

भूमि प्रबन्ध संस्थान स्थापना

प्रदेश में भूमि के विविध उपयोगों, भूमि से संबंधित प्रशिक्षणों एवं प्रबन्धों में गुणात्मक सुधार लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश एक भूमि प्रबन्ध संस्थान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-9 में 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2029--भू-राजस्व-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

02--भूमि व्यवस्था (लैण्ड रिफार्म) आयुक्त--

0206--भूमि प्रबन्ध संस्थान की स्थापना

33--अन्य व्यय 10,00

ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना

प्रदेश में ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना हेतु भूमि अधिग्रहीत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रतिकर के तान हेतु 25,00,000 रुपये की आवश्यकता है । तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25,00,000 रुपये की स्था कर ली गई है । वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-

2216 --आवास--

03--ग्रामीण आवास--

102--भूमिहीनों के लिये मकानों के स्थान की व्यवस्था--

01--ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल दिये जाने की योजना के लिये अनुदान (जिला अनुदान)-- (हजार रुपयों में)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 12,50

02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--

0201--ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल दिये जाने की योजना के लिये अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 12,50

योग .. 25,00

प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

वित्तीय वर्ष 1990-91 मे कतिपय तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन किये जाने का स्ताव है । भूमि अर्जन पर वर्ष 1990-91 में, 2,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में म्मिलित कर ली गयी है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--कार्यालयों की इमारतें--

201--भूमि का अधिग्रहण--

06--प्रदेश की कतिपय तहसीलों के आवासीय/अनावासीय/ भवनों के निर्माणार्थ भूमि अधिग्रहण हेतु व्यवस्था--

18--वृहत निर्माण कार्य 2,00,00

प्रदेश की कतिपय तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण

प्रदेश की अनेक तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों की दशा बड़ी ही जर्जर है तथा कुछ तहसीलें किराये के भवन में चल रही हैं। अतः वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रदेश की कतिपय तहसीलों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण करा जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 8,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :--

	(हजार रुपयों में)
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--	
800-अन्य व्यय--	
01-आठ तहसीलों के आवासीय भवनों का निर्माण--	
18-वृहत् निर्माण-कार्य	2,40,0(
60-अन्य इमारतें-	
051-निर्माण--	
01-आठ तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण--	
18-वृहत् निर्माण-कार्य	5,60,(
योग ..	8,00,(

प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण :

वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रदेश की विभिन्न तहसीलों में 4.50 करोड़ रुपये की लागत पर अवासीय भवनों के निर्मा किये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 म इस कार्य हेतु 4.50 करोड़ रु० का व्यय निहित है। तदनुस वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के ब की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजारों रुपयों में)
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--	
01--कार्यालयों की इमारतें--	
101--निर्माण सामान्य पूल आवास--	
06--निर्माण--जिला प्रशासन-प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण	
18-वृहत् निर्माण कार्य	4,50,0

राजस्व विभाग के निर्माणाधीन आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण

वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रदेश के कतिपय आवासीय एवं अनावासीय राजस्व भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण कराये ज हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 4,00,00,000 रु० की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों
4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--	
800--अन्य व्यय--	
02--आवासीय भवनों का निर्माण-(जिला योजना)--	
18--वृहद् निर्माण कार्य	1,00,
60--अन्य इमारतें--	
051--निर्माण--	
02--अनावासीय भवनों का निर्माण--(जिला योजना)--	
18--वृहत् निर्माण कार्य	3,00,(
योग ..	4,00,0

प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के आवासीय भवनों का निर्माण

वित्तीय वर्ष 1990–91 में प्रदेश की विभिन्न तहसीलों में 2.50 करोड़ रु० की लागत पर आवासीय भवनों के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990–91 में इस कार्य हेतु 2.50 रु० करोड़ का व्यय निहित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 2,50,00,000 रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

4216—आवास पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत—

01—सरकारी रिहायशी इमारतें—

700—अन्य आवास—

04—निर्माण जिला प्रशासन-आवास-प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के आवासीय भवनों का निर्माण

18-वृहत् निर्माण कार्य 2,50,00

लोक निर्माण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें --आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्धे के पास स्थित नजूल भू-खण्ड पर निर्मित कनिष्ठ अधिकारियों के आवासों के पानी के निकास के लिये पम्पवेल सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि का निर्माण	..	24,43	..	24,43	4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	305 प
2	लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्ध के पास स्थित नजूल भूखंड पर निर्मित/निर्माणाधीन विभिन्न श्रेणी के आवासों तथा अतिथि गृह आदि का स्थल विकास	..	30,88	..	30,88	तदैव	305 प
3	राज भवन कालोनी, लखनऊ में एक नलकूप का निर्माण	..	5,00	..	5,00	तदैव	305 प
4	राजभवन कालोनी, लखनऊ स्थित टाइप-4 के आवासों में एक-एक अतिरिक्त कमरे व बाथरूम का निर्माण	..	16,78	..	16,78	तदैव	306 प
5	प्रदेश में मार्गों और पुलों का निर्माण	..	27,15,00	..	27,15,00	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	306 प
	योग..	..	27,92,09	..	27,92,09		

खनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर निर्मित कनिष्ठ अधिकारियों के आवासों के पानी के निकास के लिये पम्पवेल, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि का निर्माण ,

लखनऊ में शासन के अधिकारियों के आवासों की अत्यधिक कमी को देखते हुए लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर कनिष्ठ अधिकारियों के 32 आवासों का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के माध्यम कराया गया था। इन आवासों म पानी के निकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी, अतएव यह प्रस्तावित है कि इन आवासों के पानी निकास के लिये पम्पवेल, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि का निर्माण 24,43,000 रुपये की लागत पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण गम लिमिटेड के माध्यम से कराया जाय। उक्त अनुमानित लागत में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की देय टेज चार्जेज की धनराशि भी सम्मिलित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 24,43,000 रु0 की व्यवस्था र ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

01--सरकारी रिहायशी इमारतें--

700--अन्य आवास--

07--निर्माण--

लोक निर्माण -आवास-लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर निर्मित कनिष्ठ अधिकारियों के आवासों के पानी के निकास के लिये पम्पवेल तथा सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि का निर्माण 24,43

नऊ में मौजा जियामऊ, डालीबाग बन्धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर निर्मित/निर्माणाधीन विभिन्न श्रेणी के आवासों तथा अतिथिगृह आदि का स्थल विकास।

लखनऊ म शासन क अधिकारियों के आवासों की अत्यधिक कमी को देखते हुए शासन द्वारा लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर कनिष्ठ अधिकारियों के 32 आवासों का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के माध्यम कराया गया था। इसके अतिरिक्त इसी भूखण्ड पर ट्रांजिट हास्टल एवं गेस्ट हाउस तथा श्रेणी-5 के 16 व श्रेणी-6 के 8 वासों का भी निर्माण कराया जा रहा है। यह भूखण्ड बाहरी सड़क से काफी नीचा है और स्थल विकास का प्राविधान उक्त बन्धित कार्यों में नहीं किया गया है। अतएव यह प्रस्तावित है कि भूखण्ड में निर्मित / निर्माणाधीन कार्यों की पूर्ण योजना का स्थल कास कार्य 30,88,000 रु0 की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराया य। उक्त अनुमानित लागत में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को देय सेन्टेज चार्जेज की धनराशि भी सम्मिलित है। नुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,88,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4216--आवास पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

01--सरकारी रिहायशी इमारतें--

700--अन्य आवास--

07--निर्माण--

लोक निर्माण आवास--लखनऊ में मौजा जियामऊ डालीबाग बन्धे के पास स्थित नजूल भूखण्ड पर निर्मित / निर्माणाधीन कार्यों की पूर्ण योजना का स्थल विकास .. 30,88

राजभवन कालोनी, लखनऊ में एक नलकूप का निर्माण।

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन राजभवन कालोनी में उच्चाधिकारियों के आवासों में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अध्यासियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अध्यासियों की कठिनाई का समाधान करने उद्देश्य से वहां पर 6,46,000 रुपये की लागत से एक नलकूप, पम्प हाउस आदि का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:-- (हजार रुपयों में)

4216-आवास पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

01-सरकारी रिहायशी इमारतें--

700-अन्य आवास--

07-निर्माण-लोक निर्माण-आवास-लखनऊ में राजभवन कालोनी में जल आपूर्ति के लिए नलकूप, पम्प हाउस आदि का निर्माण 5,00

राजभवन कालोनी, लखनऊ स्थित टाइप–4 के आवासों में एक-एक अतिरिक्त कमरे व बाथरूम का निर्माण

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन राजभवन कालोनी में टाइप–4 के आवासों में सचिव स्तर एवं अन्य समकक्ष वरिष्ठ अधिकारीगण निवास करते हैं जिन्हें उनके स्तर का आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है जिसके कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः राजभवन कालोनी स्थित टाइप–4 के सभी आवासों में एक-एक अतिरिक्त कमरे व बाथरूम का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990–91 में आवासों में एक-एक अतिरिक्त कमरा व बाथरूम का निर्माण कराये जाने के लिये 16,77,750 रु0 की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 16,78,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

4216—आवास पर पूंजी परिव्यय–आयोजनागत

01—सरकारी रिहायशी इमारतें—

700—अन्य आवास—

07-लोक निर्माण–आवास—

—राजभवन कालोनी स्थित टाइप—4 के आवासों में एक-एक अतिरिक्त कमरे व बाथरूम का निर्माण—

18–वृहत् निर्माण कार्य 16,7

प्रदेश में मार्गों और पुलों का निर्माण।

प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में मार्गों की बहुत कमी है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्प हो रही है। इसके अतिरिक्त कतिपय मार्गों पर पुल न होने के कारण उक्त मार्गों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अतः जनसाधार की आवश्यकताओं को देखते हुए मार्गों एवं उन पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण अति आवश्यक है। इन कार्यों के लिये वर्ष 1990-91 राज्य सेक्टर में 7,00,00,000 रु0 एवं जिला सेक्टर से 20,15,00,000 रु0 के नये कार्य प्रस्तावित हैं। तदनुसार वर्ष 1990-9 के आय-व्ययक में 27,15,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों मे

5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

04-जिला और अन्य सड़कें--

337--सड़क कार्य--

		राज्य सेक्टर	जिला सेक
1--पुलों का निर्माण ..	..	67,00	2,17;
2--नई सड़क निर्माण ..	..	19,00	17;02;
3--सड़क का पुनः निर्माण	..	5,45,00	81;
4--अन्य विभागों की योजनाएं	..	..	15,
5--उपकरण एवं संयंत्र	..	53,00	
6--सर्वेक्षण कार्य	..	1,00	
7--नियोजन तथा शोध	..	4,00	
8--केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें ..		8,00	
9--साइट एकोमोडेशन	..	3,00	
		7,00,00	20,15;
		कुल योग ..	27;15,

वन विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण	50,34	..	..	50,34	2406--वानिकी और वन्य जीवन	309 प
2	राज्य वन अनुसंधान की स्थापना।	62,00	..	..	62,00	तदैव	310 प
3	जापान सरकार की सहायता से वन संचार योजना।	1	..	..	1	तदैव	310 प
4	बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सारनाथ तथा कुशीनगर विकास की योजना।	5,00	..	..	5,00	तदैव	310 प
5	वन विकास निगम की स्थापना।	15	1,00	..	1,15	2406--वानिकी और वन्य जीवन एवं 4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	311 प
	योग	1,17,50	1,00	..	1,18,50		

कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी वनराजि विद्यालयों में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चलाया जाय। इसके फलस्वरूप हल्द्वानी वनराजि प्रशिक्षण संस्था में प्रत्येक वर्ष 60 वनराजि प्रशिक्षार्थियों के स्थान पर अब 120 प्रशिक्षार्थी होंगे और बढ़े हुए 60 वनराजि प्रशिक्षार्थियों में से 40 प्रशिक्षार्थी उत्तर प्रदेश के होंगे जिनमे प्रत्येक पर स्टाइपेन्ड के रूप में 550 रु० नियत व्यय होगा। वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत योजना हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल 42 पद सृजित करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करने के लिये प्रथम वर्ष 1990-91 में कुल 50,33,500 रु० और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल 1,68,71,500 रु० का व्यय भार अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 50,34,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2---व्यय का विभाजन---

क---अपेक्षित कर्मचारिवर्ग---

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु०	
1	उप वन संरक्षक	3000-4500	2
2	सहायक वन संरक्षक	2200-4000	2
3	शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक	1200-2040	2
4	प्रधान सहायक	1400-2600	1
5	मानचित्रकार	1200-2040	1
6	आशुलिपिक	1200-2040	1
7	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	2
8	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950-1500	2
9	प्रयोगशाला सहायक	1200-2040	2
		950-1500	
10	कन्सोल आपरेटर तथा डेटा इंट्री आपरेटर ..	940-1960	2
11	वाहन चालक	950-1500	7
12	अर्दली	750-940	4
13	डाकिया	तदैव	1
14	ग्राउन्ड मैन	तदैव	6
15	स्वीपर	तदैव	2
16	चौकीदार	तदैव	2
17	माली	तदैव	1
18	क्षेत्र सहायक	तदैव	2

3---आय-व्ययक की धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2406---वानिकी और वन्य जीवन-आयोजनागत---

01---वानिकी---

09---विस्तार एवं प्रशिक्षण---

01---कर्मचारी वर्ग का प्रशिक्षण---

	(हजार रुपयों में)
01---वेतन	1,42
03---महंगाई भत्ता	41
04---यात्रा व्यय	84
05---अन्य भत्ते	73
06---कार्यालय व्यय	12
08---मोटर गाड़ियों की खरीद	16,00
09---मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	15
19---लघु निर्माण कार्य	21,00
20---मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र	9,55
33---अन्य व्यय	12
योग ..	50,34

राज्य वन अनुसंधान की स्थापना

वन अनुसंधान कार्य के लिए कानपुर में स्थापित प्रयोगशाला से कार्य चलाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः पूरे प्रदेश के वन अनुसंधान कार्य को सफल रूप से चलाने के लिए उक्त प्रयोगशाला का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परमावश्यक है। उक्त संस्थान एक निदेशक, जो कि मुख्य वन संरक्षक के स्तर का होगा, के अधीन कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक स्टाफ की भी आवश्यकता होगी जिसकी स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी। राज्य वन अनुसंधान की स्थापना की योजना पर वर्ष 1990-91 में 62,00,000 रुपये तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि मे 2,82,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 62,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2406--वानिकी और वन्य जीवन--आयोजनागत--

01--वानिकी--

102--सामाजिक और फार्म वानिकी--

(हजार रुपयों में)

06--वन अनुसंधान प्रयोगशाला कानपुर को उच्चीकृत करके राज्य वन अनुसंधान की स्थापना--	
01--वेतन	6,25
03--महंगाई भत्ता	1,90
04--यात्रा व्यय	1,00
05--अन्य भत्ते	1,90
06--कार्यालय व्यय	1,00
07--टेलीफोन पर व्यय	60
08--मोटर गाड़ियों की खरीद	3,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद	25
12--प्रकाशन	20
19--लघु निर्माण कार्य	40,50
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	90
33--अन्य व्यय	4,00
योग ..	62,00

जापान सरकार की सहायता से वन संचार योजना

प्रदेश में वन विभाग की कार्य-प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए वन बीटों को रेंज कार्यालय से, रेंज कार्यालयों को प्रभागीय वनाधिकारियों के कार्यालय से तथा प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय को वन संरक्षक कार्यालय से संचार माध्यम से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत द्रुतगामी संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना, अवैध कटान, चराई, शिकार व अग्निकाण्ड जैसे मामलों पर तुरन्त कार्यवाही एवं पर्यवेक्षक स्टाफ द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण रखा जायेगा। इस योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजना वधि (1990-95) में 10,54,08,000 रु० का व्यय भार अनुमानित है। यह योजना जापान सरकार की सहायता से कार्यान्वित की जायेगी। उक्त सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। अतः सम्प्रति इस योजना के लिए प्रतीक प्राविधान बजट में सम्मिलित करा लिया गया है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2406--वानिकी और वन्य जीवन--आयोजनागत--

01--वानिकी

070--संचार और इमारतें--

01--जापान सरकार की सहायता से वन संचार योजना-- ..

33--अन्य व्यय

बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सारनाथ तथा कुशीनगर विकास की योजना

उत्तर प्रदेश में सारनाथ तथा कुशीनगर महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है वहां सभी धर्मों के अनुयायी आते हैं। अतः इन तीर्थ स्थलों के विकास करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत इनमें उद्यान, स्वाई मार्ग, पुष्प वाटिकाएं, म्यूजियम, पार्क तथा झील आदि का निर्माण किया जायेगा। आठवीं योजना अवधि में दोनों तीर्थ स्थलों के विकास पर 1.00 करोड़ रु० (प्रत्येक पर 50.00 लाख रु०) व्यय होने का अनुमान है जिसमें से वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० (प्रत्येक पर 2,50,000 रु०) व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2406--वानिकी और वन्य जीवन--
02--पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन--
800--अन्य व्यय--
05--सारनाथ तथा कुशीनगर बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास--
19--लघु निर्माण-कार्य 5,00

वन विकास निगम की स्थापना ।

प्रदेश में वन निगम की स्थापना एक स्थानीय निकाय के रूप में हुई है। इस कारण इस निगम को संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। वन विकास निगम की स्थापना हो जाने से वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त हो जावेगी और वनीकरण का कार्य भी वन विकास निगम द्वारा अपने वित्तीय संसाधन जुटाकर किया जायेगा। वन विकास निगम की स्थापना पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 1,15,000 रु० व्यय अनुमानित है जिसके लिए व्यवस्था बजट में सम्मिलित कर ली गई है।

2--आय-व्ययक की धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2406--वानिकी और वन्य जीवन--आयोजनागत--
01--वानिकी
190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
01--वन विकास निगम की स्थापना--
33--अन्य व्यय 15

4406--वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय--
01--वानिकी--
190--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश--
01--वन विकास निगम के अंशकों में पूंजी निवेश--
24--निवेश / ऋण 1,00

योग .. 1,15

वित्त विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण	2,86,72	..	..	2,86,72	2047--अन्य राज कोषीय सेवायें	315 प
2	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय हेतु एक फोटो स्टेट मशीन का क्रय	1,38	..	..	1,38	2425--सहकारिता	316 प
	योग ..	288,10	..	..	2,88,10		

राज्य अल्प बचत संगठन का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के लिये संसाधन के रूप में राष्ट्रीय बचत योजना में जमा शुद्ध धनराशि का 3/4 भाग केन्द्र से प्रदेश को ऋण के रूप में प्राप्त होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राष्ट्रीय बचत योजना में ...000 करोड़ रुपये जमा कराने का लक्ष्य रखा गया है ताकि केन्द्र सरकार से प्रदेश को अपनी योजनाओं के लिये तदनुसार अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय बचत योजना के कार्य और संगठन का विस्तार करना तथा संगठन को अधिक सक्षम बनाना नितान्त आवश्यक है। राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 37 जनपदों के जिला बचत अधिकारियों तथा 13 मण्डलीय कार्यालय के अधिकारियों के लिये अब तक वाहन की व्यवस्था की गयी है। आगामी वर्ष में प्रदेश के शेष 13 जनपदों के बचत अधिकारियों के लिये 13 जीपों व उनके लिये 950-1500 रुपये के वेतनमान में ड्राइवर के 13 पदों के सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के ... जनपदों के लिये जिला बचत कार्यालयों जिनमें सम्प्रति टेलीफोन नहीं है में टेलीफोन लगवाया जाना आवश्यक है ताकि विभिन्न कार्यालयों आदि से सम्पर्क स्थापित कर योजना की प्रगति के अनुश्रवण आदि में पर्याप्त सुविधा हो सके। साथ ही प्रदेश के 21 जनपदों, जहां बचत भवन बन चुके हैं और जिनमें जिला बचत कार्यालय स्थापित है, की सुरक्षा व सफाई आदि की व्यवस्था हेतु चौकीदार एवं सफाई कार के 750-940 रुपये के वेतनमान में 21 पदों का सृजन भी आवश्यक है। वर्ष 1990-91 में लगभग 1150 करोड़ रु० का शुद्ध जमा का लक्ष्य रखे जाने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना को प्रारम्भ करने के साथ-साथ वर्तमान प्रोत्साहन योजना भी चालू रखनी आवश्यक है। इसमें लगभग 250 लाख रुपये का आवर्तक व्यय निहित है।

उक्त योजनाओं पर वर्ष 1990-91 में कुल 2,86,72,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसमें 2,60,89,000 रु० आवर्तक व्यय तथा 25,83,000 रु० अनावर्तक व्यय है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,86,72,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2---व्यय का विभाजन---

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग---

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	चालक (ड्राइवर)	950-1500	13
2	चौकीदार-सफाई कर्मचारी	750-940	21

(ख) साज सज्जा/भण्डार / मशीनें आदि के स्थूल ब्योरे---

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
1---अनावर्तक---	
1---5 जनपदों में जिला बचत कार्यालयों में टेलीफोन की स्थापना	52
2---13 जनपदों में जिला बचत अधिकारियों के लिये 13 जीपों का क्रय	22,10
3---कार्यालय व्यय (फर्नीचर, साज सज्जा आदि का क्रय)	3,21
योग	25,83
2---आवर्तक व्यय---	
1---कार्यालय व्यय	31
2---टेलीफोन पर व्यय	15
3---अन्य व्यय (प्रोत्साहन योजना)	2,50,00
4---वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय व अन्य भत्ता	3,76
5---विज्ञापन बिक्री तथा प्रख्यापन व्यय	6,67
योग	2,60,89

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2047—अन्य राजकोषीय सेवायें-आयोजनागत—

103—अल्प बचतों को बढ़ावा—

01—राज्य अल्प बचत संगठन—

01—वेतन	2,2
03—महंगाई भत्ता	9
04—यात्रा व्यय	2
05—अन्य भत्ते	3
06—कार्यालय व्यय	3,5
07—टेलीफोन पर व्यय	6
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	22,1
13—विज्ञापन, बिक्री तथा प्रख्यापन व्यय	6,6
33—अन्य व्यय	2,50,0
योग	2,86,7

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय हेतु एक फोटो स्टेट मशीन का क्रय

सहकारी समितियों एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के मुख्यालय पर महत्वपूर्ण अभिलेखों आदि की प्रतियां बनाने के लि एक फोटो स्टेट मशीन क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त मशीन के क्रय किये जाने हेतु 1,38,000 रु० का (अनावर्तक) व्य अनुमानित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,38,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2425—सहकारिता-आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

105—सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा—

02—विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि—

06—कार्यालय व्यय	1,

विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोमती नदी के गहन अनुश्रवण की योजना	6,00	..	..	6,00	2215--जल-पूर्ति और सफाई	319 प
2	पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	7,00	..	..	7,00	तदैव	319 प
3	प्रदेश का पर्यावरणीय संरक्षण	2,00	..	..	2,00	तदैव	319 प
4	पारिस्थितिकी विकास हेतु प्रायोजनाओं की संरचना	4,00	..	..	4,00	तदैव	320 प
5	पर्यावरण ह्रास नियंत्रण	3,00	..	..	3,00	तदैव	320 प
6	उ0 प्र0 जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण परिषद् को अनुदान	6,00	..	..	6,00	तदैव	320 प
7	उ0 प्र0 राजकीय वेधशाला-नैनीताल की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था	52,50	..	..	52,50	3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	320 प
	योग ..	80,50	..	..	80,50		

गोमती नदी के गहन अनुश्रवण की योजना

लखनऊ की गोमती नदी में जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में कठौरा ड्रेन / काटू नाला एवं रायबरेली में सई नदी तथा सीतापुर में सरायन नदी की सहायक नदियों के जल प्रदूषण के कारण समय-समय पर मछलियों, जलीय जन्तुओं एवं मवेशियों आदि की मृत्यु की घटनाएं घटित होती रही है। उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार से जनहित एवं जन-स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दे जो गोमती जल प्रदूषण से जुड़े हुए हैं, उठाए जाते रहे हैं। जब तक कि समस्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्प्रवाह ट्रीटमेन्ट हेतु संयत्र नहीं लगा लिये जाते एवं सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि स्थानों पर शहरी मल-जल के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं कर ली जाती गोमती नदी का गहन अनुश्रवण जारी रखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत परियोजना में लखनऊ में पांच स्थानों पर पांच प्रचालकों हेतु प्रतिदिन अनुश्रवण कार्य किया जाना, प्रदेश में कुल तीन स्थानों के जल का प्रतिमाह दिन में चार बार नमूने एकत्र कर कुल 19 प्रचालकों का परीक्षण कराया जाना तथा प्रमुख मल-जल नालों एवं औद्योगिक उत्प्रवाहों की मानीटरिंग की जानी प्रस्तावित है जिससे प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर समयानुसार अस्थायी पदों का सृजन भी कर लिया जायगा। योजना पर आयोजनागत अवधि 1990-95 में कुल 27,00,000 रुपये तथा वर्ष 1990-91 में 6,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,00,000 रु0 की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2215--जलपूर्ति और सफाई--
02--मल निकासी और सफाई--
106--वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम--
(-)गोमती नदी के गहन अनुश्रवण की योजना--
33--अन्य व्यय 6,00

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन

जनसंख्या वृद्धि, उद्योग धन्धों एवं अन्य योजनाओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अन्धाधुन्ध दोहन से पर्यावरण का निरन्तर ह्रास हो रहा है। फलस्वरूप विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वन सम्पदा, जीव-जन्तुओं एवं वायु आदि पर कुप्रभाव पड़ रहा है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय अपघटन को रोकने के लिए योजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाना परम आवश्यक है। इस दृष्टि से नदियों एवं भूगर्भ जल की गुणवत्ता, मृदा, पक्षियों एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। इस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 7,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार आय व्ययक में 7,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2215--जलपूर्ति और सफाई--
02--मल निकासी और सफाई--
106--वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम--
(-) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन--
33--अन्य व्यय 7,00

प्रदेश का पर्यावरणीय संरक्षण

प्रदेश की प्राकृतिक जल संपदा के संरक्षण हेतु पायलट इवैलुयेशन प्रोजेक्ट चलाया जाना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के विभिन्न पारि भौगोलिक क्षेत्रों में फ्लोरा तथा फोना की सही स्थिति का पता लग सकेगा तथा विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में उनकी संवेदनशीलता आदि का पता लगाया जा सकता है। प्रदेश में पर्यावरणीय ह्रास के कारण अनेकों जन्तु व वनस्पति प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है। इनके संरक्षण व संवर्द्धन के लिये विशेष उपायों की आवश्यकता है। इस प्रकार की योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में भी उपयोगी सिद्ध हुयी। अतः इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 के बजट में 2,00,000 रु0 की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2215--जल पूर्ति और सफाई--
02--मल निकासी और सफाई--
106--वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम--
(-)--प्रदेश का पर्यावरणीय संरक्षण--
33- अन्य व्यय 2,00

पारिस्थितिकी विकास हेतु प्रायोजनाओं की संरचना

पर्यावरण संरक्षण एवं सन्तुलन बनाये रखने के लिये पर्यावरण ह्रास वाले क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय विकास आवश्यक है। पारिस्थितिकी विकास द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन में मदद मिलती है। अतः पारिस्थितिकी विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 4,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2215—जल पूर्ति और सफाई—
02—मल निकासी और सफाई—
106—वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम—
(–) पारिस्थितिकी विकास हेतु प्रायोजनाओं की संरचना—
33—अन्य व्यय 4,00

पर्यावरण ह्रास नियन्त्रण

पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक विकास योजना का अभिन्न अंग बनाये जाने के लिए ईंधन ब्रीकेट्स का विकास कर पर्यावरण ह्रास को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे ईंधन ब्रीकेट्स का विकास करना प्रस्तावित है जो अधिक उर्जा दे सके तथा जिनके प्रयोग से प्रदूषण कम हों। ईंधन ब्रीकेट्स का विकास ऐसे पदार्थों से किया जाना प्रस्तावित है जो नान कन्वेन्शनल हो तथा व्यर्थ समझे जाते हों। साथ में जलभराव के निदान और मिलों के उत्प्रवाह के प्रभाव का अध्ययन प्रस्तावित है अतः उक्त कार्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में 3,00,000 रु० के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार 1990–91 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2215—जल पूर्ति और सफाई—
02—मल निकासी और सफाई—
106—वायु औय जल प्रदूषण की रोकथाम—
08—पर्यावरण ह्रास का नियंत्रण—
33—अन्य व्यय 3,00

उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण परिषद् को अनुदान

प्रदेश में जल एवं वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण परिषद् द्वारा जो विभिन्न कार्य किये जाने हैं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 6,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में भी 6,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2215–जलपूर्ति और सफाई—
02–मल निकासी और सफाई—
106–वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम—
04–उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण परिषद् को अनुदान—
14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 6,00

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था

राजकीय वेधशाला, नैनीताल में उपलब्ध दुरबीनों की कार्यक्षमता को बढ़ाने व प्रेक्षणों के विश्लेषणों की शुद्धता तथा परिणामों को शीघ्र प्राप्त करने के लिये वर्तमान साज-सज्जा उपकरणों के विस्तार व विकास हेतु 47,00,000 रु० की अनुमानित लागत पर अतिरिक्त उपकरणों का क्रय प्रस्तावित है। साथ ही साथ उपलब्ध उपकरणों के अनुरक्षण की आवश्यकता भी है तथा कुछ लघु निर्माण कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में 52,50,000 रु० के व्यय का अनुमान है तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय व्ययक में 52,50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान—

60—अन्य—

004—अनुसंधान और विकास—

01—उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला नैनीताल तथा उसका सुदृढ़ीकरण—

06—कार्यालय व्यय		..	..	..	30
19—लघु निर्माण कार्य		..	..	..	80
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र			..	..	47,00
23—अनुरक्षण	..	..	..	..	2,40
33—अन्य व्यय	..	..	..	..	2,00
			योग	..	52,50

शिक्षा विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) प्राथमिक शिक्षा--						
1	ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)	45,19,80	..	..	45,19,80	2202--सामान्य शिक्षा	331 प
2	मैदानी क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों के अध्यापक / अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार (जिला योजना)	3,50	..	..	3,50	तदैव	331 प
3	ग्रामीण क्षेत्र के असेवित क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	27,69,40	..	..	27,69,40	तदैव	331 प
4	असेवित क्षेत्रों में बालक बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)	93,06	..	..	93,06	तदैव	332 प
5	सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	13,90	..	..	13,90	तदैव	332 प
6	जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	10,03	..	..	10,03	तदैव	332 प
7	ग्रामीण / नागर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान	1,09,00	..	..	1,09,00	तदैव	332 प
8	नागर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों के भूमि/भवन क्रय हेतु अनुदान	82,00	..	..	82,00	तदैव	333 प
9	अरबी/फारसी मदरसों के शिक्षक / शिक्षणेतर कर्मचारियों को मासिक वेतन भुगतान की व्यवस्था	4,00,00	..	..	4,00,00	तदैव	333 प
10	प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि (जिला योजना)	1,05	..	..	1,05	तदैव	333 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय — पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान (जिला योजना)	58,00	..	..	58,00	2202--सामान्य शिक्षा	334 प
12	सीनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	47,08	..	..	47,08	तदैव	334 प
13	अरबी मदरसों को प्रारम्भिक एवं विकास अनुदान	6,70	..	..	6,70	तदैव	334 प
14	प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों का मूल्यपरक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	10,00	..	..	10,00	तदैव	335 प
15	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	18,75	..	..	18,75	तदैव	335 प
16	असाहाय्यिक स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान।	3,24,00	..	..	3,24,00	तदैव	335 प
17	ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)	1,80,00	..	..	1,80,00	तदैव	336 प
18	नागर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षाएं	6,00	..	..	6,00	तदैव	336 प
19	नवसृजित जनपदों में बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन की स्थापना।	3,00	..	..	3,00	तदैव	337 प
20	प्राथमिक स्तर पर खेल कूद, बाल कल्याण तथा अन्य शैक्षिक कार्य-कलापों हेतु प्राविधान (जिला योजना)	29	..	..	29	2204-खेल एवं युवा कल्याण	338 प
	योग (क)	86,55,56	..	..	86,55,56		

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
	(ख) माध्यमिक शिक्षा--						
	मैदानी क्षेत्र के असहायिक अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना।	3,72,00	..	..	3,72,00	2202--सामान्य शिक्षा	338 प
	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कराने हेतु अनावर्तक अनुदान।	10,00	..	..	10,00	तदैव	338 प
	अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ताओं के पदों का सृजन।	1,00,00	..	..	1,00,00	तदैव	338 प
	व्याख्यानमाला कार्यक्रमों का आयोजन।	20	.	..	20	तदैव	339 प
	विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना तथा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण।	2,50,00	..	..	2,50,00	तदैव	339 प
	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभागों का खोलना तथा नये विषयों का समावेश।	26,33	..	..	26,33	तदैव	340 प
	लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान (जिला योजना)	15,03	..	..	15,03	तदैव	341 प
	राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था (जिला योजना)	2,42	..	..	2,42	तदैव	341 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
9	राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण।	50,00	..	..	50,00	2202-सामान्य शिक्षा	341
10	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनावर्तक अनुदान।	40,13	..	..	40,13	तदैव	342
11	उत्कृष्ट अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान।	4,00	..	..	4,00	तदैव	342
12	सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी सुविधा, साज सज्जा आदि के लिये अनुदान।	15,00	..	..	15,00	तदैव	343
13	सैनिक स्कूल सोसाइटी को अनुदान।	5,00	..	..	5,00	तदैव	343
14	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9-12 के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था	8,16,03	..	..	8,16,03	तदैव	343
15	प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 6-8 में 15 रु० प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति	77	..	..	77	तदैव	344
16	माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायीकरण की योजना	30,00	..	..	30,00	तदैव	344
17	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत प्रत्ययन सम्पर्क योजना	75,00	..	..	75,00	तदैव	344

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
18	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सम्वर्धन (जिला योजना)	19,80	..	..	19,80	2202-सामान्य शिक्षा	343 प
19	प्रदेशीय/मण्डलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	6,38	..	..	6,38	2204--खेल और युवा कल्याण	345 प
20	माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार	2,47	..	..	2,47	तदैव	346 प
21	स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान (जिला योजना)	12,31	..	..	12,31	2205-कला और संस्कृति	346 प
22	वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना	53,75	22,66	..	76,41	2205-कला और संस्कृति तथा 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	346 प
23	राजकीय इण्टर कालेजों में लघु स्टेडियम का निर्माण	..	10,00	..	10,00	4202-शिक्षा, खेल, कला संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	347 प
4	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भूमि भवन क्रय	..	10,00	..	10,00	तदैव	347 प
5	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशाला निर्माण (जिला योजना)	..	35,65	..	35,65	तदैव	347 प
	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत (जिला योजना)	..	2,56	..	2,56	तदैव	348 प
	योग (ख)	19,06,62	80,87	..	19,87,49		

शिक्षा विभाग

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनागत)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
(ग)	उच्च शिक्षा						
1	विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	75,00	..	..	75,00	2202–सामान्य शिक्षा	348
2	अशासकीय महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के प्रति अंशदान।	20,00	..	..	20,00	तदैव	349 प
3	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान।	5,00	..	..	5,00	तदैव	349
4	उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का सुदृढ़ीकरण।	1,50	..	..	1,50	तदैव	349
5	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण।	23	..	..	23	तदैव	350
6	अशासकीय महाविद्यालयों में नये संकाय एवं नवीन विषय हेतु अनुरक्षण अनुदान।	10,00	..	..	10,00	तदैव	350
7	राजकीय महाविद्यालयों के लिये भूमि की व्यवस्था	5,00	..	..	5,00	तदैव	350
8	राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के प्रति अंशदान तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान	10,00	..	..	10,00	तदैव	350
9	अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान।	21,00	..	..	21,00	तदैव	351
10	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान दुर्गाकुण्ड वाराणसी को शोध कार्य हेतु अनुदान।	5,00	..	..	5,00	तदैव	351
11	उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की स्थापना।	4,71	..	..	4,71	तदैव	315
12	नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।	10,00	90,00	..	1,00,00	2202–सामान्य शिक्षा तथा 4202–शिक्षा खेल कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	35[illegible]
13	त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक/शिक्षणेतर पदों एवं शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला/वाचनालय आदि की व्यवस्था।	40,00	10,39	..	50,39	2202–सामान्य शिक्षा तथा 4202–शिक्षा कला और संस्कृति पर पूंजी परि[illegible]	351
	योग (ग)	2,07,44	1,00,39	...	3,07,83		

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीषक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
2	3	4	5	6	7	8
(घ) प्रौढ़ शिक्षा—						
राज्य संसाधनों से संचालित परियोजनाओं में जन शिक्षण निलयमों की स्थापना	69,93	..	..	69,93	2202-सामान्य शिक्षा	353 प
राज्य संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार (जिला योजना)।	1,17,00	..	..	1,17,00	तदैव	353 प
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण।	1,30	..	..	1,30	तदैव	354 प
राज्य प्रौढ़ शिक्षण प्राधिकरण की स्थापना	25	..	..	25	तदैव	355 प
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में लगाये जाने वाले कम्प्यूटर के लिये एक एयरकन्डीशनर की व्यवस्था	25	.	.	25	तदैव	555 प
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के आयोजनार्थ अनुदान की व्यवस्था।	5,00	.	..	5,00	तदैव	355 प
प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशन कार्यक्रम	25	..	..	25	तदैव	356 प
राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नामक प्रशिक्षण इकाई का गठन	22,22	..	..	22,22	तदैव	356 प
योग (घ)	2,16,20	..	..	2,16,20		
(ङ) शैक्षिक अनुसंधान						
राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था	7,50,00	..	..	7,50,00	तदैव	357 प
मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र की स्थापना	2,00	..	..	200	तदैव	357 प
केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इम्प्रूवमेंट" आफ साइन्स एजूकेशन इन स्कूल्स योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि की व्यवस्था	2,00	..	..	2,00	तदैव	358 प
योग (ङ)	7,54,00	..	..	7,54,00		
कुल योग	1,17,39,82	1,81,26	..	1,19,21,08		

ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)

वर्ष 1989-90 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 7734 भवन हीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति नवम् वित्त ाग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से स्वीकृति की गई जिनका निर्माण-कार्य प्रगति पर है। ि अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भवनहीन प्राइमरी स्कूल भवनों की संख्या 5086 है जिनके निर्माण की स्वीकृति 1990-91 में दी जानी है। इनमें से 64 भवनहीन प्राइमरी स्कूल पर्वतीय क्षेत्र में है और 5022 भवनहीन प्राइमरी स्कूल नी क्षेत्र में है। इस सन्दर्भ में यह प्रस्तावित है कि प्रदेश के समस्त भवनहीन प्राइमरी स्कूल भवनों का निर्माण वर्ष 90-91 में करा लिया जाय जिससे वर्ष की समाप्ति पर कोई प्राइमरी स्कूल भवनहीन न रहे। 90,000 रु0 प्रति प्राइमरी ा भवन की लागत की दर से मैदानी क्षेत्र में 5022 भवनहीन प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण हेतु कुल 45,19,80,000 अनावर्तक व्यय की आवश्यकता है। तदनुसार आय व्ययक में 45,19,80,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--
01--प्राथमिक शिक्षा--
800--अन्य व्यय--
(-)ग्रामीण क्षेत्रों के भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	..	45,19,80

मैदानी क्षेत्र के बेसिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार (जिला योजना)

मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक जनपद / ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए प्रोत्साहन दक्षता पुरस्कार की योजना विगत कई पंचवर्षीय योजनाओं से चलती आ रही है। उक्त योजनान्तर्गत 500 रु0 प्रति ापक को पुरस्कृत किया जाता है। सीमित आर्थिक संशाधनों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1990-91 में बेसिक के 700 अध्यापक ्यापिकाओं को 500 रु0 की दर से पुरस्कार दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 1990-91 में 3,50,000 रु0 व्यय होने का मान है। जो अध्याप क इस योजना से लाभान्वित होंगे वे किसी सरकारी या गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयके अध्यापक भी हो ते हैं। प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के केवल उन्हीं अध्यापकों को सम्मिलित किया जायगा जो पांचवीं अथवा आठवीं कक्षा को ते हैं। दक्षता पुरस्कार देने के लिए अध्यापक / अध्यापिकाओं का परीक्षाफल एक विशिष्ट मानक होता है इसके अतिरिक्त अध्यापक ्यापिकाओं में छात्र / छात्राओं पर अनुशासन रखने की क्षमता उच्चकोटि की होनी चाहिए तथा प्रधानाध्यपक / प्रधानाध्यापिका, ्धक, अध्यापक के कार्य एवं आचरण को उच्च कोटि का समझते हों तथा उसमें कोई विवाद न हो। साथ ही वह पाठ्येत्तर कार्य में े खेलकूद, स्काउटिंग, रेडक्रास, स्वावलम्बन एवं प्रोजेक्ट आदि में सक्रिय भाग तथा पूर्ण सहयोग देता रहा हो। तदनुसार वर्ष 1990- के आय-व्ययक में 3,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत
01--प्राथमिक शिक्षा--
106--शिक्षक और अन्य सेवायें--
(-)--बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार (जिला योजना)--

33--अन्य व्यय	..	..	..	..	..	3,50

ग्रामीण क्षेत्र के असेवित क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)

वय वर्ग 6-11 के सभी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के 1.5 कि0 मी0 की दूरी और 3000 की ादी पर विद्यालय खोलने का मानक निर्धारित किया गया है। आठवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष 1990-91 में 27,69,40,000 (अर्थात् 22,70,00,000 रु0 आवर्तक तथा 4,99,40,000 रु0 अनावर्तक) के अनुमानित व्यय से 2270 विद्यालय खोला ा प्रस्तावित हैं। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 27,69,40,000 रु0 धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--
01--प्राथमिक शिक्षा--आयोजनागत--
102--गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--
(-)--ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	27,69,40

असेवित क्षेत्रों में बालक/बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान

11-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाता है। वर्ष 1990-91 में 33 सीनियर बेसि स्कूल मैदानी क्षेत्र में, 50 प्रतिशत बालक तथा 50 प्रतिशत बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों के खोलने का प्रस्ताव आठ योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार 1990-91 में 33 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु 93,06,000 रु (अर्थात् 66,00,000 रु० का आवर्तक तथा 27,06,000 रु० का अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार इतनी ही धनरा की आय-व्ययक वर्ष 1990-91 में व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों मे

2202--सामान्य शिक्षा--
01--प्राथमिक शिक्षा--आयोजनागत--
102--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--
(-) ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूल खोलना--
(जिला योजना)--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 93,0

सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

विज्ञान विषय के प्रयोगों, खोजों के प्रति बालकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञान किट प्रत्येक विद्यालय को उपल कराया जाना आवश्यक है। अतः यह प्रस्तावित है कि सीनियर बेसिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगों के लिए प्रत्येक विद्यालय को एक-ए विज्ञान किट/उपकरण योजनान्तर्गत दिया जाय। आठवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष 1990-91 में मैदानी क्षेत्र के सीनियर बेसि विद्यालयों को 5,000 रु० प्रति विद्यालय की दर से 278 विद्यालयों को दिया जाना प्रस्तावित है जिस पर 13,90,000 रु० व अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,90,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में

2202--सामान्य शिक्षा--
01--प्राथमिक शिक्षा--
052--उपस्कर--
(-)--ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के विज्ञान उपकरण और साज-सज्जा अनुदान
(जिला योजना)--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 13,9

जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण का कार्य प्रदेश में द्रुतगति से चलाया जा रहा है। 6-11 वय वर्ग के बच्चों को अन विषयों के साथ-साथ विज्ञान विषय की भी शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। उक्त विषय से बालकों को परिचित कराने हेतु मैदान क्षेत्र के 811 जूनियर बेसिक स्कूलों को वर्ष 1990-91 में विज्ञान किट जिसकी लागत 1200 प्रति किट आंकी गयी है, दिये जा का प्रस्ताव है। आठवीं योजनावधि के प्रथम वर्ष 1990-91 में इस हेतु 10,03,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार व 1990-91 के आय-व्ययक में 10,03,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--
01--प्राथमिक शिक्षा--
052--उपस्कर--
(-) ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान
किट देने हेतु अनुदान (जिला योजना)--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,0

ग्रामीण/नागर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखने के लिये अतिरिक्त अध्यापकों क नियुक्ति हेतु अनुदान

योजनान्तर्गत प्राइमरी विद्यालयों में इस समय प्रत्येक विद्यालय को दो अध्यापक दिये जाने का प्राविधान है। शासन द्वारा अनुमोदित मानकानुसार 1 : 40 के अनुपात में अध्यापकों की आवश्यकता काफी दिनों से अनुभव की जा रही है किन्तु आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उक्त अनुपात में अतिरिक्त अध्यापकों के पद नहीं स्वीकृत किये जा रहे हैं। इस योजनान्तर्गत जूनियर

[ब]ेसिक स्कूलों में 8532 प्रधानाध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों के 37,000 पद सृजन की नितान्त आवश्यकता है। आठवीं [यो]जनावधि के प्रथम वर्ष 1990-91 में 1274 अध्यापकों के अतिरिक्त पद स्वीकृति किये जाने पर 1,09,00,000 रु० का आवर्तक [व्य]य संभावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--

01--प्राथमिक शिक्षा--आयोजनागत--

102--गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--

(--)ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान (राज्य सेक्टर)---

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,09,00

नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों के भूमि/भवन क्रय हेतु अनुदान

ग्रामीण क्षेत्र में परिषदीय भवनों के निर्माण हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। [कि]न्तु नागर क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त करना सम्भव नहीं हो रहा है क्योंकि आबादी की क्रमोत्तर वृद्धि के कारण [न]गर क्षेत्र में उपयुक्त भूमि का अभाव है तथा भूमि महंगी होने के कारण कोई भी व्यक्ति निःशुल्क भूमि देने हेतु तैयार नहीं होता है। [विभा]ग के सीमित वित्तीय संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1990-91 में 55 बेसिक शिक्षा परिषदीय भवन हीन स्कूलों के लिए [भू]मि क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिस पर 82,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक [में] इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--

01--प्राथमिक शिक्षा--आयोजनागत--

102--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता (राज्य सेक्टर)---

(--) नागर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों के भूमि/भवन क्रय हेतु अनुदान

11--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 82,00

अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को मासिक वेतन भुगतान की व्यवस्था

प्रदेश के सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन सुनिश्चित [क]राने के उद्देश्य से इन मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर वेतन वितरण व्यवस्था लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इस [का]र्य पर वर्ष 1990-91 में 4,00,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी [ही] धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

01--प्राथमिक शिक्षा--

800--अन्य व्यय--

(--)--अरेबिक पाठशालाओं को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता .. 4,00,00

[प्रदे]श के मैदानी क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूलों में दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि (जिला योजना)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 8570 योग्यता छात्रवृत्तियां जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को 15 रु० प्रति माह [क]ी दर से तीन वर्ष के लिये दी जाती रही है। छात्रों की संख्या के अनुपात में योग्यता छात्रवृत्तियां की संख्या कम है इसलिए आठवीं [पं]चवर्षीय योजनाकाल में इनकी संख्या बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से की जानी प्रस्तावित है जिस पर [वर्ष 1]990-91 में 1,05,000 रु० का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,05,000 रु० [क]ी व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन -

(हजार रुपयों में

2202--सामान्य शिक्षा-- आयोजनागत-

01--प्राथमिक शिक्षा--

109--छात्रवृत्तियां एवं प्रोत्साहन--

(-)प्रदेश के मैदानी जिलों में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 15 रु0 प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति (जिला योजना)--

15--छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन 1,0

जूनियर बेसिक स्कूलों में साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान (जिला योजना)

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत मेज, कुर्सी, आलमारी, टाट पट्टी तथा विभिन्न प्रकार की 37 वस्तुयें उपलब्ध करा गई हैं जिसके रख रखाव हेतु 200 रुपये प्रति विद्यालय की दर से अनुदान देने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना के प्रथम व 1990-91 में 29,000 विद्यालयों को 200 रुपया प्रति विद्यालय अनुदान देने पर 58,00,000 रुपये का व्यय सम्भाव्य है इ प्रयोजनार्थ वष 1990-91 के आय-व्ययक में 58,00,000 रुपये अनावर्तक की व्यवस्था की जा रही है। वित्तीय स्वीकृ परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2202--सामान्य शिक्षा--

01--प्राथमिक शिक्षा--

102--गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सहायता--

(-)--ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों को साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान

(जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 58

सीनियर बेसिक स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान

परिषदीय विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की कमी का अनुभव किया जा रहा है। योजना के माध्य से परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों को साज-सज्जा से सुसज्जित करने का लक्ष्य निहित है। आठवीं योजनावधि के 1990-91 में मैदानी जनपदों के सीनियर बेसिक स्कूलों को 15,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से अनुदान दिया जाना प्रस्ता है। इस योजना में कुल 47,08,000 रुपये का व्यय संभावित है। अतः वर्ष 1990-91के आय-व्ययक में 47,08,000 के अनावर्तक व्यय की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--

01-प्राथमिक शिक्षा-- (हजार रुपयो

102-गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान--

(-) ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों को साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 47,

अरबी मदरसों को प्रारम्भिक एवम् विकास अनुदान

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त असहायित अरबी-फारसी मदरसों को अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने तथा मान्य प्राप्त एवं सहायता अरबी/फारसी मदरसों के विकास हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जाने के लिये वर्ष 1990-91 में 6,70,000 रु0 की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,70,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी जिसकी स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--प्राथमिक--

800--अन्य व्यय--

(-)--अरेबिक मदरसों को विकास एवम् प्रारम्भिक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 6,70

प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों को मूल्यपरक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने एवं नैतिक मूल्यों के उन्नयन के लिये प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापकों तथा निरीक्षकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाना उनके ज्ञान को अभिनवीकृत रखने के उद्देश्य से अत्यन्त आवश्यक है। इस समय प्रदेश में लगभग 3 लाख अध्यापक और निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि 1790 शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसमें 128 "की परसन" के प्रशिक्षण पर व्यय भी सम्मिलित है। इस पर योजना के प्रथम वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० (अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। के तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षक के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--

01--प्राथमिक शिक्षा--

107--शिक्षकों का प्रशिक्षण--

(-)-प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को मूल्य परक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण हेतु अनुदान

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

नव सृजित जनपदों क्रमशः मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र तथा महराजगंज में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु पुराने जनपदों में स्वीकृत स्टाफ के अनुरूप स्टाफ स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिये 18,75,000 रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--

01--प्राथमिक शिक्षा--104--निरीक्षण--

(-) नव सृजित जनपदों मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र तथा महराजगंज में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना--

01--वेतन	9,00
03--महंगाई भत्ता	4,00
05--अन्य भत्ते	2,00
06--कार्यालय व्यय	2,00
07--टेलीफोन पर व्यय	1,75
योग	18,75

असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की बढ़ती हुई मांग के कारण असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर स्कूल की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 में 300 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है। विद्यालय का अनुमानित व्यय 18,000 रु० प्रतिमास तथा वार्षिक व्यय 2,16,000 रु० होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1990-91 में 300 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने पर 3,24,00,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 3,24,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--

01--प्राथमिक शिक्षा--

102--गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता--

(-) मान्यता प्राप्त असहायिक सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान-- .. 3,24,00

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

ग्रामीण तथा नागर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान (जिला योजना)

प्रदेश के मैदानी जनपदों में 1,157 परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना शेष है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना में वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित किए गए 100 भवनों के लक्ष्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार 1,80,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्यय में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

01--प्राथमिक शिक्षा--

102--गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता--

(-) ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान-- (जिला योजना)--

24--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,80,00

नागर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वय-वर्ग 6-14 के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षाएं

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनौपचारिक शिक्षा योजना को औपचारिक शिक्षा के पूरक के रूप में प्रदेश में संचालित किया गया है। इस समय प्रदेश में कुल 591 परियोजनाएं संचालित हैं। योजना के क्रियान्वयन तथा निरीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर 12 विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) तथा जनपद स्तर पर 60 जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत किए गए हैं। चूंकि अब 13 मण्डलों तथा 63 जनपदों का सृजन हो चुका है अतः एक विशेष कार्याधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) तथा तीन जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी के पद का सृजन प्रस्तावित है। इन पदों पर पांच वर्षों में 29,28 000 रु० व्यय का अनुमान है जिसमें से 14,85,000 रु० राज्य सरकार द्वारा तथा 14,43,000 रु० भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। तद्नुसार 6,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय के अनुमान-- (हजार रुपयों में)

(क) कुल परिव्यय (1990-95) 29,28

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 27,88

3--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतन-मान		पदों की संख्या
			रु०		
1	विशेष कार्याधिकारी	..	2200-4000	..	1
2	ज्येष्ठ सहायक	..	1200-2040	..	1
3	चपरासी	..	750-940	..	1
	जिला स्तर :--				
1	जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी	..	2200-4000	..	3
2	ज्येष्ठ सहायक	..	1200-2040	..	3
3	लेखा लिपिक	..	950-1500	..	3
4	चपरासी	..	750-940	..	3

(ख) सज्जा / भण्डार / मशीनें / गाड़ियों इत्यादि का स्थूल ब्योरे--

मद				धनराशि 1990-91
(क) भारत में खरीदी जाने वाली उपकरण / सज्जा	..	..	..	1,40,00

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत

01--प्राथमिक शिक्षा--

105--गैर-औपचारिक शिक्षा--

01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--

(-)--नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के व्यय वर्ग 6-14 वर्ष के लिए अंशकालिक कक्षाएं--

01--वेतन	6,00

5--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	3,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 800--अन्य अनुदान-- 65--प्राथमिक शिक्षा--	50 प्रतिशत

नव सृजित जनपदों में बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन की स्थापना

नव सृजित जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा संबंधी परिषदीय एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के कर्मचारियों/ [शि]क्षकों के वेतन आहरण एवं वितरण, सामान्य भविष्य निधि के लेखों का रख-रखाव, वेतन निर्धारण सम्परीक्षण आदि कार्यों का पूर्ण-[रू]पेण सम्पादन करने के लिए बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 [में] 3,00,000 रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। पदों का सृजन मानकानुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टि [में] रखते हुए यथा समय किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में 3,00,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। [स्]वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

01--प्राथमिक शिक्षा--

104--निरीक्षण--

(-)--नव सृजित जनपदों में बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन की स्थापना--

01--वेतन	1,58
03--महंगाई	81
04--यात्रा व्यय	10
06--कार्यालय व्यय	30
11--किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	11
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10
..	3,00

प्राथमिक स्तर पर खेलकूद बाल कल्याण तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलापों हेतु प्राविधान (जिला योजना)

प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं के शारीरिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास के लिये विविध प्रकार के खेल-कूद, एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन के कार्यान्वियन एवं प्रभावी संचालन हेतु मण्डल स्तर पर 7500 रु0 तथा जनपद स्तर पर 3500 रु0 की धनराशि स्वीकृत की जाती है । इस योजना को कानपुर मण्डल तथा नव सृजित 6 जनपदों में चालू किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 1990-91 में इस हेतु 28,500 रु0 का व्यय अनुमानित है । अत: वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 29,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2204—खेल एवं युवा कल्याण—

101—शारीरिक शिक्षा—

(–) प्राथमिक स्तर पर खेलकूद–बाल कल्याण तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलापों हेतु प्राविधान (जिला योजना)—

33—अन्य व्यय	.. ..	29

मैदानी क्षेत्र के असहायिक अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी यथासंभव और विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेकर उनमें कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान, वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत कराकर उनमें व्याप्त असन्तोष को दूर करना प्रस्तावित है ताकि उनके असन्तोष का कुप्रभाव छात्र / छात्राओं को शिक्षा पर पड़ने का भय दूर हो सके । वर्ष 1990-91 में 20 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव के कार्यान्वियन पर अनुमानित व्यय लगभग 3,72,00,000 रु0 होगा जिसकी आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

02—माध्यमिक शिक्षा—

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—

(–)अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	..	3,72,0[illegible]

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कराने हेतु अनावर्तक अनुदान

आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विद्यालयों में छात्र प्रवेश दबाव को कम करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कक्ष बनवाने के लिए अनावर्तक अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1990-91 में 50 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माणार्थ 10,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है । तदनुसार आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है । स्वीकृत विस्तृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

02—माध्यमिक शिक्षा—

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—

(–)सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु सहायता—

14—सहायक अनुदान/अंशदान / राज सहायता	..	10,00

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ताओं के पदों का सृजन ।

प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल परीक्षा में विज्ञान तथा गणित विषयों को अनिवार्य कर दिये जाने के फलस्वरूप विज्ञान एवं गणित के एल0 टी0 वेतनक्रम तथा प्रवक्ता वेतनक्रम के पदों का सृजन बहुत आवश्यक है । सीमित संसाधनों को दृष्टि में रखकर प्रतिवर्ष क्रमागत रूप में पदों को सृजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91

1,000 एल0 टी0 वेतनक्रम के तथा 100 प्रवक्ता वेतनक्रम के अध्यापकों के पदों के सृजन में 1,00,00,000 रु0 का व्यय मानित है। तद्नुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत क्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

02—माध्यमिक शिक्षा—

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—

(—)सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के अध्यापकों के पदों का सृजन—

14—सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. 1,00,00

व्याख्यानमाला कार्यक्रमों का आयोजन

संस्कृत साहित्य के प्रति जन जागृति उत्पन्न करने हेतु व्याख्यानमाला कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है। इस कार्य निष्पादन उ0 प्र0 संस्कृत अकादमी, लखनऊ द्वारा किया जायगा। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 20,000 रु0 का होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति क्षणोपरान्त प्रदान की जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

05—भाषा विकास—

102—आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का सम्वर्द्धन—

(—) व्याख्यानमाला कार्यक्रमों का आयोजन—

33—अन्य व्यय 20

विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना तथा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण।

तहसील स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश बालिकायें बालिका लय न होने के कारण माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित रह जायेंगी। प्रदेश में 488 विकास खण्ड ऐसे हैं जहां कोई भी मिक स्तर का बालिका विद्यालय नहीं है। अत: इन सभी असेवित विकास खंडों में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोलने का व है। विद्यालयों के संचालनार्थ शिक्षण एवं शिक्षणेतर पदों के साथ काष्ठोपकरण उपकरण, विद्यालय के लिये आदि की व्यवस्था आवश्यक है। वर्ष 1990-91 में 100 विद्यालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव है जिस पर 2,50,00,000 रु0 10,00,000 रु0 आवर्तक तथा 40,00,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 0,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद			वेतनमान	पदों की संख्या
			रु0	
प्रधानाध्यापिका	..	..	2000-3500	100
सहायक अध्यापिका	..	..	1400-2300	700
सहायक अध्यापिका	..	..	1200-2040	500
कनिष्ठ लिपिक	..	..	950-1500	100
दफ्तरी	..	..	775-1025	100
चपरासी	..	..	750-940	400
प्रयोगशाला परिचर	..	..	750-940	100

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा—

02—माध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत—

109—सरकारी माध्यमिक विद्यालय—

(—) विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कन्या हाई स्कूलों की स्थापना तथा राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण (जिला योजना)—

01—वेतन	1,40,00
03—महंगाई भत्ता	60,00
04—यात्रा व्यय	5,00
05—अन्य भत्ते	5,00
19—लघु निर्माण कार्य	20,00
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20,00
योग	2,50,00

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभागों का खोलना तथा नये विषयों का समावेश

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश समस्या के समाधान के निमित्त विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभागों के खोलने तथा नये विषयों के समावेश किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित अतिरिक्त पदों के सृजन तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं उसकी साज-सज्जा की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 1990–91 में 60 विद्यालयों के लिये 26,33,000 रु० (17,50,000 रु० आवर्तक तथा 8,83,000 रु० अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 26,33,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु०	
प्रवक्ता	1600–2660	3
स्नातक	1400–2300	2
अधिस्नातक	1200–2040	2

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपये में)

2202—सामान्य शिक्षा—

02—माध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत—

109—सरकारी माध्यमिक विद्यालय:—

(—) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश (जिला योजना)—

01—वेतन	7,9
03—महंगाई भत्ता	3,6
05—अन्य भत्ते	6,00
20—मशीनें और सज्जा/उपस्कर और संयंत्र	8,8
योग	26,3

लघु और छोटे निर्माण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान (जिला योजना)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों में त्वरित प्रकृति के लघु निर्माण/मरम्मत कार्य कराने के निमित्त वर्ष 1990-91 में 15,03,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है जिसके लिये आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--भौतिक लक्ष्य/लाभ/उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम--

मद	इकाई	वर्ष 1990-91
(1) भवन विस्तार (लघु निर्माण)	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	10
(2) भवन विस्तार (लघु निर्माण)	राजकीय इण्टर कालेज	4
(3) भवन मरम्मत (लघु कार्य)	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	5
(4) भवन मरम्मत (लघु कार्य)	राजकीय इण्टर कालेज	5

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--माध्यमिक शिक्षा--

109--सरकारी माध्यमिक विद्यालय-

(--) माध्यमिक विद्यालयों के लघु निर्माण कार्य हेतु रक्षित धनराशि--

19--लघु निर्माण कार्य (जिला योजना) 15,03

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था (जिला योजना)

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को घर से स्कूल जाने एवं स्कूल से घर वापस आने में होने वाली बाधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989-90 में 6 कन्या विद्यालयों में एक-एक बस क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बसों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु 2,42,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 2,42,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

02--माध्यमिक शिक्षा--

109--सरकारी माध्यमिक विद्यालय--

(--)राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था (जिला योजना)--

08--मोटर गाड़ियों का क्रय 2,42

राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण

प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में इण्टर कालेजों के अभाव में बालक / बालिकाएं हाई स्कूल के पश्चात् इण्टर स्तर की शिक्षा पाने से वंचित रह जाते है। अतः इण्टर स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 में 15 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव है। इण्टर स्तर पर उच्चीकृत विद्यालयों के लिए काष्ठोपकरण, विज्ञान उपकरण पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु० (37,59,000 रु० आवर्तक तथा 12,41,000 रु० अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 50,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पद		वेतन-क्रम	पदों की संख्या
1--प्रधानाचार्य	..	2200-4000	15
2--प्रवक्ता	..	1600-2660	105
3--प्रधान लिपिक	..	1200-2040	15
4--लैब विवरर	..	750-940	45

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-

02--माध्यमिक शिक्षा--

109--सरकारी माध्यमिक विद्यालय--

राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण--

01--वेतन	22,78
03--महंगाई भत्ता	13,31
05--अन्य भत्ते	75
06--कार्यालय व्यय	75
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	12,41
योग ..	50,00

ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा हेतु अनावर्तक अनुदान।

अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में बालिकाओं के लिये सेनेटरी सुविधा न होने के कारण बालिकाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः यह प्रस्तावित है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1990--91 में भी मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे विद्यालयों को कामन रूम तथा प्रसाधन कक्ष तथा ओवर हेड टैंक आदि का निर्माण कराने हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाय। इस परियोजना के अन्तर्गत 60,000 रु० प्रति विद्यालय व्यय होने का अनुमान है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 1990--91 में 40,13,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--वर्ष 1990--91 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

(हजार रुपयों में)

02--माध्यमिक शिक्षा--

110--गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

(--) ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा हेतु अनावर्तक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	40,13

उत्कृष्ट अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो विभिन्न मानकों के आधार पर उत्कृष्ट पाये जाते हैं, उनके समुचित विकास एवं उन्नयन हेतु साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण तथा विज्ञान उपकरणों की व्यवस्था हेतु प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990--91 में 4 विद्यालयों को अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। फलस्वरूप वर्ष 1990--91 में 4 विद्यालयों को 1.00 लाख रुपये प्रति विद्यालय की दर से देने हेतु 4,00,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990--91 के आय-व्ययक में 4,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--

02--माध्यमिक शिक्षा--आयोजनागत--

110--अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

(--) उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	4,00

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सेनेटरी सुविधा, साज-सज्जा आदि के लिए अनुदान।

आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 100 बालक तथा 101 बालिका अर्थात् ...1 विद्यालयों के लिये सेनेटरी सुविधा अतिरिक्त साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। ...स मद में वर्ष 1990-91 में 15,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 15,000,00 रु0 व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--

02--माध्यमिक शिक्षा-आयोजनागत--

110--गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

(-)--सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों सेनेटरी सुविधा, साज-सज्जा आदि के लिए अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 15,00

सैनिक स्कूल सोसायटी को अनुदान

उ0 प्र0 सैनिक स्कूल सरोजनीनगर लखनऊ की भूमि पर अनेक अनाधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं ने अनाधिकृत निर्माण ...ये आरम्भ कर दिया है। स्कूल के भवनों को सुरक्षित रखने एवं भविष्य में होने वाले अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिये ...न की चहारदीवारी (बाउन्ड्रीवाल) का बनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुल 25.00 लाख रुपये के लगभग व्यय होने का ...मान है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की ...कृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--

02--माध्यमिक शिक्षा- आयोजनागत--

800--अन्य व्यय-

(--) उ0 प्र0 सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,00

...यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 9-12 के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

...शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि शिक्षा जन साधारण के लिये समान ...सुलभ करायी जाय। प्रदेश के कक्षा 6-8 के बालकों की शिक्षण शुल्क से मुक्ति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। ...ओं के लिये यह व्यवस्था पहले से ही है। अब कक्षा 9-12 के बालकों को भी शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करन... ...ताव है। वर्ष 1990-91 में उक्त कार्य के लिये 8,16,03,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष ...0-91 के आय-व्ययक में 8,16,03,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपये में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

02--माध्यमिक शिक्षा--

110--गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता--

(--) कक्षा 9-12 के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 8,16,03

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6-8 में 15 रुपये प्रतिमास के दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 8529 योग्यता छात्रवृत्तियां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं को 15 रुपये प्रतिमाह की दर से तीन वर्ष के लिये दी जा रही है परन्तु छात्रों की संख्या के अनुपात में योग्यता छात्रवृत्तियों की संख्या कम है। आठवीं पंचवर्षीय आयोजनावधि में छात्रवृत्तियों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करके 645 नयी छात्रवृत्तियां स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है जिस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 77,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 77,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा—

02—माध्यमिक शिक्षा—आयोजनागत—

107—छात्रवृत्तियां—

(—) प्रदेश के मैदानी जिलों में कक्षा 6-8 में 15 रु0 प्रतिमास की दर से तीन वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति—

15—छात्रवृत्ति और छात्रवेतन 77

माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायीकरण की योजना

माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायीकरण की योजना सप्तम पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गयी थी। योजना के अन्त तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में वाणिज्य विषय में 112 विद्यालयों में, गृह विज्ञान विषय में 126 विद्यालयों में तथा कृषि विषय में 154 विद्यालयों में यह योजना संचालित की जा चुकी है। इन विद्यालयों में से वाणिज्य, गृह विज्ञान तथा कृषि में क्रमशः 103 75 और 29 विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर वर्ष 1989-90 से केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना चालू की गयी है अथवा वर्ष 1990-91 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। अतः इन विद्यालयों में आगामी शैक्षिक सत्र के बाद राज्य योजना समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसलिये इन विद्यालयों के लिये मात्र इण्टर द्वितीय वर्ष के लिये व्याख्यान व्यवस्था तथा परामर्श और कार्यालयों का व्यय प्रस्तावित है। जिन विद्यालयों में केन्द्रीय योजना न तो संचालित की गयी और न ही आगामी वर्ष में संचालन हेतु प्रस्तावित है उनमें राज्य योजना संचालित रखने का प्रस्ताव है। अतः इनमें इण्टर प्रथम तथा द्वितीय दोनों वर्षों के लिय व्यय का प्रस्ताव है। वाणिज्य में ऐसे 9 विद्यालय हैं। गृह विज्ञान विषय में 51 विद्यालयों के साथ 5 और विद्यालयों जिनमें व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार संचालित है किन्तु उन्हें पूर्व वर्ष में अनुदान नहीं दिया गया है वर्ष 1990-91 के लिये इन्हें सम्मिलित करते हुए गृह विज्ञान के कुल 56 विद्यालयों में राज्य योजना चालू रखने का प्रस्ताव है। कृषि में शेष 12 विद्यालयों के लिये अनुदान का प्रस्ताव है। उक्त योजना के वर्ष 1990-91 में कार्यान्वियन हेतु कुल 30,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

7—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में

2202—सामान्य शिक्षा—

02—माध्यमिक शिक्षा—आयोजनागत—

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयो को सहायता-2

(-) माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायीकरण की योजना—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 30,0

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना

प्रदेश के अच्छे विद्यालयों में प्रवेश के घनीभूत दबाव को कम करने एवं इस कारण अपने इच्छित विद्यालयों एवं रुचि के विषयों में प्रवेश से वंचित रह गये छात्रों, बचपन से ही रोजी-रोटी के चक्कर में फंस जाने के कारण संस्थागत शिक्षण की धारा से विलग हो गये निर्बल वर्ग के शिक्षार्थियों तथा सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पूर्ण कालिक संस्थागत शिक्षण ले जाने में असमर्थ महिलाओं को संस्थागत शिक्षण की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न मैदानी जनपदों में अवस्थित 83 राजकीय तथा 12 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना इण्टरमीडिए कक्षाओं के साहित्यिक वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग में सम्बन्धित विद्यालय केन्द्रों के मान्यता प्राप्त वर्गों प्रति कक्षा प्रति वर्ग दो अनुभाग के आधार पर चलायी जा रही है। इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी संचालित किये जाने का प्रस्ता है। प्रश्नगत योजना पूर्व में नियमित रूपरेखा / मानकों के आधार पर संचालित की जायेगी। वर्ष 1990-91 में योजना के लिए राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः 64,00,000 रु0 तथा 11,00,00 रु0 अर्थात् कुल 75,00,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय व्ययक में 75,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—— (हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा——

02—माध्यमिक शिक्षा—आयोजनागत——

109—सरकारी माध्यमिक विद्यालय——

(–) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना——

01—वेतन	..	..	..	..	2,64
03—महंगाई भत्ता	..	..	..	..	76
04—यात्रा व्यय	..	..	..	..	10
05—अन्य भत्ते	..	..	..	..	51
06—कार्यालय व्यय	..	..	..	..	05
07—टेलीफोन	..	..	..	..	..
33—अन्य व्यय	..	..	..	..	59,94
				योग ..	64,00

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सहायता——

(–) चुने हुए सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना–

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	..	..	11,00
		योग	75,00

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संवर्धन (जिला योजना)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 600 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकीय सहायता या फर्नीचर क्रय एवं पुस्तक बंधन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम एक हजार नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990–91 में इस पर 19,80,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 19,80,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन——

(हजार रुपयों में)

2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत——

02—माध्यमिक शिक्षा–

110—गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता——

(–) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों का सम्वर्धन——

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 19,80

प्रदेशीय/मण्डलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले उत्तम खिलाड़ियों का चयन करने हेतु प्रदेशीय/मण्डल स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं को आयोजित करना प्रस्तावित है ताकि प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने कौशल का उत्तम प्रदर्शन करके प्रदेश को गौरवान्वित कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत मैदानी भाग के मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजनार्थ वर्ष 1990–91 में 6,38,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 6,38,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन——

2204—खेल और युवा कल्याण–आयोजनागत—— (हजार रुपयों में)

104—खेलकूद——

(–) खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु व्यवस्था

33—अन्य व्यय 6,38

माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में सामूहिक कार्यों की प्रवृत्ति, श्रम के प्रति आस्था तथा समानता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से बालचर योजना के विस्तार का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 2,47,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के लिये 2,47,000 रु० के आवर्तक व्यय की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

2204—खेल और युवा कल्याण—आयोजनागत—

102—विद्यार्थियों के लिये युवक कल्याण कार्यक्रम—

माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का विस्तार—

33—अन्य व्यय .. .. 2[illegible]

स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान (जिला योजना)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदेश के लगभग 250 स्वैच्छिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता तथा फर्नीचर क्रय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनका संवर्धन किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 40 पुस्तकालयों को सहायता पहुंचाकर उनका संवर्धन करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में योजना पर 12,31,000 व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 12,31,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण बाद दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों)

2205—कला और संस्कृति—

105—सार्वजनिक पुस्तकालय-आयोजनागत—

(-) सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान (जिला योजना)—

14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. .. .. 12[illegible]

वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना (जिला योजना)

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के सभी पुराने 49 जनपदों में राजकीय जिला पुस्तकालय स्थापित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौ[illegible] इन पुस्तकालयों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 6 नव स्थापित जनपदों में पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस परियोजना पर 76,41,000 रु० की धनराशि व्यय होने का अनुमान तदनुसार आय-व्ययक में 76,41,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारी वर्ग—

पदनाम	वेतनक्रम रु०
तृतीय श्रेणी	1200-2040
चतुर्थ श्रेणी	750-940

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2205—कला और संस्कृति-आयोजनागत—

105—सार्वजनिक पुस्तकालय—

( ) वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालय का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना (जिला योजना)— (हजार रुपयों)

01—वेतन	1[illegible]
03—मंहगाई भत्ता	
04—यात्रा व्यय	
05—अन्य भत्ते	
06—कार्यालय व्यय	3[illegible]
20—मशीनें और साज सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1[illegible]
33—अन्य व्यय	
योग ..	5[illegible]

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--
04-कला और संस्कृति--
105--सार्वजनिक पुस्तकालय--
( ) राजकीय जिला पुस्तकालय के भवनों का निर्माण--

18--वृहत निर्माण कार्य		22,66
	योग	76,41

राजकीय इण्टर कालेजों में लघु स्टेडियम का निर्माण

छात्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से राजकीय इंटर कालेजों में स्टेडियम निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय संसाधन के सीमित होने के कारण मैदानी क्षेत्र में फिलहाल केवल एक राजकीय इंटर कालेज में स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राजकीय इण्टर कालेज उन्नाव का चयन किया गया है। इस विद्यालय में जनपदीय/मंडलीय/प्रान्तीय स्तरीय खेलकूद की रैलियां भी आयोजित की जायेंगी। स्टेडियम निर्माण के साथ वाहन स्टैण्ड एवं कैण्टीन आदि के निर्माण कराये जाने का भी प्रस्ताव है। एक स्टेडियम निर्माण हेतु कुल 25,00,000 रु० की आवश्यकता होगी। वर्ष 1990-91 में उक्त निर्माण कार्य हेतु 10,00,000 रु० अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार 10,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-- आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
101--सामान्य शिक्षा--
202--माध्यमिक शिक्षा--
(--) इण्टर कालेजों में लघु स्टेडियम का निर्माण --
18--वृहत् निर्माण कार्य 10,00

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि/भवन क्रय

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बहुत से माध्यमिक स्तरीय विद्यालय भवनहीन/भूमिहीन हैं ऐसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भूमि क्रमार्थ आठवीं योजना काल के प्रथम वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है जिसके लिये आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--
01--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--
202--माध्यमिक शिक्षा--
(-) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भूमि/भवन क्रय--
18---वृहत् निर्माण कार्य 10,00

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशाला निर्माण (जिला योजना)

छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक शिक्षा-सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बालक/बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 35,65,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 35,65,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

4202-शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
01-सामान्य शिक्षा-
202-माध्यमिक शिक्षा--
( ) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन प्रयोगशाला का निर्माण (जिला योजना)--
18--वृहत निर्माण कार्य .. 35,65

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत (जिला योजना)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत की जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूलों/इण्टर कालेजों के 8 भवनों में विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये वर्ष 1990-91 में 2,56,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 2,56,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
4202--शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--	
01--सामान्य शिक्षा--	
202--माध्यमिक शिक्षा--	
( ) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में विद्युतीकरण--	
19--लघु निर्माण कार्य	2,56

विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को उनके उन्नयन एवं सर्वोन्मुखी विकास के लिये विभिन्न मदों-शिक्षण/शिक्षणेतर पदों के सृजन तथा पुस्तकों, फर्नीचर और प्रयोगशालाओं के उपकरणों का क्रय एवं भवनों के निर्माण आदि हेतु शत-प्रतिशत अनावर्तक अनुदान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान के प्रति अंशदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 75,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 75,00,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2202--सामान्य शिक्षा--	
03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--	
102--विश्वविद्यालयों को सहायता--	
01--इलाहाबाद विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	15,00
02--लखनऊ विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	16,00
03--आगरा विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,00
06--गोरखपुर विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	14,00
07--सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,00
08--कानपुर विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1
09--मेरठ विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,95
11--काशी विद्यापीठ	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5,0(
14--बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	[illegible]
15--अवध विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	[illegible]
16--रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	10,00
20--कला एवं शिल्प महाविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	[illegible]
23--पूर्वांचल विश्वविद्यालय	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	
योग ..	75,0

अशासकीय महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदानों के प्रति अंशदान ।

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को उनकी संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न मदों के लिये जो विकास अनुदान मैचिंग शेयर के आधार पर स्वीकृत किया जाता है उसके प्रति राज्य सरकार द्वारा अंशदान स्वीकृत किया जाता है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 20,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति दिये जाने से पूर्व प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण किया जायगा।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

104--गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता

(--)--अशासकीय महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 20,00

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु 7,00,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित गया था। इसमें से वर्ष 1987-88 में 2,00,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु 5,00,000 रु० का अनुदान वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

104--गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को अनुदान--

(--) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता-- 5,00

उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

उच्च शिक्षा के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक फोटो कापियर क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त क्रय किये गये एक वाहन के लिये वाहन के पार्ट्स पेट्रोल आदि की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में आवर्तक 11,000 रु० तथा अनावर्तक 1,39,000 रु० अर्थात् 1,50,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

001--निदेशन और प्रशासन--

(-)--उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना--

01--वेतन	6
03--महंगाई भत्ता	2
05--अन्य भत्ते	1
06--कार्यालय व्यय	1,39
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	2
योग ..	1,50

उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण

उच्च शिक्षा निदेशालय के लिये कार्य के हित में एक इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 में 23,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

001--निदेशन और प्रशासन

(--)उच्च शिक्षा निदेशालय--

06--कार्यालय व्यय 23

अशासकीय महाविद्यालयों में नये संकाय एवं नवीन विषय हेतु अनुरक्षण अनुदान

इस योजनान्तर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संख्या में अभिवृद्धि तथा क्षेत्रीय मांग के अनुसार नवीन विषयों/संकायों के प्रारम्भ करने एवं छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में इस योजना पर 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है तदनुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा स्वीकृति निर्गत किए जाने से पूर्व कर ली जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

104--गैर-सरकारी कालज और संस्थाओं को सहायता अनुदान--

(--)अशासकीय महाविद्यालयों के नये संकाय एवं नवीन विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 10,00

राजकीय महाविद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था

मैदानी क्षेत्र में कतिपय राजकीय महाविद्यालयों, जिनके पास भूमि ही नहीं है, अथवा अपर्याप्त भूमि है, का विकास भूमि भवन के अभाव में अवरुद्ध है, क्योंकि स्थायी भवन के अभाव में न तो इन्हें स्थायी संबद्धता प्राप्त हो सकती है और न यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास अनुदान प्राप्त कर पा रहे हैं। अतः इन महाविद्यालयों के लिए भूमि क्रय/अध्याप्ति करने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा--

103--सरकारी महाविद्यालय एवं संस्थायें--

(--) राजकीय महाविद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था--

18--वृहत निर्माण कार्य 5,0

राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के प्रति अंशदान तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान

इस योजनान्तगत राजकीय महाविद्यालयों को उनके उन्नयन एवं सर्वोतमुखी विकास के लिए विभिन्न मदों हेतु शत प्रतिशत आवर्तक अनुदान अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मैचिंग शेयर के आधार पर स्वीकृत अनुदानों के प्रति अंशदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

103--सरकारी महाविद्यालय और संस्थाएं--

(-)-राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यों हेतु सहायता--

33--अन्य व्यय 10,00

अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान

उच्च शिक्षा के समुचित विकास हेतु राज्य के असहायिक अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन वितरणार्थ आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 1990-91 हेतु इस योजनान्तर्गत 21,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 21,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया जायगा।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-आयोजनागत--

104--गैर सरकारी कालेज और संस्थाओं को अनुदान--

(-) अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु अनुदान

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 21,00

आचार्य राम चन्द्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान दुर्गाकुण्ड, वाराणसी को शोध कार्य हेतु अनुदान

आचार्य श्री राम चन्द्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी को शोध कार्य द्वारा भावात्मक एकता सम्बन्धित शोध प्रबन्ध लेखन के लिये वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार 5,00,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-- (हजार रुपयों में)

03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

104--गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं का अनुदान--

(-) आचार्य राम चन्द्र शुक्ल साहित्य संस्थान दुर्गाकुण्ड, वाराणसी को अनुदान--

15--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 5,00

उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर की स्थापना

वर्तमान में उच्च शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत मात्र गोरखपुर तथा लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। प्रदेश को उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई मांग के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अस्तु कानपुर में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु आवश्यक पदों के सृजन एवं गाड़ी क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 4,71,000 (1,27,000 आवर्तक तथा 3,44,000 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है जिसकी व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-- (हजार रुपयों में)

03--विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा--

001--निदेशन और प्रशासन (--) उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर की स्थापना--

01--वेतन 80

03--महंगाई भत्ता 64

04--यात्रा व्यय 27

05--अन्य व्यय 30

06--कार्यालय व्यय	5
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,6
09--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	3
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2
20--मशीनें और सज्जा-उपकरण और संयंत्र	1
योग ..	4,7

( ) राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के बावजूद भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में जनता का प्रबल माग का देखते हुए बिना समुचित भूमि एवं भवन की व्यवस्था के ही राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के फलस्वरूप 30 राजकीय महाविद्यालय में से मात्र तीन ऐसे महाविद्यालय हैं जिनके पास अपने निजी भवन हैं। भवनों की व्यवस्था न होने के कारण इन कालेजों का विकास अवरुद्ध है। सोशल सर्विस इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड ने चार राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु क्लियरेन्स प्रदान की है। वर्ष 1990-91 में कतिपय राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है जिसके लिये 10 लाख रु० आवर्तक तथा 90 लाख रु० अनावर्तक अर्थात 1,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित हैं। तदनुसार वर्ष 1990-91के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

	(हजार रुपयों में)
2202--सामान्य शिक्षा--	
03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--आयोजनागत--	
103--सरकारी महाविद्यालय और संस्थायें ( ) नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना--	
33--अन्य व्यय	10,0
4202--शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत--	
01--सामान्य शिक्षा	
203--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--	
( ) नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना--	
18--वृहत् निर्माण कार्य	90,00
योग	1,00,0

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक/शिक्षणेतर पदों एवं शिक्षण कक्ष प्रयोगशाला/वाचनालय आदि की व्यवस्था

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त शैक्षिक/शिक्षणेतर पदों की व्यवस्था एवं अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य कक्षों की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में पूंजीगत मद में 10.39 लाख रुपये अनावर्तक तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक/शिक्षणेतर पदों हेतु राजस्व मद में 40,00,000रु० आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में आय-व्ययक में 50,39,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--	
03--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा--	
102--विश्वविद्यालयों को सहायता (--) त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के लिए प्रयोगशालाओं एवं शिक्षण कक्षों हेतु अनुदान--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20,0
104--गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता (..) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के लिए प्रयोगशालाओं एवं शिक्षण कक्षों की व्यवस्था हेतु अनुदान--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20,0
	40,0
4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--	
01--सामान्य शिक्षा--	
203--विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-- राजकीय महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षण कक्षों/प्रयोगशालाओं का निर्माण-	
18--वृहत निर्माण कार्य	10,3
योग ..	50,3

राज्य संसाधनों से संचालित परियोजनाओं में जन शिक्षण निलयमों की स्थापना

मैदानी क्षेत्र के 25 जनपदों सीतापुर, पीलीभीत, खीरी, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बांदा, रामपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, देवरिया, बिजनौर, बलिया, मैनपुरी, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, झांसी, इटावा, हरिद्वार, मऊ, सोनभद्र तथा फिरोजाबाद में प्रस्तावित 27 एस० ए० ई० पी० की परियोजनाओं में राज्य संसाधनों से पूर्व से संचालित 26 परियोजनाओं की भांति सतत् शिक्षा एवं अनुगमन कार्यक्रम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से 300 केन्द्रों की प्रत्येक परियोजना में 37 की दर से 999 जन शिक्षण निलयम 5000 की आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किये जाने प्रस्तावित है। जन-शिक्षण निलयम के प्रभारी को प्रेरक कहा जायेगा जिसे 12 माह के लिए अंशकालिक रूप में मानदेय पर रखा जाना है। यह शासकीय कर्मचारी नहीं होगा। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के सफल प्रतिभागियों को साक्षरता को योजनान्तर्गत निरन्तरता बनाई जायेगी तथा स्थानीय लघु उद्योग धन्धों में उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा और विभिन्न सांस्कृतिक एवं खेल- कूद कार्यक्रमों से भी उन्हें परिचित कराया जायेगा साथ ही संबंधित ग्राम के ड्राप आउट स्कूली बच्चों एवं इच्छुक व्यक्तियों को भी जन शिक्षण निलयमों के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा। वर्ष 1990- 91 में इन 27 परियोजनाओं में 37 की दर से 999 जन-शिक्षण निलयमों की स्थापना पर 69,93,000 रु० की आवश्यकता होगी जिसके लिए वर्ष 1990- 91 के आय-व्ययक में 69,93,000 रु० की व्यवस्था कर ली है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202-सामन्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04-प्रौढ़ शिक्षा--

800--अन्य व्यय--

( )-राज्य संसाधनों से संचालित परियोजनाओं में जन शिक्षण निलयमों की स्थापना--

33-अन्य व्यय 69,93

राज्य संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार (जिला योजना)

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन के परिप्रेक्ष्य में निरक्षता उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन प्रदेश के राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत (37.20) से कम साक्षरता प्रतिशत के (मैदानी) जनपदों के चयनित विकास खण्डों में वर्ष 1990- 91 से 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की 13 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं को संचालित कराने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में 15- 35 वयवर्ग के 30 व्यक्तियों को पंजीकृत किया जायेगा और प्रतिवर्ष इन परियोजनाओं के माध्यम से 117 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। इन परियोजनाओं में विशेषकर महिलाओं की 75 प्रतिशत की संख्या में पंजीकृत किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित परियोजनाओं हेतु निर्धारित स्टाफिंग एवं वित्तीय पैटर्न इन 13 परियोजनाओं के लिए भी अनुमन्य किया जाना है। वर्ष 1990- 91 में विभिन्न आवर्तक तथा अनावर्तक मदों के अन्तर्गत 9.00 लाख रु० की दर से प्रस्तावित 13 परियोजनाओं के संचालन पर कुल 1,17,000,00 रु० व्यय होने का अनुमान है, जिसमें स्टाफ के वेतन भत्तों के साथ-साथ जीप, डुप्लीकेटिंग मशीन, टाइपराइटर, फर्नीचर आदि वस्तुएं भी क्रय की जायेंगी। तदनुसार वर्ष 1990- 91 के बजट में 1,17,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारि वर्ग

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु०	
1	परियोजना अधिकारी	2200- 4000	13
2	सहायक परियोजना अधिकारी	2000- 3200	5
3	तकनीकी सहायक	1400- 2400	13
4	वरिष्ठ सहायक	1200- 2040	13
5	कनिष्ठ लिपिक टंकक	950- 1500	13
6	चालक (ड्राइवर)	950- 1500	13
7	दफ्तरी-कम-मशीनमैन	775- 1025	13
8	चपरासी	750- 940	13

उक्त पदों के अतावा प्रत्येक परियोजना हेतु 37 की दर से 481 अंशकालिक प्रेरकों को पर्यवेक्षण कार्य हेतु प्रति केन्द्र 400.00 रु0 प्रति वर्ष की दर से नियमित मानदेय का भुगतान एवं 12 माह तक नियुक्ति की तिथि से रखे जाने तथा प्रत्येक परियोजना के 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालनार्थ 100 रु0 प्रतिमाह नियत मानदेय पर नियुक्ति की तिथि से 12 माह के लिये 3900 अंशकालिक अनुदेशकों को रखने की अनुमति भी दी जानी वांछित है ।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शोर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--

04-प्रौढ़ शिक्षा--

200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम- (हजार रुपयों में)

01-ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना)-

33-अन्य व्यय	62,79

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में अंशकालिक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना (जिला योजना)

01--वेतन	10,00
03--महंगाई भत्ता	7,00
04--यात्रा व्यय	1,49
05--अन्य भत्ते	1,72
06--कार्यालय व्यय	1,95
08--मोटर गाड़ियों की खरीद	20,15
09--गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	65
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	39
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4,42
33--अन्य व्यय	6,44
योग ..	54,21
कुल योग ..	1,17,00

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण

भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा को 63 परियोजनाएं संचालित हैं । इनमें से 28 मैदानी क्षेत्र की परियोजनाओं में 28 डुप्लीकेटिंग मशीनें व 28 मशीनमैन-कम-दफ्तरी के पद 775-1025 रु0 के वेतनक्रम में सृजित किए जाने हैं । वर्ष 1990-91 में उक्त व्यवस्था पर 1,30,000 रु0 (9,000 रु0 आवर्तक तथा 1,21,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है जिसके लिए वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,30,000 रु0 की व्यवस्था कर दी गई है वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04--प्रौढ़ शिक्षा--

001--निदेशन एवं प्रशासन--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानितयोजना--

(-)प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु प्रशासनिक तन्त्र की व्यवस्था--

01--वेतन	4
03--महंगाई भत्ता	3
05--अन्य भत्ते	2
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1,21
योग ..	1,30

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
राज सहायता	1,30	1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान– 03–केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान– 800–अन्य अनुदान 69–प्रौढ़ शिक्षा	शत प्रतिशत

राज्य प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना

भारत सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु एक कार्यकारी योजना तैयार की गयी है जिसके अनुसार देश में वर्ष 1990 तक 3 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी तदनुसार एक कार्यकारी योजना बनाई गयी है जिसके अनुसार वयवर्ग 15-35 के निरक्षर व्यक्तियों को 1990 तक साक्षर किया जाना है। यह सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण का होगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण में शासकीय विभागों के अलावा गैर शासकीय एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। योजनान्तर्गत किसी पद का सृजन प्रस्तावित नहीं है। प्राधिकरण की बैठकों के आयोजन हेतु तथा बैठक में भाग लेने वाले गैर शासकीय सदस्यों को यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 में 25,000 रु० का व्यय अनुमानित है जिसके लिये आय-व्ययक में प्राविधान कर लिया गया है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत--

04-प्रौढ़ शिक्षा--

001-निदेशन और प्रशासन--

( ) राज्य प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना--

33--अन्य व्यय 25

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में लगाये जाने वाले कम्प्यूटर के लिए एक "एयर कन्डीशनर" की व्यवस्था

प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य के मूल्यांकन तथा अन्य आंकड़ों के एकत्रीकरण आदि सम्बन्धी कार्य के लिए ...कृत किये गये कम्प्यूटर हेतु एक एयरकन्डीशनर के क्रय का प्रस्ताव है "एयर कन्डीशनर" के क्रय तथा "उसकी स्थापना" आदि ... वित्तीय वर्ष 1990–91 में 25,000 रु० का व्यय अनुमानित है। जिसके लिए 25,000 रु० की व्यवस्था की जा रही है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04--प्रौढ़ शिक्षा--

001--निदशन और प्रशासन

(--) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र .. 25

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के आयोजनार्थ अनुदान की व्यवस्था

वर्ष 1990 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया है जिसके लिए व्यापक पैमाने पर प्रचार-प्रसार एवं ...गरण की आवश्यकता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाये जाने हेतु व्यापक कार्यक्रम तैयार किये गये हैं जिसका शुभारम्भ 1 जनवरी, 1990 की साक्षरता दौड़ से उत्तर प्रदेश में भी कर दिया गया है। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक पूरे वर्ष में होना है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सुदूर विकास खण्डों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आवागमन, प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन कार्यों का अभाव है, क्योंकि जन जागरण समाज के शिक्षित एवं अशिक्षित सभी वर्गों के लिए अपेक्षित है। इस योजना के लिये एक बृहद् कार्यकारी योजना तैयार की गयी है। इस

हेतु 5,00,000 रु० की सीमा तक राज्य अंश के लिये वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04--प्रौढ़ शिक्षा--

800--अन्य व्यय--

(--) अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990 का आयोजन--

33--अन्य व्यय 5,0

प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशन कार्यक्रम

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों के चयनित विकास खण्डों में संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाज के 15-35 वयवर्ग के उत्पादक लक्ष्य समूह के लिये आयोजित किया गया है जिन्हें कार्यक्रम के विषय में प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशन के माध्यम से अभिप्रेरित किया जा रहा है। परन्तु समाज के निरक्षर व्यक्तियों को साधनों के अभाव में अभिप्रेरित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः योजना के प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशन कार्य को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कार्य पर वर्ष 1990-91 में 25,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04--प्रौढ़ शिक्षा--

800--अन्य व्यय--

(--) प्रचार, प्रसार एवं प्रकाशन कार्यक्रम--

33--अन्य व्यय 25

राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नामक प्रशिक्षण इकाई का गठन

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अधीन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत कर्मियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की योजना को गति प्रदान करने एवं जन कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार में मीडिया के उपयोग, शोध का मूल्यांकन, प्रकाशन, केस स्टडी एवं नवसाक्षर व्यक्तियों की साक्षरता को उत्तरोत्तर बढ़ाए जाने और सतत शिक्षा कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नवसाक्षरोपयोगी साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन करने हेतु उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नामक प्रशिक्षण इकाई के गठन का प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष 1990-91 में 22,22,000 रु० का व्यय होने का अनुमान है जिसके लिये वर्ष 1990-91 में 22,22,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक	3200-4875	1
2	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	2200-4000	1
3	आशुलिपिक-कम-वैयक्तिक सहायक	1400-2300	1
4	सहायक लेखाकार-कम-स्टोर कीपर	1400-2300	1
5	टंकक	950-1500	1
6	ड्राइवर	950-1500	1
7	मशीन आपरेटर	775-1025	1
8	अर्दली/चपरासी	750-940	2

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

04--प्रौढ़ शिक्षा--

800--अन्य व्यय--

( ) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण इकाई का गठन--

01--वेतन	2,46
04--यात्रा भत्ता	50
06--कार्यालय व्यय	1,50
08--मोटर गाड़ियों की खरीद	1,80
09--गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद	20
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10,00
33--अन्य व्यय	5,76
योग ..	22,22

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था

प्रदेश के छात्र/छात्राओं को समय से राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। विगत कुछ अवधि से हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन द्वारा कागज की अनियमित और अपर्याप्त आपूर्ति के फलस्वरूप पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज का अत्यन्त अभाव हो गया है। अत: 5,000 रु0 प्रति मीट्रिक टन की दर से कागज की खरीद पर सब्सिडी दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिये सम्प्रति लगभग 15218 मीट्रिक टन कागज की आवश्यकता है जिसके हेतु 5,000 रु0 प्रति मीट्रिक टन की दर से सब्सिडी दिये जाने पर लगभग 7,50,00,000 रु0 की धनराशि के व्यय का अनुमान है। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में उक्त प्रयोजन हेतु 7,50,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य-आयोजनागत--

800--अन्य व्यय--

(-) राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण हेतु कागज की व्यवस्था--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता 7,50,00

मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र की स्थापना

प्रदेश के सभी सम्भागों में मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विभिन्न शिक्षा आयोगों ने बल दिया है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश शासन द्वारा मैदानी क्षेत्र के 9 मण्डलों में मनोविज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 1990-91 में मुरादाबाद मण्डल में मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना पर 2,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2202--सामान्य शिक्षा--आयोजनागत--

80--सामान्य--

004--अनुसन्धान--

(-)--परिषद् का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निर्देशन विभाग--

मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद-- (हजार रुपयों में)

01--वेतन	33
03--महंगाई भत्ता	14
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	8
06--कार्यालय व्यय	20
11--किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	10
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	85
33--अन्य व्यय	20
योग, ..	2,00

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इम्प्रूवमेन्ट आफ साइन्स एजूकेशन इन स्कूल्स" योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के प्रशि हेतु धनराशि की व्यवस्था।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इम्प्रूवमेन्ट आफ साइन्स एजूकेशन इन स्कूल्स" योजना के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में प्रदेश के सम्बन्धि अपर प्राइमरी / माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विज्ञान एवं गणित में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के सन्दर्भ में उन्हें यात्रा व्यय की व्यवस्था हेतु 2,00,000 रु० की धनराशि की आवश्यकता है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों मे

2202—सामान्य शिक्षा—

80—सामान्य—

003—प्रशिक्षण—

01—केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं—

(-)—विज्ञान तथा गणित अध्यापकों का प्रशिक्षण—

33—अन्य व्यय 2,0

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	2,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 800-अन्य अनुदान-- 69-सामान्य शिक्षा	शत-प्रतिशत

श्रम विभाग

1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—(आयोजनागत)

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय वाराणसी एवं पिपरी-(सोनभद्र) की स्थापना	40,00	..	..	40,00	2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	361 प
2	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में साज-सज्जा, मशीन/उपकरण की आपूर्ति	24,00	..	..	24,00	तदैव	362 प
3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 5 नये औषधालयों की स्थापना	15,98	..	..	15,98	तदैव	363 प
4	कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु श्रम प्रवर्तन कार्यालयों की स्थापना	4,50	..	..	4,50	2230--श्रम और रोजगार	354 प
5	नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं वर्तमान केन्द्रों में अतिरिक्त सुविधाओंकी व्यवस्था	1,53	..	..	1,53	तदैव	365 प
6	दुजाना तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1	..	..	1	तदैव	366 प
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी तथा मथुरा में प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर व्यवसाय का खोला जाना	14,74	..	..	14,74	तदैव	366 प
[illegible]	शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, हमीरपुर, जौनपुर तथा शाहजहांपुर की स्थापना	3,28	..	..	3,28	तदैव	366 प
9	प्रदेश के 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में साज-सज्जा की कमी की आपूर्ति	78,96	..	..	78,96	तदैव	367 प
[illegible]	प्रदेश के कतिपय संस्थानों में नये व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना	5,05	..	..	5,05	तदैव	367 प
	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आगरा, मेरठ तथा बरेली का संगणीकरण किया जाना	14,45	..	..	14,45	तदैव	368 प
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मशीनों का क्रय	4,98,00	..	..	4,98,00	तदैव	369 प

श्रम विभाग–(क्रमशः)

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
13	प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कतिपय व्यवसायों के द्वितीय यूनिट का प्रारम्भ किया जाना।	3,49	..	..	3,49	2230–श्रम और रोजगार	369 प
14	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दृश्यश्रव्य उपकरणों (आडियो विजुअल एड्स) का लगाया जाना।	36,00	..	..	36,00	तदैव	370 प
15	पोस्ट आई० टी० आई० स्किल डेवलपमेन्ट कोर्सेस का आरम्भ किया जाना।	6,70	..	..	6,70	तदैव	371 प
16	सम्बन्धित अनुदेश केन्द्र की स्थापना।	20,55	..	..	20,55	तदैव	371 प
17	शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में टंकण यन्त्रों का बदला जाना।	3,20	..	..	3,20	तदैव	372 प
18	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नये व्यवसायों का प्रारम्भ किया जाना।	1,34,46	..	..	1,34,46	तदैव	372 प
19	परियोजना प्रबंध, इकाई हेतु वाहन का क्रय।	1,75	..	..	1,75	तदैव	374 प
20	वृद्धावस्था पेंशन योजना	30,24,00	..	..	30,24,00	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	375
21	जिला सेवायोजन कार्यालय, इटावा की चहारदीवारी, साईकिल स्टैन्ड, गैराज तथा गार्डरूम का निर्माण।	..	1,00	..	1,00	4250–अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	376
	योग	39,30,65	1,00	..	39,31,65		

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, वाराणसी एवं पिपरी (सोनभद्र) की स्थापना

वाराणसी एवं पिपरी (सोनभद्र) के बीमाकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वहां पर 60-60 शैय्या के चिकित्सालयों का निर्माण कराया गया है। चिकित्सालयों के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति तथा अन्य अनावर्तक मदों पर कुल 40.00 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है, जिसमें राज्य सरकार को 5.00 लाख रु0 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 35.00 लाख रुपये वहन करना होगा। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 40,00,000 रु0 (24,00,000 रु0 आवर्तक तथा 16,00,000 अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सहमति प्राप्त होने तथा भवन का कब्जा राज्य सरकार को प्राप्त होने पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

सं0	पदनाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	3000-4500	10
2	जी0 डी0 एम0 ओ0	2200-4000	16
3	कैशियर	1200-2040	2
4	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	4
5	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	2
6	मैट्रन	1640-2900	2
7	सिस्टर	1200-2040	2
8	स्टाफ नर्स	1400-2600	18
9	एक्सरे टेक्नीशियन	1350-2200	2
10	ओ0 टी0 टेक्नीशियन	1200-2040	2
11	लैब टेक्नीशियन	1200-2040	2
12	फारमेसिस्ट	1350-2200	4
13	ई0 सी0 जी0 टेक्नीशियन	1200-2040	2
14	फिजियोथेरापिस्ट	1400-2600	2
15	ओ0 टी0 अटेन्डेंट	750-940	2
16	प्लास्टर असिस्टेन्ट	750-940	2
17	कुक	750-940	2
18	कुक मेट	750-940	2
19	कहार	750-940	2
20	चौकीदार	750-940	2
21	धोबी	750-940	2
22	भिस्ती	750-940	2
23	चपरासी	750-940	2
24	वार्डब्वाय/आया	750-940	24
25	स्वीपर/स्वीपेस	750-940	6
26	माली	750-940	2
27	लेवर रूम अटेन्डेन्ट	750-940	2
28	इलेक्ट्रीशियन-कम-जनरेटर आपरेटर	750-940	2
29	प्लम्बर-कम-ट्यूबवेल आपरेटर	750-940	2

(ख) साज-सज्जा/भंडार/मशीनों के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
भारत में क्रय किये जाने वाली साज-सज्जा/मशीनें/उपकरण आदि	16,00

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रु० में)

01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना--

04-चिकित्सालय--

0401-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय--

01--वेतन	14,30
03--महंगाई भत्ता	5,0(
04--यात्रा व्यय	3(
05--अन्य भत्ते	3,1(
06--कार्यालय व्यय	9(
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	16,0(
योग ..	39,6(
0402--चिकित्सालयों में दवा और मरहम पट्टी की व्यवस्था- 33- अन्य-व्यय	4(
कुल योग ..	40,0(

4--कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्य सहायता--

मद		धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
निगम का अंश	..	35,00	0210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें- 101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 7/8 भाग

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में साज-सज्जा, मशीन/उपकरण की आपूर्ति

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार साज-सज्जा एवं उपकरण आदि के लिए पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी है। जिसके फलस्वरूप बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा सुचारु रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः वर्ष 1990-91 में उपर्युक्त चिकित्सालयों/औषधालयों में कुल 24,00,000 रु० की (21,00,000 रु० कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंश तथा 3,00,000 रु० राज्यांश) अनुमानित लागत से साज-सज्जा/उपकरण की कमी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 24,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सहमति एवं साज-सज्जा की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने के बाद परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं--एलोपैथी--

102--कर्मचारी राज्य बीमा योजना--

04--चिकित्सालय--

0401--अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय--

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	12,0(
05--औषधालय--	
0501--अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय--	
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	12,0(
योग ..	24,0(

4--कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
गम का अंश ..	21,00	0210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-- 01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-- 101--कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 7/8 भाग

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत 5 नये औषधालयों की स्थापना ।

प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में पांच नयें औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है। इस पर तीय वर्ष 1990-91 में 15,98,000 रु0 (11,93,000 आवर्तक तथा 4,05,000 रु0 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है जिसमें राज्य सरकार को 2,00,000 रु0 तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 13,98,000 रु0 वहन करना होगा। तदनुसार 990-91 के आय-व्ययक में 15,98,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सहमति प्त करके परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन:--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम संख्या	पद नाम	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	चिकित्साधिकारी	2200-4000	16
2	फार्मेसिस्ट	1350-2200	13
3	स्वास्थ्य निरीक्षक	1200-2040	4
4	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	4
5	प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन)	1200-2040	5
6	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	8
7	ड्रेसर (अप्रशिक्षित)	950-1500	8
8	ए0 एन0 एम0	950-1500	8
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	30

(ख) साज-सज्जा/भंडार/मशीनों के स्थूल ब्यौरे--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)
भारत में क्रय किए जाने वाली साज-सज्जा/मशीनें	4,05

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी--

102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना--

05-औषधालय--

0501-अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय--

01--वेतन	6,82
03--महंगाई भत्ता	2,31
04--यात्रा व्यय	75
05--अन्य भत्ते	96
06--कार्यालय व्यय	18
07--टेलीफोन पर व्यय	55
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	20
20--मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,55
योग 0501	15,32

0502--औषधालयों में दवा और
मरहम पट्टी की व्यवस्था-
33--अन्य व्यय .. ..

0504--राजकीय अस्पतालों में शय्याओं का आरक्षण
33--अन्य व्यय 2

कुल योग .. 15,9

4--कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसा सहायता की धनराशि अधि धारित की गई है
निगम का अंश ..	13,98	0210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां"	कर्मचारी राज्य बीमा निगा का 7/8 भाग ।

कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु श्रम प्रवर्तन कार्यालयों की स्थापना ।

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कृषि मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाने एवं उन्हें उचित मजदूरी दिलाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों श्रम प्रवर्तन कार्यालयों की विशेष आवश्यकता है। अतएव आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की सभी तहसीलों में श्रम प्रवर्तन कार्या लयों की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रदेश में 272 तहसीलों में से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 209 तहसीलों में श्रम प्रवर्त अधिकारियों के कार्यालय स्थापित हैं और शेष 63 तहसील में कार्यालय स्थापित होने हैं। वर्ष 1990-91 में 20 तहसील में श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। इन कार्यालयों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी कृषि मजदू का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के साथ साथ अन्य अनुसूचित नियोजनों में भी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराया जाना सुनिश्चि करेंगे। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगा। वर्ष 1990-91 में 4,50,000 रु0 (3,20,000 रु आवर्तक तथा 1,30,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक 4,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षण के बाद दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--
अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्य
		रु0	
1	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	1400-2600	2
2	टंकक/लिपिक	950-1500	2
3	चपरासी/चौकीदार	750-940	2

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2230-श्रम और रोजगार--
01-श्रम-आयोजनागत--
101-औद्योगिक सम्बन्ध
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-- (हजार रुपयों में)
0101 कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु श्रम प्रवर्तन कार्यालयों की स्थापना--

01--वेतन	1,70
03--महंगाई भत्ता	70
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	30
06--कार्यालय व्यय	1,40
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	30
योग ..	4,50

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रु० में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी है
राज सहायता ..	2,25	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान-04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-800-अन्य अनुदान-70-श्रम-7099-अन्य अनुदान-	50 प्रतिशत

नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं वर्तमान केन्द्रों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था

औद्योगिक श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से उनके स्वास्थ्य एवं मनोरंजन हेतु प्रदेश में इस समय कुल 93 श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों पर श्रमिकों को वाचनालय, पुस्तकालय, खेलकूद, मातृत्व, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1990-91 में एक और श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिस पर वर्ष 1990-91 में 1,53,000 रु० (79,000 रु० आवर्तक तथा 74,000 रु० अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,53,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	हितकारी अधीक्षक ..	1200-2040 ..	1
2	हितकारी सहायक ..	1200-1800 ..	1
3	चिकित्साधिकारी (ए) ..	2200-4000 ..	1
4	फार्मेसिस्ट (एलो०) (प्रशिक्षित) ..	1200-1800 ..	1
5	सिलाई शिक्षिका-कम-गृह सहायिका ..	975-1600 ..	1
6	परिचारिका (प्रशिक्षित)	825-1200 .. (सवारी भत्ता 101 रु० प्रतिमाह)	1
7	दाई ..	750-940 ..	1
8	चपरासी ..	750-940 ..	1
9	चौकीदार ..	750-940 ..	1
10	स्वच्छकार ..	750-940 ..	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--

01--श्रम--आयोजनागत--

103--सामान्य श्रमिक कल्याण--

श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं वर्तमान केन्द्रों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	48
03--महंगाई भत्ता	17
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	6
06--कार्यालय व्यय	76
11--किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामिस्व	5
योग ..	1,53

दुजाना तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

वर्तमान में औद्योगीकरण तथा बहुमुखी विकास को देखते हुये तकनीकी मानव शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुजाना तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,000 रुपये आवर्तक की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03-प्रशिक्षण--

003-शिल्पकार और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

(-) दुजाना तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना--

33--अन्य व्यय	1

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी तथा मथुरा में प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर व्यवसाय का खोला जाना।

भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर के नये व्यवसाय को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी तथा मथुरा में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत वेतनमान 1400-2600 में दो ग्रुप अनुदेशकों के पदों का सृजन तथा साज-सज्जा का क्रय होगा। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 14,74,000 रुपये (65,000 रु० आवर्तक तथा 14,09,000 रुपये अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 14,74,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जाएगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03-प्रशिक्षण--

003--शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01--दस्तकार प्रशिक्षण योजना--

01--वेतन	30
03--महंगाई भत्ता	12
04--यात्रा व्यय	2
05--अन्य भत्ते	7
06--कार्यालय व्यय	23
15--छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	1
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	13,88
33--अन्य व्यय	11
योग ..	14,74

शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्र, हमीरपुर, जौनपुर तथा शाहजहांपुर की स्थापना।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जनपद हमीरपुर (1988-89) तथा जौनपुर एवं शाहजहांपुर (1989-90) में एक-एक शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना हेतु अग्रिम रूप से साज-सज्जा आदि की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन केन्द्रों में वर्ष 1990-91 से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। जिसके लिए पदों एवं फर्नीचर आदि पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 3,28,000 रुपए (3,10,000 रुपए आवर्तक तथा 18,000 रुपए अनावर्तक) व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,28,000 रुपए की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन:—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग:—

क्रम-सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	सहायक सेवायोजन अधिकारी	2000–3500	3
2	भाषा अध्यापक	1400–2300	3
3	अनुदेशक (सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस)	1400–2300	3
4	अनुदेशक आशुलिपि (हिन्दी/अंग्रेजी)	1400–2300	3
5	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	3
6	चपरासी	750–940	3

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2230–श्रम और रोजगार—आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

02—रोजगार—

800—अन्य व्यय—

02—अनुसूचित जाति/जनजातियों और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना--

01—वेतन	1,44
03—महंगाई भत्ता	57
04—यात्रा व्यय	10
05—अन्य भत्ते	30
06—कार्यालय व्यय	63
11—किराया/उपशुल्क और कर स्वामित्व	24
योग	3,28

प्रदेश के 31 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में साज-सज्जा की कमी की आपूर्ति ।

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा, एटा, मैनपुरी, मथुरा, लखनऊ, ललितपुर, उरई, रायबरेली (महिला), हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, वाराणसी, बिजनौर, जौनपुर, दुद्धी, कैम्पियरगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, फैजाबाद, गोण्डा तथा बाराबंकी में चल रहे विभिन्न व्यवसायों में साज-सज्जा की कमी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में साज-सज्जा/उपकरण के क्रय हेतु 78,96,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में 78,96,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2230–श्रम और रोजगार–आयोजनागत— (हजार रुपयों में)

03–प्रशिक्षण--

003–शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01–दस्तकार प्रशिक्षण योजना--

20–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 78,96

प्रदेश के कतिपय संस्थानों में नये व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना।

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ललितपुर में वेल्डर, मोहाना, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), वाराणसी (म0) आशुलिपिक (हिन्दी) व्यवसाय की एक-एक यूनिट तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थान, लखनऊ में ड्राफ्टसमैन (सिविल); ड्राफ्टसमैन मैकेनिक आशुलिपिक (हिन्दी), आशुलिपिक (अंग्रेजी); मेरठ में ड्राफ्टसमैन (सिविल), वायरमैन, आशुलिपिक (हिन्दी);

तथा मऊ में आशुलिपिक (हिन्दी), विद्युत, वायरमैन व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिये विगत वर्षों में अग्रिम रूप से साज सज्जा इत्यादि की स्वीकृति दी गयी थी। उपरोक्त व्यवसायों में चालू शिक्षा सत्र अगस्त, 1990 से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने प्रस्ताव है। जिसके लिये आवश्यक पदों आदि पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 5,05,000 रुपये (4,48,000 रुपये आव तथा 57,000 रुपये अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,05,000 रुपये की व्यव कर ली गयी है। स्वीकृति परिक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-सं0	मद	वेतनमान	पदों की संख
		रु0	
1	व्यवसाय अनुदेशक	1400-2300	1
2	भाषा अनुदेशक	1400-2600	

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में

03-प्रशिक्षण--

003-शिल्पकार और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण--

01-दस्तकार प्रशिक्षण योजना--

01--वेतन	7
03--महंगाई भत्ता	2
05--अन्य भत्ते	
06--कार्यालय व्यय	5
15--छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	
33--अन्य व्यय	3
योग ..	2,(

02--प्रमाण स्तर के अन्य प्रशिक्षण संस्थान--

01--वेतन	1,3
02--महंगाई भत्ता	6
06--कार्यालय व्यय	1
15--छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	1
33--अन्य व्यय	1
योग ..	3,(
कुल योग ..	5,(

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आगरा, मेरठ तथा बरेली का संगणीकरण किया जाना।

भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, आगरा, मेरठ तथा बरेली में कम्प्यूटर प्रणाली ला करने का प्रस्ताव है। इस योजना हेतु प्रति केन्द्र हार्डवेयर तथा ट्रांसक्रिप्सन चार्जेज पर 50 प्रतिशत अथवा 2,00,000 रु जो भी कम हों, की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1990-91 में कम्प्यू साज-सज्जा एवं फर्नीचर आदि पर 14,45,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 आय-व्ययक में 14,45,000 रुपए की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :

2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत--

02-रोजगार

001-निदेशन और प्रशासन--

01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-- (हजार रुपयों

0101-जिला रोजगार कार्यालय--

20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	14(

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता ..	8,45	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान--71-श्रम और रोजगार-7103-अन्य प्राप्तियां-	प्रति केन्द्र हेतु हार्डवेयर तथा ट्रांसक्रिप्सन चार्जेज पर 50 प्रतिशत अथवा दो लाख रु0 जो भी कम हों, के आधार पर

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मशीनों का क्रय

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यमान अनेक मशीनें एवं उपकरण 15 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से प्रयोग में आने के कारण अपनी तकनीकी कार्यक्षमता खो चुकी है अथवा पुराने माडल की होने के कारण वर्तमान आधुनिक प्रशिक्षण के अनुरूप नहीं रह गई हैं, अतः अब आधुनिक तकनीक वाली मशीनें एवं उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। इस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 4,98,00,000 रुपये का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 4,98,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2230-श्रम और रोजगार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03-प्रशिक्षण--

003-शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशुक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण--

20-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 4,98,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रु0 में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता ..	2,49,00	1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-70-श्रम और रोजगार-7013-अन्य प्राप्तियां	50 प्रतिशत के आधार पर

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कतिपय व्यवसायों के द्वितीय यूनिट का प्रारम्भ किया जाना।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वाह (आगरा), आंवाला (बरेली), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) में रेडियो टी0 वी0, इलेक्ट्रानिक्स, विद्युत, वायरमैन, खजनी (गोरखपुर) में मोटर मैकेनिक, तथा ललितपुर में फिटर व्यवसाय की द्वितीय यूनिट प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त व्यवसाय में प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 1990 से प्रारम्भ किया जायेगा जिसके लिये पदों आदि पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 3,49,000 रुपये (2,37,000 रुपये आवर्तक तथा 1,12,000 रुपये अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्यय में 3,49,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
-	व्यवसाय अनुदेशक	1400-2300	14

(ख) साज-सज्जा/भंडार/मशीनों के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि (हजार रुपये में) वर्ष 1990-91
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा/मशीन	1,12

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2230--श्रम और रोजगार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03-प्रशिक्षण--

003-शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01-दस्तकारी प्रशिक्षण योजना--

01--वेतन	1,40
03--महंगाई भत्ता	56
05--अन्य भत्ते	14
06--कार्यालय व्यय	14
15--छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	4
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,12
33--अन्य व्यय	9
योग	3,49

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दृश्य-श्रव्य उपकरणों (आडियो विजुअल एड्स) का लगाया जाना।

भारत सरकार की सस्तुति के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झांसी, बांदा, उरई, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, घाटमपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोण्डा, बहराइच, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली (युवक), हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर तथा अलीगढ़ में प्रशिक्षण के साथ-साथ नवीनतम दृश्य-श्रव्य उपकरणों के माध्यम से दिये जा रहे प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1990-91 में मशीनों एवं उपकरणों आदि के क्रय पर 36,00,000 रु० का अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 36,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--प्रशिक्षण--

003--शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

04--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0401--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण--

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 36,00

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	18,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 71--श्रम और रोजगार-- 7103--अन्य प्राप्तियां	50 प्रतिशत

पोस्ट आई0 टी0 आई0 स्किल डेवलपमेन्ट कोर्सेस का आरम्भ किया जाना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ में स्कूटर मैकेनिक तथा आटो इलेक्ट्रिशियन, कानपुर में आटो इलेक्ट्रिशियन, वाराणसी आरमेचर वाइन्डिग एवं आगरा में स्टील फैब्रीकेटर व्यवसायों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय वश्यकता के अनुसार और अधिक प्रभावी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए उपयुक्त बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित व्यवसाय से 6 माह की अवधि के होंगे तथा इनमें अंशकालिक प्रवक्ताओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है। इस जना पर वर्ष 1990-91 में 6,70,000 रु0 (4,90,000 रु0 अनावर्तक तथा 1,80,000 रु0 आवर्तक) के व्यय होने का नुमान है। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 आय-व्ययक में 6,70,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

(ख) साज-सज्जा / भण्डार / मशीनों आदि के स्थूल ब्योरे--

मद			धनराशि (हजार रुपयों में) वर्ष 1990-91
रत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा / मशीनें	..	..	4,90

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--प्रशिक्षण--

003--शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

04--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0401--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण--

05--अन्य भत्ते	1,50
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	4,90
33--अन्य व्यय	30
योग ..	6,70

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
ज सहायता	3,35	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 71--श्रम और रोजगार-- 7103--अन्य प्राप्तियां	50 प्रतिशत

सम्बन्धित अनुदेश केन्द्र की स्थापना।

प्रदेश में इस समय 5 सम्बन्धित अनुदेश केन्द्र चल रहे हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में लगे हुए शिशिक्षुओं को समय-य पर उनके कार्य से सम्बन्धित ज्ञानवर्धन हेतु किया जा रहा है। भारत सरकार की संस्तुति तथा इनकी उपयोगिता / आवश्यकता देखते हुए वर्ष 1990-91 में एक केन्द्र वाराणसी में खोलने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र में टर्नर, फिटर, मशीनिष्ट, र मैकेनिक तथा डीजल मैकेनिक व्यवसायों पर अंशकालिक प्रवक्ताओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में मशीनों / उपकरणों / फर्नीचर आदि पर 20,55,000 रु0 (10,50,000 रु0

आवर्तक तथा 10,05,000 रु0 अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 20,55,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृ परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों मे

03--प्रशिक्षण--

003--शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं--

(--)--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण--

05--अन्य भत्ते	10,
06--कार्यालय व्यय	9,
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1,
योग ..	20,

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	10,27	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत-- योजनाओं के लिए अनुदान-- 71--श्रम और रोजगार-- 7103--अन्य प्राप्तियां	50 प्रतिशत

शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों में टंकण यन्त्रों की व्यवस्था

प्रदेश में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति तथा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों की सेवायोजकता में वृद्धि हेतु शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को टंकण कार्य का ज्ञान कराया जाता है। लगातार प्रशिक्षण दिए जाने के फलस्वरूप टंकण-यंत्र कुछ समयोपरान्त निष्प्रयोज्य हो जाते हैं। 1990-91 में 15 शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों के 64 टंकण यंत्रों के क्रय में कुल 3,20,000 रु0 के अनावर्तक व्यय अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,20,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वी परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीषकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों

02--रोजगार--

800--अन्य व्यय--

(-)--अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण--

20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र ..

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायों का प्रारम्भ किया जाना।

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ में मोटर मैकेनिक, बांदा में इलेक्ट्रानिक्स, बहराइच में मोटर मैके डीजल मैकेनिक तथा रेडियो, टी0 वी0, फर्रुखाबाद में मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, गोण्डा में डीजल मैकेनिक, गाजीपु

लेक्ट्रानिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक, झांसी में रेफरीजेरशन, डीजल मैकेनिक, जौनपुर में इलेक्ट्रानिक्स, रेडियो, टी0वी0, लखनऊ में लेक्ट्रानिक्स, प्रतापगढ़ में मोटर मैकेनिक, सीतापुर में डीजल मैकेनिक, वाराणसी में डाटा प्रिपरेशन तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर व्यवसायों में आधुनिक तकनीक वाले व्यवसायों का सृजन कर उनका प्रसार करने का प्रस्ताव है, जिससे वर्तमान में तथा भविष्य खुलने वाले उद्योगों के लिए कारीगर उपलब्ध कराये जा सकें। अतः ग्रुप अनुदेशक का 1 तथा व्यवसाय अनुदेशक 6 पदों के सृजन तथा साज-सज्जा / मशीनों के क्रय का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,34,46,000 रु0 4,26,000 रु0 आवर्तक तथा 1,30,20,000 रु0 अनावर्तक) के व्यय का अनुमान है। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,34,46,000 रु0 की व्यवस्था र ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

म- ख्या	पदनाम		वेतनमान	पदों की संख्या
			रु0	
1	ग्रुप अनुदेशक	..	1400-2600	1
2	व्यवसाय अनुदेशक	..	1400-2300	16

(ख) साज-सज्जा / भण्डार / मशीनों के स्थूल व्योरे--

मद		धनराशि (हजार रुपयों में) वर्ष 1990-91
भारत में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा / मशीनें	..	1,30,20

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--प्रशिक्षण--

003--शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

04--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं--

0401--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण--

01--वेतन	.. ..	2,00
03--महंगाई भत्ता	.. ..	80
05--अन्य भत्ते	.. .. ..	14
15--छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	.. .. ..	8
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	.. ..	1,30,20
33--अन्य व्यय	.. ..	1,24
योग	..	1,34,46

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	67,23	1601--केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 71--श्रम और रोजगार-- 7103--अन्य प्राप्तियां	50 प्रतिशत

परियोजना प्रबन्ध इकाई हेतु वाहन का क्रय

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सहायता धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किये जाने एवं प्राप्त धनराशि तथा उसके समक्ष भवन एवं निर्माण, मशीन / साज-सज्जा आदि के क्रय, उपयोग आदि को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर एक वाहन के क्रय तथा वाहन चालक के एक पद को सृजित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,75,000 रु० (25,000 रु० आवर्तक तथा 1,50,000 रु० अनावर्तक) व्यय का अनुमान है। इस योजना हेतु 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,75,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	वाहन चालक	950-1500	1

(ख) साज-सज्जा / भण्डार / मशीनों के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में) वर्ष 1990-91
एक वाहन	1,50

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2230--श्रम और रोजगार--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

03--प्रशिक्षण--

003--शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण--

01--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित योजनाएं--

(--)--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण--.

01--वेतन	9
03--महंगाई भत्ता	4
05--अन्य भत्ते	1
06--कार्यालय व्यय	1
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,50
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10
योग ..	1,75

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
राज सहायता	88	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- 04--केन्द्रीय प्रयोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- 71--श्रम और रोजगार-- 7103--अन्य प्राप्तियां	50 प्रतिशत

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रदेश में दिसम्बर, 1957 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित तथा वृद्ध व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से आच्छादित व्यक्तियों को शासन द्वारा एक जनवरी, 1990 से पेंशन की धनराशि 60 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रुपये तथा 65 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 225 रुपये प्रतिमाह आय सीमा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ढाई एकड़ जोत सीमा तक के व्यक्ति भी पात्र हो गये हैं यदि वे अन्यथा अर्ह हों। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल 30,24,00,000 रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,24,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन:--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रमसंख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रुपये	
1	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	126

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-आयोजनागत--

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम--

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशनें--

01-श्रम विभाग की योजना--

01--वेतन	14,00
03--महंगाई भत्ता	5,00
04--यात्रा व्यय	40
05--अन्य भत्ते	60
06--कार्यालय व्यय	50
27--पेंशन/आनुतोषिक	29,88,30
33--अन्य व्यय	15,20
योग ..	30,24,00

जिला सेवायोजन कार्यालय, इटावा की चहारदीवारी, साइकिल स्टैण्ड, गैराज तथा गार्डरूम का निर्माण।

जिला सेवायोजन कार्यालय, इटावा के भवन में अवांछित तत्व, छुट्टा जानवर आदि के कार्यालय परिसर में बेरोकटोक प्रवेश को रोकने हेतु चहारदीवारी, साइकिल स्टैण्ड, गैराज तथा गार्डरूम का निर्माण कराये जाने हेतु हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए 2,39,500 रुपए के आगणन के आधार पर प्रथम चरण में चहारदीवारी के निर्माण कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय— (हजार रुपयों में)

201—श्रम-आयोजनागत-

01-जिला सेवायोजन कार्यालय, इटावा की चहारदीवारी साइकिल स्टैण्ड, गैराज तथा गार्डरूम का निर्माण--

18-वृहत् निर्माण कार्य 1,00

सहकारिता विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	पूंजी लेखे का व्यय ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के पुनर्स्थापन हेतु अनुदान की धनराशि की व्यवस्था।	1,70,00	..	..	1,70,00	2401-कृषि कार्य	379 प
2	ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं को अनुदान।	3,50,00,00	..	..	3,50,00,00	तदैव	379 प
3	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत वितरित उपभोग ऋण पर जोखिम निधि (रिस्क फन्ड) हेतु अनुदान (जिला योजना)।	2,06	..	..	2,06	2425-सहकारिता	380 प
4	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रबन्धकीय अनुदान (जिला योजना)।	1,60	..	..	1,60	तदैव	380 प
5	फुटकर उपभोक्ता वस्तुओं के विक्री केन्द्रों की स्थापना।	4,44	..	..	4,44	तदैव	380 प
6	उ0 प्र0 सहकारी बैंक के कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ऋण/अनुदान।	75,00	..	25,00	1,00,00	2425-सहकारिता तथा 6425-सहकारिता के लिये उधार	381 प
7	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत नगरीय सहकारी बैंकों में अंश पूंजी विनियोजन (जिला योजना)।	..	5,00	..	5,00	4425-सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	382 प
8	सहकारी विधायन एवं संग्रह योजना।	..	4,50	..	4,50	तदैव	382 प
9	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु अंश क्रय करने के लिये अनुदान तथा ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था (जिला योजना)।	2,50	..	2,50	5,00	2425-सहकारिता तथा 6425-सहकारिता के लिये उधार	382 प
10	राज्य भण्डारागार निगम के अंशकों में अंशपूंजी विनियोजन।	..	25,00	..	25,00	4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	383 प

सहकारिता विभाग

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों तथा अंशकों में विनियोजन	..	1,00,00	4,00,00	5,00,00	4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय तथा 6425-सहकारिता के लिये उधार।	383 प
12	सहकारी क्षेत्र में नयी दाल मिलों की स्थापना	..	7,80	19,50	27,30	तदैव	383 प
13	सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड) को सुदृढ़ करने हेतु ऋण (राज्यांश) की व्यवस्था	..	..	50,00	50,00	6401--कृषि कार्य के लिए उधार	384 प
14	जिला सहकारी बैंकों के नान ओवर ड्यू कवर की कमी को पूरा करने हेतु शासकीय ऋण को व्यवस्था	..	..	8,00,00	8,00,00	6425--सहकारिता के लिए उधार	385 प
15	प्रदेश के निर्बल सहकारी बैंकों के पुनर्स्थापन हेतु ऋण की व्यवस्था	..	..	4,70,51	4,70,51	तदैव	385 प
16	सहकारी संग्रहण एवं विधायन योजना के अन्तर्गत दाल मिलों के पुनर्गठन हेतु सीमान्त ऋण	..	..	6,00	6,00	तदैव	385 प
17	उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय हेतु पैक्स/ब्लाक यूनियन को मार्जिन मनी ऋण	..	..	48,00	48,00	तदैव	386 प
18	उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ को मार्जिन मनी ऋण सहायता	..	..	30,00	30,00	तदैव	386 प
19	कृषि निवेश आपूर्ति योजना के अन्तर्गत अनार्थिक पूर्ति भंडारों को सुदृढ़ करने हेतु सीमान्त धनराशि ऋण।	..	..	7,50	7,50	तदैव	387 प
	योग	3,52,55,60	1,42,30	18,59,01	3,72,56,91		

हकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के पुनर्स्थापन हेतु अनुदान की धनराशि की व्यवस्था

प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा कृषकों तथा अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती रही है परन्तु उसकी वसूली कम हो पाती है, जिससे अतिदेयों में वृद्धि हुई है और लगभग 38 करोड़ रुपये की धनराशि अशोध्य हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत राइट आफ की जाने वाली अशोध्य धनराशि में से 5 प्रतिशत सम्बन्धित समितियों द्वारा, अवशेष का 20 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक, अवशेष का 20 प्रतिशत व्यय उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक तथा शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रस्तावित राइट आफ की जाने वाली 38 करोड़ रुपये की धनराशि में से राज्य सरकार का अंशदान 23,00,00,000 रु० होता है जिसके समक्ष वर्ष 1989-90 तक शासन द्वारा 7.89 करोड़ रु० का अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 15.11 करोड़ रु० का अंशदान आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में 1,70,00,000 रु० की धनराशि अंशदान के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 1,70,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2401--कृषि कार्य--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

195--सहकारी कृषि समितियों की सहायता--

02--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के पुनर्स्थापन हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता 1,70,00

ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं को अनुदान

भारत सरकार की ऋण राहत योजनान्तर्गत प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं के माध्यम से किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को बांटे गये ऋणों के अतिदेयों को माफ करने से जो वित्तीय हानि इन ऋण संस्थाओं को होगी उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के आधार पर की जायेगी। यह अनुमान है कि उपर्युक्त योजनान्तर्गत माफ किये जाने वाले अतिदेयों की धनराशि 350.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक होगी। इस धनराशि का 50 प्रतिशत अर्थात् 175.00 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। राज्य सरकार को 175.00 करोड़ रुपये का अपना अंशदान मिलाकर कुल 350.00 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य के बजट से सम्बन्धित सहकारी ऋण संस्थाओं को वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के माध्यम से अवमुक्त करनी होगी। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 3,50,00,00,000 रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2401--कृषि कार्य- आयोजनागत--

195--सहकारी कृषि समितियों को सहायता--

(1--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--

0101--ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 3,50,00,00

3--भारत सरकार से प्राप्त सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	सहायता का आधार जिसके अनुसार धनराशि अभिधारित की गयी
	रु०		
अनुदान	1,75,00,00	1601--केन्द्रीय सरकार से अनुदान-- 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-- 800--अन्य अनुदान-- 18--सहकारिता 1804--सहकारी ऋण समितियां	50 प्रतिशत

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत वितरित उपभोग ऋण पर जोखिम निधि (रिस्क फण्ड) हेतु अनुदा (जिला योजना)

देश के निर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा, विवाह, मुण्डन संस्कार तथा मृतक संस्कार आदि कार्यों हेतु सहकारी ऋ समितियों द्वारा उपभोग ऋण वितरित किया जाता है। चूंकि इन वर्गों में वितरित ऋण की वसूली में जोखिम ज्यादा रह है, अतः वितरित ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है जिसमें से 5 प्रतिशत भारत सरका द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95 में) 200 लाख रु0 उपभोग ऋण वितरित किया जा अनुमानित है जिस पर 10 प्रतिशत की दर से 20 लाख रु0 शासन द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाना है इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् 10,00,000 रु0 भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी। वर्ष 1990-91 2,06,000 का व्यय अनुमानित है जिसमें से 1,03,000 रु0 की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी। तदनुसार वर्ष 1990-9 के आय-व्ययक में 2,06,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में

2425--सहकारिता-आयोजनागत--

107--सहकारी ऋण समितियों को सहायता--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101--सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उपभोग ऋण वितरण पर जोखिम निधि हेतु अनुदान (जिला योजना) (भारत सरकार की सहायता - 50 प्रतिशत) --

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,0

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार सहायता की धनराशि अभिधारि की गयी
अनुदान	1,03	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान- 04- केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान- 18-सहकारिता- 1802--उधार सहकारी समितियां	50 प्रति

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रबन्धकीय अनुदान (जिला योजना)

प्रदेश के कृषकों को निकटतम दूरी पर सहकारी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला/केन्द्रीय सहकारी बै की शाखाओं को ग्रामीण अंचलों में स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रारम्भिक अवस्था में इन बैंकों की शाख को प्रथम 3 वर्ष तक 8,000 रु0 प्रतिशाखा प्रतिवर्ष शासन द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। आठवी पंचवर्षीय योजना (1990-95) में 100 शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें अनुदान देने के लिये कुल 24,00,000 रु0 का व्यय मानित है। वर्ष 1990-91 में 20 शाखाएं खोलने का लक्ष्य है जिन्हें प्रथम वर्ष में 8,000 रु0 प्रतिशाखा की दर से प्रबन्ध अनुदान देने हेतु 1,60,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,60,000 रु0 की व्यवस्था ली गयी है। वित्तीय स्वीकृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2425--सहकारिता-आयोजनागत--

107--सहकारी ऋण समितियों को सहायता--

04--सहकारी ऋण योजना के अन्तर्गत जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. .. ..

फुटकर उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री केन्द्रों की स्थापना

प्रदेश का 114 मंडी समितियों पर आने वाले कृषकों को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुयें उपलब्ध कराने के उ से प्रत्येक मंडी में एक-एक बिक्री केन्द्र की स्थापना की गई है। इन बिक्री केन्द्रों की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को अतिरि व्यय भार वहन करना पड़ेगा। प्रारम्भ में ही ये लोकोपयोगी संस्थायें अल्प लाभ अनुमन्य होने के कारण आर्थिक कठिना रहती हैं। अतः सहकारी संस्थाओं को प्रारम्भिक अवस्था में हानि से बचाने के उद्देश्य से प्रबन्धकीय अनुदान केवल एक

12,000 रु0 की प्रस्तावित दर से दिया जाना है। आठवीं योजना अवधि 1990-95 में 13,68,000 रुपये के व्यय का अनुमान है जिसमें से वर्ष 1990-91 में केवल 4,44,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार आय-व्ययक में 4,44,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2425--सहकारिता-आयोजनागत--
108--अन्य सहकारी समितियों को सहायता--
03--सहकारिता विभाग की सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की विशेष योजना--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,44

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ऋण/अनुदान

प्रदेश की सहकारी ऋण संस्थाओं को प्राय: ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि फसल खराब हो जाने के कारण कृषक सदस्य अपने अल्पकालीन ऋण की अदा करने में असमर्थ हो जाते हैं तब उनके अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन करने में उक्त निधि का उपयोग किया जाता है। इस निधि को सुदृढ़ करने हेतु जिला सहकारी बैंकों, उ0 प्र0 सहकारी बैंक तथा राज्य सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है। भारत सरकार 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण के अनुपात में तदर्थ अंशदान देती है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95) में भारत सरकार से 100.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष की दर से 500.00 लाख रुपये की तदर्थ सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। अत: निधि के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रुपयों का ऋण/अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,00,000 रु0 की धनराशि (जिसमें 75 लाख रु0 अनुदान तथा 25 लाख रु0 ऋण है) की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

2425-सहकारिता-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
109-कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि--
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--
0101-कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि को अनुदान--
14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता 75,00

6425-सहकारिता के लिये उधार--
107-सहकारी ऋण समितियों को उधार--
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--
0102-उत्तर प्रदेश सहकारी एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण--
24-निवेश/ऋण 25,00

योग .. 1,00,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता:--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित को गयी
अनुदान	75,00	"1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-04-केन्द्र आयोजित योजनाओं के लिये अनुदान-800-अन्य अनुदान -18-सहकारिता-1801-उधार सहकारी समितियां"	75 प्रतिशत
ऋण	25,00	"6004-केन्द्रीय सरकार के उधार और अग्रिम-04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार-800-अन्य उधार 18-सहकारिता-1801-अन्य उधार सहकारी समितियां"	25 प्रतिशत

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत नगरीय सहकारी बैंकों में अंश पूंजी विनियोजन (जिला योजना)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वर्ष 1976-77 से नगरीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में विनियोजन हेतु राज्य सरकार को ऋण देना बन्द कर दिए जाने के फलस्वरूप प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंकों को अंशपूंजी एकत्र करने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। नाबार्ड के निर्देशानुसार प्रत्येक ऐसे नगरीय सहकारी बैंक जो लघु उद्योग इकाइयों का वित्त पोषण कर रहे हैं, और इस प्रकार के वित्त पोषण के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया है, को 1.00 लाख रु0 तथा जिन बैंकों ने पहले लघु उद्योग इकाइयों का वित्त पोषण नहीं किया है परन्तु वित्त पोषण का कार्यक्रम उनके पास है, प्रत्येक ऐसे बैंक को 50,000 रु0 की धनराशि सांकेतिक अंशदान के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है। आठवीं पचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में नगरीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में 50.00 लाख रु0 की धनराशि विनियोजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
4425—सहकारिता पर पूंजी परिव्यय—आयोजनागत—	
107—सहकारी ऋण समितियों में निवेश—	
01—सहकारी ऋण एवं बैंकिंग योजना के अन्तर्गत नगरीय सहकारी बैंकों में अर्थपूंजी विनियोजन (जिला योजना)	
24—निवेश / ऋण	5,00

सहकारी विधायन एवं संग्रहण योजना

जनपद पीलीभीत में सहकारी गन्ना क्रय-विक्रय एवं प्रक्रियात्मक समिति लि0, बीसलपुर द्वारा संचालित गन्ना इकाई कई वर्षों से बन्द पड़ी है। जनहित में इस इकाई की पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण के आधार पर पुनर्स्थापन कार्य के लिये 13,70,500 रु0 की आवश्यकता होगी। वर्ष 1990-91 में केवल 4,50,000 रु0 की सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार आय-व्ययक में 4,50,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय—आयोजनागत—	
200—अन्य निवेश—	
05—सहकारी विधायन एवं संग्रहण योजना के अन्तर्गत पूंजी विनियोजन (जिला योजना)—	
24—निवेश/ऋण	4,50

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु अंश क्रय करने के लिये अनुदान तथा ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था (जिला योजना)

प्रदेश की समस्त आबादी में 30 प्रतिशत निर्बल वर्ग के लोग हैं और इस 30 प्रतिशत में लगभग 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वे सहकारी ऋण समितियों के अंश क्रय कर सके और सदस्य बनकर उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके। अतएव इस वर्ग के व्यक्तियों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु अंश क्रय करने के लिये शासन द्वारा अनुदान/ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 40 रु0 तथा अधिक से अधिक 100 रु0 तक की सहायता दी जाती है। योजना पर आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95) में 100 लाख रु0 व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 में 2.50 लाख रु0 अनुदान तथा 2.50 लाख रु0 ऋण अर्थात् कुल 5,00,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

	(हजार रुपयों में)
2425—सहकारिता-आयोजनागत—	
107—सहकारी ऋण समितियों को सहायता—	
02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—	
0201—प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों को अंशपूंजी में धन लगाने हेतु अनुदान (जिला योजना)—	
14—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,5
6425—सहकारिता के लिये उधार-आयोजनागत—	
107—सहकारी ऋण-समितियों को उधार—	
02—अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान—	
0201—प्रारम्भिक सहकारी उधार समितियों की अंशपूंजी में धन लगाने हेतु ऋण (जिला योजना)—	
24—निवेश/ऋण	2,5
योग ..	5,0

राज्य भण्डारागार निगम के अंशकों में अंशपूंजी विनियोजन

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम प्रदेश में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1990-91 में भी निगम ने गोदामों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। निर्माण कार्य के लिये पूंजी की व्यवस्था के मुख्य स्रोत अंशधारियों द्वारा अंशपूंजी विनियोजन से प्राप्त धन, निगम द्वारा अर्जित लाभ एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये गए ऋण हैं। वर्ष 1990-91 में निगम में 25,00,000 रुपये के अंशपूंजी विनियोजन का प्रस्ताव है। निर्धारित सहायता पैटर्न के अनुसार समता के आधार पर इतनी ही धनराशि निगम के दूसरे अंशधारक केन्द्रीय भण्डारागार निगम से प्राप्त होगी। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25,00,000 रुपया (अनावर्तक) की व्यवस्था निगम में अंशपूंजी विनियोजन हेतु कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

200--अन्य निवेश--

04--उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के अंशकों में पूंजी विनियोजन--

24--निवेश/ऋण 25,00

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण-पत्रों तथा अंशकों में विनियोजन

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण वितरण करता है। ऋण वितरण का वित्त पोषण उ०प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक ऋण-पत्र जारी करके तथा अपनी कमजोर शाखाओं में राज्य सरकार से अंशपूंजी प्राप्त करके करता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1990-95) में उक्त बैंक द्वारा 10,00,00,00,000 रु० के ऋण-पत्र जारी किए जाने का अनुमान है जिसमें वर्ष 1990-95 में 3835.00 लाख रु० का ऋण तथा 500.00 लाख रु० अंशपूंजी के आधार पर कुल 4335.00 लाख रु० का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1990-91 में 4,00,00,000 रु० ऋण तथा 1,00,00,000 रु० (अनावर्तक) अंशपूंजी के रूप में विनियोजित किये जाने का अनुमान है। अतः वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कुल 5,00,00,000 रु० अनावर्तक की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4425--सहकारिता पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

108--अन्य सहकारी समितियों में निवेश--

08--उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के अंशकों में पूंजी विनियोजन--

24--निवेश / ऋण" 1,00,00

6425--सहकारिता के लिए उधार--आयोजनागत--

108--अन्य सहकारी समितियों को उधार--

11--उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि० के द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों (डिबेन्चर्स) में विनियोजन-- 4,00,00

24--निवेश / ऋण .. ..

योग .. 5,00,00

सहकारी क्षेत्र में नई दाल मिलों की स्थापना

कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने के लिये सहकारी क्षेत्र में दाल मिलों की स्थापना की जाती है। वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा जनपद बहराइच में एक दाल मिल स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है। संघ द्वारा क्रय-विक्रय समितियों के माध्यम से दलहन की खरीद करते हुए एक ओर कृषकों को समुचित मूल्य दिलाया जाना एवं दूसरी ओर इन संस्थाओं को अतिरिक्त व्यवसाय प्रदान करते हुए लगभग 1 लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय कराने की योजना है। बहराइच में 10 दाल मिलें स्थापित हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 1,36,000 कुन्तल दलहन

की है। जब कि एक मात्र बहराइच मण्डी में दलहन की कुल आमद लगभग 5 लाख कुन्तल हैं। स्पष्ट है कि दलहन की स्थानीय खपत न होने के कारण कृषकों को समुचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र में सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, पयागपुर में दाल मिल स्थापित है, जो स्थापना काल से ही लाभ पर संचालित है एवं कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने में अपना योगदान दे रही है। अतएव स्थानीय कृषकों की रक्षा के लिये उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित दाल मिल की स्थापना कराया जाना आवश्यक है। इकाई की अनुमानित लागत 30 लाख रु0 आकलित की गई है। वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 65 प्रतिशत ऋण अर्थात 19.50 लाख रु0, राज्य सरकार की अंशपूंजी 26 प्रतिशत अर्थात 7.80 लाख रु0 एवं अवशेष 9 प्रतिशत अर्थात् 2.70 लाख रु0 उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा विनियोजित किया जायेगा। अत: वर्ष 1990-91 में उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा एक दाल मिल की स्थापना के लिये राज्य क्षेत्र में 7.80 लाख रु0 अंशपूंजी एवं निगम क्षेत्र में 19.50 लाख रुपये ऋण कुल 27,30,000 की व्यवस्था आय व्ययक में करली गई है।

(हजार रुपयों में)

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

4425--सहकारिता पर पूंजी गत परिव्यय-आयोजनागत--

200--अन्य निवेश--

05--सहकारी विधायन एवं संग्रहण योजना के अन्तर्गत पूंजी विनियोजन (राज्य/जिला योजना) 7,80

6425--सहकारिता के लिये उधार-आयोजनागत--

800--अन्य उधार--

04--सहकारी विधायन एवं संग्रहण योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित)--

24--निवेश/ऋण 19,50

योग .. 27,30

3--राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि	लेखाशीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
ऋण	19,50,000	6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार-- 18--सहकारिता विभाग।	65 प्रतिशत

सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड) को सुदृढ़ करने हेतु ऋण (राज्यांश) की व्यवस्था

प्रदेश में निरन्तर दैवी आपदाओं के कारण फसलों की हुई व्यापक क्षति के फलस्वरूप कृषकों के समक्ष प्राय: ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे अपने अल्पकालीन ऋण को अदा नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन करने में कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि का उपयोग किया जाता है। इससे कृषक पुन: अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार से परिवर्तित की जाने वाली धनराशि का 15 प्रतिशत राज्य सरकार, 15 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक, 10 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक तथा शेष 60 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वहन किया जाता है। परिवर्तित की जाने वाली 20.00 करोड़ रु0 अनुमानित धनराशि पर राज्य सरकार का अंशदान 3.00 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष की दर से आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95) में 15.00 करोड़ रुपये होगा। वर्ष 1990-91 में राज्यांश के रु0 में 50,00,000 रु0 की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। ऋण की स्वीकृति प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

6401--कृषि कार्य के लिये उधार--आयोजनागत--

195--सहकारी कृषि समितियों को उधार--

01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें--

0101--उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के एग्रीकल्चरल (क्रेडिट) स्टेबिलाइजेशन फण्ड को सुदृढ़ बनाने के लिये ऋण--

24--निवेश/ऋण 50,0

जिला सहकारी बैंकों के नान ओवरड्यू कवर की कमी को पूरा करने हेतु शासकीय ऋण की व्यवस्था

प्रदेश में निरन्तर दैवी आपदाओं के कारण होने वाली व्यापक क्षति के फलस्वरूप वितरित ऋण की वसूली शत-प्रतिशत न हो पाने से बैंकों के आन्तरिक स्रोतों में ह्रास हो जाता है जिससे उनका एन0 ओ0 डी0 सी0 कम हो जाता है। इस प्रकार वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इससे बैंक ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। एन0 ओ0 डी0 सी0 की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्र सेक्टर योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंकों को ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जितनी धनराशि का ऋण भारत सरकार स्वीकृत करती है, समता के आधार पर उतनी ही धनराशि का ऋण राज्य सरकार को भी अपने संसाधनों से स्वीकृत करना होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95) में इस योजना हेतु 5000.00 लाख रु0 का व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से 2500.00 लाख रु0 की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा। वर्ष 1990-91 में इस प्रयोजन हेतु 800.00 लाख रु0 का ऋण स्वीकृत किये जाने का अनुमान है, जिसमें से 400.00 लाख रु0 की धनराशि राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त होगी और शेष 400.00 लाख रु0 की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 8,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। प्रस्ताव की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन— (हजार रुपयों में)

6425—सहकारिता के लिये उधार—आयोजनागत—

107—सहकारी ऋण समितियों को उधार—

01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

0101—उधार सरकारी समितियों के नान ओवर ड्यूज कवर की कमी को पूरा करने के लिये ऋण—

24—निवेश/ऋण 8,00,00

4—भारत सरकार से प्राप्य सहायता—

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई
ऋण	4,00,00	6004—केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम— 03—केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार— 800—अन्य उधार— 18—सहकारिता— 1801—सहकारी ऋण समितियां—	50 प्रतिशत

प्रदेश के निर्बल सहकारी बैंक के पुनर्स्थापना हेतु ऋण की व्यवस्था

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले बैंकों में विलफुल बकायेदारों पर 30-6-1988 तक लगभग 70 करोड़ रु0 की धनराशि बकाया थी। इस संबंध में नाबार्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त धनराशि को ब्लाक करके 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत के हिसाब से वसूल किया जाना है। उक्त धनराशि में से 70 प्रतिशत अर्थात् 49.00 करोड़ रु0 के वसूल हो जाने तथा 21.00 करोड़ रु0 के बकाया रह जाने की संभावना है। 21.00 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990-95) में ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध 4,70,51,000 रु0 की व्यवस्था 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है। ऋण पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तृत परीक्षणोपरान्त दिया जायेगा।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

6425—सहकारिता के लिये उधार—आयोजनागत—

107—सहकारी ऋण समितियों को उधार—

05—सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अन्तर्गत दुर्बल जिला सहकारी बैंकों के पुनर्स्थापन हेतु ऋण—

24—निवेश/ऋण 4,70,51

सहकारी संग्रहण एवं विधायन योजना के अन्तर्गत दाल मिलों के पुनर्गठन हेतु सीमान्त ऋण

प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में कार्यरत 23 दाल मिलें पूंजी के अभाव में पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही हैं। इन मिलों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें पूर्ण क्षमता तक संचालित कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। अतः प्रथम चरण वर्ष 1990-91 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़, जालौन व बहराइच में निम्नलिखित तीन सहकारी क्रय-विक्रय

समितियों द्वारा संचालित दाल इकाइयों के पुनर्गठन हेतु प्रत्येक को 2,00,000 रुपये की सीमान्त धनराशि ऋण रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिस पर कुल 6,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है:--

(1) सहकारी क्रय-विक्रय समिति, अलीगढ़
(2) सहकारी क्रय-विक्रय समिति, जालौन
(3) सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बहराइच

अतः उक्त प्रयोजन हेतु 6,00,000 रु0 की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

6425--सहकारिता के लिये उधार--
800--अन्य उधार--
08--सहकारी विधायन इकाईयों के पुनर्गठन हेतु ऋण (जिला योजना)--
24--निवेश/ऋण 6,00

उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय हेतु पैक्स/ब्लाक यूनियन को मार्जिन मनी ऋण (जिला योजना)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में राशन तथा शासन द्वारा चिन्हित अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश की लगभग 11 हजार समितियों/ब्लाक यूनियनों/सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के सफलता पूर्वक संचालन हेतु सभी समितियों में एक-एक पूर्णकालिक सचिव कार्यरत है तथा अधिकांश समितियों के पास अपने निजी गोदाम हैं। योजना के सफल संचालन हेतु उक्त समितियों को वर्ष 1983-84 से शासन द्वारा मार्जिन मनी के रूप में ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है और वर्ष 1989-90 तक लगभग 6500 समितियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। आठवीं योजना अवधि में (1990-95) में इन समितियों को 150.00 लाख रुपये का ऋण मार्जिन मनी के रूप में दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसमें से वित्तीय वर्ष 1990-91 में 640 समितियों को 48.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 48,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। वित्तीय स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

4--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

6425--सहकारिता के लिये उधार-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)
108--अन्य सहकारी समितियों को उधार--
04--उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु सहकारी समितियों को मार्जिन मनी ऋण (जिला योजना)--
24--निवेश/ऋण 43,20
02--अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान--
0201--उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु सहकारी समितियों को मार्जिन मनी ऋण (जिला योजना)--
24--निवेश/ऋण 4,80

योग .. 48,00

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ को मार्जिन मनी ऋण सहायता

सातवी पंचवर्षीय योजनावधि से चल रही इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी चलाना प्रस्तावित है। आठवीं योजना काल में संघ/राज्य सरकार द्वारा चिन्हित वस्तुओं के साथ-साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, दाल, सरसों का तेल, नान लेवी चीनी, बेबी फूड, सौन्दर्य प्रसाधन का सामान, घड़ियां इत्यादि की आपूर्ति का प्रस्ताव है जिसके लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 तक 140 करोड़ रु0 का व्यवसायिक लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये विभिन्न वर्षों में मार्जिन मनी की आवश्यकता होगी। इस व्यवसायिक लक्ष्य के अनुरूप पूरे योजनाकाल 1990-95 में 450 लाख रु0 की मार्जिन मनी की आवश्यकता का अनुमान है, जिसके विरुद्ध वर्ष 1990-91 में 30,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

6425--सहकारिता के लिये उधार--आयोजनागत--
108--अन्य सहकारी समितियों को उधार--
03--सहकारी उपभोक्ता भण्डार की विशेष योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 को मार्जिन मनी ऋण--
24--निवेश/ऋण 30,00

कृषि निवेश आपूर्ति योजना के अन्तर्गत अनार्थिक पूर्ति भण्डारों को सुदृढ़ करने हेतु सीमान्त धनराशि ऋण

प्रदेश में बीज एवं उर्वरकों का वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 35 प्रतिशत तक ही रहा है लेकिन सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण में आमूल परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप उर्वरक उत्पादकों द्वारा सहकारी बिक्री केन्द्रों को सीधे उर्वरक आपूर्ति किये जाने से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उर्वरक वितरण बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। वर्तमान में प्रदेश में 1642 सहकारी पूर्ति भण्डार संचालित है इनमें से 256 पूर्ति भण्डार को पूर्व में ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है चूंकि उपर्युक्त 1642 पूर्ति भण्डारों में से शेष पूर्ति भण्डारों की आर्थिक स्थिति क्षीण होने के कारण वे बीज एवं उर्वरक के वितरण का कार्य सुचारु रूप से करने की स्थिति में नहीं है, अतएव उक्त अनार्थिक पूर्ति भण्डारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 15,000 रु० प्रति भण्डार की दर से सीमान्त ऋण सहायता आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1990–95) में दिये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर 37.50 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। वर्ष 1990–91 में 50 पूर्ति भण्डारों को 7,50,000 का सीमान्त ऋण देने का प्रस्ताव है। तदनुसार 1990–91 के आय-व्ययक में 7,50,000 रु० की यवस्था कर ली गई है। ऋण की स्वीकृति प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

6425—सहकारिता के लिए उधार—आयोजनागत—	(हजार रुपयों में)
108—अन्य सहकारी समितियों को उधार—	
08—अनार्थिक सहकारी पूर्ति भण्डारों को सीमान्त धनराशि ऋण—	
24—निवेश / ऋण	7,50

सिंचाई विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें-आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इटावा जनपद स्थित सिंचाई विभाग के प्रशासनिक भवन की साज-सज्जा	3,77	..	..	3,77	2701—बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	391 प
2	इटावा जनपद की सैफाई रजबहा की लाइनिंग का कार्य	..	28,00	..	28,00	4701—बृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	391 प
3	जरौली पम्प नहर योजना का निर्माण	..	1,00,00	..	1,00,00	तदैव	391 प
4	लघु, लिफ्ट नहरों तथा सिंचाई कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	..	1,10,00	..	1,10,00	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	392 प
	योग	3,77	2,38,00	..	2,41,77		

इटावा जनपद स्थित सिंचाई विभाग के प्रशासनिक भवन की साज-सज्जा ।

इटावा जनपद मुख्यालय पर कोई सर्किट हाउस नहीं है। विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई विभाग प्रशासनिक भवन का ही उपयोग किया जाता है किन्तु इसमें उपलब्ध साज-सज्जा की स्थिति गणमान्य व्यक्तियों के पद व गरिमा अनुरूप नहीं है। अतः चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रशासनिक भवन के सुसज्जित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 3,77,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। अतः उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ी गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2701--वृहद और मध्यम सिंचाई-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय--

08--लोअर गंगा नहर-इटावा जनपद स्थित सिंचाई विभाग के प्रशासनिक भवन की साज-सज्जा 3,77

इटावा जनपद की सैफाई रजवहा की लाइनिंग का कार्य

निचली गंगा नहर प्रणाली के अन्तर्गत अनेक छोटी बड़ी नहरें ऐसी हैं जो गहन ऊसर क्षेत्र से गुजरती हैं। ऐसी नहरों पर नारों के कटान की कठिन समस्या है जिसके कारण खादी अथवा कटिंग किये जाने की स्थिति से नहरों की भारी क्षति पहुंचने के साथ थ कृषकों को फसलों की भी क्षति का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की नहरों की समस्याओं के निवारणार्थ यह आवश्यक कि इन नहरों के किनारे पक्के कर दिये जाएं। इस दृष्टिकोण से अग्रगामी परियोजना के रूप में सैफाई रजबहा के दोनों किनारों के दर से पक्का करने का प्रस्ताव है, जिससे किनारों का क्षरण रुक जाय तथा सम्पूर्ण नहर के पानी की समान व्यवस्था हो सके। योजना अनुमानित लागत 47.02 लाख रुपये है। योजना अवाणिज्यिक प्रवृत्ति की होने के कारण इसकी लाभ लागत अनुपात की णना नहीं की जा सकती है। लाइनिंग के उपरान्त इस क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। परियोजना सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्यों को वर्ष 1990-91 में ही आरम्भ कराया जाना प्रस्तावित है, जिस पर 28,00,000 रु0 का नावर्तक व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति रीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4701--वृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय--आयोजनागत--

04--मध्यम सिंचाई (अवाणिज्यिक)--

406--सैफाई रजवहा की लाइनिंग का कार्य 28,00

जरौली पम्प नहर योजना का निर्माण

जनपद फतेहपुर में विकास खण्ड असोथर के ग्राम एझी कुटवा के समीप यमुना नदी के बाएं तट पर जरौली पम्प नहर द्वारा 0 क्यूसेक जल उठाकर निचली गंगा नहर प्रणाली के टेल भाग में फतेहपुर एवं इलाहाबाद जनपदों की पानी की कमी की पूर्ति किया ना है। इस योजना की अनुमानित लागत 1734.00 लाख रु0 है। उक्त योजना के निर्माण से कोई नवीन सिंचन क्षमता सृजन प्रस्तावित नहीं है किन्तु पूर्व में सृजित सिंचन क्षमता में अपेक्षित पानी की कमी की पूर्ति इस परियोजना से होगी। और से खरीफ में 17,215 हेक्टेयर व रबी की फसल में 28,376 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। इस योजना के कार्यों को 1990-91 में ही आरम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। अतः इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रु0 का अनावर्तक य होने का अनुमान है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति रीक्षणोपरन्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

4701--वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय--आयोजनागत--

03--मध्यम सिंचाई (वाणिज्यिक)--

340-- जरौली पम्प नहर योजना 1,00,00

लघु लिफ्ट नहरों तथा सिंचाई कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण

प्रदेश में कार्यरत 232 लघु लिफ्ट नहरों में से बहुधा लिफ्ट नहरें 20–25 वर्ष पुरानी हैं, एवं इनके पम्प्स, मोटर्स, स्टार्टर एवं आयल सर्किट ब्रेकर आदि उपकरण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गये हैं जिनका प्रतिस्थापन आवश्यक है ताकि इनकी सिंचन क्षमता का समुचित उपयोग हो सके। इस कार्य हेतु वर्ष 1990-91 में 1,00,00,000 रु० की आवश्यकता होगी। नलकूप संगठन के अन्तर्गत नलकूपों की मरम्मत हेतु खण्डीय स्तर पर स्थापित कार्यशालायें बहुत पुरानी हो गयी हैं एवं इनमें स्थापित लेथ मशीन तथा वाइंडिंग उपकरण आदि को आधुनिक तकनीक के अनुसार बदला जाना है। इस कार्य हेतु वर्ष 1990–91 में 5,00,000 रुपये की आवश्यकता होगी। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूपों के कल–पुर्जों के निर्माण हेतु कार्यरत क्षेत्रीय सिंचाई कार्यशालाओं पर भी नवीन तकनीक के अनुसार आधुनिकीकरण किया जाना है, जिसके अन्तर्गत कार्यशालाओं में बैलेंसिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फर्नेस तथा टेस्टिंग उपकरण आदि की स्थापना की जानी है, जिसके लिये 1990-91 में 5,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक 1,10,00,000 रु० की व्यवस्था सम्मिलित कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय--		(हजार रुपयों में)
101–सतहीय जल––		
01–उठाऊ सिंचाई		
कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण		1,00,00
102–भू-जल--		
800–अन्य व्यय––		
क्षेत्रीय सिंचाई कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण		5,00
नलकूप खण्डीय कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण		5,00
	योग ..	10,00
	कुल योग ..	1,10,00

संस्थागत वित्त विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	2	3	4	5	6	7	8
(1)	बिक्रीकर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन तथा छात्रावास का निर्माण	..	40,00	..	40,00	4059-सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	395 प
(2)	निबंधन विभाग में उप-निबंधक कार्यालयों/अभिलेखागारों के भवनों का निर्माण	..	3,00,00	..	3,00,00	तदैव	395प
	योग	..	3,40,00	..	3,40,00		

बिक्रीकर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन तथा छात्रावास का निर्माण

बिक्रीकर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन तथा छात्रावास के भवन का निर्माण अति शीघ्र करवाया जाना त्यावश्यक है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में प्रशासनिक भवन के निर्माण पर 20,00,000 रु० तथा छात्रावास के निर्माण पर ,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 40,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत--

01--कार्यालयों की इमारतें--

101--निर्माण-सामान्य पूल आवास--

01--लखनऊ में गोमती नगर योजना के अन्तर्गत बिक्रीकर प्रशिक्षण केंद्र में बिक्रीकर भवन का निर्माण--

18--वृहद् निर्माण-कार्य 40,00

निबन्धन विभाग में उप निबन्धक कार्यालयों/अभिलेखागारों के भवनों का निर्माण

निबन्धन विभाग में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 16 उप निबन्धक कार्यालयों एवं अभिलेखागारों के भवनों का निर्माण ये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में इन निर्माण कार्यों पर कुल 3,00,00,000 रु० का व्यय अनुमानित तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 3,00,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। औपचारिक स्वीकृति विस्तृत क्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4059--सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

01--कार्यालयों की इमारतें--

101--निर्माण--सामान्य पूल आवास--

01--स्टाम्प और पंजीकरण--

0108--16 उपनिबन्धक कार्यालयों/अभिलेखागारों के लिये भवनों का निर्माण--

18--वृहद् निर्माण 3,00,00

सांस्कृतिक कार्य विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्र- संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ-संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा जिलेवार ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण की योजना	2,00	..	..	2,00	2205--कला और संस्कृति	399 प
2	प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर देश के महान व्यक्तियों की मूर्तियों की स्थापना	5,00	..	..	5,00	तदैव	399 प
	उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा सेमिनार का आयोजन	1,25	..	..	1,25	तदैव	399 प
	उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अनुदान	45,00	..	..	45,00	तदैव	399 प
	उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ तथा उसकी क्षेत्रीय मैदानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण	11,00	..	..	11,00	तदैव	400 प
	उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	18,77	..	..	18,77	तदैव	400 प
	आगरा में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई [illegible] गठन	3,23	..	..	3,23	तदैव	401 प
	क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई झांसी का सुदृढ़ीकरण	2,35	..	..	2,35	तदैव	402 प
	प्रख्यात कथक नर्तक स्व0 दुर्गालाल, के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान	25	..	..	25	तदैव	402 प
	देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन हेतु मंसूरी में राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन	3,75	..	..	3,75	तदैव	403 प

सांस्कृतिक कार्य विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखा का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण एवं वास्तुविद की फीस के भुगतान हेतु अनुदान	30,00	..	..	30,00	2205-कला और संस्कृति	403 प
12	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के लिये पदों का सृजन	60	..	..	60	तदैव	403 प
13	सांस्कृतिक काम्प्लेक्स निर्माण हेतु भूमि का क्रय	..	53,00	..	53,00	4202-शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	404 प
14	लखनऊ में सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत कथक संग्रहालय की स्थापना	..	7,00	..	7,00	तदैव	404 प
15	जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय के भवन का निर्माण	..	25,00	..	25,00	तदैव	404 प
	योग	1,23,20	85,00	..	2,08,20		

उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा जिलेवार ग्राम्य स्तरीय सर्वेक्षण की योजना

अभी तक पूरे प्रदेश का पुरातत्वीय सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। अतः वर्ष 1990-91 से जिलेवार ग्राम्य स्तरीय र्वेक्षण कराके महत्वपूर्ण स्थलों/स्मारकों का अभिलेखीकरण, फोटो डाकूमेन्टेशन कराकर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित कराने का स्ताव है। इस पर वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2205--कला और स्कृति-संआयोजनागत--

103--पुरातत्व और पुरातत्वीय सर्वेक्षण-- (हजार रुपयों में)

01--पुरातत्व कार्यालय--

33--अन्य व्यय	2,00

प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर देश के महान व्यक्तियों की मूर्तियों की स्थापना

प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर देश के महान नेताओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, कलाकार, दार्शनिक, ऐतिहासिक महापुरुषों ादि की मूर्तियों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। दनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2205--कला और संस्कृति-आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

001--निदेशन एवं प्रशासन--

01--सांस्कृतिक कार्य निदेशालय--

33--अन्य व्यय	5,00

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा सेमिनार का आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ द्वारा एक सेमिनार का आयोजन वर्ष 1990-91 में किया जाना, प्रस्तावित है जिसमें तत्व से सम्बन्धित प्रतिष्ठित विद्वान भाग लेंगे। उनके द्वारा पढ़े गये साहित्य का प्रकाशन भी किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 90-91 में 1,25,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,25,000 रु0 की धनराशि व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2205--कला और संस्कृति-आयोजनागत--

103--पुरातत्व और पुरातत्वीय सर्वेक्षण--

01-पुरातत्व कार्यालय--

06-कार्यालय व्यय	1,25

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अनुदान

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु गोमतीनगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध राई जा चुकी है और भवन-निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भवन निर्माण की अनुमानित लागत 2,00,00,000 रु0 । अकादमी के भवन निर्माण हेतु 40,00,000 रु0 का अनुदान पूर्व वर्षों में दिया गया है। वर्ष 1990-91 में भवन र्माण हेतु 45,00,000 रु0 का और अनुदान देने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 45,00,000 रु0 व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2205-कला और संस्कृति-आयोजनागत--

101-ललित कलाओं की शिक्षा--

04-उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को भवन निर्माण हेतु अनुदान--

14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।	45,00

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ तथा उसकी क्षेत्रीय मैदानी, इकाइयों का सुदृढ़ीकरण

राजकीय अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा इसकी क्षेत्रीय मैदानी इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए पदों का सृजन प्रस्तावित है। साथ ही राजकीय अभिलेखागार, उ0 प्र0 लखनऊ के लिए उपकरणों के क्रय की भी आवश्यकता है। इस पर कुल 11,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पद की संख्या
1	प्रशासनाधिकारी	2000-3500	
2	शोध अधिकारी	2000-3500	1
3	प्राविधिक सहायक (यांत्रिकी)	1600-2660	
4	प्राविधिक सहायक उर्दू	1600-2660	
5	प्राविधिक सहायक इतिहास	1600-2660	
6	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	
7	प्रदर्शन सहायक	1600-2660	
8	फोटो कापियर आपरेटर	950-1500	
9	चपरासी	750-940	
10	कनिष्ठ प्राविधिक सहायक	1400-2300	
11	शोध सहायक संस्कृत	1600-2660	
12	प्राविधिक सहायक (कम्प्यूटर)	1600-2660	

(ख) साज-सज्जा भण्डार / गाड़ियों के स्थूल ब्योरे--

मदें	धनराशि (हजार रुपयों में)
1--कार्ड बोर्ड बक्सों का क्रय	70
2--एयर कन्डीशनर्स पर व्यय	2,50
3--माइक्रो फिल्म रीडर-कम-प्रिन्टर	2,25
4--मिनोल्टा ई0 पी0 410 जेड (जस) कापियर का क्रय	2,30
योग	7,75

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2205--कला और संस्कृति-आयोजनागत--	(हजार रुपयों में)
104--अभिलेखाकार--	
01 --राज्य अभिलेख--	
01--वेतन	2,17
03--महंगाई भत्ता	64
05--अन्य भत्ते	44
06--कार्यालय व्यय	7,75
योग	11,00

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ के सुदृढ़ीकरण, विकास एवं सर्वेक्षण, उत्खनन, अनुरक्षण, प्रकाशन आदि योजनाओं के लिये पदों के सृजन का प्रस्ताव है तथा बढ़े हुए, स्टाफ के लिये फर्नीचर आदि आवश्यक सामग्रियों, स्टेशनरी एवं पुरातात्विक सर्वेक्षण/उत्खनन की रिपोर्ट के प्रकाशन, सेमिनार, प्रशिक्षण व पुस्तकालय के व्यय हेतु भी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। इस पर कुल 18,77,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 18,77,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारि वर्ग--

सं-ख्या	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु0	
1	सहायक लेखाधिकारी	2000-3200	1
2	कार्यालय अधीक्षक	1400-2600	1
3	आलेखक-प्रालेखक	950-1500	1
4	टंकक	950-1500	1
5	लेखा परिचर	750-940	1
6	डाक रनर	750-940	1
7	फर्राश	750-940	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2205--कला और संस्कृति-आयोजनागत--	
103--पुरातत्व और पुरातत्वीय सर्वेक्षण--	
01--पुरातत्व कार्यालय--	
01--वेतन	94
03--महंगाई भत्ता	33
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	20
06--कार्यालय व्यय	3,75
23--अनुरक्षण	13,50
योग ..	18,77

आगरा में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई का गठन

प्राचीन सुरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण प्राचीन पुरावशेषों की खोज आदि के लिये उत्खनन, सर्वेक्षण तथा पुरातात्विक वस्तुओं के अभिलेखीकरण आदि के लिये प्रदेश में केवल तीन क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयां हैं और पुरातत्व संगठन का मुख्यालय लखनऊ में है। प्रदेश के वृहद् रूप को देखते हुए यह सम्भव नहीं हो पाता कि मुख्यालय से दूरअंचलों में प्राचीन स्मारकों के अनुरक्षण, सर्वेक्षण, उत्खनन आदि का सर्वेक्षण किया जा सके। पुरातात्विक दृष्टिकोण से आगरा क्षेत्र में एक नये पुरातत्व इकाई के गठन का प्रस्ताव है। इस हेतु पदों के सृजन एवं फर्नीचर, उपकरणों का क्रय प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई के लिये किराये के भवन की आवश्यकता भी होगी। इस हेतु वर्ष 1990-91 में कुल 3,23,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 3,23,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

सं-ख्या	पदनाम	वेतनमान	पद की संख्या
		रु0	
1	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी	2200-4000	1
2	नक्शानवीस	1400-2400	1
3	फोटोग्राफर	1400-2400	1
4	कनिष्ठ लेखालिपिक	950-1500	1
5	चपरासी	750-940	1
6	चौकीदार	750-940	1
7	सफाई कर्मचारी	750-940	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2205—कला और संस्कृति— (हजार रुपयों में)

103—पुरातत्व और पुरातत्व और सर्वेक्षण—

01—पुरातत्व कार्यालय—

01—वेतन		..	..	..	9
03—महंगाई भत्ता	..	..	..	..	3
04—यात्रा व्यय	..	..	..	..	
05—अन्य भत्ते	..	..	..	..	1
06—कार्यालय व्यय	..	..	..	..	1,0
11—किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व			..	..	3
23—अनुरक्षण	..	..	..	..	4
				योग ..	3,2

क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, झांसी का सुदृढ़ीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ के अन्तर्गत क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, झांसी के सुदृढ़ीकरण, विकास एवं विस्तार तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पदों के सृजन का प्रस्ताव है । झांसी मण्डल में संरक्षित स्मारक जैसे बरुआ सागर लक्ष्मी बाई मन्दिर, हमीरपुर में शान्ति नाथ मन्दिर तथा इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य स्मारकों की खोज करके संरक्षित किया जाना है। इस पर कुल 2,35,000 रु० का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,35,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है । स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी ।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम					वेतनमान	पद संख्या
						रु0	
1	सर्वेक्षण सहायक	..	..	..	..	2000-3200	1
2	अनुरक्षण सहायक	..	..	..	..	1400-2600	1
3	कनिष्ठ लिपिक	..	..	..	..	950-1500	1
4	चौकीदार	..	..	..	..	750-940	1
5	सफाई कर्मचारी/फर्राश	..	..	..	..	750-940	1

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2205—कला और संस्कृति-आयोजनागत—

103—पुरातत्व और पुरातत्वीय सर्वेक्षण—

01—पुरातत्व कार्यालय—

01—वेतन	..	..	..	..	83
03—महंगाई भत्ता	..	..	..	..	29
04—यात्रा व्यय	..	..	..	..	5
05—अन्य भत्ते	..	..	..	..	18
06—कार्यालय व्यय	..	..	..	..	50
23—अनुरक्षण	..	..	..	..	50
				योग ..	2,35

प्रख्यात कथक नर्तक स्व0 दुर्गालाल के परिवार को आर्थिक सहायता हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा कथक नृत्य समारोह के आयोजन के अवसर पर प्रख्यात कथक नर्तक स्व0 दुर्गा लाल के परिवार को 25,000 रु0 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है : और अब 25,000 रु0 की आर्थिक सहायता और दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25,000 रु0 की व्यवस्था करली गयी है स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2205--कला और संस्कृति-आयोजनागत--

101--ललित कलाओं की शिक्षा--

04--उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 25

देश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु मंसूरी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन।

प्रदेश के वर्तमान वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण संतुलन के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन सम्पदाओं के संरक्षण तथा संवर्द्धन आदि हेतु मंसूरी क राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन का प्रस्ताव है, जिसमें देश के विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया जायेगा। इस प्रयोजन वर्ष 1990-91 में 3,75,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,75,000 रु० नावर्तक की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2205-कला और संस्कृति-आयोजनागत--

001-निदेशन और प्रशासन--

01-सांस्कृतिक कार्य निदेशालय--

33--अन्य व्यय 3,75

र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण एवं वास्तुविद् की फीस के भुगतान हेतु अनुदान।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर में ब्ध कराई जा चुकी है। अकादमी के भवन निर्माण का कार्य वर्ष 1990-91 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। उक्त भवन की ानित लागत 80,00,000 रु० है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में भवन निर्माण हेतु 30,00,000 रु० अनावर्तक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,00,000 रु० की व्यवस्था करली है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2205-कला और संस्कृति-आयोजनागत--

101-ललित कलाओं की शिक्षा--

05-उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 30,00

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के लिये पदों का सृजन

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, लखनऊ की बढ़ती हुयी गतिविधियों के कारण कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए पय पदों का सृजन प्रस्तावित है। इस पर कुल 60,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के -व्ययक में 60,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग-

0 सं0	पदों का नाम		वेतनमान	पदों की संख्या
			रु0	
	वरिष्ठ बजट सहायक	..	1400-2600	1
	कनिष्ठ प्रोग्राम सहायक	..	1200-2040	2

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2205--कला और संस्कृति-आयोजनागत--

001--निदेशन एवं प्रशासन--

01--सांस्कृतिक कार्य निदेशालय--

01--वेतन 38

03--महंगाई भत्ता 13

05--अन्य भत्ते 9

योग .. 60

सांस्कृतिक काम्पलेक्स निर्माण हेतु भूमि का क्रय

सांस्कृतिक कार्य विभाग की कतिपय इकाइयों (पंजाबी अकादमी, जैन शोध संस्थान एवं एक किसान संग्रहालय) को गोमतीनगर, लखनऊ में एक जगह स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में लखनऊ विकास प्राधिकरण से गोमती नगर में भूमि क्रय करने का प्रस्ताव है और इसके मूल्य के भुगतान हेतु 53,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में 53,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

04--कला और संस्कृति--

800--अन्य व्यय--

01--सांस्कृतिक काम्प्लेक्स, लखनऊ हेतु भूमि का क्रय--

18--वृहत् निर्माण कार्य	..	..	..	..	53,00

लखनऊ में सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत कथक संग्रहालय की स्थापना

लखनऊ में झाऊलाल पुल पर स्थित पं0 बिरजू महाराज के पुश्तैनी मकान को लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर लेकर और उसकी मरम्मत आदि कराकर उसमें कथक संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1990-91 में करने का प्रस्ताव है। पं0 बिरजू महाराज के उक्त पुश्तैनी आवास में रह रहे उनके परिवार के सदस्यों के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् अथवा अन्य किसी संस्था से लगभग 3,00,000 रु0 का भवन क्रय करके उसे उनके परिवार जनों को रहने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने और उक्त पुश्तैनी मकान की 4,00,000 रु0 की अनुमानित लागत पर विशेष मरम्मत कर इसमें कथक संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर कुल 7,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,00,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :--

(हजार रुपयों में)

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

04--कला और संस्कृति--

106--संग्रहालय--

01--लखनऊ में सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत कथक संग्रहालय की स्थापना--

18--वृहत् निर्माण कार्य	..	..	..	..	3,00
23--अनुरक्षण ..	..	..	..	..	4,00
				योग ..	7,00

जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय के भवन का निर्माण।

वर्ष 1987-88 में गोरखपुर में एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था। संग्रहालय के निर्माण का कार्य हरिजन एवम् निर्बल वर्ग आवास निगम लि0 लखनऊ को सौंपा गया है। प्रारम्भ में उक्त संग्रहालय के भवन निर्माण की अनुमानित लागत 138.99 लाख रुपये थी तथा उक्त लागत के समक्ष वर्ष 1987-88 में 25,00,000 रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब उक्त भवन के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 152.88 लाख रुपये हो गई है। वित्तीय वर्ष 1990-91 में उक्त कार्य हेतु 25,00,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 25,00,000 रुपये (अनावर्तक) की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय-आयोजनागत--

04-कला और संस्कृति--

106-संग्रहालय--

02-जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के अन्तर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय के भवन का निर्माण--

18--वृहत् निर्माण कार्य	..	..	..	..	25,00

सूचना विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महत्वपूर्ण घटनाओं की न्यूजरील का निर्माण	17,12	..	..	17,12	2220-सूचना और प्रचार	407 प
2	आडीटोरियम की मरम्मत एवं साज सज्जा	2,98	..	..	2,98	तदैव	407 प
3	तीन हाई बैंड वीडियो उपकरण (रिकार्डर) का क्रय	7,50	..	..	7,50	तदैव	407 प
4	विकास कार्यों के सम्बन्ध में फिल्म निर्माण	22,00	..	..	22,00	तदैव	408 प
5	शासन की नीतियों और निर्णयों का विज्ञापन	70,00	..	..	70,00	तदैव	408 प
6	चार सचल प्रदर्शनी वाहन का निर्माण	10,00	..	..	10,00	तदैव	408 प
7	किसान मेला एवं प्रदर्शनियां	15,00	..	..	15,00	तदैव	408 प
8	साहित्य प्रकाशन	50,00	..	..	50,00	तदैव	409 प
9	तहसील सूचना कार्यालय की स्थापना	5,00	..	..	5,00	तदैव	409 प
10	टेलीविजन सेटों की स्थापना एवं रख-रखाव	30,40	..	..	30,40	तदैव	410 प
11	जिला सूचना कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	15,13	..	..	15,13	तदैव	410 प
12	नव सृजित जनपदों में जिला सूचना कार्यालयों एवं सूचना केन्द्रों तथा कानपुर मण्डल में क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय की स्थापना	22,00	..	..	22,00	तदैव	411 प
13	गीत एवं नाट्य के आयोजन	13,64	..	..	13,64	तदैव	412 प
14	सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	9,23	..	..	9,23	तदैव	412 प

सूचना विभाग (क्रमशः)

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष का सुदृढ़ीकरण	6,00	..	..	6,00	2220--सूचना और प्रचार	413 प
16	सूचना विभाग में कम्प्यूटर की स्थापना	60	..	..	60	तदैव	413 प
17	सूचना परिसर का सुदृढ़ीकरण	50	..	..	50	तदैव	414 प
	योग	2,97,10	..	..	2,97,10		

महत्वपूर्ण घटनाओं की न्यूजरील का निर्माण

प्रदेश में समय-समय पर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से सामान्य जनता को यथा समय अवगत कराना जनसम्पर्क की प्राथमिक भूमिका है। प्रकाशित सामग्री से केवल साक्षर जनता ही लाभान्वित हो पाती है। प्रदेश की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और अपेक्षाकृत साक्षर कम है। अतः न्यूजरील के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में प्रचार अधिक प्रभावशील है। इसके अन्तर्गत 6 न्यूजरील के निर्माण का प्रस्ताव है। उपरोक्त के साथ-साथ टेलीविजन की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यथा आवश्यक प्रदेश की घटनाओं को आच्छादित करते हुए समाचार चित्र लखनऊ टेलीविजन केन्द्र के माध्यम से प्रसारित किया जायगा। इस समाचार चित्र के तैयार करने के लिये प्रत्येक मण्डल पर एक-एक वी0सी0आर0 यूनिट की स्थापना हो चुकी है। योजना के संचालन के लिये वर्ष 1990-91 में कुल 17,12,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 17,12,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना तथा प्रचार-आयोजनागत--

01--फिल्में--

105--फिल्मों का निर्माण--

01--अधिष्ठान--

06--कार्यालय व्यय	6,32
25--माल एवं सम्पूर्ति	10,80
कुल ..	17,12

आडीटोरियम की मरम्मत एवं साज सज्जा

सूचना भवन स्थित आडीटोरियम भवन में पानी का रिसाव होता है। जिसके कारण दीवारें, सोफे तथा कारपेट खराब हो गये हैं, अतः नुकसान को रोकने के लिये सीलिंग की विशेष मरम्मत की जानी आवश्यक है। जिस पर 2,98,000 रुपये के व्यय होने का अनुमान है, अतः 2,98,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--

01--फिल्में--

105--फिल्मों का निर्माण--

01--अधिष्ठान--

19--लघु निर्माण कार्य	2,98

तीन हाई बैंड वीडियो उपकरण (रिकार्डर) का क्रय

विभाग की न्यूजरील निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाओं की तथा प्रदेश में उपस्थित अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रिकार्डिंग की जाती है। इस रिकार्डिंग को विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। इन में दूरदर्शन एक सशक्त एवं प्रभावशाली साध्यम है। दूरदर्शन द्वारा रिकार्डिंग को प्रसारित करने हेतु दूरदर्शन कवरेज के लिये तीन हाई बैंड वीडियो उपकरण क्रय करने का प्रस्ताव है, जिस पर 7,50,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--

01--फिल्में--

105--फिल्मों का निर्माण--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7,50

विकास कार्यों के सम्बन्ध में फिल्म निर्माण

जनता को प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता तथा शासन द्वारा समय-समय पर किये गये विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने में चलचित्र का विशेष महत्व है। आठवीं योजना काल के वर्ष 1990-91 में विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक आदि विषयों पर 4 डाकूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही सूचना विभाग की प्रचार में गति लाने के उद्देश्य से 10 फीचर फिल्मों के क्रय तथा एक डाकूमेन्ट्री जारी करने का प्रस्ताव है। इस योजना के कार्यान्वियन के लिये वर्ष 1990-91 में 22,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 22,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--
01--फिल्में--
105--फिल्मों का निर्माण--
01--अधिष्ठान--

06--कार्यालय व्यय	10,00
25--माल एवं सम्पूर्ति	12,00
योग ..	22,00

शासन की नीतियों और निर्णयों का विज्ञापन

इस परियोजना के अन्तर्गत शासन की नीतियों, शासन द्वारा लिये गये निर्णयों तथा विभिन्न विभागों द्वारा किये गये विकास कार्यों को समायोजित करते हुए विज्ञापन/लेख प्रदेश के समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी, तथा 2 अक्टूबर को विशेष विज्ञापन जारी करने का भी प्रस्ताव है। इस योजना के कार्यान्वियन के लिये वर्ष 1990-91 में कुल 70,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 70,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--
60--अन्य--
101--विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार--
01--अधिष्ठान

13--विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	70,

चार सचल प्रदर्शनी वाहन का निर्माण

क्षेत्रीय प्रचार संगठन परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत चार ट्रकों की चेसिस पर बाडी का निर्माण करवा कर प्रदर्शनी वैन तैयार करने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 10,00,000 रुपये की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार--आयोजनागत--
60--अन्य--
106--क्षेत्र प्रचार--
01--अधिष्ठान--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10

किसान मेला एवं प्रदर्शनियां

मेलों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से जनता को शासन के विकास कार्यों तथा गतिविधियों से अवगत कराया जाता है। शहरी तथा ग्रामीण जनता में प्रचार के विभिन्न माध्यमों में प्रदर्शनी एक सशक्त माध्यम है। मुख्यालय स्तर से प्रदर्शनियों के आयोजन के साथ-साथ प्रत्येक मण्डल स्तर पर भी एक-एक प्रदर्शनी इकाई की स्थापना मण्डलीय उपनिदेशक के नियंत्रण में की गई है। अभी तक 10 मण्डलों में यह व्यवस्था की जा चुकी है: वर्ष 1990-91 में प्रदर्शनी लगाने तथा एक विषय पर प्रदर्शनी किट निर्माण हेतु कुल 15,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 15,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार--आयोजनागत--
60--अन्य--
101--विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार--
01--अधिष्ठान--
13--विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय 15,00

साहित्य प्रकाशन

विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सूचना जनसाधारण को उपलब्ध कराने के लिये प्रकाशनों के माध्यम ौर उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अधिकाधिक प्रचार साहित्य का लेखन व प्रकाशन अंग्रेजी व हिन्दी में समस्त ग्राम ओं, न्याय पंचायतों व अन्य संस्थाओं को सीधे विभाग द्वारा भेजे जाते हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण ट एवं भाषणों का संकलन आदि प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। इसके कार्यान्वयन में वर्ष 1990-91 में 50,00,000 रुपये य का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 50,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति क्षणोपरान्त दी जायगी ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--
60--अन्य--
110--प्रकाशन--
01--अधिष्ठात--
12--प्रकाशन 50,00

तहसील सूचना कार्यालय की स्थापना

प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला सूचना कार्यालय पहले से ही स्थापित है। इनके द्वारा प्रचार सामग्री तक पहुंच पाना सम्भव नहीं हो पाने के कारण छठीं योजना अवधि में परीक्षण के आधार पर 13 तहसील मुख्यालयों तथा वीं योजना अवधि में 39 तहसील मुख्यालयों पर तहसील सूचना कार्यालय की स्थापना की गयी थी, जिसके अन्तर्गत एक अतिरिक्त ा सूचना अधिकारी, एक सिनेमा आपरेटर-कम-प्रचार सहायक तथा एक मददगार के पद के साथ पी0 ए0 ई0 सेट व रण उपलब्ध कराये गये थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों पर एक एक तहसील ा कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 1990-91 में 6 तहसीलों में तहसील सूचना कार्यालय स्थापित करने प्रस्ताव है जिस पर कुल 5,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 0,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

संख्या	पद नाम	वेतनक्रम	पद संख्या
		रु0	
1	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी	1200-2040	6
2	सिनेमा आपरेटर/कम प्रचार सहायक	950-1500	6
3	मददगार	750-940	6

(ख) साज-सज्जा/भण्डार/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे--

सं0	मद	धनराशि
		रु0
1	पी0ए0ई0 सेट	1,80,000
2	फर्नीचर आदि	21,000
	योग ..	2,01,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--

60--अन्य--

106--क्षेत्रीय प्रचार--

02--अधिष्ठान (जिला सेक्टर)

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	1,7
03--महंगाई भत्ता	5
04--यात्रा व्यय	
05--अन्य भत्ते	3
06--कार्यालय व्यय	3
11--किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,8
योग	5,0

टेलीविजन सेटों की स्थापना एवं रख-रखाव

टेलीविजन के माध्यम से ग्राम जनता को महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से सामुदायिक स्थानों, संस्थाओं, ग्रा सभाओं आदि में टेलीविजन सेटों की अधिकाधिक स्थापना की जानी प्रस्तावित है। वर्ष 1990-91 में इस योजना के अन्तर्ग 100 रंगीन तथा 500 श्याम श्वेत टेलीविजन सेटों की स्थापना का प्रस्ताव है जिस पर 30,40,000 रुपये व्यय होने का अनुमान है तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 30,40,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरा दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--

60--अन्य--

111--सामुदायिक रेडियो एवं टेलीविजन--

01--अधिष्ठान--

20--मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र .. .. 30,4(

जिला सूचना कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के समस्त जिलों में जिला सूचना कार्यालयों की स्थापना हो चुकी है। दिन प्रतिदिन इन कार्यालयों पर मुख्यालय से जिला स्तर पर पत्राचार का कार्य बढ़ता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में 56 जिलों में जिला सूचना कार्यालय पर एक-एक टंकक पद के सृजित करने के साथ साथ एक टाइपराइटर तथा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त जनपद के मुख्यालय स्थित उप क्षेत्रीय सूच निदेशक कार्यालय अथवा जिला सूचना कार्यालयों को एक-एक फोटो कापियर भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिस प वर्ष 1990-91 में कुल 15,13,000 रुपये की धनराशि के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 में 15,13,0(रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

साज सज्जा/भण्डार/मशीनें/गाड़ियों के स्थूल व्योरे--

मद	संख्या	धनराशि (हजार रु0 में)
टाइप राइटरों का क्रय	56	3,
फोटो कापियर का क्रय	12	4,

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--

60--अन्य--

106--क्षेत्रीय प्रचार--

01--अधिष्ठान--

01--वेतन	3,19
03--महंगाई भत्ता	1,09
04--यात्रा व्यय	1,12
05--अन्य भत्ते	59
06--कार्यालय व्यय	1,34
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7,80
योग ..	15,13

नवसृजित जनपदों में जिला सूचना कार्यालयों एवं सूचना केन्द्रों तथा कानपुर मण्डल में क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश के नवसृजित जनपद हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, मऊ, फिरोजाबाद तथा महराजगंज में जिला सूचना कार्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कतिपय पद भी सृजित किये जा चुके हैं। जिला सूचना कार्यालय के निर्धारित नार्मस के अनुसार पदों के सृजन तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना एवं कानपुर मण्डल में क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नानुसार स्टाफ तथा साज-सज्जा की आवश्यकता होगी। जिस पर 22,00,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनक्रम	पद संख्या
	क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय--	रु०	
(1)	उप निदेशक	3000-4500	1
(2)	क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी	1400-2600	1
(3)	आशुलिपिक	1200-2040	
(4)	लेखालिपिक-कम-कोषाध्यक्ष	1200-2040	1
(5)	सिनेमा आपरेटर-कम-इलेक्ट्रीशियन	825-1200	5
(6)	ड्राइवर	950-1500	2
(7)	मददगार	750-940	1
(8)	चौकीदार	750-940	1
(9)	चौकीदार-कम-मददगार	750-940	1
	जिला सूचना कार्यालय तथा सूचना केन्द्र --		
(1)	सहायक जिला सूचना अधिकारी	1200-2040	6
(2)	सहायक जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)	1200-2040	1
(3)	संरक्षक	950-1500	6
(4)	क्लीनर	750-940	6
(5)	चौकीदार	750-940	6
(6)	मददगार	750-940	6

(ख) साज सज्जा/भण्डार/मशीनों आदि के क्रय के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मद	धनराशि (हजार रु० में)
1	6 साइक्लोस्टाइल मशीनें 7 टाइपराइटर फर्नीचर साइकिल आदि का क्रय	3,15
2	7 कार्यालय तथा एक आवासीय टेलीफोन	80
3	साज-सज्जा उपकरण एवं पी० ए० ई० सेट व जनरेटर आदि का क्रय ..	2,10
4	7 जीप एक ट्रक चेसिस तथा एक मोटर साइकिल का क्रय	13,96
5	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	7
	योग ..	20,08

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2220--सूचना और प्रचार-आयोजनागत--

60--अन्य--

106--क्षेत्र प्रचार--

01--अधिष्ठान व्यय

01--वेतन	1,,00
03--महंगाई भत्ता	75
04--यात्रा व्यय	7
05--अन्य भत्ते	10
06--कार्यालय व्यय	3,,15
07--टेलीफोन पर व्यय (सात कार्यालय तथा एक आवासीय) टेलीफोन ..	80
08--मोटर गाड़ियों का क्रय 7 जीप एवं ट्रक चेसिस तथा एक मोटर साइकिल	13,,96
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	7
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2,,10
योग ..	22,,00

गीत एवं नाट्य के आयोजन

प्रदेश की ग्रामीण जनता को सरकार की नीतियों, गतिविधियों तथा किये गये विकास कार्यों को उनकी विभिन्न आंचलिक बोलियों तथा संस्कृति के अनुरूप बनाये गये गीत नाट्य कायक्रमों द्वारा अवगत कराने का माध्यम अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक सशक्त होता है। इसी उद्देश्य से अधिक से अधिक गीत नाट्य कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता है। आठवीं योजनावाल में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ब्लाक तथा तहसील पर तीन-तीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त "नया युग नयी क्रान्ति" कार्यक्रम जो कि विविध भारती केन्द्रों से प्रत्येक सप्ताह प्रसारित किया जाता है, को भी चलाया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 1990-91 में 52 रेडियो कार्यक्रम तथा 2000 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। वर्ष 1990-91 में 1364,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 13,64,000 रु० की व्यवस्था कर की गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त की जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रसार--आयोजनागत--

60--अन्य--

101--विज्ञापन और दृश्य प्रचार--

01--अधिष्ठान--

06--कार्यालय व्यय	13,,64

सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के समस्त जिला सूचना कार्यालयों (छः नये जिलों को छोड़कर) के अन्तर्गत जिला सूचना केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ व राज्य सूचना केन्द्र, दिल्ली खोले गये हैं जिसके माध्यम से जनता को समाचार-पत्र पत्रिका तथा पाठ्य-पुस्तकें आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। इस कार्य हेतु जिला सूचना केन्द्रों, दिल्ली सूचना केन्द्र, राज्य सूचना केन्द्र लखनऊ तथा सन्दर्भ शाखा द्वारा समाचार-पत्र/पत्रिकाओं आदि क्रय करने हेतु वर्ष 1990-91 में 9,23,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 9,23,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार--आयोजनागत--

60--अन्य--

102--सूचना केन्द्र--

01--सूचना केन्द्र का अधिष्ठान--

06--कार्यालय व्यय	9,,23

अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष का सुदृढ़ीकरण

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मुख्यालय पर एक अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष की स्थापना बहुत पहले से ही की जा चुकी है। वर्तमान में जिस कक्ष में यह शाखा स्थापित है उसमें स्थान का बहुत ही अभाव है। अतः स्थानाभाव को दूर करने के लिए दुछत्ती बनाने का प्रस्ताव है जिस पर 2,25,000 रु0 व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन सन्दर्भ पुस्तकों के बढ़ने से इस शाखा की उपयोगिता एवं महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अतः इस शाखा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये पदों की भी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस कक्ष में माइक्रोफिल्म यूनिट भी स्थापित है अतः इस माइक्रोफिल्म मशीन के रख-रखाव हेतु, एयरकण्डीशन, इन्सूलेशन, फ्लोरिंग एवं छत सज्जा आदि की भी आवश्यकता है जिस पर 6,00,000 रु0 के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 6,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त की जाएगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1	सन्दर्भ सहायक	1400-2600	2
2	शोध एवं संकलनकर्ता ..	1400-2600	2
3	माइक्रोफिल्म यूनिट सहायक ..	1400-2600	1
4	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ शोध अधिकारी के साथ)	1400-2300	1
5	कैटनलागर (हिन्दी-अंग्रेजी का टंकण का ज्ञान रखने वाला)	1200-2040	1
6	टंकण (द्विभाषीय) ..	950-1500	1
7	पुस्तकालय सहायक ..	950-1500	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार--आयोजनागत--	
60--अन्य--	
001--निदेशन और प्रशासन--	
01--अधिष्ठान व्यय--	
01--वेतन	92
03--महंगाई भत्ता	37
04--यात्रा व्यय	5
05--अन्य भत्ते	16
19--निर्माण-कार्य	2,25
20--मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	2,25
योग ..	6,00

सूचना विभाग में कम्प्यूटर की स्थापना

सूचना विभाग के प्लान सेल के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में कम्प्यूटर की स्थापना की जा चुकी है। इसके लिए एक कक्ष का निर्माण कराया गया है। कक्ष को वायु रोधक व आदर्श शीतलन और एयर कण्डीशनर को जलने से बचाने के उद्देश्य से दीवालों में साइड पैनिलिंग फाल्स सीलिंग और फ्लोरिंग कराना नितान्त आवश्यक है। इस कार्य पर लगभग 60,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 60,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार--आयोजनागत--	
60--अन्य--	
001--निदेशन और प्रशासन--	
01--अधिष्ठान व्यय--	
19--निर्माण-कार्य	60

सूचना परिसर का सुदृढ़ीकरण

सूचना परिसर द्वारा समाचार-पत्र/पत्रिकाओं तथा प्रेस को प्रतिदिन महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकार से यह परिसर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाचार-पत्र/पत्रिकाओं तथा प्रेस को दी जाने वाली सूचनाएं अति महत्वपूर्ण होती हैं अतः उन्हें होना चाहिए। इस निमित्त एक फोटो कापियर के क्रय करने का प्रस्ताव है। एक फोटो कापियर के क्रय पर 50,000 रु० के व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 50,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2220--सूचना और प्रचार--आयोजनागत--

60-- अन्य--

110--प्रकाशन--

01--अधिष्ठान--

20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	50

सैनिक कल्याण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
	राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
		पूंजीगत	ऋण			
2	3	4	5	6	7	8
निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवन का निर्माण	..	8,87	..	8,87	4235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय	417 प

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवन का निर्माण

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु जिसकी अनुमानित लागत 34,99,000 रुपये कुल 24,79,000 रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें से 35,000 रु० भूमि परीक्षण एवं मान-चित्र तैयार करने में व्यय जा चुके हैं एवं शेष धनराशि 24,44,000 रु० हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम "हरिवास" को उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ हेतु उपलब्ध करा दी गई है। हरिवास द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के आधार पर पुनरीक्षित लागत 33,31,000 रुपये कलित की गई है। इस आंकलन के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 8,87,000 रु० की धनराशि वित्तीय वर्ष 90-91 में स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 8,87,000 रुपये व्यवस्था कर ली गयी है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय--आयोजनागत (हजार रुपयों में)

60--अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

800--अन्य व्यय

02--निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के कार्यालय भवन का निर्माण

18--वृहत् निर्माण कार्य 8,87

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है ।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
	अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुनर्वासन की योजना	14,00	..	..	14,00	'2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	423-प
	अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु0 जन जाति के व्यक्तियों के पुनर्वासन की योजना	2,00	..	..	2,00	तदैव	423 प
	हाई स्कूल तथा इंटर फाइनल के अनुसूचित जाति के छात्रों को परीक्षा के पूर्व कोचिंग की योजना	11,00	..	..	11,00	तदैव	423 प
	विमुक्त जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति ।	3,00	..	..	3,00	तदैव	423 प
	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के उपयोगार्थ वाहनों की व्यवस्था	52,33	..	..	52,33	तदैव	424 प
	जनपद कानपुर (देहात) में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय की स्थापना	1,07	..	..	1,07	तदैव	424 प
	अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति	10,00	..	..	10,00	तदैव	425 प
	अनुसूचित और खानाबदोश जाति के व्यक्तियों के लिये आर्थिक विकास की योजना	5,00	..	..	5,00	तदैव	426 प
	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	4,31	..	..	4,31	तदैव	426 प
	अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति	7,00	..	..	7,00	तदैव	427 प

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें—आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
11	अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	9,60	..	..	9,60	2225–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों का कल्याण	428 प
12	विमुक्त जाति के आर्थिक विकास के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की योजना	1,00	..	..	1,00	तदैव	428 प
13	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	10,00	..	..	10,00	तदैव	429 प
14	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	2,00	..	..	2,00	तदैव	429 प
15	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवास की स्थापना/निर्माण	15,20	..	..	15,20	तदैव	430 प
16	हरिजन छात्रावासों का निर्माण	2,45,70	..	..	2,45,70	तदैव	430 प
17	अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्यति विद्यालयों में भरण-पोषण आदि की दरों में वृद्धि	30,93	..	..	30,93	तदैव	431 प
18	अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में भरण-पोषण आदि की दरों में वृद्धि	73,12	..	..	73,12	तदैव	131 प
19	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृति	4,84,00	..	..	4,84,00	तदैव	432
20	बुक बैंक हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था	11,60	..	..	11,60	तदैव	432
21	दशमोत्तर कक्षाओं में चिकित्सा अभियंतण एवं प्राद्योगिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की पुस्तकें तथा उपकरण क्रय करने हेतु अनावर्तीय सहायता	10,00	..	..	10,00	तदैव	433
22	प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है, के लिये अनुदान	25,00	..	..	25,00	तदैव	433

वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें--आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1990-91 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990-91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
23	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना तथा भवनों के निर्माण	3,34,25	..	..	3,34,25	2225--अनु-जाति, अनुसचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण	434 प
24	अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षाओं का विस्तार एवं निर्माण	92,21	..	..	92,21	तदैव	435 प
25	कोला जाति के व्यक्तियों का कल्याण	2,00	..	..	2,00	तदैव	435 प
26	अनुसूचित जनजाति के जूनियर हाई स्कूल स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	29,65	..	..	29,65	तदैव	436 प
27	पिछड़ी जाति के छात्रों/छात्राओं को पूर्व दशम् छात्रवृत्ति	4,26,50	..	..	4,26,50	तदैव	437 प
28	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,00,00	..	..	2,00,00	तदैव	437 प
29	विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना	1,63	..	..	1,63	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	437 प
30	अकिंचन मृतकों के दाह एवं दफन संस्कार हेतु अनुदान	6,00	..	..	6,00	तदैव	438 प
31	बाल दिवस समारोह का आयोजन तथा बाल निधि की स्थापना	1,00	..	..	1,00	तदैव	438 प
32	प्रदेश के नवसृजित जनपद महराजगंज में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड की स्थापना	57	..	..	57	तदैव	438 प
33	दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता	4,00	..	..	4,00	तदैव	439 प
34	दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता	1,00	..	..	1,00	तदैव	440 प

वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें–आयोजनागत

क्रम-संख्या	योजना का नाम	1990–91 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1990–91 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	राजकीय किशोर गृह के भवनों का जीर्णोद्धार	3,00	..	..	3,00	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	140
36	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान	12,00	..	..	12,00		140
37	मानीटरिंग सेल की स्थापना	1,85	..	..	1,85		140
38	निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान की योजना	11,26,45	..	..	11,26,45		141
39	निराश्रित विकलांगों के भरण पोषण हेतु अनुदान की योजना	2,40,00	..	..	2,40,00		142
40	कश्मीर से आये विस्थापितों को सहायता	20,00	..	..	20,00		142
	योग	..	35,29,97	..	35,29,97		

अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के पुनर्वासन की योजना

अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही है, जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इन पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 70,00,000 रु० का व्यय निहित है तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 में 14,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 14,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण--
800-अन्य व्यय--
03--अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों को सहायता--
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 14,00

अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना

अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं जिन्हें आगामी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 10,00,000 रु० का व्यय निहित है तथा वित्तीय वर्ष 1990-91 में 2,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में रुपये 2,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--
02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--
800-अन्य व्यय--
02-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों को सहायता--
14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

हाई स्कूल तथा इंटर फाइनल के अनुसूचित जाति के छात्रों को परीक्षा के पूर्व कोचिंग की योजना :

वर्तमान में उक्त जाति के हाई स्कूल तथा इण्टर फाइनल के कमजोर छात्रों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की परीक्षा के पूर्व सितम्बर से फरवरी तक कोचिंग दिये जाने व्यवस्था है, जिसके लिये हाई स्कूल के विषयों में कोचिंग हेतु 250 रु० प्रति विषय प्रति अध्यापक और इण्टर के लिये 300 रु० प्रति विषय प्रति अध्यापक को उक्त अवधि के लिये दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में इस योजना को इसी रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी चलाये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें वर्ष 1990-91 में 11,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

(हजार रुपयों में)

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2225---अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण---
01---अनुसूचित जातियों का कल्याण---
277---शिक्षा---
17---हाई स्कूल तथा इण्टर फाइनल के अनुसूचित जाति के छात्रों को परीक्षा के पूर्व कोचिंग की योजना---
15---छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन 11,00

विमुक्त जाति के छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति।

इस योजना के अधीन कक्षा 1 से 5 तक 12 रु०, कक्षा 6 से 8 तक 20 रु० और कक्षा-9 व 10 में 30 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना को आगामी पंचवर्षीय योजना में भी चलाने का निश्चय किया गया है। योजना के अधीन कक्षा 9 व 10 के लगभग 833 नये छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का अनुमान है जिसके लिये वर्ष 1990-91 में 3,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 3,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225---अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय-- (हजार रुपयों में)

01--शैक्षिक कार्यक्रम--

02--पूर्व दशम् कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/ अनावर्ती सहायता--

0201--कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता--

15--छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन 3,00

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के उपयोगार्थ वाहनों की व्यवस्था

प्रदेश में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को वाहन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं उनके अनुश्रवण में बाधा आती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई आती है। अतएव 30 जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 30 जीपों के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है और इस हेतु 950-1500 रु० के वेतनमान पर 30 चालकों के अस्थायी पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। इस व्यवस्था पर आठवीं योजनावधि में 86,63,000 रु० की तथा वर्ष 1990-91 में 52,33,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

साज-सज्जा/भंडार/मशीन/आदि के स्थूल ब्योरे--

क्र0 सं0	मद	संख्या	धनराशि
			रु0
1	डीजल जीप	30	4822,542

4 आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण--

001-निदेशन और प्रशासन--

03-जिला कार्यालयों का अधिष्ठान--

01- वेतन	1,71
03--महंगाई भत्ता	58
05--अन्य भत्ते	31
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	48,23
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50
योग ..	52,33

जनपद कानपुर (देहात) में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय की स्थापना

जनपद कानपुर (देहात) में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के कार्य के सुचारु सम्पादन हेतु कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन का प्रस्ताव है। उक्त पदों पर एवं कार्यालय व्यय के रूप में वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1,07,000 रु० का व्यय अनुमानित है, जिसकी आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ..	2000-3500	1
2	वरिष्ठ सहायक ..	1200-2040	1
3	वरिष्ठ लिपिक ..	1200-2040	1
4	कनिष्ठ लिपिक ..	950-1500	1
5	चतुर्थ श्रेणी ..	750-940	2

(ख) सज्जा / भण्डार / मशीन / गाड़ियों इत्यादि के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	अनुमानित दर (प्रत्येक)	व्ययानुमान (रु0)
1	2	3	4	5
1	कार्यालय के लिए फर्नीचर आदि ..		1,500	1,500
2	टाइप राइटर (हिन्दी) ..	1	5,000	5,000
3	अलमारी (स्टील की) (बड़ा साइज) ..	4	2,000	8,000
4	डुप्लीकेटिंग मशीन (विद्युत चालित) (स्टेशनरी कैबिनेट सहित)	1	12,000	12,000
5	सीलिंग फैन 48 इंच ..	2	600	1,200
6	कैश चेस्ट ..	1	3,000	3,000
7	स्टेशनरी स्टील रैक ..	3	2,000	6,000
8	साइकिल ..	1	700	700
9	टेलीफोन कनेक्शन ..	1	9,000	9,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- (हजार रुपयों में)

01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--

001--निदेशक और प्रशासन--

03--जिला कार्यालयों का अधिष्ठान--

01--वेतन	34
03--महंगाई भत्ता	11
04--यात्रा व्यय	1
05--अन्य भत्ते	5
06--कार्यालय व्यय	47
07--टेलीफोन पर व्यय	9
योग ..	1,07

अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति ।

इस योजना के अधीन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है; जिसका सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना को आगामी पंचवर्षीय योजना में भी चलाया जायेगा। वर्ष 1990-91 में लगभग 676 जन-जाति के छात्रों / छात्राओं को भारत सरकार की दिनांक 1 जुलाई, 1989 से लागू नई दरों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 10,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1990-91 की आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- (हजार रुपयों में)

02--अनुसूचित जन जातियों का कल्याण--

277--शिक्षा--

01--केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं--

0102--दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत भारत सरकार की सहायता)--

15--छात्रवृत्तियां / छात्रवेतन .. 0,00

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयोंमें)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	10,00	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान--800--अन्य अनुदान--94--जन-जाति कल्याण--9403--शिक्षा	शत-प्रतिशत

अनुसूचित और खानाबदोश जाति के व्यक्तियों के लिये आर्थिक विकास की योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनजातियों को लाभान्वित किया जाता रहा है जो घुमन्तु प्रकृति की हैं और इन जातियों के विकास के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कार्यक्रम संचालित कराये जाते रहे हैं। आठवीं आयोजनावधि में इन जातियों के सर्वांगीण विकास के लिये आवास निर्माण हेतु 5,000 रु० तक अनुदान तथा रोजगार सृजन हेतु 3,000 रु० की एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। यह कुल 8,000 रु० प्रति परिवार का अनुदान तभी दिया जायेगा जब लाभार्थी परिवार किसी निश्चित स्थान पर बसने के लिये सहमत हो। उक्त योजना के संचालन हेतु वर्ष 1990-91 में 5,00,000 रु० अनावर्तक व्यय का अनुमान है। तद्नुसार आय-व्ययक में 5,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- (हजार रुपयों में)

80--सामान्य--

800--अन्य व्यय--

04--आर्थिक उत्थान--

0401--अनुसूचित और खानाबदोश जातियों के व्यक्तियों के लिये जो अनुसूचित जातियों में सम्मिलित है, के आर्थिक विकास की योजना (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 5,00

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के समय प्रदेश तथा भारत सरकार के मध्य लिये गये निर्णय के अनुरूप संस्थान के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से 4 संभागों की स्थापना चरणबद्ध रूप में किया जाना निर्धारित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मुख्य रूप से शोध सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग ही क्रियाशील रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1990-91 में उक्त संस्थान के अन्तर्गत डाकूमेन्टेशन लाइब्रेरी/म्यूजियम तथा डाटा बैंक प्रभाग नियोजन एवं सांख्यिकीय प्रभाग तथा प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये विभिन्न श्रेणी के 8 पदों के सृजन एवं साज-सज्जा की आवश्यकता है। जिस पर वित्तीय वर्ष 1990-91 में 4,31,000 रुपये (3,33,000 रु० आवर्तक एवं 98,000 रुपये अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या व्याख्या या पदनाम					वेतनमान	पदों की संख्या
					रु0	
1 उ ट उ उपनिदेशक	..	..	..	..	3000-4500	1
2 ड ड ड डाक्यूमेन्टेशन अधिकारी	..	..	..	..	2200-4000	1
3 र र स सहायक निदेशक	..	..	..	..	2200-4000	1
4 स स स सांख्यिकीय प्रोग्रामर	..	..	..	..	2200-4000	1
5 अ अ अ आशुलिपिक	..	..	..	..	1400-2300	3
6 ले ले ले लेखाकार	..	..	..	..	1200-2040	1
7 प्र प्र प्र प्रशिक्षण सहायक	..	..	..	..	2000-3200	1
8 क क क कनिष्ठ लिपिक	..	..	..	..	950-1500	3
9 च च च चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	..	..	..	750-940	6

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--आयोजनागत--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

800--अन्य व्यय--

02--अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें--केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना--

01--वेतन		..	..	..	1,80
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	63
04--यात्रा व्यय	..	..	..	..	12
05--अन्य भत्ते	..	..	..	..	45
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	1,13
12--प्रकाशन	..	..	..	..	6
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	12
				योग ..	4,31

4--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रु0 में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई ।
ज सहायता	2,15	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 04--केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान- 800--अन्य अनुदान-- 94--जनजाति कल्याण-- 9499--अन्य अनुदान	50 प्रतिशत

अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति ।

वर्तमान में इस योजना के अधीन कक्षा 1 से 5 तक 12 रु0, कक्षा 6 से 8 तक 20 रु0 और कक्षा 9 व 10 में 30 रु0 प्रतिमाह, प्रतिछात्र की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना को आगामी पंचवर्षीय योजना काल में भी चलाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि कक्षा 9 से 10 तक 278, कक्षा 6 से 8 तक 625 और कक्षा 1 से 5 तक 3125 छात्रों को वर्ष 1990-91 मई छात्रवृत्ति प्रदान की जानी होगी, जिसके लिये क्रमश: 1,00,000 रु0, 1,50,000 रु0 और 4,50,000 रु0 की आवश्यकता होगी।। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 7,00,000 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जन जातियों का कल्याण--

277-शिक्षा---

06-अनुसूचित जनजातियों को कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता---

0601 कक्षा 9 व 10 के छात्रों के निर्धनता के आधार पर सहायता--					
15-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	..	..	..	1,00
0603-कक्षा 6 से 8 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-(जिलायोजना)-					
15-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	..	..	..	1,50
0604-कक्षा 1 से 5 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)---					
15-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	..	..	..	..	4,50
				योग ..	7,00

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना

प्रदेश में मैदानी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में शिक्षा का अत्यन्त अभाव है। आर्थिक विपन्नता के कारण वे अपनी लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं। जनजाति बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने हेतु चार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना गत वर्ष की गयी है जिसमें जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालय चन्दन चौकी, (खीरी) बिशुनपुर, विश्राम, (गोण्डा) में कक्षा 6 तथा लालढांग (बिजनौर) तथा मिहींपुरवा, (बहराइच) में कक्षा 1 व 2 खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विद्यालयों को आठवीं योजना में क्रियान्वित रखना है। वर्ष 1990-91 में इन विद्यालयों पर 9,60,000 रु० आवर्तक मद में व्यय अनुमानित है, जिसकी आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

277--शिक्षा-- 1--मूल योजना--

03--अनुसूचित जातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	..	..	..	..	4,66
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	1,59
04--यात्रा व्यय	..	..	..	..	20
05--अन्य भत्ते	..	..	..	..	45
06--कार्यालय व्यय	..	..	..	..	40
11--किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व			..	..	18
25--माल सम्पूर्ति	..	..	..	..	172
33--अन्य व्यय	..	..	..	..	40
			योग	..	9,60

विमुक्त जाति के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की योजना।

विमुक्त जाति के आर्थिक विकास के लिए लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में एक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उक्त केन्द्र में विमुक्त जाति के युवकों को हिन्दी टंकण, सिलाई व्यवसाय एवं हैण्डलूम बुनाई व्यवसाय में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। छात्रों की शिक्षा में विस्तार के उद्देश्य से इस केन्द्र में इलेक्ट्रिकल लाइनमैन कोर्स प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर 1990-91 में 1,00,000 रु० (34,000 रु० आवर्तक, 66,000 रु० अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 1,00,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है

2---व्यय का विभाजन--
अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

ंख्या	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु0	
	प्रशिक्षक वायरमैन	1200-2040	1

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन :--

2225--अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

80--सामान्य-- (हजार रुपयों में)

800--अन्य व्यय--

04--आर्थिक उत्थान--

0407--विमुक्त जातियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र--

01--वेतन	10
03--महँगाई भत्ता	3
05--अन्य भत्ते	3
15--छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	18
22--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	66
योग ..	1,00

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता।

यह योजना के अधीन अभ्यर्थी को 1,000 रुपये की अधिकतम् सीमा तक एक बार अनुदान दिया जाता है। इस योजना ी रूप में आगामी योजनाकाल में संचालित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें वर्ष 1990-91 में 10,00,000 रुपये का नुमानित है। इससे 1000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु0 स्था कर ली गयी है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--

800--अन्य व्यय--

03--अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 10,00

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन का भुगतान निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जाता योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी आयोजनागत पक्ष में संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। योजना के संचालन 1990-91 में लगभग 2,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में इतनी ही की व्यवस्था कर ली गयी है।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225---अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जन जातियों का कल्याण--

800--अन्य व्यय

04--अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2,00

अनुसूचित जनजाति क छात्रों क लिये छात्रावास की स्थापना/निर्माण

जनपद गोण्डा में थारु जनजाति निवास करती है कि जो शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ी है निरक्षरता के का ये छात्र अपनी शिक्षा अधूरी ही छोड़ देते हैं। छात्रावास की स्थापना से जनजाति के छात्र छात्रावास में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर स इस उद्देश्य से बलरामपुर गोण्डा में एक छात्रावास के निर्माण तथा छात्रावास के संचालन हेतु कतिपय पदों के सृजन का प्रस्ताव है। छ वास के निर्माण तथा संचालन पर वर्ष 1990-91 में 15,20,000 रु० (1,87,000 रु० आवर्तक और 13,33,00) अनावर्तक का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आयव्ययक में 15,20,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वी विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--व्यय का विभाजन---

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-मान
		रु०
1	प्रबन्धक/अधीक्षक	1400-2300
2	वरिष्ठ लिपिक/पुस्तकालयाध्यक्ष	1200-2040
3	चपरासी	750-940
4	रसोइया	750-940
5	चौकीदार	750-940
6	कहार	750-940
7	स्वच्छकार	750-940

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

277--शिक्षा

02--अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की स्थापना--

01--वेतन	5
03--महंगाई भत्ता	1
04--यात्रा व्यय	
05--अन्य भत्ते	
06--कार्यालय व्यय	
11--किराया उपशुल्क और कर स्वामिस्व	4
18--वृहत् निर्माण	12,0
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,3
25--सामग्री और सम्पूर्ति	5
योग ..	15,2

हरिजन छात्रावासों का निर्माण

सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में हरिजन छात्रावासों के निर्माण की योजना संचालित की गयी। साथ ही जिला मुख्यालय पर 80 बिस्तर क्षमता वाले तथा अन्य स्थानों पर 50 बिस्तर क्षमता वाले छात्रावासों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निर्माण हेतु क्रमश: 7.50 लाख रुपया तथा 5.00 लाख रुपया की राशि अनुदान स्वरुप देने की योजना चालू की गयी। हरिजन छात्रों के आवासीय व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी चलाये जाने का प्रस्ताव है। योजना में वित्तीय वर्ष 1990-91 में कुल 2,45,70,000 रु० का अनावर्तक व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1990-9 के आय-व्ययक में 2,45,70,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण --

01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--

277--शिक्षा--

22--अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि का क्रय/अर्जन--

18--वृहत् निर्माण कार्य	36,00
23--नजूल की निःशुल्क अर्जित/क्रय की गयी/प्राइवेट संस्थाओं/विश्वविद्यालयों आदि की निःशुल्क भूमि पर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का निर्माण--	
18--वृहत् निर्माण कार्य	1,80,00
24--अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	29,70
योग ..	2,45,70

अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में भरण-पोषण आदि की दरों में वृद्धि

अनुसूचित जनजाति के 5 विद्यालय मैदानी क्षेत्र में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 9 विद्यालय पर्वतीय क्षेत्र में भी चलाये जा रहे हैं। इनका वित्त पोषण मैदानी क्षेत्र के आय-व्ययक से किया जा रहा है। इन विद्यालयों में भरण-पोषण सूती वस्त्र, गर्म वस्त्र/पुस्तकों आदि में जिन दरों से व्यय किया जा रहा है, उनसे वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। अतएव यह है कि निम्नलिखित दरों से शिक्षा सत्र 1990-91 से सुविधा उपलब्ध करायी जाय:--

मदें	मैदानी क्षेत्र के विद्यालय	पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालय
भरण पोषण प्रति छात्र	200 मासिक	200 मासिक
सूती वस्त्र	300 वार्षिक	--
गर्म वस्त्र/बिस्तर	100 वार्षिक	500 वार्षिक
पुस्तकें आदि--		
कक्षा 1 से 8	100 वार्षिक	100 वार्षिक
कक्षा 9 से 12	150 वार्षिक	150 वार्षिक

उक्त दरों से सुविधा उपलब्ध कराने में वर्ष 1990-91 में 30,93,000 रु० का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। तदनुसार 30,93,000 रु० (अनावर्तक) की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

277--शिक्षा--

03--अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना--

25--सामग्री और सम्पूर्ति 30,93

अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में भरण-पोषण आदि की दरों में वृद्धि।

अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के जो विद्यालय विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं उसमें भरण पोषण, सूती वस्त्र, गर्म वस्त्र/और पुस्तकों आदि पर जिन दरों से व्यय किया जा रहा है, उन दरों से वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। यह प्रस्ताव है कि शिक्षा सत्र 1990-91 से प्रतिछात्र/छात्रा को भरण-पोषण हेतु 200 रु० मासिक, सूती वस्त्र हेतु रु० वार्षिक गर्म वस्त्र/बिस्तर हेतु 100 रु० वार्षिक, 1 से 8 तक की कक्षाओं में पुस्तकीय सहायता 100 रु० वार्षिक कक्षा 9 से 12 की कक्षा में 150 रु० वार्षिक की दर से सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इन दरों से सुविधा उपलब्ध कराने में 1990-91 में 73,12,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 73,12,000 रु० (अनावर्तक) व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -
01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--
277--शिक्षा--
12--अनुसूचित जातियों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन
25--सामग्री और सम्पूर्ति 25 42
80 - सामान्य--
800--अन्य व्यय--
01--शैक्षिक कार्यक्रम--
0101--राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन-मूल योजना--
25--सामग्री और सम्पूर्ति 47,70

योग .. 73,12

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति

इस योजना के अधीन कक्षा-1 से 5 तक 12 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र, कक्षा-6 से 8 तक 20 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र और कक्षा-9 व 10 में 30 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना को आगामी पंचवर्षीय योजना में भी चलाने का प्रस्ताव है। योजना के अधीन वर्ष 1990-91 में कक्षा-9 व 10 के 15,000, कक्षा-6 से 8 तक के 70 प्रतिशत अतिरिक्त छात्रों को छात्र वृत्ति देने का अनुमान है जिसके 4,34,000 और कक्षा-1 से 5 के 20 प्रतिशत अतिरिक्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने में लगभग 1,13,195 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। इस छात्र संख्या के आधार पर क्रमशः 44.00 रु० 287.00 रु० और 153.00 लाख रु० की अतिरिक्त आवश्यकता वर्ष 1990-91 में होगी तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 4,84,00,000 रु० (आवर्तक) की अतिरिक्त व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--
277--शिक्षा--
15--अनुसूचित जाति के कक्षा-1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता--
1501--कक्षा-9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता--
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन 44,00
1503--कक्षा-6 से 8 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)--
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन 2,87,00
1505--कक्षा-1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)--
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन 1,53,00

योग .. 4,84,00

बुक बैंक हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था

विभिन्न मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत प्रदेश के चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को योजना के अधीन पुस्तकें व अलमारी उपलब्ध कराई जानी है। अतः 200 किताबों के सेट तथा 10) अलमारी क्रय करने का प्रस्ताव है जिस पर लगभग 11,60,000 रु० का व्यय अनुमानित है। उक्त धन में 50 प्रतिशत अर्थात् 5.80 लाख रुपया राज्य सरकार द्वारा और शेष भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 11,60,000 रुपये (आवर्तक) की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--
01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--
277--शिक्षा--
01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-शैक्षिक कार्यक्रम--

(हजार रुपयों में)

0105--अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों के विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की स्थापना--(50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता) (जिला सेक्टर)

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 11,60

3--भारत सरकार से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रुपयों में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गई है
राज सहायता	5,80	1601--केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान-04-केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान-800-अन्य अनुदान-92--हरिजन कल्याण--9203--शिक्षा	50 प्रतिशत

दशमोत्तर कक्षाओं में चिकित्सा, अभियन्त्रण एवं प्रोद्योगिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पुस्तकें तथा उपकरण क्रय करने हेतु अनावर्ती सहायता

इस वर्ग के छात्रों में शिक्षा प्रसार के लिए योजना को आठवीं योजना काल में भी उसी रूप में संचालित किए जाने का प्रस्ताव है जिस रूप में यह योजना सातवीं योजना काल में संचालित रही। उसके संचालन में 1990-91 में 10,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 10,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण--

277--शिक्षा--

06--चिकित्सा अभियंत्रण तथा प्रोद्योगिक (टेक्नालाजी) विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक तथा उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता--

15--छात्र वेतन/छात्रवृत्तियां 10,00

प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां, जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिये अनुदान

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर जनपदों में 13 जनजातियां निवास करती हैं, जो अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 6 लाख है, जिसमें से लगभग 5 लाख गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनके आर्थिक विकास हेतु कृषि/बागवानी और कुटीर उद्योग के विभिन्न कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में संचालित किये गये परन्तु इनका जीवन स्तर अभी तक ऊंचा नहीं हो पाया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में कुटीर उद्योग के कार्यक्रम संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त योजना के संचालन हेतु 1990-91 में 25,00,000 रु० (अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है तद्नुसार आय-व्ययक में 25,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त प्रदान की जायेगी।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

102--आर्थिक विकास--

02--प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजातियां जो इस समय अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है, के लिये सहायक अनुदान--

0202--कुटीर उद्योग हेतु--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 25,00

अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना तथा भवनों का निर्माण

इस समय प्रदेश में कुल 30 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, कोल जाति व मुसहर जाति के बच्चों के लिये संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 3 आश्रम पद्धति विद्यालय शत प्रतिशत अनुदान पर संचालित हैं। इनमें मैदानी क्षेत्र में 21 आश्रम पद्धति विद्यालय अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये संचालित किये गये हैं वर्ष 1990-91 में जनपद बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, वाराणसी तथा बछरांवा में प्राइमरी स्तर के एक-एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। उक्त चारों विद्यालयों में सर्वप्रथम कक्षा 1 व 2 स्तर की शिक्षा प्रदान की जायगी, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 30-30 छात्र प्रति विद्यालय में लाभान्वित होंगे। इन विद्यालयों की स्थापना में 5,35,000 रु0 आवर्तक तथा 8,90,000 रु0 के अनावर्तक का व्यय 1990-91 में अनुमानित है। उक्त के अतिरिक्त 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण में प्रति विद्यालय 80.00 लाख रुपये की दर से 3.20 करोड़ रु0 का व्यय 1990-91 में होने का अनुमान है। तदनुसार कुल 3,34,25,000 रु0, (5,35,000 आवर्तक रु0, 3,28,90,000 रु0 अनावतक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 3,34,25,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
		रु0	
1	अधीक्षक	1660-2660	4
2	नर्स/कम्पाउन्डर	975-1660	4
3	गृहमाता	975-1660	4
4	वरिष्ठ सहायक	1200-2040	4
5	सहायक अध्यापक (जे0 टी0 सी0)	975-1540	8
6	भण्डार लिपिक	950-1500	4
7	रसोइया	750-940	4
8	कहार	750-940	4
9	चौकीदार	750-940	4
10	चपरासी	750-940	4
11	स्वीपर/जमादार	750-940	4
12	अंशकालिक चिकित्सक	300 प्रतिमाह	4

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण—

01—अनुसूचित जातियों का कल्याण—

277—शिक्षा—

12—राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालयों का संचालन—	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	2,74
03—महंगाई भत्ता	92
04—यात्रा व्यय	2
05—अन्य भत्ते	56
06—कार्यालय व्यय	8
11—किराया, उप शुल्क एवं कर स्वामिस्व	84
18—वृहत् निर्माण कार्य	3,20,00
20—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	8,90
33—अन्य व्यय	19
योग	3,34,25

अनुसूचित जनजाति के आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षाओं का विस्तार एवं निर्माण

च्चांद चौकी खीरी तथा विशुनपुर विश्राम गोण्डा में कक्षा 6 तक के स्तर के विद्यालय संचालित है। लालढांग बिजनौर र मिहिनपुरवा, बहराइच में कक्षा 2 तक विद्यालय संचालित हैं। छात्रों को शिक्षा में प्रसार हेतु चांद चौकी और विशुनपुर ग्राम में कक्षा 7 व 8 और लालढांग व बिजनौर में कक्षा 3 से 5 के संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके कार्यालय फ एवं साज-सज्जा पर 12,21,000 रु० (4,35,000 आवर्तक रु० व 7,86,000 अनावर्तक रु०) का व्यय 1990-91 में मानित है। इसके अतिरिक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मिहिनपुरवा (बहराइच) तथा लालढांग में भवनों का निर्माण ा जा रहा है, जिनके लिये क्रमशः 11.00 लाख रु० और 31.00 लाख रु० हरिवास को उपलब्ध कराया जा चुका है। भवनों को पूर्ण कराने हेतु हरिवास के आगणनों के अनुसार कुल लगभग 112.58 लाख रु० की आवश्यकता है, जिसमें से वर्ष 990-91 में मिहिनपुरवा के विद्यालय हेतु 50.00 लाख रु० तथा लालढांग के विद्यालय हेतु 30.00 लाख रु० उपलब्ध कराये ने का प्रस्ताव है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 92,21,000 रु०, (87,86,000 रु०, आवर्तक 4,35,000 रु० ावर्तक) की व्यवस्था कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1	सहायक अध्यापक (महिला) एल०टी० सी०	975-1840	6
2	सहायक अध्यापक (महिला) सी०टी०	1200-2040	2
3	रसोइया	750-940	2
4	कहार	750-940	4

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

277--शिक्षा--

(हजार रुपयों में)

03--अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना--

01--वेतन	78
03--महंगाई भत्ता	28
04--यात्रा व्यय	15
05--अन्य भत्ते	8
06--कार्यालय व्यय	20
11--किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामिस्व	10
18--बृहत् निर्माण	80,00
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7,46
25--माल सम्पूर्ति	2,96
33--अन्य व्यय	20
योग	92,21

कोल जाति के व्यक्तियों का कल्याण

न कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत कोल जाति बहुल क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान, कुटीर उद्योग, कृषि उत्थान एवं खड़ंजा मार्ग व नाली ण हेतु अनुदान देने की व्यवस्था है। इस योजना को प्रदेश के बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर जनपदों में चलायें जाने का प्रस्ताव है। न्मुख योजनाओं में प्रति परिवार अनुदान की अधिकतम सीमा 3,000 रु० प्रस्तावित है। सम्पर्क मार्ग, खडंजा निर्माण व नाली का कार्य कोल परिवारों द्वारा किया जायेगा ताकि उन्हें इस कार्य में रोजगार के साथ ही मजदूरी भी मिल सके। वर्ष 1990-91 योजना पर 2,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 2,00,000 रु० की व कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--800--अन्य व्यय-- (हजार रुपयों में)

02--कोल जातियों का कल्याण--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,00

अनुसूचित जनजाति के जूनियर हाईस्कूल स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा में प्रसार हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सुविधा उसी स्थान पर उपलब्ध कराई जाय जहां उनकी बहुलता हो । प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बाद इन जातियों के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं । अतः यह प्रस्ताव है कि बालापुर (गोंडा), नौतनवा (गोरखपुर), नजीबाबाद (बिजनौर), वेलापरसुवा लखीमपुर खीरी सिरसिया (बहराइच) और लालढांग (हरिद्वार) में जूनियर हाईस्कूल स्तर विद्यालयों की स्थापना की जाय । इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में कक्षा 6 खोली जायेगी जिसमें 35 छात्रों की क्षमता होगी । वर्ष 1990-91 में 29,65,000 रु0 (18,78000 रु0 अनावर्तक और 10,87,000 रु0 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है । तदनुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 29,65,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गया है । योजना की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त की जायेगी ।

2--व्यय का विभाजन-

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	अधीक्षक	1660-2660	6
2	सहायक अधीक्षक/प्रसार अध्यापक	975-1840	6
3	सहायक अध्यापक (सी0 टी0) (गणित विज्ञान सा0 विषय)	1200-2040	12
4	नर्स/कम्पाउन्डर	1350-2200	6
5	वरिष्ठ लिपिक	1200-2040	6
6	कनिष्ठ लिपिक	950-1500	6
7	चतुर्थ कर्मचारी--		
	1--चपरासी	750-940	6
	2--रसोईया	750-940	12
	3--कहार	750-940	6
	4--चौकीदार	750-940	6
	5--स्वच्छकार..	750-940	6
	8--अवैतनिक चिकित्सक	300 रु0 प्रतिमाह नियत	6

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--

02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--

277--शिक्षा--

03--अनुसूचित जनजातियों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना--

01--वेतन	4,83
03--महंगाई भत्ता	1,6
04--यात्रा व्यय	3(
05--अन्य भत्ते	4(
06--कार्यालय व्यय	6(
11--किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	1,0
19--लघु निर्माण	12,0
20--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6,7
25--सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,9
योग ..	29,6

पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति

इस योजना के अधीन कक्षा-1 से 5 तक 12 रु०, कक्षा-6 से 8 तक 20 और कक्षा-9 व 10 में 30 रु० प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना को आगामी पंचवर्षीय योजना में भी चलाने का निश्चय किया गया है। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1989-90 में छात्रवृत्ति पा रहे छात्रों की संख्या में 20 प्रतिशत नए छात्रों को वर्ष 1990-91 में छात्रवृत्ति प्रदान की जाये। इसके अनुसार 1990-91 में कक्षा 9 से 10 तक 72.50 लाख रु० कक्षा 6 से 8 तक 160 लाख रु० और कक्षा 1 से 5 तक 194 लाख रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार 1990-91 के आय-व्ययक में 4,26,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--	
03--पिछड़े वर्गों का कल्याण--	
277--शिक्षा--	
05--पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता--	
0501--कक्षा- 9 से 10 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता--	
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन	72,50
0503--कक्षा-6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता- (जिला योजना)--	
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन	1,60,00
0505--कक्षा-1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता- (जिला योजना)-	
15--छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन	1,94,00
योग ..	4,26,50

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की विशेष केन्द्रीय सहायता का 5 प्रतिशत अंश गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर व्यय किया जाता है तदनुसार रोजगारोन्मुख ट्रेड्स में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चलाये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 1990-91 में 2,00,00,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 2,00,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2225--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--	
01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--	
793--अनुसूचित जाति संघटक आयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता--	
12--अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अनुदान--	
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2,00,00

विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना।

विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को (कक्षा-1 से 8 तक) शिक्षा तथा वृत्तिक / व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये छात्र वृत्ति दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 1,63,000 रु० व्यय अनुमानित है। अत: 1,63,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक 1990-91 में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--	
02--सामाजिक कल्याण--आयोजनागत--	
101--विकलांगों का कल्याण--	
04--विभिन्न श्रेणी के विकलांग छात्रों तथा विभिन्न श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु सहायता (जिला योजना)--	
15--छात्रवृत्तियां / छात्र वेतन	1,63

अकिंचन मृतकों के दाह एवं दफन संस्कार हेतु अनुदान।

अकिंचन मृतकों के दाह एवं दफन संस्कार हेतु सामान्य नगरों में 100 रु० तथा महानगरों में 150 रु० प्रति शव अनुदान दिया जाता है। वस्तुतः वर्तमान मूल्यों को देखते हुए उक्त धनराशि बहुत कम है। अतः राज्य के मैदानी क्षेत्र में यह दर बढ़ाकर 300 रु० प्रति शव की दर से अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990–91 में 6,00,000 रु० के व्यय का अनुमान है। तदनुसार इतनी ही धनराशि की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत--

02--सामाजिक कल्याण--

107--स्वैच्छिक संगठनों को सहायता--

08--अनाथों के दाह एवं दफन संस्कार हेतु स्वैच्छिक संगठनों / संस्थाओं को सहायता (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	6,00

बाल दिवस समारोह का आयोजन तथा बाल निधि की स्थापना

प्रदेश के समस्त जिलों में प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु बाल निधि की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 1990–91 में 1,00,000 रु० की आवश्यकता है। अतएव वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में 1,00,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2135--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

02--सामाजिक कल्याण--आयोजनागत--

102--बाल कल्याण--

10--बाल कल्याण की विविध योजनायें--

1001--बाल निधि की स्थापना--	
33--अन्य व्यय	70
1002--बाल दिवस समारोह	
33--अन्य व्यय	30
योग ..	1,00

प्रदेश के नवसृजित जनपद महराजगंज में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की स्थापना।

किशोर कल्याण अधिनियम, 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत अपराधी अवयस्क किशोरों के मुकदमों के निस्तारण हेतु प्रदेश के नवसृजित मैदानी जनपद महराजगंज (गोरखपुर) में एक किशोर कल्याण बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है। इस कार्य पर वर्ष 1990-91 में 57,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में 57,000 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतनमान (रु०)	संख्या
1	पेशकार (लिपिक)	1200-2040	1
2	चपरासी	750-940	1

(ख) साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे--

क्रम-संख्या	मद	संख्या	दर	लागत
				रु0
1	टाइप राइटर ..	1	6,000	6,00
2	सीलिंग फैन ..	2	700	1,400
3	बड़ी दरी ..	1	600	600
4	अधिकारी मेज ..	1	1,000	1,000
5	कार्यालय मेज ..	1	800	800
6	अधिकारी कुर्सी ..	1	500	500
7	रैक लकड़ी ..	1	200	200
8	कार्यालय कुर्सी ..	2	300	600
9	बिना हत्थे की कुर्सी ..	5	200	1,000
10	स्टील अलमारी ..	3	2,000	6,000
11	स्टूल ..	3	100	300
12	बेंच ..	1	400	400
13	साइकिल ..	1	800	800
14	कैश चेस्ट ..	1	2,700	2,700
15	दीवाल घड़ी ..	2	300	600
16	ताले बड़े ..	2	50	100

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत--

02--सामाजिक कल्याण--

102--बाल कल्याण--

06--किशोर कल्याण कोर्ट/बोर्ड की स्थापना--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन ..	14
03--महंगाई भत्ता ..	5
04--यात्रा व्यय ..	2
05--अन्य भत्ते ..	3
06--कार्यालय व्यय ..	33
योग	57

दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता

दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 100 रुपया प्रतिमाह प्रति महिला की दर से अनुदान दिये जाने हेतु वर्ष 1990-91 में कुल 4 लाख रु0 का व्यय अनुमानित है। इस धनराशि में से प्रदेश के सभी जनपदों की परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुसार 4,00,000 रु0 की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-- (हजार रुपयों में)

02--सामाजिक कल्याण--

103--महिला कल्याण-आयोजनागत--

18--दहेज के कारण परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 4,00

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता।

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिये (वकील की फीस तथा अन्य कानूनी खर्चों हेतु) विभिन्न जिलों में प्रति महिला अधिकतम 1,000 रुपये की दर से अनुदान देने हेतु 1,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। अतः 1,00,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण--

02--सामाजिक कल्याण

103-महिला कल्याण--आयोजनागत--

17--दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,00

राजकीय किशोर गृह के भवनों का जीर्णोद्धार।

राजकीय किशोर गृह शाहजहांपुर, गाजीपुर तथा वाराणसी की चहारदीवारी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ताकि संवासी बच्चे किशोर गृह से भाग न सके। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छुट-पुट मरम्मत कार्य भी कराया जाना है। इस योजना के लिये वर्ष 1990-91 में 3,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार आय-व्ययक में 3,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-आयोजनागत--

02--सामाजिक कल्याण--

102--बाल कल्याण--

04--किशोर न्याय अधिनियम का कार्यान्वयन--

0403--किशोर गृहों/विशेष गृहों का संचालन--

19--लघु निर्माण कार्य 3,00

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र (जैसे बनावटी हाथ, पैर, श्रवण यन्त्र चश्मा तथा बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने की योजना पूर्व से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 500 रु० की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जा रहा है। अब अनुदान की अधिकतम सीमा 500 रु० से बढ़ाकर 1,000 रु० किये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर वर्ष 1990-91 में 12,00,000 रु० व्यय होने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--

02--सामाजिक कल्याण--आयोजनागत--

101--विकलांगों का कल्याण--

03--शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता .. . 12,00

मानीटरिंग सेल की स्थापना।

प्रदेश में बच्चों के कल्याण के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन में प्रगति लाने के लिए तथा इन सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम डेवलपमेन्ट एण्ड मानीटरिंग सेल की स्थापना वर्ष 989-90 में यूनीसेफ की 100 प्रतिशत सहायता से की गई थी। वर्ष 1990-91 में भी इस सेल का 100 प्रतिशत व्यय भार यूनीसेफ ही वहन करेगा। यह प्रकोष्ठ आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भी कार्य करता रहेगा। इस योजना के लिए वर्ष 1990-91 में 1,85,000 रु० की आवश्यकता अनुमानित है। तद्नुसार 1,85,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रम-संख्या	पदनाम		वेतनमान	पदों की संख्या
			रु0	
1	मूल्यांकन अधिकारी / (उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सम्वर्ग में)		2200-4000	1
2	क्षेत्र अधिकारी / (जिला परिवीक्षा अधिकारी सम्वर्ग में)		2000-3200	1
3	शोध सहायक	..	1400-2600	1
4	आशुलेखक	..	1200-2040	1
5	चालक	..	950-1500	1

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-- (हजार रुपयों में)

02--सामाजिक कल्याण--आयोजनागत--

102--बाल कल्याण--

04--किशोर न्याय अधिनियम का कार्यान्वयन--

0404--मानीटरिंग जल की स्थापना--यूनिसेफ द्वारा 1991 तक शत प्रतिशत वित्त पोषित--

01--वेतन	1,00
03--महंगाई भत्ता	34
04--यात्रा व्यय	10
05--अन्य भत्ते	20
06--कार्यालय व्यय	6
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण व पेट्रोल का क्रय	12
33--अन्य व्यय	3
योग ..	1,85

4--भारत सरकार अथवा अन्य अभिकरणों से प्राप्य सहायता--

मद	धनराशि (हजार रु0 में)	लेखा शीर्षक	आधार जिसके अनुसार सहायता की धनराशि अभिधारित की गयी
राज सहायता	1,85	0235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60--अन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम 800--अन्य प्रकीर्ण से प्राप्तियां यूनीसेफ से प्राप्ति	शत-प्रतिशत

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान की योजना

निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण की योजना काफ़ी समय से विभाग में चलाई जा रही है जिसे आठवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पूर्व लाभान्वित लाभार्थियों के 10 प्रतिशत मात्रा में अतिरिक्त लाभार्थियों को भी वर्ष 1990-91 में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजना पर 11,26,45,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 11,26,45,000 रु0 की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत-- (हजार रुपयों में)

02--सामाजिक कल्याण--

103--महिला कल्याण--

07--निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 11,26,45

निराश्रित विकलांगों के भरण-पोषण हेतु अनुदान की योजना।

निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण की योजना काफ़ी समय से विभाग में चलायी जा रही है जिसे आठवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पूर्व लाभान्वित लाभार्थियों के 10 प्रतिशत मात्रा में अतिरिक्त लाभार्थियों को भी वर्ष 1990-91 में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजना पर 2,40,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। तदनुसार 2,40,00,000 रु० की व्यवस्था वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण--आयोजनागत--

02--सामाजिक कल्याण-- (हजार रुपयों में)

101--विकलांगों का कल्याण--

06--नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उसके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता .. 2,40,00,00

कश्मीर से आये विस्थापितों को सहायता।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जम्मू एवं कश्मीर से आकर बसे व्यक्तियों / परिवारों को आश्रय, भोजन एवं दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है जिस पर वर्ष 1990-91 में 20,00,000 रु० का व्यय अनुमानित है। अतएव 20,00,000 रु० की व्यवस्था आय-व्ययक 1990-91 में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-- (हजार रुपयों में)

01--पुनर्वास--

800--अन्य व्यय--

01--कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता--

33--अन्य व्यय .. 20,00

DOC. No. D-5452
Date 31/12/90
NIEPA DC
D05452

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 21 सा० वित्त--1-6-90--(881)--1990--2,500 (हि०)।